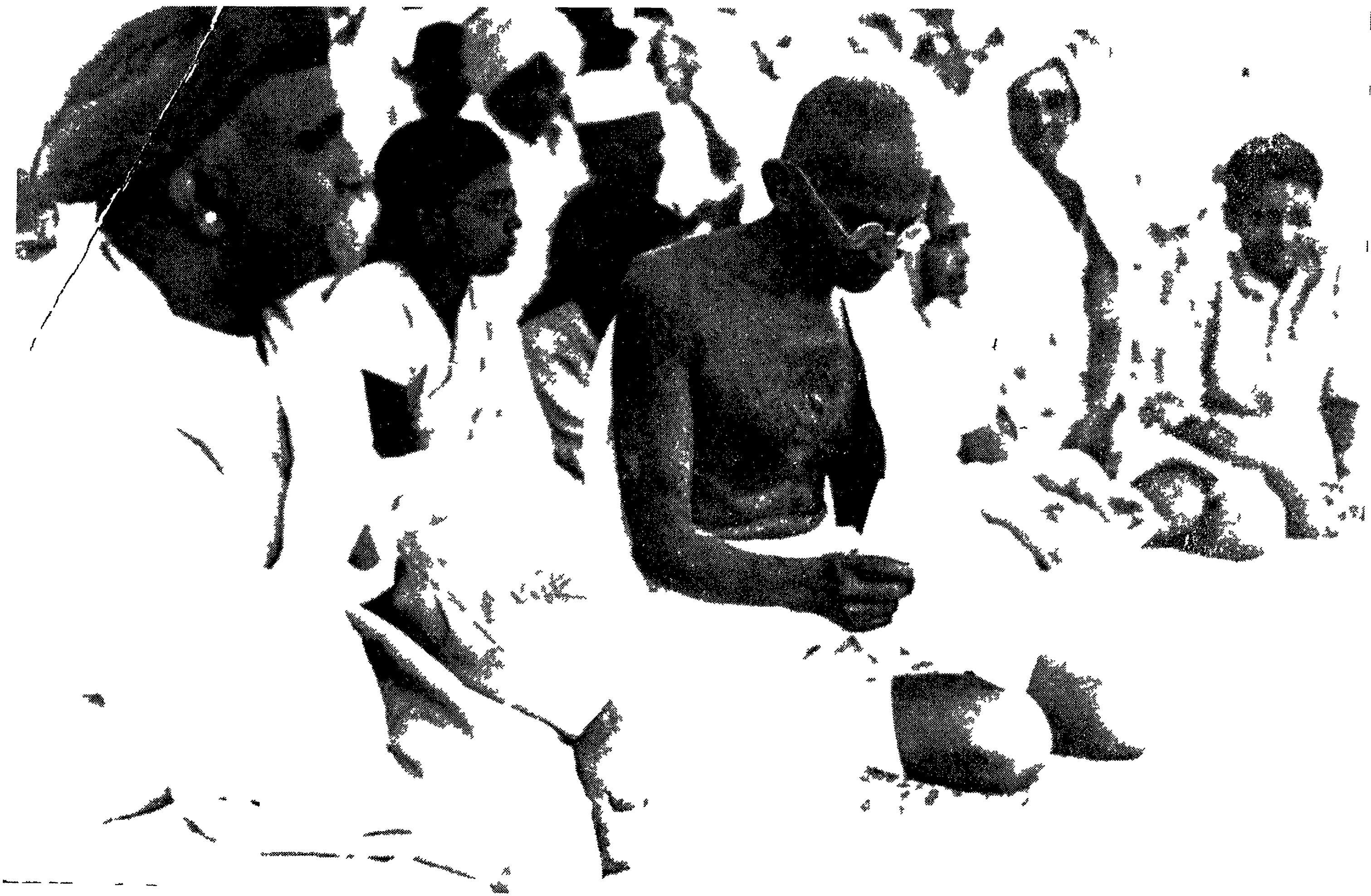


गांधीजी इन्दौरमें, १९३५

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

६०

(१६ दिसम्बर, १९३४ – २४ अप्रैल, १९३५)

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

जनवरी, १९७५ (पौष १८९६)

साढ़े सात रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

प्रस्तुत खण्ड (१६ दिसम्बरसे २४ अप्रैलतक) की प्रारम्भिक तारीखके दो दिन पूव वर्धामे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके गठनकी घोषणा की गई थी। जे० सी० कुमारप्पा इसके सयोजक तथा मत्री नियुक्त हुए थे। अक्तूबरके आखिरी समयमे बम्बईमे हुए काग्रेस अधिवेशनमे एक प्रस्ताव पारित हुआ था। यह सघ उसीको अमलमे लाते हुए बनाया गया था। उसी अधिवेशनने गाधीजी के बहुत दिनोसे सोचकर किये गये काग्रेस छोडनेके उस फैसलेपर मोहर लगा दी, जिसके कारण पिछले खण्डमे गिनाये गये है।

ये दोनो घटनाएँ एक दूसरेसे सम्बन्धित है ओर राष्ट्रीय सघषके गाधीजी के नेतत्व मे एक ऐसी नई मजिलकी सूचक है जो तात्कालिक परिस्थितियोके सन्दभमे उन्हे सुसगत ही नही, अनिवाय तक प्रतीत हुई थी। उस समय सारा देश ऐसे दमनकारी कानूनोकी गिरफ्तमे जकडा हुआ था, जिनकी टीका करते हुए गाधीजी को यह कहना पडा था कि ऐसा दमन चक्र ब्रिटिश भारतके इतिहासमे अभूतपूव है। अपने इस कथनके औचित्यके विषयमे उन्होने कहा, "जलियावाला बागकी याद मेरे दिमागमे बिलकुल सजीव है। मैने १८५७ के सिपाही गदरके बारेमे के ओर मेलेसन द्वारा लिखी पुस्तके पढी है। खैर, तब तो नगी तलवारका खुला खेल था। लेकिन यह दमनचक्र तो छिपा हुआ हथियार है, और इस कारण और भी घातक है" (पष्ठ ५३)। भारतीय जनताकी स्वतत्रताकी मागके बारेमे ब्रिटिश सरकारकी नीतिके विषयमे उन्होने कहा "उन्होने निश्चित रूपसे यह नीति अपना ली है कि जनताकी मागको स्वीकार न किया जाये। जो उन्होने पहले कभी करनेकी हिम्मत नही की, आज वे उसे कर रहे ह। उन्होने एक नया दशन अपना लिया है" (पष्ठ ४१५)। देश इस पूरी शक्तिसे चलाये जा रहे दमन चक्रका प्रतिरोध करनेकी स्थितिमे नही था। उसका उत्साह क्षीण हो चला था और उसकी मनोदशा यदि निराशासे नही तो पराजयकी भावनासे आक्रान्त थी। लेकिन गाधीजी तब भी आशावान् थे। श्रीमती लिडसेको लिखते हुए उन्होने कहा, हम बहुत कठिन समयसे गुजर रहे ह लेकिन मै जानता हूँ कि हेमन्तके बाद वसन्त तो आता ही है (पष्ठ ५५)। गाधीजी की आशा का उद्गम स्रोत अहिसामे उनका विश्वास था। प्रेमाबहन कटकको अपने पत्रमे उन्होने लिखा, "जैसे अहिसाकी शक्ति अपार है वैसे ही अहिसककी शक्ति भी अपार है" (पष्ठ ४२६)। उन्हे इतना ही लगा कि उनकी अहिसाकी परीक्षा हो रही है। उन्होने अगाथा हैरीसनको लिखा, "यदि मुझमे अहिसाका तत्त्व है तो वह सूयकी

तरह स्वयप्रकाशित होना चाहिए" (पृ० ३०४)। जैसा कि उन्होंने एक अंग्रेज संवाददाताको बताया भी था, काग्रेससे उनके हट जानेके पीछे जो कारण थे उनमें एक मुख्य कारण यह था कि "मै सरकारके राजनीतिक कदमोके बारेमे अपने ऊपर खामोशी थोपना चाहता हूँ।" और "मैं अहिंसामें छिपी हुई सम्भावनाओकी खोज करना चाहता हूँ" (पृष्ठ ५४)। अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग-सघके जरिये गाँवोके पुर्नानर्माणका जो कार्यक्रम गाधीजी ने हाथमे लिया था, उसकी योजना इसी मानसिक स्थितिकी उपज थी। संघके उद्देश्यको स्पष्ट करते हुए उन्होने बताया कि "सघको जान-बूझकर गैर-राजनीतिक और स्वशासी सगठन बनाया गया है। सघके सदस्य अपनी सदस्यताके दौरान सविनय अवज्ञाके किसी भी अभियानमे भाग न लेनेको वचनबद्ध है। सघके सलाहकार और मार्गदर्शककी हैसियतसे मैं कह सकता हूँ कि सघका उद्देश्य गाँववालोका आर्थिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान करनेके सिवा और कुछ नही है" (पृष्ठ १८)।

सघकी योजना "उन सब उद्योगोको पुनरुज्जीवित और प्रोत्साहित करनेकी थी जो ग्रामीण जीवनके नैतिक और भौतिक विकासके लिए आवश्यक है" (पृष्ठ ११७)। उनमे कताई, बुनाई, चर्मशोधन, तेल निकालना, साबुन बनाना, मधुमक्खी-पालन, चावलकी हाथ-कुटाई और गेहूँकी हाथ-पिसाई, गुड बनाना, कागज बनाना आदि शामिल थे। जैसी कि उनकी आदत थी, गाधीजी ग्रामोद्योग सघके लिए कार्य-क्रमकी एक सामान्य रूपरेखा बनाकर ही सन्तुष्ट नही हो गये, उन्होने उसे कार्यान्वित करनेकी योजनाको भी ब्यौरेवार बारीकीसे बतलाया। ग्रामोद्योगोके पुनरुज्जीवनके कार्यका आरम्भ कैसे किया जाये, इस प्रश्नका विस्तृत उत्तर देते हुए उन्होने कहा, "हममें से हरएक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढने और अपने नित्यके उपयोगकी चीजोको जाँच-परख सकता है और विलायती अथवा शहरकी बनी चीजोकी जगह ग्रामवासियोकी बनाई हुई उन चीजोको काममें ला सकता है, जिन्हें कि वे अपनी मडैयामे या खेत-खलिहानमे बहुत सस्ते और मामूली औजारोसे सहज ही तैयार कर सकते है" (पृष्ठ १२३)। इस योजनाका उद्देश्य, जैसा कि कुछ सदाशयी समा-लोचकोको अदेशा था, यह नही था कि देशको कुटीर-उद्योगो द्वारा निर्मित ऐसे घटिया मालसे भर दिया जाये जिसे खरीदनेवाला कोई न हो। उन्होने कहा · "गाँवोमें रद्दी चीजे बनाने और उन्हें बेमनसे खरीदनेवालोके मत्थे मढनेकी तो कोई बात इस कार्य-क्रममे है नही। एक ही प्रकारकी विदेशी या स्वदेशी चीजोके साथ जब प्रतिस्पर्धाकी कोई बात ही नही तब असफलता का तो सवाल ही नही आता। गाँवोके लोग खुद तैयार करेगे और खुद ही खरीदेगे। अपने बनाये मालको अव्वल तो वे खुद ही खपा लेगें, क्योकि नब्बे फीसदी जनसख्या ग्रामवासियोकी ही है". (पृष्ठ ४५५)। इस तरह उद्देश्य यह था कि गाँवोको शहरोपर निर्भर रहनेसे और केन्द्रीकृत उत्पादनके क्रूर अकुशसे मुक्त किया जाये और इस तरह ऐसी आर्थिक आत्मनिर्भरताको पुष्ट

किया जाये जो स्वराज्यके लिए विश्वसनीय नीव मुहैया कर दे। कारण, गाधीजी को भारतके लिए बडे उद्योगोकी उपयोगितामें पूरी-पूरी शका थी। उनका कहना था कि "भारत-जैसा विशाल देश, जहाँ करोडो व्यक्तियोको वर्षमे चार महीने बेकार रहना पड़ता है, बड़े उद्योगोको बढावा देकर कैसे खुशहाल हो सकता है? . . . बडे तथा केन्द्रीकृत उद्योगोका अर्थ यह होगा कि लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे और अगर उनके लिए किसी सम्मानजनक रोजगारकी व्यवस्था नही की गई तो वे भूखो मरेगे" (पृष्ठ ११८)।

गांधीजी ने अपने-आपको ग्रामीण जनताके केवल आर्थिक हिततक ही सीमित नही रखा। कार्यक्रम सच्ची अर्थनीतिपर आधारित है, यह स्पष्ट करते हुए उन्होने बताया कि "ग्रामवासियोके स्वास्थ्य एव शक्तिकी वृद्धि ही उसका उद्देश्य है" (पृ० २९४)। इसलिए ज्योही उन्होने उसे कार्यान्वित करनेकी दिशामे काम करना शुरू किया त्योही आनुषगिक प्रश्न, जो इससे पहले बहुत निश्चित रूपसे नही उठाये गये थे, तत्काल उनके लिए महत्त्वपूर्ण बन गये। उदाहरणके लिए, खाद्य-सामग्रीके मामलेमे बहुत दिनोसे यह शका की जा रही थी कि मिलकी बनाई या मिलमे तैयार की गयी चीजें, खासकर मिलका कुटा अतिपरिष्कृत (पालिश्ड) चावल, बारीक पिसा आटा और दानेदार शक्कर स्वास्थ्यके लिए हानिकर हैं। इस शकाके लिए समुचित आधार है, यह सिद्ध करनेका काम गाधीजी ने अपने ऊपर ले लिया। खासकर चावलके मामलेमे गाधीजी ने विशेष ध्यान दिया। उन्होने डाक्टरो, वैद्यो, जीव-रसायन-शास्त्रियो और वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओको आमन्त्रित किया कि वे इस बातकी जाँच-पडताल करे कि चावल जब मिलोमें कूटा जाता है और पालिश किया जाता है तो उसमे क्या परिवर्तन हो जाता है। उनका निर्णय यह था कि पालिश करनेकी प्रक्रियामे चावलकी ऊपरी परतके साथ-साथ उसमे निहित विटामिन बी और प्रोटीन भी नष्ट हो जाते है। गाधीजी ने 'हरिजन'मे एक लेखमालामे इस विषयपर चर्चा की और इस बातकी वकालत की कि चावलका ऊपरी छिलका उसे लकडीकी चक्कीमे दलकर साफ किया जाना चाहिए ताकि उसका पूरा दाना, ऊपरी परत सहित, पूरा निश्चित रूपसे बच जाये। जब यह कठिनाई व्यक्त की गई कि ऐसा चावल हजम कर पाना कठिन होता है तो उन्होने इस बातकी ओर ध्यान दिलाया कि इसका कारण उसका अधिक पोषणयुक्त होना है। उन्होने 'अभ्यस्त रसोइया'के रूपमे अपने अनुभवोपर आधारित चावल पकानेकी एक विधिका सुझाव दिया — कि चावलको कम-से-कम तीन घटेतक पानीमें भिगोकर रखे और फिर उसे उबलते पानीमें डालकर पकाये और तबतक पकाते रहें जबतक वह एक ठोस लौदा न बन जाये। (पृष्ठ १९६, २५३, २८२, ३०२, ३४१)

दूसरी चीज जिसे उन्होने आहारशास्त्रीय विश्लेषणके लिए चुना, वह था दूध प्रश्न यह था कि क्या पोषणकी दृष्टिसे गायका दूध किसी तरह भैंसके दूधसे भिन्न

प्रकारका होता है। उन्होंने एक प्रश्नमाला तैयार की और उसे भैषजिक विशेषज्ञोके पास उनकी सम्मतिके लिए भेजा। उनकी सम्मतियोका सारांश देते हुए गाधीजी ने कहा . " . . सम्मतियाँ . . . इस बातको पर्याप्त रूपसे सिद्ध करती है कि गायका दूध भैसके दूधसे अच्छा होता है" (पृष्ठ २७४)। इसी तरह गुडके मामलेमें निष्कर्ष यह रहा कि वह शक्करसे ३३ प्रतिशत अधिक पोषणकारी है (पृष्ठ ३५)। जिसे पालिश न किया गया हो ऐसे हाथ-कुटे चावल, हाथके पिसे गेहूँ और गुडके सिवा गाधीजी ने दैनिक खुराकमें कई सब्जियोकी अनपकी पत्तियोको भी शामिल करनेका सुझाव दिया और इस विषयपर एक अलग लेख भी लिखा। (पृष्ठ २५१-५२)

गाधीजी ने गाँवोकी सफाईपर भी बडा जोर दिया। उन्होंने मैला ठिकाने लगानेके तरीके विस्तारसे बतलाये। पूर और फाउलरका हवाला देते हुए उन्होंने गाँवोमे शौचालयोके लिए "छ इच चौड़ी और एक फुट गहरी" खाइयाँ खोदनेकी सिफारिश की। उन्होंने बताया कि इस तरह सारा मैला धरतीके लिए अच्छी खादके रूपमे बदला जा सकता है। ब्रुलटिनीको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि "दिल्लीमे रहने-वाले २,८२,००० मनुष्योके मैलेसे जो नाइट्रोजन प्राप्त होगा, उससे कम-से-कम १० हजार और अधिक-से-अधिक ९५ हजार एकड जमीनको पर्याप्त खाद मिल सकती है" (पृष्ठ ३३१)। उन्होंने कहा कि "अगर हम सब भगी बन जाएँ तो यह तो हमे मालूम हो ही जायेगा कि हमे खुद अपने प्रति कैसा बरताव करना चाहिए। हमें यह भी ज्ञात हो जायेगा कि आज जो चीज जहरका काम कर रही है उसे पेड-पौधोके लिए हम किस प्रकार उत्तम खादमें परिणत कर सकते है" (पृष्ठ ३३१)। इस बातका उदाहरण पेश करनेके लिए उन्होंने अपने नजदीकी सहयोगियोके साथ वर्धाके एक समीपवर्ती गाँव सिन्दीमें सफाईका काम अपने हाथो करना शुरू कर दिया। (३२९)

आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माणकी ऐसी व्यापक योजनाके सफल कार्यान्वियनमें बडी सम्भावनाएँ निहित थी। इन सम्भावनाओकी चर्चा करते हुए गाधीजी ने कहा . " . संघ . . करोडो गाँववालोंके लिए आशाका प्रतीक बन जायेगा और शहरमे रहनेवालोंको, जो आज शोषक है, सच्चा सहायक और सेवक बना देगा। सघ प्रबुद्ध वर्ग और अनपढ जनताके बीच एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करेगा, मनुष्य-मनुष्यके बीच जो भेद है, उन्हे दूर करनेका प्रयत्न करेगा। गाँववाले आज केवल कच्चा माल पैदा करते है, सघ उन्हें आत्मनिर्भर इकाइयोमे बदल देगा" (पृ० १८)। सरकार इस कार्यक्रमसे प्रसन्न नही हुई। इसके कारण तो स्पष्ट ही थे। उसे इसमें विध्वसक सम्भावनाओके सिवा और कुछ दिखाई नही दिया और उसने तत्काल एक गोपनीय गश्ती चिठ्ठी जारी की जिसमें हर जगहके अधिकारियोको यह निर्देश दिया गया था कि वे अ० भा० ग्रा० उ० स० के कामपर निगाह रखें। साथ ही उसने "गाँवोमे काग्रेसकी गतिविधियोके विरुद्ध पेशबन्दी करनेके खयालसे" प्रान्तोको

"गाँवोके आर्थिक विकास और सुधार-कार्योंके लिए" एक करोड रुपये देनेका प्रस्ताव किया। गाधीजी ने कहा "सरकार अगर खुद मेरे कामको अपने हाथमे लेकर मेरे पैर-तलेकी धरती निकाल दे तो मुझे अपार आनन्द होगा। जो काम मै करना चाहता हूँ, वह बहुत-कुछ सरकारके ही करनेका था। जो काम सरकार कर सकती है वह करे, मगर जनताको व्यर्थ भुलावेमे न डाला जाय।" (पृष्ठ ७९-८०)

भारतके ग्रामीण जीवनको पुनस्फूर्ति प्रदान करनेके गाधीजी के प्रयत्नको कुछ सदाशयी मित्रो और समालोचकोने भी अव्यावहारिक माना। उनकी दृष्टिमे अर्थशास्त्रके नियम मानवीय इच्छाओके अधीन नही थे। गाधीजी का मत इससे भिन्न था। उन्होने कहा: "अर्थशास्त्रके सिद्धान्त गणितकी तरह देशकाल-निरपेक्ष नही होते। ये प्रत्येक देशकी परिस्थितिका अनुसरण करते है। . . जो देश अन्न उपजानेके बजाय खनिज-भर निकालता है उसका अर्थशास्त्र उस देशके अर्थशास्त्रसे भिन्न होगा जो अन्न उपजाता है और खनिज नही निकालता। . भारत कभी स्वर्ण-भूमि थी . आज भी हमारे वे पुराने दिन लौट सकते है" (पृष्ठ २८०)। और फिर गाधीजी को यह विचार भी स्वीकार्य नही था कि अर्थशास्त्रके नियम नीतिसे परे है। उन्होने कहा: "बहुत-से नियमोकी तरह आर्थिक नियम भी दो प्रकारके दिखते है—अच्छे और बुरे। अच्छे नियम सभीके लिए अच्छे होने चाहिए" (पृष्ठ ३१)। इसी तरह जब श्रीनिवास शास्त्रीने गाधीजी को यदि उनसे हो सके तो सभ्यताको "जिस रास्ते पर यह कुछ लाख बरस, चलती रही" उसीपर वापस ले जानेका प्रयत्न करनेके लिए फटकारा तो गाधीजी ने जवाबमे लिखा "यदि मै कर सकूं तो यकीन मानिए, आधुनिक सभ्यताके नामपर आज जो-कुछ चल रहा है, उसे नष्ट कर डालूं अथवा उसमे आमूल-चूल परिवर्तन कर दूं तथापि लाभकारी ग्रामोद्योगोका पुनरुद्धार करने अथवा उन्हे प्रोत्साहन देनेका कार्य ऐसे किसी प्रयासका अग नही है" (पृष्ठ ५९-६०)। अपना तात्कालिक उद्देश्य बताते हुए उन्होने कहा, "मेरा प्रथम उद्देश्य तो लोगोकी मनोवृत्ति बदलना है। देशी उद्योगोके पक्षमे भी उनकी मनोवृत्ति बदलनेकी उम्मीद रखता हूँ" (पृष्ठ ६१-६२)। और वे जानते थे कि इस सीमित उद्देश्यके लिए भी लम्बे और धैर्ययुक्त प्रयत्नकी आवश्यकता होगी। लेकिन जैसा कि उन्होने एक-दूसरे प्रसगमे कहा "दुनियामें व्यक्तियोका इतिहास तो अभी बन ही रहा है। काल-भगवानके अनन्त चक्रमे आपके ये हजार या लाख बरस किस लेखेमे आते है?" (पृ० १०५)

फिर कुछ ऐसे कार्यकर्त्ता थे जिन्होने इस बातपर आपत्ति की कि जहाँ 'हरिजन'के पृष्ठोका उपयोग मात्र अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनके लिए होना चाहिए था वहाँ उसे ग्रामोद्योगोके विकासकी चर्चासे ही भरा जा रहा है। गाधीजी का स्पष्टीकरण यह था . "गाँवके कल्याणसे सम्बन्धित किसी भी समस्याका कुल मिलाकर हरिजनोसे घनिष्ठ नाता है, क्योकि हरिजनोकी संख्या भारतकी कुल आबादीका छठा भाग है।

यदि गाँववालोको अच्छा चावल और आटा मिले तो इस परिवर्तनसे हरिजनोंको भी उतना ही लाभ होगा जितना शेष लोगोको। लेकिन हरिजन लोगोको एक विशेष अर्थमे लाभ होगा। चमड़ा कमाने और कच्चा चमडा तैयार करनेका सारा धन्धा पूरी तरह हरिजनोके ही हाथमें है, और आर्थिक दृष्टिसे यह धन्धा नई योजनाका सबसे बडा अग होगा।" (पृष्ठ १५)

जनताको व्यावहारिक लाभोके अलावा इस कार्यक्रमने कार्यकर्त्ताओको जडता और अवसादकी उस स्थितिसे जिसमे, वे उस समय जा पड़े थे, बचनेका एक अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रमको पेश करके गाधीजी मानो उन्हें मानवताके उस धर्ममें दीक्षित होनेका आमन्त्रण दे रहे थे जिसके पालनमे, जैसा कि उन्होने राधाकृष्ण की "कन्टेम्परेरी इडियन फिलॉसफी" के लिए लिखित अपने सक्षिप्त लेखमे घोषित किया था, "हमें प्राणिमात्रकी अनवरत सेवामें तन्मय होना पडेगा।" उन्होने यह भी कहा कि "इस असीम जीवन-सागरमें अपना पूर्ण विलयन और इसके साथ अपना एकात्मीकरण किये विना हम सत्यको नही प्राप्त कर सकते।" स्वयं उनके लिए तो इस प्रकारकी समाजसेवा आध्यात्मिक दृष्टिसे बिलकुल जरूरी थी। "पृथ्वीपर इसके परे या इससे अलग कोई सुख नही है" (पृष्ठ १२१)। ऐसा प्रतीत होता है कि गाधीजी के लिए यह जरूरत ईश्वर और ईश्वरके प्रति व्यक्तिके कर्त्तव्यके सम्बन्धमे किन्ही अमूर्त्त दार्शनिक विचारोसे नहीं बल्कि गरीबो और दलितोकी दुर्दशाके विषयमे उस सजीव चितासे पैदा हुई जिसने उन्हे कभी चैनसे नही बैठने दिया, हालाँकि उन्होने कई वर्षोंसे कोई आराम नही किया था। "जिसके हृदयमे दावानल जल रहा हो, वह चैनसे कैसे बैठ सकता है?" (पृष्ठ ४९)

सभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नोपर गाधीजी के जो भी विचार थे उनका मूल मनुष्यके विषयमे उनकी इस धारणामें था कि वह स्वभाव से नैतिक है — नीतिके प्रश्नकी अवज्ञा वह नही कर सकता। और उन्हे जो कोई सस्था या प्रथा उस स्वभावको नकारती हुई दिखनी थी उसका वे विरोध करते थे और उसमे कोई समझौता नही करते थे। यह बात सतति-नियमनके प्रश्नपर — जो कि इस समय सार्वजनिक चर्चाका एक महत्त्वपूर्ण विषय बनता जा रहा था — उनके रुखमे विशेष रूपसे स्पष्ट थी। गर्भ-निरोधकोके इस्तेमालका वे खुले दिलसे साफ-सीधे शब्दोमें विरोध करते थे। उन्हे इस बातका भय था कि जैसे-जैसे उनका प्रयोग बढेगा "स्त्री और पुरुषोके जीवनका उद्देश्य केवल यौन-सुख ही रह जायेगा।" उनका विश्वास था कि अच्छी तरहसे नियमित परिस्थितियोमें सामान्य स्त्री और पुरुषोके लिए आत्म-सयम कर सकना सम्भव है। उन्होने कहा, "गर्भ-निरोधक तो वास्तवमे शिक्षित लोगो के लिए हैं, जो कि मानव-समाजके 'रोगी व्यक्ति' हैं। मै उन्हे 'रोगी' इसलिए कहता हूँ क्योकि उनके खान-पानने और जो अत्यन्त कृत्रिम जीवन वे व्यतीत कर रहे हैं, उसने उनकी इच्छा-शक्तिको कमजोर बना दिया है और वे वासनाके दास बन

गये हैं" (पृष्ठ ७४-७५)। मनुष्य अपना जीवन उस नियमके अधीन नही जीता है जिसके अधीन अन्य पशु जीते है। अपनी इस बातको एक उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा "अपनी गरिमासे मंडित सिंह एक शानदार प्राणी है और उसे पूरा अधिकार है कि वह मुझे खा जाये। लेकिन मुझे इस बातका अधिकार नही है कि मैं भी नाखूनदार पजे विकसित कर लूं और आपपर झपट पड़ूँ।" लेकिन मनुष्य आसानीसे अधोगामी पथ चुनने और हिंसक पशुकी तरह जीवन वितानेको ललचा जाते हैं, खासकर तब जब कि वह मार्ग "उसके सामने एक खूबसूरत आवरणसे ढँक-कर पेश किया जाता है।" गाधीजी का विश्वास था कि गर्भ-निरोधकोके हिमायती ऐसा ही कर रहे हैं। गांधीजी ने यह तर्क भी स्वीकार नही किया कि स्त्रियोकी सुरक्षाके लिए गर्भ-निरोधकोका प्रयोग जरूरी है क्योकि इस प्रसंगमे स्त्रीकी स्थिति पुरुषके आक्रमणके शिकारकी है। उन्होने कहा "कोई औरत बेचारी नही है। बेचारी औरत पुरुषसे भी ज्यादा शक्तिवान हैं" (पृष्ठ १०६-७)। इसलिए "स्त्रीको अपनी गरिमाको समझना चाहिए और जब उसका मन न हो, तब उसे 'ना' कह सकनेका अभ्यास करना चाहिए" (पृष्ठ ७४)। व्यवसायी अर्थशास्त्रियोने धीरे-धीरे ही सही गाधीजी के इस विचारको तो मान्यता दे दी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था ग्रामोन्मुख होनी चाहिए किन्तु इस विचारके नैतिक आधारका मूल्य अभी भी पूरी तरह नही समझा गया है और यही कारण है कि उनके सन्तति-नियमनसे सम्बन्धित विचारोको जो उसी नैतिक आधारपर खड़े है अभीतक समर्थक नही मिल पाये है।

प्रस्तुत खण्ड जिस कालावधिसे सम्बन्ध रखता है उसमें से उस एक माहको छोड़कर जो गाधीजी ने दिल्लीमे बिताया, बाकी समय वे वर्धामे रहे और एक महीना उन्होंने मौन रखा। मौनके इस एक माहमे उन्होंने पत्र-व्यवहारका काम किया। यह पत्र-व्यवहार काफी ज्यादा था। खण्डमे सकलित ६४३ शीर्षकोमे से ४३४ तो पत्र ही हैं। ये पत्र दिनमे हर समय हर तरहके लोगोको लिखे गये थे और हर तरहकी समस्याओपर उनमे विचार किया गया था। वे हाथ-कागजपर गाँवमे तैयार की गई स्याहीसे और, जसा कि गाधीजी ने कभी-कभी जिन्हे ये लिखे जा रहे थे उन्हे बताया भी है, सरकडेकी कलमसे लिखे गये थे (पृ० ९, १४, ३१, ९१)। जो पत्र उनके निकटतम सहयोगियो और सम्बन्धियोको लिख गये थे, उनमे उन्हे मार्गदर्शन तथा सलाह दी गई है। मणिलाल गाधीको उन्होने कहा "आलोचना करनेकी अहिंसक भाषा सीखनी चाहिए। तू अथवा जिसने यह लिखा हो, वह यही बात मधुर भाषामे कह सकता था" (पृ० २९१)। और अमृतकौरको उन्होने लिखा "उस व्यक्तिसे जो दूसरोके साथ बुरा बरताव करता है और लोगोको सदा शककी नजरसे देखता है और डींग मारता है कि मैंने कभी धोखा नही खाया, ऐसा आदमी हजार गुना अच्छा है जो दूसरोपर विश्वास करता है और धोखा खा जाता है" (पृ० २९३-९४)। कुछ अन्य लोगोको लिखे गये पत्रोमें सामाजिक प्रश्नो की चर्चा है जिसमे उन्होने उन प्रश्नोके

विषयमें अपनी राय दुहराई है। एक पत्र-लेखकको उन्होंने लिखा: "जातियाँ आज जिस रूपमें हैं मैं उनके उन्मूलनका समर्थक हूँ . . . लेकिन वर्णाश्रम धर्मके उन्मूलनके पक्षमें नही हूँ, क्योंकि वह मुझे जाति-प्रथाके विरुद्ध लगता है" (पृ० १५४)। प्रेमाबहन कंटकको विस्तारसे लिखते हुए उन्होंने प्रार्थनाके सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा. "समुद्रसे अलग पड़ जानेवाली बूंद यदि समुद्रसे विनती न करे तो किससे करे? परन्तु उससे क्या यह समुद्रके लिए कुछ करने या न करनेकी बात हो जाती है। प्रार्थना वियोगीका विलाप है, उसके बिना देहधारी जी ही नही सकता।" (पृ० १८२)। अपनी दृश्यमान निष्क्रियताको समझाते हुए उन्होंने पत्र-लेखकको आश्वस्त किया "मैं निद्रित अवस्थामें भी पूर्णत. जाग्रत रहता हूँ। मेरी निद्रा विस्मृतिकी अवस्था नही है, वह नयी स्फूर्ति प्रदान करती है" (पृ० ४४२)।

एक अच्छे अद्वैतवादीकी तरह गांधीजी किस तरह 'ज्ञान'को अन्तिम लक्ष्य और 'कर्म'को उसकी प्राप्तिका साधन मानते थे यह बात पुनर्जन्मके सवालपर उनके इस मन्तव्यमें स्पष्ट दिखलाई देती है. "पुनर्जन्म माननेके लिए 'मैं' हूँ, इसे मानना आवश्यक होता है। यदि मैं नहिं और-ईश्वर ही है तो पुनर्जन्म कैसे और किसका? ईसीमें पूनर्जन्म आता है ना? जबतक 'मैं' है तबतक ही पूनर्जन्म है। जब सचमुच तुम 'ईश्वर ही है' ऐसा मानोगे (कहने मात्रसे काफी नही होगा) तब तुम्हारे लिए पुनर्जन्म नही है। जो मनुष्य ईश्वरमय बन जाता है वह मुक्त हो जाता है।" (पृ० १७७)। फिर भी मानवीय धरातलपर गांधीजी ने अच्छे और बुरेका द्वैतभाव स्वीकार किया। गांधीजी से अपनी बातचीतके दरम्यान जब श्रीमती होवे मार्टिनने यह मान्यता प्रगट की कि "दैवतातुल्य और शैतानतुल्य . . . इन दोनोके बीच कोई फर्क नही है और लोग जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा ये कही ज्यादा एक-समान है" तो उन्हे जवाब देते हुए गांधीजी ने उनसे पूछा, "क्या आपको सूर्यमें विश्वास है? और यदि है तो क्या आपको ऐसा नही लगता कि आपको छायामें भी विश्वास करना चाहिए?" (पृ० १०८)

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित सस्थाओ, व्यक्तियो, पुस्तकोके प्रकाशको तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी है

संस्थाएँ : असम सरकार; गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्ली, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय, नई दिल्ली; डकन एजुकेशन सोसाइटी, पूना, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद; नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय; ब्रिटिश हाई कमीशन इन इडिया, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास और सग्रहालय; स्वार्थमोर कालेज, फिलाडेल्फिया।

व्यक्ति : श्री आनन्द तो० हिगोरानी, इलाहाबाद, श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता; श्री आर० के० प्रभु; श्रीमती एफ० मेरी बार, श्री एम० आर० मसानी, बम्बई, श्रीमती एस० अम्बुजम्माल, मद्रास; श्री कनुभाई मशरूवाला, अकोला; श्री कान्तिलाल गांधी, बम्बई; श्रीमती गगाबहन वैद्य, बोचासण, श्री चन्द त्यागी, श्री घ० दा० बिडला, कलकत्ता; श्री जी० सीताराम शास्त्री, श्रीमती तेहमीना खम्भाता, बम्बई; श्री नारायण एम० देसाई, वाराणसी, श्री नारायण सम्पत, अहमदाबाद, श्री पुरुषोत्तम बावीशी, श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली; श्री प्रभुदास गांधी, अल्मोडा; श्रीमती प्रेमाबहन कटक, सासवढ, श्री ब्रजकृष्ण चाँदीवाला, नई दिल्ली, श्री भगवानजी पु० पण्ड्या, बर्धवान, श्रीमती मनुबहन एस० मशरूवाला, बम्बई, श्रीमती महावीर प्रसाद गुप्ता, कानपुर, श्री राजमोहिनी रुद्र, श्री लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद, श्रीमती लीलावती आसर, बम्बई, श्रीमती वसुमती पण्डित, बारडोली; श्रीमती वालजी गो० देसाई, पूना, श्री वेणीलाल ए० गाधी, नासिक; श्री शिवाभाई जी० पटेल, बोचासण, श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

पुस्तकें : 'अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन' कार्य-विवरण, इन्सीडेन्ट्स ऑफ गाधीजीज लाइफ,' 'कन्टम्परेरी इडियन फिलोसफी,' 'माई डियर चाइल्ड,' 'टु सर्वेन्ट्स ऑफ गॉड,' 'दिल्लीका राजनैतिक इतिहास,'-'नरसिंहरावनी रोजनिशि', 'पाँचवें पुत्रको बापुके आशीर्वाद', 'बापुना पत्रो – ६ : ग० स्व० गगाबहेनने,' 'बापुना पत्रो – २ सरदार वल्लभभाईने,' 'बापुनी प्रसादी,' 'बापूकी छायामें मेरे जीवनके

सोलह वर्ष,' 'महात्मा . द लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी, खण्ड—४;' तथा मध्यप्रदेश और गाधीजी।

पत्र-पत्रिकाएँ: 'अमृत बाजार पत्रिका,' 'गुजराती,' 'बॉम्बे क्रॉनिकल,' 'लीडर,' 'वीणा,' 'हरिजन,' 'हरिजन-बन्धु, ''हरिजन-सेवक,' 'हितवाद,' 'हिन्दुस्तान टाइम्स,' और 'हिन्दू'।

अनुसन्धान एवं सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओके लिए सूचना एव प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र है। प्रलेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी है।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजी के स्वाक्षरोमे मिली है, उसे अविकल रूपमे दिया गया है। किन्तु दूसरोके द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमे हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखने का पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, उनका हमने मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोके उच्चारणमें संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा कि गाधीजी ने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अंश सम्पादकीय हैं। गाधीजी ने किसी लेख, भाषण, आदिका जो अंश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अश उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमे छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजी के कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमे छापे गये है। भाषणो और भेंटकी रिपोर्टोके उन अशोमे जो गाधीजी के नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही-कही कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमे ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नही है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यकता होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हे आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमे साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नही हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये है।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध

कागज-पत्रोका, 'एम० एम० यू०' गाधी स्मारक निधि और सग्रहालयकी मोवाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोका, 'एस० जी०' गांधी स्मारक निधि और सग्रहालय नई दिल्लीमे उपलब्ध सेवाग्रामकी सामग्रीकी फोटो-नकलका, और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाड्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठ भूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

१. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१६ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

तेरे पत्र नारणदासको भेजूंगा। आज भी सुबहके १-४५ बजे उठकर पत्र लिख रहा हूँ। दो बजेके आसपास उठनेकी आदत ही हो गई है। रात नौ बजेसे पहले सोता हूँ। दिनमे एक दो बार मिलाकर आधेसे एक घन्टेतक सोनेको मिल जाता है। यही काफी मानता हूँ।

"दुबारा नही पढा" लिखकर अपने लिए और जिसको लिखता हूँ उसके लिए न्याय प्राप्त कर लेता हूँ। कही 'अजमेर' का 'आज मर' हो जाये तो सुधार लिया जाये, और शका हो तो पूछ लिया जाये। दुबारा न पढ़ा हुआ पत्र अधूरा ही मानना चाहिए। परन्तु तेरे-जैसीको न लिखनेकी अपेक्षा अधूरा लिखूं, तो भी मुझे तो अच्छा लगेगा और तुझे भी अच्छा लगेगा।

मेरा दिल्ली जाना बहुत करके २७ तारीखके आसपास होगा। मै न लिखूं अथवा तू अखबारमे न देखे, तबतक वर्धाके पतेपर ही लिखती रहना।

स्वप्नमें व्रतभग हो तो उसका प्रायश्चित्त आम तौरपर अधिक सावधानी रखना और जाग्रत होनेपर रामनाम जपना है। स्वप्नमे होनेवाले दोष हमारी अपूर्णताके चिह्न है। अनजानेमे भी हम उन विषयोका मनके किसी-न-किसी कोनेमे सेवन करते हैं और स्वप्नमें उनकी पूर्ति करते हैं। इसलिए असफल होने पर अधिकाधिक प्रयत्नशील बने। असफलतासे निराशा विषयासक्तिकी निशानी होती है, अश्रद्धाकी तो होती ही है। जो रामनाम लेनेसे थक जाये – निराश हो जाये – उसकी श्रद्धाको हम समाप्त हो चुकी ही कहेगे न? जब कोलम्बसके साथियोकी श्रद्धा खत्म हो गई, तब वे उसे मार डालनेको तैयार हो गये। कोलम्बस श्रद्धाकी ऑखसे किनारेको स्पष्ट देख रहा था। उसने थोडी-सी मोहलत मॉगी और वह अमरीका पहुँच गया! ! ! न खानेकी चीज सपनेमे खा जाये तो उसका भी यही अर्थ है। ऐसे सपनोके बाहरी कारण होते है। उनका पता चलते ही उन्हे दूर करना चाहिए। "जो सब अवस्थाओका साक्षी है, वह निष्कलक ब्रह्म मै हूँ," ऐसा हम गाते है। ऐसा बननेका हम सतत प्रयत्न करे, तभी इसे गा सकते हैं। ऐसे हम नही बन पाये है, इसीके सकेतस्वरूप सपने आते है। वे हमारे लिए दीपस्तम्भका काम करते है।

ईश्वरकी कृपाके बिना पत्ता भी नही हिलता। परन्तु प्रयत्नरूपी निमित्त के बिना भी, जो ईश्वरकी कृपाका साधन है, वह नही हिलता। प्राणिमात्रकी शुद्धतम सेवा ही ईश्वरका साक्षात्कार है।

किसन[1] तेरे साथ रहेगी, यह बहुत अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६४)से। सी० डब्ल्यू० ६८०३से भी, सौजन्य. प्रेमाबहन कंटक।

२. पत्र : शिवाभाई जी० पटेलको

१६ दिसम्बर, १९३४

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। जो छूट तुमने अपने लिए रखी है, वही छूट पत्नीको भी देना। जिसमे दोनो सहमत न हो, उसमे दोनोको अपना मार्ग चुननेकी छूट होनी ही चाहिए। इसमें मैं तुम दोनोका उद्धार देखता हूँ।

ग्रामोद्योगके काममें पूरी दिलचस्पी लेना। यह न भूलना कि खादी इस कार्य का केन्द्रबिन्दु है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५१३)से। सी० डब्ल्यू० ४२९ से भी, सौजन्य: शिवाभाई जी० पटेल।

३. पत्र : वेणीलाल ए० गांधीको

वर्धा

१६ दिसम्बर, १९३४

चि० वेणीलाल,

तुम्हारे परिवारमें पाँच सदस्य कौनसे हैं? उनकी आयु आदि लिखना। गरीब लोग अपने बच्चोको जितना पढ़ा सकते हैं, मेरा खयाल है, तुम्हे उतने से सन्तोष मानना चाहिए। क्या तुम अपनी आँखोसे सामान्य पढाई कर पाते हो? दूसरी तरहसे क्या शरीर अच्छा रहता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२०) से; सौजन्य: वेणीलाल ए० गाधी।

१. किसन घूमटकर।

४. पत्र : लाभूबहन ए० शेठको

१६ दिसम्बर, १९३४

चि० लाभू,

यदि मैंने अमृतलालको लिखे पत्रमें तेरे नामका उल्लेख कर दिया होता तो तेरे पत्रसे मैं मूर्ख बन जाता न? रूढ़िकी लीक छोड़नेवालेका यही हाल होता है। यह कौन बता सकता है कि तेरे पत्रमें मौलिक जिज्ञासा है या बकवास? किन्तु मुझे तो तेरी नजरोंमें महान बने रहना है। इसलिए तेरे पैमानेसे नापनेपर ही मेरा निस्तार है। तुझसे कुछ नहीं तो चौगुनी उम्रका तो हूँ ही न?

स्थिरताकी कोई हाट नहीं है कि मैं तुझे उसका ठिकाना बता सकूँ। यदि मैं पसारीकी दुकान चला रहा होता, जो मेरा खानदानी पेशा था, तो यह तो मैं तुझे बिना माँगे ही भेज देता। तूने तो एक आना भी भेजा है। तेरा समय बेकार गया। अमृतलालने पिताका पद गँवा दिया, क्योंकि जो चीज तेरे पास ही है वह उसे मुझे बता नहीं सका। किन्तु 'देहिना स्नेही सकल स्वारथीया"। आखिरकार वह तेरा देहधारी पिता है। विदेही और सच्चा पिता तो तेरे अंतरमें विराजता है। उसे पहचान और फिर तेरा एक आना भी खर्च नहीं होगा। यदि तेरी पढाई-लिखाई उसकी खोजके लिए न हो तो तेरा लिखना-पढ़ना बेकार है। लेकिन यदि तू इस उद्देश्यसे पढ रही है तो तू खानसाहब,[1] शेख, जवाहर और अन्य लोगोंको छुडानेमें समर्थ होगी। और यदि तुझे बेकारकी बातें करके गुड्डे-गुडियोंका खेल करना हो तो वह तू कर ही रही है। यदि इतनेसे तुझे अपने प्रश्नका उत्तर न मिला हो, तो अपनी महानताको इसमें प्रतिष्ठित कर देना अथवा नम्रतापूर्वक यह स्वीकार कर लेना कि तुझमें सच्ची जिज्ञासा नहीं थी। इस सम्बन्धमें इन्द्र और विरोचनकी कथा स्मरण करना। और यदि तू उक्त कथा नहीं जानती है तो अमृतलालसे पूछकर उसका मनोरंजन कर तथा अपने ज्ञानमें वृद्धि कर।

गुजरातीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ।

५. पत्र : अमृत कौरको

१७ दिसम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मुझे पूरी आशा है कि कराचीमे तुम्हारी सभा[1] को पूर्ण सफलता मिलेगी और वहाँ इकट्ठा होनेवाली बहने पुरुषोके छोटे-छोटे झगडोसे ऊपर उठेगी और अपनेको विभिन्न गुटोमे विभाजित होनेसे इनकार करके एक उदाहरण कायम करेगी। निश्चय ही धर्मोका उद्देश्य हमारे बीच झगड़ा कराना नही है। मै यह भी आशा करता हूँ कि तुम्हारी सभा नव-स्थापित ग्रामोद्योग-सघकी गतिविधियोको अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। यह मूलत. स्त्रियोका काम है। शहरी स्त्रियोके बारेमे कोई यह न कहने पाये कि उन्होने ७००,००० गाँवोमें रहनेवाली अपनी करोडो बहनोकी परवाह नही की।

डॉ० मॉड रॉयडनके लिए एक पत्र[2] यह रहा ।

तुम्हारा पुर्जा अभी-अभी आया है। उसके साथ सलग्न कतरन दिलचस्प है। सी० एफ० एण्ड्रयूज आज आ रहे है।

तुम दोनोसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। मुझे आशा है कि यहाँ रुकनेसे तुम्हे कोई शारीरिक कष्ट नही हुआ होगा।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

मेरा इरादा २० तारीखको दिल्लीमे होनेका था, लेकिन मै देखता हूँ कि उस दिन वहाँ नही होऊँगा। मेरे वहाँ २७ और २९ तारीखके बीच होनेकी सम्भावना है। वहाँ जानेपर कमसे-कम दो हफ्ते और ज्यादासे-ज्यादा चार हफ्ते दिल्लीमे रुकनेकी आशा है।

मो० क० गाधी

राजकुमारी अमृत कौर
४ ए, स्टाफ लाइन्स
कराची

मूल अग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१६) से; सौजन्य · राजकुमारी अमृत कौर। जी० एन० ६३२५ से भी।

१. आशय अखिल भारतीय महिला सम्मेलनसे है।

२. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

६. पत्र : बारीन्द्रकुमार घोषको

१७ दिसम्बर, १९३४

मैंने आपकी किताबको[1] सरसरी तौरपर देख लिया है। इसे पढकर मुझे बहुत निराशा हुई। आप खुद अपनी ही भाषाके प्रवाहमे बह गये है। आपने असहयोग और सविनय अवज्ञाकी भावनाको नही समझा है। आपने दासताकी प्रशसा की है; आपकी दृष्टिमे हमारी बुराई हमारा गुण बन गई है। मै आपसे तर्क नही करूँगा। समय हमे सच्चा रास्ता दिखायेगा। जो रास्ता हमे ठीक लगता है, जबतक हम उस पर चलते रहे तो और चीजोसे क्या फर्क पडता है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१७ दिसम्बर, १९३४

भाई ठक्कर बापा,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तो केवल अनुसंधानके लिए ५,००० रुपये भेजनेका तार[2] दिया था। मैंने अपने तारमे यह लिखा था न कि बजट तो दिल्लीमे ही पास होगा?

नृसिहप्रसादका उदाहरण अच्छा है। काठियावाडमे ऐसे कितने सनातनी मिले? अन्य कुछ लिखनेका समय नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११४९)से।

१. बूंडेड ह्यूमैनिटी।
२. तार उपलब्ध नहीं है।

८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१७ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। खानसाहबका बयान[1] वकीलोको भला क्यो पसन्द आने लगा? हमारे वकीलोको पसन्द आया हो तो गनीमत समझो। वैसे हमारे कामके लिए तो वही ठीक था। सरकारकी समझमे आ सके, ऐसा आज कहाँ सम्भव है?

दीनबधु[2] आज आ रहे है, इसलिए पता चल जायेगा कि क्या हुआ।

मेरा अनुमान है कि जमनालालजी यहाँ से गुरुवारको रवाना होगे। वे आये, तबतक तुम वही ठहरना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४५-४६।

९. पत्र : हीरालाल शर्माको

१७ दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमको खत लिखनेमे मै डरता हूँ। तुमारा खत अभी मिला। मैने ऐसी कोई बात नही लिखी थी जिससे तुमको ऐसा खत लिखना पडा। पुत्र पिताके लिए वहममे कैसे पड सकता है? मै सच्चा पिता बननेके लायक नही हूँगा?

जब वहा किसीका शरीर अच्छा नही है तो क्यो खुर्जामे पडे रहते हो? जाओ हरिजन आश्रम [दिल्ली] मे। वहा एक स्वतत्र मकानमे सब रहो। बहूत खर्च भी नही होगा। यहाकी देहातमे रहो। तुमारा बीमार पडना और रहना मेरे से सहन नही होता है।

रामदास मेरे पास नही रहेगा। मेरी चिकित्सामें उसका विश्वास नही रहा है। मेरे साथ मश्करा तो करता रहता है। अडे छोड दिये है। सामान्य खुराक लेता है। कलसे नीमुके साथ रहना शुरू कर दिया है। मुबई जानेकी तैयारी कर रहा

१. न्यायालयमें राजद्रोहके अभियोगमें उनपर मुकदमा चल रहा था; देखिए खण्ड ५९, पृ० ४७३।
२. सी० एफ० एन्ड्रयूज।

है। मैंने इजाजत दे दी है। शक्ति ठीक आ गई है। घूमता फिरता है। मै चिंता नही करता हू। अतमे उसका कुशल ही होगा।

अमतुल परसो मुबई गई। इस मासके अतमे शायद दिल्ली आवेगी।

मेरा दिल्ली जाना शायद २७ ता० के बाद होगा।

'हरिजनवधु' में तुमारे बारेमे गत हफतामे नोध आ गई। 'हरिजन' मे इस वखत आई है। नोध गफलतसे एक हफता रह गई। जब तुमारा खत आ गया तब ही 'हरिजन' तुमको भेजनेको लिख दिया था।

दा० अनसारीका खत आज आया उसमे और चीजोके साथ तुमारे बारेमे लिखते है

> **जहाँतक डा० शर्माका सम्बन्ध है, मै चाहूँगा कि मै उनसे मिलकर उनकी सही जरूरतोंको जान लूँ, तभी मै उनकी मदद कर सकूंगा।**[1]

दिल्ली जाओ तो अच्छा होगा। मेरे पहूचनेके बाद आना है तो ऐसे किया जाय। भाईओने नही लिखा उसका कारण तुम ही हो, ऐसे तुम्हीने मुझे बताया था। वे ऐसे विवेकहीन हो सकते है कि मुझे उत्तर तक न दे? यदि आजतक उनको नही मिले हो तो यह अव्यवस्थाका एक नमूना ही है न? यदि अव्यवस्थाकी प्रतीती तुमको नही है तो मै बता नही सकुगा। मै तुमारी बातोमे, कामोमे, खतोमे अव्यवस्था ही देख पाता हू। मेरा ख्याल रहा था कि यह ज्ञान तुमको हो गया था। खैर, उसकी चिंता नही है। सब-कुछ अच्छा ही हो जायगा। तुमारा चित्त अच्छा है, मेरा प्रयत्न यथाशक्ति पूर्ण है। तुमारे श्रेयका ही ख्याल रहता है, अश्रेयका कभी नही। तुमारे पाससे काफी सेवा लेनेकी आशा रख रहा हू। द्रौपदीसे कहो, मुझे सब हाल लिखे।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १३६ और १३७के बीचकी प्रतिकृतिसे।

१०. पत्र : कान्ति गांधीको

१८ दिसम्बर, १९३४

चि० कान्ति,

अभी हालमे तेरा कोई पत्र नही आया। किसी एक नियमके अनुसार लिखता रहे तो अच्छा हो। मैंने तुझे तेरे आखिरी पत्रका जवाब दिया ही था। कैसी गुजर रही है? रामदास फिलहाल यही है, ठीकसे है। देवदास दो दिन रहकर चला गया। लक्ष्मी राजाजीके साथ गई है। काकासाहब मद्रासमे है। हिन्दीके काममे मदद करनेके लिए गये है। बा मजेमे है। बाकी समाचार तो तू 'हरिजन'मे देखना।

बहुत करके मै इस महीनेके अन्तमे दिल्ली जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२९१)से, सौजन्य कान्ति गाधी।

१. मूलमें यह अंश अंग्रेजीमें है, यहाँ उसका अनुवाद दिया गया है।

११. पत्र : जुगलकिशोर बिड़लाको

१८ दिसम्बर, १९३४

भाई जुगलकिशोरजी,

साथका पत्र पढे। जो जमीन क्षितिश बाबू चाहते है, वह यदि आपके कामकी नही है और उसकी कीमत बहुत नहीं है, तो क्षितिश बाबूको दें और रु० १५०० वापिस ले ले। यदि जमीन किमती है तो कुछ बात नही है।

'हरिजन' और 'हरिजनसेवक' पढ़ते होंगे।

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००४ से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

१२. पत्र : हातिम अल्वीको[1]

१९ दिसम्बर, १९३४

मेरे मनमें स्वर्गीय मौलानाकी अनेक सुखद स्मृतियाँ हैं। लेकिन जिस एक चीजकी स्मृति मेरे मनमे सबसे प्रबल है, वह दिल्लीमे मेरे २१ दिनके उपवासकी समाप्ति पर उनके द्वारा मुझे एक गाय भेंट करनेकी घटना है।[2] यह गाय हिन्दू-मुसलमानोंके बीच हार्दिक एकता देखनेकी उनकी उत्कट इच्छाका प्रतीक थी। अगर वह हमारे बीच होते तो उन्होंने हालमें की गई उन दो हिन्दुओंकी आयोजित हत्याओं[3] के खिलाफ जिन्होंने मूर्खतावश इस्लामके पैगम्बरकी आलोचना की थी, अपनी आवाज उठाई होती। हाय! अब हम इन हत्याओंका सार्वजनिक रूपसे गुणगान होते सुनते हैं, गोया कि ये हत्याएँ भी कोई श्लाघ्य कर्म हो।

पता नही आपने और आपकी लीगने जनताको सही रास्ता दिखानेके लिए कोई कदम उठाये हैं या नही।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य: नारायण देसाई।

१. हातिम अल्वीने गांधीजीसे मुहम्मद अलीके प्रति एक श्रद्धांजलि-संदेश भेजनेको कहा था।

२. १९२४ में; देखिए खण्ड २५, पृष्ठ २४२।

३. कराची और लाहौरमें।

१३. पत्र : डॉ० पट्टाभि सीतारामैयाको

[१९][1] दिसम्बर, १९३४

प्रिय डॉ० पट्टाभि,

यह ग्रामीण कागज है। स्याही गाँवमें बनी हुई है तथा कलम गाँवके नरकुलकी बनी हुई है। क्या वहाँ गाँवके लोग कागज बनाते हैं? यदि बनाते हैं, तो उसकी कीमत क्या होती है?

आपका पूरा पत्र मिला। हाँ, हम अवश्य मिलें। चूंकि आपके पास समय है, इसलिए आपको इतना विनीत तो होना ही पड़ेगा कि आप वह काम माँगें जो आप कर सकते हैं। फिर इस उच्च कोटिके कामके लिए पदकी चाहे जरूरत हो या न हो। अनाथोंकी सेवामें दिखावेके लिए कोई स्थान नहीं है।

चावल, आटा, गुड़, तेल, घी आदिका विषय बहुत व्यापक है। आपको दवा-दारूके अपने ज्ञानको पुनर्जीवित करना होगा।

काम करनेके दो तरीके हैं – सरकारी व्यवस्थाके अन्तर्गत बाध्य होकर अथवा स्वेच्छासे। स्वैच्छिक प्रयासका अर्थ है, सच्चाई या अहिंसा . . .।[2]

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंसिडेन्ट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ, पृष्ठ २२४।

१. साधन-सूत्रमें '२९' है, लेकिन महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरीमें इस पत्रका अन्तिम अनुच्छेद १९ दिसम्बर, १९३४ के अन्तर्गत दर्ज है। यही ठीक जान पड़ता है, क्योंकि गांधीजी २८ दिसम्बरको वर्धासे चले गये थे।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

१४. पत्र : जी० सीताराम शास्त्रीको

[१९ दिसम्बर, १९३४][1]

प्रिय शास्त्री,

मैं आशा करता हूँ कि जयती-समारोह सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा और इसके फलस्वरूप जनता तुम्हारे प्रयत्नोकी और अधिक कद्र कर सकेगी, साथ ही कार्यकर्त्ताओमे अपने कर्त्तव्यके प्रति और ज्यादा लगन पैदा होगी।

तुम . . .[2] पत्रोको देखोगे।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गाधी

श्री सीताराम शास्त्री
विनय आश्रम, कल्याणकावूर
चेंडोल डाकखाना, जिला गूटूर

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९१७६)से, सौजन्य जी० सीताराम शास्त्री।

१५. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके उपनियम

[२० दिसम्बर, १९३४][3]

(१) संघकी साधारण आम बैठक वर्षमें एकबार होगी। सघका मन्त्री संघके अध्यक्षकी सहमतिसे किसी भी समय सघकी असाधारण बैठक बुला सकता है। और पंजीपर दर्ज कुल सदस्य-सख्याके कमसे-कम षष्ठाशकी माँगपर असाधारण बैठक बुलाई जायेगी। बैठकका कोरम पूरा करनेके लिए कुल सदस्योके पचमाशकी उपस्थिति आवश्यक होगी और पंचमाश सदस्योकी न्यूनतम सख्या ७ होगी।

(२) सघका प्रथम वित्त-वर्ष १४ दिसम्बर, १९३४से ३१ दिसम्बर, १९३५ होगा और उसके बादसे यह कैलेण्डरके अनुसार होगा।

(३) प्रबन्ध-मण्डलकी बैठक, मन्त्री जब आवश्यक समझे तब बुला सकता है, अथवा जब प्रबन्ध-मण्डलके एक-तिहाई सदस्य मन्त्रीसे मण्डलकी बैठक बुलानेको कहे, तब बुलाई जायेगी।

१. डाककी मुहरसे।
२. यहाँ साधन-सूत्रमें ही छूटा हुआ है।
३. उप-नियम १०के अन्तर्गत बनाये गये नियम इसी तारीखको समाचारपत्रोंको जारी किये गये थे।

मन्त्री कोई भी प्रस्ताव मण्डलके सदस्योमे वितरित कर सकता है और यदि सब सदस्यो द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस प्रस्तावको वही मान्यता प्राप्त होगी जो मण्डलकी बैठकमे पास किये गये प्रस्तावको प्राप्त होती है।

प्रबन्ध-मण्डलकी बैठकके लिए सदस्योकी एक-तिहाई सख्याकी, जो न्यूनतम चार होगी, उपस्थिति आवश्यक होगी।

प्रबन्ध-मण्डलका कोई सदस्य यदि बिना अनुमति लिए लगातार तीन बैठकोमे अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह खाली मानी जायेगी।

(४) मन्त्री आम बैठको और मण्डलकी बैठकोकी सारी कार्यवाहीका और इनमे उपस्थित सदस्योका समुचित विवरण रखेगा और जिस बैठकमे इन कार्य-विवरणोकी पुष्टि की जायेगी, उसमे अध्यक्ष इन विवरणोपर हस्ताक्षर करेगा।

(५) संघ द्वारा अधिकारप्राप्त व्यक्तिकी लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना, यदि कोई व्यक्ति वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकारका कोई समझौता या करार करता है, तो उसके लिए सघ उत्तरदायी नही होगा।

(६) प्रबन्ध-मण्डलको यह अधिकार होगा कि वह अपनी बैठकमे कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्यो द्वारा पास किये गये एक प्रस्तावके जरिये किसी भी सदस्यको सदस्यतासे हटा सकता है। शर्त यह होगी कि इस बैठककी उचित पूर्व-सूचना सदस्योको दी गई हो और मामलेको विषय-सूचीमे रखा गया हो।

(७) प्रत्येक सदस्य अपने निर्धारित कामकी तिमाही रिपोर्ट मन्त्रीको भेजेगा। यह रिपोर्ट उस तिमाहीके अन्तमे एक महीनेके भीतर केन्द्रीय कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिए।

यदि कोई सदस्य लगातार तीन तिमाहियोकी अपनी रिपोर्ट नही भेजता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी और यदि वह किसी पदपर है तो वह पद रिक्त माना जायेगा।

(८) जो सस्थाएँ प्रबन्ध-मण्डल द्वारा बनाये गये सम्बद्धता-सम्बन्धी नियमादिका पालन करनेका वचन देंगी, उन्हे अर्जी देनेपर मन्त्री सम्बद्ध कर सकता है।

(९) सघके क्षेत्रमे आनेवाली गाँवमे तैयार की गई चीजोका व्यापार करनेके इच्छुक व्यक्तिको मण्डल प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकता है।

(१०) मण्डल एजेंटोके कर्त्तव्योका समय-समयपर निर्धारण कर सकता है।[1]

एजेंटोंके कर्त्तव्य

प्रबन्ध-मण्डलने उप-नियम सख्या १०के अन्तर्गत एजेंटोके कर्त्तव्योकी व्याख्या करते हुए कुछ नियम बनाये हैं। वे निम्नलिखित हैं·

(१) एजेंटसे आशा की जायेगी कि वह केन्द्रीय कार्यालय द्वारा पहले से निर्धारित कार्यक्रमको लागू करेगा। केन्द्रीय कार्यालयके कार्यक्रमके अनुसार कुछ काम शुरू कर देनेके बाद उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे उद्योगोका सर्वेक्षण करे जिन्हे

१. इसके बादका अंश भी प्रेसको जारी किये गये एक वक्तव्यमें दिया गया था।

उसके क्षेत्रमे पुनरुज्जीवित किया जा सकता है, या जिनमे सुधार लाया जा सकता है या जिन्हे आरम्भ किया जा सकता है। अपने इस सर्वेक्षण और जाँच-पडतालकी रिपोर्ट और अपनी रिपोर्टपर आधारित एक कार्यक्रम वह केन्द्रीय कार्यालयको देगा।

(२) प्रत्येक एजेटसे अपेक्षा की जायेगी कि वह अपने क्षेत्रके गाँवोमे सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकी देखभाल करेगा।

(३) गाँवोके फालतू उत्पादनके लिए बाजार ढूँढनेकी दृष्टिसे एजेंटको चाहिए कि वह भरोसे लायक व्यापारियोको गाँवोमे उत्पादित वस्तुओको बिक्रीके लिए अपने पास रखनेके लिए प्रेरित करे। इन वस्तुओका मूल्य व्यापारियो और एजेटके बीच परस्पर समझौतेसे नियत किया जायेगा, ताकि ऐसे मालकी शुद्धता भी सुनिश्चित हो।

(४) कार्यक्रमके प्रति अपने क्षेत्रमे अनुकूल लोकमत तैयार करनेके लिए एजेटोको गहन प्रचार करना चाहिए।

(५) अपने कामका खर्च पूरा करनेके लिए एजेट लोगोसे चन्दा और दान लें सकता है, उसे केन्द्रीय कार्यालयसे किसी प्रकारकी आर्थिक मददकी अपेक्षा नही करनी चाहिए। लेकिन दान और चन्देमें प्राप्त ऐसी रकमका उपयोग वह अपनी निजी जरूरतोके लिए नही करेगा।

(६) अगर जरूरी हो और पर्याप्त धन हो, तो एजेट अपने कामके लिए वैतनिक कार्यकर्त्ता भी नियुक्त कर सकता है।

(७) वह सभी प्राप्तियो और खर्चोका सही-सही ब्यौरा रखेगा। उसके हिसाबकी जाँच केन्द्रीय कार्यालय करा सकता है।

(८) केन्द्रीय कार्यालय उसके कार्यका निरीक्षण कर सकता है।

(९) वह प्रत्येक माहके अपने कार्यकी रिपोर्ट और आय तथा भुगतानका संक्षिप्त ब्यौरा केन्द्रीय कार्यालयको भेजेगा, जो हर हालतमे अगले महीनेकी १५ तारीखसे पहले पहुँच जाना चाहिए।

(१०) मासिक रिपोर्ट और हिसाबका ब्यौरा भेजनेमें, या केन्द्रीय कार्यालयके निर्देशोका पालन करनेमे चूक होनेपर एजेटकी एजेंसी खत्म की जा सकती है।

मेरे पास कुछ कार्यकर्त्ताओके नाम है जिन्होने संघके एजेटोके रूपमे काम करने की इच्छा व्यक्त की है। मै चाहूँगा कि जिन लोगोके नाम मुझे पहले ही मिल चुके है वे तथा अन्य लोग अपने नाम तथा पर्याप्त विस्तृत सूचना वर्धामे श्री कुमारप्पाके पास भेजें, ताकि मण्डल उनमे से अपनी पसन्दके लोग चुन सके। खास बात ध्यानमे रखनेकी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उतने ही गाँवोका भार अपने ऊपर ले जिनका काम वह सह-कार्यकर्त्ताओकी मददसे या अकेला सम्भाल सके, उनसे ज्यादा नही। यह बात भी ध्यानमे रखनेकी है कि मण्डल कोई आर्थिक जिम्मेदारी नही लेगा। ऐसा महसूस किया जाता है कि भारतके तमाम सात लाख गाँवोमे काम करनेके लिए यदि मण्डल वैतनिक एजेटोको नियुक्त करनेकी बात सोचे तो यह उसके लिए कभी सम्भव नही होगा। उसने अपना कार्य इस विश्वासके साथ शुरू किया है कि ऐसे आत्मत्यागी स्त्री और पुरुष पर्याप्त सख्यामे मौजूद है जो गाँवोकी सेवा करनेकी

आवश्यकता अनुभव करते है — उन गाँवोकी जो एक लम्बे अरसेसे उपेक्षित पड़े रहे है, हालाँकि हर कोई जानता है कि यदि शहरोकी जरूरते पूरी करनेवाले गाँव न हो, तो शहरवालोका जीवन दूभर हो जाये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २८-१२-१९३४

१६. पत्र : अगाथा हैरिसनको

२० दिसम्बर, १९३४

प्रिय अगाथा,

तुम्हारा निराशापूर्ण पत्र मिला। जो स्थिति है, उससे हम लोग यहाँ उतने विचलित नही है जितना विचलित उसने तुमको कर दिया है। बात यह है कि तुम सर सैमुअल होरको नही जानती। भारत सरकार तो हमेशासे एक व्यक्तिकी सरकार रही है। सर सैमुअल होरका सिद्धान्त यह है कि भारतीयोकी इच्छाका आदर करनेकी बात तो दूर रही, उनपर विचार भी नही करना चाहिए, उनपर तभी विचार करना चाहिए जब वे उनके सलाहकारोकी इच्छाओको प्रतिबिम्बित करती हो। सलाहकारोने यह तय कर लिया है कि श्वेत-पत्र,[1] जो अब संयुक्त ससदीय समिति[2] की रिपोर्टका रूप ग्रहण कर चुका है, अन्तिम शब्द है। कांग्रेसने निश्चय किया है कि जबतक उसकी इच्छाओको ध्यानमे नही लिया जाता, तबतक उसे कुछ भी स्वीकार्य नही है। कांग्रेस यह भी स्वीकार करती है कि सर सैमुअलके हाथमे सत्ता है और कांग्रेसको जो थोडी-सी शक्ति प्राप्त है उसका उसे प्रयोग नही करना चाहिए। इसलिए वहाँ तुम सब मित्रोको यदि कह सको तो दृढतापूर्वक कहना चाहिए कि जबतक 'शासित लोगो' की सहमतिसे परिवर्त्तन करनेका समय न आ जाये तबतक वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहनी चाहिए। ऐसी बात नही कि इसमे तुम्हारे प्रयत्न सफल ही होगे। लेकिन कमसे-कम तुम्हे यह जाननेका सन्तोष तो रहेगा कि तुमने सही चीज की है। इसके विपरीत, यदि वहाँके मित्रोंको लगे कि वे ईमानदारीके साथ यह रुख नही अपना सकते, और यदि रिपोर्टमे परिवर्तन नही किया जा सकता तो उसे स्वीकार कर ही लेना चाहिए, तो तुम्हे योजनाको कार्यान्वित करना चाहिए। यदि मै तुम्हारे मित्रोकी जगह होता तो भारतके दृष्टिकोणका प्रतिनिधित्व न कर सकनेपर खामोश होकर बैठा रहता। यदि सविधान पास हो जाता है तो यह उस सविधानको भारतके ऊपर बलपूर्वक 'थोपने' जैसा होगा, और मित्र लोग कमसे-कम इतना तो कर ही सकते है कि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूपमे

१. इसमें गोलमेज सम्मेलन (१९३१-३२) में हुए विचार-विमर्शके आधारपर सुधारके निमित्त ब्रिटिश सरकारके प्रस्ताव थे।

२. जिसने श्वेत-पत्रकी जाँच की थी और कुछ परिवर्तनोंके साथ उसके प्रस्तावोंको मंजूरी दी थी।

इसमें हाथ न बँटायें। चिन्तामणिकी चेतावनी संलग्न है। उसे पढ़ो। इसका कोई बहुत महत्व है, सो बात नहीं। इस सम्बन्धमें गृह-सदस्य बिलकुल स्पष्ट थे। लेकिन उनकी स्पष्टवादिता बहुत क्रूरतापूर्वक फिरसे याद दिलाती है कि भारत कितना असहाय है।

मेरा मामला विचाराधीन है। वहाँ भी वही कहानी है। उन्होंने निश्चय कर लिया है। लेकिन मुझे पहले-से कोई बात मान नहीं लेनी चाहिए। सी० एफ० एण्ड्रयूज कलकत्तामें हैं। वे जबरदस्त कठिनाइयोंके विरुद्ध एक ट्रोजनी योद्धाके समान संघर्ष कर रहे हैं और वे शीघ्र ही तुम्हें सभी ताजा समाचार देंगे। इस बीच तुम्हें और तुम्हारे मित्रोंको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जल्दबाजीमें कोई कदम नहीं उठाऊँगा। मेरे इरादोंकी पर्याप्त पूर्व-सूचना दे दी जायेगी। लेकिन मेरे इरादोंका मूल्य क्या है! मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर कुछ करता है। मैं नहीं, तुम नहीं, ईश्वर जो चाहता है, वही होने दो।

जिस कागजपर और जिस स्याही तथा जिस कलमसे यह पत्र लिखा गया है उनकी एक कहानी है, लेकिन उसे बतानेका मेरे पास समय नहीं है।

स्नेह!

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८३) से।

१७. पत्र: हरिभाऊ उपाध्यायको

२० दिसम्बर, १९३४

भाई हरिभाऊ,

तुमारा खत मिला है। अखबारोंमें तो देखा कि फिर कुछ झगड़ा पैदा हो गया है। हिं० वि०[1] की योजना मिलनेपर देख लूंगा।

पत्र-व्यवहारसे शिक्षा देनेकी प्रथा महिला आश्रममें दाखल की है। इसमें जो शिक्षक नियुक्त करनेके हैं उसमें तुम्हारा नाम दाखल करनेकी इच्छा है, करूं?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ६०८१ की नकलसे; सौजन्य: हरिभाऊ उपाध्याय।

१. हिन्दी विद्यापीठ।

१८. 'हरिजन' का विस्तार

आजकल 'हरिजन'के पृष्ठ जिस तरह ग्रामोद्योग योजनाके विकास कार्यकी चर्चासे भरे रहते हैं उसे लेकर जहाँ कुछ पाठकोने आपत्ति व्यक्त की है, वहाँ कुछ अन्य पाठकोने सामग्रीके प्रस्तुतीकरणकी एकरसतामे परिवर्तनको देखते उसका स्वागत किया है। दोनो ही रायें शायद बिना सोचे-समझे और जल्दबाजीमे जाहिर की गई है। गाँवोके कल्याणसे सम्बन्धित किसी भी समस्याका कुल मिलाकर हरिजनोसे घनिष्ठ नाता होता है, क्योकि हरिजनोकी सख्या भारतकी कुल आबादीका छठा भाग है। यदि गाँववालोको अच्छा चावल और आटा मिलें तो इस परिवर्तनसे हरिजनोको भी उतना ही लाभ होगा जितना शेष लोगोको। लेकिन हरिजन लोगोको एक विशेष अर्थमे लाभ होगा। चमडा कमाने और कच्चा चमडा तैयार करनेका सारा धन्धा पूरी तरह हरिजनोके ही हाथमे है, और आर्थिक दृष्टिसे यह धन्धा नई योजनाका सबसे बड़ा अग होगा। अभीतक हरिजनोकी जो राय प्राप्त हुई है, उसमे तो उन्होने इस विस्तारका स्वागत किया है। जो लोग एकरसतासे ऊब गये थे, वे भी मेरी रायमे गलतीपर थे। 'हरिजन' के पृष्ठोको ऐसी सामग्रीसे नही भरा जा सकता था जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे उन लोगोके साथ कोई सम्बन्ध न हो जिनके हितके लिए इस पत्रिकाका प्रकाशन होता है। जो लोग एकरसताकी शिकायत करते थे, उन्हे शायद हरिजन-कार्यमे पर्याप्त रुचि नही थी।

यदि आलोचनामे मुझसे यह कहा जाये कि 'हरिजन' की सामग्री जितनी दिलचस्प बनाई जा सकती है, उतनी दिलचस्प नही होती तो बेशक यह सच्ची बात होगी। इसके कुछ कारण है जो स्वय आन्दोलनमे ही अन्तर्निहित है। यह बात स्वीकार करनी होगी कि अस्पृश्यता-उन्मूलनका आन्दोलन उस अर्थमे एक लोकप्रिय आन्दोलन नही है जिस अर्थमे बडे-बडे राजनीतिक आन्दोलन लोकप्रिय रहे है और दुनिया-भर मे लोकप्रिय हो गये है। अस्पृश्यता-निवारण एक जबर्दस्त सामाजिक सुधार है। लेकिन इस काममे सनसनी पैदा करनेवाली कोई चीज नही है। यह एक ऐसा नीरस काम है जिसमे कोल्हूके बैलकी तरह बराबर परिश्रम करना होता है। और ऐसा काम करनेवालोके कार्यका विवरण दिलचस्प ढगसे प्रस्तुत करनेके लिए अत्यन्त उच्च कोटिके सम्पादकीय कौशलकी आवश्यकता है। और नीरस काम करनेवालोके काममे केवल किसी नीरस सम्पादकको ही दिलचस्पी हो सकती है। इसलिए हरिजन-आन्दोलनसे जिन लोगोका घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनके सामने यही रास्ता है कि वे अपने अनुष्ठानमे उत्तरोत्तर बढती हुई आस्थाके साथ अपना काम जारी रखे और परिणामकी चिन्ता न करे।

अभी कुछ दिन पहले अखबारोंमें इस आशयकी सूचना छपी थी कि 'हरिजन-बन्धु' के नामसे निकलनेवाला 'हरिजन' का गुजराती संस्करण बन्द किया जानेवाला है क्योंकि वह घाटेपर चल रहा है। यह खबर अविचारित और अनधिकृत थी। वस्तुत. इसकी बात जरूर हुई थी। लेकिन जब ठक्कर बापाने यह सुना तो उन्होंने कह दिया कि हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी, इनमें से किसी भी संस्करणको बन्द नही किया जा सकता। इन साप्ताहिक पत्रोंपर होनेवाले घाटेको बचानेके तीन उपाय है.

(१) चन्देकी दर बढ़ा दी जाये;

(२) छपाई और सम्पादकीय विभागोंके कर्मचारी अपने कामके लिए जो वेतन पाते हैं उसमें स्वेच्छासे कटौती करा दें;

(३) ग्राहकोंकी संख्यामें वृद्धि करनेके लिए अपील की जाये।

इनमें से दूसरे नम्बरके उपायको आजमाया गया और अभी भी आजमाया जा रहा है। पत्रिकाओंके प्रकाशन-व्ययमें कटौती जारी है। ग्राहक-सख्यामें वृद्धिके लिए असीम गुंजाइश है और अब चूँकि 'हरिजन' में ग्रामोद्योग और व्यापक ग्रामोत्थानके बारेमें काफी-कुछ सामग्री रहेगी, इसलिए ग्राहकोंकी सख्या भी अपने आप बढनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २१-१२-१९३४

१९. नया बच्चा

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघने, जिसकी बहुत चर्चा रही है, बिना किसी धूम-धड़ाकेके शान्त वातावरणमें वर्धामें इसी १४ तारीखको जन्म ले लिया। वर्धा ही इसका सदर मुकाम रहेगा क्योंकि सेठ जमनालालजीने उदारतापूर्वक सघके उपयोगके लिए कुछ जमीन और भवन वहाँपर दे दिये हैं। लेकिन इसके बारेमें फिर कभी।

आइए, हम संघके सस्थापक-सदस्योंका परिचय प्राप्त करें जो इसके प्रथम प्रबन्ध-मण्डलके सदस्य भी हैं। इसके अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णदास जाजूजी एक वकील है और स्कूल व कालेजमें एक बहुत अच्छे विद्यार्थीके रूपमें उनका नाम था। उन्होंने, बहुत समय हुआ, अपनी खूब चलती हुई वकालत छोड़ दी थी। वे सेठ जमनालालजीकी लोकोपकारी गतिविधियोंसे सम्बद्ध रहे हैं और अखिल भारतीय चरखा सघकी महाराष्ट्र शाखाके अध्यक्ष हैं।

संघके संगठनकर्त्ता और मन्त्री श्री कुमारप्पा हैं। वे एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट हैं। उन्होंने बम्बईमें अपना फलता-फूलता धन्धा छोड़कर काका साहब कालेलकरके अधीन गुजरात विद्यापीठमें अवैतनिक प्रोफेसरका पद ग्रहण कर लिया था। सर्वश्री भुलाभाई देसाई और डी० एन० बहादुरजी दोनों भूतपूर्व एडवोकेट-जनरल रह चुके हैं, और इन दोनोंके साथ श्री कुमारप्पाने कांग्रेस द्वारा नियुक्त सार्वजनिक ऋण-समिति

के सदस्यके रूपमे काम किया है और स्वय बिहार केन्द्रीय सहायता-समितिके आर्थिक सलाहकार रहे हैं।

श्री गोसीबहन कैप्टेन अथक परिश्रम करनेवाली चार नौरोजी बहनोमे से एक हैं। ये चारो बहने वर्षोसे खादी-कार्य कर रही हैं। बम्बईमे श्री मीठूबहन पेटिटने, जिन्होने अपनेको गुजरातके गाँवोमे रहनेवाले गरीब भाई-बहनोकी सेवामे समर्पित कर दिया है, गरीब बहनोके लिए खादीकी कढ़ाईका एक स्कूल खोला था, और ये चारो बहने उस स्कूलको चला रही हैं।

सेठ शूरजी वल्लभदास बम्बईके एक विख्यात व्यापारी हैं। वह खादी-केन्द्रोका सगठन करते रहे हैं और उन्होने स्वदेशी बाजारकी स्थापना की है। इससे होनेवाला मुनाफा पूरी तरह ग्रामोद्योगोकी उन्नतिपर खर्च किया जाता है।

डॉ० खान साहब भारतीय स्वास्थ्य-सेवाके भूतपूर्व सदस्य हैं और खान अब्दुल गफ्फार खाँके बड़े भाई हैं। वे अपने भाईके स्थानपर बोर्डके सदस्य हैं। यदि खान अब्दुल गफ्फार खाँ जेलमे न होते तो बोर्डके सदस्य होते।

श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम साबरमतीके सत्याग्रह-आश्रममे आनेसे पहले मलाबारके एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। गुजरातमे खादी-कार्यका सगठन इन्होने ही किया। १९२७मे गुजरातमे जो भयंकर बाढ आई थी, उस जमानेमे ये सरदार वल्लभभाई पटेलके दाहिने हाथ बन गये थे, और बिहारके भूकम्प-पीडितोके सहायता-कार्यमे राजेन्द्र बाबूके दाहिने हाथ रहे है।

डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष, डी० एस-सी० हैं और उन डॉ० पी० सी० रायके प्रिय शिष्योमे से हैं जिन्होने सरकारी टकसालमे एक उच्च पद छोड दिया, जो वर्षोसे मामूली वेतनपर गुजारा कर रहे है और जिन्होने अपना सारा जीवन जन-सेवामे समर्पित कर दिया है।

श्री शकरलाल बैकरने इंग्लैंडमे रसायन-शास्त्रमे ऊँची शिक्षा पाई और वापस लौटनेपर सन् १९१६ मे सार्वजनिक क्षेत्रमे प्रवेश किया। वे अखिल भारतीय चरखा संघके मन्त्री और उसकी जान हैं और खादीका उनको चहुँमुखी ज्ञान है। इसी कारण उन्हे गाँवोकी दशाका जैसा व्यापक ज्ञान है वैसा शायद ही किसीको हो।

इस प्रकार सेठ शूरजीभाईको छोडकर मण्डलमे सभी सदस्य ऐसे है जिनका अपना कोई धन्धा या रोजगार नही है और जिनकी एकमात्र चिन्ता यही होगी कि गाँववालोके कल्याणके लिए काम किया जाये। ये लोग मण्डलमे केवल इसीलिए हैं कि सघके उद्देश्योको पूरा करनेकी जबर्दस्त जिम्मेदारीको निभानेका प्रयत्न करेगे। पाठक सघके सीधे-सादे सविधान[1] को पढे। यदि संघको जनताका ठोस सहयोग प्राप्त हुआ तो वह करोडो गाँववालोके लिए आशाका प्रतीक बन जायेगा और शहरमे रहनेवालोको, जो आज शोषक हैं, सच्चा सहायक और सेवक बना देगा। सघ प्रबुद्ध वर्ग और अनपढ जनताके बीच एक जीवन्त सम्बन्ध स्थापित करेगा, मनुष्य-मनुष्यके

१. देखिए खण्ड ५९, पृ० ४७७-८१।

बीच जो भेद है, उन्हे दूर करनेका प्रयत्न करेगा। गाँववाले आज केवल कच्चा माल पैदा करते है, संघ उन्हे आत्मनिर्भर इकाइयोमे बदल देगा और तब वे शहरवालोकी अधिकाश जरूरतकी वस्तुओंको भी तैयार करने लगेंगे। इस प्रकारके काममे राजनीतिक मतभेद भुला दिये जाते है। जो लोग मदद करना चाहते है, उन्हे हम आमन्त्रित करते है कि वे अपनी इच्छा और क्षमताके अनुसार सदस्य, एजेंट, कार्यकर्त्ता, सहयोगी या सलाहकारके रूपमे सघमे शामिल हो।

यह कार्य बहुत बडा है। सघके कामके बारेमे लोगोके अन्दर जो उम्मीदे पैदा हुई है, उन्हे केवल ईश्वर-कृपासे ही पूरा किया जा सकता है। ईश्वर-कृपा तभी प्राप्त होती है जब बुद्धिमानीके साथ अथक प्रयत्न किया जाये। मण्डलके सदस्योने ऐसा ही प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा की है। उनके पिछले कामोका इतिहास इस बातका सबूत है कि वे आगे भी वैसा ही काम करेगे।

सघकी स्थापना यद्यपि काग्रेसने ही की है, लेकिन इसे जान-बूझकर गैर-राजनीतिक और स्वशासी सगठन बनाया गया है। सघके सदस्य अपनी सदस्यताके दौरान सविनय अवज्ञाके किसी भी अभियानमे भाग न लेनेको वचनबद्ध है। संघके सलाहकार और मार्गदर्शककी हैसियतसे मै कह सकता हूँ कि संघका उद्देश्य गाँववालोका आर्थिक, शारीरिक और नैतिक उत्थान करनेके सिवा और कुछ नही है।

पाठक इस बातपर ध्यान देंगे कि प्रबन्ध-मण्डलका कार्य कमसे-कम आरम्भमे अवैतनिक एजेटोके जरिये किया जायेगा। एजेंट लोग अपने-अपने कार्य-क्षेत्रको स्वय चुनेंगे और उनसे अपेक्षा की जायेगी कि वे केवल उन्ही क्षेत्रो तक अपना कार्य और ध्यान सीमित रखे। इस तरहसे सम्भव है कि अकेले एक गाँवके लिए ही एक एजेट हो। अत सघके पास उतने एजेट भी हो सकते है जितने कि भारत-भरमे गाँव है। इसलिए किसी भी ईमानदार व्यक्तिको, वह कितना ही नगण्य क्यो न हो, अपनी सेवाएँ अर्पित करनेसे हिचकना नही चाहिए। हमारा विचार इसके पीछे यह है कि इस कार्यका ज्यादासे-ज्यादा विकेन्द्रीकरण कर दिया जाये, तभी जाकर ज्यादासे-ज्यादा मितव्ययिताके साथ और कुशलतापूर्वक सघन रूपसे काम किया जा सकता है। मै आशा करता हूँ कि स्वैच्छिक ग्रामोत्थानके इस शानदार काममे भाग लेनेके लिए देश-भरमें ऐसे कार्यकर्त्ता मिलेगे जो खुशीके साथ, ईमानदारीके साथ यह काम हाथमें लेगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१२-१९३४

२०. पत्र : जॉन हेन्स होम्सको

२१ दिसम्बर, १९३४

आपका अत्यन्त कृपापूर्ण और सुविस्तृत पत्र मिला। हाँ, मीराबहनने ब्रिटेन और अमेरिका, दोनो जगह बहुत अच्छा काम किया। सत्य मनुष्यको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो किसी अन्य चीजसे नही मिल सकती और मीरा अपनी वाणीसे केवल वही बात कहना चाहती थी जिसे वह पूर्ण सत्य मानती है। जब भी उसे आवश्यक लगेगा, वह आपके पास निश्चय ही आयेगी।

जहाँतक मेरा सवाल है, मुझे आनेकी कोई आवश्यकता नही अनुभव होती। मुझे लगता है कि मेरा कार्य यही है और मुझे दुनियासे जो-कुछ कहना है, वह मैं भारतमे अपने कामके जरिये सबसे अच्छे ढगसे कह सकता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य: नारायण देसाई।

२१. पत्र : एक इटालियनको

२१ दिसम्बर, १९३४

मेरे लिए सत्यका आंतरिक अर्थ यह है कि वह मुझे एक ऐसी शान्ति प्रदान करता है जो समझके परे है। इसका बाह्य अर्थ यह है कि वह मुझे सेवाका एक अधिक उपयोगी साधन बनाता है।

मिशनरियोके कार्यका महत्व मेरी दृष्टिमे इस तथ्यमे निहित है कि उन्होने हमारे अन्दर जिज्ञासाकी भावना उत्पन्न की है और हमे आत्म-निरीक्षण करनेके लिए प्रेरित किया है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य: नारायण देसाई।

२२. पत्र : क० मा० मुंशीको

२१ दिसम्बर, १९३४

भाई मुशी,

तुम बराबर आराम करना। मेरे विचारसे तो खान साहब सच्चे भक्त हैं।

मैंने तुम्हारा अन्तिम अध्याय[1] लगभग पूरा कर लिया है। अन्य अब पढूंगा। तुमने जो यह सब अंग्रेजीमे लिखा तो किसके भलेके लिए? यदि तुमने इसका हेतु आरम्भके अध्यायोंमें बताया हो तो मै नही जानता।

मुझसे लम्बी प्रतास्वनाकी अपेक्षा न करना।

तुम दोनोको,
बापूके आशीर्वाद

एडवोकेट क० मा० मुशी
पंचगनी

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६५) से, सौजन्य क० मा० मुशी।

२३. पत्र : अन्नपूर्णाको

२१ दिसम्बर, १९३४

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला था। देहातीओका सूतके आक, समानता, मजबूती निकालो। शीघ्र बुनवा लो। देहातीओके दूसरे धधेका ख्याल रखो। चावल कैसे खाते है। घरके आगणमें थोडा कपास और भाजीके बीज डालो। यथासभव सब मजदूरी हाथसे ही करना अच्छा है।

सब मजेमे होगे।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८४) से।

१. गुजरात और उसका साहित्यका।

२४. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

२१ दिसम्बर, १९३४

चि० अबुजम,[1]

तुमारा खत मिला। पिताजीका भी मिला है। तुमने मुझको कुछ भी तकलीफ नही दी है। मुझको सब-कुछ कहनेका तुमको अधिकार था और हमेशा रहेगा। यदि वगैर सकोचके मुझे सब-कुछ न कह सके तो मै मदद भी कैसे दे सकता हूँ।

अब चित्त स्थिर करके जो-कुछ सेवा-कार्य हो सके, किया करो।

तुमारे लिये हाथके बने हूए कागद भेज दिये गये है। कागज कुछ मेघे है। बिल तुमको भेजा जायगा। पैसे यहाँ से दिया जायगा। तुमारे पैसे पडे है ना?

रामायणका अभ्यास कायम रखो।

मुझे लिखा करो।

जानम्माल[2] मुझे लिखे।

मुझे बताओ कया यह खत पढनेमें कुछ कष्ट हुआ?

मातपिताको खुश रखेगी।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५९८)से, सौजन्य: एस० अम्बुजम्माल।

२५. पत्र : अमृत कौरको

२२ दिसम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मैंने तुम्हारे प्रस्तावोके मसविदोको कल रात पढा। वे दोपहरमे प्राप्त हुए थे। मुझे पहलावाला पसन्द है। अन्तिम मुझे बिलकुल पसन्द नही है। आशा है कि तुम्हे मेरा वह पत्र यथासमय मिल गया होगा जिसके साथ मेरा सन्देश[3] और डॉ० मॉडके लिए एक पत्र सलग्न थे।

१. श्रीनिवास आयगारकी पुत्री।

२. एस० अम्बुजम्मालकी भान्जी।

३. अखिल भारतीय महिला सम्मेलनके लिए; देखिए "पत्र : अमृतकौरको", पृ० ४।

तुम्हें अपने शरीरपर बहुत जोर नही डालना चाहिए। मैं यह मान रहा हूँ कि तुम जहाँ भी जाती हो, कर्नल भी तुम्हारे साथ होते हैं। उन्हे अबतक उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिए।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१७) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३२६ से भी।

२६. पत्र: होमी मोदीको

२२ दिसम्बर, १९३४

प्रिय श्री मोदी,

आसामको भेजे गये कम्बलोके बारेमे आपका इसी १९ तारीखका पत्र मिला। धन्यवाद।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८८१) से, सौजन्य: एम० आर० मसानी।

२७. पत्र: जमनालाल बजाजको

२२ दिसम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम्हारे कानके सम्बन्धमे मुझे अभीतक कोई समाचार नही मिला, सो क्यों? किशोरलाल और गोमती बिस्तरपर पडे है। गोमती ठीक है। किशोरलालको अभी बुखार है। लेकिन धीरे-धीरे उतर रहा है। उद्योग सघको बगीचेमें ले जानेकी तैयारियाँ हो रही है। मकानके ऊपर दो कमरे बनवानेकी योजना है। राधाकृष्ण एक कमरा बनवानेकी खबर लाया था। अब दो बनवानेकी बात चल रही है। लगभग २,००० रुपयेके खर्चका सवाल है। यह करना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नही। उनका असली उपयोग वर्षा ऋतुमें ही है। दिनको तो मै नीचे पड़ा रह सकता हूँ। रातको अवश्य ऊपर सोनेके लिए जाऊँगा। ऊपरके कमरे भविष्यकी दृष्टिसे बनाये जाने चाहिए। चूँकि उनकी बात निकली, इसलिए मुझे हामी भरनेका लोभ हो आया। यदि तुम इनकार कर दोगे तो बात खत्म हो जायेगी और २,००० रुपया

भी बच जायेगा। लेकिन यह रुपया अब तुम्हारा कहाँ रह गया है? यह लिखते हुए ही अब मनमें विचार आ रहा है कि फिलहाल मुझे ही ऊपरके कमरे बनानेके सम्बन्धमें मना कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने जो-कुछ ऊपर लिखा है, उसे रद्द मानना।

स्वरूपरानीकी ओरसे कृष्णाने मुझे लिखा है और हलके स्वरमें प्रभावतीको भेजनेकी भी माँग की है। मैंने उसे लिखा है[1] कि प्रभावती काममें इस तरह गुँथ गई है कि उसे उससे मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँसे किसी अन्य अच्छी-सी महिलाको भेजा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई महिला अवश्य मिल जायेगी जो उसके साथ रह सकती हो। तुम यदि कर सको तो स्वरूपरानीकी मदद करो। नहीं तो सारा मामला मुझ पर ही छोड़ देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४७) से।

२८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२२ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

चार्ली[2] भाईको रोकना मुश्किल है। ऐसोंके हाथसे नुकसान हो तो भी हमें सहन करना चाहिए। परन्तु मैं जाग्रत हूँ। मैंने उनसे साफ कह दिया है। इस मामलेमें चिन्ता न करना। लोग भी जान गये हैं कि उनके आने-जानेमें कोई अर्थ नहीं होता।

कृपलानीकी बात अलग है। उन्होंने राजारामको निकाल दिया,[3] यह भी ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कृष्णदास इस कामको नहीं कर सकता। मगर यह किस्सा मैं पूरी तरहसे नहीं जानता। कृपलानीको क्यों नहीं लिखते? उनके बयान मैंने नहीं पढ़े। उनमें कुछ उलटा-सीधा कह डाला है क्या? ऐसा हो तो मैं भी उन्हें लिखूंगा। वे लिखनेसे तुरन्त सुधार कर लेंगे।

वहाँकी सभा[4] को तो तुमने खूब काबूमें रखा। तुम्हारा भाषण मुझे बहुत पसन्द आया। यह सब जनताको बताना जरूरी ही था।

रामदास अभी तो बम्बई जायेगा। २७ या २८ तारीखको स्वामीके साथ रवाना होगा। मणिभवनमें रहेगा।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. सी० एफ० एन्ड्र्यूज।
३. अ० भा० कां० क० के वैतनिक सचिवके पदसे।
४. खान अब्दुल गफ्फार खाँको राजद्रोहके अभियोगमें दो सप्ताहके लिए जेलकी सजा हुई थी। सभा उसीके विरोधमें हुई थी, देखिए खण्ड ५९, पृ० ४५६।

मुस्लिम भाइयोके लिए खेद कैसा? हम अपने धर्मका पालन करें। सिन्ध और लाहौरकी हत्याओके बारेमें मैंने मौलाना और डॉ० अन्सारीको लिखा है।[1] दोनोके जवाब आ गये हैं। लिखते है, कुछ-न-कुछ करेगे। सारा काम ही मुश्किल है। जहाँ दृष्टिकोण अलग-अलग रहे हो, वहाँ सहन करना ही होगा। यदि हम अपनी सामर्थ्य-भर कर सके तो इससे हमें सन्तुष्ट होना चाहिए।

मै यहाँ से २८ तारीखको दिल्लीके लिए रवाना होऊँगा। दिल्लीमे ज्यादासे-ज्यादा एक महीना लगेगा। ग्रामोद्योग सघकी बैठक ३१ जनवरीको है। दिल्ली तो तुम आओगे ही। कार्य-समितिकी बैठक १५ जनवरीके आसपास हो तो अच्छा। मै दिल्लीसे जितनी जल्दी रवाना हो जाऊँ, उतना अच्छा।

अभयकरका क्या हाल है? तुम्हारी नाकका क्या हुआ?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १४६–४७।

२९. पत्र : हीरालाल शर्माको

२२ दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारे उपवास[2] से कुछ दु:ख तो नही होता है। निर्विघ्न समाप्त हो ही जायगा। समाप्त होनेपर मुझे दिल्ली खबर देना। २९को दिल्ली हूगा। उपवासमे जो अनुभव मिले, वह भी बताना।

कृष्णा अच्छी हो जाय तो बडी बात होगी।

मेरे कागजात नही मिले है।

नोटीस किसी अखबारवालोने ली या नही, मुझे पता नही है।

रामदास तुमको लिखेगा। यहा उसका चित्त शात नही रहता है। अब तो सब-कुछ खाता है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १३८के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

१. ये पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. हीरालाल शर्माने १४ दिनका उपवास रखा था।

३०. पत्र : मिर्ज़ा इस्माइलको

२३ दिसम्बर, १९३४

सीमा-प्रान्तकी यात्राके विषयमें मैंने समाचारपत्रोंको जो वक्तव्य जारी किया था,[1] आशा है कि आपने उसे देखा होगा। मैं संघर्ष बचानेकी हर चन्द कोशिश करूँगा। मेरी दृष्टिमें यह किसी चीजके लिए किसी भी अन्य चीजका बलिदान कर देनेकी बात नहीं है। क्या बलिदानका व्यापक अर्थ आत्म-शुद्धि नहीं है? वाइसरायकी इच्छाके आगे मेरे झुकनेसे जबतक हमारे उद्देश्यको हानि नहीं पहुँचती, तबतक मैं उसकी अधीनता स्वीकार करता रहूँगा। मैं जल्दबाजीमें कोई कदम नहीं उठाऊँगा, इसपर तुम यकीन कर सकते हो।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य. नारायण देसाई।

३१. पत्र : नारणदास गांधीको

२३ दिसम्बर, १९३४

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। आज हरखचन्द और विजया यहाँ से गुजरे। कनु[2] स्टेशन पर मिलने गया था।

तुमने देखा होगा कि जमना[3] को तुम्हारे वहाँसे जानेकी बात पसन्द नहीं है। निर्णय तुम्हींको करना चाहिए। यदि वहाँ तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक हो तो मैं तुम्हें वहाँसे बुला लेनेका विचार ही नहीं करूँगा। मैंने बात तुम्हारे सामने रख तो दी, किन्तु इसपर दुबारा विचार कर लेना ठीक होगा।

रामदासकी बड़ी इच्छा है कि उसके दोनों बच्चे किसी बालमन्दिरमें पढ़ें। ऐसी हालतमें नीमूको उनके साथ रहना चाहिए। रामदासकी नजर भावनगर पर है। किन्तु नीमू भावनगरमें कहाँ रहेगी? कोई बीमार वगैरा पड़ जाये तो क्या होगा? इसलिए मैंने राजकोट भेजनेकी सलाह दी है। सलाह नीमूको पसन्द आई है। मैंने कहा है कि नारणदास वहाँ रहे न रहे, परन्तु बालमन्दिर तो चलेगा ही। यह ठीक

१. देखिए खण्ड ५९, "वक्तव्य : समाचारपत्रोंको", पृ० ४७०-७१।

२. नारणदास गांधीका पुत्र।

३. नारणदास गांधीकी पत्नी।

है न? बालमन्दिरके कामके विषयमें मुझे लिखना। यह भी लिखना कि बच्चोंको लेकर नीमूको वहाँ आनेके बारेमें तुम्हारा क्या खयाल है। जवाब मुझे बिडला मिल्स, दिल्लीके पतेपर देना। नीमूको भी छोटा-सा पत्र लिख देना। मेरे खयालसे रामदास तो बम्बई गया होगा। यह तो नही कह सकते कि वह एकदम चगा हो गया है। वह आजकल अपनी इच्छानुसार उपचार करा रहा है। थोडा-बहुत चलता-फिरता भी है। नीमू भी कुछ सीखना चाहती है। वह यहाँ सितार और अंग्रेजी सीख रही है। मैंने कहा है कि यह वहाँ भी सीखती रह सकेगी।

बुआ[1]का पत्र साथ है। अब वे बहुत वृद्ध हो गई हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८४२६ से भी; सौजन्य · नारणदास गांधी।

३२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२३ दिसम्बर, १९३४

भाई वल्लभभाई,

मिल-मालिकोके प्रस्ताव देखे होंगे। देखना कि कही व्यर्थ न लड़ पडे। कोई सुने तो अपनी बात सुनाना। मैंने कस्तूरभाई और चमनभाईको लिखा है।

जहाँ-जहाँ दौरा करो, वहाँ ग्रामोद्योग सघकी बात अवश्य करो। इसके द्वारा बहुत-कुछ हो सकता है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५०।

१. रलियातबहन, गांधीजीकी बड़ी बहन; पत्र उपलब्ध नहीं है।

३३. पत्र : वेणीलाल ए० गांधीको

२३ दिसम्बर, १९३४

चि० वेणीलाल,

मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मामला जरा कठिन है। तुम्हारी जरूरत कमसे-कम ५० रुपयेकी है। और मेरे विचारसे इतनी तनख्वाह हरिजन-सेवाकार्यसे निकालना मुश्किल है। बड़ी उम्रके लडकोको अपनी इच्छानुसार पढने देना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए तुम्हे किसी धन्धेकी तलाश करनी होगी। मेरी आशा छोड़ देना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत वेणीलाल गाधी
मार्फत माणेकलाल अमृतलाल गाधी
राणावाव
पोरबन्दर रियासत, काठियावाड़

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९२१) से, सौजन्य · वेणीलाल ए० गांधी।

३४. पत्र : डॉ० जेम्स हेनरी कजिन्सको[1]

२४ दिसम्बर, १९३४

प्रिय मित्र,

निश्चय ही मित्रोने मजाक किया है। मै साहित्य-जगतका प्रतिनिधि बिलकुल नही हूँ। मेरे पास कोई विश्वविद्यालयीय उपाधि नही है। मैंने तो लन्दनसे मैट्रिकुलेशन किया था, उसके आगे कुछ नही, और मै अपने नामके आगे 'बी० ए० फेल' भी नही लिख सकता। न मै अभ्यास और प्रशिक्षणके आधारपर ही अपने-आपको साहित्यिक कह सकता हूँ। कविताकी तो बात ही दूर रही, मुझे गद्यकी भी समझ नही है। कुछ कविताएँ तो मै समझ ही नही सकता। साहित्यके क्षेत्रमे मेरा अज्ञान भयानक है। इसीलिए मुझे आपको एक नकारात्मक तार[2] भेजना पडा था जो, आशा है,

१. डॉ० कजिन्सने गाधीजीसे अनुरोध किया था कि वे उनका नाम नोबेल पुरस्कारके लिए प्रस्तावित कर दें।
२. यह तार उपलब्ध नहीं है।

आपको समयसे मिल गया होगा। इसलिए यद्यपि मैं आपका नाम तो प्रस्तावित नही कर सकता, लेकिन कमसे-कम आशा कर सकता हूँ कि आप पुरस्कार जीत लेंगे।

नव-वर्षकी शुभ कामनाओ और आपको तथा श्रीमती कजिन्सको अभिनन्दन सहित,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य नारायण देसाई।

३५. पत्र : अमृत कौरको

२४ दिसम्बर, १९३४

प्रिय बहन,

मुझे तुम्हारे कई पत्र मिले। निश्चय ही मेरी प्रार्थनाएँ तुम्हारे शुभ प्रयासके साथ हैं।

सी० एफ० एण्ड्रयूज यहाँ २६ तारीखको आयेंगे।

मेरे हस्ताक्षरोंके साथ सन्देश यह रहा।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१८) से, सौजन्य अमृत कौर। जी० एन० ६३२७ से भी।

३६. पत्र : अमतुस्सलामको

२४ दिसम्बर, १९३४

प्रिय बेटी,[1]

तुमने इससे पहले पत्र नही लिखा, जिससे मुझे बहुत चिन्ता रही। लेकिन ऐसा न करती तो फिर तुम, तुम नही रहती। ईश्वरका धन्यवाद है कि तुम्हारा कार्ड और पत्र मुझे कल मिल गये। यहाँ सब लोग अच्छे हैं। लाली[2] बम्बईमें खेल रहा है। मेहर[3] यहाँ है, थोड़ा-बहुत पढ़ती है और खेलती है। वह खुश नजर आती है। हम २८ तारीखको दिल्लीके लिए रवाना होंगे।

१. यह उर्दू लिपिमें है।
२. अब्दुल गफ्फार खाँका पुत्र।
३. मेहरताज, अब्दुल गफ्फार खाँकी पुत्री।

आशा है तुम खूब खा-पी रही हो। आज इससे ज्यादा नही।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१२) से।

३७. पत्र : जमनालाल बजाजको

२४ दिसम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

गगाधररावके बारेमे तुम्हारा पत्र मिला। यह एक मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि पैसा इस तरह तो नही दिया जा सकता। लेकिन गगाधररावके साथ बातचीत किये बिना कोई निर्णय नही दे सकता। मै उन्हे लिख रहा हूँ। मेरा पत्र इसी आशयका होगा।

गगाधररावका पत्र इसके साथ वापस भेज रहा हूँ।

कान बिलकुल ठीक करा लेना।

कमलनयनको कोलम्बो जाने देनेकी बात तो तुम सुन ही चुके होगे।

अब्दुल गनी[1] के बारेमे खान साहबके साथ बात की है। वे गनीको लिखेगे। उन्होने कहा है कि जो भी खर्च आयेगा, मै दूंगा। गनीको उसके टासिलसके इलाजके लिए दिल्ली बुलाया है। खान साहब वहाँ जा सकेगे अथवा नही, यह निश्चित नही है। ऐसा आदेश है कि वे पजाबमे भी न जाये। दिल्ली जाते हुए रास्तेमे कुछ पजाबके स्टेशन आते है। सवाल यह है कि इनमे से होकर जाया जा सकता है या नही। पजाब-सरकारको तार दिया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

मदनमोहन हो तो उससे कहना कि वह सरहदके अपने अनुभव लिख भेजे। मेरे साथ तो बात ही न हो सकी।

आदेश[2] रद्द हो गया है, ऐसा तार आज आ गया है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४८) से।

१. अब्दुल गफ्फार खाँका पुत्र।

२. खान साहबको पजाबमें न जाने देनेके सम्बन्धमें सरकारी आदेश।

३८. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

२४ दिसम्बर, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारी ओरसे पत्र आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उम्मीद है, सब सकुशल होगे।

अब तो तुम्हें नया एजेंट[1] मिलेगा। अच्छा निकले तब बात है।

तेरा दिवाली अंक क्या अधिक बिका?

रामदासका हाल ठीक चल रहा है। क्या मैं यह समझ लूं कि तुम परमिट नहीं भेज सकते?

मैं ज्यादासे-ज्यादा एक महीनेके लिए दिल्ली जाऊँगा। २८ तारीखको यहाँ से रवाना होऊँगा। बा साथ होगी।

मेरी जेल-यात्राकी तैयारियाँ चल रही हैं। लेकिन अभी देर है। फरवरीसे पहले नहीं होगी।

क्या तुम श्री री जोन्ससे मिले हो? वे बहुत भले व्यक्ति हैं। यहाँ थोड़े दिन रहकर गये हैं।

लक्ष्मी राजाजीके साथ मद्रास गई है। देवदासकी गाड़ी ठीक चल रही है।

किशोरलाल और गोमती दो-तीन दिन बिस्तरपर रहे। अब ठीक हैं। चिन्ताकी कोई बात नहीं।

मेरी तबीयत अच्छी रहती है। अभी तीन महीनोंसे कच्चा दूध, कच्ची सब्जियाँ और फल ले रहा हूँ। गर्म पेयमें मात्र गर्म पानी और शहद अथवा गन्नेका गरम किया हुआ रस होता है। इससे तनिक भी नुकसान नहीं हुआ।

वहाँके खेतमें फिलहाल क्या उगाते हो? आबादी कितनी है? क्या सारे मकान काममें आते हैं?

सैम क्या करता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८२९) से।

१. सैयद रजा अली।

३९. पत्र : साहबजी महाराजको

२५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय साहबजी महाराज,

आपका तत्परतापूर्वक भेजा गया सुविस्तृत पत्र और स्टेनलेस स्टीलकी निबे मुझे कल मिली। इन्हे देखकर मुझे हर्ष और गर्व दोनो होता है। मै इनको आजमाऊँगा। लेकिन फिलहाल मेरी आत्मा गाँवोमे बसी हुई है। जिस कागजपर मै लिख रहा हूँ, वह गाँवमे बना हुआ है और किलिककी जिस कलमसे मै लिख रहा हूँ, वह भी गाँवमे उगाई गई है। बहुत-से नियमोकी तरह ही आर्थिक नियम भी दो प्रकारके दिखते है — अच्छे और बुरे। अच्छे नियम सभीके लिए अच्छे होने चाहिए। इस समय तो गायोकी तरह मनुष्य भी भूमिपर भार-जैसे प्रतीत होते है। चन्द शहरी लोग जीवित रह सके, क्या इसीलिए अधिकाश लोगोको मरनेकी जरूरत है? मेरा तुच्छ प्रयास यह दिखानेका है कि गाँववालोको मरनेकी जरूरत नही है, और अगर वे अपना आलस्य त्याग दे और जीवित रहनेके लिए सामूहिक रूपसे प्रयत्न करें तो उनके अन्दर जीवित रहनेकी अन्तर्निहित क्षमता है। शहरी लोगोमे ऐसी कोई अन्तर्निहित क्षमता नही है। इसीलिए उन्हे चगेजखाँकी तरह नरमेध यज्ञ करनेकी जरूरत पड़ती है।

मै आपसे तर्क करने लगा, इसके लिए क्षमा करे। मै यह तर्क इसलिए करता हूँ क्योकि चहुँमुखी हर्षोल्लासकी स्थिति पैदा करनेका हमारा जो समान उद्देश्य है, उसके लिए मेरे तरीकेमे यदि कोई त्रुटि हो तो मै उसे जानना चाहता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६०) से।

४०. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

२५ दिसम्बर, १९३४

प्रिय आनन्द,

अभी-अभी पिताजी मुझसे मिले हैं। उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके लिए काम करनेका निश्चय किया है। वे पूरे आशावान हैं। वे मौजूदा घरपर एक और मंजिल बनाना चाहते हैं, ताकि उसमें तुम स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सको। वे तुम्हारी सहायता भी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। आशा है, तुम अपना खयाल रखोगे और पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। विद्याको पत्र लिखना चाहिए। अभी और नहीं।

बापू

श्री आनन्द हिंगोरानी
मार्फत ए० एस० भागचन्द केवलरामानी
कॉस्मोपोलिटन विशिन कॉटेज कॉलोनी,
सरोजिनी नायडू रोड
सक्कर (सिंध)

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

४१. पत्र : जमनालाल बजाजको

२६ दिसम्बर, १९३४

चि० जमनालाल,

तुम अभी दो कमरे बनवानेका आग्रह मत करो। मैंने सोच-समझकर 'ना' कहा है। सब-कुछ तो ट्रस्ट ही है न? कौड़ी-कौड़ी बचानेसे ही बरकत होती है। फिर भले ही वह निजी पेढ़ी हो अथवा दरिद्रनारायणकी। और फिर, दरिद्रनारायणकी पेढ़ीमें तो अधिक सावधानीकी जरूरत है। मगनलाल-स्मारकके विषयमें मैं मसविदा तैयार नहीं कर सका। तैयार करनेका भरसक प्रयत्न करूँगा।

यदि अभयंकर बच जाये तो बहुत अच्छा हो। उससे मिलो तो कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ।

खान साहब मेरे साथ दिल्ली आ रहे हैं। मेहर तो होगी ही। मेहरका भी ठीक चल रहा है। आजकल यहाँ आनन्दके पिता और वैकुण्ठ मेहता हैं। आनन्दके पिता सारी दुनिया घूम आये हैं। वे उद्योग संघमे खूब रुचि लेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९४९) से।

४२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२६ दिसम्बर, १९३४

भाईश्री वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

मैंने गंगाधररावको पत्र लिखा है। जमनालालने उनका पत्र मेरे पास भेजा था। मुझे उनकी बात समझमे नही आई। इसलिए मैंने उन्हे दिल्ली आनेको लिखा है। इस तरह रुपया कबतक दिया जाये? और किसके आगे हाथ फैलाया जाये?

कराची और लाहौरकी हत्याओके बारेमे ब्रेल्वीका लेख पढा होगा। देखता हूँ कि अब दिल्लीमे क्या हो सकता है।

एण्ड्रयूज का पत्र आया है। उनको तो अच्छा लगा है। आज आना चाहिए। मै यह नही मानता कि उनके अच्छा लगनेमे कोई अर्थ है।

डॉ० खान साहबके नाम पंजाब सरकारका भी हुक्म था। दिल्ली तो उन्हें जाना ही है। इसलिए उन्होने पूछा कि रास्तेमे पजाबकी हद आती है, उसका क्या होगा? अत तार दिया कि हुक्ममे स्टेशनोसे गुजरना आता है या नही? जवाब आया है कि यह हुक्म ही २८ तारीखको रद्द हो जायेगा। सरहदका हुक्म तो अपने-आप ही २९ तारीखसे रद्द हो जायेगा। इसलिए यदि उसे फिरसे जारी न करे तो खान साहब सरहदमे भी जा सकेगे। मेहर तो मेरे साथ आ ही रही है। साथ तो मेरा ही है।

ग्रामोद्योग संघके सिलसिलेमे वैकुण्ठ मेहता यहाँ आये हैं। अभी दो दिन ठहरेगे।

नाकके बारेमे समझा। जब डॉक्टर ही मना करते है, तब फिर क्या कहा जाये?

रचनात्मक कार्यके बारेमे खूब दृढ रहना। लोग आलस्य नही छोड़ेगे और करने योग्य काम नही करेगे, तो न लडाई ही होगी और न स्वराज्य ही मिलेगा। हममे सहयोग तो होना ही चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५०-५१।

४३. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

२७ दिसम्बर, १९३४

भाई हरिभाऊ,

तुमारा खत मिला है। अखबारोंमें तो देखा कि फिर कुछ झगड़ा पैदा हो गया है। हि० वि०[1] की योजना मिलनेपर देख लूंगा।

पत्र-व्यवहारसे शिक्षा देनेकी प्रथा महिला-आश्रममें दाखल की है। इसमें जो शिक्षक नियुक्त करनेके हैं, उसमें तुमारा नाम दाखल करनेकी इच्छा है। करूं?

बापुके आशीर्वाद

श्री हरिभाऊ उपाध्याय
कांग्रेस आफिस
अजमेर, राजपुताना

हरिभाऊ उपाध्याय कागजातसे; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४४. गाँववालोंके हाथ

बिना पालिश किये चावल, गेहूँके आटे और गुड़के बारेमें जो युक्तियुक्तपूर्ण रायें प्राप्त हुई हैं उनमें डॉ० अन्सारीकी राय सबसे ताजा है। मैं उसे नीचे पाठकोंके सामने भी रख रहा हूँ। इसी प्रकारके सुनिश्चित उत्तर अन्य प्रतिष्ठित डॉक्टरोंसे भी प्राप्त हुए हैं। श्रीयुत कुमारप्पा इनका सार-संग्रह तैयार कर रहे हैं और यथा-समय इन पृष्ठोंमें उसे प्रकाशित किया जायेगा। इस बीच कार्यकर्त्ताओं और अन्य लोगोंको निम्नलिखित बातोंपर विचार करना चाहिए:[2]

> . . . चावलको पालिश करनेकी प्रक्रियामें डालनेपर से सभी बाहरी छिलके उतर जाते हैं, जिनमें भूसी और साथ-ही-साथ रंजित छिलका भी शामिल है। रंजित छिलकेमें विटामिन बी, चर्बी और प्रोटीन होते हैं जो स्वास्थ्य और विकासके लिए आवश्यक हैं। यह सिद्ध किया जा चुका है कि पालिश किये हुए चावलमें विटामिन बी का अभाव बेरी-बेरी नामक रोगका कारण होता है। इसके विपरीत, बिना पालिश किये चावलमें विटामिन बी, प्रोटीन, चर्बी और खनिज तत्व बने रहते हैं, क्योंकि पालिश करनेके लिए

१. हिन्दी विद्यापीठ।

२. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

चावलको मिलोंमें उबाले जानेकी जिस प्रक्रियासे गुजरना पड़ता है, उससे बिना पालिश किये चावलको नहीं गुजरना पड़ता। . . .

. . . गेहूँके दानेमें चोकर या बाहरी आवरण होता है जिसमें मुख्यतः सेलूलोज होता है; इसके अलावा उसमें गिरी होती है और बीज होता है। गिरीमें स्टार्च होता है और बीजमें स्टार्च, प्रोटीन और कुछ चर्बी होती है। . . .

मिलोंमें आटेकी पिसाईकी प्रक्रियामें चोकर और बीज निकल जाते हैं, और इसके साथ ही गेहूँके कुछ अत्यन्त उपयोगी तत्त्व भी निकल जाते हैं, क्योंकि बीजके साथ ही प्रोटीन और चर्बीका बहुत बड़ा भाग निकल जाता है, और चोकरके साथ खनिज तत्त्व और कुछ प्रोटीन निकल जाता है। . . .

दानेदार चीनी बनानेकी प्रक्रियामें कुछ उपोत्पादन तैयार होते हैं जैसे गुड़, खाँड या सीरा। . . . गन्नेकी चीनीकी कोई मात्रा अकेली ली जाये तो उसे शरीर जितनी तेजीसे आत्मसात् करेगा, उसकी अपेक्षा उतनी ही मात्रामें गुड़, जिसमें गन्नेकी चीनी और फलकी चीनी क्रमशः २ और १ के अनुपातमें मिली होती है, लेनेपर उसे शरीर कहीं अधिक तेजीसे आत्मसात् कर लेगा। इसलिए गुड़की पौष्टिकता साफ की हुई चीनीसे कमसे-कम ३३ प्रतिशत अधिक होती है।

इस रायकी सत्यताको शुद्ध गुड, चक्कीका पिसा आटा और बिना पालिशका हाथ-कुटा चावल लेकर कोई भी व्यक्ति परख सकता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २८-१२-१९३४

४५. पत्र : जानम्मालको

वर्धा
२८ दिसम्बर, १९३४

प्रिय जानम्माल,

तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। अंग्रेजीमे लिखनेमे हुई अशुद्धियोके लिए खेद प्रकट करनेकी कोई आवश्यकता नही है। विदेशी भाषामे लिखनेमे हम निपुण हो ही नही सकते। हम अपनी मातृभाषामे ही निपुण बननेकी कोशिश करे।

यह अच्छा है कि तुम घी के बदले मक्खन ले रही हो।

अब तुम मुझे दिल्ली, बिड़ला मिल्सके पतेपर लिखना।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी नकलसे : अम्बुजम्माल कागजात, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४६. पत्र : अम्बुजम्मालको

वर्धा
२८ दिसम्बर, १९३४

चि० अम्बुजम,

तुमारा खत मिला। मुझे बता दो क्या चाहती है। मैं इंग्रेजीमे लिखु या हिंदीमें? तुमारे भी दिल चाहे उसी भाषामे लिखना।

जब पुनीया चाहिये तब तुमारे यहासे मगवाना। लेकिन कोशीश वहाँ धुननेकी करना।

खुराकसे वायु रहे तो दूधके बदले दही लेना। फुलकेके बदले थोड़े चावल लेना। कच्ची भाजी और फल नही छोडना।

आश्रम खोलनेका हो जायगा तब मैं देवकी लीलावतीका देख लुगा।

आज हम सब दिल्ली जाते हैं।

टीकट व कागद बचानेके लिये इसके पीछे, जानमालको[1] लिखता हूँ।

बापुके आशीर्वाद

अम्बुजम्माल कागजातसे, सौजन्य : नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४७. पत्र : हीरालाल शर्माको

बिड़ला मिल्स, दिल्ली
२९ दिसम्बर, १९३४

चि० शर्मा,

तुमारा उपवास आज पूरा होना चाहीये। मुझे शीघ्र सब बयान दे दो। मैं यहाँ आज फजरमें आ गया।

रामदास देवलाली स्वामीके साथ गया, वहाँ से मुबई जायगा।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १४० के सामनेकी प्रतिकृति से।

१. जानम्माल।

४८. सन्देश

२९ दिसम्बर, १९३४

हकीम साहबकी रगरगमे हिंदु-मस्लीम इतेहादकी बाते भरी थी। आज जब हम उनको याद करते है तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम सब अपने दिलोको साफ करे। और हमसे बन सके इतनी कोशीश इतेहाद बढानेकी करें।

मो० क० गांधी

दिल्लीका राजनैतिक इतिहास, भाग–२, पृ० २१३ की प्रतिकृतिसे।

४९. भेंट: एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

२९ दिसम्बर, १९३४

महात्मा गांधीने कहा कि मैं २८ जनवरी, १९३५को दिल्ली छोड़नेकी आशा करता हूँ, क्योंकि मुझे २९ तारीखको निश्चित रूपसे वर्धामें होना है। मेरा कार्य मुख्य रूपसे इस क्षेत्रमें हरिजन-उत्थानसे, और साथ ही आस-पासके क्षेत्रोंमें ग्रामोद्योगोंको बढ़ावा देनेसे सम्बन्धित है।

उन्होंने कहा, मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी २१ जनवरीसे आरम्भ होनेवाली दिल्ली-यात्राका नई विधान-सभाके कार्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल संयोगकी बात है कि जिस समय मैं यहाँ हरिजन और गाँवोंके उत्थान-सम्बन्धी कार्यके सिलसिलेमें आया हुआ हूँ, उसी समय कांग्रेसजनोंका विधान-सभा-सम्बन्धी काम भी शुरू हो रहा है।

वाइसरायने गांधीजीको सीमा-प्रान्त न जानेकी जो सलाह दी थी, उसको देखते गांधीजीकी वहाँकी प्रस्तावित यात्राके बारेमें प्रश्न किये जानेपर उन्होने कहा:

यह मेरे वशके बाहर है और मुझे इस समय कुछ नही कहना है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ३०-१२-१९३४

५०. बातचीत : हरिजन-निवास, किंग्जवे कैम्प, दिल्लीमें[1]

[२९ दिसम्बर, १९३४][2]

[गांधीजी :] यही वह कुटिया है जिसके बारेमें मुझे बताया गया था कि मेरे लिए जल्दी-जल्दी तैयार की जा रही है? यह १६ फुटकी ऊँचाई, ये खम्भे और यह ऊँचा चबूतरा क्यों? मेरे दिमागमें तो एक सादी-सी फूसके छप्परवाली कच्ची झोपड़ी थी और मैंने यहाँ वही देखनेकी आशा की थी। उसपर ५०० रुपयेसे ज्यादा नही लगते, जबकि इसपर २,५०० रुपये लगे हैं।

[मलकानी :] इसे जल्दी में तैयार कराना पड़ा है। हमारे पास दो कमरे से ज्यादा नहीं थे। हमने सोचा कि हमें एक छोटा-सा छज्जा बना देना चाहिए जहाँ एक छोटा शामियाना लगाया जा सके और जहाँ आपको पर्याप्त धूप और एकान्त मिल सके। लकड़ीकी धन्नियाँ और कड़ियाँ लगानेमें समय बहुत लगता, इसलिए हमने लोहेकी लगवा दीं।

[गां० :] कोई बहाना नही चलेगा। अगर तुम जानते थे कि इस चीजपर इतना धन लगेगा तो तुमने इसका विचार एकदम त्याग क्यो नही दिया? मुझे तम्बूमे भी पूरा आराम रहता। दु.खकी बात तो यह है कि तुम भूल गये कि तुम हरिजनो और गाँववालोके प्रतिनिधि हो। तुमने श्रीयुत घनश्यामदासके प्रतिनिधिके समान कार्य किया। अगर तुमने ठीक गाँवकी असली झोपड़ी बनानेके लिए गाँववालोको काम पर लगाया होता तो तुम्हे देखनेको मिलता कि हमारे गाँववाले अभी भी कैसा काम कर सकते हैं और वह हमारी स्थितिके अनुकूल भी होती। और यह घुमावदार सीढ़ी क्यो? तुम आसानीसे लकड़ीकी एक सीढी प्राप्त कर सकते थे।

[म० :] नहीं बापू, इसे हमने किसीसे माँगा है, और जरूरत खत्म होते ही इसे वापस कर दिया जायेगा।

. . . हमारी मुसीबतको जैसे और बढ़ानेके लिए शामको एक नया खरीदा गया उगालदान आया और उसे एक असावधान मित्रने गांधीजीकी मेजपर रख दिया। यह जैसे अन्तिम विस्फोटका संकेत था।

[गां० :] इसे किसने मँगवाया और इसे क्यों खरीदा गया?

[व्रजकृष्ण :] मैंने एक मँगाया था। मेरा खयाल था कि इसे मँगनी ले लिया जायेगा।

१. यह महादेव देसाईके 'झोपड़ी नही, महल' शीर्षक लेखसे उद्धृत है।

२. इस तारीखको गांधीजी हरिजन-निवास पहुँचे थे।

[गां० :] लेकिन क्या तुम यह भी नही जानते थे कि अगर मँगनीमे यह फौरन नही मिल सका तो शहरके हमारे मित्र निश्चित रूपसे एक खरीद लेगे?

[ब्र० :] मै जानता था, लेकिन मैने यह नहीं सोचा था कि डेढ़ रुपयेकी चीज खरीदी जायेगी। मैने तो चार-पाँच आने वाला उगालदान खरीदा होता।

[गां० :] और तुम चार आनेकी परवाह नही करते! खैर, इसे फौरन वापस कर दो। मै मिट्टीके कुल्हड़से सन्तुष्ट हो जाऊँगा, उसकी कीमत भी लगभग कुछ नही होगी। मेरा खयाल था कि तुम इन चीजोको सहज ही समझ जाओगे। खैर, अब मै तुम्हे बताये देता हूँ कि अगर मेरी अनुमतिके बिना कोई चीज खरीदी गई, तो मै तुम्हारे साथ असहयोग करनेपर मजबूर हो सकता हूँ।

. . सोनेका समय हो रहा था। बिस्तर लाये जा रहे थे। गांधीजी ने फौरन कहा :

खाटोकी कोई जरूरत नही है। चटाईके ऊपर दरी काफी है। ऐसा नही कि स्वास्थ्यको देखते आवश्यक हो तो मै चारपाई इस्तेमाल नही करूँगा! लेकिन जब तक संभव है, मै उसके बगैर काम चलाना पसंद करूँगा।

लेकिन बापू, गाँवोंमें गरीबसे-गरीब आदमीके पास अपनी चारपाई है।

[गां० :] मै जानता हूँ, जानता हूँ। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि इस सुविधाजनक मामलेमे हम उनकी नकल करे, जबकि अन्य चीजोमे हम उनकी नकल नही कर सकते? अगर हम उनकी तरह नही रह सकते, यदि हमे उनसे ज्यादा अच्छा भोजन और अच्छा कपडा चाहिए, तो कमसे-कम हम चारपाइयोके बिना काम चलाकर कुछ थोडी-सी सात्वना तो प्राप्त करे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ११-१-१९३५

५१. भाषण : हरिजन औद्योगिक प्रदर्शनी, दिल्लीमें

३० दिसम्बर, १९३४

एसी करोडो स्त्रियाँ जिन्हे कातना और खादी बुनना आता है, आज भूखो मर रही है। उन्हे सूखी रोटी मिल सके, इसके लिए हमे खादी पहननी चाहिए। हम करोडो हरिजनोको अस्पृश्य माननेमे धर्म समझते है। हम चमार, ढेढ आदिका बहिष्कार कर उन्हे अपनी सस्कृतिसे-विमुख रखते है। मनुष्य-जीवनके पोषणके लिए यदि ईमानदारीसे कोशिश की जाये तो किसी भी धन्धे अथवा उद्योगको निन्दनीय नही कहा जा सकता। यदि हम हरिजनोका प्रेम प्राप्त नही करते तो गायोका सरक्षण असम्भव हो जायेगा। हमारे देशसे करोड़ो रुपयेके चमड़ेका निर्यात होता

है। अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक चमड़ेका निर्यात करके हमारा देश मूर्खताका काम करता है। इस तरह चमड़ेका निर्यात कर हम हरिजनोंकी रोटी छीन लेते हैं।

किसी भी मनुष्यको नीच अथवा छोटा समझना महापाप है, अपराध है।

[गुजरातीसे]

गुजराती, ६-१-१९३५

५२. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको

बिड़ला मिल्स, दिल्ली
३१ दिसम्बर, १९३४

चि० प्रेमा,

इस समय छ बजनेको हैं। परन्तु अन्धकार घना बना है। हाथ ठिठुर गये हैं। यहाँ लगभग वीरान है। हरिजन-आश्रम बसाना है। दो कमरे खास तौरपर बनाये गये हैं, और तीन-चार तम्बू हैं।

तेरा पत्र मिल गया। तेरे जी में जो आये, पूछती रहना। अपनी फुरसतसे जब जितने प्रश्नोंके उत्तर दे सकूँगा, देता रहूँगा।

किसन कैसी है? तेरे पास कुछ समय रहने आनेवाली थी, उसका क्या हुआ?

तेरा काम आगे चलता ही रहेगा और रुपयेकी मदद मिलती ही रहेगी।

रामनाम रामबाण है, यह अटल विश्वास तू रखती है, अत: इस सत्यका तू अनुभव करेगी। सर्वत्र अन्धकार दिखाई देता हो तो भी रामनामका रटन करती ही रहना। इससे भला ही होगा।

किसानोंकी जमीनके टुकड़ोंका प्रश्न बहुत बड़ा है। हमारे हाथमें सत्ता हो तो भी वह कठिन ही रहेगा। अभी तो हमारा प्रयोग यही देखनेका है कि सत्ताके बिना क्या करना सम्भव है। छोटे टुकड़ेपर भी बुद्धिपूर्वक खेती हो तो वह लाभप्रद हो सकता है। यह सब प्रयोग करके ही बताया जा सकता है। इस क्षेत्रमें हमारा अपना ज्ञान भी छिछला है, इसलिए हम पंगु-जैसे हैं। इसीलिए हम खेतीके प्रश्नको सीधे नहीं छूते। अभी तो हमें आसानीसे सूझनेवाले और आसानीसे चलाये जा सकनेवाले उद्योगोंको ही हाथमें लेना है, ताकि किसानोंका आलस्य छूटे और उद्योगके साथ बुद्धिका मेल साधा जा सके। दूसरी सब बातें फिर अपने-आप हो जायेंगी।

आजकलकी अपेक्षा पहले लोगोंकी स्थिति अच्छी तो थी ही। यह बात सिद्ध की जा सकती है। पहले बाहरसे धन बहा चला आता था; जमीनके इतने टुकड़े नहीं थे; इतना धन कभी बाहर नहीं जाता था; कुदरत अपना काम कुदरती ढंगसे करती रहती थी। अब हमने पूरे ज्ञानके बिना प्रकृतिके काममें हाथ डाला है, और वह भी निरंकुश ढंगसे, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है।

रामराज्य अवश्य काल्पनिक है। परन्तु वैसा कुछ-न-कुछ पहले था तो सही, यह भी हम सिद्ध कर सकते हैं। वैसे असत्य और दारिद्रयका पूरा-पूरा लोप बिलकुल तो न पहले किसी समय हुआ और न भविष्यमे कभी होना सम्भव है।

पहाड़ोकी गुफाओमे भाग जानेकी प्रथामे दुनियासे ऊब उठनेकी बात तो भरी ही है। इसका कुछ तो उपयोग जरूर रहा होगा। परन्तु आज बिलकुल नही है। सेवा करते-करते मरना गुफामे रहनेके बराबर ही है।

जैसा अपने बारेमे वैसा ही दूसरोके बारेमे। अपने बारेमे अनासक्त रहनेपर भी सरदी-गरमीका भान तो रहेगा ही। ठण्डमे गरमी और गरमीमे ठण्ड तो हम ढूंढेंगे ही, परन्तु खोज सफल न हो तो रोने नही बैठेंगे — यही अनासक्ति है। यही बात सरदीसे काँपनेवालोके लिए भी है। उनके लिए प्रयत्न तो हम जरूर करेंगे। उन्हे काँपते देखकर हमारे पास जो कपडे होगे, वे अथवा उनमे से कुछ हम अवश्य उन्हे दे देंगे। इतनेपर भी अगर वे काँपेगे तो हम उसे सहन करेगे। उससे अधीर होकर मारधाड नही करेगे, असत्याचरण नही करेगे – यही अनासक्ति है।

खादी पेटका धन्धा है भी और नही भी है। मैंने उसे अन्नपूर्णा कहा है।

हिंसाको छोडकर रूससे बहुत-कुछ लेने लायक है, ऐसा मै मानता हूँ। परन्तु सम्भव है कि जो इस समय केवल बलपूर्वक करानेसे सम्भव होता जान पडता है, वह स्वेच्छासे स्वीकार्य न हो सके। परन्तु हम सब पढी हुई बातोसे अनुमान लगाते हैं, यह ठीक नही। हमे स्वतन्त्र रूपसे विचार करना चाहिए। हमारे लिए क्या हितकर है, यह हमीको सूझ सकता है।

विषमताका सर्वथा नाश होना असम्भव है। परन्तु अधिकसे-अधिक समतातक पहुँचनेका एक ही मार्ग है, जो मैंने बताया है। मैंने जो बताया है वह नया नही है। पुराना ही (कदाचित् नये रूपमे) मै बता रहा हूँ।

किसानोके लिए यह बडा आश्वासन है कि फुरसतके समयमे सहायक उद्योग में लग कर वे अपनी आयमे अच्छी वृद्धि कर सकते हैं।

किसानोके आर्थिक हितोकी ठीक व्यवस्था द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। हमे चाहिए कि हम उन्हे समझाये कि व्यवस्थित ढंग अपनाये विना वे अपनी आर्थिक उन्नति नही कर सकेगे।

कर्मका नियम समझना आसान है। जो कानून हम यन्त्रशास्त्रमे देखते हैं, वही इसमे है। कई शक्तियाँ एकसाथ काम करती हैं और उनका एक ही दृश्य परिणाम हम देख सकते है। यही बात कर्मोके विषयमे भी है।

तू बिलकुल छोटे गाँवमे जाना चाहे तो जा सकती है। परन्तु जिस गाँवमे है, उसीसे तू चिपटी रहेगी तो भी काफी है। एक जगह पूरी सफलता मिले तो वह सफलता एक मापदण्ड बन जायेगी। आज हमारे पास ऐसा मापदण्ड नही है।

यहाँ २० तारीखतक रहूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६५) से। सी० डब्ल्यू० ६८०४ से भी; सौजन्य प्रेमाबहन कंटक।

५३. पत्र : विद्या आर० पटेलको

३१ दिसम्बर, १९३४

चि० विद्या,

तेरा पत्र मिला। तू आश्रममें किसीको पत्र लिखती नहीं जान पड़ती। वहाँ तूने पठन-पाठन जारी रखा है अथवा नहीं? यदि आलस्य करेगी तो जब घर बनायेगी तब चला नहीं सकेगी। इसलिए एक मिनटके लिए भी खाली न बैठना। कुछ समय अच्छा स्वाध्याय करना और कुछ समय अच्छे उद्योगमें लगाना।

मुझे नियमपूर्वक लिखा करे तो अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५८९) से।

५४. पत्र : रामेश्वरप्रसाद नेवटियाको

३१ दिसम्बर, १९३४

चि० रामेश्वर,

तुमारा खत मिला था। विस्तारपूर्वक लिखा सो अच्छा किया। ऐसे ही मुझे लिखा करो। यथासभव सादगीका पाठ भाई गनीको दिया करो। अगर वह यहां चाहता है तो आने दो। उसके टानसिल दा अनसारी को बता देंगे। स्वामीके मार्फत मैंने एक खत शक्करकी मिलके मजदूरोंके बारेमें भेजा है। उसका उत्तर भेज दो।

तारीख २० तक मैं दिल्लीमें हूंगा। बिरला मिलसे ठिकाना करो। मैं तो नयी जमीन हरिजनोंके लिये ली गई है उसपर रहता हूँ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०४१) से।

५५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

३१ दिसम्बर, १९३४

चि० अंबुजम,

तुमारा खत मिला है। काकासाहेबसे मिला करो। आश्रम खुलेगा तब दोनो देवकी आ सकेगी, ऐसा कृष्णनायर कहते हैं। लीलावतीके बारेमे तो कोई बात ही नही। जब बिलकुल तैयारी हो जाय तब बताओ।

बारडोलीसे सामान मिल गया होगा।

दिल्लीमे कमसे-कम २० तारीख तक रहना होगा। मुझे लिखा करो। साथमे बा, मीराबहन, मेरी बहन और खुरशेदबहन हैं। लीलावती दिल्लीमे ही है। ठंडी अच्छी पडती है। रामदास मुंबई गया है। प्रभावती वर्धामे है। महेरताज यहा है। डा० अनसारीके यहा रहती है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

दूधके बदलेमे दही ले सकती है। घेउके बदलेमे चावल, दूधका वजन वही रखा जाय।

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९५९९)से, सौजन्य. एस० अम्बुजम्माल।

५६. भेंट : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधिको

दिल्ली
१ जनवरी, १९३५

यह सच है कि जनरल स्मट्सके साथ मेरे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं।[1] दूसरे गोलमेज सम्मेलनके अवसरपर हम दोनो लन्दनमे मिले भी थे और हमने भारतके लक्ष्यके बारेमे चर्चा की थी। यह भी सच है कि सयुक्त ससदीय समितिकी रिपोर्टसे अलग श्वेत-पत्रमे जिन प्रस्तावोकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उन प्रस्तावोको उन्होंने स्वीकार करनेकी सलाह दी थी। जनरल स्मट्सने यह सलाह कुछ शर्तोके साथ दी

१. गांधीजीसे इस समाचारके बारेमें टिप्पणी करनेको कहा गया था कि जनरल स्मट्सने "गांधीजी को सलाह दी थी कि टोरी पार्टीके अन्दर जो एक कट्टरपंथी विद्रोही गुट है, वह संवैधानिक सुधारोंकी सम्पूर्ण योजनाको भंग और नष्ट करना चाहता है; इसे देखते आपको सरकारके साथ सहयोग करना चाहिए।"

थी। मैं यह बता दूँ कि जनरल स्मट्सको मैंने कोई उत्तर नहीं भेजा था। उनका तो एक अनौपचारिक निजी पत्र था जिसका उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं थी।

मैं जनताको सलाह दूँगा कि वह एक बिलकुल निजी मामलेको कोई महत्व न दे। इस मामलेका कोई सार्वजनिक महत्व नहीं है, विशेष रूपसे तब जबकि श्वेत-पत्रके प्रस्तावोंके बारेमें मेरी राय अपरिवर्तित है।[1]

कुछ समाचारपत्रोंमें हालमें इस आशयकी रिपोर्टें छपी थीं कि श्री एण्ड्रयूजकी हालकी यात्राका सम्बन्ध संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टसे था। जब इस रिपोर्टकी ओर गांधीजीका ध्यान आकृष्ट किया गया तो उन्होंने जोरदार शब्दोंमें कहा कि उनकी यात्राका रिपोर्टसे कोई सम्बन्ध नहीं और न श्री एण्ड्रयूज जनरल स्मट्सका कोई पत्र ही लाये थे।

उनकी यात्रा मुख्यत इसी माह होनेवाले उनके रेडियो-भाषणसे सम्बन्धित थी। जहाँतक सयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टका सम्बन्ध है, हमने यो ही अत्यन्त सक्षेपमे चन्द मिनट उसके बारेमे बात की थी। इस बातचीतसे मैंने जाना कि श्री सी० एफ० एण्ड्रयूज मेरी इस रायसे काफी सहमत थे कि रिपोर्टमे जो प्रस्ताव किये गये है, वे सर्वथा अस्वीकार्य है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, २-१-१९३५

५७. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

दिल्ली
२ जनवरी, १९३५

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिले। रामदास और नीमूके विषयके तार भी मिले। मैं ऐसा ही कुछ चाहता था, लेकिन तार देनेके लिए मैंने नहीं कहा था। कह नहीं सकते रामदास वहाँ [दक्षिण आफ्रिका] जायेगा या नहीं, फिलहाल तो बम्बईमें किसी कामधन्धेकी तलाश कर रहा है। कुछ भी हो, मणिलालने आगे-पीछे ही सही अपना फर्ज उतार दिया।

हरिलाल फिलहाल तो राजकोटमें स्थिर हो गया है। लगता है, कायाकल्प हो गया।

सीताके बारेमें सुशीलाके उद्गार पढ़े। मैंने तुम चार भाइयोंको जैसे पढाया, सीताको वैसे ही पढाया जाये तो काफी है। मुझे उसका पछतावा नहीं है, भले ही स्कूली शिक्षा नहीं दी गई, किन्तु उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हरिलाल जिद

१. देखिए "पत्र : अगाथा हैरिसनको" पृ० १३-१४।

करके पाठशालामे भरती हो गया और उसने हानि उठायी। माँ-बापकी गोदमे बच्चोको जो-कुछ मिलता है, उन्हे वह और कही नही मिल सकता। सीताको यहाँ भेजना जरूरी नही है। अन्य कर्त्तव्योकी तरह, सीताके प्रति भी तुम्हारा एक कर्त्तव्य है। यदि तुम इस कर्त्तव्यको समझ जाओ तो शुद्ध ब्रह्मचर्यका पाठ पढ लोगे। सीता, तुम जो-कुछ करते हो, वही सीखकर ठीक तैयार हो जायेगी। वह तुम्हारी भाषा सीख लेगी, फिर वह भाषा सभ्य है या असभ्य। यदि तुम ठीक व्याकरण जानते हो तो वह उसे सीख लेगी। यदि तुम ठीक हिसाब रख लेते हो, तो उसे गणित आ जायेगा। उसे झाड़ना, बुहारना, रसोई करना, पानी भरना, पौधोकी देखरेख और छापाखानेका काम आ जायेगा। इस तरह स्वय सीखकर और दूसरोको सीखनेमे मदद पहुँचाकर, तुम स्वय ऊँचे-ऊँचे उठते जाओगे। जब वह बड़ी हो जायेगी और तुम उसे अधिक सीखनेके लिए कही भेजना चाहोगे, तब वह सम्भव हो सकेगा। वर्णाश्रमका यही अर्थ है। इसमे अर्थशास्त्र भी है और यह सच्ची विद्या भी है। पाठशालाओका मोह छोड देना चाहिए। पाठशालाओंमे बुद्धि-विलासकी सुविधा मिल सकती है वहाँ चरित्र-गठन नही होता, यह मेरा निश्चित मत है। मै ऐसे बहुत-से लोगोको जानता हूँ जो वहाँ जाकर चरित्र खो बैठे। मै ऐसे बहुत कम लोगोको जानता हूँ, जिनका चरित्र पाठशालाओके कारण उज्ज्वल हुआ हो। मै तो यही मानता हूँ कि अपने बच्चोको पाठशालामे भेजनेवाले माता-पिता अपने धर्मका पालन नही करते। बच्चे जब बड़े हो जाते है, अर्थात् सोलह वर्षके तो वे अवश्य ही अपने मनोनुकूल शिक्षण प्राप्त कर सकते है। इसका यह अर्थ हुआ कि सोलह वर्षकी उम्रतक सीताको अपनी व्यक्तिगत देख-रेखमे रखो, जिससे उसका विकास हो और वह अपाहिज न बनने पाये। इसके लिए उसे तुम्हारे सब कामोमे हाथ बँटाना चाहिए और यदि वह समझदारीके साथ हाथ बँटाये तो समझ लो कि तुमने अपने धर्मका पालन कर लिया।

यह सब लिखनेका तात्पर्य इतना ही है कि तुम सीताके लिए वहाँ किसी भी पाठशालाके मोहमे न पड़ो। दोनो मिलकर उसे जितनी गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी सिखा सकते हो सिखाओ। तुम जो काम करते हो, सो भी सिखाओ। उसके साथ बातचीत करते हुए बहुत-सी बाते बताई जा सकती है। इस तरह वह बड़ी तेजीसे प्रगति करेगी। उसका वही रहना ठीक है। उसे प्रार्थना, भजन इत्यादि भी सिखाना चाहिए। उसे रामायण आदि आना चाहिए। गीता इत्यादि क्या है, यह उसे मालूम रहना चाहिए। तुम और सुशीला, दोनो सीताके विचारसे ही कुछ पुस्तके पढ़ लो। तुममें से किसीको भी फिलहाल देशकी बात नही सोचनी चाहिए। जब आना हो सभी साथ आना। इस सबपर विचार करनेके बाद 'यथेच्छसि तथा कुरु'[1]।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३१) से।

१. भगवद्गीता, अध्याय १८, श्लोक ६३।

५८. पत्र : हीरालाल शर्माको

२ जनवरी, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। हा, मै जिमेदार तो हूं[1], लेकिन मै समजा था कि अब तुमारे पास कोई छुपानेकी चीज नही है। जो खत आते रहते ह उसको मत पढो अथवा उसका असर कुछ भी मत होने दो। अमतुल सलाम अबतक यहा नही आइ है। शायद इदौर है। कृष्णा बच गई, वह बड़ी बात है। अब कया खाते हो?

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १४० और १४१के बीचकी प्रतिकृतिसे।

५९. बातचीत : हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय मण्डलमें[2]

[२ जनवरी, १९३५][3]

कुछ लोगोंने पूछा : "इसे शपथ[4] के रूपमें क्यों रखा जाये? फिर इस शपथका स्वरूप लोकोपकारी कम, सामाजिकतापूर्ण ज्यादा लगता है। अस्पृश्यताका निवारण एक चीज है, लेकिन सब प्रकारके दर्जोंको खत्म करके सबको एक दर्जेपर रखना बिलकुल भिन्न चीज है। क्या हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपने नौकरोंको दर्जेमें अपने बराबर मानें? आप तो हमें धीरे-धीरे सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिके पथपर ले जा रहे हैं।"

[गांधीजी :] मुझे आश्चर्य है कि इस सत्यको आपने इतनी देरसे समझा। अगर आप समझते हैं कि हरिजनोंको आपसे इससे कमकी अपेक्षा है तो आप भूल कर रहे हैं। आप शायद कुछ हरिजनोंके साथ बराबरीके स्तरपर व्यवहार करनेको

१. हीरालाल शर्माके उपवासकी बात दूसरे लोगोंके सामने प्रकट होनेके लिए।

२. महादेव देसाई लिखित "आत्म-विश्लेषण सप्ताह" से उद्धृत।

३. शपथ-पत्र, जो संविधानका एक भाग था, २ जनवरीको बातचीत हुई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था।

४. इसमें कहा गया था : "मैं किसी मनुष्यको दर्जेमें अपनेसे हीन नहीं मानता, और मैं अपने विश्वासके अनुसार आचरण करनेका भरसक प्रयत्न करूँगा।"

बिलकुल तैयार हो। लेकिन जबतक आप किसी अदालतके हरिजन जजको ही नही बल्कि सभी हरिजनों — मेहतर और भंगियोको — बराबरका स्थान देनेको तैयार नही होगे, तबतक आप अस्पृश्यताकी बुराईसे छुटकारा नही पायेंगे। श्रेष्ठताका विचार ही अत्यन्त घृण्य है। संसारमे विभिन्न जातियोके बीच जो भी विग्रह चलते है, उनके पीछे इसी श्रेष्ठताकी भावनाका हाथ होता है। मुझे भय है कि श्रेष्ठताकी यह मिथ्या भावना सार्वत्रिक है, लेकिन हमारे बीच यह अपने क्रूरतम रूपमे मौजूद है, क्योकि ऐसा दावा किया जाता है कि इसे धार्मिक समर्थन प्राप्त है।

"आप ठीक कहते हैं, महात्माजी", एक सदस्यने कहा, "हमारे मण्डलमें भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मानते हैं कि ब्राह्मण लोग वैश्योसे श्रेष्ठ हैं।"

[गाधीजी :] ऐसे लोगोका हमारे मण्डलमे कोई काम नही है। अस्पृश्यता-निवारणका एक हरिजनके लिए एक अर्थ है, सवर्ण हिन्दूके लिए दूसरा अर्थ है और हरिजन-सेवकके लिए बिलकुल कुछ और ही अर्थ है।

श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने कहा : "मैं इस बातको समझती हूँ, लेकिन जब मैं जानती हूँ कि मैं अपने नौकरको दर्जेमें अपने बराबरका मानकर उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती, तब मैं शपथपर हस्ताक्षर कैसे कर सकती हूँ? मेरे मनकी शान्ति समाप्त हो जायेगी।

[गा० :] मनकी शान्ति समाप्त होनेकी जरूरत नही है। तुम उसके साथ अपने परिवारके सदस्य-जैसा व्यवहार करोगी।

[रा० ने० :] यह कहना आसान है, करना कठिन, महात्माजी। जब मैं खाट या सोफेपर सोती हूँ और वह दरवाजेपर खड़ा रहता है, तब मैं यह दावा कैसे कर सकती हूँ कि मैं उसके साथ परिवारके सदस्य-जैसा व्यवहार करती हूँ?

[गां०] तुम कर सकती हो, और उसका सीधा-सादा कारण यह है कि तुम अपने मुलायम बिस्तरपर अगर सोती हो तो इस कारण नही कि तुम उस नौकरसे श्रेष्ठ हो, बल्कि इस कारण कि यह तुम्हारे लिए एक जरूरत बन गया है। नही, नही। तुम बेकार ही डर रही हो। यह प्रश्न शारीरिकसे मानसिक समंजनका अधिक है। मै तुम्हे एक-दो उदाहरण दूंगा। जब मैं लेडी ऐस्टरके घर गया, तो वह अपने सब नौकरोको मुझसे हाथ मिलानेके लिए बुला लाई। पहले तो वे झिझके, लेकिन फिर उन्होने देखा कि झिझकनेकी कोई जरूरत नही है। जब मैं लॉयड जार्जके यहाँ कुछ घंटे मेहमानके तौरपर रुका था, तब उन्होने अपने नौकरोको मेरे हस्ताक्षरोके लिए अपनी-अपनी हस्ताक्षर-पुस्तिका मुझे देनेके लिए उसी प्रकार उत्साहित किया जिस प्रकार वे अपने बच्चोको उत्साहित करते।

[रा० ने० :] मैं जानती हूँ, महात्माजी, मैं जानती हूँ। बर्ट्रेंड रसेल भी अपने नौकरोंके साथ बराबरीका व्यवहार करते हैं।

[गा० .] तो फिर तुम्हें बर्ट्रेंड रसेलसे कम क्यो होना चाहिए? तुम्हे ऐसा पिता मिला है जो तुम्हारे रास्तेमे बाधा नही डालेगा, और ऐसा पति मिला है जो तुम्हारा पूरी तरह साथ देगा।

नहीं, नहीं। यह शपथ नितान्त आवश्यक है। यदि आप लोग यह शपथ नहीं रखेंगे तो आप [अस्पृश्यता-निवारण] आन्दोलनकी जड़ ही काट देंगे और आप सनातनियोंके रवैयेको उचित सिद्ध करेंगे। चूँकि आपको वित्त-विषयक दायित्वको निभाना है, इसलिए आपको नैतिक उत्तरदायित्वको भी निभाना होगा और मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर मैं देखूँ कि मैंने जो धन इकट्ठा किया है, वह गलत ढंगसे खर्च हो रहा है तो मैं उस दिनको कोसूँगा जब मैंने वह धन इकट्ठा किया था। उसी प्रकार यदि मैं पाऊँगा कि मैं नैतिक दायित्वको नहीं निभा रहा हूँ तो मैं अपनेको अपराधी मानूँगा। इस आन्दोलनमें शामिल होते समय आपको इसके फलितार्थ समझ लेने चाहिए थे। मैं सब प्रकारके भेदोंको खत्म करनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। स्वाभाविक भेदोंको कौन समाप्त कर सकता है? क्या एक ब्राह्मण एक कुत्ते और कुत्तेको खानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है? और फिर भी 'गीता' कहती है

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः॥[1]

अर्थात् 'जिस मनुष्यने सत्यको जान लिया है वह विद्वान और सुसंस्कृत ब्राह्मणको, गायको, हाथीको, कुत्तेको, और कुत्तेका मांस खानेवाले व्यक्तिको समदृष्टिसे देखता है।' इन सबमें भेद है, किन्तु जो व्यक्ति जीवन-विज्ञानको समझता है, वह कहेगा कि इन सबके दर्जेमें कोई अन्तर नहीं है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हाथी और चींटीके बीच, साधु और जंगली मनुष्यके बीच कोई अन्तर नहीं है। बेशक, एक जंगली मनुष्य किसी साधुके सामने हतप्रभ हो सकता है, लेकिन साधुके मनमें किसी प्रकारकी श्रेष्ठताका भाव नहीं होना चाहिए। नहीं, कानून और ईश्वरकी दृष्टिमें हम सब समान हैं। यही आदर्श है जिसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए।

लेकिन तब कोई स्वामी, कोई अनुचर नहीं होना चाहिए?

नहीं, लैटिनकी एक सुन्दर कहावत है "एक-समान लोगोंमें प्रथम" और स्वामी या राष्ट्रपति बराबरवाले लोगोंमें प्रथम होगा। मैं देख सकता हूँ कि इस चीजपर आचरण कर सकना कठिन है और इसीलिए आप लोग अपनी शपथमें कहेंगे कि आप अपने विश्वासके अनुसार आचरण करनेकी भरसक कोशिश करेंगे। हम लोग इस शपथपर तुरन्त अमल नहीं कर सकते, अथवा इसपर पूरी तरह अमल नहीं कर सकते, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि शपथ गलत है। इससे यही सिद्ध होता है कि मानव-स्वभाव नीचतापूर्ण हो सकता है। नहीं, आपको यह बात समझनी होगी कि यह चीज आन्दोलनकी एक बुनियादी चीज है। अन्यथा आप इस आरोपको उचित ठहरायेंगे कि यह आन्दोलन एक धोखा है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ११-१-१९३५

१. भगवद्गीता, अध्याय ५, श्लोक १८।

६०. भाषण: हरिजन-बस्ती, दिल्लीमें[1]

२ जनवरी, १९३५

हरिजन-कर्मालयका यह विचार शुरू-शुरूमें श्री घनश्यामदास बिड़लाके मनमें आया था और आज उन्होने साढ़े बत्तीस हजारकी भूमि व भवन खरीदकर कर्मालयको अर्पित भी कर दिया है। चूँकि श्री बिड़लाजी संघके अध्यक्ष है और पैसेवाले भी है, इसलिए वे सदा ही हरिजनोंकी आर्थिक उन्नतिके उपायों और साधनोंके विषयमें सोचते रहते थे। दिल्लीमें एक ऐसा हरिजन-केन्द्र बनाया जाये कि जहाँसे अन्य प्रकाश ग्रहण करे, यह बिड़लाजी की अभिलाषा थी। गांधीजीसे आधारशिला रखने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, "मंसूबे तो मेरे बड़े-बड़े है, पर कहनेसे कोई लाभ नहीं। हर चीज हम काम करनेवालों पर निर्भर करती है। रुपयेके बिना कोई काम रुकता नहीं। सच्चे कार्यकर्त्ता चाहिए, रुपया तो आ ही जाता है, यह मै कई संस्थाओंके अपने अनुभवसे कह सकता हूँ।" गांधीजी ने बस, यह सूत्र पकड़ लिया और इसी सूत्रमें अपने भाषणके शब्द गूँथ दिये। उनका उस दिनका भाषण आदिसे अन्ततक आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षणकी ज्वलन्त भावनासे भरा हुआ था।

याद रखिए कि हम देनदार है और हरिजन लेनदार। हम आजतक उनके कन्धोपर सवार रहे। हमने उनसे बेगारमे काम कराया और अगर उन्होने बेगार देनेसे कभी इनकार किया तो हमने उन्हे मारा-पीटा और किसी-किसीके प्राणतक ले लिये। सुनते है कि कोताना (मेरठ)के एक जमीदारने अपने हरिजन असामियोको उनके बेगार न देनेपर बड़ी निर्दयतासे मारा-पीटा। कई हरिजन और उनकी कुछ स्त्रियाँ सख्त घायल हुई और एक बुड्ढा तो मर ही गया। मेरी जन्मभूमि काठिया-वाडमे भी इसी तरहके जुल्म हुए है और वहाँ भी एक हरिजन मर गया। हम सदियोसे यह घोर पाप करते आ रहे है, पर इस पापसे मुक्त होनेका समय अभी हाथसे निकला नही। इस सघकी रचना इसी अभिप्रायसे हुई है कि हम अपने पापका समय रहते प्रायश्चित्त कर डाले। है तो यह भगीरथ कार्य, पर इसे पूरा तो करना ही है। यह मैने सैकड़ो बार कहा है और आज भी कहता हूँ कि अगर हम हरिजनोके ऋणसे मुक्त न हुए तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। या तो अस्पृश्यता न रहेगी, या हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायेगा। मुझे आज आरामकी जरूरत है, पर आराम लूँ कैसे? जिसके हृदयमे दावानल जल रहा हो, वह चैनसे कैसे बैठ सकता है? जो हिन्दू यह प्रत्यक्ष देख रहा हो कि हमारा हिन्दू-धर्म तो धधकते हुए ज्वालामुखीके

१. महादेव देसाई लिखित "आत्म-विश्लेषण सप्ताह" से उद्धृत।

मुँहपर रखा हुआ है, उससे एक क्षण भी भला आरामसे बैठा जा सकता है? जबतक वह ज्वालामुखी शान्त नहीं हो जाता, तबतक उसे निश्चय ही चैन नहीं। घनश्यामदासजी ने आज जो इस कामके लिए ३,५०० रुपये दिये हैं, वह तो 'सिन्धुमें बिन्दु'के समान दान है। यह काम तो बहुत बड़ा है। मेरे लेखेमें तो यह रकम एक कौड़ीके समान है। इस प्रकारके धर्म-कार्यमें तो सैकड़ों करोड़पति और लखपति अपना खजाना लुटा दें तब भी कम है। जैसाकि घनश्यामदास ने कहा है, रुपयेकी कोई कमी नहीं है। आवश्यकता तो दृढ़ संकल्प और लगनकी है। हरिजन-सेवा हिन्दू-धर्मकी सेवा है; और हिन्दू-धर्मकी सेवा मनुष्य मात्रकी सेवा है। हिन्दू-धर्म असहिष्णुताको बर्दाश्त नहीं करता। असहिष्णुताको वह पाप मानता है पर जबतक हम हरिजनोंके साथ मैत्री करते, उनके साथ बन्धुवत् बरताव नहीं करते तबतक हम समस्त जगतके साथ, समस्त मानव-जातिके साथ मैत्री करना चाहें तो यह हो नहीं सकता। अस्पृश्यता-निवारणकी यह सारी प्रवृत्ति विश्व-बन्धुत्वकी स्थापनाकी ही प्रवृत्ति है।[1]

हरिजन-सेवक, ११-१-१९३५

६१. तार: जमनालाल बजाजको

(२ जनवरी, १९३५ या उसके पश्चात्)[2]

अभयंकरकी मृत्यु बड़े दुखकी बात है। उनकी पत्नी और परिवारको सान्त्वना दो। उनसे कहो कि यदि उन्हें एक वीर पतिके योग्य बनना है तो उन्हें भी वीरतासे काम लेना चाहिए। अभयंकरने सेवाकी जो परम्परा छोड़ी है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि वह उन्हें कायम रखेंगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१-१९३५

१. इसी भाषणको मामूली फेर-बदलके साथ अंग्रेजीमें ११-१-१९३५ के *हरिजन*में प्रकाशित किया गया था।

२. एम० वी० अभयंकरका निधन २ जनवरी, १९३५ को हुआ था।

६२. पत्र : कार्ल हीथको

३ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका गत २१ तारीखका पत्र मिला था। धन्यवाद। उससे पहलेवाले आपके पत्रको मीराबहन, महादेव और बादमे एन्ड्रयूजने पढ़ा था। उन सबने स्वतन्त्र रूपसे उसका वही अर्थ लगाया जो मैंने लगाया था। हाँ, आपने जो सुधार सुझाया है, उसे मैं मुक्त हृदयसे स्वीकार करता हूँ। मै केवल यह कहना चाहता हूँ कि आपके पत्रको तीनसे ज्यादा बार सावधानीसे पढनेके बाद ही मैंने उसका वह उत्तर[1] दिया था। एन्ड्रयूजने भी मेरा उत्तर पढा था और उन्होने उसमे परिवर्तनका कोई सुझाव नही दिया।

बेशक आपको दमनकारी कानूनोके बारेमे जानकारी थी। लेकिन न आपको तब यह मालूम था और न अब ही मालूम है कि उनके जारी रहनेका यहाँ हमारे लिए क्या मतलब था और है। इस बातकी एक विचित्र पुष्टि डॉ० मॉड रॉयडेनने की है। उन्होंने कराचीमे यह कहा बताते है कि भारतकी अत्यन्त सन्तुलित विचारोवाली महिलाओके बीच रहकर उन्होने दो या तीन दिनमे जो आश्चर्यजनक बातें जान ली, उनके बारेमें इग्लैडके लोगोको दैनिक अखबारोसे या अन्य किसी साधनसे कोई जानकारी नही है। एन्ड्रयूजने बंगालमें जो-कुछ देखा और समझा उसके बारेमें वे आपको खुद बता सकते हैं।

ऐसा लगता है कि आप आगामी विधेयक[2] के वापस लिये जानेकी सम्भावनाको बहुत बड़े संकटकी बात मानते है। मेरी रायमे, यदि इसे अन्तिम क्षणपर भी वापस ले लिया जाये तो यह इंग्लैड और भारत दोनोंके लिए वरदानस्वरूप होगा। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि भारतीय लोग लगभग एकमतसे इस विधेयकका विरोध कर रहे हैं, और उसके बावजूद इस विधेयकको पास करानेकी कोशिश जारी रखनेका मतलब होगा कि ब्रिटिश संसद हठपर अडी है और उसके मनमे भारतके लोकमतके लिए घोर तिरस्कारका भाव है। आशा है, आपने राइट ऑनरेबिल शास्त्री द्वारा की गई कटु आलोचना पढ ली होगी। श्री शास्त्री एक समय इंडिया ऑफिसके परम मित्र थे और उसका पूरा विश्वास उन्हे प्राप्त था। ऑनरेबिल सी० वाई० चिन्ता-मणिने भी उतनी ही कडी आलोचना की है और उसे भी आपने देखा होगा। चिन्ता-

१. देखिए खण्ड ५९, पृ० ४६२-६४।

२. भारतके लिए एक नये संविधानकी व्यवस्था करनेवाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल। राजकीय स्वीकृतिके बाद यह २ अगस्त, १९३५ को कानून बन गया।

मणिको नरम विचारवालोमें भी अत्यन्त नरम विचारोका माना जाता है और वे मौके-बेमौके काग्रेसके रवैयेकी अत्यन्त कड़ी निन्दा करते रहे है।

अब सयुक्त ससदीय समितिकी रिपोर्टपर मेरी जो आपत्तियाँ हैं, उन्हे मैं अत्यन्त सक्षेपमे बताता हूँ। मैंने उस रिपोर्ट और श्वेत-पत्रको एक ही दस्तावेज माना है। रिपोर्टमे जो-कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं उन्हे यहाँ सुधार नही माना जाता, बल्कि ठीक उसका उल्टा माना जाता है, और उसने उदारपंथियोकी कमर तोड़ दी है। उन्होने यह आशा की थी कि आगा खाँके नेतृत्वमे उन्होने जो मेमोरेंडम भेजा था उसपर संयुक्त संसदीय समिति अनुकूल दृष्टिसे विचार करेगी और यदि सब नही तो उसकी कुछ सिफारिशोको समिति स्वीकार कर लेगी। लेकिन रिपोर्टमे मेमोरेडमका सौजन्यतावश उल्लेख मात्र करके जिस हिकारतके साथ उसे नजरअन्दाज कर दिया गया है, उसे देखकर शास्त्रीने निम्नलिखित टीका की है:

> नहीं, महोदय, लिबरल पार्टीके लिए रत्तीमात्र सहयोग देना भी असम्भव है। हमारा शुभ चाहते हो, ऐसे मित्रोंके साथ सहयोग करना लाभप्रद है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि ऐसे लोगोंके साथ सहयोग करनेका क्या अर्थ है जिन्होने हमारे प्रति पूरा अविश्वास प्रकट किया है, जो हमारे दृष्टिकोण और हमारी माँगोंकी परवाह नहीं करते, और जो हमारी इच्छाओंकी बिलकुल अवहेलना करते हुए एक संविधान पास करते है? मैं इस सहयोगको आत्मघात कहूँगा।

सार-संक्षेप

१. सयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टमें इस आशयका कोई सुझाव नही है कि संविधानमे एक धारा ऐसी होनी चाहिए जिसमे अपने-आप पूर्ण-स्वराज्य अथवा भारतके चुने हुए प्रतिनिधि जो-कुछ चाहे उसे प्राप्त करनेकी व्यवस्था हो।

२. प्रस्तावित संविधानमें भारतके ऊपर और ज्यादा वित्तीय भार डाला गया है, जबकि वह पहले ही बहुत बडे वित्तीय भारसे दबा हुआ है और उसकी आर्थिक या राजनीतिक उन्नतिकी कोई सम्भावना नही दिखती।

३. केन्द्रमें राजस्वके ८० प्रतिशत भागको निर्वाचित सदस्योके नियन्त्रणसे बाहर रखा गया है।

४. सेनाके ऊपर निर्वाचित सदस्योका कोई नियन्त्रण नही है, न नीति-विषयक, न व्यय-विषयक।

५. देशकी मुद्रा या विनिमयके ऊपर जनताके प्रतिनिधियोका कोई नियन्त्रण नही है।

६. राजस्वके जिस २० प्रतिशत भागपर नियन्त्रणको वित्तमन्त्रीके हाथमे रखनेका प्रस्ताव है, उसे भी गवर्नर-जनरल चाहे तो खत्म कर सकता है।

७ रिपोर्टमे प्रान्तोको जो स्वायत्त-शासन सौपा गया है, वह तो केवल नाम-मात्रका है, क्योकि गवर्नरोको इतने व्यापक अधिकार दिये गये है कि वे जब चाहे तब उत्तरदायित्वका अन्त कर सकते है। किसी अग्रेजके लिए अन्य उपनिवेशोके

उदाहरणोसे ऐसा मान लेना कि इन अधिकारोको विरले ही प्रयुक्त किया जायेगा, कतई गलत होगा। भारतमे पिछले जो अनुभव रहे है, वे इसके ठीक विपरीत है।

८ उत्तरदायी मन्त्रियोको अखिल भारतीय सेवा या प्रान्तीय सेवाके किसी सदस्यका तबादला करनेतकका भी अधिकार नही है।

९. तथाकथित स्वायत्तशासी विधान-मण्डलोको पुलिस अधिनियमो या पुलिस विनियमोतक मे संशोधन करनेका कोई अधिकार नही होगा।

१० ब्रिटेन द्वारा भारतके शोषणकी बुनियाद और पुख्ता हो गई है।

ऊपर बताई गई आपत्तियोपर कुल मिलाकर विचार किया जाये तो दिमाग पर इस बातकी एक अमिट छाप पड़ती है कि मौजूदा सविधान तो खराब है ही, लेकिन प्रस्तावित संविधान तो इससे कई गुना ज्यादा खराब होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि प्रस्तावित सविधान पास कर दिया गया तो इसके अन्तर्गत जो हानि होगी, उसे आनेवाले बहुत-से वर्षोमे भी सुधार सकना अत्यन्त कठिन होगा।

इन सारी आपत्तियोको पूरी तरह समझनेके लिए यह याद रखना जरूरी है कि इस संविधानको उस जनताके ऊपर थोपनेकी कोशिश की जा रही है जो पहले ही दमनचक्रमे फँसी हुई कराह रही है — ऐसा दमनचक्र जो ब्रिटिश भारतके इतिहासमे अभूतपूर्व है। मै पूरी जिम्मेदारीके साथ यह बात कह रहा हूँ। जलियाँवाला बागकी याद मेरे दिमागमे बिलकुल सजीव है। मैने १८५७ के सिपाही-गदरके बारेमे के और मैलेसन द्वारा लिखी पुस्तके पढी है। दोनो पुस्तकोमे दमनकारी घटनाओका वीभत्स चित्रण किया गया है। खैर, तब तो नंगी तलवारका खुला खेल था। लेकिन यह दमनचक्र तो छिपा हुआ हथियार है, और इस कारण और भी घातक है।

आप इस पत्रका निजी तौरपर, जैसा भी चाहे, उपयोग कर सकते है। इसमे मैने जो राय जाहिर की है उसके लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नही है। महादेव, मीरा और टाइपिस्टको छोड़कर इसे किसी अन्य मित्रको नही दिखाया गया है।

मेरा पत्र कटुतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मै आपको सावधान करना चाहूँगा कि आप इसका ऐसा कोई अर्थ न लगाये। सत्यको मैने जैसा देखा और अनुभव किया है, केवल वैसा ही पत्रकी भाषामे व्यक्त किया है। उसमे पूर्ण सत्य नही दिया गया है। अगर पूर्ण सत्य आपको बतानेका मेरे पास समय होता और क्षमता होती, तो यह विवरण और भी ज्यादा खराब होता।

हालाँकि मुझे इसमे काली तस्वीर ही दिखाई पड़ती है, तथापि मेरे मनमे एक भी अंग्रेजके प्रति कोई कटुता नही है। मै मानता हूँ कि ब्रिटिश मन्त्रीगण जो नीति चला रहे है, उसे वे ईमानदारीसे भारतके हितमे समझते है। उनका ईमानदारीके साथ ऐसा विश्वास है, कि कुल मिलाकर, भारतमे ब्रिटिश राज भारतके लिए हितकर रहा है। वे ईमानदारीके साथ ऐसा मानते है कि ब्रिटिश राजके अन्तर्गत भारतने आर्थिक उन्नति की है और उसकी राजनीतिक क्षमता बढ़ी है, और भारतके प्रबुद्ध जनोकी विशाल सख्या जिस प्रकारके सविधानकी कामना करती है, वह संविधान भारतको यदि मिल गया तो यह भारतके लिए अत्यन्त अनिष्टकर होगा। किसी सच्चे

विश्वासके साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है, फिर भले ही वह विश्वास भ्रामक क्यों न हो, जैसाकि मेरी रायमें वह इस मामलेमें है। लेकिन किसी व्यक्तिके सच्चे विश्वासपर गुस्सा करना भी गलत होगा। मैंने ऊपर लिखित सार-संक्षेपमें जो राय प्रकट की है, उसपर मैं दृढ़तासे विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस आश्वासनपर पूरा यकीन करें कि ईश्वरने चाहा तो मैं जल्दबाजी या गुस्सेमें कोई कदम नहीं उठाऊँगा।

कांग्रेससे मैंने जो अवकाश ग्रहण किया है, उसके अनेक कारणोंमें से एक कारण यह है कि मैं सरकारके राजनीतिक कदमोंके बारेमें अपने ऊपर खामोशी थोपना चाहता हूँ। स्वेच्छासे मैंने जो एकान्त चुना है, उसमें मैं अहिंसाकी छिपी हुई सम्भावना-ओंकी खोज करना चाहता हूँ। जीवनके किसी भी क्षेत्रमें मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, वह उसी उद्देश्यको दृष्टिमें रखते हुए कर रहा हूँ। इस धरतीपर मेरा एक ही स्वार्थ है, और वह है अन्तिम सत्यको समझना। इस सत्यकी अभी मैं धुंधली-सी झलक-भर देख पाता हूँ। अत्यन्त श्रमसाध्य खोजके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि अगर मैं सत्यको पूरे रूपसे देखना चाहता हूँ तो मनसा, वाचा और कर्मणा अहिंसाका पालन करके ही देख सकता हूँ। यह खोज मुझे कहाँ ले जायेगी, मैं नहीं जानता, और मेरी तनिक भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे उस सत्यके दर्शन समयसे पहले हो जाये। अत: मैं तो ईश्वरसे अनवरत प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे अगला कदम दिखाये, और यदि आप मित्र लोग पूरे हृदयसे इस खोजमें मेरी मदद करेंगे तो मैं कृतज्ञ होऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कार्ल हीथ, महोदय
लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२८) से।

६३. पत्र : श्रीमती लिंडसेको[1]

३ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

आप सबको नव-वर्ष शुभ हो। आपका पत्र मुझे ठीक ऐसे वक्तपर मिला कि मैं आपको यह छोटा-सा पत्र लिख सकूँ।

मैं आपकी और ऑक्सफोर्डकी अपनी यात्राओंकी अक्सर याद करता रहता हूँ, लेकिन हाथमें जो काम है उसके कारण सारे प्रेम-पत्र धरे रह जाते हैं।

हमारे सामने यहाँ हर दृष्टिसे बहुत कठिन समय चल रहा है। लेकिन मैं आशा नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ, शीतकालके बाद ग्रीष्म ऋतु आती ही है।

अपनी बिल्लियों और कुत्तोंको अपने परिवारका सदस्य मानना प्रेममय विचार है।

आप जानती हैं कि एन्ड्रयूज कुछ दिनों हमारे बीच रहे। वे अप्रैलमें वापस आनेकी आशा करते हैं। डॉ० मॉड रायडेन कराचीमें हैं। मैं इस समय दिल्लीमें हूँ और आशा करता हूँ कि तीन सप्ताहसे ऊपर यहाँ रहूँगा। मैं उनसे यहीं मिलनेकी आशा करता हूँ।

मीरा, महादेव और देवदास यहाँ हैं। प्यारेलाल बम्बईके निकट एक स्थान पर हैं।

हम सबोंकी तरफसे आप सबको प्यार,

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७४३) से; सौजन्य: दिल्ली-स्थित ब्रिटिश उच्चायोग।

१. बैलिओल कॉलिजके मास्टर डॉ० लिंडसेकी पत्नी। इस पत्रकी मूल प्रतिकी एक फोटो-नकल १९६९-७० में नई दिल्लीमें आयोजित गांधी-दर्शन प्रदर्शनीके ब्रिटिश मंडपमें प्रदर्शित की गई थी।

६४. भेंट : समाचारपत्रोंको

३ जनवरी, १९३५

श्री अभयंकरकी मृत्युसे एक बहादुर और निर्भीक व्यक्ति उठ गया। उनकी मृत्युसे राष्ट्रको बहुत बड़ी हानि हुई है। मेरे और उनके सम्बन्ध दिनों-दिन इतने घनिष्ठ होते जा रहे थे कि उनका निधन मुझे निजी हानि-जैसा लगता है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ४-१-१९३५

६५. टिप्पणियाँ

भूल-सुधार

हमारे ९ नवम्बरके अंकमें प्रकाशित आत्म-निर्भरता सम्बन्धी रिपोर्टमें अखिल भारतीय चरखा संघके मंत्रीने उत्पादन और बिक्रीके जो आँकड़े दिये थे, उनके बारेमें वे लिखते हैं:[1]

> ९-११-३४ वाले 'हरिजन' के अंकमें पृष्ठ ३१२ पर अखिल भारतीय चरखा संघकी शाखाओंके खादी-उत्पादन और बिक्री सम्बन्धी आँकड़े प्रकाशित हुए हैं। उसमें कर्नाटक और उत्कल शाखाओंके सम्बन्धमें पाद-टिप्पणीमें कहा गया है कि "इन शाखाओंमें खादीका उत्पादन अपर्याप्त होनेके कारण माँगकी पूर्तिके लिए अन्य शाखाओंसे खादीका आयात करना पड़ा था।" यह बात उत्कलपर लागू नहीं होती। . . . १९३३ में उत्कल शाखाने अन्य शाखाओंसे जो सामान खरीदा वह केवल ५५७ रुपयेका था, न कि १७,००० रुपयेका, जैसाकि इस टिप्पणीसे लगता है। हमें इस भूलपर खेद है।

हरिजनोंका प्रतिनिधित्व

एक पत्र-लेखकके अनुरोधपर मैंने ठक्कर बापासे यह बतानेको कहा था कि सारे भारतमें हरिजन-सेवक मण्डलोंमें हरिजनोंकी संख्या कितनी है। अभीतक दस प्रान्तोंके जो आँकड़े मिले हैं, उनसे पता चलता है कि १,१५८ गैर-हरिजनोंके विरुद्ध हरिजनोंकी संख्या १७१ है। मैं ये आँकड़े केवल सूचनार्थ दे रहा हूँ। ऐसा मान

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

लेना गलत होगा कि ये आँकडे ठोस कामके द्योतक है। लेकिन दो चीजोके तो ये निश्चित रूपसे सूचक है :

(१) मण्डलोने अपनी सहायताके लिए जितने हरिजन मिल सके, उतने हरिजनोको सह-सदस्यके रूपमे लेनेका प्रयत्न किया है।

(२) ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित हिन्दू है जो मण्डलोमे शामिल होनेको तैयार है। मण्डलोका प्रकट उद्देश्य उन्हे मालूम है। वे जानते है कि मण्डलोका उद्देश्य हरिजनोको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिसे अन्य हिन्दुओके साथ समानताका दर्जा दिलाना है।

कितना अच्छा होता अगर मै यह भी कह सकता कि मण्डलोमे इतने सारे सवर्ण हिन्दुओ और हरिजन हिन्दुओका होना ठोस प्रगतिका सूचक है। वस्तुत' मण्डलोमे सदस्योकी बड़ी संख्याके कारण प्रशासन-व्यय तो बढता है, लेकिन कार्य-क्षमता अथवा कार्य-उत्पादनमे वृद्धि नही होती। योग्यता और उत्पादन-मात्रामे वृद्धि करनेके उपाय किये जा रहे है, भले ही इसके लिए सदस्योकी संख्या कम क्यो न करनी पडे। गरीबो और दलितोकी सेवाकी खातिर यह अत्यन्त जरूरी है कि उपरला खर्च कमसे-कम कर दिया जाये। असहाय लोग अपने सहायकोकी फिजूलखर्चीपर कोई प्रतिबन्ध नही लगा सकते, फिर ये सहायक कितने ही उदार क्यो न हो और भले ही यह फिजूलखर्ची अनजाने ही क्यो न होती हो। अगर सहायक लोग बेहतर प्रबन्धके नामपर अनजाने की जानेवाली अपनी इस फिजूलखर्चीपर रोक नही लगाते तो सम्भावना यही है कि वे जरूरतसे ज्यादा खर्च करेगे। अनेक परोपकारी संस्थाओका अगर आलोचनात्मक अध्ययन किया जाये तो या तो वहाँ भयंकर फिजूलखर्ची दिखाई पडेगी या देखा जायेगा कि वहाँकी प्रबन्ध-व्यवस्था बहुत ही खराब है और न्यासी लोगोमे अपने न्यासके प्रति घोर उदासीनताकी भावना है। हरिजन-मण्डलोका एकमात्र उद्देश्य हरिजनोकी सेवा करना है, और यदि वे हरिजनोके लिए अच्छा काम करके दिखाना चाहते है तो ऊपर बताई गई दोनो खराबियोसे बचना होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-१-१९३५

६६. टिप्पणियाँ

बंगाल हरिजन सेवक संघ

बंगाल प्रान्तीय हरिजन सेवक संघने पिछले अक्तूबर और नवम्बर मासमें जो काम किया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

२ महीनोंमें खर्च	रु० २,३०५
संघकी शाखाएँ और संगठन जो पूरी तरह हरिजन-सेवाके कार्यमें लगे हुए हैं और प्रान्तीय संघसे सम्बद्ध हैं, या सहायताप्राप्त हैं	९
पूरा समय काम करनेवाले अवैतनिक कार्य-कर्त्ता	३३
अस्पताल	१ (इसमें ६ बिस्तर हैं।)
औषधालय	१ (इसमें प्रति माह १,००० मरीज आते हैं।)
औषधि-वितरण करनेवाले	६ केन्द्र
स्कूलोंकी संख्या जिनका पूरा खर्च उठाया जाता है, और ऐसे स्कूल भी जिनको आंशिक सहायता दी जाती है	६५
विद्यार्थियोंकी संख्या	१,९००
छात्रवृत्तियोंकी संख्या	३६
औद्योगिक संस्थान	१ कुटीर चमड़ा-सिझाई संस्थान, कलकत्ता

इस कार्यकी कुछ तफसीलोंकी चर्चा मैं किसी अगले अंकमें करूँगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-१-१९३५

६७. इसका अर्थ

मुझे ऐसा लगता है कि आप आधुनिक सभ्यताके विरुद्ध कभी न खत्म होनेवाला और अव्यावहारिक युद्ध चला रहे हैं। बहुत समय पहले आपने अपने-आपको आधुनिक सभ्यताका घोर शत्रु घोषित किया था और अब भी यदि सम्भव हो तो आप हजारों सालसे चली आ रही इस आधुनिक सभ्यताका रुख पीछेकी ओर मोड़ देना चाहेंगे। इसके विचार मात्रसे ही मेरा सिर चकरा जाता है।[1]

ऊपर लिखित अंश मैंने अपने एक प्रिय मित्रके पत्रसे उद्धृत किया है जो उन्होंने मुझे मेरे पत्रके उत्तरमे लिखा था। अपने पत्रमे मैंने उनसे यह भी पूछा था कि क्या ग्रामोद्योगके पुनरुत्थानके कार्यमे मुझे उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है। और चूँकि मैं जानता हूँ कि मेरे बारेमे उक्त मित्रने जो मत व्यक्त किया है, अन्य अनेक लोगोका भी यही मत है, इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अपनी स्थितिका खुलासा कर दूँ। मेरी जो स्थिति है, यदि वही स्थिति अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी भी न होती तो मेरे लिए ऐसा करना अशिष्टतापूर्ण होता।

जिनका पुनरुद्धार किया जा सकता है, ऐसे उद्योगोका पुनरुद्धार करके मैं ऐसा कोई कार्य नही कर रहा हूँ जिसका वे मुझपर आरोप लगा रहे है। मै तो केवल वही कर रहा हूँ जो ग्राम्य जीवनसे प्रेम करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है अथवा करनेकी कोशिश कर रहा है और जो गाँवोके विघटनके अर्थको समझता है। जब मैं किसी गाँववालेसे यह कहता हूँ कि वह अपना आटा खुद पीसे, पौष्टिक चोकर-मिले आटेकी रोटी खाये अथवा यह कहता हूँ कि वह बिक्रीके लिए नही तो कमसे-कम अपने उपयोगके लिए गन्नेके रसका गुड बनाये, तो उस हालतमे मैं आधुनिक सभ्यताके रुखको किस प्रकार पीछेकी ओर मोड़ता हूँ? जब मैं गाँववालोसे यह कहता हूँ कि वे केवल कच्चा माल ही न पैदा करे, अपितु उससे बिक्री-योग्य तैयार माल बनाये और इस तरह अपनी आयमे चन्द पैसोका इजाफा करे, तब क्या मैं आधुनिक सभ्यताको पीछेकी ओर ले जाता हूँ?

और निश्चय ही आधुनिक सभ्यता कोई हजारो साल पुरानी नही है। हम उसके जन्मकी लगभग निश्चित तारीख भी बता सकते है। यदि मै कर सकूँ तो यकीन मानिए, आधुनिक सभ्यताके नामपर आज जो-कुछ चल रहा है, उसे नष्ट कर डालूँ अथवा उसमे आमूल-चूल परिवर्तन कर दूँ। लेकिन वह तो जीवनकी एक पुरानी कहानी है। उस दिशामें प्रयत्न तो अवश्य किया जा रहा है, लेकिन उसकी

१. देखिए खण्ड ५९, पृ० ३८५ पा० टि० १।

सफलता ईश्वरके हाथमें है। तथापि लाभकारी ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार करने अथवा उन्हें प्रोत्साहन देनेका कार्य ऐसे किसी प्रयासका अंग नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी हर प्रवृत्तिका, जिसमें अहिंसाका प्रसार भी शामिल है, ऐसे प्रयासके रूपमें वर्णन किया जा सकता है। ग्रामोद्योगोंका पुनरुद्धार और कुछ न होकर खादी-प्रवृत्तिका विस्तार ही है। हाथका बुना कपड़ा, हाथका बना कागज, हाथसे कुटा हुआ चावल, घरकी बनी रोटी और मुरब्बा पश्चिममें विरल नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि भारतमें इनका जो महत्व है, उसका सौवाँ हिस्सा भी पश्चिममें नहीं है। कारण, यह बात कोई भी आदमी स्पष्ट देख सकता है कि भारतमें ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारका अर्थ है गाँववालोंको जीवनदान देना और उनके विनाशका अर्थ है गाँववालोंका भी विनाश। मशीन-युगकी चाहे जो उपलब्धियाँ हों, लेकिन वह उन लाखों लोगोंको कदापि रोजगार नहीं दे सकेगा जो शक्ति-चालित मशीनीकरणके कारण बेरोजगार हो जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ४-१-१९३५

६८. पत्र : छगनलाल जोशीको

४ जनवरी, १९३५

चि० छगनलाल,

साथका पत्र देख जाना। वेणीलाल सज्जन है। हरिलालसे उसका परिचय है। जयसुखलालका भाई यदि इस हरिजन-सेवाकार्यमें शामिल हो जाये तो अच्छा हो।[1] उसे वेतनकी अपेक्षा कामकी अधिक जरूरत जान पड़ती है। तुम उससे मिलना। यदि वह तुम्हें जँच जाये, नारणदासकी सहमति हो, और यदि वैसे व्यक्तिकी राजकोटके आसपास आवश्यकता हो, तो उसे रख लेना।

लगता है, बापाको तुमने खूब खुश कर दिया है। धीरु और विमुका कैसे चलता है?

रामदासकी किश्ती मझधारमें है। अभी वह बम्बईमें है।

मैं यहाँ २०. तारीखतक हूँ। तुम 'हरिजन' से यहाँकी प्रवृत्तियोंके बारेमें जान सकोगे।

यदि हरिजन-सेवक सहज ही खादीको सूर्य-जैसा मानकर अन्य ग्रामोद्योगोंको इस सूर्यके चारों ओर घूमनेवाले ग्रहोंकी तरह नियोजित कर सकें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह अभीष्ट है। यदि यह बात समझमें आ गई हो तो इसका उपयोग करना।

१. देखिए "पत्र : वेणीलाल प० गांधीको", पृ० २७।

पण्डितजी[1] यहीं हैं। वे साबरमती रहनेके लिए जा रहे हैं। फिलहाल तो लक्ष्मीबहन[2] वर्धामें ही रहेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५२८) से।

६९. पत्र : वसुमती पण्डितको

४ जनवरी, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। कच्चा दूध न मिले तो भले उबला हुआ हो। कच्ची सब्जियाँ खाना न छोड़ना। फल न छोड़ना। चोकरयुक्त आटेकी भाखरी[3] साथ रखना, कसार भी अपने पास रखा करो। यहाँ बहुत सर्दी है। दोनों बार घूमने जाता हूँ, मण्डली तो साथ होती ही है। अमतुल कल आई। अम्बुजम तुम्हारे बारेमें पूछती रहती है। संक्रान्ति[4] तक उसका आश्रम खुल जायेगा। रामदासको पत्र लिखती रहना। मैं यहाँ २० तारीखतक तो हूँ ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९०) से। सी० डब्ल्यू० ६३५ से भी; सौजन्य . वसुमती पण्डित।

७०. भेंट : शिष्टमण्डलोंको

४ जनवरी, १९३५

श्री रघुवीर नारायण सिंहके नेतृत्वमें . . . शिष्टमण्डल . . . ने गांधीजीको ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित करनेमें आनेवाली विभिन्न कठिनाइयोंसे अवगत कराया और अनुरोध किया कि वे उनकी मदद और मार्गदर्शन करें। इसके उत्तरमें महात्माजी ने कहा :

मेरा प्रथम उद्देश्य तो लोगोंकी मनोवृत्तिको बदलना है। उनको दबावसे कुछ करनेको मजबूर करना नहीं है, जैसाकि रूजवेल्ट, हिटलर अथवा मुसोलिनी अपने-

१. नारायण मो० खरे।
२ नारायण मो० खरेकी पत्नी।
३. गेहूँके आटेकी मोटी रोटी।
४ १४ जनवरी।

अपने देशोमें कर रहे हैं। जिस तरह खादीके प्रति लोगोकी मनोवृत्ति बदल गई है, उसी तरह मैं देशी उद्योगोंके पक्षमें भी उनकी मनोवृत्ति बदलनेकी उम्मीद रखता हूँ।

मेरी सारी कोशिशें, हमारी जो सभ्यता व संस्कृति है, उसे बनाये रखनेकी है और मैं इस दिशामें भरसक प्रयत्न करता रहूँगा।

गांधीजी ने शिष्टमण्डलके प्रतिनिधियोंको सलाह दी कि वे मिलकी बनी चीजोंके विरुद्ध लोकमत तैयार करें जिससे कि कुटीर-उद्योगोंका पुनरुत्थान किया जा सके।[1]

मेरठमें बड़ौत तहसीलके कोताना गाँवके एक अन्य शिष्टमण्डलने भी गांधीजी से भेंट की; शिष्टमण्डल चमारोंका था। . . . वे एक मुकदमा चलानेके लिए, जिसे घायल चमारोंने[2] दायर किया था, हरिजन-कोषमें से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। गांधीजी ने उन्हें सलाह दी कि वे परस्पर समझौता कर लें और स्थानीय रूपसे चन्दा इकट्ठा करनेकी कोशिश करें।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ५-१-१९३५

७१. सन्देश : दिल्लीकी सार्वजनिक सभाके लिए[3]

[४ जनवरी, १९३५]

स्वर्गीय श्री अभयकरकी मृत्यु देशके लिए शोककी बात है। उनके देशवासी यदि उनकी स्मृतिका आदर करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे उनकी निर्भीकता और लगनका अनुकरण करें।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ५-१-१९३५

१. यह निश्चय किया गया कि शिष्टमण्डल द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दोंका जवाब देनेके लिए गांधीजी उससे ११ जनवरीको एकबार फिर भेंट करेंगे।

२. चमारोंने गाँवके जमींदारपर उनके साथ दुर्व्यवहार करनेका अभियोग लगाया था।

३. यह सभा ४ जनवरीको जिला कांग्रेस कमेटीके तत्वावधानमें आयोजित की गई थी, जिसमें श्री एम० वी० अभयकरको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। गांधीजी ने यह सन्देश महादेव देसाईकी मार्फत भेजा था।

७२. पत्र : एस्थर मेननको

दिल्ली,
५ जनवरी, १९३५

प्यारी बिटिया,

मैं इस पत्रके द्वारा तुम्हारी इच्छाओंके प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। यहाँ कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही है। ४ बजेकी प्रार्थनाकी घण्टी बज चुकी है।

बेशक, हरिजनोंको अपने आध्यात्मिक सन्तोषके लिए मन्दिर-प्रवेशसे कही कुछ अधिककी जरूरत है। मन्दिर-प्रवेश हरिजनोके आध्यात्मिक रूपसे उतना आवश्यक नही है जितना कि उद्धत सवर्ण हिन्दुओंके लिए उन्हे मन्दिर-प्रवेशकी अनुमति प्रदान करना है। उन्हे तबतक भगवत् कृपाकी उपलब्धि नही हो सकती, जबतक वे समानधर्मी भाइयोंको पूजाका वही अधिकार नही देते जिसका कि वे अपने लिए दावा करते है। यह बात क्या बिलकुल स्पष्ट नही है?

बच्चोंको प्यार व चुम्बनो सहित,

तुम्हारा,
बापू

[पुनश्च :]

मैं दिल्लीमें कमसे-कम २० तारीख तक और ज्यादा-से-ज्यादा २८ तारीख तक हूँ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार। **माई डियर चाइल्ड**, पृ० १०९ से भी।

७३. भाषण : हरिजन-सेवक संघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमें[1]

[५ जनवरी, १९३५][2]

आप लोगोंने बजट बनाते समय यथेष्ट सूक्ष्मतासे काम नही लिया। ऐसी सूक्ष्मतासे आपको हिसाबकी मदें रखनी चाहिए कि किसीको कुछ कहनेका मौका न मिले। हरिजन-सेवकका मार्ग तो छुरेकी सीधी और तेज धारके समान है। हमारा लक्ष्य पूर्ण आत्मशुद्धिका है न? तो हम अपने दोषोंको जितना भी देखें उतना कम है। हमें तो पग-पगपर अन्तर्निरीक्षण करना है। जो अपने और अपने पूर्वजोके पापका प्रायश्चित्त करना चाहता है, उसकी दृष्टिमें हरिजनोके निमित्त संग्रहीत धन 'शिव-

१. महादेव देसाईं लिखित आत्म-विश्लेषण सप्ताह" से उद्धृत।
२. गांधीजीनी दिनवारीसे।

निर्माल्य' के समान है। हरिजन-कोषकी एक-एक पाईके हम ट्रस्टी हैं। बड़ी सावधानी और सच्चाईसे हमें यह पैसा खर्चना है। आपको ब्योरेवार यथाशक्य सूक्ष्मतासे बजट बनाना चाहिए। बिना पूरे ब्योरेके ये मोटी-मोटी मदें रख देनेसे काम नहीं चलेगा। आपके बजटमें 'इत्यादि-इत्यादि' और 'फुटकर' जैसे अस्पष्ट शब्दोंके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे, 'किताब, स्लेटें वगैरह-वगैरह मुफ्त दी गईं' इस मदको मैं कभी सहन नहीं करूँगा। मान लीजिए, किसीने हमें मुफ्त में भाँग या गाँजा दे दिया तो क्या हम उसे हरिजनोंमें बाँट देंगे? न तो 'पत्र, तार इत्यादि' की मद रखनेकी ही जरूरत है, और न अखबारों और मकान-भाड़ेकी। अखबार तो आपको चाहे जहाँ पढ़नेको मुफ्त मिल सकता है। और अखबार मँगाना ही है तो 'हरिजन-सेवक' को अपने दफ्तरोंमें मँगाइए। यह पत्र अभीतक अपने पैरोंपर खड़ा नहीं हो सका। इसलिए चाहें तो इसे आप अपना सकते हैं। क्या अच्छा हो कि आपसे जब कोई पूछे कि आप कैसे काम चलाते हैं तो आप यह कह सकें कि हमें चिट्ठियों व तारों पर पैसा खर्च करनेकी जरूरत नहीं; हम तो अपने आते-जाते मित्रोंके जरिये सन्देशा भिजवा देते हैं, हमें किरायेपर मकान लेनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने कुछ कृपालु मित्रोंको हरिजन-सेवाके निमित्त अपना मकान देनेको राजी कर लिया है। प्रबन्ध-व्ययको तो मैं एक हदतक सहन कर भी सकता हूँ, पर प्रचार-व्ययको नहीं। प्रचार-कार्यमें पैसा खर्च किया जाये इसकी तो मुझे रंचमात्र भी जरूरत मालूम नहीं पड़ती। प्रचार बेशक कीजिए, पर यह ध्यान रहे कि उसमें एक कौड़ी भी खर्च न हो। हमारा सेवा-कार्य ही सबसे सुन्दर प्रचार-कार्य है। दुनिया मुझे एक जबरदस्त 'प्रोपेगैंडिस्ट' कहती है। निस्सन्देह मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ, पर अपने प्रचार-कार्यमें कभी पैसा खर्च नहीं करता। मैं मानता हूँ कि पिछले साल मेरी हरिजन-यात्रामें रेल और मोटरोंमें पैसा खर्च हुआ था, पर उसका पाप तो ठक्कर बापाके सिरपर है। मैं तो उस रेल और मोटरकी यात्राको सच्चे अर्थमें सफल यात्रा नहीं कह सकता। मेरी यह मान्यता है कि सच्चा प्रचार-कार्य तो मेरे द्वारा तब हुआ जब मैंने उत्कलके गाँवोंमें पद-यात्रा की। ग्रामोद्योग संघकी कल्पना मेरी वहीं बनी। आप चाहें तो मेरी उस पद-यात्राका अनुकरण कर सकते हैं। पैसेसे होनेवाले प्रचार-कार्यको तो अब आप दफना ही दीजिए। चुपचाप सेवा-कार्य करनेवाला जन-सेवक ही सबसे सुन्दर प्रचारक है। इसलिए आपको प्रचारकी यह मद तो उड़ा ही देनी चाहिए। हरिजनोंके लिए आप एकाध पाठशाला चलाइए, एकाध कुँआ या मन्दिर खोल दीजिए, कुँआ खुदवाने या गाँवमें हरिजन-पाठशालाके लिए मकान बनवानेमें कुछ मदद कीजिए। बस, यह आपका सच्चा प्रचार-कार्य हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि आप श्री फ्रेजर हॉयलैंड का अनुकरण करें। वे दक्षिणी वेल्सके एक स्कूल-मास्टर हैं। भूकम्प-विध्वस्त बिहारमें श्री पियरे सेरेसोलके नेतृत्वमें खुद अपने हाथोंसे काम करनेके लिए वे यहाँ आये हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड और वेल्सके बेकार लोगोंमें काम किया है। उन्होंने यह समझ लिया है कि बेकार आदमियोंके साथ वाद-विवाद करना ठीक नहीं, उनके साथ तो खुद काम करना चाहिए। वे यह खूब जानते हैं कि पुस्तकों और निबन्धोंका लिखना-

लिखाना कोई प्रचार-कार्य नही है। सच्चा प्रकार-कार्य तो निष्काम मूक सेवाके द्वारा ही होता है। इस प्रचारकी मदमे आपको कुछ रखना ही है तो 'सिफर' रख दें। अब एक मद आपके आफिसके खर्चेकी है। मै यह समझ सकता हूँ कि हमारे गरीब देशमे बिना पैसेके आफिसोका काम नही चल सकता। आपको चपरासी रखने ही है तो हरिजनोको ही रखिए, पर उनके साथ चपरासियोकी तरह नही, बल्कि अपने दत्तक पुत्रो या कुटुम्बियोकी तरह बरताव कीजिए। आश्रमोके खर्चके बारेमे आपको सख्त चेतावनी दूँगा। आश्रम एक भयानक चीज है। 'आश्रम' नामका मोह तो हम छोड ही दे। बिना चारित्रिक और आध्यात्मिक पूँजीके 'आश्रम' चल ही नही सकता। प्राचीन वातावरण आश्रमके साथ न होगा, तो 'आश्रम' नामसे कोई लाभ नही। संघकी एक शाखाने एक आश्रमके लिए ८,००० रुपये अपने बजटमे रखे है। जबतक मुझे यह इत्मीनान नही हो जाता कि वहाँ वे ८ लाखका काम करके दिखा देंगे, तबतक मै कैसे उसपर मजूरी दे सकता हूँ? मोटे तौरपर मै तो यही कहूँगा कि जबतक आपको यह यकीन न हो जाये कि हम अमुक काममें एक रुपया खर्च करके दस रुपये वसूल कर सकेंगे, तबतक आपको उसमे हाथ नही डालना चाहिए। बिना मुनाफेका व्यापार कैसा? मुझसे पूछे तो मेरा तो सच्चा संतोष ही मेरे कार्यका मुनाफा होगा।[1]

हरिजन-सेवक, ११-१-१९३५

७४. पत्र : उमादेवी बजाजको

[७ जनवरी, १९३५से पूर्व][2]

चि० ओम,

यह खाते-खाते लिख रहा हूँ। इसलिए पैंसिलसे।

खाते हुए लिखना कुटेव है। पैंसिलसे लिखना भी कुटेव है। इसकी नकल न करना।

ऐसा लगता है कि तेरा कान अभी भी तुझे तकलीफ दे रहा है। तुझे बम्बई जाना चाहिए। तार भेजनेकी बात सोच रहा हूँ।

मदालसाके[3] विषयमे भी लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृष्ठ ३४१

१. इसी भाषणको मामूली फेर-बदलके साथ अंग्रेजीमें ११-१-१९३५ के *हरिजन*में प्रकाशित किया गया था।

२. देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", ७-१-१९३५।

३. उमादेवी बजाजकी बड़ी बहन।

७५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

दिल्ली
७ जनवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। हाँ, तुम उन लडकियोके साथ काम शुरू कर सकती हो जो वर्धासे आ सकती है। लेकिन यह सब तुम्हे सिर्फ तभी करना चाहिए जब तुम्हे और जानम्मालको अपने कामपर डटे रहना निश्चित जान पडे। तुम्हे इस बातका भरोसा नही करना चाहिए कि अन्य लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हो सकता है कि वे आये और बादमे तुम्हारा साथ छोड दे। निस्सन्देह यदि तुम्हे आश्रम चलाना है तो तुम्हें एक तरहसे आश्रम-जीवन अपनाना होगा। स्थानीय परिस्थितियोको अनुकूल बनानेके लिए तुम कुछ नियमोमे ढील दे सकती हो।

जहाँतक तुम्हारे भोजनकी बात है, तुम्हे ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो जरूरी हो। हरी शाक-सब्जियाँ, दही और अच्छी तरह उबाला हुआ अनकुटा चावल तुम्हे माफिक आना चाहिए। खुराकका चुनाव करते समय मेरे सामने सबसे पहले तुम्हारे स्वास्थ्यका ध्यान रहा है। इसलिए तुम निस्सकोच ऐसे परिवर्तन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्यके लिए जरूरी हो।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य · नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय।

७६. पत्र : जमनालाल बजाजको

दिल्ली
७ जनवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

दिल्लीकी ठण्ड अधिक काम करने देनेके बजाय कुछ कम ही करने देती है और काम है कि बहुत इकट्ठा हो गया है। अभयकरके बारेमे जैसा तुम लिखते हो वैसा ही हुआ है। उनकी कमीको महसूस किया ही जायेगा।

लगता है, तुम्हारे कानके बिलकुल ठीक होनेमे काफी समय लग रहा है। यदि तुम न आ सको तो कोई हर्ज नही। कानके इलाजमे कोई व्यवधान नही पडना

१. यह हिन्दीमें है।

चाहिए। कमलनयन[1] को फिलहाल तबतक सीलोन नहीं भेजा जा सकता जबतक वहाँ मलेरियाका जोर है।

ओमका कान बहता रहता है। मैंने पिछले हफ्ते उसे तार दिया था कि वह बम्बई जाकर दिखा आये। लगता है, वह अभीतक वहाँ नहीं गई है। यदि तुम उसे बुलाकर किसी डॉक्टरको दिखा दो तो अच्छा होगा।

लगता है, लालीकी गाडी चलने लगी है।

मेहरका मामला कठिन है। जबसे वह आई है, तबसे डॉ० अन्सारीके यहाँ है। एक दिन आकर मुँह दिखा गई थी। उसके मनमें आश्रमके प्रति घृणा पैदा हो गई है। हमें उसे यहीं छोडकर जाना होगा। सौभाग्यसे डॉ० खान साहबकी पत्नी यहाँ आ रही है। वह कदाचित् उनके साथ रहेगी। मेरी इच्छा तो २२ तारीखके बाद वर्धा पहुँचनेकी है। २९ तक तो अवश्यमेव। आज शकरलाल[2] और गुलजारी-लाल[3] आये हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

रामदासका विचार अपने कागजात लाने और उनको पढ जानेके लिए बारडोली और लखतर जानेका है। उसे भाडे आदिका पैसा देना।

बापू

[पुनश्च]

देव शर्मा आकर मिल गये हैं। उनका कहना है कि आज शैल-आश्रममें जो खर्च होता है, यदि उतना पैसा उन्हें मिले तो वे उसकी व्यवस्थाका कार्य सँभालनेके लिए तैयार हैं। इस बारेमें मुझे लिखना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५०) से।

७७. पत्र : वालजी गो० देसाईको

७ जनवरी, १९३५

चि० वालजी,

'रामायण' के प्रसगोके बारेमें मैं अभी कुछ लिख नही सका हूँ। मैं तो उनके विषयमें मुझसे जो-कुछ कहा गया था, वह सब भूल गया हूँ। अब तो नये सिरेसे लिखना होगा, इसलिए मुझे प्रसगोके बारेमें सोचना होगा। हमें उन शास्त्री महोदयके

१. जमनालालजीके पुत्र।
२. शकरलाल बैंकर।
३. गुलजारीलाल नन्दा।

नया एजेंट मुझसे मिलने आया था। वह वहाँ (दक्षिण आफ्रिका) एक बार तो हो आया है। तुमसे मिलेगा जरूर। मुझे अपने अनुभवके बारेमें लिखते रहना। उसने झगड़ा मिटानेकी बात कही तो है।

मैं अभी दिल्लीमे हूँ। बा आदि साथ हैं। अभी थोडे दिन यही हैं। इस मासके अन्ततक तो वहाँ पहुँचना ही है। यहाँ ठंड खूब पड़ती है।

उम्मीद है, तुम सब आनन्दपूर्वक होगे।

लगता है, सुशीलाने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

कैलेनबैक जो कहते है, वह बिलकुल सच है। अच्छे यहूदी हमारा विरोध नही करते। नारणदासका कनु हमारे साथ है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेढ़से कहना कि मैं उसे अलगसे पत्र नही लिख रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३०) से।

८१. पत्र : नन्दलालको

८ जनवरी, १९३५

भाई नन्दलाल,

काव्यकी तरगमें तुम ग्रामोद्योग सघका परिहास करनेमें लगे मालूम होते हो। और फिर भी पत्रमें अपनी सही करते समय "आपका विश्वासपात्र" लिखते हो। यह तो कविको ही शोभा दे सकती है। लेकिन लीलावती बहनको पछतानेका कारण न देना। सत्यके पीछे असत्य तो चलेगा ही, किन्तु अन्तमे थककर रह जायेगा। देशी मिले भी हजारो आदमियोको बेकार करेगी। इसलिए हाथकुटे चावलका ही उपयोग होना चाहिए। तुम्हारे मनमें इतने ज्यादा विचार आते-जाते रहते हैं कि यदि तुमने उत्साहपूर्वक कुछ न किया तो तुमसे कुछ भी नही होगा। अच्छा यह होगा कि सोच-विचार करनेके बाद जितना स्वीकार कर सको, उतना करो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे · प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य . प्यारेलाल।

८२. पत्र : चन्द त्यागीको

दिल्ली
८ जनवरी, १९३५

भाई चन्द त्यागी,

तुमारा खत पाकर बहूत खुशी हासिल हुई। यदि सभव है तो राजकिशोरीको लेकर यहा मिल जाओ। देखनेके बाद कहू सकुगा क्या उचित है। शरीर अच्छा होगा। बलवीर सतोष दे रहा है, सुनकर आनद होता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६३०) से। सी० डब्ल्यू० ४२७८ से भी, सौजन्य चन्द त्यागी।

८३. सलाह : अहमदाबादसे आये शिष्टमण्डलको[1]

८ जनवरी, १९३५

गांधीजी ने शिष्टमण्डलके सदस्योंको सलाह दी कि अहमदाबादमें मालिकों और मजदूरोंके बीच पिछले पन्द्रह वर्षोंसे जो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चले आ रहे हैं, वे उन्हे बनाये रखें और भविष्यमें होनेवाले समस्त श्रमिक-विवादोंको मैत्रीपूर्ण ढंगसे सुलझाने के लिए एक स्थायी योजना बनायें।[2]

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-१-१९३५

१. अहमदाबाद मिल-मालिक-सघके उपाध्यक्ष कस्तूरभाई लालभाई, मजदूर-सघके उपाध्यक्ष शकरलाल बैंकर और मन्त्री गुलजारीलाल नन्दा वेतन-सम्बन्धी झगड़ेके सिलसिलेमें गांधीजीसे मिलने आये थे।

२. इस बैठकके परिणामस्वरूप दोनो संघोंके प्रतिनिधियोंका एक बड़ा सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया।

८४. एक पत्र

८ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

इतने वर्षोंके बाद तुम्हारा समाचार पाकर मुझे बहुत खुशी हुई।

मैं शांतिलालसे सम्पर्क बनाये हुए हूँ। मैं उसकी जो भी मदद कर सकता हूँ, करूँगा। किन्तु यह मेरे लिए लगभग असम्भव हो गया है कि मैं किसीपर व्यक्तिगत ध्यान दे सकूँ। मेरे जीवनका वह अध्याय लगभग समाप्त हो गया प्रतीत होता है।

खुर्शीदबहन यहीं है। मुझे डर है कि अब वह तुम्हारे पास नहीं जा सकती। वह ग्राम-सेवाके काममें . . .[1] है। उसने तुम्हारा पत्र देख लिया है। निश्चय ही यदि तुम सीमा-प्रान्त जाओ, तो वहाँ कई प्रकारसे सीमा-प्रान्तके लोगोंकी मदद कर सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ आनेका लालच नहीं दे सकता, क्योंकि यदि तुम यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें कुछ क्षण ही दे सकूँगा।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

८५. भेंट: श्रीमती सी० कुट्टन नायरको[2]

८ जनवरी, १९३५

श्रीमती नायर: मेरी धारणा है, विशेष रूपसे कराचीमें अखिल भारतीय महिला सम्मेलनमें भाग लेनेके बादसे मुझे लगता है कि भारतमें महिला-आन्दोलन महिलाओंका सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह आन्दोलन अभिजात-वर्ग और उच्च मध्यम-वर्गका प्रतिनिधित्व करता है। इस आन्दोलनको वास्तवमें जन-आन्दोलन बनानेके लिए क्या आप कुछ कारगर तरीके सुझा सकते हैं?

गांधीजी: इसका स्पष्ट उपाय यही है कि महिला-सम्मेलनकी वर्तमान सदस्याएँ खद्दर तथा अन्य ग्रामोद्योग-आन्दोलनोंमें सक्रिय रूपसे लग जायें और इस प्रकार अपने

१. साधन-सूत्रमें यहाँ छूटा हुआ है।

२. श्रीमती कुट्टन नायर कोचीनकी एक प्रमुख समाज-सेविका थीं। भेंटका जो विवरण श्रीमती नायरने तैयार किया था, उसे बादमें गांधीजीने पढ़ा और सुधारा था।

अन्दर ग्रामीण वृत्तिको विकसित करें और अपनी सभी आवश्यकताओके लिए गाँवोंपर निर्भर करनेमे गर्वका अनुभव करे।

श्रीमती ना० : क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यदि बिलकुल आरम्भिक अवस्थासे लेकर विद्यार्थी-जीवनके अन्ततक सह-शिक्षा दी जाये तो आज हमारे बीच यौन-सम्बन्धोंको लेकर जो एक गंभीर समस्या खड़ी है, उसे दूर करनेमें काफी मदद मिलेगी ?

गा० अभी मै निश्चित रूपसे यह नही कह सकता कि सह-शिक्षाका प्रयोग सफल होगा या नही। पश्चिममे यह सफल हुई नही दिखती। स्वयं मैने कई साल पहले यह प्रयोग किया था। मैने तो यहाँतक किया था कि लडके और लडकियाँ एक ही बराण्डेमे सोते थे और उनके बीचमें कोई ओट या आड नही होती थी मै और श्रीमती गाधी भी उनके साथ उसी बराण्डेमे सोते थे। मुझे कहना होगा कि इसके अवाछित परिणाम निकले।

श्रीमती ना० : लेकिन जिन समाजोंमें परदा-प्रथा लागू है, क्या वहाँ इससे भी ज्यादा खराब चीजें नहीं होतीं ?

गा० हाँ, अवश्य होती है, लेकिन सह-शिक्षा अभी भी प्रयोगावस्थामे है और इसके परिणाम अच्छे होगे या बुरे, इसे हम निश्चयपूर्वक नही कह सकते। मेरे विचारसे हमे यह प्रयोग पहले परिवारसे शुरू करना चाहिए। परिवारमे लडके और लडकियोको एकसाथ स्वतत्र और स्वाभाविक रूपसे बढना चाहिए। तब सह-शिक्षा अपने आप आ जायेगी।

श्रीमती ना० : एक शिक्षिकाके रूपमें मै अपने विद्यार्थियोके साथ काफी घनिष्ठरूपसे मिलती-जुलती रही हूँ। इस नाते मुझे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी मिले है जो अज्ञानवश और किशोरावस्थामें अस्वस्थ साधनोंसे प्राप्त जानकारी के कारण ऐसे कार्य करते रहे है जो उनके शारीरिक और नैतिक कल्याणके लिए हानिकर है। स्कूलोंमें बच्चोंको यौन-विषयक स्वच्छता और सफाईकी वैज्ञानिक और अनौपचारिक रूपसे शिक्षा देना क्या वास्तवमें हमारे लड़कों और लड़कियोंके लिए लाभजनक नहीं होगा ?

गा० हाँ। और कोई कारण नही है कि इस विषयपर कोई मुक्त रूपसे बात क्यो न कर सके।

श्रीमती ना० : बहुत-सी विवाहित स्त्रियोंके साथ संतति-निरोधके सवालपर बात-चीत करनेके बाद मैने पाया है कि बहुत-से मामलोमें, खासतौरसे उन औरतोके मामले में जिनके परिवार बड़े-बड़े है, स्त्रियोंपर मातृत्व थोपा जाता है। जबतक स्त्रीको अपने शरीरपर कोई अधिकार नहीं है, तबतक उसको सही अर्थमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए उस माताकी खातिर जिसका स्वास्थ्य बहुत-सारे बच्चे जननेके कारण बर्बाद हो जाता है, और उन बच्चोकी खातिर जो हमारे लिए आनन्दका स्रोत होने चाहिए, किन्तु जो अब अनचाहे इतनी बड़ी संख्यामें जन्म लेते जाते है, क्या-

गर्भ-निरोधक उपायोंके जरिये संतति-निरोध नहीं अपनाया जाना चाहिए? बेशक आत्म-संयम सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन साधारण पुरुष या स्त्रीके लिए आत्म-संयमका आदर्श अत्यन्त ऊँचा आदर्श है। गर्भ-निरोधक उपाय क्या उसके बाद दूसरे नम्बरके सर्वोत्तम उपाय नहीं है?

गा० : क्या आप ऐसा समझती हैं कि गर्भ-निरोधकका उपयोग करनेसे शरीरकी स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है? स्त्रियोंको अपने पतियोंका प्रतिरोध करना सीखना चाहिए। यदि पश्चिमकी भाँति ही यहाँ भी गर्भ-निरोधकोंका सहारा लिया गया तो उसके परिणाम अत्यन्त भयंकर होंगे। स्त्री और पुरुषोंके जीवनका उद्देश्य केवल यौन-सुख ही रह जायेगा। वे शिथिल-बुद्धि और संतुलनहीन हो जायेंगे और यदि शारीरिक दृष्टिसे न भी सही तो मानसिक और नैतिक दृष्टिसे बिलकुल नष्ट हो जायेंगे। फिर, हालाँकि मैं पुरुषको ज्यादा बड़ा अपराधी मानता हूँ लेकिन स्त्री उससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। कुल मिलाकर दोनों ही पाप करते हैं। स्त्री हमेशा शिकार नहीं होती। उसे अपनी गरिमाको समझना चाहिए और जब उसका मन न हो, तब उसे 'ना' कह सकनेका अभ्यास करना चाहिए।

श्रीमती ना० : लेकिन क्या इस समय भी अत्यधिक विषय-भोग नहीं होता, और क्या गर्भ-निरोधकका प्रयोग करनेसे व्यक्तिके यौन-जीवनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जायगा?

गा० निस्सन्देह लोगोंमें पहले ही विषय-भोग बहुत ज्यादा है, बल्कि विकृत यौनाचार भी बहुत है। लेकिन गर्भ-निरोधकोंका इस्तेमाल तो इनको और बढ़ावा देगा। गर्भ-निरोधक असंयमित विषय-भोगको एक ऐसा दर्जा प्रदान कर देंगे कि जो उसे अभी नहीं प्राप्त है।

श्रीमती ना० : क्या ऐसे विशिष्ट मामलोंमें भी इस उपायका सहारा नहीं लिया जा सकता जिनमें या तो स्त्री इतनी कमजोर है कि उसे बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, अथवा माता या पितामें से कोई एक रोगी है?

गा० नहीं। एक मामलेमें छूट देनेका मतलब होगा कि किसी दूसरे मामलेमें छूट देनी होगी, और अन्ततः सभी मामलोंमें छूट देनी होगी। ऊपर जो मामले बताये गये हैं, उनमें बेहतर यह है कि पति-पत्नी अलग-अलग रहें। पश्चिमी देशोंमें जिन गर्भ-निरोधक उपकरणोंका प्रयोग किया जा रहा है, उनके कारण वहाँ भयंकर अनैतिकता फैल रही है, और मुझे विश्वास है कि कुछ वर्षोंके पश्चात् पश्चिमी देशोंके लोग स्वयं अपनी गलती अनुभव करेंगे। क्या आप नहीं जानतीं कि इटलीमें मुसोलिनी उन माता-पिताओंको आर्थिक सहायता दे रहा है जिनके परिवार बड़े-बड़े हैं?

श्रीमती ना० : शायद मुसोलिनीको तोपोंके मुँहमें झोंकनेके लिए चारा चाहिए।

गा० . उन अंग्रेजों और डच लोगोंके बारेमें आप क्या कहेंगी जिनमें गर्भ-निरोधक बहुत लोकप्रिय हैं? क्या वे युद्धके विरुद्ध हैं?

श्रीमती ना० : क्या भारत-जैसा गरीब देश अपनी इतनी बड़ी मौजूदा आबादी का बोझ सँभाल सकता है जो निरन्तर तेज रफ्तारसे बढ़ती प्रतीत होती है?

गा० अगर हम प्रकृतिके मार्गमे बाधा न डाले तो प्रकृति ही हमारी समस्याको हल कर देगी। गर्भ-निरोधक उपकरण प्रकृतिके नियमोमें अस्वाभाविक हस्तक्षेप करते है। यदि लोग खरगोशोकी तरह तेजीसे अपनी आबादी बढाना चाहते है तो उन्हे खरगोशोकी तरह मरना भी होगा। यदि हम अपने आचारमे स्वच्छद हो जायेगे तो फिर कोई सन्देह नही कि प्रकृतिका कोप भी हमे झेलना होगा। प्रकृतिका यह कोप हमारे लिए छिपा हुआ वरदान होगा।

श्रीमती ना० : लेकिन क्या साधारण पुरुष और स्त्रीके लिए आत्म-संयम बरत सकना सम्भव है?

गा० हाँ, सुनिर्धारित परिस्थितियोमे सम्भव है। गर्भ-निरोधक तो वास्तवमे शिक्षित लोगोके लिए है, जो कि मानव-समाजके 'रोगी व्यक्ति' है। मै उन्हे 'रोगी' इसलिए कहता हूँ क्योकि उनका खान-पान और जो अत्यन्त कृत्रिम जीवन वे व्यतीत कर रहे है, उसने उनकी इच्छा-शक्तिको कमजोर बना दिया है और वे वासनाके दास बन गये है।

श्रीमती ना० : तो क्या, महात्माजी, आज जो विषय-भोगका अतिरेक हो रहा है, उसके व्यावहारिक उपचारके रूपमें आप यह सुझाव देंगे कि मनुष्यमें जो रचनात्मक शक्ति है उसको विषय-भोगके अतिरिक्त अन्य रास्तोमें मोड़नेके लिए कला, विज्ञान, साहित्य आदि विषयोंपर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

गा० एक हदतक यह सही है। मन और शरीर दोनोको स्वच्छ रखनेके लिए आपको अपने खान-पानकी वस्तुओके चुनावमे अत्यन्त सावधान रहना होगा। जिस प्रकार यह जानना जरूरी है कि दिमागमे क्या पहुँच रहा है, उसी प्रकार शरीरमे क्या पहुँचता है, सो जानना भी उतना ही जरूरी है। ये अत्यन्त सरल चीजे है जो आपको आत्म-सयमके मामलेमे बहुत मदद करेगी।

श्रीमती ना० : आप जानते है कि भारतमें शारीरिक दृष्टिसे अक्षम या अयोग्य व्यक्तियोके विवाह करने और सन्तान पैदा करनेपर कोई रोक नहीं है। फिर, हिन्दू-धर्म कहता है कि जबतक परिवारमें कोई पुरुष सदस्य श्राद्ध-कार्य सम्पन्न करने-वाला न हो, तबतक किसीको मुक्ति नहीं मिल सकती। सामान्य परिस्थितियोमें यह चीज हिन्दू-जातिको पतित बनाती जा रही है। क्या आप इन परिस्थितियोंमें इस बातके पक्षमें है कि वन्ध्यकरण या नसबन्दी करदी जाये, जैसाकि हिटलरके शासनमें जर्मनीमें किया जा रहा है?

गा० ऐसे करोडो हिन्दू है, विशेष रूपसे अछूत लोग, जो श्राद्ध-कार्य नही करते। जहाँतक नसबन्दीका सवाल है, इसे लोगोके ऊपर कानूनके रूपमे थोपना मै अमानुषिक मानता हूँ। लेकिन ऐसे लोगोके मामलेमे जो असाध्य रोगोसे पीडित

हैं, यह वांछनीय है कि यदि वे लोग राजी हो तो उनकी नसबन्दी कर दी जाये। नसबन्दी एक प्रकारका गर्भ-निरोधक है, और हालाँकि मैं औरतोके मामलेमें गर्भ-निरोधकके प्रयोगके विरुद्ध हूँ, लेकिन चूँकि पुरुष ही आक्रमणकर्ता होता है, इसलिए यदि वह स्वेच्छासे नसबन्दी करा ले तो मुझे परवाह नही है।

श्रीमती ना० : महात्माजी, आप कहते हैं कि स्त्रीको अपने ऊपर बलात् मातृत्व नहीं थोपने देना चाहिए, बल्कि उसे दृढ़तासे काम लेना चाहिए और अपने पतिसे निश्चयात्मक रूपसे 'ना' कह देना चाहिए। क्या आपने यह विचार किया है कि हिन्दू स्त्रीका विशेष रूपसे कोई आर्थिक दर्जा नहीं होता और यदि वह अपने 'स्वामी'की इच्छाकी अवहेलना करेगी तो इसके परिणाम उसके लिए बहुत भयानक हो सकते हैं, और कानूनके अनुसार उसे कोई दूसरा घर मिलनेकी बात तो दूर रही, गुजारेसे भी वंचित किया जा सकता है?

गा० यदि आप आँकडोका अध्ययन करे तो देखेगी कि हिन्दू स्त्रियोकी आर्थिक अवस्थाके बारेमे आपका कथन सारे समाजकी बस मुट्ठी-भर स्त्रियोके मामलेमे ही लागू होता है। क्या आप जानती है कि भारतीय घरोमें सामान्यत. स्त्री ही वास्तविक स्वामिनी होती है?

श्रीमती ना० : क्या मैं जान सकती हूँ कि साबरमती आश्रममें आत्म-संयम सम्बन्धी आपके प्रयोग किस हदतक सफल हुए हैं?

गा० : यह कह सकना बहुत कठिन है। हमारे यहाँ कुछ अत्यन्त दु खद मामले हुए हैं। लेकिन जिन लोगोने आश्रममे आकर वहाँका अध्ययन किया है, वे वहाँ स्वतत्रताके सामान्य वातावरणको देखकर और वहाँके अन्तेवासियोमे यौन-विषयक चेतनाका अभाव देखकर बहुत प्रभावित हुए है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-१-१९३५

८६. भेंट : हालिदा अदीब हानुमके साथ[1]

९ जनवरी, १९३५[2]

[हालिद अदीब :] गांधीजी, आप यन्त्रीकरणके अभिशापके विरुद्ध किस प्रकार संघर्ष करेंगे? आप आदमीको इन्सान किस तरह बनाये रख सकेंगे?

[गांधीजी .] यह सब-कुछ मेरी अहिंसामें समाया हुआ है — हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण और जो-कुछ गाँववालोंका है, उसे गाँववालोंको देनेकी बात, हरिजन-कार्य और ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित करनेका आन्दोलन — ये सब बातें अहिंसाके कारण ही मुझे सहज-सुलभ प्रतीत होती हैं। ३५ करोड़ मनुष्योंवाले देशमें यन्त्रीकरणकी बात सोचना भी पाप है। प्रत्येक मनुष्य एक यन्त्र ही तो है। उसे तेल डालकर चुस्त-दुरुस्त हालतमें रखनेकी जरूरत है। मैं यही करनेकी कोशिश कर रहा हूँ।

मुझे विश्वास है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता तो आप ले लेंगे, लेकिन मुझे भय है कि यन्त्रीकरण भारतपर हावी हो जायेगा।

वैसी स्थितिमें हिंसासे बचनेका कोई रास्ता नहीं है। यह चीज मैंने १९०८ में ही देख ली थी और तभीसे मैंने अपने सारे कार्य अहिंसाके सिद्धान्तके अनुसार किये हैं। भारतमें पूर्ण यन्त्रीकरण यदि हुआ तो उसके परिणामस्वरूप हिंसा किसी-न-किसी रूपमें अवश्य फूटेगी।

मैं जानती हूँ। लेकिन यह अत्यन्त कठिन कार्य है। आत्माकी रक्षा की ही जानी चाहिए। मैंने "मॉस्क्स एण्ड सोल्स" नामक एक नाटक लिखा है। जितनी आत्माएँ हैं उनसे ज्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन यदि आप आत्माओंको शिक्षा देनेवाली एक पाठशाला खोलें तो बहुत अच्छा होगा।

अवश्य, बशर्ते कि हम एक भी सच्चा सत्यदर्शी पा सकें।

मैं बहुत आशान्वित नहीं हूँ, क्योंकि विरोधी पक्ष बहुत शक्तिवान है।

मैंने अपनी आशावादिता कभी नहीं छोड़ी है। घोर अन्धकारके समय भी मेरे मनमें आशाकी प्रखर ज्योति जलती रही है।

१. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत। भेंटकर्त्ता एक तुर्क महिला थीं, जिन्होंने तुर्कीकी क्रान्तिमें प्रमुख भाग लिया था। वे जामिया मिलियाके निमन्त्रणपर व्याख्यान देनेके लिए भारत आई थीं। महादेव देसाईने लिखा है: "वे आईं और गांधीजीके निकट बैठकर बोलीं, "मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने और अपने देशवासियोंके लिए जो-कुछ ले जा सकूँ, वह लेनेके लिए आई हूँ।"

२. हिन्दुस्तान टाइम्स, १०-१-१९३५ के अनुसार।

मैं जानती हूँ कि आप अपनी आशाको स्वयं नहीं मार सकते।

आप बिलकुल ठीक कहती हैं। इस आशाको मैं स्वय नही मार सकता। मैं मानता हूँ कि अपनी आशाको उचित सिद्ध करनेके लिए मैं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही दे सकता। लेकिन मेरे मनमे पराजयकी कोई भावना नही है।

मुझे यकीन है कि यह पराजय-भावना आपके अन्दर कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-१-१९३५

८७. पत्र: मार्गरेट स्पीगलको

दिल्ली
१० जनवरी, १९३५

चि० अमला,

मुझे तुम्हारा पेंसिलसे लिखा हुआ पुर्जा मिला। मेरा खयाल है कि तुम्हे जर्मनीसे एक अन्य पासपोर्टकी जरूरत नही होगी। उसकी जरूरत तब होगी जब तुम वापस जर्मनी जाना चाहो। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ रहनेके लिए वह अनावश्यक है। साथ ही, सरकार किसी भी विदेशीको किसी भी क्षण बिना कोई कारण बताये भारतसे चले जानेके लिए कह सकती है। और अब तो भारतमे जन्मे किसी व्यक्तिमे और विदेशीमें शायद ही कोई अन्तर हो, क्योकि अध्यादेश द्वारा बनाये गये कानूनके अन्तर्गत किसी भी व्यक्तिको देश-निकाला दिया जा सकता है।

तुम मुझे यह अवश्य बताना कि शान्तिनिकेतनमे तुम्हे कैसा लग रहा है। हम यहाँ सम्भवत २८ तारीखतक है, २० तारीखतक तो निश्चय ही है।

बापू[1]के आशीर्वाद

श्रीमती अमलाबहन
(डॉ० मार्गरेट स्पीगल)
शान्तिनिकेतन

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल-कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

१. हस्ताक्षर गुजरातीमें हैं।

८८. भेंट : समाजवादियोंसे

१० जनवरी, १९३५

समाजवादी एकबार फिर गांधीजीसे मिले और उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोणसे ग्रामोद्योग समस्यापर बातचीत की। उन्होंने यह कहा बताते हैं कि ग्रामीण कार्यक्रममें सबसे पहला काम किसानोंकी हालत सुधारनेका होना चाहिए, जो कि जमींदारों द्वारा पीड़ित किये जाते हैं। और किसानोंमें यह प्रचार किया जाना चाहिए कि उनके प्रति किये जानेवाले अमानुषी व्यवहारके आगे वे अपना सिर न झुकायें।

ऐसा समझा जाता है कि गांधीजी उनकी इस रायसे सहमत नहीं थे और उन्होंने यह राय व्यक्त की कि दोनों दलोंमें सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखनेकी दिशामें प्रयास किये जाने चाहिए। किसी किस्मके झगड़ेसे बचना चाहिए और जमींदारोंकी सहानुभूतिको नहीं खोना चाहिए, ताकि वर्तमान कार्यक्रमको सफल बनाया जा सके उन्होंने कहा कि एकाएक पूर्ण परिवर्तन लानेका अभी समय नहीं आया है, हालाँकि कुछ समय बाद हम उस स्थितिको पहुँच सकते हैं। महात्मा गांधीने कहा कि वर्तमान परिस्थितियोंमें क्रान्ति लानेका समाजवादियोंका जो विचार है, उसके परिणामस्वरूप जमींदार लोग किसी तीसरे पक्षकी शरण ले सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-१-१९३५

८९. भेंट : समाचारपत्रोंको

१० जनवरी, १९३५

आपकी इस ग्रामोद्योग योजनाके प्रति सरकारने जो रुख अख्तियार किया है, उसके सम्बन्धमें आपका क्या खयाल है?[1]

सरकार अगर खुद मेरे कामको अपने हाथमें लेकर मेरे पैर तलेकी धरती निकाल दे तो मुझे अपार आनन्द होगा। जो काम मैं करना चाहता हूँ, वह बहुत-कुछ सरकारके करनेका था। जो काम सरकार कर सकती है वह करे, मगर जनताको व्यर्थ भुलावेमें

१. गाँवोंमें कांग्रेसकी गतिविधियोंके विरुद्ध पेशबन्दी करनेके खयालसे सरकारने गाँवोंके आर्थिक विकास और सुधार-कार्योंके लिए प्रान्तोंको १ करोड़ रुपये देनेका प्रस्ताव किया था और इस सिलसिलेमें एक गोपनीय परिपत्र जारी किया था।

न डाला जाये। अगर सरकार मेरे काममें मेरी मदद करे तो मैं चमत्कार करके दिखा दूं। पर यह तभी हो सकता है जब वह सच्चे अर्थमें मुझे सहायता दे, अर्थात् इस कार्यक्रमके रहस्यको सरकार समझे और उसकी कदर करे।[1] करना चाहे तो वह अनेक तरीकोंसे मेरी मदद कर सकती है। जैसे, आवश्यक कानून बनाकर वह ग्रामोद्योग-कार्यमें मेरा हाथ बँटा सकती है। मगर सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं, इस सबके बारेमें कृपाकर आप मेरी राय न पूछें। मैं सरकारके कामकी टीका नहीं करना चाहता। अगर इसे जरूरी समझूंगा, तो मैं सरकारको लिख दूंगा। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मेरी हर बात जग उजागर है, सरकारसे मेरी कोई भी बात छिपी नहीं है। मैंने अपने कार्यक्रममें ऐसी ही चीजोंको लिया है जिनके ऊपर अभीतक किसीका भी ध्यान नहीं गया था, और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अनधिकार हस्तक्षेप करनेकी मेरी नीयत नहीं है। हाथका कुटा चावल, हाथका पिसा आटा और गाँवका बना गुड़, इन चीजोंका प्रचार मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मशीनकी कुटी-पिसी बाजारू चीजें खा-खाकर अपने स्वास्थ्यको खराब न करें, क्योंकि आज देखा जाये तो यही हो रहा है। मुझे खुशी है कि मिलके चावल, आटे और शक्करके बारेमें मेरी जो राय है, उसका समर्थन देशके ऊँचेसे-ऊँचे डाक्टरों और वैज्ञानिकोंने किया है। जमीन और खेतबाड़ीकी तरक्की किन-किन तरीकोंसे हो सकती है इस बातपर मैं अपना खयाल नहीं दौड़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी सीमाओंको भली-भाँति जानता हूँ। बिना किसी बाहरी मददके लोग जो खुद कर सकते हों, वह सब करें, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। आलस्य दूर हो जाये, अपना समय लोग अच्छे कामोंमें लगाने लगें, रोगवर्धक खाद्य वस्तुओंका उपयोग न करें और अपनी सब फिजूलखर्चियाँ बन्द कर दें – मेरा बस, यही एकमात्र उद्देश्य है। हाथ-कुटे चावल, हथ-चक्कीके पिसे आटे, गाँवके बने गुड़, कोल्हूके पिरे तेल और गृह-चर्म उद्योग-सम्बन्धी मेरे तमाम आन्दोलनको बस इसी दृष्टिसे देखना चाहिए।[2]

ग्रामोत्थानका कार्यक्रम कोई नई चीज नहीं है, हालाँकि कांग्रेसने हाल ही में अपने बम्बई-अधिवेशनमें इसे रचनात्मक कार्यक्रमके एक अंगके रूपमें स्वीकार किया था।[3] पिछले आठ महीनोंसे मैं जनताको इसके बारेमें बताता आ रहा हूँ।

गांधीजीने तकलीकी क्षमताओंको मुक्तकंठसे सराहते हुए बताया कि हाल ही में मैंचेस्टरके एक कर्तैयेने तकलीकी परीक्षा करनेके बाद यह स्वीकार किया कि इसमें बड़ी सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। किसी समय तकलीपर प्रतिघंटे एक सौ गज सूत ही काता जा सकता था, पर अब उसपर चार सौ गज प्रति घंटेकी रफ्तार से सूत निकाला जाता है। उन्होंने कहा:

१. यह वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्समें छपी रिपोर्टसे लिया गया है।
२. इसके बादका अंश हिन्दुस्तान टाइम्समें छपी रिपोर्टसे लिया गया है।
३. परिपत्रमें सरकारने कांग्रेसके बम्बई अधिवेशनको गांधीजीकी सबसे बड़ी वैयक्तिक विजय बताया था।

तकली एक बहुत ही अद्‌भुत चीज है और इसका बुद्धिमानीके साथ प्रयोग किया जाये तो इससे जबर्दस्त लाभ हो सकता है।

महात्माजी ने इस बातपर जोर दिया कि ग्रामोद्योग संघका राजनीतिसे कतई कोई सरोकार नहीं है।

यह पूछे जानेपर कि दिल्लीमें आपने अपने काममें कितनी प्रगति की है, गांधीजी ने कहा कि मैं सामग्री इकट्ठा करनेका काम धीमी गतिसे कर रहा हूँ और इसकी महान सम्भावनाओंको देखना चाहता हूँ। चरखा संघने डेढ़ करोड़ रुपया १ लाख ६० हजार लोगोंमें वितरित किया है। इनमें १ लाख २० हजार कतैये, २४,००० धोबी और शेष बुनकर हैं। ग्रामोद्योगोंका उद्देश्य गाँववालोंके हितोंको बढ़ाना है और अगर यह बात स्पष्ट रूपसे समझ ली जाये कि गाँवमें तैयार होनेवाली वस्तुएँ उस गाँवकी आवश्यकताओंकी ही पूर्तिकी खातिर हैं, तो प्रतियोगिताकी दृष्टिसे कोई कारण नहीं है कि ग्रामोद्योग यंत्रचालित उद्योगोंका मुकाबला न कर सकें।

इस नीतिको भारतके बाहरके देशोंमें भी आर्थिक दृष्टिसे लाभजनक माना गया है और यदि इसको कार्यरूप दिया जाये तो इससे भारतको जबर्दस्त लाभ होगा। जहाँतक चावल, गेहूँ और चीनीका सवाल है, यह नीति सामान्य आर्थिक दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि अन्य दृष्टियोंसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाँवोंके हाथ-कुटे, हाथ-पिसे चावल और आटेमें तथा गुड़में विटामिनों और प्रोटीनोंकी मात्रा अधिक होती है, जबकि मिलोंके चावल, आटे या चीनीमें ये तत्व नहीं होते।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-१-१९३५ और हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-१-१९३५

९०. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

दिल्ली
११ जनवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। जो खाना तुम्हे सबसे ज्यादा माफिक आता है, वही खाकर तुम्हे अपना शरीर पूर्णतया स्वस्थ कर लेना चाहिए। तुम्हे क्या माफिक आता है, इसका निर्णय तुम स्वयं सबसे अच्छी तरह कर सकती हो, बशर्ते कि तुम खानेका चुनाव स्वास्थ्यके लिए करो न कि स्वादके लिए। मुझे ऐसी कोई आशंका नही है कि तुम अपने खानेका चुनाव स्वादको ध्यानमे रखकर करोगी। यहाँ हमे तरह-तरहकी भाजी मिल जाती है—मटरका साग, सरसोंका साग, गाजरकी पत्तियाँ, अच्छी मूलीकी

१. यह हिन्दीमें है।

पत्तियाँ और पालक। तुम मक्खन ले रही हो, यह अच्छी बात है। क्या तुम काफी कसरत कर रही हो?

जानम्मालके बिना तुम्हारा आश्रम खोलना ठीक नही होगा। इसलिए यदि वह गाँव नही आ सकती तो तुम्हे अपना आश्रम मद्रासमे रखना चाहिए, बशर्ते कि पिताकी इच्छा अन्यथा न हो।

मुझे पिताके किसी गाँवमें बसनेका विचार पसन्द है, चाहे वह कुछ समयके लिए ही हो।

हम एक खुले बरामदेमें, जिसके ऊपर छत पडी है, सो रहे हैं। यहाँ सुबहकी ओसका खतरा है और मेरे लिए इस बातकी काफी सुविधा नही है कि खुले आसमानके नीचे सोनेके प्रयोगकी मैं कोशिश करूँ।

यह अच्छी बात है कि तुम काका साहबसे मिली और हिन्दी सीखनेके सबसे अच्छे तरीकेके प्रश्नपर उनसे बातचीत की। उनसे निकट सम्पर्क स्थापित करो। वे शिक्षा-सम्बन्धी मामलोमे अच्छे पथदर्शक होगे।

मेरा खयाल है कि कागज और लिफाफोका बिल लगभग २२ रु० था। मेरा खयाल था कि वह बिल तुम्हे भेज दिया गया था। मै पता करूँगा। मुझे कोई लिफाफे मत भेजना। खुद मेरे पास कुछ हैं। लेकिन मैं उन लिफाफोको काममे ला रहा हूँ जिन्हें हमने रद्दी कागजोसे बनाया था और जबतक ये चलेगे, इन्ही से काम लूँगा। निर्मला वर्धामे है। बीबी अमतुल हमारे साथ है।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल कागजात; सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

९१. पत्र: उमादेवी बजाजको

११ जनवरी, १९३५

चि० ओम,

तू अपना आलस्य कब छोडेगी? तेरे पत्रमें अक्षर मोतीके दानेके समान नही हैं। इतने लम्बे पत्रमे भी खबरे कुछ नही दी। मुझे अब ऐसा लगता है कि तेरा बम्बई जाकर एकबार कान दिखा लेना अच्छा होगा। यहाँ ठड अच्छी पड रही है। हमे तो ऐसा लगता है, जैसे जंगलमें पडे है। अच्छा है। लोगोसे मिलना बहुत रहता है, इसलिए काम पूरा नही हो पाता।

मदालसाको कहना कि मुझे लिखे। उसकी खुराक क्या चल रही है? वजन कितना है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेहरताज तुझे-मुझे सबको भूल गई है। चैनसे डॉ० अन्सारीके घर रहती है।

[गुजरातीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृष्ठ ३४०-४१।

९२. तार : जमनालाल बजाजको

दिल्ली

१२ जनवरी, १९३५

जमनालाल
बिडला हाउस
माउण्ट प्लेजेंट रोड
बम्बई

अभी-अभी पता चला कि स्वरूपरानी बेहोश है। पूरा विवरण भेजो।

गांधी

[गुजरातीसे]

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृष्ठ १४६

९३. मिल-मजदूरोंसे

दिल्ली

१३ जनवरी, १९३५

तुम्हारी मजदूरीके विषयमे जो झगडा चल रहा था उसके सम्बन्धमे हुए समझौतेका तुम लोग सहर्ष स्वागत करोगे, ऐसी मै आशा करता हूँ . . .[1] मजदूरीमें हुई कमीको यदि तुम स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लेते हो तो इसमे तुम्हारा हित ही है। मुझे इसमे बिलकुल शक नही है कि इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढेगी। हम जिस नीतिको वर्षोंसे मान्य कराना चाहते रहे है उसके मुख्य सिद्धातको इस समझौतेमे स्वीकार किया गया है। यह कोई छोटी बात नही है। इसपर अमल कैसे किया जाये इसकी योजना हमे जल्दीसे-जल्दी बनानी है। यहाँ मुझे यह कहनेकी जरूरत नही होनी चाहिए कि इस योजनाका आधार अधिकाशमे तुम्हारे उद्देश्यकी शुद्धता और आचरण पर है। मालिक और मजदूर दोनोका हित इस बातमे है कि मिल चलती रहे। जो इस बातको याद रखेगा उसे इस समझौतेका औचित्य समझना बिलकुल भी कठिन नही होगा। जबसे हम लोगोका सम्बन्ध आरम्भ हुआ तभीसे मैं तो आप लोगोसे

१. साधन-सूत्रमें छूटा हुआ है।

यह कहता आ रहा हूँ कि कोई भी उद्योग न तो सिर्फ मालिकका है, और न सिफ मजदूरोका। यदि उसमें मालिककी पूंजी यानी उसका पैसा लगा हुआ है, तो तुम्हारी पूंजी भी लगी हुई है। तुम्हारी पूंजी तुम्हारा परिश्रम है। ये दोनो ही तबतक किसी कामकी नही है जबतक उनमें मेल न हो। यदि यह बात तुम्हारे हृदयमें उतर गई हो, तो तुम इस समझौतेमे दोनो पक्षोका हित देख सकोगे, और यह भी देख सकोगे कि हमारे मनमे जो स्वप्न रहा है उसकी सिद्धिकी दिशामें हम कितना रास्ता तय कर चुके है और अपने लक्ष्यके कितने समीप पहुँचे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सब भाई-बहन पूर्ण सम्मतिसे इस समझौतेको स्वीकार करेगे।

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

९४. बातचीत

[१४ जनवरी, १९३५से पूर्व][1]

आपका यह आन्दोलन[2] मिशनरियोंकी लोकप्रियताको कम कर रहा है।

[गांधीजी:] सो तो मैं समझता हूँ, मगर यह बात मेरी समझमें नही आती कि इससे मेरे मिशनरी मित्रोको घबराहट क्यों होती है। हम लोग कोई व्यापारी तो है नही जो एक-दूसरेकी मंडीपर कब्जा करने जा रहे हो। अगर यह 'स्वसेवा' या स्वार्थ-साधनकी बात हो, तब तो मैं उनकी स्थितिको समझ सकता हूँ। लेकिन जब यह पूर्णतया 'पर-सेवा' का प्रश्न है, तब मुझे या उन्हे, जो दूसरोकी सेवा कर रहे है, परेशान होना ही नही चाहिए।

लेकिन मान लीजिए कि किसी जगह पर मिशनरियोका एक अस्पताल है, उसी जगह पर एक और अस्पताल खोलनेके लिए आप अपने आदमियोको भेज दें, तो ऐसी स्थितिमें मिशनके अस्पतालवालोंका परेशान होना शायद उचित ही है।

पर यह बात तो उन्हे समझ लेनी चाहिए कि हमारा एक भिन्न प्रकारका मिशन है। हम उन्हे सिर्फ दवा-दारू देनें या मामूली अक्षरज्ञान कराने तो उनके पास जायेंगे नही, हम तो उनके पास अपनी प्रायश्चित्त-भावनाका यत्किंचित् प्रमाण लेकर जायेंगे और उन्हे यह विश्वास दिलानेका प्रयत्न करेंगे कि अब हम तुम्हारा और अधिक शोषण नही करेंगे। जहाँ पहले से कोई अस्पताल है, वहाँ एक नया अस्पताल खोलनेकी सलाह तो मै नही दूंगा; पर अगर वहाँ मिशन स्कूल है, तो मैं वहाँपर हरिजन-बच्चोके लिए एक दूसरा स्कूल खुलवा देनेमें कोई हानि नही समझूँगा। हम बेतकल्लुफीसे स्थितिको ठीक-ठीक समझ ले। अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध मानव-सेवा है, जहाँपर शिक्षाका कोई प्रबन्ध नही वहाँ शिक्षा-प्रसार है, तो हमारे मिशनरी

१. इसे महादेव देसाई लिखित 'साप्ताहिक टिप्पणियाँ', १४-१-१९३५, से लिया गया है।

२. अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन।

मित्रोको तो आभार मानना चाहिए कि जो लोग अपने घरमे अचेत पड़े हुए थे, वे जाग तो गये, उन्हे अपने कर्तव्यका बोध तो हो गया। पर मुझे दु ख यह होता है कि हमारे मिशनरी मित्र शुद्ध मानव-सेवाकी भावनासे काम नही कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तो अधिकसे-अधिक लोगोको ईसाई बनाना है, और यही उनकी परेशानीका कारण है। जो शिकायत मै बरसोसे करता आरहा हूँ वह आपके इस कथनसे और भी पुष्ट हो जाती है। उस दिन एक विद्वान पण्डितके ईसाई-धर्म स्वीकार कर लेने पर एक मिशनके कुछ सज्जन मारे खुशीके फूले नही समाते थे। वे मेरे प्रिय मित्र थे, इससे मैंने उनसे कहा कि अगर एक मनुष्य अपने धर्मका परित्याग कर रहा है तो इसमे आप लोगोका आनन्दविभोर होना उचित नही। आज तो यह एक विद्वान हिन्दूकी बात है, कल किसी ऐसे अज्ञानी ग्रामवासीको आप ईसाई बना सकते है जिसे शायद अपने धर्मके सिद्धान्तोका कुछ भी पता न हो। अगर मै कही कोई ऐसी पाठशाला खोलूं जिसे हमारे हरिजन भाई मिशन पाठशालाकी अपेक्षा अधिक पसन्द करते हों, तो, आप ही बतलाइए, इसमे मिशनरियोको शिकायत क्यो होनी चाहिए? क्या यह स्वाभाविक नही है?

पर अगर कोई ईसाई आपके हिन्दू-धर्मको स्वीकार कर ले, तो क्या उसके सम्बन्धमें भी आप यही बात कहेंगे?

जरूर कहूँगा। मीराबहनको ही ले लीजिए। ईसाई-धर्मसे वे जो भी आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करना चाहे, मै उन्हे खुशीसे प्राप्त करने दूंगा। मै उन्हे हिन्दू-धर्ममे, अगर वह चाहे तब भी, दीक्षित करनेकी स्वप्नमे भी कल्पना नही करूँगा। आज तो मीराबहन-जैसी एक प्रौढ महिलाकी बात है, पर कल यही बात किसी ऐसे यूरोपियन बच्चेके बारेमे हो सकती है जिसे मेरा कोई प्रिय मित्र धरोहरके रूपमे मुझे सौप जाये। खान साहबकी लडकीको लीजिए। उसके पिताने उसे मेरे हवाले कर दिया है। मै बडी सावधानीके साथ उसे उसके इस्लाम-धर्मके ही अनुसार शिक्षा-दीक्षा दूंगा और इसका भरसक प्रयत्न करूँगा कि वह अपने धर्म-पथसे कभी बहकने न पाये। दूसरे धर्मोंके बच्चो और वयस्क लोगोको अपनी निगरानीमें रखनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मै ईश्वरका आभार मानता हूँ कि वे लोग मेरे साथ रहकर कुछ बेहतर ही ढंगके ईसाई, मुसलमान, पारसी या यहूदी बनें।

लेकिन अगर अंतःकरणकी शुद्ध बात हो, तब?

मैं किसीके अन्त.करणकी खबर रखनेवाला तो हूँ नही। किन्तु यह मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जो मनुष्य यह कहता है कि जिस धर्ममें उसने जन्म लिया है उस धर्ममें उसे शान्ति नही मिल रही है, उस मनुष्यके अन्दर ही कोई कमजोरी है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २५-१-१९३५

९५. प्रस्तावना : 'टू सर्वेण्ट्स ऑफ गॉड' की

दिल्ली

१४ जनवरी, १९३५

हालाँकि मेरी हमेशासे यह तीव्र अभिलाषा रही है कि मैं खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ कुछ समय रहूँ, लेकिन मुझे यह सौभाग्य केवल पिछले वर्षके अन्तिम महीनोंमें ही प्राप्त हो सका। फिर भी खुशकिस्मतीसे मैं न केवल छोटे भाई अपितु बड़े भाई, डॉक्टर खान साहबके साथ भी कुछ समय रह सका। यह तबकी बात है जब वे दोनो हजारीबाग जेलसे रिहा ही हुए थे। यह संयोगकी ही बात थी कि उन्हें गत २८ दिसम्बरसे पहले सीमा-प्रान्तमे घुसनेकी अनुमति नही थी, और स्वारोपित अनुशासनके अन्तर्गत वे सविनय-प्रतिरोध भी नही कर सकते थे। सो वे वर्धामे सेठ जमनालाल बजाजके अतिथि बनकर रहे। इस तरह मुझे इन भाइयोके निकट सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जैसे-जैसे उनके सम्पर्कमे आता गया वैसे-वैसे उनकी ओर आकर्षित होता गया। मैं उनकी शुद्धहृदयतासे, स्पष्टवादितासे और अत्यधिक सादगीसे अत्यन्त प्रभावित हुआ। मैंने यह भी देखा कि वे एक नीतिके रूपमे नही, बल्कि एक सिद्धान्तके रूपमे सत्य और अहिंसामें विश्वास करते है। छोटे भाईको मैंने गहरे धार्मिक उत्साहसे ओतप्रोत पाया। लेकिन उनका धर्म सकीर्ण नही है। वे विश्ववादी है। यदि उनकी कोई राजनीति है तो वह उनके धर्मपर अवलम्बित है। डॉक्टरकी कोई राजनीति नही है। उनके सम्पर्कमे आनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि उनके बारेमे लोगोके दिलोमे मिथ्या धारणा है। इसलिए मैंने महादेव देसाईको कहा कि उनके जीवनके बारेमें वे जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त करके जनताके लिए उन दोनो भाइयोका एक शब्द-चित्र तैयार करे जिससे जनताके सम्मुख उनका मानवीय रूप उभरकर सामने आये। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा कि वह अपने शब्द-चित्रमें राजनीतिकी चर्चा न करे और सरकारकी आलोचनासे भी दूर रहे। उसी प्रयत्नका परिणाम यह चरित्र-चित्र है। अब पाठकगण यह मानकर कि इस पुस्तकमें महादेव देसाईने, दोनो भाइयोंने जैसा उन्हें बताया वैसा ही उनके जीवनका ठीक-ठीक और सच्चा विवरण दिया है, स्वय ही इस बातका निर्णय करें कि आज खान-बन्धु यदि जनताकी निगाहमे 'खुदाई खिदमतगार' के रूपमे जाने जाते हैं, तो उनका यह दावा किस हृदतक सही है।

मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

टू सर्वेण्ट्स ऑफ गॉड

९६. पत्र : निर्मल कुमार बोसको

१४ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपके निबन्धपर सिर्फ मुझे अपनी टिप्पणी देनी ही बाकी रह गई है। इसलिए आपका पोस्टकार्ड समयपर ही पहुँचा। मुझे खुशी है कि आपने अपने दृष्टिकोणपर पुनर्विचार किया है। आप भेंटवार्त्ता-सम्बन्धी अपनी टिप्पणियोको प्रकाशित कर सकते है, बशर्ते कि आप उन्हे पहले मेरे पास सशोधनके लिए भेज दे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

इस महीनेकी २३ तारीखतक दिल्लीमे ही हूँ।

श्री निर्मल कु० बोस
६/१ ए० ब्रि० इन्डियन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५१८ और १०५२१) से।

९७. पत्र : जमनालाल बजाजको

१४ जनवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम नही आ सकते, यह बात मैं समझ गया। जबतक डॉक्टर अनुमति नही देता, तबतक वहाँ रहना ही ठीक है। अपने सिर ज्यादा झझट मत लेना।

चूँकि रामदासको ऐसा लगता है कि उसे मणिभवन[1] मे रखनेकी मणिलाल[2] की कोई खास इच्छा नही है, इसलिए उचित यही है कि वह वहाँ से निकल आये। अब वह एक अलग कमरा लेकर रहना चाहता है। उसने उसका किराया, जो कि २५ रुपये तक होगा, माँगा है। मुझे लगता है कि उसे २५ रुपये दिये जाने चाहिए।

१. रेवाशंकर झवेरीका बम्बई-स्थित भवन।
२. रेवाशंकर झवेरीके पुत्र।

यह सब अनुचित तो है ही। लेकिन रामदासका रोग ही ऐसा है कि उसके मामलेमें अनुचित उचित मालूम पड़ता है। इसमें पितृ मोह मुझे किस हदतक गुमराह कर रहा है, सो नही कह सकता। यदि रामदासकी यह मांग तुम्हें दोषपूर्ण जान पड़े तो उससे ऐसा कह देनेका अधिकार तुम वर्षों पहले प्राप्त कर चुके हो।

स्वरूपरानीके बारेमें तुमने जो लिखा, सो मैं समझा।

मुझे यहाँ २५ तारीखतक तो रहना ही पड़ेगा। २८ तारीख यहाँ से रवाना होनेकी अन्तिम तारीख है।

राजाजी कल लक्ष्मीको लेकर यहाँ आ रहे हैं।

क्या तुम जयप्रकाशसे मिलते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५१) से।

९८. पत्र : लीलावती आसरको

१४ जनवरी, १९३५

चि० लीलावती,

तेरा पत्र मिला। तू खूब मितव्ययितासे काम ले रही है। अब तुझे बीमार तो क़तई नही पड़ना चाहिए। खाने-पीने और अध्ययन आदिके सम्बन्धमें नारणदास जो कहे, उसे ही सच मान। यहाँसे मैं तेरा ठीक तरहसे मार्गदर्शन नही कर सकता। धीरजका फल मीठा होता है, यह हमेशा याद रखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९३३०) से। सी०डब्ल्यू० ६६०५ से भी; सौजन्य : लीलावती आसर।

९९. पत्र : नारणदास गांधीको

१४ जनवरी, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारे तीन पत्र मिले हैं। पहलेका उत्तर तो महादेवसे देनेको कह दिया था। फइबा[1]के बारेमे समझ गया हूँ। यदि उसे शान्ति मिले तो काफी है। पाँवमें नश्तर लगवा दिया यह ठीक किया। इस उपचारपर जो खर्च हुआ, सो मुझे लिख भेजना। आश्रमकी जो रकम तुम्हारे पास हो, उसमे से चुका देना। उसका मासिक खर्च तो बेहचरलाल भेज देता है न? मुझे ऐसा ही कुछ खयाल है। पता लगाकर लिखना। फइबा शान्त तो रहती है न? क्या मनु उसकी टहल करती है? फूली[2] क्या वही है? क्या वह अपने धर्मका पालन करती है? यदि हम रोगका ठीक अर्थ निकाले तो वह रोगी और उसके पड़ोसियो तथा आत्मीयोकी एक परीक्षा ही है। अगर ईश्वरने सबकी स्थिति एक-जैसी बना दी होती तो कौन किसकी परीक्षा लेता? डॉ० जादवराय कौन है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मेरे पाँवमे कहने लायक कष्ट नही था। ठण्डमे लापरवाही करनेके कारण बिवाई फट गई थी। घूमना बन्द करने और थोडी-सी देख-रेखसे अच्छा हो गया है।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४२७ से भी, सौजन्य · नारणदास गाधी।

१. रलियातबहन।

२. रलियातबहनकी पुत्री।

१००. पत्र : हीरालाल शर्माको

१४ जनवरी, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारे खतकी इन्तेजारी हम दोनो कर रहे थे। ठीक आया। नया घर भले लिया। खर्चका हिसाब देखा। डाकका खर्च बिलकुल अच्छा है। किसीको उत्तर देनेकी आवश्यकता नही है। 'हरिजन'की नोटीस[1] बहूत अखबारोमे आई है। कोई मेरे साथ इस बारेमे पत्र भी लिखते।

मेरा यहाँसे जानेका कब होगा, कहा नही जा सकता। लेकिन २० के बाद तीन दिनका दौरा देहातका है। बादमे भाग जाना वर्धा।

नये मकानका किराया क्या होगा? कुछ लीसमे लिया है? तुमारे यहा आनेसे ज्यादा समझुंगा। द्रोपदी और बच्चे आवेंगे ना?

रामदास मुबईमे है।

रु० २०० गिरोमे लिया इसका अर्थ मै समज नही सका हू। किसने किसका घर क्यो गिरो दीया?

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १४२ और १४३ के बीचकी प्रतिकृतिसे।

१०१. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

१५ जनवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[2]

मुझे खुशी है कि सब कुछ इतनी अच्छी तरह हो गया। आशा है कि के०[3] का जख्म अब पूरी तरह भर गया होगा। मेरे पास अच्छे शहद और बादामकी तीन बोतले है। अभी मै उन्हे नही खा रहा हूँ। अब मुझे जरूर आजमाना चाहिए। तुम जब भी आ सको आओ। जब अगली बार कोई आये तो तुम मेरे लिए एक वैसा कुकर भेजना जैसाकि जानम्मालके पास था। तुम्हे चाहिए कि तुम मुझे उसकी

१. १४ दिसम्बर, १९३४ का।

२. यह हिन्दीमें है।

३. अम्बुजम्मालका पुत्र, कृष्णस्वामी।

कीमत चुकाने दो क्योंकि वह मुझे खुर्शीद बहनके लिए चाहिए। विवाहके बाद पिताका एक मधुर पत्र मुझे मिला था। आशा है कि वे कोडाई वापस चले गये होंगे। तुम्हें चाहिए कि उनको ऐसा करनेको प्रोत्साहित करो। तुम खुद उनके साथ जाओ और के०को अपने साथ ले जाओ।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजीसे. अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१०२. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१५ जनवरी, १९३५

चि० गंगाबहन,

यह हाथका बना कागज है, इसलिए ज्यादा महँगा है। अतः मैं इसका उपयोग सोच-समझकर करता हूँ। जबसे मैंने इसका उपयोग करना शुरू किया है, तबसे कागजकी खपत आधी रह गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि खादीकी खपत दशमांश अथवा उससे भी कम हो गई है। देसी माल हमेशा सस्ता पडता है। मैं देसी कलमसे लिख रहा हूँ।

तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म है। आसपासकी सब चीजोंकी सूक्ष्मतासे जाँच करना। जहाँतक सम्भव हो खाने-पहननेकी सब चीजें देसी होनी चाहिए।

पत्तोंको विना पकाये खानेकी आदत डालना। दूधको उबाले विना, आटेको छाने विना और चावल विना पालिश किया हुआ खाना सीखना। यदि तुम इतना भर सीख लो और गाँववालोंको सिखा दो तो करोड़ो रुपये बच जाये।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ६ : जी० एस० गंगाबहेनने, पृष्ठ ८४। सी० डब्ल्यू० ८८१७ से भी, सौजन्य गंगाबहन वैद्य।

१०३. पत्र : वसुमती पण्डितको

दिल्ली
१६ जनवरी, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र कल मिला और उसका जवाब आज सवेरे सबसे पहले, अर्थात् सवा तीन बजे लिखने बैठा हूँ।

यदि तेरी इच्छा चन्दूभाईको मदद देनेकी हो तो खुशीसे दे। किसीको परोपकार वृत्तिसे रोकनेका मुझे कोई अधिकार नहीं। जो भी पैसा तू दे, वापस मिलनेकी उम्मीद से मत देना। वापस न मिलनेमे किसीका दोष नहीं होगा। व्यापार चीज ही ऐसी है। जब पासा सीधा पडने लगे तब सीधा ही पडता जाता है, और जब उल्टा पड़ने लगे तब उल्टा पडता जाता है। लेकिन किसे सीधा कहे और किसे उल्टा, सो हम क्या जानते हैं? इसलिए जैसा तेरी अन्तरात्मा कहे वैसा अवश्य करना। देनेकी वृत्तिका सदैव विकास करना चाहिए। जिसे हम अपना मानकर बैठे हैं, वह अपना कब होता है?

मेरे पाँवके बारेमे तुझे जो बात सुनाई दे अथवा समाचारपत्रोकी बातको सच मत समझना। महात्माओकी फुंसियाँ भी बडे फोडेका रूप धारण कर लेती है। इसलिए महात्माओके फोडो आदिका विचारतक भी नही करना चाहिए। मैं वर्धामें जैसा था वैसा ही यहाँ हूँ। हाँ, यहाँ एक सडा-गला दाँत छोड जाऊँगा। या वह भी साथ आयेगा। मैं यहाँसे शायद २५ तारीखको रवाना होऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९२) से। सी० डब्ल्यू० ६३७ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित।

१०४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

१६ जनवरी, १९३५

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। सर्दीसे हाथ-पाँव फटनेका एक ही इलाज है और वह यह कि उन्हे गर्म रखा जाये; यहाँतक कि खुली हवामे व्यायाम भी न किया जाये। समाचारपत्र तो अत्यन्त दिलचस्प होते हैं। तुम्हे उनमें लिखी बातोका क़तई विश्वास नही करना चाहिए, विशषकर महात्माओसे सम्वन्धित घटनाओंका। उनकी फुंसियोको भी वढ़ा-चढ़ाकर कारबंकल फोडेके रूपमे चित्रित किया जाता है और एक साधारण सिरदर्द भी आसन्न मृत्युका सूचक बन जाता है।[1]. . .

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हे शान्तिनिकेतन और उसमे रहनेवाले लोग इतने पसन्द आये। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि तुम बँगला भाषा भी सीख रही हो। तुम्हे इन्दिरासे कहना चाहिए कि वह मुझे पत्र लिखे। उससे अल्मोडामे उसकी माँका पता मालूम करो और उसकी माँको लिखो कि तुम इन्दिराको फ्रासीसी भाषा सिखा रही हो। तुम कितनी लड़कियोकी शुश्रूषा कर रही हो? वे किस रोगसे पीडित है? तुम्हारी समय-तालिका क्या है? क्या तुम अपना खाना स्वय बनाती हो अथवा डबलरोटी, कच्ची सब्जियो और दूधपर गुजारा करती हो? और यदि तुम कच्ची सब्जियाँ ले रही हो तो वे कौन-कौनसी हैं?

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।

१. पत्रके यहाँ फटे होनेसे इसके बादका एक वाक्य पढ़ा नहीं जाता।

१०५. पत्र : मदालसा बजाजको

१६ जनवरी, १९३५

चि० मदालसा,

तेरा पत्र मिला। वजन नही बढता, यह आश्चर्य है। परन्तु कोई हर्ज नही। और सब बाते ठीक है, इसलिए वजन कम बना रहे तो हर्ज नही। तूने गाय दुहना शुरू किया है, यह तो बहुत अच्छा काम है। दुहनेके साथ ही पी जाती है न?

बर्तन खूब साफ रहते है न? थन पहले लाल पानीसे[1] और फिर साफ पानीसे धो लेती है क्या? अपना हाथ बिलकुल साफ रखती है क्या?

गायके शरीरपर साफ बोरेके टुकड़ेसे खरेरा करती है? उसे अपने हाथसे खिलाती है? तेरा यह आरम्भ बहुत सुन्दर है। मुझे फिर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३१६

१०६. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

दिल्ली
[१७ जनवरी, १९३५][2]

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जिस पत्रका जिक्र कर रहे हो उसकी मुझे याद नही है। मैं बहुत कार्यव्यस्तताके बीच पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ और, सम्भव है, इस कारण तुम्हारा वह पत्र ध्यानसे उतर गया है और मेरे सामने इकट्ठे पत्रोके ढेरमें कही दबा पड़ा है।

मैंने यह नही कहा है कि प्रचार-कार्य होना ही नही चाहिए। प्रचार तो होना चाहिए। मेरा तो यह कहना है कि प्रचारपर पैसा नही खर्च होना चाहिए, और यदि पैसा खर्च होता ही है इस कार्यके लिए अलगसे धन इकट्ठा किया जाना चाहिए। इस प्रकारके प्रचार-कार्यका संगठन करना सवर्ण हिन्दुओका काम है। इसलिए

१. कीटाणुनाशक पोटाशियम परमेंगनेट मिला पानी।

२. साधन-सूत्रमें '१७-१-१९३४' है, जो स्पष्ट ही भूल है। जनवरी, १९३४ में गांधीजी दक्षिण भारतका दौरा कर रहे थे।

अगर धन जरूरी ही हो तो इसी कार्यपर व्यय करनेके हेतु एक अलगसे कोष इकट्ठा किया जाना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि पैसेकी मददसे किया जानेवाला प्रचार प्रभावकारी नही होता। हम हरिजनोके प्रति अपने कर्त्तव्यको पूरा करनेकी गरजसे स्कूल और छात्रावास चलाते है। पुराने ढर्रेके अन्तर्गत खोले गये स्कूलोके मुकाबले हमारे स्कूल खोलनेका ध्येय दूसरा है। हमारा खोला हुआ प्रत्येक स्कूल अस्पृश्यताके ताबूतमे एक और कील ठोकनेके समान है। मैने अस्पृश्यता-निवारणके सिलसिलेमे सारे भारतका भ्रमण किया है, अत मै आशा करता हूँ कि तुम इसके परिणामोका निर्णय मेरे ऊपर छोड दोगे। यही कारण है कि मैने कहा है कि स्कूल और छात्रावास खोलना अस्पृश्यताके विरुद्ध अभियानके प्रचारका सबसे अच्छा तरीका है। हमारे पास काफी धन है। लेकिन स्कूल-मास्टर कहाँ से आयेगे? सवर्ण स्कूल-मास्टर सडक चलते तो मिलेगे नही। अब जरा इस प्रक्रियाको उल्टा करके देखो। हम जितने स्कूल और छात्रावास खोल पाते है, उनकी सख्याके अनुसार हम अपनी सफलताको माप सकते है। लेकिन यदि तुम इकट्ठा किये गये कोषमे से ९० प्रतिशत प्रचार-कार्यपर खर्च करोगे और १० प्रतिशत स्कूलोके खोलने पर, तो तुम सवर्ण हिन्दुओके हृदय-परिवर्तनकी दिशामे प्राप्त अपनी सफलताको किस प्रकार माप सकोगे? प्रतिदिन मुझे हरिजनोके पत्र मिलते है कि हम स्कूल, छात्रावास आदि खोलनेके बजाय अन्य चीजोमे पैसा खर्च करते है। मुझे कही से इस शिकायतका पत्र नही मिला है कि हम प्रचार-कार्य पर पर्याप्त धन नही खर्च कर रहे है। तुम्हारा पत्र पहला है जो मुझे मिला है। महाराष्ट्रमें इकट्ठा किया धन यदि सारा तुम्हारे प्रचार-कार्य पर खर्च किया जाये तो तुम प्रचारके लिए क्या करोगे सो मै नही जानता। मुझे कोई कार्यक्रम भेजो तो मै उसको उसके गुणावगुणके आधारपर जाँचूँगा। मेरे मनमे कोई पूर्वग्रह नही है। किसी भी तरह हो, मेरी एकमात्र चिन्ता यह है कि किसी प्रकार अस्पृश्यता समाप्त हो। पता नही मै अपनी बात बिलकुल स्पष्ट कर सका हूँ कि नही। यदि नही, तो तुम अपने विचारोको विस्तारसे लिखना।

महाराष्ट्र प्रान्तीय बोर्डके सदस्योके बारेमे तुमने जो शिकायत की है, वह निश्चय ही तुम्हारी विशेषता है। उसका प्रचार-कार्यसे कोई सम्बन्ध नही है। तुम्हे तो देवधरको कमसे-कम समय देनेको राजी करना है या उससे कहना है कि जो व्यक्ति समय दे सकता है, उसके पक्षमे वह हट जाये। अथवा चाहो तो उसे शोभाके लिए अध्यक्ष बनाये रहो, लेकिन एक ऐसा उपाध्यक्ष रखो जो कार्यवाहीका सचालन करे और महीने-महीनेका, बल्कि दिन-प्रति-दिनका कार्य सचालित करे। यदि तुम किसी ऐसे उपाध्यक्षका नाम सुझाओ तो मै अवसर मिलते ही सबसे पहले ठक्कर बापासे उसके बारेमे ही चर्चा करूँगा।

अब मिलके चावल और हाथ-कुटे चावलकी बात ले। जब तुम कहते हो कि मिलमे कुटा और पालिश किया चावल हाथ-कुटे चावलसे महँगा नही है, तो मै जानता हूँ कि तुम्हारे तर्कमे एक दोष है। हाथ-कुटा चावल भी उतना ही पालिश किया होता है जितना मिलका कुटा और पालिश किया चावल। इसे

तुम खुद आजमा सकते हो। अगर तुम हाथ-कुटा और बिना पालिश किया चावल लो तो वह कही भी और कभी भी मिलके पालिश किये चावलके मुकाबले सस्ता पड़ेगा। हाथ-कुटे और मिलके कुटे बगैर-पालिश किये चावलकी तुलना करके यह देखा जा सकता है। लेकिन तुम मिलोसे बिना पालिश किया चावल ज्यादा मात्रामे कभी नही पा सकते। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे देखें तो मेरे पास देश-विदेशके डाक्टरोका प्रमाण है कि हाथ-कुटे और बिना पालिश किये चावलके मुकाबले, मिलके कुटे बिना पालिश किये चावलमे विटामिन नही होते। बाहरी छिलका उतारना अत्यन्त सरल तरीका है। यह तो चावलको पालिश करनेकी प्रक्रिया है जिसके कारण श्रमका मूल्य बढ जाता है जिसे मैं अपनी गणनामे नही लेता, क्योकि मैं बाहरी छिलका उतारनेसे आगे नही बढ़ना चाहता। तुम खुद जाँच कर लो, और उसके बाद मुझे मूल्य बताओ। अगर तुमने गलती की है तो तुम कोई अकेले आदमी नही हो जिसने यह गलती की है। यह स्वाभाविक ही है, क्योकि हमने इन प्रक्रियाओकी कभी जाँच-पड़ताल नही की है और न हमने पालिश किये और बगैर-पालिश किये चावलमें फर्क करनेकी ही कोशिश की है। बिना पालिश किया चावल अत्यन्त खूबसूरत दाना होता है। यह या तो पीला, लाल या मटमैला होता है; पालिश किये चावल जैसा सफेद कभी नही होता। लाल रंगका चावल सर्वोत्तम और स्वादमे मीठा होता है और सबसे सस्ता भी होता है। मैंने धानका एक दाना खोलकर आसपासके लोगोको दिखाया कि बिना पालिश किया पूरा दाना किस प्रकारका होता है। मैंने स्वय भी उसे इससे पहले नही देखा था। लेकिन आधे पालिश किये हुए चावलोके ढेरमें मैंने धानका एक पूरा दाना देखा। मैंने फौरन उस धानके दानेके छिलकेको उँगलीके नाखूनोसे हटा दिया। इस तरह एक अत्यन्त सुन्दर दाना निकल आया। मै चुनौती देता हूँ कि कोई सिद्ध करे कि बिना पालिश किया चावल मिलके पालिश किये चावलके मुकाबले महँगा है। अपने सन्तोषके लिए स्वय परीक्षा कर लो और फिर मुझे बताओ कि क्या अब भी यह दावा करते हो कि पालिश किया चावल बिना पालिश किये हाथ-कुटे चावलकी अपेक्षा सस्ता है।

तुम्हारा,
बापू

श्री हरिभाऊ फाटक
६२, सदाशिव पेठ
पूना सिटी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३७४) से।

१०७. पत्र: अमृत कौरको

१७ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

यदि आज मुझे आपको पत्र लिखना ही है तो बोलकर लिखाना होगा। आपको जरूरतसे ज्यादा काम नही करना चाहिए। आपको अपने शरीरको पूरा आराम देना चाहिए और जहाँतक हो सके शरीर स्वस्थ बनाना चाहिए। रहन-सहनके प्राकृतिक ढगमे कट्टर विश्वास रखनेवाले व्यक्तिकी हैसियतसे मेरा खयाल है कि प्राकृतिक नियमोको अपनाकर हम अपने जर्जर शरीरोको फिरसे स्वस्थ बना सकते है। मैंने अकसर ऐसे लोगोको स्वस्थ होते देखा है जिनके मामलेमे डाक्टरी सहायता विफल रही है। यह किसी डॉक्टर भाईपर आक्षेप नही है।

मुझे उम्मीद है कि आपको अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके सविधानकी प्रतियाँ मिल गई है और आपने अपना फार्म कुमारप्पाको भेज दिया है।

मै चाहूँगा कि रायजादा अपने तर्कोसे मुझे कायल करे कि शारदा-अधिनियमको भग करनेके अपराधमें बेचारे हरिजनोपर मुकदमा चलाना हमारे लिए सर्वथा उचित है। इस बीच, मुझे पूरा यकीन है कि हमे ये मुकदमे नही चलाने चाहिए। पहले हमे शिक्षाप्रद प्रचार करके उन्हे शारदा-अधिनियमके बारेमे बताना चाहिए, और अगर वे तब भी न माने तो उनपर मुकदमा चलाना चाहिए।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५१९) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३२८ से भी।

१०८. पत्र : एस्थर मेननको

१७ जनवरी, १९३५

प्यारी बिटिया,

मुझे तुम्हारा पत्र और बच्चोके पत्र मिले। तगाई[1] एक समझदार लडकी है, और इसीलिए उसने सामने आनेवाले दु खोको तटस्थ भावसे झेलना सीख लिया है।[2] जब हम लोग जान-बूझकर की गई अपनी गलतियोके कारण दु.खोका शिकार बनते है, तब उदासीनताकी यह भावना हानिकारक है। लेकिन जब दु ख उन कारणोवश आते है जिनके बारेमे हमें कुछ भी मालूम नही और न हमें मालूम ही हो सकता है, तब तटस्थताका यह भाव रखना ही उचित है। दूसरे शब्दोमे, मनुष्यको निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए और ईश्वरकी इच्छाके आगे पूर्ण समर्पणका भाव रखना चाहिए।

तुमने पोर्तो नोवोकी अपनी यात्राका और मारिया किस प्रकार काममे डूब गई है, इसका जो विवरण लिख भेजा है वह बहुत अच्छा है।

मै अपने पाँवकी वजहसे चलनेसे लाचार हूँ, क्योकि जैसे ही कोशिश करता हूँ बिवाई फट जाती है।

सी० एफ० एन्ड्रयूजके पास बिलकुल समय नही था, इसी कारण वे तुम्हे पत्र नही लिख सके। उन्होने जो स्टीमर पकडा, वह समझ लो कि बस छूटने ही वाला था।

अखिल भारतीय चरखा सघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ, ये दोनो ही बिलकुल गैर-राजनीतिक सस्थाएँ है।

तुम्हे कभी वर्धा आना चाहिए। दिल्ली तो तुम्हारे लिए बहुत दूर है। अस्पतालमे काम करनेके लिए मेननको कितना वेतन मिलता है? हम हदसे-हद २८ तारीखको यहाँ से रवाना हो जायेंगे। यहाँ हम बहुत कडी ठडके दौरसे गुजर रहे है।

स्नेह।

बापू

श्रीमती एस्थर मेनन
'द विज़न'
तंजौर (द० भारत)

अग्रेजीकी एक फोटो-नकलसे, सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार। माई डियर चाइल्ड, पृ० ११० से भी।

१. एस्थर मेननकी पुत्री।
२. देखिए अगला शीर्षक।

१०९. पत्र : तंगई मेननको

१७ जनवरी, १९३५

प्रिय तागाई,

तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो जो समय-समयपर आनेवाली अपनी बीमारीको हँसकर झेल रही हो। तुम्हे अपने पिताजीसे यह प्रश्न पूछना चाहिए: "जब आप स्वयं डॉक्टर हैं तब मुझे समय-समय पर ये फोडे-फुंसी क्यों हो जाते हैं? आपको मेरी सहायता करनेका कोई तरीका ढूंढ निकालना चाहिए?" उम्मीद है कि तुम अब पहलेसे बहुत बेहतर हो।

प्यार और चुम्बन।

बापू

[अंग्रेजीसे]
माई डियर चाइल्ड पृ० १२१।

११०. पत्र : नान मेननको

१७ जनवरी, १९३५

प्रिय नान,

तुमने सुन्दर और साफ लिखावटमें मुझे बहुत अच्छा पत्र लिखा है। अपने पत्रमें मुझे नये वर्षकी शुभकामनाएँ भेजकर ठीक ही किया, क्योंकि तुमने अपना पत्र २७ दिसम्बरको लिखा था। लेकिन अब मेरा तुम्हे नये वर्षकी शुभकामनाएँ भेजना व्यर्थ है, क्योंकि नया वर्ष आरम्भ हो चुका है।

जब तुमने नये चरखेपर कातना शुरू किया, तब कैसा महसूस किया, सो लिखना। क्या तुम्हे तकली पर कातना आता है?

प्यार और चुम्बन।

बापू

[अंग्रेजीसे]
माई डियर चाइल्ड, पृष्ठ १२१।

१११. पत्र : म्यूरियल लेस्टरको

१८ जनवरी, १९३५

प्रिय म्यूरियल,

तुम इतनी तेजीके साथ एक जगहसे दूसरी जगह आती-जाती रही हो कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें पत्र किस पतेपर लिखूं। इसीलिए मैंने तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा।

मेरा खयाल है कि तुमने मुझे जितने पत्र लिखे थे वे सारेके-सारे मुझे मिल गये हैं। पत्र चारसे अधिक नहीं थे और तीनसे कम भी नहीं। तीन पत्रोंकी तो मुझे अच्छी तरहसे याद है।

मैंने तुम्हारा चेक हरिजन-कोषके लिए ठक्कर बापाको दे दिया है।

मैं यह पत्र दिल्लीमें बोलकर लिखवा रहा हूँ जहाँ कि मैं हरिजन-निवासमें चन्द दिन बितानेके लिए आया हूँ। इसके लिए श्री घनश्यामदास बिड़लाने ३०,००० रुपयेकी कीमतकी २० एकड़ जमीन दानमें दी है। मैं उसी टुकड़ेपर रह रहा हूँ। मैं अधिकसे-अधिक २८ तारीख तक वर्धा लौटनेकी आशा रखता हूँ।

तुम देख ही रही हो कि मैं अभी तक जेल नहीं गया हूँ और यकीन मानो कि मैं जेल जानेमें जल्दी नहीं करूँगा। सीमा-प्रान्तमें जानेकी मेरी अर्जी सरकारने नामंजूर कर दी है। बेशक यह अन्तिम निर्णय नहीं है।

यदि तुम्हें मेरी ओरसे पत्र न मिले तो भी तुम्हें मुझे पत्र लिखते रहना होगा।

हम सबकी ओरसे स्नेह।

बापू

कुमारी म्यूरियल लेस्टर, लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६५६२) से।

११२. पत्र : दुनीचन्दको

दिल्ली

१८ जनवरी, १९३५

प्रिय लाला दुनीचन्द,

आपका पत्र और उसके साथ संलग्न कागज मिला। मैं उसे पढ गया हूँ। मेरे विचारसे इसे प्रकाशित करना फिजूल था। डॉक्टर सत्यपालको आपके बचावकी जरूरत नहीं; और यदि वे ऐसी अपेक्षा रखते हैं तो मेरा खयाल है कि आपके पत्रने उनका मामला बिगाड़ दिया है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओंकी चमड़ी तो गैंडे-जैसी

होनी चाहिए। उन्हे संवेदनशील और पतली चमड़ीका नही होना चाहिए। लेकिन मुझे आपसे यह स्वीकार करना होगा कि हालाँकि मैंने इस सम्बन्धमें दो अथवा तीनसे ज्यादा व्यक्तियोसे बात नही की है और वह भी तब जब ऐसा करना उचित जान पडा, लेकिन मैंने पंजाबकी हारके लिए डॉक्टर सत्यपालको ही दोषी ठहराया। इस बातसे कोई इनकार नही कर सकता कि उनमे अपार शक्ति है, साहस है और उन्होंने अनेक कष्ट सहे हैं। लेकिन उनमें लोगोको अपने विरुद्ध कर लेनेकी भी अजीब खूबी है। मैं इस बारेमे उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन मेरे ऐसा करनेसे पहलें ही वे जेल चले गये। मेरा विचार है कि यदि डॉ० सत्यपालने समझदारी और विवेकसे काम लिया होता, तो पंजाबकी एक भी सीटसे हाथ नही धोना पडता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

लाला दुनीचन्द, बी० ए०
कृपा निवास, अम्बाला सिटी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५९२) से।

११३. पुर्जा: सैयद रजा अलीको[1]

[१८ जनवरी, १९३५]

आजके समारोहके लिए आपने मुझे निमन्त्रण-पत्र भेजा, तदर्थ मेरा धन्यवाद लीजिए। उसमे उपस्थित हो सकनेमे मेरी असमर्थताके लिए आप और श्रीमती नकवी कृपया मुझे क्षमा करे और वाइसराय तथा लेडी विलिंगडनसे भी मेरी ओरसे क्षमा-याचना करे।

[गुजरातीसे]
गुजरात समाचार, २०-१-१९३५

१. मूल अंग्रेजी पत्र अनुपलब्ध है।

११४. पत्र : जगदीश शास्त्रीको

१९ जनवरी, १९३५

भाई जगदीश शास्त्री,

गोसेवा निबंधके प्रकरणोंकी सूची इसके साथ है। उसमें वृद्धि कर सकते हो। रचनामें परिवर्तन भी कर सकते हो।

१. गोरक्षाकी उत्पत्ति

२. वैदिक कालमें स्थिति

३. स्मृति कालमें स्थिति

४. पौराणिक कालमें स्थिति

५. अन्य धर्मोंकी मान्यता

६. मुसलमानोंसे झगड़ेकी उत्पत्ति

७. गोरक्षा हिन्दू-धर्मका आवश्यक अंग है? यदि है, तो इसका अर्थ? क्या यह प्रथा प्राचीन कालसे है? आर्यसमाजी और सनातनी मन्तव्यमें भेद और उसकी समालोचना।

८. आधुनिक स्थिति — गोशालाओंकी गणना, जैन पिंजरापोल और मारवाड़ी गोशालाका भेद, उनके मार्फत गोरक्षा कहाँतक सम्भव है।

एक प्रतिसे : प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

११५. भाषण : साँसियोंकी बस्ती, दिल्लीमें

१९ जनवरी, १९३५

ठक्कर बापाको मैंने यह वचन दे दिया था कि इस हरिजन-बस्तीमें अवश्य किसी दिन मैं आध घंटेके लिए आऊँगा। आज मुझे यहाँ आनेका मौका मिला है। यह दु:खकी बात है कि एक तरफ तो हिन्दू-समाज अपने पापसे इन साँसी भाइयोंको अस्पृश्य मानता है, और दूसरी तरफ सरकारने इन्हें जरायमपेशा करार दे दिया है। हम हिन्दुओंके लिए यह शर्मकी बात है कि हमारी ही लापरवाहीके कारण इन्हें जब काम-धंधा न मिला तो पेट तो भरना ही था, इसलिए इनमें से कुछ लोगोंने अपराध करना ही अपना धंधा बना लिया। पर सभी तो अपराधी हैं नहीं, और न हो सकते हैं। लेकिन यह जाति ही जरायमपेशा कही जाने लगी। मैं साँसी भाइयोंसे यह कहूँगा कि उनमें हमारी बेदरकारीके कारण जो बुराइयाँ आ गई हैं उन्हें वे छोड़

दें। शराब और मुर्दार मांस, अगर कोई खाते हो तो, और जुएका परित्याग कर दे। चोरी इत्यादि न करे, ताकि पुलिसमें उनकी हाजिरी न होनेके लिए सरकारसे सिफारिश की जा सके। ईश्वर आपको ऐसी सद्‌बुद्धि दे कि मैंने जो कहा है उस पर आप चल सकें।

हरिजन-सेवक, २५-१-१९३५

११६. बातचीत: एक दानीसे

हरिजन-निवास, दिल्ली
१९ जनवरी, १९३५[1]

उस दिन एक वृद्ध पुरुष जिसके तनपर मोटी खादी थी, गांधीजी के दर्शन करने आया था। गांधीजी से पूछकर वह ग्रामवासी रावतीमें पहुँचा दिया गया। उस स्वच्छ खद्दरधारी वृद्ध पुरुषने गांधीजी के आगे सो-सौके दस नोट रख दिये और कहा: "जो सबसे गरीब और सुपात्र हो उन्हींके अर्थ यह तुच्छ भेंट है। ऐसे दरिद्रनारायणोका पता आपसे अधिक और किसे हो सकता है?"

[गांधीजी.] यह आपने बड़ा अच्छा काम किया है। पर यह तो बताओ, यह रकम कितने वर्षोंमे बचा-बचाकर जमा की थी?

[वृद्ध:] बहुत वर्षोंमें। लेकिन मैंने सौ रुपये तो पिछले साल भूकम्प-पीड़ितोंके लिए भेज दिये थे और सौ रुपये आसामके बाढ़-पीड़ितोंके लिए, और चार साल हुए पाँच सौ रुपये मैंने इलाहाबादमें किसानोंकी सहायताके लिए दिये थे।

"अच्छा! तब यह तो बतलाओ भाई, आपकी तनख्वाह क्या थी और पेंशन क्या मिल रही है? आप क्या काम करते थे?"

मैं एक स्कूलमें अध्यापक था। जब बहुत वर्षोंके बाद मैंने अवकाश ग्रहण किया तब मुझे ५२ रुपये मासिक वेतन मिलता था। मुझे पेंशन कुछ नहीं मिलती, पर २७०० रुपये मुझे ग्रेच्युटीके मिले थे।

अवकाश ग्रहण किये कितने वर्ष हुए?

पाँच वर्ष।

गुजर कितने रुपयेमे हो जाती है?

गुजर? शायद ही कभी ज्यादा खर्च होता हो।

फिर भी कुछ-न-कुछ खर्च होता ही होगा। बताओ कि कितनेमे काम चल जाता है?

१. बातचीतका यह अंश महादेव देसाई लिखित 'साप्ताहिक चिट्ठी' से लिया गया है। उसके अनुसार यह बातचीत उस दिन हुई थी जिस दिन गांधीजीने जामिया मिलियामें भाषण दिया था; देखिए अगला शीर्षक।

थोड़ी-सी दाल-रोटीमें खर्च ही कितना होता है। १० रु० में मैं अपनी गुजर कर सकता हूँ। अब अकेला राम ही तो हूँ — न किसीकी चिन्ता है, न फिकर। पहले अपने दो भतीजोंकी परवरिश करनी पड़ती थी। उन्हे पालकर पढ़ा-लिखा दिया है और अब मैं निश्चिन्त हो गया हूँ। एक संस्कृत-पाठशाला खोल रखी है और अधिकतर उसीमें अब अपना समय लगाता हूँ। वह निःशुल्क पाठाशाला है।

अच्छा, इस तरह आपने अपनी छोटी-सी तनख्वाहमें से कुछ रुपया बचाया है, और आज उसे गरीबोके सेवा-कार्यमे लगा रहे हैं। यह तो बड़ी भारी बात है। क्या ही अच्छा हो कि हरेक मनुष्य आपसे यह परमार्थकी कला सीख ले।

महात्माजी, मैंने अपने ऊपर बहुत ही कम खर्च किया है, और इसीसे मैं कभी-कभी गरीबोंकी थोड़ी-बहुत सेवा-सहायता कर सका हूँ।

उनके रूईदार वस्त्रोंको देखकर, जिनके साथ कम्बल या शाल की जरूरत नहीं थी, उनकी प्रशंसा करते हुए गांधीजी ने कहा:

और यह सुन्दर खादी कहाँ मिली?

घरकी ही बनी खादी है यह।

काश मैं भी आपकी तरह ऐसी ही मोटी खादी ओढता।

"मेरे पास अब भी कुछ रुपये जमा हैं, महात्माजी," दानके हर्षातिरेकसे प्रफुल्लित उस वृद्ध पुरुषने कहा। "मैं किसी दिन वह सब लाकर आपके चरणोंमें रख दूँगा। मैं नहीं जानता कि यह रुपया दूँ तो किसे दूँ। मैं तो बस एक आपको जानता हूँ और आप अनाथ असहाय गरीबोको पहचानते हैं। मैं हृदयसे आपका आभारी हूँ।"

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १-२-१९३५

११७. भाषण: जामिया मिलिया, दिल्लीमें[1]

१९ जनवरी, १९३५[2]

मैं नही जानता कि आप लोग जब बेगम साहिबाकी जबानी तुर्कीकी कहानी सुन रहे थे, तब मेरी ही तरह आप भी तुर्की और हिन्दुस्तानकी तवारीखोकी तुलना कर रहे थे या नही। इन दोनो मुल्कोकी कहानियोमे मुझे कई बातें बिलकुल एक सरीखी दिखलाई दी। बिना पीर सहे कुछ हासिल नही होता, और तुर्कीकी यह कहानी सुनकर मुझे मालूम होता है कि अभी न जाने क्या-क्या तब्दीलियाँ होनेको हैं। इस अनित्य जगतमे सभी कुछ नाशवान या परिवर्तनशील है। कौन कह सकता है कि जिस दुनियाके नक्शेपर तुर्की और हिन्दुस्तान तुच्छ धब्बोकी तरह दिखाई

१. महादेव देसाईकी "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत। गांधीजीकी अध्यक्षतामें हालिदा अदीब हानुमने १८ और १९ जनवरी, १९३५ को जामिया मिलियामें व्याख्यान दिये थे।

२. गांधीजीनी दिनवारीसे।

देते है, उसका अन्त क्या और किस तरह होगा। मगर हमारे लिए यह जान लेना सबसे अच्छा होगा कि हिन्दुस्तानकी और प्रत्येक व्यक्तिकी चाहे जो गति हो, वह उसकी अपनी ही कर्मगति है। हमें यह मानना ही होगा कि सच्चा इतिहास सम्राटो और राजवशोका इतिहास नही है, बल्कि उसके निर्माता तो आम तौरपर साधारण पुरुष और स्त्रियाँ हैं। चन्द ऐसे लोग जिनकी दुनियाने उनके आखिरी वक्तमे खबर भी नही ली और विपदा झेलते-झेलते ही जो चल दिये, वे ही सच्चे बहादुर थे, न कि बडे-बड़े शहशाह—उन्होने ससारमें चाहे कितने ही महान साम्राज्योको स्थापित क्यो न किया हो, और दुनियामे तबाही और बरबादी लानेमे उनका कितना ही हाथ क्यो न रहा हो।[1] दुनियामे व्यक्तियोका इतिहास तो अभी बन ही रहा है। काल-भगवानके अनन्त चक्रमे आपके ये हजार या लाख बरस किस लेखेमे आते है? तुर्कीकी कहानी सुनकर मैं तो इस आशापर पहुँचा हूँ कि अगर सत्यको और केवल सत्यको ही अपने जीवनका लक्ष्य बनाकर हमने काम किया तो हम सब लोगोका भविष्य उज्ज्वल ही होगा।

हिन्दुस्तान और तुर्की एक अटूट डोरीसे इसलिए नही बँधे हुए है कि इन दोनो मुल्कोने एक समान विपदाएँ झेली है, बल्कि इसलिए कि हमारे सगे बधु-बाधव हिन्दुस्तानी मुसलमानोकी ही तरह तुर्कीमे भी मुसलमानोकी आबादी लाखोकी है। ईश्वर करे कि हमारे देशमे बेगम साहिबाके आनेका यह परिणाम हो कि यहाँ के हिन्दू और मुसलमान सदाके लिए मुहब्बतकी अटूट डोरीसे बँध जाये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-२-१९३५

११८. पत्र : आनन्द स्वरूप गुप्तको

दिल्ली
२० जनवरी, १९३५

भाई आनद स्वरुप,[2]

आप आईये। सोमवार छोड़कर। आपको तकलीकी नई चाल बताई जायेगी। संभव है तो चंद मिनिट दूगा। जो तकली सब लाते है उनको आध घटेमें नई चाल बताई जाती है बादमे महाविरा चाहीये। ता० २७ तक आइये।

मो० क० गांधी

श्री आनन्द स्वरूप
वैश्य स्कूल
मेरठ, यू० पी०

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७४४) से, सौजन्य : आनन्द स्वरूप गुप्त।

1. इसी बातको *हिन्दुस्तान टाइम्स*, २०-१-१९३५ में कुछ दूसरे शब्दोंमें कहा गया था।
2. पुराण विभाग, रामनगर, वाराणसीके सहायक निदेशक।

११९. बातचीत : एडिथ होवे-मार्टिनके साथ

[२१ जनवरी, १९३५ से पूर्व][1]

एडिथ होवे-मार्टिनने ब्रिटेनकी गन्दी बस्तियोंके अपने अनुभवके बारेमें बताया, और "बेचारी औरत" की ओरसे, जिसको कि शक्तिवान् पुरुषके सामने झुकना पड़ता है, जोरदार शब्दोंमें पैरवी की।

[गांधीजी :] कोई औरत 'बेचारी' नही है। बेचारी औरत पुरुषसे भी ज्यादा शक्तिवान् है, और यदि आप भारतके गाँवोमे आये तो मै यह चीज आपको प्रत्यक्ष दिखानेके लिए बिलकुल तैयार हूँ। वहाँ कोई भी औरत आपको बता देगी कि यदि वह न चाहे तो ऐसा कोई मर्द पैदा नही हुआ है जो उसकी इच्छाके विरुद्ध उसे मजबूर कर सके। यह बात मै अपनी पत्नीके बारेमे अपने स्वानुभवसे कह सकता हूँ, और मेरा कोई अकेला दृष्टान्त नही है। यदि औरतमे झुकनेके बजाय मर जानेकी इच्छा-शक्ति है, तो कोई राक्षस औरतको झुकने पर मजबूर नही कर सकता। नही, यह पारस्परिक मर्जीकी चीज है। पुरुष और नारी, इन दोनोमें ही पशु और देवत्व का मिश्रण है, और यदि हम पशुको परास्त कर सके तो इसमें कल्याण ही होगा।

लेकिन यदि कोई ज्यादा बच्चोंकी कामना न करनेके कारण किसी अन्य स्त्रीके पास जाये तो औरत क्या कर सकती है?

तो अब आप बात बदल रही है। यदि आप अपनी भूमिका ही भ्रान्त धारणा पर आधारित करेगी तो निश्चित है कि आप गलत निष्कर्षपर पहुँचेगी। कोई बात मानकर मत चलिए और स्त्रीको स्त्रीत्वसे और पुरुषको पुरुषत्वसे वंचित मत कीजिए। मुझे आप अपने सन्देशके आधारको समझने दीजिए। मैंने जब कहा था कि आपका संतति-निरोध प्रचार ही मेरे लिए आपका पर्याप्त परिचय था, तब इस परिहासके पीछे कुछ गम्भीरता थी, कारण, मै जानता हूँ कि कुछ ऐसे स्त्री-पुरुष है जो मानते हैं कि संतति-निरोधमें ही हमारी मुक्ति निहित है। इसलिए मैं आपके जरिये ही इस धारणाका आधार समझना चाहूँगा।

मैं संतति-निरोधमें विश्वकी मुक्ति नहीं मानती, लेकिन मेरा कहना यह है कि बिना किसी प्रकारके संतति-निरोधके मुक्तिकी गुंजाइश नहीं है। आप यह चीज एक ढंगसे करना चाहेंगे, मै दूसरे ढंगसे करना चाहूँगी। मैं आपके तरीकेका भी समर्थन करती हूँ, लेकिन सभी मामलोंमें नहीं। आप एक सुन्दर कार्यको आपत्तिजनक चीज मानते

१. यह शीर्षक महादेव देसाईकी २१-१-१९३५ की 'साप्ताहिक चिट्ठी' से लिया गया है। भेंटकर्त्री इंग्लैंड-वासिनी थीं और वे संतति-निग्रहकी समर्थक थीं।

हूं। जब दो प्राणी एक नये जीवनकी सृष्टि करने जा रहे हों, उस समय वे दिव्यताके अधिकसे-अधिक निकट होते हैं। इस कार्यमें अपने ढंगका एक अनोखा सौन्दर्य है।

इस बातमे भी आप भ्रममें है। मै मानता हूँ कि नये जीवनका सृजन दिव्यताकी निकटतम वस्तु है। मै केवल यह चाहता हूँ कि इस कार्यको उसी दिव्य भावनासे देखा और किया जाये। कहनेका तात्पर्य यह कि पुरुष और स्त्री केवल नव-जीवनकी सृष्टिकी इच्छासे ससर्ग करें, अन्य किसी इच्छासे नही। यदि वे एक-दूसरेका केवल वासनावश आलिंगन करनेके लिए एक-दूसरेके निकट आते है तो वे शैतानके ज्यादासे-ज्यादा करीब होते हैं। दुर्भाग्यवश पुरुष भूल जाता है कि वह दिव्यताके सबसे निकट है, वह अपनी सहज पाशविक प्रकृतिके पीछे ही भटकता है और पशुसे भी बदतर बन जाता है।

लेकिन आप पशुपर लांछन क्यों लगाते हैं?

मै नही लगाता। पशु अपने स्वभावगत नियमका पालन करता है। अपनी गरिमासे मंडित सिंह एक शानदार प्राणी है और उसे पूरा अधिकार है कि वह मुझे खा जाये। लेकिन मुझे इस बातका अधिकार नही है कि मै भी नाखूनदार पंजे विकसित कर लूं और आपपर झपट पडूँ। वैसा करनेसे मैं अपनेको पतित करूँगा और पशुसे भी बदतर बन जाऊँगा।

मुझे दुःख है। मैंने अपनी बात बहुत खराब ढंगसे रखी है। मै स्वीकार करती हूँ कि अधिकांश मामलोंमें [मेरा तरीका] लोगोंकी मुक्तिका साधन नहीं सिद्ध होगा, लेकिन यह एक ऐसा तत्व है जो जीवनको उच्चतर बनानेमें सहायक होगा। हालांकि मुझे भय है कि मै अपनी बात काफी स्पष्ट नहीं कर सकी हूं, लेकिन मेरा तात्पर्य आप समझ गये होंगे।

ओह, नही। मैं आपसे कोई नाजायज फायदा नही लेना चाहता। लेकिन मै चाहता हूँ कि आप मेरा दृष्टिकोण समझ ले। किसी प्रकारकी गलत धारणा न बना बैठिए। पुरुषको नीचे ले जानेवाले और ऊपर ले जानेवाले, इन दो रास्तोमे से एक रास्ता चुनना होगा। लेकिन चूंकि उसके अन्दर पशु विद्यमान है, इसलिए वह नीचे ले जानेवाला रास्ता ही चुनेगा, खास तौरसे तब जबकि नीचे ले जानेवाला रास्ता उसके सामने एक खूबसूरत आवरणसे ढँककर प्रस्तुत किया जाता है। जब पापको पुण्यके आवरणमे पुरुषके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह आसानीसे हथियार डाल देता है। और मैरी स्टोप्स[1] तथा अन्य लोग ठीक यही चीज कर रहे हैं। अगर मैं अतिभोगवादी धर्मका प्रचार करने लगूं तो लोग डूबतेके सहारेकी तरह इस तिनकेको पकड लेगे। मैं जानता हूँ कि यदि आप-जैसे लोग निःस्वार्थ उत्साहसे अपने सिद्धान्तका बखान करते रहे तो आपको शायद प्रकटत. विजय भी प्राप्त हो जायेगी। लेकिन मै यह भी जानता हूँ कि आप जो-कुछ कर रही हैं, उससे होनेवाले नुकसानका

१. संतति-निरोधकी समर्थक एक अंग्रेज महिला; कंट्रासेप्शन: इट्स थ्योरी, हिस्ट्री ऐंड प्रैक्टिस, नामक पुस्तककी लेखिका। उसने यौन-विज्ञान और विवाहपर भी बहुत-सी पुस्तकें लिखी थीं।

आपको मरते दमतक ज्ञान नही हो पायेगा। पतनोन्मुखी प्रवृत्तिके लिए किसी समर्थन, किसी तर्ककी आवश्यकता नही होती। यह तो पुरुषमें अन्तर्निहित है, और अगर आप इस प्रकृतिको संयमित और नियन्त्रित नही करती तो इस बातका खतरा है कि यह एक बीमारी और महामारीका रूप ग्रहण कर लेगी।

श्रीमती होवे-मार्टिनने, जो अभीतक देवतातुल्य और शैतानतुल्यके बीच फर्क स्वीकार करती प्रतीत होती थीं, यह मान्यता प्रकट की कि इन दोनोंके बीच कोई फर्क नहीं है, और लोग जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा ये दोनों चीजें कहीं ज्यादा एक-समान हैं।

तो आप ऐसा मानती हैं कि शैतान और देवता-स्वरूप एक ही चीज है? क्या आपको सूर्यमें विश्वास है? और यदि है तो क्या आपको ऐसा नही लगता कि आपको छायामे भी विश्वास करना चाहिए?

आप 'छाया' को शैतान क्यों कहते हैं?

अगर आप चाहे तो उसे अनीश्वर कह सकती हैं।

मैं ऐसा नहीं समझती कि छायामें अनीश्वर है। प्रत्येक वस्तुमें जीवन है।

एक ऐसी भी चीज है जिसे जीवनका अभाव कहते हैं। क्या आप जानती है कि हिन्दू लोग अपने प्रियसे-प्रिय जनके शरीरको प्राणहीन होनेपर जलाकर राख कर देते हैं? सभी प्रकारके जीवनमें एक बुनियादी एकता है, लेकिन जीवनमे विविधता भी है। और इस एकताको देखनेके लिए मनुष्यको विविधताको भेदना होगा। लेकिन इसे बुद्धि द्वारा नही भेदा जा सकता, जैसीकि हम इस समय कोशिश कर रहे हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ असत्यका होना निश्चित है। जहाँ प्रकाश है, वहाँ छाया अवश्य होगी। जबतक मनुष्य बुद्धि और विवेक तथा शरीरको पूर्णत. अपने अधीन नही कर लेता, तबतक व्यापकतर चेतनाका जागृत होना सम्भव नही है।

श्रीमती होवे-मार्टिन चकित प्रतीत हो रही थीं और समय तेजीसे खत्म होता जा रहा था। लेकिन गांधीजीने कहा:

नही, मैं आपको और समय देनेको तैयार हूँ। लेकिन इसके लिए आपको वर्धा आना होगा और मेरे साथ ठहरना होगा। इस विषयमे मैं भी उतना ही बडा आग्रही व्यक्ति हूँ जितनी कि आप हैं, और आप भारत तबतक न छोडें जबतक मैं आपको अपने मतसे सहमत न कर लूँ अथवा आप मुझे अपने मतसे सहमत न कर ले।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १-२-१९३५

१२०. पत्र : अमृत कौरको

हरिजन-निवास, दिल्ली
२१ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

मैंने तुम्हारी अर्जी कुमारप्पाको भेज दी है। जहाँतक नियम ९ और १०[1] को लागू करनेका सवाल है, अपनी हदतक उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी। मैं यह नही चाहता कि तुम अपने जिलेके प्रत्येक गाँवमे जाओ, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम गाँववालोकी जरूरतोकी सही जानकारी प्राप्त करो और उन जरूरतोको पूरा करनेका प्रयत्न करो। इस कार्यके लिए, खराब सेहत होनेके बावजूद, तुम सर्वथा उपयुक्त हो। और जहाँतक तुम्हारी खराब सेहतका सवाल है, जब हम मिलेगे तब उसपर बातचीत करेगे।

मैं २८ तारीखको दिल्लीसे रवाना हो रहा हूँ जो मौन-दिवस है। यदि तुम २६ और २७ तारीखको आसानीसे मेरे पास आ सको तो आना।

शीत-लहरसे लाखो भूखे लोगोको एक करोड रुपयेका नुकसान हुआ है।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२०) से; सौजन्य अमृत कौर।

१२१. पत्र : राजेन्द्र प्रसादको

२१ जनवरी, १९३५

मुझे जानेमे कोई हर्ज नही दिखाई देता। मेरा खयाल है आपको हर विषय पर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आपको यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपके पास कोई आदेशपत्र नही है।[2] आप समिति[3] को केवल बातचीतका साराश और उसके

१. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके उप-नियम १० के अन्तर्गत निर्मित; देखिए पृ० १०-२३।

२. कांग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे डॉ० राजेन्द्र प्रसाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्ष मुहम्मद अली जिन्नासे बातचीत करनेके लिए जा रहे थे, ताकि "विभिन्न जातियोंमें ऐसा समझौता हो सके जो तथाकथित साम्प्रदायिक फैसलेका स्थान ले सके।" बातचीत २३ जनवरीको आरम्भ हुई थी और थोड़ेसे अन्तरालके साथ १ मार्च तक चली। लेकिन इस बातचीतका कोई परिणाम नही निकला।

३. कांग्रेस कार्य-समिति।

निर्णयसे अवगत करा सकते है। यह बात स्पष्ट रूपसे समझ ली जानी चाहिए कि यद्यपि आप लोग प्रतिनिधियोकी हैसियतसे मिलेगे, तथापि आप लोगोंमें होनेवाली बातचीतको तबतक अनौपचारिक माना जायेगा जबतक कि वह किसी ठोस सुझावका रूप धारण नही कर लेती जिस पर दोनो समितियाँ विचार-विमर्श कर सकें। अन्तमें दोनोकी सहमतिसे बातचीतका जो सार हो उसे लिखित रूप दे दिया जाना चाहिए और बातचीतकी कोई रिपोर्ट अखबारोको नही दी जानी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य. नारायण देसाई।

१२२. पत्र: शुएब कुरेशीको

२१ जनवरी, १९३५

नवाब साहबको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मैं अभीतक अपने इस कथनका दण्ड भोग रहा हूँ कि जब मैं आपको आपके परिवेशमें देखता हूँ तब मुझे महान उमरकी याद हो जाती है[1]

साम्प्रदायिक शान्तिकी बात तो की जाती है, लेकिन मुझे भय है कि उसके लिए अभी उपयुक्त समय नही आया है। यह तो केवल दिली एकतासे ही आ सकती है और उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। पैबन्द लगाई हुई शान्ति कभी टिक नही सकती।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य· नारायण देसाई।

१२३. पत्र: खालिकको

२१ जनवरी, १९३५

राजेनबाबू और जिन्नामें होनेवाली आगामी बातचीत[2] मे कोई सार नही दिखता। हममें परस्पर सच्ची एकता होनी चाहिए, भले ही उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़े। विधान-सभामें बहुत-कुछ तो हर अवसरपर कांग्रेसियोके सही व्यवहार पर निर्भर करेगा।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य· नारायण देसाई।

१. यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता कि पत्रका क्या कोई अंश छूट गया है।

२. देखिए "पत्र: राजेन्द्र प्रसादको", पृ० १०९-२०।

१२४. एक पत्र

वर्धाके पतेपर
२१ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

श्री रगनायकी अम्मालको लिखे पत्रमे मैंने जो-कुछ कहा है उसे दोहरानेकी जरूरत नही है।

आशा है कि तुम पूरी तरह फिर स्वस्थ हो गये होगे।

दिल्लीकी सर्दीकी मुझे चिन्ता नही होती। केवल बिवाई फट जानेके कारण मै रोजमर्राकी सैर नही कर पा रहा हूँ, जो मुझे अखरता है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१२५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

२१ जनवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारा पत्र मिला।

मै समझता हूँ कि माता-पिताका प्रेम सदैव था। केवल तुम उसे चाहने या प्राप्त करनेको तैयार नही थी। खैर, अब चूँकि तुम उस प्रेमकी आँच महसूस करती हो, तुम्हे चाहिए कि उसे कभी ठंडी न पडने दो। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनका प्रतिरोध न करो। यदि आज्ञा-पालन स्वेच्छासे और प्रसन्नतापूर्वक सही ढगसे किया जाये तो कभी विरोध करना भी कर्त्तव्य बन सकता है। माता-पिता दोनोको चूंकि मै जानता हूँ, मै किसी ऐसे अवसरकी कल्पना नही कर सकता जबकि तुम्हे उनके विरुद्ध जाना पडे। उनका एक ही प्रयोजन है कि वे तुम्हे खुश देखे और तुम्हे खुश होनेमें मदद दे।

मैंने बा को समझानेकी कोशिश की। वह अभी मुझे थोड़े दिनोके लिए भी छोडनेकी बात पसन्द नही करती। लेकिन मै उसे फिर फुसलाऊँगा, हालांकि मुझे उसमे सफल होनेकी आशा नही है। तुम उसे लिख सकती हो।

१. यह हिन्दीमें है।

जब तुम बिलकुल तैयार हो, वसुमती आ सकती है।

आश्रमका नाम सेवाश्रम या सेविका-आश्रम हो सकता है। दोनोका अन्तर तुम जानती हो।

मैं समझता हूँ कि तुम्हे अपने पतिके बारेमे चिंता नही करनी चाहिए। उन्हें केवल एक मित्र समझो। पिता और माता जो उचित समझें वह उन्हे करने दो। जब तुम जानती हो कि तुम कोई मदद नही कर सकती, तो फिर चिन्ता करनेसे क्या लाभ? यदि तुम उन्हे समझदार बननेमे कुछ मदद कर सकती तो तुम्हारा यह प्रथम कर्त्तव्य होता कि तुम उनकी देखभाल करो और बाकी सब काम एक तरफ कर दो। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि यह सम्भव नही है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उन्हे बिलकुल भूल जाओ और अपनी पूरी शक्ति ऐसे सेवा-कार्यमें लगाओ जो तुम कर सकती हो। तुम्हे सेवामे आनन्द पाना सीख लेना चाहिए। विश्वकी निष्काम सेवा व्यक्तिको विशिष्ट सेवासे बरी कर देती है, क्योकि बडी सेवामे छोटी सेवा आ जाती है। निस्सन्देह व्यक्तिको सावधानीसे यह देखना है कि विश्वकी सेवाके पीछे कोई स्वार्थ तो नही है। वह स्वत. प्रमाणित होनी चाहिए। मेरे ऐसे विचार है। लेकिन मै तुम्हे सलाह देता हूँ कि इस विषयपर माता-पितासे खुलकर बातचीत करो और उनके कहे अनुसार चलो।

तुम्हे कब्जकी शिकायत दूर करनी चाहिए। आम तौरपर इसका मतलब यह होता है कि जरूरतसे ज्यादा प्रोटीन लिया जाता है। इसलिए दाल न लो और फिर यदि जरूरी हो तो दूध या दहीकी मात्रा कम कर दो। तुम कौन-सी भाजी ले रही हो। पालक या लूनी बहुत अच्छी है। मुलायम बंदगोभीके पत्तोसे भी काम चल सकता है।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

अब तुम अपने पत्र वर्धा भेजना जहाँ आशा है कि मैं २९को पहुँच जाऊँगा।

[पुनश्च :]

तुम्हे काका साहबसे मिलना चाहिए। वे तुम्हे आश्रमके सम्बन्धमे काफी मदद दे सकते हैं।

मूल अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१२६. पत्र : श्रीमती श्रीनिवास आयंगारको

वर्धाके पतेपर
२१ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

तुम्हारा पत्र पाकर और यह जानकर खुशी हुई कि अम्बुजमसे तुम दोनो सन्तुष्ट हो और तुम उसके सेवाके उद्देश्यमे दिलचस्पी ले रही हो। यदि वह सेवा-कार्यमे लग गई तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका विषाद मिट जायेगा और उसे उदात्त करनेवाला एक काम मिल जायेगा।

कृपया अपने दिमागसे यह बात निकाल दो कि अम्बुजम कभी मेरे दिमागपर बोझ बन सकती है। मेरे लिए यह अत्यन्त हर्षका विषय है कि मुझे तुम्हारा विश्वास और उसका स्नेह प्राप्त है। मै ऐसी व्यक्तिगत सेवा और जन-सेवामे कोई अन्तर नही मानता।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अग्रेजीसे अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य. नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय।

१२७. पत्र : ग० वा० मावलंकरको

२१ जनवरी, १९३५

भाई मावलंकर,

तुम्हारा पत्र और विद्यापीठके पुस्तक-भण्डारसे सम्बन्धित कागजात मिले। तुम्हारा मन्तव्य मेरे गले नही उतरा। लेकिन मै अपने मतकी कोई कीमत नही मानता।

सरदारको दोनो सघोमे शामिल होनेके लिए अवश्य कहो। और यदि मै भूल नही गया तो कल मै भी बात करूँगा। पैसोका तो तुम्हे जैसा उचित जान पडे वैसा करना। मैने तो तुम्हारे पत्रके बाद अपने सिरसे चिन्ताको उतार फेंका है। पाला

पड़नेसे हुए नुकसानके लिए गुजरात-सभाके कोषमे से अवश्य दो। इसके बाद भी यदि सम्मतिकी जरूरत जान पड़े तो मुझे मसविदा भेजना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत गणेश वासुदेव मावलकर
एडवोकेट
भद्र, अहमदाबाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४२)से।

१२८. पत्र : पद्माको

२१ जनवरी, १९३५

चि० पद्मा,[1]

तेरा पत्र बहुत दिनो बाद मिला। और मेरे पत्रकी पहुँच तो तू कभी लिखती नही। खाज तो लापरवाही और गन्दगीके कारण होती है। यह तुझे कैसे हो गई? और इस मौसममे कैसे बढ गई?

पिताजीका एक भी लेख मेरे पढनेमे नही आया। उन्होने बहुत महीने पहले एक लेख मुझे भेजा था। उसके बाद तो काफी कूडा-कचरा इकट्ठा हो गया है।

तूने अपनी प्रवृत्तियोका वर्णन नही किया है। लेख लिखनेके अतिरिक्त क्या पिताजी कुछ करते है?

हम २८ तारीखको दिल्लीसे रवाना होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१५०) से। सी० डब्ल्यू० ३५०६ से भी; सौजन्य. प्रभुदास गांधी।

१२९. पत्र : वसुमती पण्डितको

२१ जनवरी, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। तू अवश्य ही गगाबहनके साथ रह। तू यदि वहाँ स्थायी रूपसे रहे तो मुझे यह अच्छा लगेगा। तुझे अभी मद्रास तो जाना ही है। अम्बुजमका आश्रम तैयार हो गया है। वह तेरी आस लगाये हुए है। वहाँ से जब तू वापस आये, तब बोचासण जाना। यदि तू मद्रास वर्धासे होकर जाये तो कदाचित् यह तुझे अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है मै २१ तारीखको वर्धा पहुँच जाऊँगा।

१. उत्तर प्रदेशके एक आश्रमवासी तथा अखिल भारतीय चरखा-संघके कर्मठ कार्यकर्ता सीतला सहायकी पुत्री।

गंगाबहनकी उँगली क्यों पक गई?

रमणीकलालकी[1] खोई हुई ताकत फिर वापस आ गई होगी। जब उसके मनमें लिखनेकी इच्छा हो जाये, तब मुझे पत्र लिखे। तारा[2] कैसी है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

स्याहीका पार्सल मिलनेकी खबर मुझे अभी-अभी मिली है। इसकी जाँच करनेके बाद तुझे इसके बारेमें लिखूंगा।

श्रीमती वसुमतीबहन
हरिजन-आश्रम
साबरमती

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९१) से। सी० डब्ल्यू० ६३६ से भी, सौजन्य : वसुमती पण्डित।

१३०. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

२१ जनवरी, १९३५

चि० जेठालाल,

तुम्हारे पत्रको मैंने तुरन्त ही निपटा दिया। ऐसे अनुभव तो मिलते ही रहेंगे। जब तुम ठीक हो जाओ तब समय-समयपर घटनाओंके बारेमें मुझे लिखते रहना। अभी तो हम मामलेको अखबारोंमें नहीं ले जायेंगे। मैंने जमनालालजीको उसे एक घरेलू मामलेकी तरह निपटानेका सुझाव दिया है। बादमें जो हुआ हो उसके बारेमें मुझे लिखना। जमनालालजीको भी बताते रहना। पुलिस हमें भले ही नम्बर न दे, लेकिन वह जितनी बार पूछे उतनी बार हमें जवाब देना होगा। पहले वर्षमें जब मैं दिल्लीसे मद्रास जा रहा था तब पुलिस ट्रेनमें सात-आठ बार आकर मुझसे पूछ गई। चूंकि मैं फकीर-जैसा दिखता था, इसलिए वह नाम तो क्या पूछती, लेकिन टिकटका नम्बर पूछ जाती थी। मद्रास पहुँचनेपर मैं जहाँ जाता था मेरी गाडीके पीछे पुलिसकी गाडी भी रहती थी। अन्य लोग इसपर खीझ उठते थे, लेकिन मुझे तो हँसी आती थी। कानून कहता है कि पुलिस जनतासे जितनी बार नाम व पता पूछे जनता उतनी बार बतानेके लिए बाध्य है। हाँ, जब हम लडाई लड़ रहे हों तब हम लडाईके कायदे-कानूनके अनुसार जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं।

१. रमणीकलाल मोदी, एक आश्रमवासी।
२. रमणीकलाल मोदीकी पत्नी।

तुम्हारा काम दूसरी तरहसे कैसे चल रहा है? ग्रामोद्योगोंके बारेमें क्या तुमने कुछ किया है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मैं यह पत्र दिल्लीसे लिख रहा हूँ। जबाब वर्धाके पतेपर देना।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८४८) से; सौजन्य: नारायण जेठालाल सम्पत।

१३१. भेंट: यूनाइटेड प्रेसके प्रतिनिधिको[1]

२१ जनवरी, १९३५

प्रश्न: आपके विचारसे ग्रामोद्योग संघका कार्य आप वास्तवमें कबसे आरम्भ कर सकेंगे?

गांधीजी: "आरम्भ" का क्या अर्थ है, यह कहना कठिन है। परन्तु यदि इसका अर्थ गाँवोंमें विभिन्न माध्यमों द्वारा वास्तविक कार्यसे है तो मैं निश्चित तिथि निर्धारित करनेमें असमर्थ हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही सँभलकर चल रहे हैं। सँभलकर चलनेका अर्थ यह है कि जहाँतक हो सके हम कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि जो कार्य करना है वह विविध प्रकारका है। यह कार्य अज्ञात समुद्रमें यात्रा करनेके समान है।

केन्द्रीय मण्डलकी बैठक अगले महीनेकी पहली तारीखको वर्धामें होने जा रही है। उस समय सम्भवत कोई निश्चित कदम उठाया जायेगा। इस बीच एक क्षण भी बेकार नहीं गँवाया गया है। हम बहुमूल्य सूचना एकत्र करते रहे हैं और हमें बहुत जगहोंसे समर्थनके वादे भी मिल रहे हैं।

प्रश्न: क्या आप एकसाथ सभी प्रान्तोंमें संघकी शाखाएँ आरम्भ करनेका इरादा रखते हैं, या आरम्भमें केवल कुछ चुने हुए स्थानोंमें शाखाएँ खोलनेका विचार है? संघका मुख्य कार्यालय कहाँ होगा और क्या आपके यहाँ से रवाना होनेके पहले यहाँ भी एक शाखा स्थापित की जायेगी?

गांधीजी: हमारा उद्देश्य शाखाएँ खोलना नहीं, वरन् सारे भारतमें एजेंसियाँ स्थापित करना है। आदर्श तो यह होगा कि हर गाँवमें एक एजेंट हो, ताकि कामका पूर्णरूपसे बँटवारा किया जा सके। इस कार्यकी सफलता विकेन्द्रीकरण द्वारा ही सम्भव है। मैं यह नहीं जानता कि मेरे यहाँसे रवाना होनेके पहले यहाँ (दिल्लीमें) औपचारिक रूपसे कोई एजेंसी स्थापित की जायेगी अथवा नहीं। लेकिन मैं सभी उपलब्ध जानकारी एकत्र कर रहा हूँ। अन्तिम नियुक्ति केन्द्रीय मण्डल करेगा। मुख्य

१. भेंटकी इस रिपोर्टको गांधीजी ने संशोधित किया था।

कार्यालय वर्धामे है जिसके लिए सेठ जमनालालजीने एक बहुमूल्य बगीचा दिया है जिसमे एक बड़ा-सा बँगला है, और यदि बादमे आवश्यकता पड़ी तो उन्होने और भूमि देनेका वायदा भी किया है।

प्रश्न: क्या संघ उन उद्योगोंके बारेमें जो समाप्त हो चुके हैं अथवा समाप्त-प्राय हैं और जिन्हें आप पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं, समस्त आँकड़े आदि एकत्र करनेके लिए केवल अपनी शक्तिपर निर्भर करेगा अथवा वह भारतमें इस समय कार्य कर रहे सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनोंसे सहयोग माँगेगा?

गाधीजी कार्य इतना विशाल है कि सघ बिना किसीकी सहायताके कुछ नही करेगा। अत. वह सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी सस्थाओसे सहयोग माँगेगा तथा लेगा।

प्रश्न: क्या संघ केवल ऐसे उद्योगोंको पुनरुज्जीवित करना चाहेगा जिनसे विश्व की उन विभिन्न आर्थिक तथा व्यापारिक शक्तियोंको जो आज भारत पर क्रियात्मक अथवा प्रतिक्रियात्मक प्रभाव डाल रही हैं, क्षति पहुँचनेकी सम्भावना न होगी, अथवा संघ इस प्रकारके विचारों पर ध्यान दिये बिना मृत उद्योगोंको पुनरुज्जीवित करेगा और केवल इसलिए करेगा कि वे उद्योग प्राचीन कालमें अपनी उन्नत स्थितिमें लाखों ग्रामीणोंको भोजन प्रदान करते थे?

गाधीजी. संघ निश्चय ही उन सब उद्योगोको पुनरुज्जीवित और प्रोत्साहित करनेका प्रयास करेगा जो ग्रामीण जीवनके नैतिक और भौतिक विकासके लिए आवश्यक हैं। वह ससारकी तथाकथित परस्पर-विरोधी शक्तियोसे विचलित नही होगा।

प्रश्न: यह बात आम तौरपर मानी जाती है कि भारतकी सूती मिलोंको खादी उद्योगसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। क्या आपको इस बातकी आशंका नहीं है कि यदि संघ उन उद्योगोंको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयास करता है जो समाप्त हो चुके हैं या समाप्तप्राय हैं या असंगठित हैं और जिनसे अपेक्षाकृत अधिक संगठित देशी उद्योगोंको धक्का पहुँचनेकी सम्भावना है, तो उसे विरोधका सामना करना पड़ेगा?

गाधीजी. यह सभव है कि सघको चीनी मिलो, चावल मिलो तथा आटा मिलो जैसे यान्त्रिक उद्योगो द्वारा विरोधका सामना करना पडे। पर इस कठिनाईको दूर करनेके लिए हमे उपाय निकालने होगे और मुझे पूरी आशा है कि हम इन समस्याओका हल निकाल लेगे।

प्रश्न: उदाहरणके लिए चीनी बनाम गुड़का प्रश्न ही लीजिए। चीनी उद्योग एक संरक्षित उद्योग है और अब वह काफी संगठित है। कुछ समय पहले समाचार-पत्रोंमें यह बात कही गई थी कि संघ गुड़का उपभोग बढ़ानेका प्रयास करेगा। यदि यह सत्य है तो क्या आप सोचते हैं कि चीनी उद्योग संघका विरोध नहीं करेगा?

गाधीजी. ऐसा हो सकता है। पर यदि गुडका उपभोग बढे और चीनीका उपभोग कम हो तो यह भारतके लिए वरदान होगा, क्योकि चिकित्सा-विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि चीनीके मुकाबले गुड अधिक पौष्टिक है और यह सघ

तथा जनता दोनोका कर्त्तव्य है कि वे यह देखे कि कोई भी यान्त्रिक उद्योग जनताके स्वास्थ्यको नुकसान न पहुँचाने पाये।

प्रश्न : क्या मैं इस बारेमें आपके विचार जान सकता हूँ कि क्या संघको मौजूदा बड़े उद्योगोका विरोध करनेके बजाय उनका पूरक नहीं बनना चाहिये ?

गाधीजी इस प्रश्नका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

प्रश्न : क्या मेरा यह सोचना गलत है कि ग्रामोद्योगोंको पुनरुज्जीवित करनेके बाद, जैसा कि आपका विचार है, भारतका मानवीय, तर्कसंगत तथा सुबोध आधार पर उद्योगीकरण करना (जो लालचयुक्त पूँजीवादके विपरीत है) एक स्वाभाविक कदम है ?

गाधीजी . मै नही कह सकता कि भारत-जैसा विशाल देश, जहाँ करोडो व्यक्तियोको वर्षमे चार महीने बेकार रहना पडता है, बडे उद्योगोको बढावा देकर कैसे खुशहाल हो सकता है। उन बडे उद्योगोको छोडकर जो सम्भवत. गाँवोमे नही चलाये जा सकते, अन्य समस्त बडे तथा केन्द्रीकृत उद्योगोका अर्थ यह होगा कि लाखो व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगे और अगर उनके लिए कोई सम्मानजनक रोजगारकी व्यवस्था नही की गई तो वे भूखो मरेगे।

प्रश्न : ग्रामोद्योग संघकी गतिविधियोंको रोकनेके लिए जो सरकारी परिपत्र[1] जारी किया गया है उसके बारेमें समाचारपत्रोमें जो-कुछ कहा गया है, यदि वह सत्य है तो क्या आप सोचते है कि सरकारके साथ संघके संघर्षकी सम्भावना है ?

गाधीजी सरकारके साथ सघके सघर्षकी सम्भावना नही है, क्योकि स्वच्छता और सफाई-सम्बन्धी मामलोको छोडकर मुझे संघके आदर्श, यदि मैंने उन्हे ठीक समझा है तो, सरकारके उद्देश्योसे भिन्न लगते है। हमें निश्चय ही उन गाँवोमे सफाई-सम्बन्धी कार्य नही करना चाहिए जहाँ यह कार्य सरकारी सस्थाओ द्वारा हो रहा है।

इस प्रकारका कोई विचार नही है कि सघको सरकारी सस्थाका पूरक बनाया जाये। हाँ, कामका पूरक बनाया जा सकता है।

प्रश्न : मेरा खयाल है कि आपने सरकारी परिपत्र पढ़ा है।

गाधीजी हाँ।

प्रश्न : आपने देखा होगा कि सरकारको इस बातकी आशंका है कि इस संघके जरिये आपको गाँवोंसे और अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करनेका और भी ज्यादा अवसर मिलेगा, और आप इसका इस्तेमाल अबसे बहुत बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा [आन्दोलन] संगठित करनेके लिए करेंगे।

गाधीजी : यह बात तो मेरे दिमागमें आई ही नही। मैंने कभी इस तरह परोक्ष रूपसे कार्य किया ही नही है। इससे तो वह मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा जो मेरे दिमागमे है। मै तो केवल गाँवोकी भौतिक और नैतिक उन्नति

१. देखिए "भेंट : समाचारपत्रोंको", पृ० ७९-८१।

चाहता हूँ और यदि यह कार्य सम्पन्न हो जाता है तो मेरी महत्वाकाक्षा पूरी हो जायेगी।

इसी तरह, यदि मुझे कभी सविनय अवज्ञा [आन्दोलन] सगठित करना पडा तो मैं उसे अन्य कार्य-कलापोसे अलग रखकर स्वतन्त्र रूपसे सगठित करूँगा। यदि 'सविनय' शब्दको पूरी तरहसे सार्थक बनाया जाये तो इस तरहकी सारी शकाएँ समाप्त हो जायेगी। पर मुझमे काफी धैर्य है और मुझे विश्वास है कि मैंने जो-कुछ कहा है यदि वह सत्य है तो मेरे और किसी प्रयासके विना ही सारी शकाएँ समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न : मैं एक प्रश्न और पूछूंगा। आपने कहा कि यदि आपकी ग्रामोद्योग-योजनाकी भावनाको सरकार समझे और आपको सहायता प्रदान करे तो आप चमत्कार करके दिखा सकते है। सहायतासे आपका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ वित्तीय सहायतासे है?

गाधीजी. मैं केवल यह कहता हूँ कि यदि सरकार मेरे तरीकोके रहस्यको समझे और जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसमे मुझे पूरा सहयोग दे तो मैं चमत्कार कर दिखानेका वायदा करता हूँ। मैं वित्तीय सहायता नही चाहता। मैं सरकारका नैतिक और उत्साहपूर्ण समर्थन चाहता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २२-१-१९३५ और **हरिजन**, ८-२-१९३५

१३२. पत्र : रा० को[1]

२२ जनवरी, १९३५

चि० रा०,

मुझे पण्डितजी[2] का पत्र मिला है जिसमे उन्होने लिखा है कि तू सीमाका उल्लघन कर गया है। अच्छी कमाई होनेके वावजूद कर्ज लेता है, चोरी भी करता है। अपनी इच्छानुसार आचरण करता है। यह सब यदि सच है तो खेदकी वात है। मैंने बम्बईमे तुझसे जो पूछा था सो तुझे याद होगा। तूने मुझे धोखा न देनेका वचन दिया था, यह याद है न?

पण्डितजी एक-दो दिनमे वहाँ पहुँच जायेगे। तू इस मूर्छासे जागना और पण्डितजीकी तथा आश्रमकी लाज रखना। दिये हुए वचनको याद रखना। पण्डितजीको सन्तुष्ट करना।

१. नाम नहीं दिया गया है।

२. प्रेषितीके पिता।

मुझे विस्तारपूर्वक पत्र लिखना। बुरा काम करना पाप है, लेकिन उसे छिपाना और भी बड़ा पाप है। पाप तो हम सब करते हैं लेकिन जो उसे प्रकटकर उसका निवारण करता है, उसका ही कल्याण होता है। यदि कोई मनुष्य किये हुए को धो डालता है तो उसके लिए इतना ही यथेष्ट है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई।

१३३. प्रश्नोत्तरी[1]

[२३ जनवरी, १९३५ के आसपास][2]

सर स० राधाकृष्णनने मुझे निम्न तीन प्रश्नोका उत्तर देनेके लिए कहा है·

(१) आप किस धर्मको मानते है?

(२) आप इसमे किस तरह प्रवृत्त हुए हैं?

(३) सामाजिक जीवनपर इसका क्या प्रभाव है?

मेरा धर्म हिन्दू-धर्म है। यह मेरे लिए मानवताका धर्म है, और मै जितने धर्मोको जानता हूँ इसमें उन सबकी अच्छाइयाँ हैं।

मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रश्नमे भूतकालकी जगह वर्तमानकालका प्रयोग जान-बूझकर किया गया है। मै अपने धर्ममे सत्य और अहिंसा, अर्थात् व्यापक अर्थमें प्रेमके माध्यमसे प्रवृत्त हो रहा हूँ। प्राय मै अपने धर्मको सत्यका धर्म कहता हूँ। अपने धर्मको और अच्छी तरहसे परिभाषित करनेके लिए मैं पिछले कुछ समयसे ईश्वर सत्य है कहनेके बजाय, सत्य ही ईश्वर है कहने लगा हूँ। एक समय था जब मुझे ईश्वरके सहस्र नाम, जो हिन्दू-धर्मकी एक पुस्तिकामे पद्य-रूपमें दिये गये हैं और जिसका पाठ शायद लाखो लोग नित्य प्रात करते हैं, जबानी याद थे। परन्तु इस समय सत्य मेरे ईश्वरकी व्याख्या जितनी पूर्णतासे करता है उतना और कोई चीज नही करती। ईश्वरको अस्वीकार किया गया है, हम यह जानते हैं। सत्यको अस्वीकार किया गया हो, ऐसा हम नही जानते।[3] महा अज्ञानी लोगोमे भी सत्यका कुछ अश होता है। हम सभी सत्यकी चिनगारियाँ हैं। इन सभी चिनगारियोंका कुल योग ही सत्य है जो अवर्णनीय और अभीतक अज्ञात है, और वही ईश्वर है। लगातार प्रार्थनाके द्वारा मैं दिनोदिन उसके नजदीक पहुँच रहा हूँ।

१. इसी प्रश्नोत्तरीको एफ० मेरी बार द्वारा लिखित पुस्तक बापू, इन्टरनेशनल बुक हाउस, बम्बई, १९४९ में किंचित परिवर्तनके साथ प्रकाशित किया गया है।

२. मेरी बारके अनुसार गांधीजीको राधाकृष्णनन के ये प्रश्न तब मिले जब वे दिल्लीसे, जहाँ वे रह रहे थे, गाँवके दौरेके लिए रवाना होनेवाले थे। गाधीजी यात्रा पर २३ जनवरी, १९३५ को निकले थे।

३. मेरी बारकी पुस्तकमें यह तथा इससे पिछला वाक्य दोनों नहीं हैं।

इस धर्मका सामाजिक जीवनपर क्या प्रभाव है अथवा क्या होना चाहिए, यह हमारे दैनिक सामाजिक सम्पर्कसे ही जाना जा सकता है। ऐसे धर्मके प्रति सच्चा होनेके लिए हमे प्राणि-मात्रकी अनवरत सेवामे तन्मय होना पड़ेगा। इस असीम जीवन-सागरमे अपना पूर्ण विलयन और इसके साथ अपना एकात्मीकरण किये बिना हम सत्यको नही प्राप्त कर सकते। इसलिए सामाजिक सेवा तो मुझे करनी ही है, मेरे लिए पृथ्वी पर इसके परे या इससे अलग कोई सुख नही है। सामाजिक सेवाके अन्तर्गत जीवनका हर क्षेत्र आ जाता है। इस योजनामे कुछ भी नीच या उच्च नही है। क्योकि अनेक जान पड़ते हुए भी हम सब एक हैं।

[अंग्रेजीसे]

कन्टेम्परेरी इन्डियन फिलासफी, पृ० २१

१३४. पत्र : कान्ति गांधीको

२३ जनवरी, १९३५

चि० कान्ति,

तेरा पत्र कल शामको मिला। उससे पहले देवदासने मुझसे बात की ही नही थी। कल मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने मुझे [परेशानीसे] बचानेकी खातिर ही मुझसे बात नही की। महादेवके साथ उसने कल सवेरे बात की। तेरा पत्र मैंने देवदासको दे दिया है ताकि वह तेरे अन्य पत्रोके साथ इसे रखकर पढनेके बाद मेरा मार्ग-दर्शन करे। चूंकि मुझसे पहले महादेवको इस बारेमे सब-कुछ मालूम हो गया, इस-लिए वह यह पत्र पढेगा। तेरा कलका पत्र उसने नही पढा है। अपने पत्रोके बारेमे तू निश्चिन्त रहना। मेरी अनुमतिके बिना कोई चुपचाप तेरा पत्र पढ ले ऐसा नही हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे आसपास नही है। लेकिन मै यह जरूर चाहूँगा कि तू अपने इस संकोचको जल्द ही छोड दे। यह सकोच तेरी प्रगतिमें बाधक है। लेकिन मै आग्रह नही करता।

तू जिस सम्बन्धके बारेमे विचार कर रहा है, उससे मुझे बहुत आघात नही पहुँचा है। यदि तू अपना साथी केरलसे चुनता है तो इससे मुझे कोई आघात नही पहुँचेगा। देखना यह है कि तेरे इस चुनावके पीछे क्या भावना है। रामचन्द्रनके घरमे रहकर तुझसे कुछ हो सकता है अथवा नही, यह विचारणीय है। यह उचित नही है कि इस प्रश्नका और भविष्यका निर्णय मै तेरे पत्रसे करूँ। हालाँकि इसमे थोडा खर्च तो होगा, लेकिन मै चाहूँगा कि तू वर्धा चला आ। मै वहाँ २९ तारीखकी शामको पहुँचूंगा। तू उस दिन सवेरे पहुँच जाये तो यही काफी है। यह पत्र तुझे जल्द-से-जल्द शनिवारकी सुबह मिलेगा। इसलिए ज्यादा समय नही है। तुझे दुःखी होनेकी कोई जरूरत नही। मै तेरा त्याग नही करूँगा। मुझे तुझ पर विश्वास है। तूने मगनभाई काका आदिके सत्संगका सेवन किया है। देवदासके प्रति तेरे मनमें

आदरभाव है। तू मेरे आशीर्वादका भूखा भी है। तेरा कल्याण ही है। मैं यह सब प्रार्थनासे पहले लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२९२) से, सौजन्य . कान्तिलाल गांधी

१३५. पत्र : विट्ठल ल० फड़केको

२३ जनवरी, १९३५

भाई मामा,

तुम बदनसीब हो, यही कहना होगा न? तुम्हारे पत्र मुझे बराबर मिल गये थे। मैंने जवाब भी दिया था। पहलेका जवाब कांग्रेस है, दूसरेका जवाब मैंने महादेवसे देनेके लिए कहा था। समयका अभाव है, इस कारण, और जवाब तुम्हे जल्दी मिल जाये इस विचारसे मै तीसरेका उत्तर लिख रहा हूँ। तुम्हारे इलाजके लिए जल-चिकित्सा, अर्थात् हिपबाथ और स्टीमबाथ लेकिन खुराकमे दूध, कच्ची सब्जियाँ और गेहूँ सुझाता हूँ। तुम्हे नगे बदन आराम लेना और सूर्य-स्नान करना चाहिए। शरीर अच्छा होना ही चाहिए। साहबका क्या हाल है? मेरे पैर लापरवाहीके कारण और ठण्डसे फट गये थे, इसलिए घूमना-फिरना बन्द हो गया। अब ठीक है। सर्दी भी कम हो गई है।

. [2] अभी तो मद्रासमे रहेगे।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत मामा साहब
[मार्फत] श्रीयुत देशपाण्डेसाहब
बैरिस्टरके यहाँ, शकर टेकडी, बड़ौदा

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८२८) से।

१. इसके बाद यह निर्देश दिया हुआ है "महादेवके अतिरिक्त कोई न पढ़े; काका पढ़ सकते हैं।"

२. साधन-सूत्रमें शब्द अस्पष्ट है, परन्तु शायद यह शब्द "काका" था; देखिए "पत्र : नरहरि द्वा० परीखको", २६-१-१९३५।

१३६. आरम्भ कैसे करें?

बहुत-से सज्जन तो पत्र लिख-लिख कर और अनेक मित्र खुद मुझसे मिलकर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम ग्रामोद्योग-कार्यका आरम्भ किस प्रकार करे और सबसे पहले किस चीजको हाथमे ले।

इसका स्पष्ट उत्तर तो यही है कि इस कार्यका श्रीगणेश आप खुद ही करे, और सबसे पहले उसी कामको हाथमे ले जो आपको सबसे आसान जान पडे।

पर इस उत्तरसे पूछताछ करनेवालोको सन्तोष थोडे ही होता है। इसलिए इसे मै जरा और स्पष्ट कर दूं।

हममेसे हरएक आदमी खाने-पीने, पहनने-ओढने और अपने नित्यके उपयोगकी चीजोको जॉच-परख सकता है और विलायती अथवा शहरकी बनी चीजोकी जगह ग्रामवासियोकी बनाई हुई उन चीजोको काममे ला सकता है जिन्हे कि वे अपनी मडैयामे या खेत-खलिहानमे बहुत सस्ते और मामूली औजारोसे सहज ही तैयार कर सकते है। इन औजारोको वे लोग आसानीसे चला सकते हैं और वे विगड जाये तो उन्हे सुधार भी सकते है। विदेशी या शहरकी बनी चीजोकी जगह गाँवोकी बनी चीजोको आप काममें लाने लगे, तो ग्रामोद्योग-कार्यका यह बडा अच्छा आरम्भ होगा और आपके लिए यह खुद ही एक बडे महत्वकी चीज होगी। इसके बाद फिर क्या करना होगा, यह तो आप ही मालूम हो जायेगा। मान लीजिए कि आजतक कोई आदमी बम्बईके किसी कल-कारखानेमे बने टूथब्रशसे दाँत साफ करता आ रहा है और अब उसकी जगह वह गाँवका बना टूथब्रश चाहता है, तो आप उसे बबूल या नीमकी दातौनसे दाँत साफ करनेकी सलाह दे। अगर उसके दाँत कमजोर हैं या दाँत है ही नही, तो वह दातौनका एक सिरा तो लोढी या हथौडीसे कुचल ले और दूसरे सिरेको चीरकर उसकी फाँकोसे जीभीका काम ले। दातौनका यह ब्रश सस्ता भी काफी पडेगा और कारखानेके बने हुए अस्वच्छ ब्रशोसे ज्यादा स्वच्छ भी होगा। शहरोके बने दतमजनोको वह छुएगा ही नही। वह तो लकडीके कोयलेको खूब महीन पीसकर और उसमे थोडा-सा साफ नमक मिलाकर अपने घरमे ही बढिया मजन तैयार कर लेगा। मिलके बने कपडेके बजाय वह गाँवकी बुनी खादी पहनेगा। मिलके कुटे चावलकी जगह हाथके कुटे चावलका और सफेद शक्करके स्थान पर गाँवके बने गुडका उपयोग करेगा। इन चीजोको मैंने यहाँ बतौर नमूनेके ही दिया है और इनकी चर्चा यद्यपि मै इन पृष्ठोमे पहले कर चुका हूँ, तो भी इस विषयपर मेरे साथ जिन लोगोकी लिखा-पढी या बातचीत चल रही है, उनकी बताई हुई कठिनाइयोको दृष्टिमें रखकर मैंने पुन खादी, चावल और गुडका यहाँ उल्लेख किया है। उदाहरणके लिए, कुछ लोग कहते हैं कि "हाथका कुटा चावल मिलके कुटे चावलसे महँगा पडता

है।" कुछ लोग कहते हैं, "हाथसे चावल कूटने साफ करनेकी कलाको लोग भूल गये हैं और चावल कूटनेवाले मिलते ही नही।" कुछ अन्य लोग कहते हैं, "हम मिलका कुटा चावल लेते ही नही। हम लोग प्रति रुपया १९ सेरके भावपर हाथ-कुटा चावल दे सकते है?" ये सभी लोग ठीक हैं, और गलत भी। जिस हदतक अपने-अपने जिलोमे इनके निजी अनुभवकी बात है, उस हदतक ये ठीक हैं। और ये सभी लोग गलत इसलिए है कि इन्हे वास्तविक सत्यका पता ही नही है। मुझे तो रोज विस्मयकारी अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। यह सब खुद शुरुआत कर देने पर होता है। मैंने आजतक जो-कुछ देखा-समझा है, उसका परिणाम निम्न-लिखित है।

बाजारमे विना पालिश किया चावल नही प्राप्त होता। यह चावल देखनेमें सुन्दर और मीठा तथा सुस्वादु होता है। मिले विना पालिश किये चावलका मुकाबला कर ही नही सकती। इसका छिलका निकालनेका ढंग बहुत सरल है। अधिकाश किस्मके धानको हल्की चक्कीमें दल कर उसकी भूसी निकाली जा सकती है। धानकी कुछ किस्मे ऐसी हैं जिन्हे दलनेसे भूसी अलग नही होती। इस किस्मके धानको साफ करनेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उसे उबाल ले और फिर भूसीको दानेसे अलग कर ले। ऐसा कहा जाता है कि यह चावल सबसे पौष्टिक और स्वभावत सबसे सस्ता होता है। गाँववाले अगर अपने धानकी भूसी खुद निकालने लगे तो वह उनको मिलके साफ किये चावलसे, चाहे पालिश किया चावल हो या विना पालिश किया, हमेशा ज्यादा सस्ता पडेगा। बाजारोमे अधिकाशत जो चावल मिलता है वह, चाहे हाथसे साफ किया हुआ हो या मिलोका साफ किया हुआ हो, कमोबेश पालिश किया चावल ही होता है। बिलकुल विना पालिश किया हुआ चावल हाथसे दला-कुटा होता है और वह उसी किस्मके मिलके साफ किये हुए चावलके मुकाबले हमेशा सस्ता पड़ता है।

शोध-कार्य तो अभी और हो ही रहा है, लेकिन अभीतकके परिणामोसे यही पता चलता है कि हमारी अपराध-जैसी उपेक्षाके कारण ही करोड़ो लोग घटिया चावल खाते हैं और कीमत भी ज्यादा देते हैं। गाँवमे काम करनेवाला कार्यकर्ता इन बातोकी सत्यताकी खुद जाँच कर सकता है। यह कोई खराब शुरुआत नही होगी।

अगले सप्ताह मै गुड और अन्य खाद्य वस्तुओ तथा ग्राम-कार्यके एक अन्य अगके बारेमे लिखूँगा।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, २५-१-१९३५

१३७. उनका अर्थशास्त्रीय विश्वास

कृषि संस्थान, इलाहाबादके निदेशक और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी सलाहकार समितिके सदस्य प्रोफेसर सैम हिगेनबॉटम अपने पत्रमे लिखते है[1]

भारतके लिए किये गये मेरे आर्थिक और आध्यात्मिक प्रयत्नोंके मूलमें जो अर्थशास्त्रीय विश्वास है उसे मैं यहाँ प्रतिपादित कर रहा हूँ।

उत्पादनके दो मुख्य तत्व भूमि और श्रम हैं। ये दोनों परस्पर एक हैं अथवा विवाह-सूत्रमें बँधे हुए हैं। और वे समस्त भौतिक उपादान जो मनुष्यके भौतिक कल्याणके लिए आवश्यक और अभीष्ट हैं, इनकी सन्तान हैं। उन्हे हम 'पूँजी' कहते है।

पूँजी भूमि और श्रमकी सन्तान है। भारतमें भूमि और श्रम प्रचुर मात्रामें है। भूमि और श्रमसे भारतका अधिकसे-अधिक हित हो सके, इसके लिए भूमि का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग और श्रमिकोंका सही मार्गदर्शन करनेकी जरूरत है। अबतक इनकी बहुत ज्यादा कमी रही है। इसलिए मैं ऐसे ग्राम-सेवकोके प्रशिक्षणपर जोर देता हूँ जो इन-उन चीजोके अभावकी शिकायत करने में अपना सारा समय बरबाद नहीं करेगे और इस तरह आरम्भमें ही हतोत्साहित और परास्त नहीं हो जायेंगे, बल्कि वे गाँवको उसमें उपलब्ध सभी साधनोंसहित अथवा साधनोंकी कमीके साथ स्वीकार करेगे और उपलब्ध साधनों व सम्भावित साधनोंका, जो आर्थिक दृष्टिसे गाँववालोंकी पहुँचके बाहर नहीं हैं, ज्यादा बेहतर उपयोग करके इस भूमि और अपने श्रमसे गाँवमें ही ऐसी पूँजी पैदा करेंगे जो गाँववालोंकी आवश्यकताके अनुरूप होगी। यह एक लम्बी धीमी और शिक्षाप्रद प्रक्रिया है जिसका अर्थ है – कठोर परिश्रम, लेकिन निश्चित सफलता . . .।

कार्यक्रमके अन्तर्गत गाँवके सारे कूड़े-करकटके उचित उपयोग द्वारा खाद तैयार की जायेगी, भूमिके कटावको रोका जायेगा, फसल-चक्रकी सही प्रणाली बताई जायेगी, अच्छे बीजों, साधनो और उपकरणोके चयन करनेका ढंग बताया जायेगा, विशिष्ट नस्ल और अच्छे चारे द्वारा पशुधनमें वृद्धि की जायेगी, गाँव के उत्पादनोंकी बिक्री और खरीदमें सहयोगकी भावनाका विकास करना सिखाया जायेगा, सड़कोंको बेहतर बनानेकी दिशामें काम किया जायेगा, वर्तमान ग्रामोद्योगोंका जिनके द्वारा गाँवका माल तैयार होता है, विकास किया जायेगा और

१. यहाँ कुछ अंश ही दिये गये हैं।

जहाँ आवश्यक होगा वहाँ ग्राम्य जीवनको सुव्यवस्थित बनानेके लिए नये ग्रामोद्योगोंकी स्थापना की जायेगी।

प्रोफेसर हिगेनबॉटमने ऊपर जो कहा है उसमें बहुत सार है तथा ग्राम्य जीवनको उचित स्तरपर लानेके लिए आन्दोलन चलानेवाला हर व्यक्ति उनसे सहमत होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-१-१९३५

१३८. टिप्पणियाँ

एक अन्य हरिजन-सेवककी मृत्यु

आचार्य गिडवानी पक्के हरिजन-सेवक थे। हरिजन-कार्यमें उन्हें बहुत-ज्यादा दिलचस्पी थी। वे एक हरिजन बालाका अपने परिवारके एक सदस्यके रूपमें भरण-पोषण कर रहे थे। उनके समक्ष न कोई ऊँच था, न कोई नीच। हरिजन-सेवाके प्रति प्रेमभाव उनके स्वभावका अभिन्न अंग था। जब वे पहले-पहल मुझसे मिलने आये, तब मैंने उन्हें हरिजनोंके लिए लड़ते हुए देखा। जब भी सेवा-कार्यके लिए उनका आह्वान किया गया, उन्होंने कभी आनाकानी नहीं की। मानवताके ऐसे सेवकोंकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे अपने कार्यसे जीवित रहते हैं। आचार्य गिडवानी अपने पीछे बहादुर विधवा पत्नी और एक बड़ा परिवार छोड़ गये हैं। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूँ।

उधार बनाम नकद

अखिल भारतीय चरखा संघके विभिन्न खादी-भंडारोंके प्रबन्धके बारेमें बार-बार यह प्रश्न उठता है कि क्या खादी उधारमें बेची जानी चाहिए। पिछले अनेक वर्षोंसे मेरा यह विचार रहा है कि विशुद्ध परोपकार-वृत्तिसे चलाये जानेवाले व्यापारमें उधार बिक्री एक गलत सिद्धान्त है। ऐसे कारोबारके प्रबन्धकोंको जनताको यह सिखा सकना चाहिए कि उधार बिक्रीसे नकद बिक्रीवाली चीजोंका मूल्य बढ़ जाता है। केवल नकद बिक्री होनेसे ही हमें यह पता चल सकता है कि परोपकार-वृत्तिसे चलाये जानेवाले कारोबारको जनताका कितना संरक्षण प्राप्त है। नकद बिक्रीसे आरम्भमें लोगोंको भले ही थोड़ा-बहुत बुरा लगे, लेकिन अन्ततः उसमें निश्चित रूपसे लाभ ही होता है। परमार्थकी दृष्टिसे किये जानेवाले कार्यमें तुरन्त परिणामका विचार नहीं रखना चाहिए। वह तो सरल और अडिग विश्वासके बलपर ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं अखिल भारतीय चरखा संघके अन्तर्गत चलनेवाली खादीकी दुकानोंके प्रबन्धकों और सहायक संगठनोंको तथा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघको, जो कि जल्दी ही शुरू होनेवाला है, यह सलाह देना चाहूँगा कि वे नकद बिक्रीके सिद्धान्तका पालन करें और उधार बिक्रीका पूर्णतया त्याग कर दें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २५-१-१९३५

१३९. पत्र : हालिदा अदीब हानुमको

दिल्ली
२५ जनवरी, १९३५

प्रिय बहन,

आपपर जो दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है, उसके बारेमे प्रोफेसर मलकानीने अभी-अभी मुझे बताया है। मै जानता हूँ कि आप मौतसे नही डरती। आप उसे पक्के मित्रके रूपमे मानती है, इसलिए मै आपको कोई शोक सन्देश नही भेज रहा हूँ। लेकिन यदि इस समय आपको किसी साथीकी जरूरत हो तो आप यह जानती ही है कि आप मुझे अपने उन अनेक मित्रोमे से मान सकती है जो आपके दुःखमें, वियोगमे, क्षति आदिमे — इसे जो भी कहा जाये — आपके साथ है। शिष्टाचार निभानेकी खातिर मै आपके पास नही आ रहा हूँ। प्रोफेसर मलकानी इस टिप्पणीको ला रहे है, और एक सम्मानित कार्यकर्त्ता होनेके कारण मेरा प्रतिनिधित्व करते है।

स्नेह।

मो० क० गांधी

बेगम साहब हालिदा अदीब
दरियागज

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९११) से।

१४०. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

२६ जनवरी, १९३५

प्रिय कुमारप्पा,

तुम जानते हो कि मै अपने साथ एक बडा दल ला रहा हूँ। बा, मीरा बहन, महादेव, मनु, देवराज, बलवन्तसिह (नया), राजकिशोरी (नई), सम्भवत एक-दो और। हमे देखना होगा कि व्यवस्था कैसे की जायेगी। मेरे हिसाबको ग्रामोद्योग सघके साथ नही मिलाना होगा। जहाँतक खर्चेका सवाल है, यह एक अलग खाता होगा।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१०७) से।

१४१. पत्र : जमनालाल बजाजको

२६ जनवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। खान साहब आज यही है। मैंने तुम्हारा तार उन्हें पढाया। उसे पढनेके बाद उन्होने आशीर्वादका जो लम्बा तार भेजा, वह तुम्हे मिल ही गया होगा। तुम विवाहकी जोड़ियाँ मिलानेमें विशेष योग्यता हासिल कर रहे प्रतीत होते हो। यह-विवाह तो इतिहासमे लिखा जायेगा। बेचारी सोफियाने तो कभी स्वप्नमे भी न सोचा होगा कि उसे पठानसे विवाह करना होगा और न सादुल्लाने कभी सोचा होगा कि उसका विवाह एक खोजा लड़कीसे होगा। तुम्हारी पसन्द मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दोनो सुखी होगे और सोफिया जितनी चाहे उतनी सेवा कर सकेगी। हम सब मंगलवारको वर्धा पहुँचेगे। साथमे कोई नया आदमी नही होगा। हाँ, चन्द त्यागीके बलवीरके साथ जिसकी सगाई हुई वह हमारे साथ है। बडी भली लड़की है। मेरी-द्वय तो बैतूल उतर जायेगी।

लगता है, सरदार, राजाजी, राजेनबाबूको आठ फरवरी तक रुकना पडेगा। तबतक बिलपर वाद-विवाद पूरा हो जायेगा।

कमलनयन सीलोन जानेके लिए अधीर हो रहा है, लेकिन उसे तनिक प्रतीक्षा करनी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५२) से।

१४२. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

२६ जनवरी, १९३५

चि० नरहरि,

मै तुम्हारे पत्रका उत्तर नही दे पाया। गोशालाकी बाबत अम्बालालभाईसे जो पैसा लेना है, वह पैसा यदि शकरलाल उनसे माँग ले तो हमारा काम चल जायेगा। कितनी रकम निकलती है, इसकी तुम ठीकसे जाँच करना और आँकडा मुझे भी भेजना।

यदि तुम चर्मशोधनालय चलाना चाहते हो तो चलाना। क्या तुम एक कुशल चमारको रखना चाहोगे? मै देखूंगा कि क्या मैं सुरेन्द्रको शिक्षा लेनेके लिए राजी कर सकता हूँ? ट्रस्टियोसे गोशालाके दोहरे घाटेकी अनुमति लेना।

ट्रस्टका दस्तावेज बन जाये तो अच्छा हो।

मैं २९ तारीखको वर्धा पहुँचनेकी आशा रखता हूँ। फिलहाल तो रहूँगा वही। काका[1] अभी मद्रासमे है और अगर ज्यादा नही तो दो महीनोतक तो वही रहेगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६८) से।

१४३. पत्र : वालजी गो० देसाईको

२६ जनवरी, १९३५

चि० वालजी,

तुम्हारा पत्र मिला। अपने त्याग-पत्र पर तुम्हे दु:खी क्यो होना चाहिए।[2] कोई काम हमसे हो नही सकता इसलिए यदि धर्मकी प्रेरणासे उसका त्याग करना पड़े तो इसमे दु:ख अथवा सुख कैसा?

इसे स्वेच्छासे छोड़ देनेका विचार भी तो तुम्हारे ही मनमे उठा था न? लेकिन यदि तुम जैसे-तैसे मन्त्री-पदपर बने रहना चाहते हो तो भले रहो। छोडना कर्त्तव्य जान पड़े तो छोड़ दो। जबतक तुम्हारी ओरसे इसका कोई निश्चित उत्तर नही आ जाता, तबतक मैं कोई कदम नही उठाऊँगा।

चित्रे अभी मेरे साथ ही है। उसे अपने साथ वर्धा ले जानेका विचार कर रहा हूँ। उसकी खाँसी काफी ठीक है। बुखार था, सो उतर गया है। तुम्हारा लेख मिल गया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

जगदीश शास्त्रीके बारेमें तुम जो लिखते हो, वैसा नही हुआ था। मैंने तुम्हारी रायका आदर किया था।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४६९) से, सौजन्य : वालजी गो० देसाई।

१. द० बा० कालेलकर।

२. देखिए "पत्र : नारणदास गांधीको", पृ० १३१-३२।

वल्लभभाई, राजा आदिको अभी वहीं रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी सभाओंको मुल्तवी करना होगा। चरखा-संघके लिए शंकरलालको बुलाकर जरूरी काम निपटा देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५३) से।

१४६. पत्र : वसुमती पण्डितको

२७ जनवरी, १९३५

चि० वसुमती,

तू अपना कार्यक्रम तो बताती नहीं और फिर जिम्मेदारी मुझ पर डालेगी। मैंने तो तेरे पत्रका उत्तर बोचासण भेजा था। तुझे अभी तो मद्रास जाना है। उसके बाद खुशीसे गंगाबहनके साथ रहना। मद्रास तू वर्धा होकर जाना।

चन्दूभाईको मैं स्याहीके बारेमें पत्र लिख रहा हूँ।

तू मुझे अपने अनुभव विस्तारसे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मंगलवारको वर्धा पहुँचेंगे।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९३) से। सी० डब्ल्यू० ६३८ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित।

१४७. पत्र : नारणदास गांधीको

दिल्ली

२७ जनवरी, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। साथका पत्र पढ़कर केशुको दे देना। मेरा खयाल है कि तुम सब इस विवाहको पसन्द करते हो तो यह उचित ही है। जो-कुछ निर्णय किया जाये, मुझे उसकी खबर तत्काल वर्धामें मिले।

गोशालाके नये बजटमें तुमने जो परिवर्तन देखे हो, वे मुझे सूचित करना।

वालजीने गोशालाके मन्त्रीपदसे अपना इस्तीफा भेज दिया है, क्योंकि उसे दुग्धालय और चर्मालयका ज्ञान नहीं है और सीखनेके लिए तैयार भी नहीं है।

कनु बडे सुखसे है। पण्डितजी अभी यही है। वह उनसे थोडा सगीत भी सीखता है और मेरीबहनसे अग्रेजी। उसकी जरूरते नाममात्र की और बहुत ही सादी है, इसलिए उसका काम आरामसे चलता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४२८ से भी, सौजन्य : नारणदास गाधी।

१४८. भाषण : विधान-सभाके सदस्योंकी दिल्लीकी बैठकमें[1]

२७ जनवरी, १९३५

महात्मा गांधीने उन दो विधेयकोकी चर्चाकी जिन्हे पिछली विधान-सभामें पास करानेकी कोशिश की गई थी, और कहा :

जहाँतक मन्दिर-प्रवेश विधेयककी बात है, उसके बारेमे इस समय कुछ करने की कोई जरूरत नही, क्योकि यह स्पष्ट है कि उसके पक्षमे पहले लोकमतको अच्छी तरह तैयार करना आवश्यक है। हरिजन कार्यकर्त्ता यही कर रहे है। हिन्दू जनता निष्क्रिय है लेकिन वह मनसे इसके पक्षमे है, और सनातनी हिन्दुओका प्रबुद्ध वर्ग, विशेष रूपसे पडित लोग, अभी भी इसके विरुद्ध है।

ऐसे किसी मामलेमें हम केवल बहुमतके जोरसे ही सुधारकी गति तेज नहीं कर सकते। इस बीच जो लोग इस विषयमें दिलचस्पी रखते है, उन्हे उसका विशेष अध्ययन करना चाहिए।

अस्पृश्यता-निवारण विधेयकके बारेमें महात्मा गांधीने सदस्योको सलाह दी कि इसे पास करानेकी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। इसका सम्बन्ध हरिजनोके नागरिक अधिकारोसे है और इसलिए इसका समर्थन सभी सदस्य कर सकते है, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों या अन्य धर्मावलम्बी हों। यदि सारा हिन्दू-समाज भी अस्पृश्यता-निवारणके विरुद्ध हो तो भी मै विधान-सभा-जैसी धर्म-निरपेक्ष संस्थाको यही सलाह दूँगा कि वह हिन्दुओके इस रवैयेको बर्दाश्त न करे। कारण, इस मामलेमें कानून किसीके धार्मिक अधिकार अथवा किसी धार्मिक प्रथामें हस्तक्षेप नहीं कर रहा होगा। वह तो सिर्फ इस देशके कानूनसे अस्पृश्यताको समाप्त कर रहा होगा। उदाहरणके लिए हम सार्वजनिक कुओंके इस्तेमालकी बात लें। हरिजनोके लिए यह सवाल सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। इन तालाबों और कुओपर मवेशी जा सकते है, लेकिन

१. यह बैठक दिल्लीमें किंग्जवे कैम्पकी हरिजन-बस्तीमें हुई थी। श्री घनश्यामदास बिड़लाके निमन्त्रण पर इस बैठकमें ३५ सदस्योंने भाग लिया था।

हरिजन नहीं। राजपूतानामें कुएँ खोदनेपर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यह अमानुषिकताकी हद है कि हरिजनोंको उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। यही हाल स्कूलोंका है। मैं इस सवालपर अध्याय और श्लोक उद्धृत कर सकता हूँ। श्री एम० आर० जयकरने एक विधेयक[1] प्रस्तुत किया था, और एक दूसरे विधेयकका मसविदा हालमें श्री च० राजगोपालाचारीने तैयार किया है। आवश्यकता हो तो ऐसे किसी विधेयकको और सुस्पष्ट और संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसे यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी पास कराया जाना चाहिए। मालवीयजीकी अध्यक्षता में बम्बईमें हुए सम्मेलन द्वारा पास किये गये प्रस्ताव[2] के प्रकाशमें, हिन्दुओंका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस प्रकारके विधेयकका समर्थन करें और विधान-सभाके हिन्दू-सदस्योंका कर्त्तव्य है कि वे इसे पास करानेकी कोशिश करे।

इस कार्यमें सदस्योंको हरिजन-सेवक-संघकी सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी।

और भी बहुत-से तरीके हैं जिनसे विधान-सभा हरिजनोंके कल्याणमें योग दे सकती है। यह सही है कि प्रान्तीय सरकारें पूरी तरह जागरूक हैं और हरिजनोंके लिए बहुत-सी चीजें करनेकी कोशिश कर रही हैं। शायद हरिजन-सभाओंने सरकारको प्रयत्न करनेके लिए प्रेरित किया है। यह सब हरिजनोंके लिए लाभकर हैं। चाहे जिस सूत्रसे सहायता मिले, हरिजनोंको उसे लेना चाहिए, बशर्ते कि उससे उनके बुनियादी हितों पर प्रभाव न पड़ता हो। लेकिन सरकार जो भी मदद दे सकती है वह नियमोंके अन्तर्गत ही दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं। हरिजन-सेवक-संघ ऐसे किसी प्रतिबन्धसे बँधा हुआ नहीं है।

विधान-सभा सरकारपर यह उचित दबाव डालनेके लिए कि वह हरिजन-उत्थानके लिए धनकी व्यवस्था करे एक योग्य संस्था है। यह काम शायद एक प्रस्ताव पेश करके किया जा सकता है। आप लोग श्री एम० सी० राजासे भी परामर्श कर सकते हैं, और श्री राजाको जो मदद चाहिए आप लोग वह मदद उनको दीजिए।

अन्तमें, महात्मा गांधीने देशके कुछ भागोंमें हालमें हरिजनोंके साथ हुए क्रूर व्यवहारकी चर्चा की। उन्होंने मेरठमें बेगारके सवालपर हाल ही में जमींदारों द्वारा हरिजनोंके मारे-पीटे जानेकी एक घटनाका उल्लेख किया जिसमें एक हरिजनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकारकी एक दुःखद घटनाका समाचार कानपुरसे भी मिला था, जिसके बारेमें गांधीजी ने कहा कि पूरे तथ्य अभीतक मालूम नहीं हैं। इसी प्रकार चेट्टिनाडमें नट्टरों और हरिजनोंके बीच पुराना झगड़ा चला आ रहा था। वहाँ हरिजनोंको अपनी पसन्दका कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था। गांधीजीने कहा कि नट्टरोंमें से कुछ लोग तो बहुत ही जिद्दी हैं और अपने रवैयेको प्रथाके आधारपर उचित

१. हरिजनके १८-२-१९३३ के अंकमें प्रकाशित, देखिए खण्ड ५३, पृष्ठ ३५७ भी।
२. २५ सितम्बर, १९३२ को, देखिए खण्ड ५१, पृ० १४८–४९।

और सबसे बढकर उन्हे बताओ कि वे अपने गाँवको गन्दगी और धूलसे बचाये। अगर तुम स्वेच्छासे भगीका काम करनेको तैयार नही हो तो यह काम तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम सिद्ध होगा। तुम्हे चाहिए कि लगातार कई दिनो तक सडकोको साफ करो और उन्हे यह बताओ कि किस प्रकार वे एक ओर तो अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करे और दूसरी ओर अपनी अच्छी खादको सुरक्षित करे। इस विषय पर पूरेकी 'रूरल हाइजीन' (ग्रामीण सफाई) एक बहुमूल्य पुस्तिका है। तुम्हें उनको यह समझाना होगा कि वह अपने मलको नौ इच गहरे गढेमे मिट्टीसे दबा दे। इसके पीछे सिद्धान्त यह है कि मिट्टीमे जान है और उतनी गहराईतक सूर्यकी किरणे पहुँचती है। थोडे समयमे ही वह सारा मल अच्छी खाद बन जायेगा और उस भूमिपर उत्तम सब्जियाँ उगाई जा सकती है।

अच्छा होगा कि मै तुम्हे अन्दरूनी सफाईकी बात भी बता दूँ। तुम्हे स्वास्थ्यकी दृष्टिसे आहारकी समस्याको भी समझना चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि कौन-से खाद्य-पदार्थ विटामिनयुक्त है। उन्हे यह बताओ कि हाथका कुटा हुआ चावल खायें, बिना चोकर निकाला हुआ आटा, खाँड और अपने खेतमे उगाई हुई हरी सब्जियाँ खाये और कोल्हूसे निकाला हुआ ताजा तेल प्रयोग करे। आजकल प्रत्येक डॉक्टर इस बातपर जोर देता है कि हरी सब्जी कच्ची खाई जाये। प्रत्येक किसान बिना किसी कठिनाईके हर प्रकारकी भाजी उगा सकता है और अपने नियमित भोजनके अगके तौर पर उसे कच्ची खा सकता है। युद्धके दिनोमे यह पता चला कि सुखाई हुई और डिब्बाबन्द सब्जी हानिकारक होती है और नीबू-रस नही, वरन् ताजे नीबूसे निचोड़ा हुआ रस स्कर्वी रोगको रोकता है।

हम लोग आपके अत्यन्त आभारी हैं। क्या आप हमें यह भी बतायेंगे कि हम जो छोटा-सा हरिजन-स्कूल चला रहे है, उसमें क्या पढ़ायें?

वही सब जो मैंने बताया है। मै तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ कि स्वास्थ्य और सफाईके बारेमे अच्छे ज्ञानकी तुलनामे लिखने-पढनेका ज्ञान कुछ नही है। दरियागजके स्कूलमे मैंने बहुत-सी हरिजन कन्याओको पढते हुए देखा है। मैंने ज्यो ही उन्हे देखा, मेरी आँखे तुरन्त ही उनके गन्दे नाखूनों, उनकी गन्दी नाको, उनकी बालियो और नथुनियो पर जमे हुए मैलपर गईं। शायद यह बात कभी उस भली महिलाके ध्यानमे आई ही नही थी जो उनकी प्रभारी है। उन्हे सबसे पहले सफाईका पाठ पढाओ। साहित्यिक प्रशिक्षण स्वय कोई बहुत महत्वकी बात नही है। उन आवश्यक बातो पर ध्यान रखो जो मैंने तुम्हे बताईं हैं। यह याद रखो कि बिना पढे-लिखे व्यक्तियोने बडे-बडे राज्योपर बिना कठिनाईके राज्य किया है। प्रेसिडेन्ट क्रूगर अपने हस्ताक्षर मुश्किलसे कर पाते थे। उन्हें लिखना-पढना अवश्य सिखाओ, परन्तु उसकी जड़पूजा मत करो।

एक और प्रश्न है। ठंडे मौसमके लिए हमारे पास कुछ धन है। उससे लाभ पानेवाले सबसे योग्य कौन हो सकते है?

ठीक है, यह धन हमारे हवाले कर दो या फिर हरिजन-सेवक संघको दे दो।

नहीं, हम स्वयं उसका प्रबन्ध करेंगे।

ठीक है, तो नगरकी गन्दी बस्तीमें जाओ। वहाँ जो सबसे गरीब दिखे उन्हे दे दो।

गन्दी बस्ती में?

बेशक। वाइसरायके क्वार्टरोमे निश्चय ही नही, क्योकि तुम देखोगे कि वहाँके अस्तवल भी हमारे घरोसे अधिक साफ और आरामदेह होगे। बहुत दूर जानेकी आवश्यकता भी नही है। तुम्हे अपने आसपास ही ऐसे व्यक्ति मिल जायेगे। उन्हे उसकी बहुत आवश्यकता है जो तुम लोग देना चाहते हो। उदाहरणके लिए, मीराबहनने देखा कि यहाँ चौकीदार सर्दीमे ठिठुर रहा है। उन्होने उसे अपना कम्बल दे दिया, उसी प्रकार जिस प्रकार कि डॉ० अन्सारीने उन्हे (मीराबहनको) अपना शाल इग्लैडमें दिया था।

लेकिन, महोदय, कभी-कभी वे लोग गरीब होनेका बहाना करते हैं हालाँकि वास्तवमें वे गरीब नहीं होते। हम यह कैसे पता चलायें कि वास्तवमें वे गरीब हैं या नहीं?

तो तुम ईश्वर बनना चाहते हो। भगवानके लिए यह मत समझो कि ईमानदारीके ठेकेदार केवल तुम्ही हो।

केवल एक गाँव — वजीराबाद[1] — पर ही पूरा ध्यान दो; इसे एक आदर्श गाँव बनाओ और फिर मुझे अपने कार्यका निरीक्षण करनेके लिए बुलाओ। मेरा आशीर्वाद लो और बादमे मेरे पास प्रमाण-पत्र प्राप्त करनेके लिए आओ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-२-१९३५

१५०. बातचीत : एक सराफसे[2]

[२८ जनवरी, १९३५से पूर्व]

"मेरी मनोकामना पूरी हो गई", वह हर्षसे चिल्लाया और उसने सौ रुपयेका नोट और सूत गांधीजी को दिया। गांधीजी ने उससे पूछा :

तुम क्या करते हो? मुझे याद पडता है कि मैंने तुम्हे कही देखा है। तुम कहाँ से आये हो?

[स :] मै मद्रासरे आया हूँ और मैं कुछ नहीं करता। मै तो आपके नाम की माला जपता हूँ और इसीमें खुश हूँ।

[गा :] लेकिन यदि तुम कुछ नही करते तो तुम्हे यह एक सौ रुपये कहाँ से मिले।

१. एक वर्ष पहले बाढ़ आनेपर प्रोफेसर विसर और इन छात्रोंने वजीराबादमें सहायता-कार्य किया था।
२. महादेव देसाईकी २८-१-१९३५ की "साप्ताहिक चिट्ठी" से उद्धृत।

ओह, महात्माजी, मेरे पास कुछ और भी है।

तव, वह भी क्यो नही दे देते?

उसने सौका एक और नोट निकाला और मुझे दे दिया।

लेकिन मुझे यह तो वताओ कि तुम करते क्या हो?

मैं एक सराफ हूँ। लेकिन अब मैं यह धन्धा नहीं करता। मैंने अपनी सारी सम्पत्ति तीन पुत्रोमें बॉट दी है और अब मैं आजाद हूँ, और आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप मुझे अपना भंगी बना ले, मुझे और कुछ नही चाहिए।

तो तुमने अपनी सारी सम्पत्ति अपने बेटोमे बॉट दी है और मेरे लिए कुछ नही रखा?

अरे, नहीं; सब-कुछ आपका है। मैंने तो एक हजार रुपया लानेकी बात सोची थी और मेरे पुत्रने एक हजार रुपया दिया भी था, लेकिन बेमनसे। उसे इस साल कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, इससे वह इतनी बड़ी रकम खुशीसे नहीं देना चाहता था। मैंने उससे कहा "आधा रुपया तुम रख लो और जब कभी मैं माँगूं तब मुझे दे देना।"

इतना कहनेके बाद सराफने बाकीके सारे रुपये निकालकर मुझे दे दिये। गांधीजी खिलखिलाकर हँस पड़े और कहा:

तुम वापस कैसे जाओगे? भाडेके लिए कुछ रुपया तो अपने पास रख लो।

नहीं। मैं पैसेके लिए तार दे सकता हूँ। मुझे किसी चीजकी जरूरत नहीं है। आप सारा पैसा ले लें, महात्माजी, यह सब पैसा आपका है।

अव तुम्हारा क्या करनेका विचार है?

कुछ नहीं। आप मुझे अपना विनम्र सेवक जान अपने पास रख लें। यदि नहीं तो आप कुछ दिनोके लिए मुझे यहाँ रहने दें, फिर मैं अपने घर राजपूतानामें चला जाऊँगा।

गांधीजी ने उसके ठहरनेके लिए कुछ निर्देश दिये और नरमीसे कहा:

महादेव, इसे सारे रुपये वापस कर दो। हम सारा रुपया कैसे लें सकते है? या फिर एक सौका नोट रखकर बाकी वापस कर दो।

"बेकारकी बात", गर्वीले दानीने कहा "मैंने जो रुपया आपको दिया है उसे अब मैं नहीं छूऊँगा। महात्माजी, विश्वास कीजिए, यह सब आपका है। मैं तो एक हजार रुपया लाना चाहता था, लेकिन वैसा नहीं कर सका।"

यदि तुम मुझे मैं जो माँगूं सो दोगे, तो मुझे एक करोड रुपया दे दो।

मैं दूंगा। लेकिन मुझे हुण्डी ईश्वरको भेजनी होगी और यदि मैं सन्त नरसिंह मेहता होता तो कदाचित् भगवान उसे भुना देते।

अच्छा, अच्छा, यदि सब मारवाडी तुम्हारी तरह होते तो कितना अच्छा होता। तुम तो मुझे तुम्हारे पास जो है वह सव दे रहे हो जबकि लखपति तो मुझे केवल कुछ सौ अथवा हजार रुपये ही देते हैं।

गांधीजी अपनेको रोक नहीं सके और उन्होंने बच्चोंकी तरह खिलखिलाते हुए कहा:

लेकिन तुम अपने पुत्रोंसे भी मुझे कुछ देनेके लिए क्यों नहीं कहते? वे अकेले ही अपने धनका उपभोग क्यों करें?

आप यकीन मानें, वे अवश्य देंगे। मेरे पास अभी भी थोड़ी चाँदी है, वह आपकी है। मेरा तो कुछ भी नहीं। और आज जबकि मैंने आपके दर्शन कर लिये हैं और आपके पाँव छुए हैं, मेरी तो सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो गई हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-२-१९३५

१५१. पत्र: रमणीकलाल मोदीको

२८ जनवरी, १९३५

चि० रमणीकलाल,

तुम्हारा पत्र मिला है। यदि तुम महीनेमें एकबार तीन पैसे[1] खर्च करोगे तो मुझे सन्तोष होगा। नाथजीके साथ जितना समय बिताना उचित जान पड़े उतना बिताना। यह व्यर्थ नहीं जायेगा। गाँवोंमें जानेकी बात नई है, इससे घबराना नहीं। जैसे कि ग्यारह व्रत[2] नये हों अथवा पुराने, हमें उनसे घबराना नहीं है उसी तरह इसमें भी घबरानेका कोई कारण नहीं है। जबतक हमारा मन ग्रामीण नहीं हो जाता, शरीर ग्रामीण नहीं हो जाता और जबतक अपनी आवश्यकताओंके लिए हमें गाँवोंमें जो मिल जाये उसीसे हम सन्तोष मानना नहीं सीख लेते, तबतक हमें किनारा नहीं मिलने वाला है।

गंगाबहनसे कहना कि दवा देनेका कार्य हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य उससे भी आगे है। उससे कहना कि जब वह तैयार हो जाये तब मुझे पत्र लिखे।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत रमणीकलाल मोदी
सत्याग्रह कैम्प
बोचासण, वरास्ता आणंद
बी० बी० एंड० सी० आई० रेलवे,

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१८२) से

१. गांधीजीको पोस्ट-कार्ड लिखनेके लिए।

२. आश्रममें पालन किये जानेवाले—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद पर नियंत्रण, निर्भयता, धार्मिक सहिष्णुता, स्वदेशी, अस्पृश्यता-निवारणके व्रत, देखिए खण्ड ३६, पृ० ४१९-२४।

१५२. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

२८ जनवरी, १९३५

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला। गाय-भैंसके दूधके बारेमें लोगोंकी राय जानूंगा। पालेसे हुए नुकसानके बारेमें जगह-जगहसे बुरे समाचार मिले हैं। क्या पपीतेके पेड नष्ट हो गये हैं अथवा केवल मौसमके फलोंको ही नुकसान पहुँचा है? हममें से किसीको ऐसी फसलकी जानकारी है जो पालेसे नहीं मरती हो? वहाँके कृषि विभागसे यदि यह जानकारी सहज ही मिल सकती हो तो उसे प्राप्त करना।

गायका दूध बढ जानेका तुम क्या कारण समझते हो?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६९)से।

१५३. पत्र : वसुमती पण्डितको

२८ जनवरी, १९३५

चि० वसुमती,

मेरे पत्र तेरे पीछे घूमते जान पडते हैं। स्याहीके बारेमें चन्दूभाईको सीधे पत्र लिख रहा हूँ।

१० फरवरीतक मद्रास जानेके लिए तुझे तैयार हो ही जाना चाहिए। तू बोचासणमें पाँच वर्ष लगाये, यह उचित है। मेरी तो यह इच्छा है कि तू जहाँ चाहे वहाँ स्थायी रूपसे बस जा।

हम आज वर्धा जा रहे हैं।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमतीबहन
मार्फत रसिकलाल भोगीलाल
विसनगर, बरास्ता मेहसाणा

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९४) से। सी० डब्ल्यू० ६३९ से भी, सौजन्य . वसुमती पण्डित।

१५४. पत्र : वालजी गो० देसाईको

२८ जनवरी, १९३५

चि० वालजी,

मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं तिल्लीके [बढ जानेके] बाबत लिख चुका हूँ। लेकिन यह भी हो सकता है कि मैंने केवल लिखनेका इरादा ही किया हो और लिखना रह गया हो। जिस व्यक्तिकी तिल्ली वढ जाये उसे कमसे-कम दूध और फलोका रस पीनेसे लाभ हो सकता है। डॉक्टर लोग इसके लिए खास दवा देते तो जरूर है, लेकिन उसका कितना असर होता है सो मैं नही जनता। खुराकका उपर्युक्त प्रयोग तो प्रसिद्ध हैं। इससे बच्चोकी यह बीमारी जाते देर नही लगती।

मैं जगदीश शास्त्रीके निकट सम्पर्कमें आया हूँ। उसके पास उसके निबन्धकी जो रूपरेखा है सो मैं पढ गया हूँ और मैंने उससे आनन्दशकरभाई और वैद्यके मतके बारेमें भी बातचीत की है। यह नौजवान काफी मेहनती है। मैंने उसे मेरी जो राय है उसके अनुसार नये ढगसे पुन लिखनेका सुझाव[1] दिया है। मैंने नये प्रकरणोकी योजना कर दी है। आशा है कि वह नये शीर्षकोके अनुसार उसे पुन लिखनेका प्रयत्न करेगा। सम्बन्धित साहित्य कहाँ-कहाँसे मिल सकता है, यह भी मैंने उसे बताया है। अब देखें गोमाताकी और हमारी कैसी किस्मत है।

तुम्हारे लेख मिले हैं। कागावा[2] के मित्रसे सम्बन्धित अश मैंने कुछ सक्षिप्त कर दिया है। और चूँकि हमारे पत्रका मिशनरियोके साथ कोई सम्बन्ध नही है, इसलिए मैंने उस अशको भी संक्षिप्त कर दिया है।

गोरक्षावाला निबन्ध मैं कूच[3] मे साथ नही ले गया था?

तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? आँखका क्या हाल है?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

आज शाम हम वर्धाकी ट्रेन पकडनेवाले हैं। चित्रे कल हरद्वार गया।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४७०)से, सौजन्य वालजी गो० देसाई।

१. देखिए "पत्र : जगदीश शास्त्रीको", पृ० १०२।

२. जोसेफ कागावा, एक जापानी ईसाई मिशनरी।

३. मार्च-अप्रैल, १९३० का दाँडी-कूच; देखिए खण्ड ४३।

१५५. पत्र : विद्या आ० हिंगोरानीको

२८ जनवरी, १९३५

चि० विद्या,

तुमारा खत मिला। तुमारी सेहतका कुछ खबर नही दिया है। पिताजीके साथ बहूत महोबतसे दोनोको रहना है। आनद बिलकुल अच्छा हो गया? वर्धा लिखो। गगाबहनको लिखता रहूंगा।

बापुके आशीर्वाद

माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनद तो० हिगोरानी।

१५६. सलाह : कांग्रेसियोंको[१]

नागपुर
२९ जनवरी, १९३५

मैं इस बातपर जोर देता हूँ कि लडकियोको औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे वे आत्मनिर्भर बनेगी। यदि वे विवाहित नही है तो उन्हे दूसरोपर निर्भर नही करना होगा। और यदि वे विवाहित है तो घरमे (पतिका) हाथ बँटा-येगी। यदि विधवा है तो अपनी आजीविका कमा सकेगी।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, ३०-१-१९३५

१. वर्धा जाते हुए गांधीजी जब नागपुरसे गुजरे तब स्टेशनपर बड़ी संख्यामें कांग्रेसजन गांधीजी से मिले थे।

१५७. पत्र : दिनशा मेहताको

[२९][1] जनवरी, १९३५

प्रिय दिनशा,

तुमने महादेवको जो पत्र लिखा उसे मै पहले नही देख सका। मुझे नही मालूम कि मैं तुम्हारी अपीलको किस प्रकार फलप्रद बनाऊँ। सस्थाके आर्थिक प्रवन्धके लिए इसके न्यासके अलावा मै केवल एक ही योजना बता सकता हूँ और वह तुम्हारी लगभग शत-प्रतिशत सफलता है। लेकिन वह केवल कार्य-कुशलतापर ही निर्भर नही है। भगवानकी भी सहायता मिलनी चाहिए। यदि वह तुम्हे सफलता दे तो यह एक पूर्ण योजना होगी। यदि वह ऐसा नही करता तो तुम स्वय जो-कुछ भी करोगे, बेकार ही होगा। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हे कोई सतोष नही मिलेगा। लेकिन जिसे तुम मेरा परिपक्व विवेक कहते हो, वह मुझे यही नि.सकोच कहनेको कहता है।

खम्भाताके बारेमे जानकर दु:ख हुआ।[2] मुझे आशा है, वे तेजीसे सँभलते जा रहे होगे। आमूल परिवर्तनका तुम्हारा सुझाव निश्चय ही एक ठोस सुझाव है। उन्हे अवश्य ही इसे अपनाना चाहिए। मै तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी कीमत पर उन्हे वम्बई छोड देनी चाहिए। यह पत्र तुम उन्हे दिखा सकते हो।

कृपया मुझे वर्धाके पतेपर लिखो। यह पत्र मैं गाड़ीमे लिखा रहा हूँ जो हमें वर्धा ले जा रही है।

श्री डी० के० मेहता
दि नेचर क्योर क्लिनिक
६, तोडीवाला रोड, पूना

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. साधन-सूत्रमें ३० जनवरी है। परन्तु गाधीजी २९ तारीखको रेलगाड़ीमें थे।
२. बहरामजी खम्भाता; देखिए "पत्र : बहरामजी खम्भाताको", ३०-१-१९३५।

१५८. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

वर्धा
२९ जनवरी, १९३५

प्रिय हरिभाऊ,

आपका पोस्टकार्ड मिला। स्पष्ट है कि आप 'हरिजन' नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने डॉ० अन्सारी और अन्य डॉक्टरोंके कथन उद्धृत किये हैं।[1] स्वास्थ्यकी दृष्टिसे बिना पालिश किये चावलकी उपयोगिता सर्वत्र स्वीकार की गई है। सम्बलपुर और बंगालके कई हिस्सोंमें अभी भी यह खाया जाता है। पकवान का प्रमाण तो उसके खानेमें ही मिलता है। आपको स्वयं इसे आजमाना चाहिए। आपका यह कहना बिलकुल ठीक है कि बिना पालिश किया चावल देरसे पकता है, परन्तु यदि यह ठीक तरह से पका लिया जाये तो इसे पचाना कठिन नहीं होता। इसके देरसे पकनेका सीधा-सादा कारण यह है कि बिना पालिश किये चावलमें कार्बनयुक्त लवण और प्रोटीन होते हैं। पालिश किया हुआ चावल स्टार्च ही होता है। स्टार्च हमेशा जल्दी पकता है। बिना पालिश किया चावल बिना छिलका उतारी दाल या सब्जीके समान होता है। यदि दाल और सब्जीके छिलके उतार दिये जायें तो वे जल्दी पक जाती हैं, परन्तु वे कम पौष्टिक भी होती हैं। पौष्टिक पदार्थ देरसे पचते हैं। वैसा होना भी चाहिए, लेकिन इसीलिए उन्हें अपाच्य नहीं समझा जाता है। यदि आप यह कहें कि बिना पालिश किया हुआ चावल आप उस मात्रामें नहीं खा सकते जिस मात्रामें पालिश किया हुआ खा सकते हैं, तो आपका कहना बिलकुल सही होगा। परन्तु हमारा उद्देश्य पेटमें जितना ठूँसा जा सके उतना ठूँसना नहीं है, बल्कि सन्तुलित आहारको उचित औसतमें लेना है। पालिश किया हुआ चावल खाना देशके स्वास्थ्य और सम्पत्तिको बरबाद करना है।

आपको याद होगा कि आपने मेरे पास डॉक्टरी सम्मति भेजी थी जिसके अनुसार भैंसके दूधसे गायके दूधको बेहतर समझा गया था। मैं आपको बता दूँ कि विशेषज्ञकी जो सम्मति आपने दी थी वह निर्णायक नहीं थी। कथित विशेषज्ञने केवल यही बताया था कि बच्चोंके लिए गायका दूध भैंसके दूधसे बेहतर है। वयस्कोंके लिए भी भैंसके दूधसे गायका दूध अधिक उपयोगी है — यदि ऐसी कोई निर्णायक सम्मति ईमानदारीसे प्रमाणित की जा सके, तो मैं वह चाहता हूँ।

आपका
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३७३) से।

१. देखिए "गाँववालोंके हाथ", २८-१२-१९३४।

१५९. परिचय-पत्र

२९ जनवरी, १९३५

अपने अमरीकी मित्रोंको,

श्रीयुत कोदण्ड राव कुछ समय अमरीकामे रह चुके है। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीके सदस्य हैं। इस सोसायटीकी स्थापना स्वर्गीय गो० कृ० गोखलेने की थी जिन्हे मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और यह बात मैंने कई बार कही है। जब राइट ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्रीको दक्षिण आफ्रिकामें भारत सरकारका एजेंट-जनरल नियुक्त किया गया था तो श्रीयुत कोदण्ड राव उनके निजी सचिव थे। अमरीका जानेसे पूर्वतक ये 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया' के सम्पादक थे। ये राजनीतिमें नरमपंथी है और अनेक सामाजिक समस्याओंपर प्रगतिशील विचार रखनेवाले एक उत्साही समाज-सुधारक हैं। जिन दिनों मुझे यरवदा जेलसे अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन चलानेकी छूट मिली थी, उन दिनो इन्होंने मेरी बहुत अधिक सहायता की थी। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नही है कि ये जहाँ भी जायेंगे लोग इनकी बातोंको शान्ति और शिष्टताके साथ सुनेंगे। इन्हे जो भी मदद दी जायेगी, मैं उसके लिए अत्यन्त आभारी रहूँगा।

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० ए० ६२९९)से।

१६०. पत्र : जी० सीताराम शास्त्रीको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय सीताराम शास्त्री,

मेरे पास आपके तीन पत्र है, उनमें से दोके उत्तर देनेकी कोई आवश्यकता नही है।

क्या आपने अपना फॉर्म अच्छी तरहसे भरकर कुमारप्पाके पास भेज दिया है? मूँगफलीके तेलसे दिया जलानेका प्रयोग यदि सफल हुआ, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आशा है कि जो भी यह प्रयोग कर रहा है वह असफलताओंके बावजूद अपना प्रयास जारी रखेगा। मुझे दुःख है, आप पर्याप्त चन्दा इकट्ठा नही

कर सके। फिर भी आपको इससे चिन्तित नही होना चाहिए। आप सिर्फ जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइये।

आपका
बापू

श्री जी० सीताराम शास्त्री
विनय आश्रम
चन्डोल डाकखाना, जिला गुन्टूर

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९७३८) से।

१६१. पत्र : अब्दुल गफ्फार खाँको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय खान साहव,

अधिकारियोके सौजन्यसे मुझे आपका अविलम्ब उत्तर मिल गया। मैं अब वर्धा आ गया हूँ। यहाँ मैं कमसे-कम कुछ दिन तो हूँ ही।

मेहरताजको मुझे दिल्लीमे डॉ० खान साहवके यहाँ छोडना पडा। विधान-सभाकी वैठक तकके लिए उन्होने वहाँ एक मकान ले लिया है। वेगम खान साहेव आ गई हैं। वे तथा उनकी पुत्री दोनो वहुत अच्छी तरह हैं। आपका पत्र मेहरताजको समझा दिया गया था, लेकिन वह वर्धा नही आयेगी। उसकी दिक्कत यह है: वह इतनी सुसम्य है और इतना औचित्य बरतना चाहती है कि उसे जो सुविधा दी जाती है वह उसका लाभ नही उठाती। वह वर्धामें उसी तरह रहना चाहती है जैसे अन्य लोग रह रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रूपसे वह ऐसा करनेमे असमर्थ है। और यह जानते हुए भी कि उसे अपनी इच्छानुसार रहनेकी पूरी स्वतन्त्रता है, वह जैसे रहना चाहती है वैसे रह नही सकेगी। मरियमके रूपमे उसे अपनी उम्र और प्रकृतिकी सहेली मिल गई है, इसलिए वह उसे छोडना नही चाहती। वह जोहरा[1] की पक्की सहेली बन गई है, जिसने मेहरताज पर अपना सारा प्यार उडेल दिया है। डॉ० अन्सारीके घर उसे वे सारी छोटी-मोटी चीजे मिल गईं जिनकी कि वह अभ्यस्त थी और उन्हे लेनेमे उसे कोई हिचकिचाहट नही होती थी, क्योकि सारा परिवार ऐसा ही करता था जैसा कि वह करती थी। इसलिए मेहरताजके लिए यह असम्भव था कि जो वातावरण उसे पसन्द था उससे नाता तोड़कर वह ऐसे वातावरणमे आए जो उसे पसन्द नही था।[2] इसीलिए हम सभीने सोचा कि फिलहाल मेहरताजको

१. डॉ० मु० अ० अन्सारीकी पुत्री।

२. देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", पृ० ६६-६७ भी।

डॉ० खान साहबके साथ रहने देना ही सबसे अच्छा है। उसे उर्दू पढानेका प्रबन्ध किया जायेगा। उसने वायदा किया है कि वह मुझे नियमित रूपसे पत्र लिखेगी। मुझे विश्वास है कि मैंने जो-कुछ किया है उससे आप सन्तुष्ट हो जायेंगे तथा उसके बारेमे चिन्ता नही करेंगे। आखिर ईश्वर जिस प्रकार वयस्कोके माध्यमसे अपना कार्य करता है, उसी प्रकार बच्चोके माध्यमसे भी करता है। और हम मेहरताज जैसी बढती बच्चियोको नरमीसे रास्ता ही दिखा सकते है।

आपको गनीके बारेमे भी फिक्र करनेकी जरूरत नही है। इन परिस्थितियोमे जो-कुछ भी किया जा सकता है, हम कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जमनालालजीके प्रयत्नोसे सादुल्ला खाँकी सगाई सोफिया सोमजीके साथ हो गई है।[1] इसी २६ तारीखको सगाईकी घोषणा की गई है। हम सभीने तारसे अपना आशीर्वाद भेजा है।[2] सादुल्ला अभी बम्बईमे ही है। जमनालालजीका कान अभी बिलकुल ठीक नही हुआ है। अभी भी दाने निकलते रहते हैं। उन्हे अभी एक और महीने बम्बईमे रहना होगा। मेहरताज और गनीके बारेमें आप जो-कुछ हिदायतें देना चाहते हो कृपया मुझे बताये। लाली भी डॉ० खान साहबके साथ दिल्लीमे है। लालीके बारेमे क्या तय किया गया है, यह मै आपको बादमे बताऊँगा।

खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ
'बी' श्रेणी कैदी
सेन्ट्रल जेल, साबरमती

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१६२ पत्र : आर० एम० मैक्सवेलको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय श्री मैक्सवेल,

आपकी कृपासे मुझे खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँसे अपने उस पत्रका उत्तर मिल गया है जो आपने कृपा करके उनके पास भेज दिया था। खान साहबके उत्तरसे एक और पत्र आवश्यक हो गया है, और शायद पत्रोका आदान-प्रदान तबतक जारी रखना पडेगा जबतक उनके बच्चोके सम्बन्धमें कुछ निश्चित नही हो जाता। इसके साथ मैं खान साहबके पत्रका उत्तर[3] भेज रहा हूँ जिसे, मुझे आशा है, आप उन तक पहुँचा देंगे।

१. देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", पृ० १२८ भी।

२. तार उपलब्ध नहीं है।

३. देखिए पिछला शीर्षक।

खान साहबका जो पत्र मिला है उसमें निम्न अनुच्छेद हैं

> यहाँकी हालत मेरे अनुकूल नहीं है। यदि सम्भव हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे सीमा-प्रान्त या पंजाबकी किसी जेलमें स्थानान्तरित कर दिया जाये। हो सकता है कि स्थान-परिवर्तनसे मेरा स्वास्थ्य सुधर जाये।
>
> मुझसे मुलाकात करनेके लिए डॉ० खान साहबकी बेगमने एक पत्र जेल अधीक्षकको लिखा था। मुझे आश्चर्य है कि वे लोग बादमें यहाँ आये क्यों नहीं? यदि डॉ० खान साहब मुझसे मिलने आयें तो मैं उन्हे मेहरताजके बारेमें सारी बातें बता दूँगा।

क्या खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँको सीमा-प्रान्त या पजाबकी किसी जेलमे स्थानान्तरित किया जा सकता है? क्या डॉ० खान साहब या उनका कोई रिश्तेदार खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँसे जेलमे मिल सकते है?

हृदयसे आपका,

सलग्न १

आर० एम० मैक्सवेल महोदय
सरकारके सचिव
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य प्यारेलाल।

१६३ पत्र : अब्दुल गनीको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय गनी,

तुम्हारा पत्र मिला। फिलहाल तुम्हे जितने पैसेकी जरूरत हो, तुम रामेश्वरसे लें लो।

पिताजीका जो पत्र मुझे मिला है, उसका स्वतन्त्र अनुवाद इसके साथ है। अपनी सन्तानके सम्बन्धमे पिताजीका जो सपना है वह अभी एकदम पूरा नही हो सकता। पिताजीको मैंने जो पत्र लिखा है उसकी प्रति[1] से तुम्हे मालूम हो जायेगा कि मेहरताजको उस तरहसे शिक्षित नही किया जा सकता जिस तरह पिताजी चाहते है। डॉ० खान साहब ज्यादासे-ज्यादा जो सम्भव है करेगे। उसका स्वाभाविक झुकाव डॉ० खान साहबके साथ रहनेकी ही ओर है। इसीलिए मैंने उसे तथा लालीको डॉ० के यहाँ दिल्लीमें रख छोडा है। लाली शायद देहरादून जाये। अब तुम्ही एक हो जो, यदि चाहो तो, खान साहबकी इच्छा पूरी कर सकते हो। लेकिन तुमपर या

१. देखिए पृ० १४५-४६।

और किसीपर कोई जोर-जबरदस्ती नही है। आशा है कि तुम खान साहबकी आशाके अनुरूप बननेका भरसक प्रयास करोगे।

तुम्हे मुझे लगातार पत्र लिखते रहना चाहिए, ताकि मैं जब पिताजीको कामकी बात लिखूँ तो तुम्हारे पत्राशोको उनमे जोड़ सकूँ।

अब्दुल गनी
हिन्दुस्तान शुगर मिल्स
गोला गोकरणनाथ

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१६४. पत्र : एम० फरजंद अली खाँको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

अपने मौनके दौरान मैंने आपकी बाते सुनी और मुझे खुशी हुई। जहाँतक काग्रेसके सविधानका सम्बन्ध है, इस मामलेमे मैं कुछ नही कर सकता। लेकिन मेरा यह विचार है कि काग्रेसकी कार्य-समिति सविधानमें ढिलाई करनेकी किसी योजनाका समर्थन नही करेगी। निस्सन्देह शर्तें न्यूनतम है।

अहरारोने[1] अहमदिया बिरादरीपर जो आक्षेप किया है उसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नही है। यदि उन्होने उसी भाषाका प्रयोग किया है जो आपने मुझे बताई तो यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा उन लोगोपर कोई प्रभाव नही है। क्या यह बेहतर न होगा कि आप इस बातको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉ० अन्सारीके सामने रखें?

हृदयसे आपका,

एम० फरजद अली खाँ
हिज होलीनेस हजरत खलीफा-तुल-मसीहके
गृह सचिव
कादियान (पजाब)

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. मजलिस-ए-अहरार, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम पार्टीसे सम्बद्ध लोग।

१६५. पत्र : जे० एस० नायकको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

काश, आप यह महसूस कर सकते कि आपने पत्र गुस्सेमे लिखा था! आपका हर तरह लिहाज किया गया था। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हर किसीको जब वह चाहे मेरे पास बैठने दिया जाये, तो मेरी हालत क्या होगी। आज इतने अधिक जिज्ञासु लोग है कि चौबीसो घटे उनके सामने बैठे रहनेपर भी मैं उनकी इच्छा पूरी नही कर सकता।

हृदयसे आपका,

श्री जे० एस० नायक, बी० ए, बी० एल०
रहमान मजिल, निकल्सन रोड
कश्मीरी गेट, दिल्ली

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

१६६. पत्र : मोतीलाल रायको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मोतीबाबू,

आपका लम्बा पत्र मिला। निश्चय ही मैंने यह नही चाहा था कि आप मेरे पत्रपर इतना अधिक समय लगाये। निस्सन्देह मैं आपको समझता हूँ। मेरे पत्रमे शिकायत-जैसी कोई चीज नही थी, और आप यकीन माने कि प्रवर्तक-संघके बारेमें किसीने मुझसे शिकायत नही की है। यदि ऐसी किसी शिकायतके आधारपर मैंने आपको पत्र लिखा होता, तो मैंने निश्चय ही शिकायत करनेवालेका नाम आपको बताया होता या कमसे-कम यह तो बताया ही होता कि मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आई है। मैंने जो बात लिखी वह पूर्णतया आपके पत्रसे ही उठी थी। कर्जके सम्बन्धमे मेरा विचार बदला नही है। मेरी राय है कि हम लोगोको, जो मानव-जातिकी सेवामे तल्लीन है, पैसेके मामलेमें साधारण व्यापारियोसे अधिक सावधानी

बरतनी चाहिए। लेकिन इस बातको मुझे और लम्बा नही करना चाहिए। मै जानता हूँ कि जो आपके अन्त करणको अच्छा लगेगा आप वही करेगे।

हृदयसे आपका,

श्री मोतीलाल राय
प्रवर्तक भवन
६१, बऊबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य · प्यारेलाल।

१६७. पत्र : आर० वी० शास्त्रीको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय शास्त्री,

गणेशनके सम्बन्धमे तुम्हारी लम्बी रिपोर्ट मैंने पढ़ी नही है। परन्तु महादेवने उसके विषयमे मुझे बताया है। मै स्वय उसे आद्योपान्त पढनेकी सोच रहा हूँ। ठक्कर बापाने उसे पढा है। गणेशनको मैंने जो पत्र लिखा[1] है उसकी प्रति इसके साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम दृढ सकल्पसे काम लो। हमे गणेशनकी खुद उसके विरुद्ध मदद करनी है। मुझे उससे बहुत लगाव है। लेकिन रुपये-पैसेके लेन-देनमे उसे सुधारा नही जा सकता। उसका समर्थन नही किया जाना चाहिए।

'हरिजन'के सम्बन्धमें तुम्हारे पत्रका मैं बेसब्रीसे इन्तजार कर रहा हूँ। मुझे अब पता चला है कि इसे पुनः पूनामे ले आनेसे हर साल २,४०० रुपयेकी बचत की जा सकती है। यह कोई छोटी बात नही है। यदि यह अनुमान सही है तो इसे महज मद्राससे छापते रहनेके लिए ही हर साल २,४०० रुपयेका अतिरिक्त खर्च उठाना पाप ही होगा। यदि तुम्हे लगे कि इस उद्देश्यके लिए वर्धा आना उचित है तो तुम आ सकते हो। इस विषयपर मैं तुम्हे नि.सकोच होकर और संक्षेपमे ही लिख रहा हूँ, क्योकि मुझे भरोसा है कि तुम उन विषयोपर भी जिनसे तुम स्वय सम्बन्धित हो, दार्शनिक दृष्टिसे तथा तटस्थ रहकर विचार कर सकते हो।

बकाया सामग्रीका उपयोग कर डालो, चाहे इसके लिए तुम्हे एक दोहरा अक ही क्यो न निकालना पडे। हम अधिक बकाया नही रख सकते। चूंकि 'हरिजन'का क्षेत्र अब बढ रहा है, इसलिए स्थानकी माँग पहलेसे अधिक ही होगी।

संलग्न : १

श्री आर० वी० शास्त्री
मद्रास

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. उपलब्ध नहीं है।

१६८. पत्र : आर० एस० विद्यार्थीको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

सिनेमा-उद्योगमें मेरी रुचि नही है। अपनी जिन्दगीमे मैंने कभी सिनेमा नही देखा। मुझे मालूम है कि इससे क्या नुकसान पहुँचा है। मेरे बहुत-से मित्र कहते हैं कि इसका एक शैक्षिक महत्व है। मै इस दावेको सत्य या असत्य प्रमाणित नही कर सकता।

हृदयसे आपका,

श्री आर० एस० विद्यार्थी
आनन्द मठ
लखनऊ

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य प्यारेलाल।

१६९. पत्र : के० कृष्ण मेननको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

अपने पडोसकी पाँचमा रात्रि-पाठशालाके सम्बन्धमे आपका पत्र मिला। आपको केरल हरिजन सेवक-सघके मत्रीका इस आशयका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि पाठशाला कुशलतासे काम कर रही है और शाखा पाठशालाको मदद देनेमे असमर्थ है। और तब केन्द्रीय बोर्डके पास सहायताके लिए आवेदन-पत्र भेजना चाहिए। यदि वह सहायता देनेके लायक हुई तो मुझे इसमे सन्देह नही कि बोर्ड आवेदन-पत्र पर पूरा-पूरा विचार करेगा।

हृदयसे आपका,

श्री के० कृष्ण मेनन, बी० ए०
कूटीपुरम डाकखाना
दक्षिण मलाबार

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१७०. पत्र : रायुडु रंगैयाको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपकी शिकायतका मर्म मैं नही समझ सका हूँ। आपने आम बाते कही है। मै आपको सलाह दूंगा कि जो भी बात है आप उसके सम्बन्धमें स्थानीय सघके मन्त्री श्रीयुत बापिनीडुके साथ विचार-विमर्श करे।

हृदयसे आपका,

श्री रायुडु रंगैया गारु
अध्यक्ष
पश्चिम गोदावरी जिला
आदि-आन्ध्र संघ, एलोर (प० गोदावरी जिला)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१७१. पत्र : न्यू इन्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल एजूकेशन सोसाइटीके मन्त्रीको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपकी योजना मुझे नही जँची।

हृदयसे आपका,

मन्त्री
दि न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शियल
एजूकेशन सोसाइटी
९९, लक्ष्मी रोड, पूना

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

१७२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२९ जनवरी, १९३५

प्रिय ठक्कर बापा,

कल मैं कोदण्ड रावसे सम्बन्धित पत्र तक पहुँच ही नहीं सका। इसलिए इसे आज गाड़ीमें ही लिखवाया है तथा गाड़ीसे ही डाकमें छुड़वाया है। अपने मौनके दौरान भी दर्शकोंके आते रहनेसे मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए लिखनेका सारा काम १० बजे बन्द कर देना पड़ा था। फिर भी मुझे इस बातकी तसल्ली है कि यह पत्र[१] इस सप्ताहकी समुद्री डाकमें निकलनेके लिए आपके पास समय रहते पहुँच जायेगा।

गणेशन और शास्त्रीको मैं पहले ही लिख चुका हूँ।[२] मेरे पत्रोंकी प्रतियाँ इसके साथ संलग्न हैं।

संलग्न. ३

श्रीयुत अ० वि० ठक्कर
दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१७३. पत्र : जे० अवस्थीको

वर्धा
३० जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मैं आपकी स्पष्टवादिता पसन्द करता हूँ। निश्चय ही यदि यह वह प्लेट नहीं है जिसे मैंने नीलाम किया था तो आप बिलकुल निरपराध हैं। मैं इस प्लेटको अब आपको लौटा देनेके लिए कह रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री जे० अवस्थी
बृज निवास
नया गणेशगंज, लखनऊ

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए "परिचय-पत्र", पृ० १४४।
२. देखिए "पत्र: आर० वी० शास्त्रीको", पृ० १५०।

१७४. पत्र : 'निस्पृह' के सम्पादकको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपकी छपी हुई अपील मिली। मेरा सदेश यह है।

"अभयकरकी मृत्युको मैं व्यक्तिगत क्षति मानता हूँ। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि मैं उनसे अपने सम्बन्धको अधिकाधिक मूल्यवान मानने लगा था और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वे देशकी कोई असाधारण सेवा करेंगे। परन्तु भगवानको कुछ और ही मजूर था।"

हृदयसे आपका,

सम्पादक
'निस्पृह'
नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१७५. पत्र : सुरेन्द्रनाथ माहेको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। जातियाँ आज जिस रूपमें है मै उनके उन्मूलनका समर्थक हूँ। मै ऊँच-नीचके हर भेदको मिटानेके पक्षमे हूँ। लेकिन मैं वर्णाश्रम धर्मके उन्मूलनके पक्षमे नही हूँ, क्योकि वह मुझे जाति-प्रथाके विरुद्ध लगता है। मै मानता हूँ कि हिन्दू-विवाह कानूनमे सशोधनकी आवश्यकता है। यदि आप विधायकोको इस मामलेमें रुचि लेनेके लिए राजी कर सके, तो अच्छा होगा। मैं यह नही कर सकता, क्योकि मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं जिन कार्योपर ध्यान दे रहा हूँ, वे फिलहाल कानून द्वारा विवाह-प्रथामे सुधार से कही अधिक महत्वपूर्ण हैं।

हृदयसे आपका,

श्री सुरेन्द्रनाथ माहे
१०, टेम्पल रोड,
लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१७६. पत्र : एम० के० पाण्डुरंगको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपके सुविस्तृत पत्रके लिए धन्यवाद। आपकी पुस्तक मैंने एक मित्रको दे दी है जो आहार-सुधारमे रुचि रखते है। जैसे ही वह मेरे पास वापस आयेगी, उसमे जिन अध्यायोका आपने जिक्र किया है मैं उन्हे पढूँगा। आपको तथा आपकी पत्नीको जिन हालातसे गुजरना पडा है, उन्हे मैं समझता हूँ।

हृदयसे आपका,

श्री एम० के० पाण्डुरग
ब्लिस कल्ट कालोनी, अम्बाट्टुर रेलवे स्टेशन
विल्लिवक्कम डाकखाना, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१७७. पत्र : अच्युत पटवर्धनको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय पटवर्धन,

बुनकरके मामलेको मेरे ध्यानमे लाकर आपने अच्छा ही किया। जब मैं उड़ीसामे पद-यात्रा कर रहा था तो मेरे सामने एक ऐसा ही मामला आया था। वह १०,००० बुनकरोसे सम्बन्धित था। मिलके कते सूतसे कपडा बुननेवाले बुनकरोके लिए कुछ भी न करनेका मैंने दृढ निश्चय कर लिया है, क्योंकि मिलके कते सूतसे बुनाई करके वे स्वय अपना गला काटते है, और वे यह जानते भी है। लेकिन वे कहते है कि हम लाचार है। पर यह बात गलत है। जैसा कि मैंने उड़ीसाके बुनकरोसे कहा था, यदि किसी बुनकर परिवारमें एक आदमी बुनाई करता है तो परिवारके अन्य सदस्य सूतके करघेपर आनेसे पहलेकी विभिन्न प्रक्रियाओमे उसका हाथ बँटाते है। तो मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक बुनकर परिवार अपना सूत आप काते, अर्थात् वह ओटाई, धुनाई तथा कताई करे। ऐसा परिवार अपनी बुनी हुई खादी पहने और जो खादी इसके बाद बचे उसे बेचे। ऐसा करनेसे उच्च कोटिकी कताई

हो सकेगी, क्योंकि तब परिवारके सभी सदस्य यथासम्भव मजबूत और इकसार सूत कातना चाहेंगे। निस्सन्देह बुनकर जिस अनुपातमें अच्छा सूत तैयार करेंगे, उनकी आमदनी उसी अनुपातमें बढ़ेगी। मैं यह दिखा सकता हूँ कि यदि प्रबन्ध ठीक-ठाक हो तो कताई करनेसे हर परिवार लाभमें ही रहेगा। लाभ तीन तरहसे होगा। वह दलालोंसे, जो सूत बेचते हैं, तथा सूतके बाजारके उतार-चढ़ावसे बचेगा तथा परिवारके लिए कपड़ा खरीदनेपर जो रुपया खर्च होता है उसका कुछ अंश वह बचा लेगा। क्योंकि जबतक सूतकी कीमत बहुत कम नहीं हो जाती, तबतक परिवारके लिए आवश्यक रुईकी कीमत बाजारसे खरीदे जानेवाले कपड़ेसे कम ही रहेगी। साथ ही अनुभवसे यह देखा गया है कि व्यक्तिको मिलके कपड़ेकी अपेक्षा खादी कम ही चाहिए और यदि खादी हाथकी बुनी हुई हो और सूत हाथका कता हुआ हो तब तो खादी और भी कम चाहिए। और ऐसा करनेवाले बुनकरोंका सर्वत्र यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि अपने ही सूतसे बनाई गई खादी मिलके कपड़ेसे तिगुनी चलती है।

ये बातें यदि आपको अच्छी लगें तो आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। अ० भा० च० सं० ऐसे परिवारोंकी मदद उनकी अतिरिक्त खादी खरीदकर कर सकता है।

जिस बुनकर मित्रका पत्र आपने अपने पत्रके साथ भेजा है, मैं उसे लिख रहा हूँ कि आप मेरी योजना उसे समझायेंगे।

यदि यह योजना आपको पसन्द हो और यदि कोई बुनकर इसे उन शर्तोंके साथ जिनकी मैंने चर्चा की है अपनाना चाहे, तो आप, समय बचानेके लिए, गंगाधर रावसे सम्पर्क स्थापित करें। मुझे यह तो याद नहीं कि अधिकृत रूपसे या अनधिकृत रूपसे, पर वे अ० भा० च० सं०की कर्नाटक शाखाके प्रतिनिधि हैं।

हृदयसे आपका,

श्री अच्युत पटवर्धन
कोर्ट रोड,
अहमदनगर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य प्यारेलाल।

१७८. पत्र : एम० मादैयाको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय मादैया,

आपका पत्र मिला। मेरे विचारसे आपको धैर्य रखना चाहिए। हमने काफी प्रगति की है और यदि आत्मसयम रहा तो हम और अधिक कर सकेंगे। मेरा पैम्फलेटों द्वारा प्रचार या खर्चीली इमारतोंमें विश्वास नहीं है। भजन मन्दिरमें ठीक है। परन्तु आपको आडम्बररहित साधारण इमारतसे ही सन्तोष करना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्री एम० मादैया
आदि-कर्नाटक स्ट्रीट न० १
मालविल्ली शहर, मैसूर जिला

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१७९. पत्र: रामचन्द्रनको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय रामचन्द्रन,

भोलेके बारेमें आपका पत्र मिला। मुझे मालूम हुआ है कि भोलेको छुट्टी दे दी गई है। क्या उसे ठीक हो जानेके कारण छुट्टी दी गई है या उसके खिलाफ कोई शिकायत थी? भोलेका जो पत्र मुझे अभी-अभी मिला है, उससे तो शक होता है कि दूसरी ही बात ठीक होगी।

मादैयाका पत्र और उसको मेरे जवाब[1] की एक प्रति यहाँ सलग्न है। यदि आपको इस विषयमें कुछ कहना हो तो कहें।

श्री रामचन्द्रन्
दीन-सेवा संघ
मल्लेश्वरम डाकखाना, बंगलोर सिटी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

१८०. पत्र : पूर्णचन्द्र शर्माको

३० जनवरी; १९३५

प्रिय शर्मा,

आपका पत्र मिला। आपको सब-कुछ अन्नदा बाबूसे ही तय करना पड़ेगा और उन्हें ही कहना पड़ेगा कि यदि उनके पास कोई कामचलाऊ योजना हो तो वे अ० भा० च० सं०से सम्पर्क स्थापित करें।

हृदयसे आपका,

श्री पूर्णचन्द्र शर्मा
अध्यक्ष
जिला कांग्रेस कमेटी, नौगाँग (आसाम)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१८१. पत्र : टी० टी० शर्मनको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय शर्मन,

मैंने आपका पत्र काकासाहब कालेलकरके पास भेज दिया है। वे ही इस विषय पर सोचेंगे। अभी वे मुख्यतया हिन्दी-प्रचारके कार्यमें मदद देनेके लिए दक्षिण गये हैं। आप उनसे सम्पर्क स्थापित करें। उनका पता है: काकासाहब कालेलकर, मार्फत हिन्दी प्रचार सभा, १०७ आर्मेनियन स्ट्रीट, जी० टी०, मद्रास।

हृदयसे आपका,

श्री टी० टी० शर्मन
सम्पादक
"विश्वकर्नाटक डेली"
बंगलौर सिटी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१८२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

३० जनवरी, १९३५

प्रिय ठक्कर बापा,

आपने इस महीनेकी २१ तारीखके पत्रमें जो प्रश्न उठाया है, उसके सम्बन्धमें मैं यही सुझाव दे सकता हूँ कि स्थानीय सुधारकोंको चाहिए कि वे पीड़ित हरिजनोंकी उन्हें अपने सगे-भाई बहन मानकर उत्साहपूर्वक मदद करें। यदि हम उन्हें इतना भी आश्वासन न दे सकें और वे आत्म-रक्षाके खयालसे किसी दूसरे धर्मको अपना लें जहाँ उनके खयालसे उन्हें कुछ हदतक सुरक्षा मिल सकती है, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

प्रताप दियालदास[1] का पत्र इसके साथ है। मलकानीसे कहिए कि मैंने उन्हें पत्र लिखा है। यदि चन्देका उपयोग अभीतक थार-पार्कर जिलेमें हरिजन-कार्यके लिए नहीं किया गया हो, तो कृपया अब वैसा करें।

संलग्न : १

श्री अ० वि० ठक्कर
महामंत्री
हरिजन-सेवक संघ, बिड़ला मिल्स, दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य . प्यारेलाल।

१८३. पत्र : जमनालाल बजाजको

३० जनवरी, १९३५

चि० जमनालाल;

यहाँ पहुँचने पर मुझे तुम्हारे पत्र मिले। तुम्हारा कान तो बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ सब चिन्तित हैं। घनश्यामदासको भी उसकी काफी चिन्ता है। उसे अपने कलकत्ताके यहूदी डॉक्टरपर बहुत विश्वास है। उसका ऑपरेशन सफल हुआ जान पड़ता है। इस कारणसे भी वह आग्रह कर रहा है कि यदि तुम्हारा कान तुरन्त ही ठीक नहीं हो जाता तो तुम्हें उस डॉक्टरकी सलाह लेनी चाहिए। मैंने तो डॉक्टर जीवराजसे साफ-साफ पूछा है। तुम भी विचार कर लेना। [ऑपरेशनका] बार-बार स्थगित करना मुझे पसन्द नहीं। क्या तुम स्वयं चाहते हो कि जानकी

१. एक सिन्धी दानी।

देवी वहाँ आ जाये? उसने कल रात तुम्हारे पास आनेकी थोड़ी-बहुत इच्छा व्यक्त की। उसे भी ऐसा लगा कि कदाचित् तुम उसे आसपास देखना चाहोगे। यदि ऐसा है तो वह अवश्य आना चाहेगी। मैंने उसे इस पत्रके उत्तरकी राह देखने को कहा है। इसके उत्तरमे यदि तुम तार देना चाहो तो देना। रोगका पूरा वृत्तान्त देना।

अभी फिलहाल तो मैं यही हूँ। तुम अभी यहाँ आनेका विचार मुल्तवी कर देना। जब डॉक्टर निश्चित रूपसे अनुमति दे, तब आना।

खानेके बारेमे यदि तुम मेरी मानो तो अच्छा हो। दूध, फल और चोकर-युक्त आटेकी रोटी खाओ, चावल और आलू आदिका त्याग करो और हरी सब्जियोंका सेवन करो। जब चाहे तब ऊटपटाँग चीजे मत खाओ। निश्चित समयके सिवा और कभी न खानेका आग्रह रखो। एक समयमें पेटपर जितना कम बोझ पड़े उतना अच्छा है। खानेके मामलेमे डाक्टरोंकी सलाहपर बहुत ज्यादा भरोसा नही किया जा सकता। इन मामलोमें उनका अनुभव भी बहुत कम होता है।

दुर्गाप्रसादका पैसा अभी मैं ही भेज रहा हूँ। मैंने तो भेजनेके लिए कह ही दिया था। मुझे इस बातकी कतई खबर न थी कि उसके पास बम्बई जाने तकके लिए पैसे नही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेहरताज आखिरकार नही आई। लाली कदाचित् देहरादून जायेगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५४)से।

१८४. पत्र: जमनालाल बजाजको

३० जनवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

आज सवेरे तुम्हे पत्र लिखनेके बाद मैं जानकी देवीसे मिला। उसके प्राण निश्चय ही तुम्हारे पास आनेके लिए अकुला रहे है। इसलिए कल 'हाँ' अथवा 'न'का तार अवश्य देना।

डॉ० खान साहबको जो ९०० रुपये मिला करते थे वे बन्द हो गये हैं। खान साहबके भी बन्द हो गये समझो, इसलिए दोनो भाई तगी में हैं। डॉक्टरके बच्चेका खर्च अभी तुम उठाते हो, ऐसा वे कहते थे। मुझे लगता है कि गनीके लिए भी पैसा अभी कही से नही आ सकता। इसलिए यदि कुछ दिया जा रहा है तो उसके वापस मिलनेकी उम्मीद हमे नही रखनी चाहिए। इस बारेमे यदि तुम कोई सुझाव देना चाहो तो देना।

डॉ० खान साहबका जेलसे पत्र आया है। उनके पत्रके अनुवादकी प्रति तो इसके साथ जायेगी ही।

बापूके आशीर्वाद[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५५)से।

१८५. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

३० जनवरी, १९३५

भाई खम्भाता,

अब तुम अच्छे हो रहे होगे। तुम्हें बम्बईका लोभ छोड़ना ही चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उससे सन्तोष मानो। क्या तुम्हें पूना मे रहनेमें कोई कठिनाई होगी? मुझे लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६०७)से। सी० डब्ल्यू० ४३९७ से भी, सौजन्य: तहमीना खम्भाता।

१८६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

३० जनवरी, १९३५

भाई वल्लभभाई,

तुम्हें यह बताना तो भूल ही गया कि शाह[2] मेरे पास आये थे। उनकी इच्छा बोर्डके लिए काम करनेकी है। परन्तु वे ऊपर-ऊपरसे नही, बल्कि सच्चे दिलसे काम करना चाहते हैं। मेरे खयालसे हमे उनकी सेवाओंका उपयोग करना चाहिए। क्या उन्हें अवैतनिक आर्थिक सलाहकार या परामर्शदाता नही बनाया जा सकता? उन्हें वेतनका लोभ नहीं है।

मैंने तुम्हारे साथ सफर करनेकी आशा रखी थी। दिल्लीमें तो कुछ बात ही न हो सकी। फिर भी तुम वहाँ रह गये, यह अच्छा ही हुआ। आने पर एन्ड्रयूजका दूसरा पत्र मिला। उसमे कोई विशेष बात नही है। उनके हवाई किले हैं।

१. इसके बाद यह निर्देश दिया हुआ है: "डॉक्टर खान साहबके पत्रका अनुवाद इसके साथ जाये।"
२. प्रोफेसर के० टी० शाह, एक अर्थशास्त्री।

कहाँ तो वहाँ की ठंड और कहाँ यहाँकी गरमी!

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
नई दिल्ली

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५१-५२

१८७. सन्देश : अहमदाबादके मिल-मजदूरोंको

[३१ जनवरी १९३५ या उससे पूर्व][1]

मजदूरोंसे कहें कि गैर-कानूनी ढंगसे हड़ताल करके वे अपने और आम मजदूरोंके पक्षको कमजोर बना दे रहे हैं। उन्होंने जो नाम कमाया है उसपर धब्बा न लगायें। मुझे उम्मीद है कि वे अपना खोया हुआ सन्तुलन फिर से प्राप्त कर लेंगे तथा काम शुरू कर देंगे।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दुस्तान टाइम्स, १-२-१९३५

१८८. पत्र : भुजंगीलाल छायाको

३१ जनवरी, १९३५

चि० भुजंगीलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तुम पर अविश्वास नहीं। मैंने तुम्हें जो-कुछ लिखा वह तुम्हारे स्वभावको जिस रूपमें जाना उसके अनुसार ही लिखा था। तुम्हारा इरादा तो अच्छा है, लेकिन उसपर अमल करनेमें विघ्न आते रहते हैं। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना, बादमें जो सेवा बन सके सो करना। कहीं अपने ऊपर बलात्कार न करना। मनुष्यको अच्छे-बुरेका विचार करनेके बाद, जो हो सके सो यथाशक्ति करना चाहिए। तुम्हारी अपनी स्थिति क्या है, इसपर अच्छी तरहसे विचार कर लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २५९३) से।

१. यह रिपोर्ट "अहमदाबाद, जनवरी ३१" की तिथि-पंक्तिके अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

१८९. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

३१ जनवरी, १९३५

भाई मूलचद,

तुमारा खत मिला। मेरी उमीद है कि एक तरफसे कोई सनातनीयो पर क्रोध नही करेंगे और दूसरी तरफसे कोई उनके बहिष्कारकी फिकर नही करेंगे। अगर बहिष्कार चलें तो जो कष्ट पडे उसकी बरदास्त करे।

मुझे बताया करो क्या होता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७६७)से।

१९०. पत्र : वियोगी हरिको

३१ जनवरी, १९३५

भाई वियोगी हरि,

साथमे छोटी-सी चीज ह० से० के लिये है। इस बारेमे वहाँ से कुछ और पता मिलें तो निकालना चाहीये। यह बहिष्कार कुछ समजमे नही आता है।

प्रभावतीके हिंदी पाठके बारेमे क्या किया?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९८)से।

१९१. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३१ जनवरी, १९३५

चि० ब्रजकृष्ण

तुमको क्षमा है। ऐसे दोषोसे वचना आसान है। हमारेमे क्रोधादि सूक्ष्म दोष पैदा होते है। उससे बचना मुश्कील है। लेकिन तुम सावधान रहते हो इसलिए क्षेम ही होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४४१)से।

१९२. प्रत्यक्षसे पलायन

हरिजनो और सवर्णोकी एक परिषद्मे भाषण देते हुए एकबार मुझे प्रसगवश दुःखके साथ यह बात कहनी पडी थी कि आज हमारे मुल्कमे रेलवे-स्टेशनो पर 'मुसलमान-दूध, हिन्दू-दूध, मुसलमान-पानी, हिन्दू-पानी' की आवाज सुनाई पडती है। 'हिन्दू-रोटी और मुसलमान-रोटी' की बात तो मै बर्दाश्त कर सकता हूँ, हालाँकि मै ऐसी किसी चीजको मान्य नही करता। मगर 'मुसलमान-दूध और हिन्दू-दूध' की बात, जिसके बनानेमे मनुष्यका कोई वास्ता ही नही है, न तो मै समझ सकता हूँ और न उसे बर्दाश्त ही कर सकता हूँ। मैने वहाँ यह भी कहा था कि अस्पृश्यता-निवारणमे जिनका सोलह आने विश्वास है, उन्हे मुसलमान-दूध या पानी और हिन्दू-दूध या पानी-जैसी अन्धविश्वास-भरी बातोसे अपनेको मुक्त करना ही होगा।

मै 'हरिजन-सेवक' मे यह तो अनेक बार लिख चुका हूँ कि जो लोग हरिजनो का छुआ हुआ पानी या दूध वगैरा ग्रहण करनेसे इनकार करते है, वे यह दावा नही कर सकते कि उन्होने अपनेको अस्पृश्यताके कलकसे मुक्त कर लिया। और अगर हमने इस भेदभावको अपने दिलसे दूर कर दिया है कि यह हरिजन-पानी या हरिजन-दूध है, यह सवर्ण-पानी या सवर्ण-दूध है, तब फिर इस भेदभाव-भरे रिवाजको उचित ठहरानेका कोई अर्थ ही नही रह जाता कि यह मुसलमान-पानी या दूध है, और यह हिन्दू-पानी या दूध है। अगर अस्पृश्यता-निवारणका यह महान् आन्दोलन महज अपने मनको समझा लेनेकी बात होकर रह गया और उसके पीछे सत्य न हुआ तो इसका सारा सौन्दर्य नष्ट हो जायेगा। इस अस्पृश्यता-रूपी राक्षसीकी पहुँच सर्वत्र है, इसका रूप सर्वव्यापी है। जो इसकी इस सर्वव्यापकतामे विश्वास करते है, वे तबतक अपनेको उससे मुक्त हुआ नही कह सकते जबतक वे एक भी मनुष्यको, उसके अमुक जातिमे जन्म लेनेके कारण या उसके सम्प्रदाय या धर्मके कारण, अस्पृश्य अथवा सामाजिक दरजेमे किसी-न-किसी तरह अपनेसे नीचा समझते है।

मेरे पास हालमे एक ऐसा पत्र आया है जिसमे इस बातको स्पष्ट कर देने पर काफी जोर दिया गया है कि अस्पृश्यता-निवारणके आन्दोलनका यथार्थ आशय क्या है। उसमे लिखा है कि बरार प्रान्तके एक हाईस्कूलकी रजत-जयन्तीके उपलक्षमे वहाँ एक सार्वजनिक भोजका आयोजन किया गया था। हरिजन विद्यार्थियोको भी न्यौता दिया गया था। पत्रसे मुझे यह मालूम हुआ कि हरिजन विद्यार्थियोको तो वहाँ अलग बिठाया गया था और दूसरी तमाम जातियो व सम्प्रदायोके आमन्त्रित सब लोग एक पक्तिमे बिठाये गये थे। सस्कृतिवान हरिजन विद्यार्थियोको इस तरह वाहियात ढगसे अपमानित करनेकी आखिर क्या जरूरत आ पडी थी? और सब लोगोकी पाँतमे अगर उन्हे बिठा दिया जाता तो उन्हे देखकर कौन कह सकता था

कि वे हरिजन है? एक हाईस्कूलके उत्सवके समय ऐसे अपमानजनक कृत्यसे यही प्रगट होता है कि यद्यपि अस्पृश्यताका बहुत-कुछ मैदान हम सर कर चुके है, तो भी यह पुराना अन्धविश्वास आज भी उसी तरह जमा हुआ है, और वह भी उन स्थानोमे जहाँ कि ऐसी बातोकी आशा हमे करनी ही नही चाहिए। यह ध्यान रहे कि वहाँ न तो सहभोजका प्रश्न था, न सहपाका, वहाँ तो सिर्फ एक पक्तिमे बैठकर जीमनेकी बात थी। अगर रेलगाडीके एक डिब्बेमे एक ही बेंचपर सबके साथ बैठना और वही बैठकर भोजन करना सहभोज नही समझा जाता, तो वह भी निश्चय ही सहभोज नही था। मगर अस्पृश्यताके कोशमे तो सहभोजका कुछ दूसरा ही अर्थ है—उसमे तो एक पक्तिमे बैठकर भोजन करनेका भी निषेध है।

हरिजन, १-२-१९३५

१९३. मधुमक्खी-पालन[1]

यगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन, रामनाथपुरम, कोयम्बतूरके ग्राम-सेवा विभाग के सचालक श्री जयकरणको मैने जो पत्र लिखा था, उसके जवाबमे उन्होने निम्न-लिखित उपयोगी सूचना भेजी है:

> **छोटे पैमानेपर मधुमक्खियाँ पालनेका काम करनेवाले कृष्णस्वामी नायडू नामक एक सज्जनने अपने पड़ोसियोंको यह दिखला दिया है कि धनियेकी खेतीसे साधारणतया जितनी फसल मिलती है, मधुमक्खी-पालनकी बदौलत पुष्पोंके नर-केसर तथा स्त्री-केसरका अच्छी तरह संयोग होनेसे उससे अधिक फसल तो मिली ही, उत्तम जातिका २१ सेर सुनहरा शहद भी मिला। इस बढ़िया शहदसे ही उन्हें ६३ रुपयेकी अतिरिक्त आमदनी हो गई।**
>
> **उनके पास शहदके केवल दस ही छत्ते है। उन्होंने कहींसे प्राकृतिक छत्ते प्राप्त करके मधुमक्खियोंको सस्ते देवदारके बक्सोंमें रख छोड़ा था।**

मुझे लगता है कि मधुमक्खियाँ पालनेके उद्योगका हमारे देशमे बेहद विकास हो सकता है। गाँवोकी दृष्टिसे तो इस उद्योगका महत्व है ही, पर धनाढ्य युवतियाँ और युवक इस कामको शौकिया भी कर सकते है। इस कामको करनेसे देशकी सम्पत्ति बढेगी, और स्वय अपने लिए भी उन्हे स्वास्थ्यप्रद सर्वोत्तम शर्करा खानेको मिलती रहेगी। अगर उनमे परमार्थ वृत्ति है तो वे इस शहदको बतौर एक पौष्टिक आहारके कमजोर हरिजन बालकोमे बाँट सकते है। शहद श्रीमानोके शौककी चीज या वैद्य-हकीमोके हाथमे बतौर एक कीमती अनुपानके ही क्यो रहे? इसमे शक नही कि मेरी इस आशाका आधार मेरी यत्किंचित् जानकारी है। गाँवो और शहरोमे

१. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

युवक-युवतियाँ जो प्रयोग करे उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शहद हमारे आहारकी सामान्य वस्तु बन सकती है, या वह आजकी ही भाँति असाधारण और दुर्लभ वस्तु बनी रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-२-१९३५

१९४. आरम्भ कैसे करें? – २[1]

पिछले हफ्ते मैंने चावलके सम्बन्धमे लिखा था। अब गेहूँके बारेमें लिख रहा हूँ। गेहूँ आहारमे सबसे महत्वकी नही तो दूसरे नम्बरकी वस्तु तो जरूर है। पोषण की दृष्टिसे देखें तो गेहूँ अन्नोंका राजा है। विशुद्ध गेहूँ और विशुद्ध चावलकी तुलना की जाये तो चावलमे गेहूँ ऊँचा ही उतरेगा। यह तो सभी डॉक्टरोकी राय है कि बिना चोकरका आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पालिश किया हुआ चावल। बाजारमे जो महीन आटा या मैदा बिकता है, उसके मुकाबलेमे घरकी चक्कीका पिसा हुआ बिना छना गेहूँका आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाईका पैसा बच जाता है। फिर घरके पिसे हुए आटेका वजन कम नही होता। महीन आटे या मैदेमें तोल कम हो जाती है। गेहूँका सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकरमे होता है। गेहूँकी यह भूसी छानकर निकाल देनेसे उसके पौष्टिक तत्वकी बहुत बडी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घरकी चक्कीका पिसा हुआ बिना छना आटा खाते हैं, वे पैसेके साथ-साथ अपने स्वास्थ्यकी भी रक्षा कर लेते हैं। आज आटेकी मिले जो लाखो रुपये कमा रही है उसका काफी बडा हिस्सा गाँवोमें हाथकी चक्कियाँ फिरसे चलने लगनेसे गाँवोमें ही रहेगा और वह सुपात्र गरीबोके बीच बँटता रहेगा।

पर इसके विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जाती है कि घरकी चक्कीमें पीसना एक झझट है, उसमें आटा कभी तो मोटा पिसता है कभी महीन। और गाँवके लोग खुद अपने हाथसे आटा पीसें, यह बात उन्हे आर्थिक दृष्टिसे रास नही आती। अगर पहले गाँववालोको अपने हाथ से पीसना रास आता था तो आटेकी मिले खुल जानेसे इसमे कोई फर्क तो नही पडना चाहिए। वे यह तो कह ही नही सकते कि हमारे पास इस कामके लिए समय नही है। परिश्रमके साथ बुद्धिका सयोग होगा तो हाथकी चक्कियोमे सुधारकी पूरी आशा की जा सकती है। यह दलील कि हाथ-चक्कीमे कभी आटा मोटा पिसता है, कभी बारीक, निरर्थक है। अगर चक्कीमे अच्छा बढ़िया आटा न पिसता होता तो अनादि कालसे वह अपनी हस्ती कैसे कायम रख सकती थी? पर जब ऐसा लगे कि आटा एक-सा नही पिसा है तो मै यह

१. इसकी पहली किस्तके लिए, देखिए पृ० १२३-२४।

राय दूंगा कि उस आटे को छलनीसे छान लो, और छाननेपर जो मोटा रवा निकले उसका दलिया बना लो, और उसे भोजनके साथ या बादमें खा लो। अगर ऐसा किया जाये तो पीसना अत्यन्त सरल और सुगम हो जाये, और बहुत सारा समय और श्रम बचे।

इस सारे परिवर्तनके लिए ग्रामसेवकोको पहले स्वय सीखकर तथा ग्रामवासियोको सिखाकर कुछ तैयारी तो करनी ही पडेगी। यह आशा नही करनी चाहिए कि इस कामके लिए कोई हमारा आभार मानेगा, पर अगर हमारी यह इच्छा हो कि हमारे ग्रामवासी स्वस्थ और कुछ सुखी रहे तो यह काम हमे करना ही चाहिए।

इसके बाद मैं आपका ध्यान गुड पर आकर्षित करूँगा। 'हरिजन-सेवक' मे मैंने डॉक्टरोके जो प्रमाण दिये हैं[1], उनसे यह प्रकट होता है कि चीनीकी अपेक्षा गुड अधिक पौष्टिक है, और अगर गाँववालोने गुड बनाना बिलकुल ही छोड दिया तो उनके बाल-बच्चोके आहारमे एक जरूरी चीज कम हो जायेगी। वे खुद शायद बिना गुडके अपना काम चला लेगे, पर उनके बच्चोके शरीरको बिना गुडके जरूर ही हानि पहुँचेगी। बाजारू मिठाई और शक्करकी अपेक्षा गुड अधिक अच्छी चीज है। अगर गुड बनाना जारी रहा और लोगोने उसका उपयोग करना न छोडा तो ग्रामवासियोका करोडो रुपया उनकी गाँठमे ही रहेगा।

मगर कुछ ग्रामसेवक यह कहते है कि गुडकी कीमतसे तो उसकी पैदावारका खर्च भी नही निकलता। किसानको तो पैसेके लिए ईखकी खडी फसल बेचनी पडती है, इसलिए वे ईखका गुड बनाये और तब उसे बेचे, ऐसा करना उनके लिए कठिन होता है। इससे उलटे प्रमाण भी मेरे पास हैं। फिर भी यह दलील उपेक्षणीय नही है। इसके लिए मेरे पास कोई तात्कालिक जवाब नही है। जिस जगहपर कोई कच्चा माल पैदा होता हो उसी जगहपर उस चीजका तैयार माल बेचनेपर अगर मजूरीका भी पैसा न निकले, तो वहाँ उस आर्थिक व्यवस्था की जडमे ही कोई त्रुटि होनी चाहिए। इस विषयमे हर जगह स्थानीय जाँच-पडताल होनी चाहिए। गाँवोके लोग जो जवाब दे उसे हीन मानकर ग्रामसेवकोको हताश हुए बिना उपाय खोजने चाहिए। गुडके विषयमे जो अटपटे सवाल सामने आ रहे हैं उन्हे हल कर पाने से ही राष्ट्रकी उन्नति सध सकती है, और शहरोका गाँवोके साथ ऐक्य भी सिद्ध हो सकता है। हमे अपने मनमे इतना निश्चय कर लेना चाहिए कि शहरके लोगोको पैसा अधिक भी देना पडे तो भी गाँवोसे गुडके उद्योगको नष्ट नही होने देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १-२-१९३५

१. देखिए "गाँववालोंके हाथ", पृ० २४-२५।

१९५. पत्र : एफ० मेरी बारको

दुबारा नहीं पढ़ा

वर्धा

१ फरवरी, १९३५

चि० मेरी,

आज मुझे तुम्हारा पत्र मिलनेकी आशा थी। मेरी (छोटी)ने एनीमा लेकर ठीक किया। इससे उसे काफी आराम मिला होगा। तुम कहाँ ठहरी हो? क्या तुम वहाँ आरामसे हो? क्या अपनी जरूरतकी सारी चीजे तुम्हे मिल जाती है? ऐसी किसी भी जरूरी चीजके बारेमे जो भी मदद मुझसे हो सकती है, उसके लिए मुझे लिखने मे सकोच मत करना। मेरीको मजबूत और तन्दुरुस्त तो बनना ही है।

तुमने अपने दिल्ली-निवासके परिणामोको बहुत अच्छी तरह पेश किया है।[1] वे भाग्यशाली है जो कि किसी भी चीजकी इच्छा नही करते, किन्तु वे और भी भाग्यशाली है जिन्हे इस बातका इतमीनान है कि उन्हे अपनी जरूरतकी चीज मिल गई है।

तुमने जिस प्रार्थनाके साथ अपना पत्र समाप्त किया है, वह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या तुम्हे उसका ध्यान है? तुमने लिखा है "हमारी ग्रामोन्मुखताका विकास हो!" जब यह प्रवृत्ति हमारे मनोमे घर कर जायेगी, तब हमे गाँवोमे रहना सुख देने लगेगा और तब ससारके सुन्दरसे-सुन्दर नगरकी तुलनामे गाँव कई-गुना ज्यादा आरामदेह बन जायेंगे।

मैंने लडकियोसे पूछकर यह जाननेकी कोशिश शुरू कर दी है कि उनमे से कौन-कौन दो या तीन महीनोके लिए तुम्हारे साथ जाकर रहनेके लिए तैयार है।

कल यहाँ पानी शानदार बरसा। आजका दिन बडा सुहावना है। लेकिन जिसे ठण्ड कह सके, ऐसा कुछ नही है।

तुम दोनोको

बापू[2]के आशीर्वाद

कुमारी मेरी बार
मार्फत सेठ दीपचन्दजी
बैतूल

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३७) से। सी० डब्ल्यू० ३३६७ से भी, सौजन्य · एफ० मेरी बार।

१. मेरी बार जनवरीमें अपनी दिल्ली-यात्राके समय गांधीजी के पास ठहरी थीं।

२. हस्ताक्षर हिन्दीमें हैं।

१९६. पत्र : बी० माधव बालिगाको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे नही मालूम कि शास्त्री द्वारा भेजे गये श्लोकका मैंने क्या किया। बहुत अधिक सम्भावना तो यही है कि वह अभी भी 'हरिजन' की फाइलमें पडा होगा। बहुत सारी सामग्री पडी हुई है, जिसपर विचार करना बाकी है। यदि आपके पास उसकी नकल हो तो मुझे भेज सकते हैं। सम्भव है कि मैंने श्लोकपर विचार किया हो और उसे 'हरिजन' के स्तम्भोके लिए उपयोगी न पाकर नष्ट कर दिया हो।

आपके प्रश्नके उत्तरके लिए मैं आपको गुजरातीमे प्रकाशित 'अनासक्तियोग'[1] की अपनी भूमिकाको देखनेके लिए कहूँगा। 'यग इडिया' के पाठकोके लिए भूमिकाका मैंने अंग्रेजीमे अनुवाद किया था। यदि आप 'यग इंडिया' की पुरानी प्रतियाँ प्राप्त कर सके तो आपको वहाँ उक्त अनुवाद मिल जायेगा। सक्षेपमे उत्तर यो है:

'गीता' की रचना अहिंसाको सिद्ध करनेके लिए नही हुई थी, बल्कि अधेरेसे राह टटोलते ससारको हर सम्भव परिस्थितिमे सच्चाईसे कार्य करनेका मार्ग दिखानेके लिए हुई थी। फिर भी आप यह देखेंगे कि 'गीता' आपको अचूक रूपसे अहिंसापर ले जाती है। स्मरण रखे कि अर्जुन अहिंसाका पालन करनेके लिए प्रयत्न नही कर रहा था, बल्कि अपने सामने प्रस्तुत उत्तरदायित्वसे बचनेका प्रयत्न कर रहा था। और वह इसलिए कि आत्मजनोके लिए उसके मनमे अकस्मात् ही पक्षपातकी भावना उभर आई थी। उसके सम्मुख मारूँ या न मारूँका प्रश्न नही था, बल्कि यह था कि आत्मजनोको मारूँ या न मारूँ।

और आपने जो श्लोक उद्धृत किया है उसमे 'निग्रह' का अर्थ अपनी मूल प्रकृति के विरुद्ध निष्फल लडाई है। अपनी कमजोरियोके विरुद्ध लडनेकी बात 'गीता' मे बार-बार कही गई है। परन्तु जब कोई कमजोरी किसी व्यक्तिकी प्रकृति बन जाती है तब उससे लडना बेकार है। अर्जुनकी प्रकृति एक योद्धाकी प्रकृति थी और वह इसलिए नही कि वह लडनेके ही लिए पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी प्रकृतिसे ही लडना प्रिय था। हम जिसे कमजोरी समझते है जब वह किसीके व्यक्तित्वका एक अग बन जाती है, तो वह उसके लिए कमजोरी नही रह जाती। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति किसी दूसरेके आदेशपर अपनी प्रकृतिके विरुद्ध लडता है तो उसे

१. देखिए खण्ड ४१, पृ० ९२-१०२।

असफल ही होना होता है अथवा वह पाखंडी बन जाता है। ऐसे किसी व्यक्तिसे अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आचरण करनेके लिए कहना, कुत्तेकी टेढ़ी पूँछके सीधी हो जानेकी आशा करनेके समान है।

हृदयसे आपका,

श्री वी० माधव वालिगा
वाणी विलास मुहल्ला
बोन्टिकोप्पल डाकखाना, मैसूर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१९७. पत्र : फिरोज गांधीको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय फिरोज,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। आशा है कि अब कमला पहलेसे अच्छी होगी तथा सुईका प्रभाव समाप्त हो गया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पूनमचन्द राँकाको पत्र लिखो। उसकी शिकायत है कि उसने जितने पार्सल भेजे हैं, उनमें से एककी भी प्राप्ति-स्वीकृति उसे नहीं मिली है। उसने मुझे यह भी बताया है कि अभी नागपुर में सबसे अच्छे सतरे नहीं मिल रहे हैं। फिर भी जैसे मिलेंगे वह भेजता रहेगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि तुम्हें दिल्लीसे अच्छी तरह पैक करके भेजी गई सब्जियाँ मिल रही होंगी। यदि न मिल रही हो तो निःसंकोच मुझे बताओ।

श्री फिरोज गांधी
भुवाली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१९८. पत्र : रामचन्द्रनको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय रामचन्द्रन,

कुप्पाचारीकी शिकायतसे सम्बन्धित निगम आयुक्तके कार्यालयका पत्र इसके साथ है। कृपया स्वागत-समितिके अध्यक्षसे मिल ले। जिसको भी मुख्य रूपसे उत्तरदायी समझा जाये, उससे उस गरीबको कुछ हर्जाना तो मिलना ही चाहिए।

सलग्न १

श्री रामचन्द्रन
बगलोर

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१९९. पत्र : एस० सुन्दरेश अय्यरको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र और उसके साथ दो पुस्तके मिली, जिनके लिए धन्यवाद। सतति-निग्रहके लिए जो दलील दी जाती है, उससे मै परिचित हूँ। यदि दिये गये वक्तव्य अविवाद्य अनुभवपर आधारित है तो पुस्तिकामे निग्रहके लिए जो उपाय बताया गया है वह कृत्रिम उपायसे बहुत कम बुरा है। जहाँतक दूसरी पुस्तकका सम्बन्ध है, मुझे अभी उसे पढनेका समय नही मिला है। उस विषयमे मेरी रुचि नही है। यदि लोग अपना रग बदल सके और पूरा संसार एक रगका हो जाये तो मै समझता हूँ कि वह एक घटिया ससार होगा। मानव जातिको यदि कुछ जीतना है तो वह है द्वेष, फिर वह चाहे जातिके विरुद्ध हो या रगके।

हृदयसे आपका,

श्री एस० सुन्दरेश अय्यर, एम० ए०, बी० एल०
एडवोकेट
मयलापुर (मद्रास)

अग्रेजीकी नकल से। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२००. पत्र : मोहनलालको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मोहनलाल,

आर्य नगर कालोनीके मेघ लोगोकी शिकायतोके सम्बन्धमे आपकी विस्तृत रिपोर्ट मुझे बहुत जँची। क्या अब इसके बाद आप सभा[1] के सदस्योसे मिलकर यह पता लगा सकते हैं कि समझौता-वार्त्ता किस प्रकार चल रही है, और इन गरीब मेघ लोगोंके लिए जो-कुछ सम्भव हो वह कर सकते हैं? मै समझता हूँ कि ऐसी ही दूसरी कालोनी — सैलवेशन आर्मी कालोनी — तो फल-फूल रही है, उसका प्रबन्ध ठीक है और ईसाई लोग, चाहे वे अधिवासी हो या किरायेदार, काफी खुश हैं।

हृदयसे आपका,

श्री मोहनलाल
हरिजन-सेवक संघ
लाजपत राय भवन, लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

२०१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय ठक्कर बापा,

पंजाबकी आर्य नगर कालोनीके मेघ लोगोकी ओरसे लम्बी-चौडी शिकायत आई थी। मैंने शिकायत मोहनलालके पास भेज दी। उनकी विचारपूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ है। मोहनलाल[2] को मैंने जो जवाब दिया है उसकी भी एक प्रति इसके साथ है। आप अपने यहाँ से जो-कुछ कर सकते हो, करे। क्या घनश्यामदासका परिचय

१. दलित प्रतिनिधि सभा।
१. देखिए पिछला शीर्षक।

दलित प्रतिनिधि सभाके प्रमुख लोगोसे है ? इस सम्बन्धमे मै डॉ० गोपीचन्दसे बात-चीत कर रहा हूँ। वे यहाँ ग्रामोद्योग सघके सिलसिलेमे आये हुए है।

सलग्न : २

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य . प्यारेलाल।

२०२. पत्र : मुरारीलालको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० मुरारीलाल,

आपका पत्र बिलकुल व्यावहारिक है और बहुमूल्य भी। यह बहुत सहायक होगा। मै इसे श्रीयुत कुमारप्पाके पास भेज रहा हूँ जो आपको इसके सम्बन्धमे विस्तृत रूपसे लिखेंगे। जो लोग मासिक सहायता चाहते हैं, उनकी सहायता नियुक्त किये जानेवाले एक या अनेक एजेन्ट कर सकते हैं। आशय यह है कि केन्द्रीय बोर्ड[1] पर वैतनिक कार्यकर्ताओंका कोई खर्चा न पडे। एजेन्ट लोग स्थानीय दाताओसे अपनी आवश्यकता-नुसार धन एकत्र करेगे और अपनी एजेन्सीका प्रबन्ध करेगे। यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम इस सघको अच्छी तरहसे चला सकते हैं।

हृदयसे आपका,

डॉ० मुरारीलाल, एम० बी०
उद्योग भवन, कानपुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. अ० भा० ग्रा० संघका।

२०३. पत्र : सी० सुब्रह्मण्यमको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय सुब्रह्मण्यम,

शिक्षक यदि वास्तवमे पश्चात्ताप कर रहे है तो मै समझता हूँ उन्हे रहने देना चाहिए। जबतक मै उन लोगोको न जानूं और यह न जानूं कि सस्था किस तरहसे चलाई जा रही है, तबतक मेरे लिए आपका अचूक मार्गदर्शन करना कठिन है। शिक्षकोमे जितनी भी पवित्रता हो कम है। ऐसी सस्थाओके लिए, जहाँ लडके या लडकियाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, ठीक तरहके शिक्षक और प्रबधक प्राप्त करना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है।

हृदयसे आपका,

श्री सी० सुब्रह्मण्यम
मार्फत : श्री एल० के० मुथुस्वामी
१६१ विक्टोरिया होस्टल, ट्रिप्लिकेन (मद्रास)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य . प्यारेलाल।

२०४. पत्र : अविनाशीलिंगम चेट्टियारको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय अविनाशीलिंगम,

सुब्रह्मण्यमका एक पत्र तथा उसका जो जवाब[1] दिया उसकी एक प्रति इसके साथ सलग्न है। पत्रमे जिन तथ्योका उल्लेख है यदि वे सही है तो मै आशा करता हूँ कि आप बुराईको समाप्त करनेके लिए शक्तिशाली कदम उठायेगे।

श्री अविनाशीलिंगम चेट्टियार, सदस्य, विधान-सभा
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२०५. पत्र : पतित-पावन सभा, भिवानीके मन्त्रीको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मैं नगरपालिकाके अथवा अन्य चुनावोंमें हस्तक्षेप नहीं करता।

हृदयसे आपका,

मन्त्री
पतित-पावन सभा
भिवानी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२०६. पत्र : के० राममूर्तिको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपने जिस घड़ियाका जिक्र किया है, यदि वह ऐसा कुटीर-उद्योग है अथवा बन सके जिसे ग्रामवासी यन्त्रचालित मशीनों अथवा पेचीदा हस्तचालित मशीनोंके बिना चला सकें, तो जब राजामुन्द्रीके लिए संघका एजेंट नियुक्त हो जायेगा, वह आपके सुझावों पर विचार कर सकेगा।

हृदयसे आपका,

श्री के० राममूर्ति
अवैतनिक मन्त्री
दि इंडियन इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट, राजामुन्द्री

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

२०७. पत्र : टी० एल० कान्तारावको

१ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

पिछले महीनेकी २६ तारीखका आपका पत्र मिला। मैं चाहूँगा कि आप विनय आश्रम, चडोलके श्री जी० सीताराम शास्त्रीसे, जो गुण्टूर जिलेके लिए अधिकृत एजेंट होंगे, सम्पर्क स्थापित करें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर लोग जो भी मदद देंगे, उसे वे स्वीकार करेंगे। सफाई और स्वास्थ्य-विज्ञान तो ग्राम-सुधार कार्यक्रमके अभिन्न अंग हैं।

हृदयसे आपका,

श्री टी० एल० काताराव
मत्री
गुण्टूर जिला एल० आई० एम० एसोसिएशन, गुण्टूर

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२०८. पत्र : कान्ति गांधीको

१ फरवरी, १९३५

चि० कान्ति,

काकासाहबकी मार्फत भेजा हुआ मेरा पत्र तुझे मिल जाना चाहिए था। न तो उसका उत्तर मिला है न उसपर अमल किया गया है। तुझे न मिला हो, यह तो मुमकिन नही है। देवदासको लिखा हुआ तेरा आखिरी पत्र उसने मेरे पास भेज दिया है। मैं तो तेरी राह इस तरह देख रहा हूँ जैसे प्यासा पानीको देखता है। मैं कहता हूँ कि इस पत्रके जवाबमें तू ही चला आ। मैं तुझे भला-बुरा नही कहना चाहता। तेरे मनकी बात जानना चाहता हूँ। फिर मगनभाई भी आजकल यही है। इसलिए हर तरह तुझे यहाँ ठीक लगना चाहिए। यह भी समझ ले कि मैं तेरी स्वतन्त्रतापर कोई भी बन्धन नही लगाना चाहता।

तत्काल आ जा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२९३) से, सौजन्य कान्ति गाधी।

२०९. पत्र : जैनेन्द्र कुमारको

१ फरवरी, १९३५

भाई जैनेन्द्र,

तूमारे पत्रका यह उत्तर संक्षेपमें हो शकता है। वह तूमने ही दिया है। पुनर्जन्म माननेके लिये "मै" हू, इसे मानना आवश्यक होता है। यदि मै नहि और ईश्वर ही है तो पुनर्जन्म कैसे और किसका? ईसीमे पूनर्जन्म आता है ना? जव तक "मै" है तव तक ही पुनर्जन्म है। जव सचमुच तुम 'ईश्वर ही है' ऐसा मानोगे (कहने मात्रसे काफी नही होगा) तव तुमारे लिये पुनर्जन्म नही है। जो मनुस्य ईश्वरमय वन जाता है वह मुक्त हो जाता है। ईतनी वात तुमारी वुद्धि तो कबुल करेगी ही। लेकिन यह अनुभव मे नही आयेगी। अनुभवके लिए हजारो वर्षकी भी आवश्यकता हो सकती है। अनुभव हृदयकी वस्तु है। बुद्धि तर्क है। लेकिन तर्ककी किमत कितनी हो सकती है? अनुभव सेवासे ही हो सकता है।

एक प्रतिसे . प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य . प्यारेलाल।

२१०. पत्र : अमृत कौरको

दुवारा नहीं पढ़ा

वर्धा
२ फरवरी, १९३५

प्रिय अमृत,

वाल-विवाहकी वुराइयोसे दुखी हरिजन भाइयोके लिए अपना सन्देश भेज रहा हूँ

"आत्म-शुद्धिकी इस अवधिमे हरिजनोको यह वात जान लेनी चाहिए कि उन्हे सवर्णोकी सभी कुरीतियाँ छोड देनी है। इसलिए उन्हे वाल-विवाहकी कुरीतिसे वचना चाहिए। लेकिन समाज-सुधारकोको इस मामलेमे जल्दवाजी नही करनी है। मेरे विचारसे शारदा-कानून इस दिशामे एक विवेकपूर्ण कदम है। लेकिन जव सवर्णो पर इसे लागू करनेमे उदारता वरती जा रही है, तव जरूरी है कि हरिजनोपर भी इसे सख्तीसे लागू न किया जाये। हरिजनोमे स्वय हरिजनोके द्वारा ही शारदा-कानून अपनाने तथा वाल-विवाहकी कुरीतियो के सम्वन्धमे एक प्रभावकारी तथा सजग चेतना उत्पन्न करनेका प्रयास किया जाना आवश्यक है। और, निश्चित रूपसे

यह पता चल जानेपर कि लोग जान-बूझकर इस कानूनकी अवहेलना कर रहे हैं, सावधानीके तौरपर कुछ बातोंपर अमल किया जा सकता है। परन्तु यह काम भी पूरी तरह हरिजनोंके द्वारा ही किया जाये। इसके लिए सवर्णोंसे आर्थिक सहायता न माँगी जाये और आनेपर भी न ली जाये। किसी भी हालतमें कमसे-कम एक वर्ष तो गहरे प्रचारके लिए दिया ही जाना चाहिए।"

अगर इस सन्देशसे तुम्हें सन्तोष न हो तो इसे प्रकाशनार्थ मत देना और मुझे लिखना कि तुम्हें किस आशयका सन्देश चाहिए।[1]

यहाँ ठण्ड बिलकुल नहीं है। उसकी जगह बरसात हो रही है।

आशा है कि तुम पहलेसे ठीक हो।

स्नेह।

बापू

श्री राजकुमारी अमृत कौर
जलन्धर सिटी।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२१) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३३० से भी।

२११. पत्र : विधानचन्द्र रायको

२ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० विधान,

रानी विद्यावती हरदोई जिलेके एक गरीब और बरबाद जमींदारकी पत्नी हैं। मैं उन्हें सालोंसे एक कट्टर कांग्रेस-कार्यकर्त्ताके रूपमें जानता हूँ। वे जेल भी जा चुकी हैं। फिलहाल वे किसी रोगसे पीड़ित हैं। स्थानीय डॉक्टरोंका विचार है कि उन्हें विशेष चिकित्साकी आवश्यकता है, शायद शल्य-चिकित्सा भी करनी पड़े। उन्होंने उन्हें चित्तरंजन सेवा-सदनकी शरण लेनेका सुझाव दिया है। स्वभावत. कुछ महीने पहले, मेरे पास इस आशयकी प्रार्थना आई थी कि मैं आपसे पत्र लिखकर पूछूँ कि क्या आप उन्हें एक निर्धन रोगीकी हैसियतसे सेवा-सदनमें भर्ती कर सकते हैं। परन्तु बादमें उनके स्वास्थ्यमें कुछ सुधार आता-सा लगा और उन्होंने कलकत्ता जाना स्थगित कर दिया। अब यह स्पष्ट लगता है कि उन्हें विशेष चिकित्साकी आवश्यकता है। यदि आप समझें कि उन्हें सेवा-सदनमें भर्ती किया जा सकता है तो कृपया मुझे लिखें तथा उन्हें बरुआ हाउस, वजीर हसन रोड, लखनऊके पतेपर तार दे दें।

१. परिवर्तित संदेशके लिए देखिए "पत्र : अमृत कौरको", १८-२-१९३५।

यदि आप उन्हे भर्ती नही भी कर सकते हो, तब भी यह अच्छा रहेगा कि आप उन्हे सीधे एक तार दे दे।

हृदयसे आपका,

डॉ० विधान चन्द्र राय
३६, विलिंग्डन स्ट्रीट
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

२१२. पत्र : जमनालाल बजाजको

२ फरवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र और तार दोनो मिले। जानकीदेवी आज रवाना हो रही हैं। यह पत्र उनके साथ जायेगा।

खानेके बारेमे उनको भी समझाया है। उनकी मदद तो मिलेगी ही, इस विषयमें मुझे जरा भी शका नही है।

ओमकी चिन्ता रखनेकी जरूरत नही। मैं खुद रखूंगा।

जानकीदेवीका हृदय कमजोर है। उसकी जाँच करा लेना। दवा तो वे नही लेंगी, पर क्या है यह समझमे आ जायेगा। डॉक्टर इलाजमे क्या करना चाहता है, यह भी मालूम हो जायेगा।

रणछोड़भाईवाले रुपयोकी रसीद उद्योग-मन्दिरकी ओरसे नारणदासके नामसे अथवा जो ट्रस्टी हो उसके नामसे, तैयार करना। ट्रस्टीका नाम मैं भूल गया हूँ।

मुझे तो अभी यही रहना है। मच्छरोकी मुझे कोई परेशानी नही है। छत पर तो जरा भी नही है। कल रात बरसात होनेसे नीचे सोया था। वहाँ भी कोई दिक्कत नही हुई।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५६) से।

२१३. पत्र : कान्ति गांधीको

२ फरवरी, १९३५

चि० कान्ति,

तेरा पत्र अभी-अभी मिला। आश्चर्य हुआ और दुःख हुआ। यह चिट्ठी तेरा अलग ही रूप दिखा रही है। लेकिन तू जैसा है वैसा ही दिखे, यही उत्तम बात है। मुझे लिखे गये अपने पिछले पत्रमें खुद तूने आनेकी इच्छा जाहिर की थी। जब मैंने तुझे बुलाया तब तुझे खून पानी हो जानेका भय हो रहा है। जो पुत्र पिताके पास जाते हुए भयभीत होता हो उसका क्या हाल हो सकता है? उसके पिताको या पितामहको कितना भयानक व्यथित होना चाहिए? मैंने तो तुम्हें प्रेमके वश होकर बुलाया था। मैं तेरे मनकी बात जानकर मार्गदर्शन करना चाहता था। किन्तु देखता हूँ कि मैं तुझे आश्वासन नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मत आ। किन्तु वहाँ आत्म-निरीक्षण कर, अपने चित्तको शान्त बना और भला बन। स्वतन्त्र रह और अपना विकास कर। यह मेरी आशा है और मेरा आशीर्वाद भी।

मेरा पत्र अबतक तुझे मिल गया होगा। काका साहबके मार्फत भेजा गया पत्र भी तुझे मिल चुका होगा। मैंने तेरा पत्र फाड़ दिया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७२९४) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

२१४. पत्र : शिवाभाई जी० पटेलको

२ फरवरी, १९३५

चि० शिवाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। लगता है कि काम थोड़ा-बहुत शुरू हो गया है। मेरे विचारसे हमारे ग्रामोद्योगमें भैंस तथा भैंसके घीको कोई स्थान नहीं है। जो काम रूढ़ है और चल रहे हैं उनमें हमारे हाथ डालनेका क्या लाभ? हमें कोई व्यापार तो करना नहीं है। तुम्हें भैंसका प्रचार कदापि नहीं करना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५१५) से।

२१५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

वर्धा
३ फरवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारी अच्छी तरहसे परीक्षा ली जा रही है। यदि तुम इस परीक्षाको अच्छी भावनासे स्वीकार करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हे कदापि हारना नही चाहिए। कृष्णस्वामी पर स्नेहकी वौछार करो। उसकी उदासीपर चिन्ता न करो, यदि वह अध्ययन न करे तो कतई परवाह मत करो। उसे कुछ काम दो। उसे कातने दो, बुनने दो या लकडीका काम सीखने दो। उसके साथ सैर करो। उसके साथ खेलो। अपना चेहरा खिला रखो। इससे उसपर असर होगा। कुछ समयके लिए उसे रामचन्द्रनके साथ रखो। उसे खेलने दो। उसे हिन्दी सीखने दो। दूसरे शब्दोमे, उसका दिमाग और शरीर प्रसन्नतापूर्वक काममे लगा रहना चाहिए और फिर सब ठीक हो जायेगा।

दोनो मलयाली लड़कियाँ और शीलावती वर्धा नही छोड़ेगी। मैंने उन्हे लालच दिया, लेकिन अभी वे यहाँ इतनी खुश है कि यहाँसे नही हटेगी। उनपर जोर डालनेसे कोई फायदा नही।

यदि तुम तैयार हो तो वसुमती इस महीनेके बीचतक तैयार हो जायेगी। तुम एक औपचारिक सार्वजनिक उद्घाटन-समारोह नही करना चाहती हो, कि चाहती हो? उसका उद्घाटन शान्तिपूर्वक प्रार्थनाके साथ होना चाहिए। उसे स्वाभाविक ढंगसे पनपने दो। ढिढोरा पीटनेकी कोई जरूरत नही है।

अभी बा की बाहर जानेकी इच्छा नही है। मै उसपर दबाव नही डालना चाहता। और चूँकि उद्घाटन पूरी तरह निजी ढंगका होना है, बा की उपस्थिति सर्वथा अनावश्यक है।

मेरा दाहिना हाथ थक चुका है, इसलिए मैंने यह पत्र बाये हाथसे लिखा है। मुझे आशा है कि तुम्हे लिखावट समझनेमे कोई कठिनाई नही होगी।

स्नेह।

बापू[2]

मूल अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१ और २. हिन्दीमें है।

२१६. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

३ फरवरी, १९३५

चि० प्रेमा,

तेरे पत्रका उत्तर इस वार बहुत देरसे दे रहा हूँ। समय नही मिलता। आज लिख-लिखकर ही हाथ थक गया है। इसलिए वायाँ काममे ले रहा हूँ।

मेरा शरीर दुर्बल तो हुआ होगा, परन्तु मुझे ऐसा अनुभव नही होता। उपवास[1] का असर कमजोरी वढानेवाला सिद्ध नही हुआ, यदि उपवास छोडनेके बाद सावधानीसे काम लिया जाये तो होना भी नही चाहिए।

मैं मानता हूँ कि मेरे भोजनका असर मेरे शरीरपर अच्छा ही हुआ है। मैं इसका विश्लेषण नही कर सकता।

माता-पिता इत्यादि तुझसे मिलकर गये, यह बहुत अच्छा हुआ।

मुँहासोका इलाज है तो जरूर। थोडे दिनोतक केवल फलो और कच्ची भाजी पर रहना चाहिए। भाप लेनेसे वे तुरन्त मुरझा जायेगे। भाप लेनेके बाद ठण्डे पानीसे नहाना चाहिए। तीन-चार दिनमे चमड़ी साफ हो जानेकी सम्भावना है। उसके वाद दूध अथवा विलकुल फीका दही और फल तथा कच्ची भाजी लेनी चाहिए। भाजीमे मेथी, पालक, लोनी, सलाद उत्तम है। मैं तो सरसोकी पत्ती और उसकी मुलायम डालियाँ भी लेता हूँ।

ईश्वरसे याचना करनेका अर्थ है, तीव्र इच्छा करना। ईश्वर हमसे भिन्न भी है और अभिन्न भी। भिन्न है, क्योकि वह सम्पूर्ण है, अभिन्न है क्योकि हम उसके अंश है। समुद्रसे अलग पड जानेवाली बूँद यदि समुद्रसे विनती न करे तो किससे करे? परन्तु उससे क्या यह समुद्रके लिए कुछ करने या न करनेकी बात हो जाती है? प्रार्थना वियोगीका विलाप है, उसके बिना देहधारी जी ही नही सकता।

राष्ट्रकी प्रगतिकी कुंजी हमारे हाथमे है भी और नही भी है। प्रगति, जब हम शून्यवत् हो जाये, तभी होगी। शून्यवत् होना हमारे हाथमें है। परन्तु प्रगति हमारे हाथमे नही है, क्योकि शून्य बने तत्वकी प्रगति एकमात्र परमात्माके हाथमे रहती है।

'ऊधो करमनकी गति न्यारी' यह शुद्ध सत्य है। कर्मका नियम है, इतना हम जान सकते है, परन्तु हम यह नही जानते कि वह नियम किस ढँगसे काम करता है। यह प्रभुकी कृपा है। सामान्य राजाके नियम भी जब हम नही जानते, तो फिर नियमकी मूर्तिके समान परमात्माके [सारे] नियमोको हम कैसे जान सकते है?

१. ७ अगस्तसे १३ अगस्त, १९३४ तक। गांधीजीके हरिजन-कार्यका विरोध करने पर लोगोंने लालनाथको मारा-पीटा था, इसलिए गांधीजी ने उपवास रखा था, देखिए खण्ड ५८।

इस लड़ाईके शुरूमे जो जीत दिखाई देती थी, वह एक कल्पना ही थी। पराभव भी केवल दिखावा ही था। सत्यकी सदा विजय ही होती है, ऐसी जिसकी अटल श्रद्धा है, उसके शब्दकोशमे हार-जैसा कोई शब्द ही नही होता।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६६) से।

२१७. पत्र : शिवाभाई जी० पटेल

वर्धा
३ फरवरी, १९३५

चि० शिवाभाई,

तुम्हारी इच्छा किसी शालामे दाखिल होनेकी है तो मुझे इसमें कोई हर्ज दिखाई नही देता। यह तो तुम्ही कह सकते हो कि तुम इस कामकी जिम्मेदारी ठीक रूपसे अपने ऊपर ले सकते हो या नही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५१४) से।

२१८. पत्र : बहरामजी खम्भाताको

वर्धा
४ फरवरी, १९३५

भाई खम्भाता,

आपका पत्र पढकर मुझे बहुत आनद हुआ, आश्चर्य भी उतना ही हुआ। कहा जा सकता है कि आप मरण-शय्यासे उठे। उपवास भी बड़े सख्त हुए। क्या कुष्ठ भी जाता रहेगा? दिनशाको धन्यवाद। जो कष्ट बच गये है, वे भी निकल जाये तो फल उत्तम कहा जायेगा।

तहमीना सीताकी भाँति सेवा करती है, इसमें मुझे कोई नवीनता नही लगती। न करे, तो अनोखी बात हो और दुःख भी लगे। अवकाश मिलनेपर पूरे उपचारकी तफसील लिखना।

बापूके आशीर्वाद

श्री बहरामजी खम्भाता
नेचर क्योर क्लीनिक
६ टोड़ीवाला रोड, पूना

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६०८) से। सी० डब्ल्यू० ४३९८ से भी; सौजन्य : तहमीना खम्भाता।

२१९. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

४ फरवरी, १९३५

भाई घनश्यामदास,

तुमारा खत मिला। दोनो इंटरव्यु[1] का वर्णन अच्छा है। मुझे पूरा-पूरा ख्याल आ गया है। अब तो कुछ करनेका नही रहता है। हां, मैं कुछ विचार कर रहा हूं कि सर हेनरी क्रेकको लिखु। यदि लिखुगा तो तुमको ही खत भेजुंगा। अच्छा न लगे तो नही भेजना। भुलाभाई[2] विसिटर्स बुकमे नाम नही लिख सकते है। इन बातोमें हम सुवर्ण मार्गको छोड कर कोई लाभ हासिल नही कर सकते है। भुलाभाईका विनयी वर्तन काफी समजना चाहीये। समय अपना काम करेगा।

होम मेंबरका विनय और उनकी शुभेच्छा व्यक्तिगत है। जे० पी० सी०के रिपोर्ट[3] की पोलिसी तंत्रकी है। तंत्रकी नीतिमें कुछ विनय नही है। लेकिन इरादतन अविनय है। मैं इसमे से शुभकी कुछ आशा नही रखता हू। यो तो जब तंत्रीओकी नीति बदलेगी तब कोई भी कान्स्टीट्यूशनसे एक मुद्दत तक निर्वाह कर सकते हैं। आज तो नयी चीज लादनेकी बात है और वह भी बलात्कार से। कोई इसे अच्छी चीज नही मानते है। तुमारी नीति जैसी है ऐसी भले बनी रहे। मैं इतना लंबा-चौड़ा खत लिखता हूं इतना ही बतानेके लिये कि मैं वायुमण्डलमे से आशाके किरण नही पाता हू। स्वतंत्र आशा मेरे में नित्य है ही, वह तो सामने अंधेरा होते हुए भी है। उसका आधार हमारी सच्चाईके सिवा और कुछ नही है।

भुलाभाईको कैसी नीति ग्रहण करना चाहिये, उसका निर्णय वल्लभभाईसे करवा ले।

इसी खत [को] लिखते हुए होम मेंबरको खत लिखनेका दिल कम हो रहा है। कोई कारण नही पाता हू।

खजूर मिल गया होगा।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ७९७० से; सौजन्य. घनश्यामदास बिड़ला।

१. तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड विलिंग्डन और गृहमन्त्री सर हेनरी क्रेकके साथ।

२. भुलाभाई देसाई, अग्रगण्य वकील तथा विधान-सभामें कांग्रेस-दलके नेता।

३. २३ नवम्बर, १९३४ को प्रकाशित इस रिपोर्टमें भारतीय संविधानमें सुधारके सुझाव दिये गये थे, जिनके आधारपर बादमें ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत-अधिनियम पास होना था।

२२०. पत्र : हीरालाल शर्माको

४ फरवरी, १९३५

चि० शर्मा,

थकानके कारण बाय हाथसे लिख रहा हूं। खजूर तुमको भेजा गया है सो मिला होगा। अमतुल लिखती है, तुम दोनो दु खी हो। यदि यह सही है तो दु खकी बात है। दा० अनसारीने उर्दु कितावोकी और थोडे हिंदीकी फेहरिस्त भेजी थी। मैंने नामंजुर की। अब अग्रेजी भेजनेकी प्रतिज्ञा तो की है। मुझे तो चिंता नही है। लेकिन तुमारे लिये है। यदि समयका सदुपयोग कर रहे हो तब तो अच्छा है। मुझे टाइम टेवल भेजो।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृष्ठ १४४ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

२२१. पत्र : अमतुस्सलामको

४ फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुस्सलाम,

तुम्हारा खत मिला है। पढ़कर दु.ख हुआ। क्यो खुर्जा गई क्यो चली आई? जिस किसी तरह शान्त हो जाये तो मैं राजी हूँगा। शर्माके बारेमे भी दु ख ही होता है। जो-कुछ त्याग किया है वह वही जानता है। अच्छी वात नही है। तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। यह खत वाये हाथसे लिखा है क्योकि दाहने हाथमे लिखनेसे दर्द होता है।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१३) से।

२२२. पत्र : एम० जे० कानिटकरको

वर्धा
५ फरवरी, १९३५

प्रिय कानिटकर,

छपे कार्ड या पत्रकी बात मुझे केवल तुम्हारे याद दिलानेपर ही ध्यानमे आ रही है। मुझे विश्वास है कि मै कभी भी इतना अशिष्ट नही रहा हूँ कि छपी अपीलपर अपनी नाराजगी मैने तुच्छ सन्देश सम्पादकोके मत्थे मार कर प्रकट की हो। गाड़ीमे मेरे पास जो समय था उसमे अपनी समझसे जो मुझे सर्वश्रेष्ठ लगा वह मैने तुम्हे लिख दिया।[1] तुम्हारे अखबारको अपने सन्देशमे यदि मैने अपनी बात दोहराई है तो वह इसीलिए कि जो-कुछ मैने शुरूमे लिखा था वही सर्वश्रेष्ठ था। मुझे दुःख है कि मै तुम्हें इससे अधिक या बेहतर और-कुछ नही दे सकता। बेहतर तो मै कभी दे ही नही सकता। और अधिक मै उसी हालतमे दे सकता हूँ जब फुर्सतकी घडीमें मै अपने तथा प्रिय अभयकरके बीचमे बीती बातोको याद करूँ और उन्हे एक पठनीय कहानीका रूप दूँ। उसके लिए मुझे फुर्सत नही है। यद्यपि मै लगभग तीस वर्षतक तथाकथित पत्रकार रहा हूँ, फिर भी जब इच्छा हो तभी लम्बी-चौडी बाते लिखनेकी दक्षता मुझे हासिल नही हो सकी है। बात गढनेमें मै उतना पटु नही हूँ। इस पत्रके लिए मैने अपना इतना समय दिया, इसके लिए तुम्हे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। क्योकि यकीन मानिये एक-एक क्षण मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन मैने यह समय अपने एक पुराने सहकर्मीकी स्मृतिके लिए और तुम्हारी खातिर दिया है, क्योकि तुमने वह पुस्तक भेजकर मुझे उनका परिचय भेजा है। काश! मै अभी भी यह कह सकता कि तुम्हारी पुस्तक मैने पढ ली है। कोई छ: बार मैने वह पढनेके लिए उठाई, परन्तु हर बार कोई-न-कोई अधिक महत्वपूर्ण काम आ जानेसे उसे बन्द करना पडा।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री एम० जे० कानिटकर, बी० ए०
सम्पादक, 'निस्पृह'
१०५६, सीताबर्डी, नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे: प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए "पत्र: निस्पृहके सम्पादकको", पृ० १५४।

२२३. पत्र : डॉ० विधानचन्द्र रायको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० विधान,

इसके साथ मैं दूधसे सम्बन्धित एक प्रश्नावली[1] भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी फुर्सत मिले कृपया इसके उत्तर भेज दे।

मैं अब इस स्थितिमे हूँ कि अ० भा० ग्रामोद्योग सघके लिए आपसे ठोस सहायता लूं। चार दिनसे लगातार बोर्डकी बैठक हो रही है और इसने अपने सदस्योको हिदायत दी है कि बिना पालिश किये चावलको हाथसे कूटने, तेल एव गन्नेकी स्वयं पेराई करने तथा अपना अनाज खुद पीसनेके काम जहाँ छोड दिये गये हो, वहाँ ग्रामवासियोको इन चारो कामोके लिए प्रेरित करनेका कार्यक्रम अमलमे लाये तथा गाँवकी सफाई एवं स्वास्थ्यपर ध्यान दे। अब आप डॉक्टरो, डॉक्टरी शिक्षाके विद्यार्थियो तथा अन्य विद्यार्थियोका सहयोग लेकर इन सब कामोमे अत्यधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप वैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्त्ताओके दलके साथ पूरे बंगालकी देखरेख कर सकते हैं। और यदि कार्यकर्त्ता अच्छे हो तो जो-कुछ उन्हे मिलेगा उसका दस गुना वे दे सकेंगे, क्योकि ग्रामवासियोकी आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्यमे इससे तुरन्त और स्पष्ट सुधार होगा। आप एक ग्राम-साहित्य भी तैयार कर सकते हैं जो पूरे भारतके लिए आदर्श हो सकता है। मैं यह जान-बूझकर कह रहा हूँ, क्योकि बगाल रसायनशास्त्रमे जितना निपुण है उतना कोई और प्रान्त नही है। और क्या इस कार्यक्रमको अमलमें लानेके लिए यही मुख्य रूपसे आवश्यक नही है?

मैंने प्रफुल्ल बाबूसे कहा है कि वे इस सिलसिलेमे आपसे मिले। मैं जानता हूँ कि आप उनकी मदद करेंगे।

हृदयसे आपका,

सलग्न : १

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

१. देखिए अगला शीर्षक।

२२४. प्रश्नावली

५ फरवरी, १९३५

आयुर्वेदिक चिकित्सकोका कहना है कि स्वास्थ्यकी दृष्टिसे दूधोमे गायका दूध सर्वोत्तम है। वे भैंसके दूधको निचला दर्जा देते है। क्या आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान इस विचारसे सहमत है? अगर है, तो किस तरह ?

प्राय ऐसा सुननेमें आता है कि सभी प्रकारकी वसाएँ पाचन-संस्थान पर एक-सा कार्य नही करती। क्या गायके दूधसे निकाले गये मक्खन और भैंसके दूधसे निकाले गये मक्खनमे कोई भिन्नता है? यदि है तो वह क्या है? भैंसके एक पौड दूधसे गायके एक पौंड दूधकी अपेक्षा कही अधिक वसा या मक्खन निकलता है, यह वात यहाँ अप्रासगिक है।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२२५. पत्र: सी० मुकर्जीको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय बहन,

आपका पत्र मिला। आप संघकी सबसे अच्छी सहायता सदस्योंके बीच यह प्रचार करके कर सकती हैं कि वे गाँवमे उत्पन्न व बनी चीजोका ही, जहाँ वे उपलब्ध हो, प्रयोग करें। दूसरे, आप महिला कार्यकर्त्ताओको उनके निवास-स्थानके आसपासके गाँवोमे भेज सकती है, ताकि वे वहाँ सफाईका काम करें तथा ग्रामवासियोको चावलकी हाथसे कुटाई जैसे कामोके लिए प्रेरित करे। यदि आप 'हरिजन' पढ या ले नही रही हैं, जिसमें हर हफ्ते अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके क्रिया-कलापोकी जानकारी दी जाती है, तो मै आपको सलाह दूंगा कि आप उसे खरीदे और पढे। मैं आपसे यह भी कहूँगा कि आप श्रीमती गोसीबहन कैप्टेनसे, जो अ० भा० ग्रा० स० के बोर्डकी सदस्या हैं, सम्पर्क बनाये। अभी वे बोर्डकी बैठकमे भाग लेनेके लिए यहाँ आई हुई हैं, इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ कि वे आपको लिखे।

हृदयसे आपका,

श्री सी० मुकर्जी
अवैतनिक सगठन मंत्री
९ लोअर राडन स्ट्रीट, कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

२२६. पत्र : डॉ० मु० अ० अन्सारीको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० अन्सारी,

इसके साथ एक और प्रश्नावली[1] है जिसके उत्तर आप जितनी जल्दी फुर्सत मिले भेज दे। आपके खयालसे शर्माको जो अंग्रेजी पुस्तके पढनी चाहिए, कृपया उनकी एक सूची मुझे भेज दे। आप कोई लम्बी-चौड़ी सूची तैयार करनेके चक्करमे न पड़े। यही काफी है कि आप मुझे उन पुस्तकोकी एक प्रारम्भिक सूची[2] भेज दे जिन्हे पढना उसके लिए इस अत्यन्त जटिल मानव शरीर-यत्र पर प्रयोग कर सकनेके लिए आवश्यक हो। आशा है कि आप कामके बोझसे अपनेको इतना थका नही रहे होगे कि महज उपचारके लिए आपको पुन. यूरोप जाना पड़े।

डॉ० मु० अ० अन्सारी
१, दरियागज, दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२२७. पत्र : जी० जी० जाधवको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय जाधव,

वहाँ लोग धर्मके नामपर बकरोका वध कर रहे है, ऐसा मै कभी सोच भी नही सकता था। भोजनके लिए पशुका वध निश्चय ही बुरा है। परन्तु धर्म के नामपर उसका वध तो मेरे विचारमे ईश्वर-निन्दा ही है। जब हम यह सोचते है कि हम अपने पापोके लिए मूक पशुओकी बलि देकर ईश्वरको खुश कर सकते है, तो हम उसे नीचे गिराकर अपने धरातलपर ले आते है। मेरी समझसे हम केवल अपना बलिदान करके ही उसे खुश कर सकते है।

हृदयसे आपका,

श्री जी० जी० जाधव
सम्पादक, 'सेवक'
कोल्हापुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. संदर्भ शायद "प्रश्नावली", पृ० १८८ का है।
२. देखिए "पत्र: हीरालाल शर्माको", पृ० १८५।

२२८. पत्र : डॉ० एस० सुब्बारावको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय सुब्बाराव,

इसके साथ एक और प्रश्नावली[1] है। जब भी आपको समय मिले, इसके उत्तर दें।

हृदयसे आपका,

डॉ० एस० सुब्बाराव
बंगलोर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२२९. पत्र : एन० आर० धरको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय प्रो० धर,

पिछले महीनेकी १२ तारीखको आपने जो पत्र डॉ० मेहताको लिखा था, उसे उन्होंने मेरे पास भेजनेकी कृपा की है।

बिना पालिश किये चावल तथा अन्य खाद्य पदार्थोंके सम्बन्धमे आपकी सही राय मेरे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है।

क्या आप संलग्न प्रश्नावलीपर प्रकाश डाल सकते है?

हृदयसे आपका,

सलग्न: १

प्रो० एन० आर० धर
प्रयाग विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए पृ० १८८।

२३०. पत्र : मेसर्स जाफ्री ब्रदर्सको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मलिक गुलाम सरवर खाँ द्वारा लिखित 'लाइफ ऑफ दि प्रॉफेट' की प्रति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साहित्य पढनेके लिए मुझे एक मिनटकी भी फुर्सत नही है। परन्तु मैं मलिक साहबकी पुस्तक पढ़ना चाहूँगा, और जब भी पढ लूंगा मैं इसके सम्बन्धमे अपनी राय खुशी-खुशी आपको दूंगा।

हृदयसे आपका,

मेसर्स जाफ्री ब्रदर्स
अनवर अहमदी प्रेस
२८७, शाहगंज, इलाहाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२३१. पत्र : एस० तिरुवेंगदसामीको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय तिरुवेंगदसामी,

आपके विद्यालयके कार्यकी रिपार्ट मुझे मिली है। मैं आशा करता हूँ कि विद्यालय औद्योगिक शिक्षाके लिए अधिकाधिक प्रबन्ध करेगा।

हृदयसे आपका,

श्री एस० तिरुवेंगदसामी
शिक्षक, एच० एस० एस० स्कूल
बाजार स्ट्रीट, मन्नारगुडी (जिला तंजोर)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२३२. पत्र : पी० जी० मैथ्यूको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय मैथ्यू,

तुम्हें थानामे कुछ नही करना चाहिए, ऐसा मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। तुम्हारा जन्म शारीरिक कार्य करनेके लिए नही हुआ है। मेरी तो यही इच्छा है कि तुम कोई नौकरी प्राप्त करके, वह चाहे कितनी ही छोटी क्यो न हो, परिवारके साथ रहो और उसकी सेवा करो।

श्री पी० जी० मैथ्यू
चेप्पड
हरिपद (त्रावणकोर)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२३३. पत्र : एम० सुकोसको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपको हर महीने ३० रुपये भेजना मेरे लिए सम्भव नही है। मेरे पास ऐसा कोई कोष नही है जिसका मैं सहारा ले सकूं। आपको वही जो प्रयास किया जा सके, करना चाहिए अथवा अपनी पूरी योग्यताएँ बताते हुए केन्द्रीय कार्यालयको लिखना चाहिए।

हृदयसे आपका,

एम० सुकोस, महोदय
समदानपुरम
पालमकोट्टा डाकखाना, जिला तिन्नेवेल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२३४. पत्र : राजेन्द्रनाथ बरुआको

५ फरवरी, १९३५

प्रिय बरुआ,

आपका पत्र मिला। कुनेके 'साइंस ऑफ हीलिंग'मे दिये गये आदेशोका यदि आप सावधानीसे पालन करेगे तो मुझे जरा भी सदेह नही कि इससे आप दोनोका भला होगा।

अन्नदा बाबू आसाममें कताईका प्रवन्ध करने वाले है। इसलिए मै आपसे कहूँगा कि आप उनसे सम्पर्क स्थापित करे।

हृदयसे आपका,

श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, बी० एल०
वकील
गोलाघाट (आसाम)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२३५. पत्र : क० मा० मुंशीको

५ फरवरी, १९३५

भाई मुंशी,

आपका पत्र मिला। स्वदेशी प्रदर्शनियोमे हमे किस हदतक भाग लेना चाहिए, यह वास्तवमे विचारणीय है। यदि बैलगाडीको हवाई जहाजोके प्रदर्शनमे स्थान दिया जाये तो यह दयादृष्टि कही जा सकती है, किन्तु इसका उपयोग क्या है? यदि कोई विराट् पुरुष अपनी कनिष्ठाके नखपर अगणित वामनोको ऊँचा उठाकर दिखाये तो इसमे उसका क्या अभिप्राय हो सकता है? इस प्रश्नको अच्छी तरह सोचकर, जिसमे ग्रामोका हित-साधन दिखे वही करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५६७) से; सौजन्य · क० मा० मुंशी।

२३६. पत्र : एम० जे० कानिटकरको

[५ फरवरी, १९३५ के पश्चात्][1]

प्रिय कानिटकर,

मैंने अभी-अभी जनसख्याका हौआवाला अध्याय पढकर समाप्त किया है। मुझे कहना चाहिए कि यह कतई विश्वासोत्पादक नही है। आपने यह कहकर अपना पक्ष ही खो दिया है कि महामारियाँ और अन्य आपदाये जनसख्याकी वृद्धिमे रोक लगाती रहेगी। उनका कहना है कि आधुनिक विज्ञान मृत्यु-दरमे कमी लाता है। जीवन-सरक्षणके लिए नित नई खोजें हो रही हैं। इसलिए वृद्धि असह्य हो जायेगी। गम्भीरतासे दी गई इस दलीलका उत्तर गम्भीरतासे ही देना होगा। तुमने तो अपने विषयका अध्ययन तक नही किया है। सुयोग्य लेखकोने माल्थसके सिद्धान्त और उसके बादके विकासका खण्डन किया है। अगर अन्य अध्याय भी इतने ही बेकार है तो म आपसे केवल यही कह सकता हूँ कि आप अपने विषयका पहले अध्ययन करें और तब पुस्तक दुबारा लिखे। मैंने पुस्तक अब प्रो० मलकानीको दे दी है, ताकि वे पढकर अपनी राय मुझे दे। उन्हे इसके बारेमे कोई जानकारी नही है।

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२३७. पत्र : जमनालाल बजाजको

वर्धा

६ फरवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। डॉ० जीवराजके पत्रसे मुझे सन्तोष है। वे तुम्हारे भोजनमे कुछ परिवर्तन करना सुझाते हैं। मक्खन ज्यादा लेनेको कहते हैं। उनके साथ बात करके बढाना जरूरी समझो तो बढा देना। मुझे डर है कि तुम बातचीत बहुत करते होगे और कसरत कम। यदि ऐसा हो तो दोनो बातोमे सुधार करनेकी जरूरत है। मुझे विस्तारसे लिखना।

कमलनयनके साथ बाते की हैं। मेरी निश्चित राय है कि यदि वह राजी हो जाये तो विवाह करके ही उसका विलायत जाना उचित है। परन्तु अपनी पत्नी को वह साथ न ले जाये। पत्नीको ले जाकर पढ सकना लगभग असम्भव है।

१. देखिए "पत्र: एम० जे० कानिटकरको", ५-२-१९३५।

विलायतमे घर-गृहस्थी जोडना भी अनुचित है। हॉ, दोनो सैर-सपाटेके लिए जाये तो वात दूसरी है। पर यहाँ तो सैर-सपाटेका सवाल है ही नही। मेरी राय इस प्रकार है अभी सगाई कर ले, वहाँ मलेरिया न रहे तव कोलम्वो जाये और एक परीक्षा तो पास कर ही ले। फिर विलायत जाये। जानेसे पहले विवाह कर ले। थोड़ा समय गार्हस्थ्य सुख भोगना चाहे तो भोगे, परन्तु विलायत तो अकेला ही जाये। चाहे तो विलायतसे आता-जाता रहे। कोलम्वोका अनुभव कमलनयनको काफी काम आयेगा। उसका जीवन अभी अध्ययनशील नही वना है। यह हो जानेपर फिर कोई कठिनाई नही रहेगी।

उद्योग सघमे छ. स्थायी ट्रस्टी नियुक्त किये है, उनमे तुम्हारा नाम लिखा है। यह आवश्यक था। अत तुमको साधारण सदस्य वनानेकी जरूरत है। इसका फार्म पत्रके साथ भेज रहा हूँ, उसे भरकर लौटती डाकसे भेज देना। इसमे सकोचका कोई कारण नही है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

कृष्णदास सगाईके लायक हो गया है। कोई लड़की तुम्हारी निगाहम है? यदि हो तो लिखना।

बापू

[पुनश्च :]

सदस्यताका फार्म सलग्न है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०३५) से।

२३८. पत्र : ना०[1] को

६ फरवरी, १९३५

चि० पण्डितजी,

रा० वडा दु ख दे रहा है। किन्तु इसकी चिन्ता मत करो। उसका कर्ज चुकानेके लिए पैसा विलकुल नही भरना है। वह नौकरी करके उसे मजेसे चुका सकता है। जहाँसे वेतन मिलता है वहीसे लेनदारोको कमसे-कम २५ रुपये सीधे दे दिये जाये। यह ठीक ही होगा। यदि वह अपनी यह वुरी आदत छोड दे तो वहुत जल्दी सुधर जायेगा। सयाने वच्चोके वारेमे माता-पिताकी जिम्मेदारी केवल सलाहकार होनेकी ही हो सकती है। इसलिए ग० और वावूके प्रति आपकी किसी प्रकारकी

१. नाम नहीं दिये जा रहे हैं।

आर्थिक जिम्मेदारी नही है। ग० ने अपने वचनका पालन नही किया। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है।

मृदुबहनको रा० के विषयमे बताना। मैं उसे थोड़ेमे लिख रहा हूँ, किन्तु तुम्हारा कहना शोभा देगा। मुझे लिखते रहना।

मैंने ल० से बात नही की है, थोडी-बहुत अवश्य कर लूँगा। तुम्हारा उसे कुछ लिखना जरूरी नही है। वह कुछ कर नही सकती, केवल दुःखी होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २४९) से, सौजन्य: लक्ष्मीबहन एन० खरे।

२३९ पत्र: नरहरि द्वा० परीखको

६ फरवरी, १९३५

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला। बिना कुटे चावलको अगर तीन घटे तक ठण्डे पानीमे भिगोकर दालकी तरह पकाया जाये, तो वह आसानीसे पक जाता है। हम चावलको कूट कर व्यर्थ पैसा खर्च करते है और उसे कमजोर भी बना देते है। पूर्ण चावलको पकाकर एकदिल कर डालना चाहिए। जबतक चावल अलग-अलग रहेगे, तबतक समझना चाहिए कि वे ठीक नही पके है।

नस्यका उपयोग तो करके देखना ही चाहिए। तुम्हे तो उसका उपयोग दवाकी तरह करना है; इसलिए चुटकीमे बिलकुल थोडी-सी लेना। इस काममें लाई जानेवाली नस्य बिलकुल शुद्ध होनी चाहिए। तुम यह तो जानते ही होगे कि बाजारकी नस्य में बडी मिलावट होती है।

सुरेन्द्रके साथ उड़ीसाके दो लोगोंमे से किसी एकको भेजनेमे कोई हर्ज नही है।

महादेव कलकत्ता गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७०) से।

२४०. पत्र : गंगाबहन झवेरीको

६ फरवरी, १९३५

चि० गंगाबहन (झवेरी)

मै तुम्हारा पत्र मिलनेकी राह देख ही रहा था। विद्यार्थीकी तरह रहती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे श्रमसे नवीन और महेशको बड़ा लाभ पहुँचेगा।

समयके साथ दोनो भाई खूब अच्छे बन जायेंगे। तुम कुछ बरसोतक वहाँसे मत हिलना। जी-भरकर पढ़ना-लिखना। शरीर सुधारना। जीवनमें सादगी कभी मत छोड़ना। कताई-यज्ञ तो चलता ही होगा। जहाँतक हो सके, गाँवोमें बनी चीजें ही काममे लाना। आहार-विहारके नियमोंका दृढ़तासे पालन करके शरीर सुधारना। बीच-बीचमें पत्र लिखती रहना। महेशसे कहना पत्र लिखे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१२०) से।

२४१. पत्र : अमतुस्सलामको

६ फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुल सलाम,[1]

तुमारा खत मिला। बायें हाथसे लिखनेमें बहुत देर लगती है इसलिये इसे लिखवा रहा हूं। तुमको मैं क्या सलाह दू? जिससे तुम्हारा चित्तको शांति मिले वही करो, और वही मुझे पसद होगा। शर्माका खत आया है, वह इसके साथ रखता हूं। वह तुम्हारे साथ रहे तो मुझे कोई एतराज नही है। मैं हुकम नही करूंगा। न ऐसी आवश्यकता महसूस करता हू। हरिजन महल्लोमें रहो, सो तो मुझे अच्छा लगेगा ही। पतियालामें भाईके साथ रहकर कुत्स्याकी सेवा करेगी तो भी अच्छा है। अम्बालेमें स्वामीके[2] साथ रहकर तन्दुरस्त हो जाये और शरीरकी रक्षा करती हुई जो मिले वह सेवा भी करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ-साथ जो चाचाजाद भाई रहता है उसकी भी कुछ सेवा करेगी, इतना याद रखो कि जिसको सेवा ही करना है उसके लिये सारा जगत क्षेत्र है। जहां जो सेवा मिल गई, उसे खुदाकी नियामत समझकर करें। अब तुम्हारे एक निश्चयपर आ जाना चाहिये,

१. सम्बोधन और हस्ताक्षर उर्दूमें हैं।

२. अमतुस्सलामके भाईके मित्र स्वामी उमाप्रसाद।

और किसी स्थान पर बैठ जाना चाहिये। तारावतीके हरफ अच्छे हैं। उसके शादीके वख्तपर मेरा आशीर्वाद जरूर भेज देना। इसके पहले मैंने पतियालेके सिरनामे कार्ड भेजा है, वह मिला होगा।

बापूकी दुआ

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१४)से।

२४२. तार : जमनालाल बजाजको

वर्धा
७ फरवरी, १९३५

श्री जमनालालजी,
बम्बई।

अगर तुम पूरी तरह आश्वस्त हो, तो बैंकका प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हो।

बापू

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० १५२

२४३. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हे मैं अधिक नही लिखूंगा। मैं तुम्हारे पश्चिमी आफ्रिकाके कार्यक्रमका पूरा समर्थन करता हूँ।

तुमने मुझसे किसी प्रकारका निश्चित वचन नही माँगा है। फिर भी तुम मुझसे यह उम्मीद तो रख ही सकते हो कि जबतक लाचार नही हो जाता, मैं जेल जानेकी कोशिश न करूँगा। वैसे 'जेल जानेकी कोशिश' इन शब्दोसे मेरा आशय व्यक्त नही हो पाता। जेल तो जबर्दस्ती मुझपर थोपी जायेगी। जिस बातकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जिसकी कोशिश मैं जारी रखूंगा, वह है जेल न जाना। मैं इस आशंकाको तबतक दूर नही कर सकता जबतक मैं किसी तरहकी जल्दबाजी न करूँ अथवा बिलकुल ही चुप न बैठ जाऊँ। मैंने यह जाननेकी कोई कोशिश नही की कि सरकार कौन-सा विकल्प चुनने जा रही है। मैं धीरजसे काम

ले रहा हूँ। इस बीच तो मैं अपने और सरकारके बीच किसी भी प्रकारके संघर्षको टालनेके लिए विशेष सावधानी बरत रहा हूँ। इसलिए इस सम्बन्धमें मनपर कोई भी बोझ लिये बिना तुम निश्चिन्त होकर प० आफ्रिका जा सकते हो।

मुझे खुशी हुई कि रेडियोपर प्रसारित तुम्हारे विचारों[1] का इतना स्वागत हुआ है। और सब खबरें तुम्हें यहाँ से महादेव तथा दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखे नियमित पत्रोंसे मिलती ही रहेंगी।

स्नेह।

मोहन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२९७) से।

२४४. पत्र : एस० गणेशनको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय गणेशन,

तुम तो एकदम व्यवहार-कुशल नहीं हो। जो बात तुम चार पंक्तियोंमें लिख सकते थे, उसके लिए तुमने मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। और उसपर भी मैंने अपने पत्रमें जो एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया था उसका तुमने उत्तर ही नहीं दिया। यह कार खरीदनेकी बात क्या है? क्या तुम अब उसका उत्तर दोगे?

अपनी इच्छाके विरुद्ध तुम अपने अखबारका प्रकाशन बंद करो, इस बातका दोषी मैं नहीं बनूँगा। मैं तो महज यही कह सकता हूँ कि कोदम्बक्कम ही काफी है। और किसीके लिए जगह नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारा विचार इसके विपरीत है तो तुम अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हो, और उसका परिणाम भुगत सकते हो। मैं तुमसे तुम्हारी पहलकदमी छीनना नहीं चाहता और न तुमपर कोई ऐसा सहकर्मी ही थोपना चाहता हूँ जो तुम्हें पसन्द न हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह नहीं चाहोगे कि दूसरे लोग वह काम करें जो तुम स्वयं उनके कहनेपर नहीं करोगे। क्या पारस्परिकतामें तुम्हारा विश्वास नहीं है?

श्री एस० गणेशन
मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. जनवरी मासमें बी० बी० सी० के अपने प्रसारणमें सी० एफ० एन्ड्रयूजने संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टकी कड़ी आलोचना की थी।

२४५. पत्र : एडिथ होवे-मार्टिनको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय बहन,

तुम्हारा पत्र मुझे अभी-अभी मिला है। मैं कल (८ तारीखको) तुम्हारे साथ शाम ६ से ७ बजे तक टहल सकता हूँ। ९ तारीखको मैं व्यस्त रहूँगा। १० तारीख को मुझे पुन: उसी समय टहलनेके लिए फुर्सत रहेगी। ९ तारीखको तुम मेरे साथ ६-१५ तक टहल सकती हो। ६-३० से ७-३० बजे तक मुझे एक निजी मन्दिरके वार्षिकोत्सवमें भाग लेना है। वह मन्दिर हरिजनोंके लिए खुला है। ७-३० बजेके बाद हम फिर टहल सकते हैं। ११ तारीखको तुम्हें मद्रास पहुँचना है। इसका अर्थ शायद यह है कि हम केवल कल और परसों ही टहल सकते हैं। परन्तु मैंने तुम्हें तीन दिनका कार्यक्रम बता दिया है। जो भी दिन तुम्हे पसन्द हो, चुन सकती हो।

श्रीमती एडिथ होवे-मार्टिन
मार्फत : डॉ० मार्टिन
म्योर अस्पताल
नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२४६. पत्र : एस० जे० दुरैसामीको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मेरा सदेश यह है :

ईसाई, मुसलमान, हिन्दू, पारसी और यहूदी विद्यार्थियोंकी भिन्नताकी बात सुनते-सुनते मैं अब ऊब गया हूँ। मैं इन जातियोंकी भिन्नताको कभी समझ नही सका। अच्छे विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी, खराब विद्यार्थी, मद विद्यार्थी आदि से तो मैं परिचित हूँ। उनके वर्गकी छाप उनके तौर-तरीको और उनकी बोलीमे रहती है, परन्तु मुसलमान विद्यार्थी और ईसाई विद्यार्थीकी पहचान करनेमे मैं प्राय: असफल रहा हूँ। आपके पाठकोंको यह दुर्लभ अवसर मिला है कि वे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग

संघकी गतिविधियोंमें भाग लेकर भारतके गाँवोंमें बसनेवाली भारतीय जनता के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,

श्री एस० जे० दुरैसामी
वाई० एम० सी० ए०, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२४७. पत्र : डॉ० एन० बी० खरेको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० खरे,

आपका पत्र मिला। मुझे मालूम था कि आप दिल्ली आ रहे हैं और मुझे लगा था कि हम एक-दूसरेसे बिना मिले ही पाससे गुजर जायेंगे।

मैंने कानिटकरको[1] एक संदेश भेजा था। उसकी शिकायत है कि वह बहुत ही संक्षिप्त है। उसे मालूम नहीं कि रोजके नियमित कार्योंके अलावा और कोई काम करनेके लिए मेरे पास कितना कम समय है। यदि मैं नागपुर गया तो निश्चय ही प्रस्तावित स्मारककी चर्चा करूँगा।

हृदयसे आपका,

डॉ० एन० बी० खरे, सदस्य, विधान-सभा
३, इलैक्ट्रिक लेन
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए "पत्र : 'निस्पृह' के सम्पादकको", पृ० १५४।

२४८. पत्र : गणनाथ सेनको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय कविराज,

क्या आप साथमें भेजी जा रही प्रश्नावलीके उत्तर आयुर्वेदके अनुसार दे सकते हैं और उनकी आधुनिक चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार व्याख्या कर सकते हैं?

हृदयसे आपका,

सलग्न : १

कविराज गणनाथ सेन
आयुर्वेदिक अस्पताल
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

२४९. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय ठक्कर बापा,

थार-पार्करके पास काफी धन नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं था।[1] बल्कि प्रताप दियालदासकी इस इच्छाको पूरा करना था कि यह पैसा थार-पार्कर पर ही खर्च किया जाये। इसलिए आपको खातोंमें केवल यह परिवर्तन करना है कि उनकी यह थोड़ी-सी राशि थार-पार्करके नाम चढ़ानी है तथा उसके बराबर धन आम-कोषमें डाल देना है।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए "पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको", पृ० १५९।

२५०. एक पत्र

७ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

पिछले २७ दिसम्बरकी तुम्हारी लम्बी टिप्पणी मैंने अब पढी। क्या आप अभी भी ऐसी भेडे पाल रहे हैं जिनसे उतना ऊन प्राप्त हो जाता है जितना कि आपने बतलाया था? यदि ऐसा हो तो मैं चाहूँगा कि आप सेठ घनश्यामदास बिड़ला, अलबुकर्क रोड, नई दिल्लीसे पत्र-व्यवहार करिये, क्योंकि वे इसी विषयमे प्रयोग कर रहे हैं।

आप मेरे साथ विचार-विमर्श करना चाहते हैं, तो इस महीनेके अन्दर सोमवारके अलावा किसी दिन भी वर्धा आ सकते हैं। यदि आप वर्धा आये तो जिस दिन आप आ रहे हो मुझे पहलेसे उसकी सूचना दे दे।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

२५१. पत्र: खुर्शीदबहनको

७ फरवरी, १९३५

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले। मैं दाहिने हाथको आराम दे रहा हूँ। मैं बाये हाथसे लिख सकता हूँ, किन्तु काम धीरे होता है। इसलिए, आजकी डाकमे भेजनेके लिए यह पत्र बोलकर लिखा रहा हूँ।

अपने दोनो पत्रोमे तुमने जो भी विचार प्रगट किये हैं, उनसे मैं सर्वथा सहमत हूँ। मैं पूरी तरहसे स्वीकार करता हूँ कि आदर्श अवस्थामे विचार और कार्यमे पूर्ण अनुरूपता होनी चाहिए। केवल तभी यह सम्भव है। कि सत्यके साक्षात् दर्शन किये जा सके।

अमतुल सलाम पटियालामे है। वह अपने मनके कारण ही दुखी है।

मैं चाहता हूँ कि अण्डोके प्रति अपनी आपत्ति तुम छोड दो। मेरा खयाल है कि मैंने तुमसे कहा था कि अब निर्बीज अण्डे प्राप्त किये जा सकते हैं।

ये सागली, सालवेशन डिपो बम्बई, पूनामे किसी स्थानसे और अहमदाबादमे सालवेशन डिपोसे प्राप्त हो सकते हैं। ये अण्डे मुर्गियोसे सीधे मिल जाते हैं, उन्हे सहवासकी क्रियासे नही गुजरना पड़ता। आध्यात्मिक दृष्टिसे दैनिक खाद्यकी वस्तुके

रूपमें इन्हें ग्रहण करना शायद आपत्तिजनक होगा। किन्तु चिकित्साके साधनके रूपमें निर्बीज अण्डेपर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।

शायद तुम्हें मालूम होगा कि कमलाकी तबीयत फिरसे बिगड़ गई और पिछले सप्ताह उसका वजन २ पौंड कम हो गया।

श्री खुर्शीदबहन
७८, नेपियन सी रोड
बम्बई

-अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

२५२. पत्र: जी० एस० नरसिंहाचारीको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय नरसिंहाचारी,

पिछले मासकी ३० तारीखका आपका पत्र मिला। इस विषयमें मैं आपकी बहुत कम सहायता कर सकता हूँ। आप सदस्य महोदयको स्वयं ही लिखें। इस मामलेमें प्रोफेसर रंगा मुझसे मिले थे। उन्होंने मेरी कठिनाई समझी थी।

हृदयसे आपका,

श्री जी० एस० नरसिंहाचारी
मार्फत: उपकुलपति
आंध्र विश्वविद्यालय, वॉल्टेयर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य · प्यारेलाल।

२५३. पत्र : डी० एन० शर्माको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय शर्मा,

मुझे आपका पत्र मिला, और उसके साथ सलग्न मोडिनोके उपचारके बारेमे लोगो की राये भी। मै इन रायोका उपयुक्त उपयोग करूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री डी० एन० शर्मा
मत्री
हरिजन-सेवक सघ, जोरहाट (आसाम)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२५४. पत्र : फिरोज गांधीको

७ फरवरी, १९३५

प्रिय फिरोज,

इस मासकी २ तारीखका तुम्हारा पोस्टकार्ड कुछ अशांत करनेवाला है। कमला का वजन इतना नही है कि अब और कम हो सके। फिर भी मै सोचता हूँ कि स्वास्थ्य-लाभकी अवस्थामें ये उतार-चढाव चलते रहेगे।

क्या तुम्हे जैसे फल और सब्जियाँ चाहिए, वैसे मिल जाते है?

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२५५. पत्र : एस० अम्बुजम्मालको

वर्धा
७ फरवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

मुझे तुम्हारा हिन्दी पत्र मिला जो काफी अच्छा लिखा है। आशा है, कृष्णस्वामी के बारेमें मेरा पत्र, जिसे अनुप्रेषित किया गया था, तुम्हें मिल गया होगा। तुम्हें उसके साथ खूब खुश रहना चाहिए और अपनी खुशीसे उसे खुश बना देना चाहिए। उसे किसी ऐसे काममें लगाओ जो वह पसन्द करे।

वसुमती आज यहाँ आ जायेगी। जब तुम उसका स्वागत करनेको तैयार हो जाओ, मुझे बता देना। मैंने तुम्हें बताया है कि जो तीन लड़कियाँ यहाँ हैं, वे मद्रास नहीं जायेंगी। इधर हालमें उन्होंने हिन्दीमें अच्छी प्रगति की है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात, सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

२५६. पत्र : नारणदास गांधीको

७ फरवरी, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। साथमें हरिलालके लिए पत्र है, उसे पढ़ लेना। यदि तुम्हें यह स्वीकार हो कि वह मेरे पास आये तो यह पत्र उसे दे देना। और यदि वह राजी हो तो उसे रवाना कर देना। सम्भव है कि वह अब मेरे पास रहकर ज्यादा सुधरे।

आशा है, गोकीबहन ठीक होगी।

प्रेमाकी ओरसे आया हुआ पत्र इसके साथ है। लीलावती कैसी है? कुसुमका स्वास्थ्य कैसा रहता है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४२९ से भी, सौजन्य: नारणदास गांधी।

१. यह हिन्दीमें है।

२५७. पत्र : राजेन्द्र प्रसादको

७ फरवरी, १९३५

भाई राजेन्द्र बाबू,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुमने लिखा है इसी प्रकारका समझौता हो सके तो मुझे प्रिय लगे। होनेका सभव मुझे कम लगता है। लेकिन प्रयत्न तो करे। छपरेमे जो काम करना था वह हो गया?

महादेव कलकत्ता गया है। ९ तकमे वापीस आ जायगा।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९७४५ से; सौजन्य. राजेन्द्रप्रसाद।

२५८. टिप्पणी[1]

[७ फवररी, १९३५ या उसके पश्चात्]

राजको चप्पल भेजनेकी कोई जरूरत नही है यहा से मिल जायगा। तुमारे ज्योतिप्रसादके मातेहत कोई देहातमे रहना अच्छा होगा।

बापु

जी० एन० ६६३१ की फोटो-नकल से। सी० डब्ल्यू० ४२७९ से भी; सौजन्य: चन्द त्यागी।

२५९. घोर अज्ञान[2]

एक हरिजन-सेवक लिखते हैं.

२५-१२-३४ को जयपुर-राज्य सम्मेलनके साथ एक मकानकी पहली मंजिलपर प्रदर्शनीकी दुकान लगाई गई थी, उसपर एक हरिजन लड़का कपड़ा बेचनेको बरांडेमें बैठा था। बरांड़ेके नीचे चौकमें सभा की गई थी, जिसमें कि गाँवके सवर्ण लोग भी थे। उसे देखकर यहाँके सवर्ण हिन्दू इसलिए

१. चन्द त्यागीकी विधवा पुत्रवधू राजकिशोरीके भाईको लिखी गई यह टिप्पणी उस पत्रपर थी जो राजकिशोरीने अपने भाईको ७ फरवरी, १९३५ को लिखा था।

२. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

बिगड़ गये कि एक हरिजन लड़केको ऊपर क्यों बैठने दिया, और सवर्ण लोगोंने मन्दिरमें पंचायत की और यह निश्चय किया कि:

(१) खादी-प्रदर्शनी और सम्मेलनमें गाँवका कोई भी मनुष्य न जाये। अगर जायेगा तो वह जाति-बाहर कर दिया जायेगा।

(२) कन्या पाठशालामें लड़कियाँ पढ़ने न जायें, क्योंकि पाठशालाका सम्बन्ध सम्मेलनवाले लोगोंसे है।

(३) हरिजन-पाठशालाके अध्यापकोंको कोई अपने मकानमें न आने दे।

पंचायतकी इतनी सख्ती होनेपर भी गाँवके कोई २८ युवकोंने सम्मेलनके कार्यमें भाग लिया; और जब पंचायतने उनपर एक-एक रुपया जुर्माना किया, तो उन्होंने जुर्माना देनेसे इनकार कर दिया।

सम्मेलनकी रसोईमें करीब तीन-चार सौ मनुष्य एक-साथ जीमते थे। जबसे लोगोंने यह बात सुनी है, तबसे शोर मचा है कि 'धर्म डुबा दिया, धर्म डुबा दिया।'

कट्टर लोगोंके इस वर्तावमें सिवा हमारे घोर अज्ञानके और तो कुछ दिखाई नही देता। यदि मनुष्य-मनुष्यके बीच यह ऊँच-नीचका भाव दूर न हुआ तो धर्मका नाश ही समझिये। सवर्णोंके बहिष्कारसे लोग नही डरे, यह एक शुभ चिह्न मालूम होता है। जिन्होने बहिष्कार किया है उनके ऊपर किसी भी प्रकारका क्रोध न किया जाये। साथ ही इस बहिष्कारसे डरकर कोई अपना कर्त्तव्य न छोडे। सुधारकोको धैर्यपूर्वक मौन दृढ संकल्पके साथ और क्रोध एवं भयरहित होकर अपने काममे लगे रहना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-२-१९३५

२६०. आरम्भ कैसे करें? – ३

आहारकी कुछ खास-खास चीजोका जिक्र मैं कर चुका हूँ और यह बतला चुका हूँ कि गाँववालोके स्वास्थ्य एवं सम्पत्तिमे उनका कितना महत्वपूर्ण हाथ है। लेकिन, इसके साथ ही, सफाई और स्वास्थ्य-रक्षाके प्रश्न भी उतना ही महत्व रखते हैं। अगर इनपर समुचित ध्यान दिया जाये तो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे, स्वास्थ्य, शक्ति और सम्पत्तिकी वृद्धि होती है।

कुछ विदेशी लेखकोने जाँच-पड़ताल करके बतलाया है कि व्यक्तिगत सफाईके पालनमे भूमण्डलके सब देशोमे हिन्दुस्तानका नम्बर शायद सबसे पहला है। मगर यही बात हमारी सामूहिक या, दूसरे शब्दोमे, गाँवोकी स्वच्छताके बारेमे नही कही जा सकती। दूसरे शब्दोमे कहा जाये तो मैं कहूँगा कि इस दिशामे हम पारिवारिक हितसे ज्यादा आगे नही बढे है। परिवारके लिए तो हम बडीसे-बडी

चीजका भी बलिदान कर देंगे, लेकिन गाँवके लिए, यानी एक अर्थमें राष्ट्रके लिए वैसा ही करनेके लिए तत्परता नहीं दिखायेंगे।

लोग अपने खुदके घरको तो साफ-सुथरा रखेंगे, लेकिन पड़ोसीके घरकी सफाईमें कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। वे अपने घरके आँगनको कूड़ा-कर्कट, कीड़े-मकोड़ों और जीव-जन्तुओंसे बचायेंगे, किन्तु इन सबको पड़ोसीके आँगनमें फेंक देनेमें उन्हें संकोच नहीं होगा। सामूहिक जिम्मेदारीके इस अभावका नतीजा यह हुआ है कि हमारे गाँव कूड़ेके ढेर बन गये हैं। हालाँकि हमारे देशमें मुख्यत. नंगे पाँव चलनेका रिवाज है, फिर भी हमारे बाजार और हमारी सड़कें इतनी गन्दी रहती हैं कि किसी भी समझदार व्यक्तिको उनपर नंगे पाँव चलते हुए दु.ख हुए बिना नहीं रहेगा। गाँवके कुओं, तालाबों और नदियोंसे साफ और पीने-लायक पानी मिलना भी कठिन हैं। आपको किसी भी साधारण गाँवमें प्रवेश करते हुए मार्ग कचरे तथा गोबरसे भरे मिलेंगे।

गाँवोंकी सफाईका कार्य ही शायद अ० भा० ग्रामोद्योग सघके सामने सबसे कठिन कार्य है। आम जनताका हार्दिक सहयोग प्राप्त किये बिना कोई भी सरकार जनताकी आदतोंको नहीं सुधार सकती। लेकिन अगर जनताका सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो फिर सरकारके करनेके लिए बहुत थोड़ा कार्य बच रहता है।

अगर पढ़े-लिखे लोग – वैद्य, डॉक्टर और विद्यार्थी – लगनके साथ, बुद्धि तथा सतर्कतापूर्वक और नियमित रूपसे गाँवोंमें कार्य करने लग जायें तो वे इस समस्याको सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। शिक्षाकी शुरूआत ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य-रक्षाका खयाल रखना है।

गाँवोंमें जहाँ-जहाँ कूड़ा-कर्कट तथा गोबरके ढेर हों, वहाँ-वहाँसे उनको हटाया जाये और कुओं और तालाबोंकी सफाई की जाये। अगर कार्यकर्त्ता वेतन पानेवाले भंगियोंकी भाँति खुद रोजमर्रा सफाईका कार्य करना शुरू कर दें और साथ ही गाँववालोंको यह भी बतलाते रहें कि उनसे सफाईके कार्यमें शरीक होनेकी आशा रखी जाती है, ताकि आगे चलकर अन्तमें सारा काम गाँववाले स्वयं करने लग जायें, तो यह निश्चय है कि आगे-पीछे गाँववाले सहयोग अवश्य देने लगेंगे। दक्षिण आफ्रिका, चम्पारन और यहाँतक कि उड़ीसाके पिछले वर्षके जल्दीमें किये गये पैदल-भ्रमणमें मुझको तो कमसे-कम ऐसा ही अनुभव हुआ है।

बाजार तथा गलियोंको, सब प्रकारका कूड़ा-कर्कट हटाकर, स्वच्छ कर डालना चाहिए। उसमें से कुछ कचरेका गाड़कर खाद बनाया जा सकता है। जो इस दृष्टिसे अनुपयोगी हो, उसे जमीनमें बस गाड़ देना-भर होगा, और कचरेका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो सीधा सम्पत्तिके रूपमें परिणत किया जा सकेगा। वहाँ मिली हुई प्रत्येक हड्डी एक बहुमूल्य कच्चा माल होगी जिससे बहुत-सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकेंगी या जिसे पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा। कपड़ेके फटे-पुराने चिथड़ों तथा रद्दी कागजोंसे कागज बनाये जा सकते हैं और इकट्ठा किया हुआ मल-मूत्र गाँवके खेतोंके लिए स्वर्णमय खादका काम देगा। मल-मूत्रको उपयोगी

बनानेके लिए यह करना चाहिए कि उसके साथ—चाहे वह सूखा हो चाहे तरल—मिट्टी मिलाकर उसे ज्यादासे-ज्यादा एक फुट गहरा गड्ढा खोदकर जमीनमें गाड़ दिया जाये। गाँवोंकी स्वास्थ्य-रक्षा पर लिखी हुई अपनी पुस्तकमें डॉ० पूरे कहते हैं कि जमीनमें मल-मूत्रको नौ या बारह इंचसे अधिक गहरा नहीं गाड़ना चाहिए (मैं यह बात केवल स्मृतिके आधारपर लिख रहा हूँ)। उनकी मान्यता है कि जमीनकी ऊपरी सतह सूक्ष्म जीवोंसे परिपूर्ण होती है और हवा एवं रोशनीकी सहायतासे—जोकि आसानीसे वहाँतक पहुँच जाती है—ये जीव मल-मूत्रको एक हफ्तेके अन्दर-अन्दर एक अच्छी, मुलायम और सुगन्धित मिट्टीमें बदल देते हैं। कोई भी ग्रामवासी स्वयं इस बातकी सच्चाईका पता लगा सकता है। यह कार्य दो प्रकारसे किया जा सकता है। या तो पाखाने बनाकर उनमें शौच जानेके लिए मिट्टी तथा लोहेकी बाल्टियाँ रख दी जायें और फिर प्रतिदिन उन बाल्टियोंको पहलेसे तैयार की हुई जमीनमें खाली करके ऊपरसे मिट्टी डाल दी जाये, या फिर जमीनमें चौरस गड्ढा खोदकर सीधा उसीमें मल-मूत्रका त्याग करके ऊपरसे मिट्टी डाल दी जाये। यह मल-मूत्र देहातके सामूहिक या व्यक्तिगत खेतोंमें गाड़ा जा सकता है, लेकिन यह सम्भव तभी है जब गाँववाले सहयोग दें। कोई भी उद्योगी ग्रामवासी कमसे-कम इतना काम तो खुद भी कर सकता है कि मल-मूत्रको एकत्र करके उससे अपने लिए कीमती खाद बना लें। आजकल तो लाखों रुपयोंकी कीमतका यह सारा खाद व्यर्थ जाता है, और हवाको गन्दा करता तथा बीमारियाँ फैलाता रहता है।

गाँवोंके तालाबोंका उपयोग सारे स्त्री-पुरुष स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनानेके कामोंमें करते हैं। बहुतसे गाँवोंके तालाबोंका उपयोग पशुओंके नहलाने-धुलानेके काममें भी किया जाता है। बहुधा उनमें भैंसे बैठी हुई पाई जाती है। आश्चर्य तो यह है कि तालाबोंका इतना जबर्दस्त दुरुपयोग होते रहनेपर भी महामारियोंसे गाँवोंका नाश अबतक क्यों नहीं हुआ? यह सभी डॉक्टर मानते हैं कि गाँववालोंकी बहुत-सी बीमारियोंका कारण पानीकी सफाईके सम्बन्धमें उनकी उपेक्षा-वृत्ति ही है।

इस प्रकारका सेवा-कार्य शिक्षाप्रद होनेके साथ-साथ बहुत सुखकर भी है, और इसमें भारतवर्षके पीड़ित जन-समाजका ऐसा कल्याण निहित है जिसे कहकर नहीं बताया जा सकता। मुझे आशा है कि इस समस्याको सुलझानेके तरीकेका मैंने ऊपर जो वर्णन किया है उससे इतना तो साफ हो गया होगा कि अगर ऐसे उत्साही कार्यकर्त्ता मिल जायें जो झाड़ू और फावडे को भी उसी तरह आराम और गर्वके साथ हाथमें ले लें जिस तरह कि कलम और पेंसिलको लेते हैं, तो इस कार्यमें खर्चका कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अगर किसी खर्चकी जरूरत पड़ेगी भी तो वह केवल झाड़ू, फावड़ा, टोकरी, कुदाल और शायद कुछ कीटाणुनाशक दवाइयाँ खरीदने तक ही सीमित रहेगी। सूखी राख सम्भवत उतनी ही अच्छी कीटाणुनाशक दवा है जैसी कि कोई रसायनशास्त्री सुझा सकता है। लेकिन उदार रसायनशास्त्री हमको

यह बतलानेकी कृपा करे कि गाँवके लिए सबसे सस्ती और कारगर कीटाणुनाशक ऐसी कौन-सी चीज है जिसे गाँववाले स्वय अपने गाँवोमें बना सकते है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-२-१९३५

२६१. पत्र : न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शल एजूकेशन सोसाइटीके मंत्रीको

वर्धा

८ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हरिजनो और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी गतिविधियोके बारेमे आप पूनाके श्री हरिभाऊ जी० फाटकसे बातचीत करे, जो इस विषयमे अच्छी जानकारी रखते है। उनका पता है: हरिभाऊ जी० फाटक, पॉयनियर डाइंग हाउस, ६२५, सदाशिव पेठ, पूना – २।

हृदयसे आपका,

मत्री,

दि न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शल एजूकेशन सोसाइटी,

९९, लक्ष्मी रोड, पूना

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल

२६२. पत्र : हरिभाऊ जी० फाटकको

८ फरवरी, १९३५

प्रिय हरिभाऊ,

न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शल एजूकेशन सोसाइटी और मेरे बीच जो पत्र-व्यवहार[1] हुआ, वह इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। यदि इसके मंत्री आपको लिखे तो आप जो भी आवश्यक हो, कीजिएगा।

मुझे आपका वह पत्र मिला जिसके साथ डॉक्टर सहस्रबुद्धेका पत्र और गायके दूध और भैसके दूधके तुलनात्मक अध्ययनपर डॉ० आप्टेकी विस्तृत राय संलग्न है। मै इन दोनोका उपयोग करूँगा।[2] मैं डॉक्टर आप्टेको लिख रहा हूँ।[3]

१. गांधीजीके पत्रके लिए देखिए पिछला शीर्षक तथा "पत्र : न्यू इण्डस्ट्रियल एण्ड कमर्शल एजूकेशन सोसाइटीके मन्त्रीको", पृ० १५२ भी।

२. देखिए "गायका बनाम भैसका दूध", २२-२-१९३५।

३. देखिए अगला शीर्षक।

मुझे आशा है कि आपको मेरा वह पत्र मिल चुका होगा जिसमें मैंने चावलके सम्बन्धमें आपको पूरा स्पष्टीकरण दिया था। शंकरलाल बैंकरने, जो बिना पालिशके चावलका प्रयोग आरम्भ कर चुके हैं, अपने प्रयोगोका बहुत उपयोगी विवरण भेजा है। उससे मेरी उस बातका समर्थन होता है जो मैंने आपसे कही है और जिसे आप 'हरिजन'[1] मे उचित समयपर देखेंगे।

श्री हरिभाऊ जी० फाटक
पूना

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२६३. पत्र : डॉ० एन० जी० आप्टेको

८ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० आप्टे,

हरिभाऊ फाटकने मुझे गाय और भैंसके दूधके बारेमे आपके तुलनात्मक अध्ययन की एक प्रति भेजी है जो मेरे लए बहुत उपयोगी होगी। मै सोचता हूँ कि आपने जो प्रयोग सुझाये हैं उन्हे मै अपने ऐसे दोस्तो पर करूँ जिन्हे गाय या भैसका दूध लेनेमे कोई हिचकिचाहट नही है और उनके अनुभव दर्ज करूँ।

हरिभाऊ कह रहे है कि आपने मुझे इस विषयकी दो पुस्तके भेजी है। इसके लिए भी आपको धन्यवाद। यहाँ पहुँचने पर मैं इन पुस्तकोका सदुपयोग करूँगा।

हृदयसे आपका,

डॉ० आप्टे
उपाध्यक्ष
गोपालक संघ, शोलापुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

१. यह "चावलके बारेमें" शीर्षकके अन्तर्गत १५-२-१९३५ के हरिजनमें प्रकाशित हुआ था।

२६४. पत्र : डॉ० जवाहरलालको

८ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० जवाहरलाल,

आपका पत्र व उसके साथ अगनू चमारके बारेमे हुए पत्र-व्यवहारकी प्रतियाँ मिली। मैं इस दिशामे आगे प्रगतिकी सूचनाकी प्रतीक्षा करूँगा।

हृदयसे आपका,

डॉ० जवाहरलाल
सिविल लाइन्स
कानपुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२६५. पत्र : एडॉल्फ मायर्जको

वर्धा
९ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपकी पत्रिकाकी प्रति मैं अपने पास रखूँगा। पर समयाभावके कारण मेरे लिए आपको और कुछ लिखना असम्भव है।

हृदयसे आपका,

एडॉल्फ मायर्ज, महोदय
सम्पादक, 'स्वोर्ड्स एण्ड प्लोशेअर्स'
मार्फत: टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२६६. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

९ फरवरी, १९३५

प्रिय सतीशबाबू,

बहुत दिनोसे आपका कोई पत्र नही मिला। यह पत्र मै आपको यह बतलानेके लिए लिख रहा हूँ कि कामका बहुत बोझ होनेपर भी आपकी पुस्तककी दो फाइलोको रोज-रोज देखते रहना और फिर भी उन्हे न पढना आखिर मेरे लिए सम्भव न रहा। इसीलिए मैने पहला भाग लिया है और जबतक यह समाप्त नही हो जाता, पूरी निष्ठासे अपना कुछ समय इसमे लगाता रहूँगा। दुबारा न पढा जानेके कारण इसमे अनेक गलतियाँ रह गई है। समयाभावके कारण मै उन सभीको तो ठीक नही करूँगा, क्योकि उसके लिए बहुत समय चाहिए, परन्तु जो कम समयमे ठीक की जा सकती है उन्हे ठीक कर दूँगा। मै 'हरिजन' मे एक प्रश्न-स्तम्भ शुरू करना चाहता हूँ, बशर्ते कि आप या आपका सहायक नियमित रूपसे उन प्रश्नोका उत्तर देते रहे। आप प्रश्न खुद भी बना सकते है, जैसे कि कच्चे सोडे व कच्चे तेलसे साबुन कैसे बनाया जा सकता है। गाँवमे उपलब्ध तेलको आप किस प्रकार पैराफिनके विकल्पके रूपमे इस्तेमाल कर सकते है? गाँवोमे उपलब्ध सामग्रीसे किस प्रकार अच्छी टिकाऊ स्याही बनाई जा सकती है? जैसे-जैसे कार्य आगे बढेगा ऐसे अनेक प्रश्न उठेगे।

स्नेह।

बापू

श्री सतीशचन्द्र दासगुप्त
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य · प्यारेलाल।

२६७. पत्र : सेर्मा जी० शाप्लेको

९ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

इसी महीनेकी ६ तारीखका आपका पत्र मिला। जब भी आप आ सकें, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी।

हृदयसे आपका,

श्रीमती सेर्मा जी० शाप्ले
मार्फत : अमेरिकन एक्सप्रेस कं०
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२६८. पत्र : प्रकाशचन्द्र मेहताको

९ फरवरी, १९३५

प्रिय प्रकाश[1] चन्द्र,

मुझे पहले आपका तार और फिर पत्र मिला। तो आपने अन्तिम निर्णय ले लिया है। आप जितनी जल्दी आ सकें आ सकते हैं। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा। इसलिए यदि काली बाबू आपको शीघ्र कार्यमुक्त कर दें तो आप तुरन्त आ जाइये जिससे कि मैं अभी, जबकि हम कामकी ठीक व्यवस्था कर रहे हैं, आपको आपका काम सौंप सकूँ। लेकिन यदि आपको शीघ्र कार्यमुक्त करना 'ट्रिब्यून' कार्यालयके लिए असुविधाजनक हो, तो मैं आपके अभी यहाँ आनेकी बात नहीं सोचूँगा।

हृदयसे आपका,

श्री प्रकाश[2] चन्द्र मेहता
मार्फत : 'ट्रिब्यून', लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

१ और २. साधन-सूत्रमें 'अप्रकाश' दिया है, जो गलत मालूम पड़ता है।

२६९. पत्र : अब्दुल अलीमको

९ फरवरी, १९३५

प्रिय अब्दुल अलीम,

गत १२ दिसम्बरका आपका पत्र मुझे उन पत्रोकी फाइलमे दबा मिला जो सतीशबाबू मेरे पढनेके लिए छोड गये थे। फाइल खोलनेपर आपका पत्र मिला। आशा करता हूँ कि अवतक अकालका प्रकोप कम हो गया होगा।

यद्यपि आप कहते है कि आम तौरपर अस्वस्थ शरीरमे स्वस्थ मनका निवास नही होता, पर प्राय. देखा जाता है कि शरीरपर मनकी जीत होती है और शरीरके अस्वस्थ होनेपर भी मन स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको पूरी तरह प्रयत्न करके अपने रुग्ण शरीरपर विजय प्राप्त करनी है और तब हो सकता है कि आपका शरीर भी मनकी ही भाँति स्वस्थ हो जाये। किन्तु चाहे ऐसा हो या न हो, पर आपका मन तो स्वतन्त्र हो जायेगा।

मुझे खुशी हे कि सतीशवावू आपको एक अर्ध-साप्ताहिक पत्र नियमित रूपसे भेज रहे हैं।

हृदयसे आपका,

श्री अब्दुल अलीम
हाजी विला, कमौरा
तालशहर तिप्परा

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२७०. पत्र : जुगतराम दवेको

९ फरवरी, १९३५

भाई जुगतराम,

जहाँ सरदार अध्यक्षता कर रहे हों वहाँ मेरे सन्देश[1] भेजनेकी क्या आवश्यकता? आप तो उनके वहाँ रहते हुए भी सन्देश माँग रहे हैं और पानेकी आशा करते हैं! तो रानीपरज लोगोको वता दीजिए कि उनका निर्वाह शहरोसे नही होता, बल्कि शहरोका निर्वाह उनके बलपर होता है। यदि रानीपरज लोगोको अपने आत्मगौरवकी रक्षा करनी हो तो उन्हे अपनी सारी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करनी

१. १९ फरवरी, १९३५ को होनेवाले आठवें रानीपरज सम्मेलनके लिए।

चाहिए और स्वावलम्बी बनना चाहिए। जो हम अपने गाँवमे नही बना पाते, उसकी आवश्यकता भी कदाचित् ही पड़ती है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, ३-३-१९३५

२७१. पत्र : ताराबहन ना० मशरूवालाको

९ फरवरी, १९३५

चि० तारा,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मै जिम्मेवारी लेनेकी तुम्हारी झिझकको समझता हूँ। फिर भी वही झिझक तुम्हे भार सहनेकी शक्ति भी प्रदान करेगी और उससे तुम्हारा सम्मान बढेगा। जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ पडी है, उसको खोजनेके लिए तुम खुद कही नही गई थी। इसके विपरीत, वह तुमपर थोपी गई है। तुमने नम्र-भावसे इसे अपना फर्ज समझकर स्वीकार कर लिया है और इसे निभा ले जानेमे ही तुम्हारा कल्याण है। इसके अलावा जिस कामकी तुमने जिम्मेदारी ली है, वह तुम्हारे सामने बिलकुल साफ रखा गया है, इसलिए उसे करनेमे तुम्हे कोई दिक्कत महसूस नही होगी। जो-कुछ मै 'हरिजन' मे लिखता हूँ, उसे ध्यानसे पढ़ो और जो-कुछ तुमने उससे ग्रहण किया है, उसे अमलमे लानेकी कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत हो तो बिना किसी झिझकके मुझसे पूछो।

मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे माता-पिता बिलकुल ठीक है और नरहरिको श्वासका रोग परेशान नही कर रहा है। सुरेन्द्र[1] कहाँ है? अगर वह वही है, तो उससे कहना कि मुझे पत्र लिखना बन्द न करे। जब-जब किशोरलाल यहाँ आते है, मै उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, किन्तु व्यस्ततामे भूल जाता हूँ। यही कारण है कि मैने तुमसे सुरेन्द्रके बारेमे पूछा है।

बापूके आशीर्वाद

श्री तारावहन नानाभाई मशरूवाला
अकोला
बरार

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६९६) से। सी० डब्ल्यू० ४३४१ से भी, सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला।

१. ताराबहनके भाई।

२७२. पत्र : माधवजी वि० ठक्करको

९ फरवरी, १९३५

चि० माधवजी,

तुम्हारी या महालक्ष्मीकी ओरसे कोई पत्र न आनेके कारण मुझे चिन्ता हो रही थी। पर अब तुम्हारा पत्र मिल गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनो यह बात ध्यानमें रखते ही होगे कि तुम्हारी साधनाका उद्देश्य सेवा करनेके लिए और अधिक योग्यता प्राप्त करना है। साधनाको सेवा कभी नही कहा जा सकता।

बच्चे कैसे है?

बापूके आशीर्वाद

श्री माधवजी
१५, तंगार, एन्टली
कलकत्ता

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८२७) से।

२७३. पत्र : कार्ल हीथको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मुझे आपका कृपा-पत्र मिल गया है। आपके सुझावके बारेमें मेरी राय है कि यदि आप अब भी जन-हितमे इसका प्रकाशन ठीक समझते है तो इस सवालको सर सैमुअल होर तथा लॉर्ड हैलीफैक्सके सामने रखें। अगर ये दोनो महानुभाव इसका प्रकाशन चाहते है, जो महज इसके लिए इजाजत देनेसे भिन्न है, तो आप इस बातका हवाला देते हुए इसे प्रकाशित कर सकते है। मेरी ओरसे तो, मेरा मन ऐसा कहता है कि राजनीतिज्ञोके दायरेमे, जिनकी राय इस बारेमें काफी वजन रखती है, इसका वितरण-भर काफी होगा। इस समय सच्ची शान्ति तथा हार्दिक भाईचारेके प्रेमियोके सामने बडा कठिन काम आ पडा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कार्ल हीथ, महोदय
लन्दन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०२९) से।

२७४. पत्र : अगाथा हैरिसनको

हवाई-डाकसे

१० फरवरी, १९३५

प्रिय अगाथा,

अभी-अभी तुम्हारा पिछले माहकी २९ तारीखका पत्र मिला, मैंने उसे पढा। इस पत्रके साथका पत्र[1] श्री हीथके पास पहुँचा देना। मैं कुछ पैसोकी बचतके खयालसे ही उसे इसी लिफाफेमे रखकर भेज रहा हूँ। यह पत्र तुम्हे हवाई-डाकसे भेजा जायेगा।

तुम्हारे पत्रके एक हिस्सेका जवाब इसीलिए मैंने श्री हीथके नाम लिखे पत्रमे दिया है।

अब रहा श्री रजा अली द्वारा दी गई चाय-पार्टीमे गैर-हाजिर रहनेका सवाल। जब कभी इस प्रकारका आयोजन होता है, मुझे उसकी खबर पहलेसे ही दे दी जाती है। लेकिन, यह तो एक बहुत ही औपचारिक-सा निमन्त्रण था। इस निमन्त्रणकी प्राप्तिके दो दिन पहले ही रजा अली खुद मुझे मिले थे और उन्होने दक्षिण आफ्रिकाके अपने मिशनके बारेमें मुझसे दिल खोलकर बाते की थी। मेरे पास आनेसे पहले ही उन्होने पार्टी देनेकी योजना बना ली थी। लेकिन उन्होने मुझसे यह पूछनेकी जरूरत भी महसूस नही की कि मैं उसमे आ सकूँगा या नही। जब वे आये थे, उस समय तक पार्टीका निमन्त्रण यदि मेरे पास आ गया होता, तो मैं खुद ही उसका जिक्र छेड़ देता। लेकिन उस समय पार्टीके बारेमे मुझे कुछ पता न था, इसीलिए निमन्त्रणके बारेमे भी पता न था। बुलावेका कार्ड आया था, वह बिना किसी प्रकारकी जानकारीके कागजोके ढेरमे दबा पडा रहा। हम समय पर उसकी पहुँच भी सूचित नही कर पाये। आयोजनके एक दिन पहले शामको एकाएक मुझे लगा कि कमसे-कम प्राप्तिकी सूचना तो भेज ही देनी चाहिए। और इसीलिए सुबह होते ही (कडी ठण्ड पड रही थी) मैंने उन्हे सूचना भेज दी, जिसकी नकल तुम्हारे पास है। इसे खुद प्यारेलालने रजा अलीको ले जाकर दिया। इसे इतनी जल्दी और इस प्रकारसे इसीलिए भेजा था कि अगर इस बुलावेका कोई खास मकसद है, तो वह मालूम हो जाये। प्यारेलालने खुद रजा अलीसे मुलाकात की। उन्होने किसी प्रकारकी निराशा प्रकट नही की और यह नही पूछा कि मैं उस पार्टीमे क्यो नही पहुँच रहा हूँ। मैंने इस सबसे यही समझा कि इस बुलावेका कोई खास मकसद नही है, और मेरे पास ऐसे अवसरोपर, जिनके लिए खुद मेरे मनमे ही कोई रुचि न हो, बर्बाद करनेके

१. देखिए पिछला शीर्षक।

लिए वक्त नही होता। मैं ऐसे जलसोमे जाता भी नही जिनसे कोई ठीक मकसद हल न होता हो। और वहाँ ऐसी कोई बात भी नही थी। मुझे तो ऐसा लगा था कि आयोजकोने शिष्टताके नाते निमन्त्रित करना तो जरूरी माना है, किन्तु अगर मैं जाना स्वीकार नही करूँगा तो उन्हे खुशी होगी; और यह भी लगा था कि अगर मैं जाऊँगा तो वाइसराय और दूसरे सब लोगोको परेशानीका अनुभव होगा। बुलावेकी मेरी नामजूरीके यही सब कारण है।

जहाँतक मुझे याद है, जिस समय मैंने रजा अलीको खत लिखा, मुझे विधान-सभाके काग्रेसी सदस्योको भेजे गये निमन्त्रण-पत्रोके बारेमे कुछ भी खबर न थी। बहरहाल, मेरी नामजूरीकी बातसे उनका कोई ताल्लुक नही है। उनके लिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता भी नही था। उनका क्या रुख हो, इस बारेमे मुझसे सलाह-मशविरा जरूर किया गया था और मैंने उन्हे सलाह दी थी कि उन्हे यह बुलावा मंजूर नही करना चाहिए। लेकिन, अगर मुझे यह मालूम होता कि मेरा वहाँ कुछ कहना जरूरी है, तो मैं खुशीसे वहाँ गया होता। मैं अब कांग्रेसका सदस्य नही रहा, और यद्यपि मैं ऐसा-कुछ नही करता जिससे मेरे और उस संस्थाके पुराने सम्बन्धोके कारण उसको कही किसी तरह झुकना पड़े, फिर भी इसका यह मतलब नही है कि मैं ऐसा कोई कदम कभी नही उठाऊँगा जिसे काग्रेसी काग्रेसकी शान और इज्जतको बरकरार रखनेके लिए नही उठा सकते। मुझे उम्मीद है कि इस सबसे सारी बाते तुम्हारे सामने साफ हो गई होगी। बादमे मुझे पता चला कि अगर मैं वहाँ चला जाता तो वाइसरायको खुशी होती। लेकिन मुझे मालूम नही कि यह खयाल उनके मनमे मेरे न जानेके बादमे आया या पहलेसे ही उनका रुख ऐसा था। अगर पहलेसे यह रुख था तो एक छोटा-सा इशारा पाकर भी मैं उस पार्टीमे चला जाता। इस तरहके मौकोपर मुझे उनकी अनुकूलताके बारेमे कोई-न-कोई इशारा प्राय दिया जाता रहा है।

मुझे सी० एफ० एन्ड्रयूजका पत्र मिला है। अगर वे अब भी वही हो, तो उन्हे यह सब बता देना। और अगर वे वहाँ नही है, तो पत्रमे लिख देना कि मैं जो-कुछ भी करूँगा, जल्दबाजीमे नही करूँगा। और इसी कारण उन्हे अपने-आपको सभी तरहकी चिन्तासे मुक्त रखना चाहिए।

स्नेह।

बापू

सलग्न : १

कुमारी अगाथा हैरिसन
२, क्रेनबोर्न कोर्ट,
अल्बर्ट ब्रिज रोड, लन्दन, एस० डब्ल्यू० ११

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८४) से।

२७५. पत्र : आर० वी० शास्त्रीको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय शास्त्री,

मुझे तुम्हारा लम्बा पत्र मिला है। लेकिन तुमने जो तर्क दिये हैं, उनके हिसाबसे यह अधिक लम्बा नही लगता। केवल एक ही तर्क, जो खुद 'हरिजन' के लिए उसके मद्रासले प्रकाशित होनेके औचित्यके बारेमे हो, निर्णायक होगा। तुम्हारे पत्रसे मैं समझ पाया हूँ कि मद्रासमे 'हरिजन' का रहना अच्छी बात है और इसकी उपयोगिता वहाँसे प्रकाशित होनेके दिनोमें सिद्ध हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि यदि सम्भव हो तो तुम अपने तर्कको और आगे बढाओ और मुझे ठोस तरीकेसे बताओ कि तुम यह क्यो सोचते हो कि 'हरिजन' को मद्रासमे ही रहने देना ठीक है। तुम यह तो कहोगे नही कि पूनामे प्रकाशन होनेपर जनमत पर किसी भी रूपमे असर नही पडेगा। अत. प्रश्न सिर्फ असरके कमोबेश होनेका ही है। लेकिन यदि तुम मुझे इस बातसे ही आश्वस्त कर सको कि पूनाकी अपेक्षा मद्रासमे इसकी उपयोगिता अधिक है, तो भी तुम्हारे तर्ककी मान्यता स्वीकार कर लूँगा। तुमने ऐसा प्रश्न उठाया है जिसके लिए मैं बिलकुल तैयार नही था, इसलिए मैं इस बारेमे दीवान-बहादुर भाष्यम आयगार[1] और श्री वेंकटासुब्बैयाको पत्र लिख रहा हूँ। जहाँतक तुम्हारे वेतनका और मुझसे तुम्हारे सम्बन्धका प्रश्न है, दोनो पर कोई असर नही पड़नेवाला है। 'हरिजन' का सम्पादन करते हुए तुम्हारे सम्बन्ध जैसे जीवन्त है वैसे ही रहेगे। अतः उस विचारको तो अलग ही रखना है। लेकिन यदि तुम्हे सम्पादककी हैसियतसे वेतन दिया जाना है, तो तुम्हारा खर्च 'हरिजन' से प्राप्त चन्देसे निकलना चाहिए और तब तुम्हे अपने सम्पादनके कामको जीवन्त बनाना होगा, जोकि अभी तो मुझे दिखाई नही पड़ता।

यदि हमारे पास हो तो 'हरिजन' की शुरूसे लेकर अबतक की या फिर जबसे भी उपलब्ध हो तबसे अबतक की प्रतियाँ एक जिल्दमे बँधवाकर कृपया प्रो० सैम हिगिनबॉटमको भेज दे तथा बिल भी भेज दे और उनका नाम ग्राहकोकी सूचीमे दर्ज कर ले। उनका पत्र सलग्न है।

विशेषज्ञ लोग कितने बड़े असमजसमे डाल देते है! बेचारी विशालाक्षी!

१. देखिए "पत्र: वी० भाष्यम आयंगारको", पृ० २३२।

तुम दोनोंको प्यार।

सलग्न : १

श्री आर० वी० शास्त्री
८ सी, पाइक्रॉफ्ट्स रोड
ट्रिप्लीकेन, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२७६. पत्र : पी० नारायण रेड्डीको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय नारायण रेड्डी,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खेद है कि तुम्हारा सुझाव 'हरिजन' मे प्रकाशनार्थ नही भेज सकता। तुम्हारा यह सोचना बिलकुल गलत है कि मैंने ग्रामोद्योगका काम इसलिए शुरू किया है क्योकि मैंने यह मान लिया है कि हरिजनोद्धारका कार्य समाप्त हो चुका है, या इसलिए कि मैंने अपना अनुराग कही और लगा दिया है। ग्रामोद्योग हरिजनोद्धारके लिए भारी प्रचारका ही सहज परिणाम है और एक प्रकार से उसका पूरक है। तुम देखोगे कि जिन-जिन कामोको मैंने लिया है, उनसे सबसे पहले और मुख्य रूपसे हरिजन ही प्रभावित होते है। वही तो आटा या चावल और नमकपर जिन्दा रहते है। यदि उन्हे पौष्टिक आटा और चावल मिलता है तो निस्सन्देह अच्छी बात है। लेकिन यदि मैंने इस बातके लिए आन्दोलन छेडा होता कि केवल हरिजनोको ही बिना पालिश किया चावल और चोकर-सहित आटा खाना चाहिए तो उन्हे मेरा उद्देश्य समझ ही नही आता और प्रस्ताव कभी स्वीकृत नही होता। धान कूटनेवालोमे अधिकाश सख्या हरिजनोकी ही हुआ करती थी और उन्हीकी जगह बड़ी-बडी मिलोने ले ली है। तुम्हे यह समझना चाहिए कि यदि गाँवोमे सफाईकी बेहतर व्यवस्थाका आन्दोलन सफल हो जाता है तो जहाँतक हरिजन भगियो का सम्बन्ध है, उनकी समस्या हल हो जायेगी, और किसी सूरतसे उसे हल नही किया जा सकता। जिन चार कामोको लेकर तुम अपना मिशन आरम्भ करोगे, उन पर गत दो वर्षोसे कुछ अधिक समयसे ध्यान दिया ही जा रहा है। यह माननेको मेरा दिल नही करता कि हरिजन-आन्दोलनको तुम अबतक कतई नही समझ पाये हो। पर तुम्हारी योजनासे तो यही लगता है कि तुम्हारे चारो तरफ क्या हो रहा है, इसकी तुम्हे कोई जानकारी नही है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री पी० नारायण रेड्डी, बी० ए०, बी० एल०
पेद्दातिप्पासमुद्रम। (चित्तूर जिला)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

२७७. पत्र : दामोदर एम० दामलेको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारतके लाखो-करोडो लोगोकी खुशहालीके लिए कृषि-सुधार परमावश्यक है। लेकिन राज्यसे सक्रिय सहायता न मिलनेकी स्थितिमे हमारे रास्तेमे बहुत-सी अडचने दिखाई पडती है। अलवत्ता आप अपना पहला बुलेटिन भेज दे। पढनेके बाद यदि 'हरिजन' के पृष्ठोमें छापनेके उपयुक्त मालूम पडेगा तो सहर्ष प्रकाशित करवा दूंगा। वह प्रामाणिक होना चाहिए, यानी उसमे कही गई हर बात प्रमाण देकर कही जाये।

हृदयसे आपका,

श्री दामोदर एम० दामले, बी० ए०, एल० एल० बी०,
वुन (बरार)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२७८. पत्र : सी० विजयराघवाचारियरको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

लौटती डाकसे पत्रोत्तर देनेकी जल्दीमे मैं एक बातकी चर्चा करना तो भूल ही गया जिसका आपने अपने पहले पत्रमें उल्लेख किया था। यानी कि आप अपनी जीवन-सध्याका यदि सारा शेष काल नही तो कमसे-कम कुछ समय तो मेरे साथ बिताना चाहते हैं। चाहे आप कुछ दिनोके लिए आये या स्थायी रूपसे रहनेके लिए, आपका स्वागत ही होगा। शायद आप जानते हो कि आजकल मैं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके कर्मचारियोके साथ उस स्थानपर रह रहा हूँ जिसे जमनालालजीने संघके लिए दान दिया है। हमारा भोजन सामूहिक रसोईघरमे पकता है। जितना अधिकसे अधिक सम्भव हे, हम ग्रामीण जीवनको अपनेमें उतारनेकी कोशिश करते है और

जो-कुछ गाँवोमे पैदा होता है, उसीसे सन्तोष कर लेते हैं। हम अपने आदर्शसे तो अभी दूर हैं, पर वह हमारे सम्मुख तो है ही।

हृदयसे आपका,

सी० विजयराघवाचारियर
अराम
सेलम (द० भा०)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य· प्यारेलाल।

२७९. पत्र : फिरोज गांधीको

१० फरवरी, १९३५

प्रिय फिरोज,

तुम्हारा पत्र मिला। मै जानता हूँ कि कमलाकी मुझसे मिलनेकी इच्छा है। मिलनेकी कोशिश करूँगा। पता नही कबतक ऐसा कर पाऊँगा। तुम मुझे याद दिलाते रहना, ताकि भूल न जाऊँ।

श्री फिरोज गाधी
१६ स्टेनली रोड
इलाहाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२८०. पत्र : रावजीभाई ना० पटेलको

१० फरवरी, १९३५

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा कार्ड मुझे मिला है। धान अब आगे मिलेगा ही। देखता हूँ, धानको पहले दलना होता है। दलनेकी चक्की कैसी होती है, लिखना। दलनेके बाद की और क्रियाओसे तो हमे कोई सरोकार नही है। तुम धानके प्रदेशमे ही हो, अत तुम अच्छेसे-अच्छे प्रयोग कर सकोगे। धान खेतसे कटकर आनेके बाद कितने दिनमे इतना सूख जाता है कि दला जा सके? या आते ही दला जा सकता है? दलनेसे छिलका कितना निकल जाता है? कूटनेसे वजन कितना कम होता है? एक घटेमें कितना धान दला जाता है? उसपर खर्च कितना आता है? इसके सिवाय और भी जो

जानकारी दे सको देना। ललितावहनके बारेमें नाथाभाईका पत्र आया था, वह तुमने पढ़ा ही होगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री रावजीभाई नाथाभाई
लिम्बासी
(मातर तालुका)

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९००४) से।

२८१. पत्र : अमतुस्सलामको

१० फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुल सलाम,

तुम्हारे दोनो खत पढ गया हूँ। दु:ख हुआ। मैंने तुम्हारे लिये कुछ नही किया है। कर भी क्या सकता था? जंगलमे जाना मुनासिब न था। मेरी बात मानो तो कृपया मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा सब दु:ख भाग जायेगा। मैंने देवदासको लिखा है तुमको यहाँ भेज देवे। इतना मेरा मानेगी तो मै तेरी बड़ी मेहरबानी मानूंगा। हरिजन-वासमे सब लोग जावे, उसके बाद जा सकती है। इस वक्त वहाँ रहकर क्या करेगी? हाँ मुझे फिकरमे जरूर डालती है। मेरी बात माननेके लिये तैयार नही है तो देवदासके साथ रहो। यह भी नही करना है तो हरिजन-वास जरूर छोड़ दो। इसपर भी मैं कहता हूँ कि शर्माको मै मजबूर नही कर सकता। कृपा करके यहा आ जाओ — यहा आ जाओ — यहा आ जाओ। यह न कर सके तो मुझे छोड़ दे खुदाके लिए।

खजूर खतम हो गया।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१५) से।

२८२. पत्र : वामनराव डी० बुरहानपुरकरको

वर्धा
११ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला, साथ ही आपकी रिपोर्ट तथा पाण्डुलिपि भी प्राप्त हुई। समय मिलनेपर ही पाण्डुलिपिको हाथमे लूँगा। मैं ग्राम-औषधालयोके आदर्शका समर्थन नही करता। मेरा उद्देश्य ग्रामवासियोको प्राथमिक स्वास्थ्य-रक्षा और स्वच्छताकी ठोस शिक्षा देना है। बीमारियोंकी रोकथामके तरीकोको सिखलाना काफी आसान है। इसके साथ-साथ ग्रामवासियोको घरेलू दवाइयों और उनके कारगर उपयोगकी जानकारी भी दी जा सकती है। जहाँतक घरेलू दवाइयोके उपयोगका सवाल है, ग्राम-जीवनकी जितनी अधिक जानकारी मुझे होती जाती है, उतना ही अधिक समझमे आता जाता है कि ग्रामवासियोको देसी दवाइयोके गुणोकी कितनी अधिक जानकारी है। सरकारी नियन्त्रणके बिना भारतके सात लाख गाँवोमें औषधालय खोलना प्रायः असम्भव है। औषधियाँ चाहे वैद्यककी हो या एलोपैथीकी और वे चाहे सस्ती ही क्यो न बेची जाये, फिर भी मँहगी पडती है—मेरा मतलब है घरेलू दवाइयोकी तुलनामे महँगी पडती है।

क्या आप अधिकारी विद्वानोके प्रमाण देकर यह बता सकते है कि वैद्यगण गायके दही-दूधको भैंसके दही-दूधसे अधिक गुणकारी क्यो मानते है?

हृदयसे आपका,

वैद्य वामनराव डी० बुरहानपुरकर
४५ कैथेड्रल स्ट्रीट
बम्बई—२

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल

२८३. पत्र : जानम्मालको

११ फरवरी, १९३५

तुम्हारे हिन्दी अक्षर तो काफी अच्छे हैं। अपने-आपको शुद्ध रूपसे व्यक्त करने मे तुम्हे कोई कठिनाई नही है। मै तुम्हारी अग्रेजी पर हँसूंगा, ऐसी आशका क्यो रखती हो? हम लोगोने इस वातकी गन्दी आदत डाल ली है कि अग्रेजीको हम पूरी तरह शुद्ध व्याकरणसम्मत लिखना चाहते हैं, सिर्फ यही नही वल्कि जो ऐसा नही कर पाते उनकी आलोचना भी करते हैं, जव कि यूरोपके विद्वान अंग्रेजी लिखनेमे होनेवाली गलतियोपर ध्यान नही देते। उनका सारा ध्यान सिर्फ सही-सही तात्पर्य जतानेपर होता है।

मुझे खुशी है कि तुम आश्रममे धानकी हाथ-कुटाईके उपकरणका इन्तजाम कर रही हो। लेकिन जाहिर है कि तुम अभी भी गलतफहमीका शिकार वनी हुई हो। चावलोकी पालिशके लिए आवश्यक ओखली-मूसलकी तुम्हे जरूरत नही है। धानका छिलका वहुत ही हल्की चक्कीमे पीसकर निकाला जाता है। अव मैंने यह खोज की है कि पीसनेकी चक्कियाँ लकड़ी या गारे-मिट्टीकी वनानेका सीधा-सादा कारण यह है कि हम धानके अन्दरके दानेको, जो अधिक जोर नही वर्दाश्त कर सकता, विना नुकसान पहुँचाये धानके वाहरी छिलकेको अलग करना चाहते हैं। अत. यह काम एक वच्चा भी विना वहुत जोर लगाये कर सकता है। चावलको पकाने योग्य वनानेके लिए इससे अधिक और कुछ करनेकी जरूरत नही है।

मेरी खुराकमे टमाटर, दूध, वादामकी लुगदी और पालक, मेथी या लूनी-जैसी कुछ भाजियाँ रहती हैं। खर्च कम करनेके लिए फल खाना छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक प्रयोग है। मेरा वजन १०९ पौड वना हुआ है। हम लोग उसी वगीचेमे रह रहे हैं जहाँ तुम एकवार आई थी। प्रभावती रोज शामको आ जाती है और रातको यही रहती है। रामदास वम्वईमे है तथा अपना स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोवारा पानेका प्रयास कर रहा है। उसके हाल-चाल वुरे नही है।

अम्वुजमने तुम्हे वताया होगा कि जो तीन लड़कियाँ मद्रास आनेवाली थी, वे नही आना चाहती, और मै उन्हे मजवूर करना नही चाहता। इसलिए तुम यदि आश्रम खोल रही हो तो यह काम विना किसी शोर-शरावे या धूम-धामके होना चाहिए। जैसा कि मैंने अम्वुजमको वातचीतके दौरान कहा था, उस हालतमे एक लड़कीसे भी शुरूआत की जा सकती है। यदि वसुमतीकी अभी भी जरूरत हो तो वह खुशीसे आ जायेगी। वह यहाँ मद्रास जानेके उद्देश्यसे ही रह रही है। महज दो लड़कियोके लिए उसे वहाँ ले जाना अनुचित होगा। अम्वुजम जैसी खुद जानती है,

वैसी ओटाई और धुनाई वे कर ही सकती हैं। लेकिन यदि तुम दोनोंको वसुमतीकी जरूरत हो तो वसुमती अपना वचन पूरा करेगी।

मुझे अभी-अभी अम्बुजमका पत्र मिला है। उसे अपने पुत्रपर अपेक्षासे अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। ऐसी हालतमें तुम्हें आश्रमका भार ग्रहण करनेके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? आशा है, तुम कर सकोगी।

श्री जानम्माल
"नर्मदा"
मोब्रेज़ रोड, कैथेड्रल डाकखाना, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात. सौजन्य: प्यारेलाल।

२८४. पत्र: गिरिजाभूषण दत्तको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय गिरिजाबाबू,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने हरिजनोंको मुर्गी-अण्डा या ऐसी कोई दूसरी चीज छोड़ देनेके लिए कभी नहीं कहा। मैंने तो उन्हें सिर्फ मुर्दार मांस, गोमांस तथा नशीले पदार्थ छोड़नेको कहा है। हरिजन-लोग मुर्गी-अण्डा, भेड़-बकरी वगैरह, जो भी वे चाहें तथा जो-कुछ अन्य हिन्दू खा सकते हैं, खानेके लिए पूरी तरह निश्चय ही स्वतन्त्र हैं।

यदि आप हरिजन जुलाहोंको इस बातके लिए तैयार करनेमें सफल हो जाते हैं कि आवश्यक सूत वे अपने परिवारके लोगोंसे ही कतवा लें, तो निश्चय ही यह एक बड़ी बात होगी। ऐसा हर परिवार जो कताई-बुनाई साथ-साथ करनेका तरीका अपनायेगा, मुसीबतको अपने दरवाजेसे सदा दूर रख सकेगा। मैंने साखीगोपालके निकट अपने अभियानमें करीब १०,००० जुलाहोंको इस बातका सुझाव दिया था।

हृदयसे आपका,

श्री गिरिजा भूषण दत्त
अंगुल हरिजन-सेवक संघ
अंगुल (उड़ीसा)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२८५. पत्र : एच० जे० खांडेकरको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पोस्टकार्ड मिला। इस बातके लिए अत्यधिक उत्सुक होते हुए भी कि हर सार्वजनिक स्थान बिना किसी रोक-टोकके हरिजनोंके लिए खोल दिया जाये, आप जिस प्रदर्शनका विचार कर रहे हैं, उसके लिए धन जुटानेमें असमर्थ हूँ। उसके लिए बहुत सोच-विचारकी जरूरत है और यह कार्य कड़े अनुशासनके अन्तर्गत ही किया जा सकता है।

हृदयसे आपका,

श्री एच० जे० खांडेकर
महामंत्री
सी० पी० महार यूथ लीग, इतवारी, नागपुर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

२८६. पत्र : मोतीलाल रायको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय मोती बाबू,

आपका पत्र मिला। आपकी बात मैं समझ गया। खादीके बारेमें आखिरकार क्या हुआ, इसकी जानकारी कृपया मुझे देना।

हृदयसे आपका,

श्री मोतीलाल राय
प्रवर्तक भवन
६१, बऊबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य, प्यारेलाल।

२८७. पत्र : मोटासिंह पटाराको

११ फरवरी १९३५

प्रिय मित्र,

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ बोर्डके नाम आपका तार मेरे पास भेज दिया गया है। मुझे खेद है कि आपके सम्मेलनमें शामिल न हो सकूंगा।

हृदयसे आपका,

श्री मोटासिंह पटारा
जालन्धर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२८८. श्री रामकृष्ण भारद्वाजको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मुझे इस बातकी खुशी है कि आपकी संस्था सनातनधर्म शिक्षा समितिके संरक्षणमें रहेगी और कि अन्य लड़कियोंके साथ-साथ हरिजन लड़कियोंको भी रखनेका फैसला किया गया है।

हृदयसे आपका,

श्री रामकृष्ण भारद्वाज
महामंत्री
सनातनधर्म सभा
किला गुज्जर सिंह, लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

२८९. पत्र : वी० एम० नवलेको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय नवले,

तो तुम विश्व-भ्रमण करके लौट आये हो। जापानके बारेमें तुम्हारा कहना बिलकुल सच है।

हाँ, स्वामी योगानन्द द्वारा लिखित "व्हिस्पर्स फ्रॉम इटरनिटी" मुझे डाकसे भेज दो।

हृदयसे तुम्हारा,

डॉ० वी० एम० नवले
संपादक, 'दीनबन्धु' और 'हिन्दी-विजय'
रास्ता पेठ, पूना

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२९०. पत्र : पी० एस० एस० राम अय्यरको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। आपकी शंकाओंको दूर करनेका प्रयास मेरे लिए कठिन है। उनका समाधान तो प्रार्थना करते हुए प्रतीक्षा करनेसे ही होगा।

हृदयसे आपका,

श्री पी० एस० एस० राम अय्यर
सांकेश्वरम ग्राम
चित्तूर (कोचीन)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२९१. पत्र : वी० भाष्यम आयंगारको

११ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

ठक्कर बापाने आपका पत्र मुझे भेज दिया है। आपने इतने महत्वपूर्ण सवाल उठाये हैं कि मैंने सोचा इनपर सार्वजनिक रूपसे विचार होना चाहिए। मैं आपको 'हरिजन' में प्रकाशित होनेवाले एक लेख[1] की अग्रिम नकल भेज रहा हूँ। आपके सवालोंका जवाब देनेके लिए मैंने जो तरीका अपनाया है, आशा है आप उसका समर्थन करेंगे। फिर भी यदि कोई शक बाकी रहे तो मुझे लिखनेमें संकोच न करें।

'हरिजन' का प्रकाशन पुनः पूनासे होना चाहिए, ऐसा एक सुझाव दिया गया है। इससे सालाना दो हजार रुपयेकी बचत होगी। शास्त्रीने इस बारेमें निःस्वार्थ रूपसे जाँच-पड़ताल की है और उनके खयालसे मद्राससे 'हरिजन' का प्रकाशन होनेसे ध्येयको निश्चित रूपसे लाभ है। क्या आप और वेंकटसुब्बैया इस समस्यापर विचार करके मुझे अपनी राय देंगे? आप शास्त्री और गणेशनके साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री दीवान-बहादुर वी० भाष्यम आयंगार
'वर्धिनी'
किल्पॉक, मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य . प्यारेलाल।

१. देखिए "'दरजे' का अर्थ", पृ० २५४-५७।

२९२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

११ फरवरी, १९३५

भाई ठक्कर बापा,

इस पत्रके साथ दीवान-बहादुर भाष्यम तथा उन-जैसे औरोके लिए जवाब संलग्न है। उसे पढकर 'हरिजन-सेवक' के लिए वियोगी हरिको दे देना। मै दीवान-बहादुरको भी पत्र[1] लिख रहा हूँ और उन्हे नकल भी भेज रहा हूँ। सविधानकी एक भी नकल अभी मुझे मिली नही है। कुछ प्रतियाँ भेजना।

गणेशनकी समस्याको धीरजसे सुलझा लेना।

'हरिजन' के सम्बन्धमे शास्त्रीसे पत्र-व्यवहार हो रहा है।[2]

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५११) से।

२९३. पत्र : अमतुस्सलामको

११ फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुल सलाम,[3]

तुमारा खत मिला तुमको क्या लिखु? मैंने मनाइ की थी तो भी दुरस्त होनेके पहले पतीयाला गई। अब भागी क्योकि मैंने मनाई की थी? ये कहांकी बात? अपने-आप खामखा दुःखी होती है मुझे करती है।

अमीनाका पता धधुका बरास्ता अहमदाबाद।[4] दरझीका नाम ठाम बापाके पास है। हाल तो उसको भूलो। अच्छी हो जाओ बादमे देखा जायगा।

आधेसरके लिये हालमे ही एक इलाज किसीने बताया है। बाय नाकसे साफ ठडा पानी लेना और गलेसे थूक देना। एक कटोरेमे पानी रखकर, दाहने नाकको दबाकर बाय नाक पानीमे डुबो देना, गरदन नीची करना, मु वध रखना। पानी अपने-आप उपर जायगा? कुछ पेटमे जावे तो हरज नही। लेकिन जहातक

१. देखिए पिछला शीर्षक।
२. देखिए "पत्र: आर० बी० शास्त्रीको", पृ० २२१-२२।
३. सम्बोधन और हस्ताक्षर उर्दूमें हैं।
४. मूलमें ये शब्द अंग्रेजीमें है।

हो सके उसे थूक डालना, रातमें बाय बाजूपर सोना, मुं बंध रखना, सांस दाइने नाकसे लेना।

शर्मा फिर भी लिखता है तुमारी बातका यकीन नही करना उसके बारेमें। अब तो अच्छी हो जायगी तो तेरी महेरबानी, कृपा, जो-कुछ कहो, मानुगा। अवालेके नजदीक रहते हैं उस भाईका क्या?

मुझे सब तरहसे आराम है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१७) से।

२९४. भाषण: लक्ष्मीनारायण देवस्थानमें[1]

११ फरवरी, १९३५

यद्यपि श्री लक्ष्मीनारायणका मन्दिर सन् १९०७ से पहले बन चुका था, लेकिन गांधीजी के अनुसार उसकी वास्तविक 'प्राण-प्रतिष्ठा' उस दिन हुई जिस दिन मन्दिरके व्यवस्थापकोंने मन्दिरके दरवाजे हरिजनोंके लिए भी खोल दियें। गांधीजी ने कहा कि आजके दिनसे श्री लक्ष्मीनारायणको 'दरिद्रनारायण' कहा जा सकता है, जिसका मतलब है कि वे सर्वाधिक असहाय व्यक्तिके भी ईश्वर है। और, अछूतोंकी स्थिति इस समय लगभग सबसे अधिक असहाय व्यक्तियों-जैसी है।

उन्होंने कहा कि 'दरिद्रनारायण' शब्दका इस्तेमाल करते ही मेरी आँखोंके सामने गाँवके लोगोंकी तसवीर आ जाती है जो इस समय सबसे ज्यादा उपेक्षित और पीड़ित व्यक्ति हैं। उन्होने कहा कि गाँवके लोगोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।

अ० भा० ग्रामोद्योग संघका उद्देश्य इन्हींकी सेवा करना है। महात्माजी ने अपने श्रोताओंका उद्बोधन करते हुए कहा कि संघका वर्तमान कार्यक्रम वे पूरे मनसे अपनायें। वर्धाके व्यक्तियोंको खास तौरसे सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस कार्यमें अपना सहयोग देकर जो-कुछ कर सकते है, करे।

उन्होनें अ० भा० ग्रामोद्योग संघके पंचसूत्री कार्यक्रमका जिक्र किया और जनतासे कहा कि वह हाथ-चक्कीका पिसा आटा, गाँवमें कुटा बिना पालिश किया हुआ चावल, गुड़ तथा घानीसे निकले तेलका प्रयोग करे।

उन्होंने लोगोंको हाथ-चक्कीके पिसे आटे आदिके फायदोंको बताया और श्रोताओंको यकीन दिलाया कि इसके उपयोगसे अनाज पैदा करनेवालों तथा उपभोक्ताओं, दोनोंको फायदा होगा।

१. यह मन्दिरकी स्थापनाका २८ वाँ वार्षिकोत्सव था।

उन्होंने गाँवकी सफाईका भी जिक्र किया और समझाया कि वह गाँववालोंके स्वास्थ्यके साथ किस तरह जुड़ी हुई है। उन्होंने जनताका इस तथ्यकी ओर ध्यान खींचा कि वर्धाके पास सिन्धी गाँवके लोग सड़कोंके किनारे ही मल-त्याग करने बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि गाँववालोंको यह बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए।

अपने भाषणका समापन करते हुए उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि अ० भा० ग्रामोद्योग संघने गाँवोंमें जिस कामको करनेकी जिम्मेदारी उठाई है, वर्धाकी जनता उसे पूर्ण करनेमें अवश्य मददगार बनेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १२-२-१९३५

२९५. पत्र : ना० र० मलकानीको

वर्धा
१२ फरवरी, १९३५

प्रिय मलकानी,

तुमने सोचा होगा कि मैं उप-नियम बनानेकी बात बिलकुल भूल चुका हूँ, यह भी सम्भव है कि आसाम चले जानेके कारण तुम खुद इस बातको भूल चुके हो। अगर तुम इसे भूल चुके हो तो ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर चुका था। लेकिन मैं तो इसे नहीं भूला हूँ। मैं इसपर विचार करता रहा, पर कुछ कर नहीं पाया। दीवान बहादुर भाष्यम आयंगारने तीन उलझन-पूर्ण प्रश्न[1] किये थे, उनका उत्तर देनेके विचारसे मुझे सारा संविधान फिरसे पढ़ना पड़ा। और तब मुझे ऐसा लगा कि वे बातें मुझसे क्यों छूट गई थीं। यों जो-कुछ तुम कर चुके हो, उसके अलावा नया और-कुछ करनेको है भी नहीं। संविधान अपने-आपमें इतना पूर्ण है कि तुमने हिसाब वगैरहके लिए जो निर्देश दिये हैं, उनके अलावा और किसी व्यवस्थाकी जरूरत ही नहीं है। उप-नियमोंका काम तो कुछ खास मामलोंको रोजमर्राकी दृष्टिसे व्यवस्थित कर देना ही होता है; मुख्य नियम पूरे तौरसे यह व्यवस्था निर्धारित नहीं कर पाते। इसलिए समय-समय पर, जब-जैसी जरूरत महसूस होती है, उप-नियम बनाये जाते हैं। लेकिन वे प्रशासनिक आदेशों अथवा समय-समय पर पारित किये प्रस्तावोंकी जगह नहीं ले सकते।

आज सुबह मैं संविधानके सम्बन्धमें तुम्हारे निर्देशोंको देख रहा था। तुम्हें शायद याद होगा कि दिल्ली छोड़नेसे दो या तीन दिन पहले तुमने उनकी एक नकल मुझे दी थी। मैं आज ही उसे पढ़ पाया हूँ। पहले पढ़नेका मौका ही नहीं मिला। पढ़नेके बाद मुझे यह पक्का भरोसा हो गया है कि मुझे या तुम्हें इस बारेमें फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे निर्देश ठीक हैं और ऐन व्यावहारिक हैं,

१. देखिए "पत्र : वी० भाष्यम आयंगारको", पृ० २३२ और "'दरजे' का अर्थ", पृ० २५४-५७।

यहाँतक कि उप-नियम कहकर तुमने जिन बातोंका खाका तैयार किया है, वह भी उतना अच्छा नहीं है। फिर भी अगर तुम उप-नियम कहे जा सकने योग्य कोई चीज तैयार करना ही चाहो, तो जो-कुछ तुमने तैयार किया है, वह पर्याप्त माना जा सकता है। मेरा खयाल है कि उस खाकेकी प्रतियाँ तुम्हारे पास होंगी। अगर न हों तो मैं भेज सकता हूँ। इसे अभी फाड़ा नहीं गया है।

क्या मैंने तुम्हें यह लिख दिया था कि मैं दियालदासको लिख चुका हूँ और ठक्कर बापासे भी मैंने कह दिया है कि दानकी जो रकम वे देना चाहते हैं, उसे उसी खातेमें जमा करवा दें जिसमें कि वे उसका उपयोग कराना चाहते हों।[1]

मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आसामके अनुभवोंका विवरण एक टिप्पणीके रूपमें 'हरिजन' में छपे। तुम अपना कार्यालय हरिजन-होममें कब ले जा रहे हो? तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? हरिजन-कालोनी, हरिजन-होम या और-कुछ?

स्नेह।

बापू

श्री ना० र० मलकानी
बिड़ला मिल्स, दिल्ली

प्रतिलिपि बापाको

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१२) से।

२९६. जयरामदास जयवर्धनको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय जयरामदास,

इतने वर्षोंके बाद तुमने कुछ भेजा तो, चाहे वह तार ही क्यों न था, बड़ी अच्छी बात हुई। तुम निश्चय ही बहुत अव्यावहारिक हो। इधर कुछ महीनोंसे श्री-लंकामें मलेरियाका प्रकोप हो रहा है। अबतक तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं लिखा? तिसपर एक तार भेजा है? तुम्हें जानना चाहिए कि मैं उस बारेमें खोज-बीन कर चुका हूँ। और मुझे बताया गया था कि यहाँसे कोई चीज भेजनेकी जरूरत नहीं है; सरकार सभी राहत-कार्य सँभाल रही है और इसके लिए डॉक्टर भी काफी हैं। बेशक, यह सारी बात बिलकुल गलत भी हो सकती है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जिन्होंने भी मुझे अपीलें भेजी हैं, वे सिवाय अखबारकी कतरनोंके और कुछ नहीं भेज पाये हैं। इसका अर्थ है कि वे रोगग्रस्त क्षेत्रोंके बारेमें खुद कुछ नहीं जानते। यदि तुम्हें कुछ मालूम हो तो पूरा-पूरा विवरण लिखो, जिसे मैं प्रका-

१. देखिए "पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको", पृ० १५९।

गित कर सकूं। लेकिन वह तुम्हारे प्रत्यक्ष अनुभवकी बात होनी चाहिए, किसीसे सुनी-सुनाई नही। तुम्हे यह भी बताना चाहिए कि गाँवके कौन लोग है जो प्रकोप-ग्रस्त है। ऐसा नही है कि वे लोग कौन है, इस बातका बडा महत्व है। लेकिन जनताको यह अवश्य ही जानना चाहिए कि कौन लोग पीड़ित है और क्यो पीड़ित है, उनके पड़ोसियो पर असर क्यो नही हुआ, या क्या यह रोग श्रीलंकामें व्यापक रूपसे फैल चुका है? ये सभी सुसंगत सवाल है। आखिर मेरे पास अपना पैसा तो है नही। मै तो दानी लोगोसे अपील ही कर सकता हूँ। और यह भी मै तबतक नही कर सकता जबतक कि मै प्राप्त समाचारोकी सच्चाई का प्रमाण न दे सकूं। यदि मेरे लिए यह कार्य कर सको तो अच्छा रहेगा।

तुम्हारा,

श्री जयरामदास जयवर्धन
परोपकार मडालय
९२ सॉंडर्स प्लेस, कोलम्बो (श्रीलंका)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२९७. पत्र : अम्बुजम्मालको

१२ फरवरी, १९३५

तुम्हारा पत्र मिला। मै जानम्मालको पहले ही लिख चुका हूँ।[1] यदि अपना शेष समय तुम अपने पुत्रकी देखभालमें लगाओ तो यह देशकी बड़ी भारी सेवा होगी। राज्यके एक सदस्यकी हैसियतसे उसकी देशके बड़ेसे-बड़े नागरिक जितनी ही देखभाल होनी चाहिए और इसलिए राज्यको इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह कार्य उसकी अपनी माँ से अधिक अच्छी तरह और कौन कर सकता है? उसकी माँ यदि स्वार्थी होती तो यह सारी बहस अनिष्टकर और मात्र छलना ही रहती। तुम्हारे लालन-पालनसे यदि तुम्हारा पुत्र एक अच्छा देशसेवक बन जाये, तो निश्चय ही वह कोई छोटी उपलब्धि नही होगी। अत. तुम यदि इस समय अपने पुत्रके कल्याणको अपना मुख्य उद्देश्य बनाती हो, तो मुझे यह बुरा नही लगेगा। इससे तुम्हारी अन्य सेवाओंमे कोई बाधा नही पड़ेगी। तुम फिर भी अपना कुछ ध्यान हिन्दी-प्रचारपर, कुछ हरि-जन-सेवापर, कुछ खादीपर तथा कुछ ग्रामोद्योगोपर दे सकोगी। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन पूर्णतया सदा इन सेवा-कार्योमे निहित सिद्धान्तोसे ही शासित होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रस्तावित आश्रममे तुम्हारे साथ रह सके तो उसे साथ ही रखना चाहिए, क्योकि फिलहाल तुम्हारे लिए आश्रमका विज्ञापन करना बिलकुल अनावश्यक है।

१. देखिए "पत्र: जानम्मालको", पृ० २२७-२८।

चुपचाप थोड़ी-सी लड़कियोंको लेकर तुम उनकी देखभाल कर सकती हो। लेकिन यदि स्थायी जीवन सम्भव न हो और पुत्रके साथ तुम्हें इधर-उधरकी यात्रा करनी पड़े तो जबतक जानम्माल जिम्मेदारी लेनेको तैयार न हो, तुम्हें लड़कियाँ लेनेका विचार छोड़ देना चाहिए। हर हालतमें तुम्हें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। अपना उत्तरदायित्व निभानेमें ईश्वर तुम्हारी सहायता करे।

स्नेह।

बापू

श्री अम्बुजम्माल
मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

२९८. पत्र: जी० सीताराम शास्त्रीको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय सीताराम शास्त्री,

तुम्हारा पत्र मिला, जिसमें मुझे अपने सभी मुद्दोंका पूरा-पूरा जवाब मिल गया है। पत्रके साथ ही खद्दर सस्थानमके सम्बन्धमें आपकी रिपोर्ट भी सलग्न थी।

चावल तैयार करनेके लिए धानसे भूसी उतारनेसे लेकर आखिरी पालिश करने तकका जो विवरण मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा अन्दाज है कि तुम्हारे चावल पर भी एक पालिश तो होती ही है। सन्देह-निवारणके लिए कृपया मुझे बतायें कि भूसी निकालनेकी पहली प्रक्रिया कैसे की जाती है।

श्री जी० सीताराम शास्त्री
विनय आश्रम
चन्डोल डाकघर, गुन्टूर जिला

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

२९९. पत्र : तियो द ला तूशको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आप मुझे अब उस कागजकी याद दिला रहे है जिसे आपने २ दिसम्बर, १९३२ को भेजा था। जैसा कि आप जानते है, तबसे तो मै कितने ही उतार-चढाव देख चुका हूँ। मेरे बहुत-से कागज इधर-उधर हो गये है, कुछ जहाँ-तहाँ पडे हुए है। आपके कागजके बारेमे मुझे कुछ याद नही है। यदि मै उसे खोज भी लूं या आप मुझे उसकी एक और प्रति भेज भी दे, तो भी मै उसे निकट भविष्यमे तो पढ नही पाऊँगा। इसलिए वह आपके लिए उपयोगी नही होगा। आपको निराश करते हुए मुझे दु:ख हो रहा है, लेकिन मै लाचार हूँ।

हृदयसे आपका,

मोन० तियो द ला तूश
सिकन्दराबाद (दक्कन)

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य प्यारेलाल।

३००. पत्र : सी० नारायण रावको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही कि अस्पृश्यताके बारेमे हमे कोई कानून बनाना होगा, और वक्त आनेपर ऐसा कानून जरूर बनेगा।

तुम्हे नौकरी छूट जानेकी परवाह नही करनी चाहिए। तुम्हारी तरह बहुतोने कष्ट उठाया है। तुम्हे ईमानदारीसे जीविका कमानेकी अपनी योग्यतापर भरोसा रखना चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,

श्री सी० नारायण राव
भूतपूर्व हेड-क्लर्क, आबकारी-विभाग
पेद्दा वाल्टेयर, अपलैड्स वाल्टेयर डाकखाना

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३०१. पत्र : मेहरताजको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय मेहरताज,

तुम्हे तो बहुत पहले ही मुझे लिखना चाहिए था। फिर भी तुम्हारा पत्र पाकर मुझे खुशी हुई। मैंने पिताजीको जो पिछला पत्र[1] भेजा था, उसके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह किसी दिन भी आ सकता है।

बाबाके भाषणपर मैंने एक सरसरी नजर डाली है। मुझे लगा कि उसका अच्छा स्वागत हुआ और वह प्रासंगिक था। जो शाल तुम चाहती थी और जिसे मैंने देनेका वचन दिया था, क्या वह तुम्हे जोहरा या डॉ० अन्सारीने भेज दी है? उसे जोहराने चुना था। यदि वह तुम्हे मिल गई है, तो क्या वह तुम्हे पसन्द है? जोहरा ने ही उसकी कीमत अदा की थी। इसी तरह तो मैं अपना वचन पूरा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना तो कोई धन नही है। मैं तो केवल माँग ही सकता हूँ। और अब तो पिताजीके पास भी अपना धन बहुत थोड़ा ही रह गया है।

जब तुम स्कूल जाना शुरू करो, तो उसके बारेमें मुझे सब-कुछ बताना।

मुझे बराबर लिखती रहा करो। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? यहाँ आजकल काफी गर्मी है। हम आश्रममें नही रह रहे है। हम उस बगीचेमे रह रहे हैं जहाँ तुम सैरके लिए एक बार आई थी। हम प्रायः तुम्हारे बारेमे सोचते है और चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ होती।

स्नेह।

श्री मेहरताज
१३, विंडसर प्लेस
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए पृ० १४५-४६।

३०२. पत्र : मरियमको

१२ फरवरी, १९३५

प्रिय मरियम,

अपने पिताजीके पत्रके आखिरमे तुमने मुझे कुछ शब्द लिख भेजे है, जिन्हे देखकर खुशी हुई। आशा है, तुम्हारा काम ठीक चल रहा होगा। मुझे बराबर पत्र लिखती रहा करो और अपने कामकाजके बारेमे सब-कुछ बताती रहा करो। क्या सादुल्लाह और सोफिया तुम्हे पत्र लिखते है?

श्री मरियम
१३, विडसर प्लेस
नई दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३०३. पत्र : हीरालाल शर्माको

वर्धा
१२/१३ फरवरी, १९३५

चि० शर्मा,

तुम्हारा खत मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अविश्वास आया था क्योंकि अमतुलने बहुत सख्त लिखा था। मुझको साथ देना कोई मामूली चीज नही है। सब चीजको, मोहमात्रको छोड देना और छोड़नेमें खुशी मानना सबसे नही हो सकता। तुमने बाह्य चीज तो बहुत छोड़ दी है लेकिन भीतरी ज्ञान नही होगा तो भीतरी आनन्द कैसे? और जिसको भीतरी आनन्द नही मिलता है, वह गुस्से भी होता है और बीमार भी होता है और सब-कुछ कर बैठता है।

अब मैं तुम जितना लिखोगे वह सब दिलमे ऐसा ही है ऐसा मानकर मैं चलूंगा। इसमे कठिनाई है यह भी समझो और कठिनाईका कारण तुम्हारेमे जल्दीपन है, क्रोध भी है और क्रोधके मारे जल्दीमे कुछ लिख दिया उसे ऐसा ही मानकर मैं बैठ जाऊं सो तो उचित नही होगा। लेकिन तुम्हारे साथ चलनेमे और कोई चारा पाता नही हूं। गाय रखी, सो तो मुझे अच्छा लगता है। इतना याद रखो कर्जा बिलकुल न करना। हरिजनका सम्पर्क होता है, वह भी बहुत अच्छा है।

तुम्हारी डाक्टरी पढ़ाईके बारेमे नित्य ख्याल आता है। डा० अन्सारीको लिखा है, लेकिन उत्तरका ठिकाना नही।[1] उसकी शिकायत भी क्या करे? शक्तिसे ज्यादा काम ले लेता है।

मैं नही जानता, किस चीजमे बेहतरी है। मद्रासका क्या कोर्स है मुझे पता नही है, लेकिन मैं पता निकाल सकता हूँ। कोई सर्जनके वहा रहना नही हो सकेगा। अगर मद्रास जाना हुआ तो अकेले जाओगे? द्रौपदीका खुर्जेमे अकेले रहना मेरे लिए असह्य हो जायगा। मेरे साथ रहे, मेरा काम करे, बा के स्वभावकी बर्दास्त करे तो मुझे सबसे अच्छा लगेगा। और जब वह इस तरह रहनेके लिए तैयार हो जायगी तब तुम्हारा काम और मेरा भी सरल हो जायगा। तुम्हारे बारेमें मैंने बहुत आशाये बांध रखी है। तुम्हारे सब दोष निकल जानेसे तुम्हारे पाससे बहुत ही काम मै ले सकता हू, ऐसा प्रतीत होता है। आखर अगर तुम्हारा विलायत जानेका होगा तो भी साथमे द्रौपदी और बच्चोंके ले जानेमे मैं कभी तैयार नही हूंगा, क्योकि उसको मैं अनावश्यक मानता हूँ। तुमको भेजनेके लिए कुछ तैयारी है, वह पश्चिमके बारेमे तुम्हारा मोह उतारनेके लिए है। सच्ची नैसर्गिक चिकित्सा देहातमे ही है। पश्चिमका जो ज्ञान है उसमे से जो लेना है वह उनकी किताबोसे ले ले। बाकी सब देहातोमे से ही मिलनेवाला है। और अन्तमे हम जो सेवा करना चाहते हैं वह भी देहातियोकी ही है न? यह सब सोचो और बादमे लिखो तुम्हारी दृष्टिसे क्या किया जाय? द्रौपदी मेरे साथ रह सकती है?

तुम्हारा टाइम-टेबिल अच्छा है। कौन-सी किताब पढ़ते हैं, बालकोको क्या पढाते हो?

आटा घरपर पीसा जाता है? चावल बगैर पालिशके हैं? बगैर पालिशके चावल बाजारमे आते ही नही यह पता मुझे अब लगा। बगैर पालिशके चावल निकालना बहुत आसान है, ऐसा सुना है। मैंने पेडी पैदा कर ली है और उसको पीसकर छिलका निकालनेकी कोशिश यही करूँगा।

पंडित कौन है जो सिखाता है? मैं नही जानता ऊपरके हरफ पढ़ सकते हो या नही।[2] मैं दाहिने हाथसे सिर्फ सोमवारको लिखता हूं, उसे थोड़ा आराम चाहिये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१५४) से।

१. देखिए "पत्र: मु० अ० अन्सारीको", पृ० १८९।
२. पत्र बोलकर लिखवाया गया था।

३०४. पत्र : मणिलाल तथा सुशीला गांधीको

वर्धा
१३ फरवरी, १९३५

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

तुम दोनोके पत्र मिले। दोनो अलग-अलग आये थे। दूलके पत्रका जवाब मैं दे दूंगा। तुम दोनो नये एजेंटसे परिचय कर लेना। उनसे तुम्हारे बारेमे मामूली बातचीत हुई थी, यह बात मैं बहुत करके लिख चुका हूँ। मानना पडेगा कि हरिलालने रोडेशियामे अच्छा काम किया है। सुशीलाने वहाँके प्रवासियोका बडा ठीक विवरण दिया है। तुम दोनोका खर्च कितना आता है? साल या छ· महीनेमे हिसाब तो करते ही होगे, तो पिछले हिसाबकी नकल मुझे भेज देना।

सुशीलाने गन्नेके रसके बारेमे प्रश्न किया है। जो गुण गुडमें है, वही रसमे विशेष परिमाणमे होता है। मनुष्य काफी समयतक यह रस पीकर ही रह सकता है और अपनी शक्ति बनाये रख सकता है। गरम करके पीनेसे यह दस्तावर होता है। इस रसके पीनेवालेको शक्कर या गुड़की जरूरत बिलकुल नही होती। गरम अथवा ठंडे रसमें नीबू निचोड़ा जा सकता है। इसके सिवाय उसमें और क्या गुण हैं, मुझे नही मालूम।

सीताके शिक्षणके बारेमे मैं विस्तृत पत्र लिख चुका हूँ, वह पत्र[1] मिला होगा। रामदासने वहाँ आनेका इरादा बिलकुल छोड़ दिया है। मेरे जेल जानेकी अभी तो कोई बात नही है। मई महीने तक नही है, ऐसा कहा जा सकता है।

वे जर्मन जो वहाँ आकर मिल गये, उनका नाम ब्यूटो[2] है। लेकिन एक अंग्रेज भी मेरे साथ रह कर गये थे। उनका नाम रीस जोन्स है। वे स्थायी रूपसे डर्बनमे रहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि फीनिक्स आ जाये। आये तो उनसे अवश्य परिचय कर लेना। बडे भले आदमी हैं।

किशोरलाल और गोमती यही है। रोज मिलते हैं। मजेमे है। तारा भी आकर मिल गई। उसने अपना कार्यक्षेत्र [अखिल भारतीय ग्राम-] उद्योग सघके अन्तर्गत चुना है।

रामदासकी तबीयत ठीक है। देवदास मजेमे है। राजाजी कल ही आये थे। आज वापिस जायेंगे। कान्ति अभी यही है। मेरे पास ही रहता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३२) से।

१. पत्र उपलब्ध नहीं है।
२. साधन-सूत्रमें नाम स्पष्ट नहीं है।

३०५. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

१३ फरवरी, १९३५

चि० भगवानजी,

मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है। उससे पहलेका पत्र भी मिल गया था। शायद वह अभीतक कार्यालयमें ही रखा हुआ है। मैं रोजकी चिट्ठी-पत्रीका जवाब रोज नही दे पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा जो पत्र सबसे आखिरमें मिला है, उसका जवाब तुरन्त लिखवा रहा हूँ।

तुमने दूधकी मात्रा घटाकर ठीक ही किया है। अगर तुम कच्ची सब्जियाँ और फल लगातार लेते रहे तो तुम्हारे शरीरमें काफी ताकत आ जायेगी। कच्ची सब्जियोंमें से तुम लूनी, करमकल्ला, मूली, गाजर, शलजम, मेथीके पत्ते तथा सरसोके पत्तोका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम मूली, शलजम तथा गाजरकी मुलायम पत्तिया भी लें सकते हो। कच्ची-सब्जियोकी मात्रा एक औंससे शुरू करके उसे रोज बढाते रहो; लेकिन ८ औंससे ज्यादा मत लेना। इसके साथ-साथ पपीता, नीबू, केला, मुनक्का आदि भी लें सकते हो। पीनेके लिए दूध भी ४ पौंडसे अधिक मत लेना।

शरीरमें दर्दके लिए मालिश करो और शरीरके जिस हिस्सेमें दर्द हो, उसे सूर्यकी तरफ करके उसकी धूपका सेक लो, इससे तुम्हे पूरा आराम हो जायेगा।

अपने कार्यक्रमके बारेमें एक बार फिर मुझे सूचित करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

रामजीको कहिये कि गायका दूध मुहैया करनेके लिए पूरी कोशिश करे। यहाँ दूध प्राप्त करनेमें मुझे सफलता नही मिली।

श्री भगवानजीभाई
हरिजन-आश्रम
साबरमती (गुजरात), बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३७४) से, सौजन्य : भगवानजी पु० पण्ड्या।

३०६. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

१३ फरवरी, १९३५

भाई राजेन्द्रबाबु,

तुमारे खतका तारसे उत्तर दिया है, लेकिन राजाजी कल यही आ गये। बात यह है मैंने जब सुना ऐसी है जिसने तार भेजा था उनको तार दिया और लिखा। उनकी उत्तर आया:

> हमारे पास अधिक खबर नहीं है। जो-कुछ है वह अखबारोंमें आ गया है उसे देख लें। सरकारके तरफसे पैसे इकट्ठे किये जाते है।

मैंने राजाजीको तार दिया था वे किसीको सिलोन भेज देवे। उन्होंने अपने मित्रको लिखा या तार दिया। मित्रने लिखा बाहरसे मददकी आवश्यकता नही है। उसके बादसे मैं खामोश रहा हूँ। मेरा तो खयाल है कि कोई भी अपील करे उससे पहले एक आदमी को भेजना चाहिये, वह हमको ही है। कोई प्रतिष्ठित आदमी जाना चाहिये। मेरी आत्मा सतुष्ट है। परसो एक तार आ गया है। तार भेजनेवाला आश्रममे रहा है। उसने भी कुछ हकीकत नही भेजा है। मैंने उसे पूछ लिया है क्या हुआ है।[1] उनका उत्तर आने पर मैं तुमको और लिखुगा। राजाजीसे मैंने बात कर ली है। उनकी वही राय है जो उन्होंने पहेले दी थी। अब जैसा उचित लगे ऐसा किजीये।

शरीर तो अच्छा होगा। मार्चमे तो मिलेगे न?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९७४६ से; सौजन्य. राजेन्द्रप्रसाद।

१. देखिए "जयरामदास जयवर्धनेको", पृ० २३६।

३०७. पत्र : जी० रामचन्द्रनको

वर्धा
१४ फरवरी, १९३५

प्रिय रामचन्द्रन,

देवदासने मुझे उस विषयमें सब-कुछ बता दिया है। उसके बाद मैंने सारा पत्र-व्यवहार पढ़ा और इस समय कान्ति यहीं है। वह मेरे साथ ही रहेगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, यह केवल मानसिक और इकतरफा चीज है। उस बेचारी बच्चीको शायद इसकी कोई खबरतक नहीं है। फिर भी तुम्हारी बहन सब-कुछ जानती है और जब वह लड़की खुद निर्णय करनेके सर्वथा योग्य है, तो तुम्हारी बहन यह चाहेगी कि वह कान्तिको चुन ले। मेरे विचारसे कान्ति अपने उस आदर्शसे तो नीचे गिर ही गया है जिसपर कायम रहनेकी उससे मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन मेरी कितनी इच्छाएँ चूर-चूर नहीं हुई हैं! उस ढेरमें इस एक और इच्छाके जा पड़नेसे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे कोई दोष नहीं देता। अपनी मूल प्रकृतिसे भिन्न होना बहुत कठिन है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें उसके इस आचरणसे कितना सदमा पहुँचा है। किन्तु मैं यह जानता हूँ कि तुमने उसे माफ कर दिया है। अगर प्रकट हो जानेपर लड़कीके प्रति उसकी प्रेम-भावना दृढ़ हो जाये, और वह लड़की किसी औरको चुन ले और तब भी कान्ति यदि अन्य लड़कीसे प्रेम न करे तो इस भावनासे उसका कल्याण ही होगा। कान्ति उस लड़कीको अपने दिलमें जगह दिये रहे तो इसमें मुझे कोई हानि नहीं दिखती। वह पत्रों द्वारा निरन्तर तुम्हारी बहनके साथ सम्पर्क बनाये हुए है। तुम बिना हिचकिचाहटके मुझे लिखो कि मुझे अथवा कान्तिको अब क्या करना चाहिए।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९७३९) से; सौजन्य : कान्तिलाल गांधी।

३०८. पत्र : जमनालाल बजाजको

१४ फरवरी, १९३५

चि० जमनालाल,

राजाजी आकर चले गये। मैंने तुम्हे केशूके वारेमें लिखा था। लगता है, उसका जवाव देना तुम भूल गये हो। मेरा पत्र-व्यवहार तो चल ही रहा है।

कृष्णदासके वारेमे मै निश्चिन्त हूँ। रमावाईको लिखा पत्र[1] भी इस पत्रके साथ है, ठीक समझो तो उसे दे देना। २० तारीख़के आसपास आ जाओ तो यह मेरे मनकी वात हो। लेकिन डॉक्टरकी अनुमति मिल जाये, तभी आना।

कान तो अवतक विलकुल ठीक हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

गनीके खर्चके विषयमे लिखना मै भूल गया हूँ। उसने ६० रुपये माँगे थे। खान साहवकी इच्छा थी कि ३० रुपयेमे चलाये। रामेश्वरकी उसके विषयमे क्या राय है? क्या वह उसे कुछ काम देता है? उसके साथ पटती है न?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५७) से।

३०९. पत्र : मदालसा बजाजको

१४ फरवरी, १९३५

चि० मदालसा,

तू ठीक पत्र लिख रही है। वहाँ रह गई है, यह तो मुझे अच्छा लगता ही है। मुझे तो तेरा शरीर सुवर्णमय देखना है। शरीर और मनके वीच ऐसा निकट सम्वन्ध है कि एकको शुद्धताके साथ दूसरेका सम्वन्ध ज्यादातर जुड़ा होता है। अंग्रेजीमे इसके समर्थनमे एक कहावत भी है। एक उपनिषद्में खुराकके सम्वन्धमें यही वात कही गई है। मनुष्य जो खाता है वैसा ही वनता है। अन्नसे [पच] भूत वनते है, 'गीता' का यह वाक्य भी यही सूचित करता है। इसलिए तू विलकुल नीरोगी हो सकती है। इसे भी अपनी पढाईका एक क्रम समझ।

१. उपलब्ध नहीं है।

ओम सोती है मेरे पास और दिन कन्याश्रममें बिताती है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृ० ३१६

३१०. पत्र : हरिलाल गांधीको

१४ फरवरी, १९३५

चि० हरिलाल,

तेरा पत्र मिला। जो तू खुशीसे मेरे पास आ सकता हो, तो आ जा, मुझे ऐसी तीव्र इच्छा हो आई है। तेरी याद मुझे बराबर आती रहती है। इतना ही विश्वास यदि मेरे जीवनकी सत्यताके सम्बन्धमें तेरे मनमें उत्पन्न हुआ हो, तो तेरा स्थान मेरे पास है। जो वस्तु तू अमरेलीमें पानेकी आशा करता है, वह सब तो यहाँ और आसपास है। और काम कर सके तो मेरे पास तो इस समय बहुत काम है। फिर तेरे लिए अच्छे साथी बेहिसाब हैं। और सबसे ज्यादा वजनदार दलील तो यह है कि मेरा खुदका कुछ भी निश्चित नहीं है। मुझे मन्दिर[1] जानेका निमन्त्रण कब आ जाये, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तू अब मेरे ही पास रहे, तो मुझे अच्छा लगे। इसके बाद जो तुझे ठीक लगे सो करना। तेरे पत्रके दूसरे भागके सम्बन्धमें कान्ति तुझे लिखेगा। हो सकता है, हम जल्दी ही मिलें।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३७) से, सौजन्य: मनुबहन मशरूवाला।

३११. पत्र : नारणदास गांधीको

१४ फरवरी, १९३५

चि० नारणदास,

इसके साथ हरिलालके नाम लिखा हुआ पत्र[2] है। इसमें तुम्हें तटस्थ नहीं रहना है, बल्कि मुझे रास्ता बताना है और इसी प्रकार हरिलालको भी। तुम उसके पास हो और मैं दूर हूँ।

कान्ति अभी यहीं है और रहेगा।

१. जेल।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

वहाँ किसीके पास गट्टुलालजीकी समश्लोकी 'गीता' हो तो देखना। मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ वह कहीं भी मिलती नहीं है।

काळेका यन्त्र[1] अभी मेरे पास है और मैं उसकी परीक्षा कर रहा हूँ, यह तो तुम जानते हो न? धानके दलनेका काम यहाँ शुरू कर दिया गया है। मैंने तो सामान्य चक्कीको कुछ और हलका करके उसे उसमें दलना शुरू किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३० से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

३१२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१४ फरवरी, १९३५

भाई वल्लभभाई,

दायाँ हाथ थक गया है, इसलिए आराम कर रहा हूँ। आपका पत्र मिला था। बादमें मुलाकातका[2] विवरण भी मिला। मिल लिये, यह ठीक हुआ। अब पत्र-व्यवहार जारी रखें।

नाक कष्ट नहीं देती होगी।

यहाँ कब आयेंगे? तारीख निश्चित करें।

प्यारेलालसे बातें कर लीजियें।

मैं तो भोजनालय लेकर बैठा हूँ। मेरा काम बदल गया है। सोचा था उससे ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसकी क्या शिकायत? महादेव कल आयेंगे।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
८९, वार्डन रोड
बम्बई

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५२–५३

१. पुरस्कार-प्रतियोगिताके लिए तैयार किये गये चरखेका एक नमूना।

२. वाइसरायकी कार्यकारिणी-परिषदके गृह-सदस्य, सर हेनरी क्रेकसे। घनश्यामदास बिड़लाने मुलाकात करानेका प्रबन्ध किया था।

३१३. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

१४ फरवरी, १९३५

चि० जेठालाल

दुर्गादासने मुझे बिल भेजा, तो मैंने ३० रु० १० आने चुका दिये। मुझे वह बिल देखकर आश्चर्य तो हुआ ही था। पैसे यदि वहाँके खातेमें से देने थे, तो वे अब मुझे भेज देना। उनके झूठे ढोलके खिलाफ हमे अपना सच्चा ढोल पीटनेकी जरूरत नही है। उसका नतीजा कुछ नही निकला। इसीसे लोग सब-कुछ पूरी तरह समझ गये होगे।

विनोबाके अनुभव तो मै उन्हीसे मालूम करूँगा, यही ठीक होगा। तुम्हारे विभागमे लोग गेहूँ खाते है या चावल? वहाँकी मुख्य उपज क्या है? मै यहाँ धान दलवाने तथा बिना कुटे चावल लोगोको खिलानेका प्रयोग कर रहा हूँ। परिणाम 'हरिजनबन्धु' तथा 'हरिजन-सेवक' में पढना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८४९) से; सौजन्य. नारायण जे० सम्पत।

३१४. पत्र : रा . . . को[1]

१४ फरवरी, १९३५

चि० . . .

यह . [2]का खत पढकर उसे दे दो। यदि दोष हुआ है तो हम तुम कौन निंदा करनेवाले अथवा सजा देनेवाले? हम सब दयाके भिक्षुक है और सब करनेवाला ईश्वर है। यदि गर्भ है तो जतनसे रक्षाकी जाये। दोनो यहाँ आ जाओ। थोडी बाते कर लेगे। हर हालतमें तुमारे तो विकार मात्र क्षीण हो जाने चाहिये।

तुमारा शरीर तो अच्छा ही होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७)से।

१ और २. नाम छोड दिये गये हैं।

३१५. हरी पत्तियाँ

आप खुराक या विटामिनोंके बारेमें लिखी हुई किसी भी आधुनिक पुस्तकको उठाकर देखिये, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हर भोजनके साथ थोडी मात्रामें बिना पकाई हुई हरी पत्तियाँ या भाजियाँ खानेकी जोरदार सिफारिश की गई है। बेशक, उनपर जमी हुई धूलको पूरी तरह साफ करनेके लिए उन्हें ५-६ बार पानीसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए। सिर्फ तोडनेकी थोडी-सी तकलीफ उठाई जाये तो ये पत्तियाँ हर गाँवमें मिल सकती हैं। किन्तु गाँववाले इन्हें सिर्फ शहरोमें खाई जानेवाली चीज समझते हैं। हिन्दुस्तानके बहुत-से हिस्सोंमें गाँववाले दाल, चावल या रोटी और बहुत-सी मिर्चें, जो शरीरको नुकसान करती हैं, पर गुजर करते हैं। चूँकि हमने गाँवोंका आर्थिक पुनर्गठन खुराकके सुधारसे शुरू किया है, इसलिए सादीसे-सादी और सस्तीसे-सस्ती ऐसी खुराकका पता लगाना चाहिए, जो गाँववालोंको उनकी खोई हुई तन्दुरस्ती फिरसे पानेमें मदद कर सके। अगर गाँववाले हर बार भोजनमें हरी पत्तियाँ लेने लगें, तो उन्हें ऐसी बहुत-सी बीमारियोंसे जिनके वे आज शिकार बने हुए हैं, छुटकारा मिल जाये। गाँववालोंके भोजनमें विटामिनोंकी कमी है; बहुत-से विटामिन हरी पत्तियोंसे प्राप्त हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टरने दिल्लीमें मुझसे कहा था कि हरी पत्ती-भाजियोंका ठीक-ठीक उपयोग खुराक सम्बन्धी रूढ़ विचारोंमें क्रान्ति पैदा कर देगा और आज दूधसे जो पोषण मिलता है, उसका बहुत-सा हिस्सा हरी पत्ती-भाजियोंसे मिल सकेगा। बेशक, इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तानके जंगली घास-चारेमें छिपी हुई जो बेशुमार हरी पत्तियाँ मिलती हैं, उनके पोषक तत्वोंकी तफ़सीलवार जाँच की जाये और उनकी शोध कड़ी मेहनतसे की जाये।

लगभग पाँच माहसे मैं पूरी तरह ऐसे आहारपर रह रहा हूँ जिसे आगपर नहीं पकाया जाता। पहले मैं प्रतिदिन बहुत ज्यादा मात्रामें साग-भाजियाँ लेता था। किन्तु पिछले पाँच माहसे मैं पकाई गई पत्ती-भाजियों या अन्य साग-सब्जियोंकी जगह हरी अनपकी पत्ती-भाजियाँ ही ले रहा हूँ। यह प्रयोग आरम्भ करनेपर मुझे लगा कि जो थोड़ी-सी हरी भाजी मैं लेता हूँ, उसके लिए वर्धाके बाजारपर निर्भर रहना तो बड़ी भयंकर बात है। तब एक दिन सुबह वर्धा आश्रमके श्री छोटेलालजी मेरे पास एक ऐसी भाजीके कुछ पत्ते लाये जो यहाँ आश्रममें अपने-आप बहुत ज्यादा उगती है। उस भाजीको 'लूनी' कहते हैं। मैंने उसका प्रयोग किया और पाया कि वह मुझे माफिक आती है। दूसरे दिन वे चकवातके पत्ते लाये, वह भी माफिक आई। लेकिन लोगोंसे ये जंगली भाजियाँ खानेके लिए कहनेसे पहले मैंने सोचा कि इनके विषयमें वनस्पति-शास्त्र क्या कहता है, इसका पता लगाऊँ। परिणाम यहाँ प्रस्तुत

३१३. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

१४ फरवरी, १९३५

चि० जेठालाल

दुर्गादासने मुझे बिल भेजा, तो मैंने ३० रु० १० आने चुका दिये। मुझे वह बिल देखकर आश्चर्य तो हुआ ही था। पैसे यदि वहाँके खातेमे से देने थे, तो वे अब मुझे भेज देना। उनके झूठे ढोलके खिलाफ हमे अपना सच्चा ढोल पीटनेकी जरूरत नही है। उसका नतीजा कुछ नही निकला। इसीसे लोग सब-कुछ पूरी तरह समझ गये होगे।

विनोबाके अनुभव तो मैं उन्हीसे मालूम करूँगा, यही ठीक होगा। तुम्हारे विभागमे लोग गेहूँ खाते है या चावल? वहाँकी मुख्य उपज क्या है? मैं यहाँ धान दलवाने तथा बिना कुटे चावल लोगोको खिलानेका प्रयोग कर रहा हूँ। परिणाम 'हरिजनबन्धु' तथा 'हरिजन-सेवक' मे पढना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८४९) से; सौजन्य. नारायण जे० सम्पत।

३१४. पत्र : रा... को[1]

१४ फरवरी, १९३५

चि० . . .

यह . [2]का खत पढकर उसे दे दो। यदि दोष हुआ है तो हम तुम कौन निंदा करनेवाले अथवा सजा देनेवाले? हम सब दयाके भिक्षुक है और सब करने-वाला ईश्वर है। यदि गर्भ है तो जतनसे रक्षाकी जाये। दोनो यहाँ आ जाओ। थोडी बातें कर लेगे। हर हालतमें तुमारे तो विकार मात्र क्षीण हो जाने चाहिये।

तुमारा शरीर तो अच्छा ही होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २०७)से।

१ और २. नाम छोड दिये गये हैं।

३१५. हरी पत्तियाँ

आप खुराक या विटामिनोके बारेमें लिखी हुई किसी भी आधुनिक पुस्तकको उठाकर देखिये, तो आपको पता चलेगा कि उसमे हर भोजनके साथ थोड़ी मात्रामें बिना पकाई हुई हरी पत्तियाँ या भाजियाँ खानेकी जोरदार सिफारिश की गई है। बेशक, उनपर जमी हुई धूलको पूरी तरह साफ करनेके लिए उन्हे ५-६ बार पानीसे अच्छी तरह धो लेना चाहिए। सिर्फ तोडनेकी थोडी-सी तकलीफ उठाई जाये तो ये पत्तियाँ हर गाँवमे मिल सकती है। किन्तु गाँववाले इन्हें सिर्फ शहरोमे खाई जाने-वाली चीज समझते हैं। हिन्दुस्तानके बहुत-से हिस्सोमे गाँववाले दाल, चावल या रोटी और बहुत-सी मिर्च, जो शरीरको नुकसान करती है, पर गुजर करते है। चूँकि हमने गाँवोका आर्थिक पुनर्गठन खुराकके सुधारसे शुरू किया है, इसलिए सादीसे-सादी और सस्तीसे-सस्ती ऐसी खुराकका पता लगाना चाहिए, जो गाँववालोको उनकी खोई हुई तन्दुरुस्ती फिरसे पानेमे मदद कर सके। अगर गाँववाले हर वार भोजनमे हरी पत्तियाँ लेने लगे, तो उन्हे ऐसी बहुत-सी बीमारियोसे जिनके वे आज शिकार बने हुए है, छुटकारा मिल जाये। गाँववालोके भोजनमें विटामिनोकी कमी है, बहुत-से विटामिन हरी पत्तियोसे प्राप्त हो सकते है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज डॉक्टरने दिल्लीमे मुझसे कहा था कि हरी पत्ती-भाजियोका ठीक-ठीक उपयोग खुराक सम्बन्धी रूढ विचारोमे क्रान्ति पैदा कर देगा और आज दूधसे जो पोषण मिलता है, उसका बहुत-सा हिस्सा हरी पत्ती-भाजियोसे मिल सकेगा। बेशक, इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तानके जगली घास-चारेमे छिपी हुई जो बेशुमार हरी पत्तियाँ मिलती है, उनके पोषक तत्वोकी तफसीलवार जाँच की जाये और उनकी शोध कडी मेहनतसे की जाये।

लगभग पाँच माहसे मै पूरी तरह ऐसे आहारपर रह रहा हूँ जिसे आगपर नही पकाया जाता। पहले मै प्रतिदिन बहुत ज्यादा मात्रामे साग-भाजियाँ लेता था। किन्तु पिछले पाँच माहसे मै पकाई गई पत्ती-भाजियो या अन्य साग-सब्जियोकी जगह हरी अनपकी पत्ती-भाजियाँ ही ले रहा हूँ। यह प्रयोग आरम्भ करनेपर मुझे लगा कि जो थोड़ी-सी हरी भाजी मै लेता हूँ, उसके लिए वर्धाके बाजारपर निर्भर रहना तो बड़ी भयकर बात है। तब एक दिन सुबह वर्धा आश्रमके श्री छोटेलालजी मेरे पास एक ऐसी भाजीके कुछ पत्ते लाये जो यहाँ आश्रममें अपने-आप बहुत ज्यादा उगती है। उस भाजीको 'लूनी' कहते है। मैने उसका प्रयोग किया और पाया कि वह मुझे माफिक आती है। दूसरे दिन वे चकवातके पत्ते लाये, वह भी माफिक आई। लेकिन लोगोसे ये जगली भाजियाँ खानेके लिए कहनेसे पहले मैने सोचा कि इनके विषयमे वनस्पति-शास्त्र क्या कहता है, इसका पता लगाऊँ। परिणाम यहाँ प्रस्तुत

है। इसमे मुझे प्रो० जे० पी० त्रिवेदीकी सहायता मिली है। उद्धरण वाट्सकृत 'इकोनोमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इन्डिया' नामक वृहत् ग्रंथ-मालासे लिये गये हैं।[1]

मैंने सरसो, सूआ, शलजम, गाजर, मूली और मटरकी हरी पत्तियाँ खाई हैं। यह कहना शायद ही जरूरी हो कि मूली, शलजम और गाजर कच्ची हालतमे भी खाई जा सकती है। गाजर, मूली और शलजमको या उनकी पत्तियोको पकाना, पैसे और उनके स्वादको बरबाद करना है। इन भाजियोमे जो विटामिन होते हैं, वे पकानेसे पूरे या थोडे-बहुत नष्ट हो जाते हैं। मैंने इनके पकानेको 'स्वाद' की बरबादी कहा है, क्योंकि बिना पकायी हुई हरी भाजियोका अपना खास एक कुदरती जायका होता है, जो पकानेसे खत्म हो जाता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-२-१९३५

३१६. आवश्यकता है[2]

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके लिए लोग दानमे रुपये-पैसे तो भेजते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरहकी चीजोकी सघको आवश्यकता है। जैसे, ग्रामोद्योग सम्बन्धी और गाँवोके खेतोमें उगाने लायक जडी-बूटियोके बारेमें साहित्य तथा गाँवोमे पैदा होनेवाली चीजोके नमूने। संघ अपना एक संग्रहालय बना रहा है, उसके लिए इन सब चीजोकी जरूरत है। इसके अलावा तेल और गन्ना पेरनेके ग्रामीण कोल्हू भी हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न भागोमें इस्तेमाल किये जाते हैं। इन दोनो कामोके ही कोल्हू अलग-अलग किस्मके होते हैं और हरेक प्रान्तमे उनमे थोड़ा-बहुत फर्क मिलता है। ग्रामीण उद्योगोमे जिनकी रुचि है, वे अगर उत्पादन के विभिन्न उपकरणोका पता लगाकर उन्हे उद्योग-सघके प्रधान कार्यालयमे भेजनेका कष्ट उठाये तो कार्यालय उनका श्रेणी विभाग करके उनकी आजमाइश करेगा, और विशेषज्ञ उनमें से जिन्हें सर्वोत्तम समझेंगे, उनके बरतनेकी सिफारिश की जायेगी। अगर किसीके पास वाट्सकृत 'इकोनोमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इन्डिया' ले० क० कीर्तिकरकृत 'इंडियन मेडिसिनल प्लांटस' या नादकर्णी-कृत 'इंडियन हर्ब्स' नामक पुस्तके हो और वे काममे न आ रही हो, न उपयोगकी कोई खास सम्भावना ही हो, तो उन्हे चाहिए कि वे उन्हे संघको भेट कर दे। ऐसा करनेसे निश्चय ही उनका अच्छा उपयोग होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-२-१९३५

१. इन उद्धरणोंको, जिनमें लूनी और चकवातके विभिन्न स्थानीय नाम, गुण और उपयोग दिये गये है, यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

२. यह "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

३१७. चावलके बारेमें

चावलकी समस्याके विषयमे लोग अधिकाधिक रुचि ले रहे है। श्री शकरलाल बैंकरने तो बिना पालिशके चावलके प्रयोग शुरू भी कर दिये है। वे लिखते है:[1]

इस पत्रपर मै सिर्फ यही टिप्पणी करूँगा कि मेरे खयालमे इस बारेमें और डॉक्टरी सम्मतिकी जरूरत नही है। जो सम्मतियाँ इकट्ठी करके मै 'हरिजन' मे दे चुका हूँ, वे विना पालिशके चावलकी जोरदार समर्थक है। लेकिन जहाँतक मुझे पता है, डॉक्टरी साहित्यमे ऐसे प्रयोगोका, जिनकी शुरूआत हममे से बहुतोकी तरह श्री बैंकरने की है, कोई वर्णन नही है। इसका सबूत तो खाकर ही मिल सकता है, हरएकको खुद ही आजमाइश कर लेनी चाहिए।

लेकिन अभ्यस्त रसोइयेकी हैसियतसे इस सम्बन्धमे मै एक चेतावनी दूंगा। अपनी पत्नीके साथ मेरे जो अनेक घरेलू झगड़े होते रहते थे, उनमे एक चावल राँधनेपर भी था। वह एक-एक दाना खिला रखती थी, लेकिन मै तो आहार-सम्बन्धी सुधारका पक्षपाती था और इस बातको जानता था कि ऐसा चावल गुणमे उससे आधा भी अच्छा नही होता, जैसा कि अच्छी तरह पका हुआ चावल होता है। मै चावलका मॉड एक तोला भी फेकता नही था। उस वक्त बिना पालिश किये हुए चावलका फर्क तो मुझे मालूम नही था। मै तो आम तौरपर बाजारमे प्राप्त चावल ले जाता और उसको अच्छी तरह पकाता था। पाठकोको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे झगड़ेका अन्त सुधारकी विजयमे हुआ, और मेरी पत्नी अच्छी तरह राँधे हुए चावलके पक्षमे हो गई। अस्तु, यह ध्यान रहे कि बिना पालिशके चावलके बारेमे और भी ज्यादा सावधानीकी जरूरत है कि जिसमे, उसके सबसे अधिक पोषक तत्व होते है। इसलिए बिना पालिशके चावलको पहले कमसे-कम तीन घंटे तक ठडे पानीमे भिगोकर तब पकाया जाये तो उसके हजम होनेमें तो कोई दिक्कत होगी ही नही, उलटे निश्चित रूपसे वह अधिक सुस्वादु हो जायेगा। मगनवाड़ीमे तो जहाँ कि वर्धामे सघ है, यह बात साबित हो चुकी है। यहाँपर हमे जो चावल मिल रहा है वह अधकुटा कहला सकता है, बिलकुल वैसा नही जैसेका जिक्र ऊपरके पत्रमे किया गया है। पर उसको राँधा अच्छी तरह जाता है और उसके हजम न होनेकी शिकायत किसीने नही की है। लेकिन चूंकि पालिश किये हुए चावलसे वह अधिक पौष्टिक होता है और उसमे 'स्टार्च' लगभग असली रूपमें रहता है, इसलिए स्वभावत बिना पालिशका चावल उतने परिमाणमे नही खाया जा सकता

१. उद्धरण यहाँ नही दिया जा रहा है। शंकरलाल बैंकरने स्वानुभवके आधारपर तफसील देकर कहा था कि हाथ-कुटा चावल मिलमें साफ किये चावलकी अपेक्षा पचनेकी दृष्टिसे भारी नही होता और सुझाया था कि गांधीजी इस विषयमें लोगोंके निश्चित अनुभव प्राप्त कर सकते है।

और न खाना ही चाहिए जितना कि पालिशदार चावल खाया जाता है। चावलकी ही बात नही, पुराने तरीकेपर पकाई जानेवाली सभी चीजोके बारेमे यही बात लागू होती है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-२-१९३५

३१८. 'दरजे' का अर्थ

हरिजन-सेवक सघका हालमें जो नया संविधान[1] बना है, उसके बारेमे एक अत्यंत प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक लिखते हैं.

> प्रतिज्ञा अ और ब मे 'दरजा' शब्द आता है। अगर उसका अर्थ यह है कि जैसे कानूनमें कोई ऊँचा-नीचा नहीं है, वैसे ही ईश्वरकी दृष्टिमें भी कोई ऊँचा-नीचा नहीं है तो हमारे यहाँके सदस्य उसको माननेके लिए तैयार हैं। अर्थात्, धर्म या दर्शन-शास्त्रके सिद्धान्तके बतौर, आध्यात्मिक रूपमें, वे इस बातको मानते हैं। लेकिन अगर इसका अर्थ बुनियादी व्यवहारमें मालिक-नौकर, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, न्यायाधीश और कैदी आदिके बीचके दरजे जैसा लगाया जाये और कहे कि वैसा अन्तर भी नहीं होना चाहिए, तो हमारे लिए इस प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करना मुश्किल है। इसलिए आप यह बतलानेकी कृपा करे कि यहाँपर 'दरजे' का जो उल्लेख हुआ है वह सासारिकके बजाय आध्यात्मिक रूपमें ही है या नहीं?

प्रतिज्ञाके जिस अशका ऊपर उल्लेख किया गया है, वह निम्न प्रकार है:

> मै किसी मनुष्यको दरजेमें अपनेसे नीचा नहीं समझता और मै अपने इस विश्वासपर चलनेका भरसक प्रयत्न करूँगा।

मै समझता हूँ कि ऊपरकी बातका जवाब तो प्रतिज्ञामे ही दिया हुआ है। लेकिन पत्र-लेखक समानताका अर्थ भिन्नताओंकी समाप्ति समझकर भ्रममे पड गये मालूम पड़ते हैं। अगर यह भिन्नता या विविधता बिलकुल ही न होती तो यह दृश्य-जगत ही कहाँ होता, और समानता या ऊँच-नीचके भावका प्रश्न ही न उठता। लेकिन जब ईश्वर अनेक रूप धारण करता है, तब उन विविध रूपोमे भिन्नता भी देखनी ही पडती है। ईश्वरके कोई अग दूसरे अगोकी अपेक्षा ऊँचे या श्रेष्ठ होनेका दावा करे, तो उसे सृष्टिकर्त्ताके विरुद्ध विद्रोह ही कहा जायेगा। क्योकि उन सबके बीच कद, रग, रूप, गुण आदिकी भिन्नता चाहे जितनी हो, फिर भी दरजेमें तो वे सब बराबर ही माने जायेंगे। पति-पत्नी, गुरू-शिष्य, नौकर-मालिक, न्यायाधीश और अपराधी, जेलर और कैदीके बीच अन्तर तो है ही, लेकिन यदि पति अपनी पत्नीसे, मालिक नौकरसे या न्यायाधीश सजा पानेवाले अपराधीसे अपनेको ऊँचा माने, तो वह

१. हरिजन-सेवक संघका यह संविधान २ जनवरी, १९३५ को स्वीकार किया गया था।

अधर्माचरण होगा। दुनियाका सारा दु.ख असमानताकी इस भावनासे पैदा हुआ है। हिन्दू जिस अस्पृश्यताका पालन करते है, वह इसका चरम रूप है। इसलिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हरिजन-सेवक इस पुराने पापको धोते समय अन्तर्मुख होकर विचार करे और असमानताके विषको अपने हृदयसे बिलकुल निकाल डाले? लेकिन यह किस प्रकार मालूम होगा कि अमुक मालिक तो अपने नौकरको अपनेसे नीचा मानता है और अमुक उसे अपने समान समझता है? इसका पता इसीसे चल सकता है कि पहले प्रकारके मालिकको अपने नौकरके सुख-दुःखका कोई खयाल ही नही होगा, क्योकि उसे तो नौकरको तनख्वाह देकर उसके बदले काम लेनेके सिवा उससे और कोई मतलब नही है जबकि दूसरा अपने कुटुम्बीकी तरह उसका खयाल रखेगा। सस्कारवान कुटुम्बोमे मालिकके बाल-बच्चे पुराने नौकरोको माँ-बापकी तरह मानते है। नौकरोके सुख-दु.खमे मालिक भी शरीक होते है। नौकरोको ऐसा महसूस नही होता कि वे मालिकसे नीचे दरजेके है। मालिक उलटे रास्ते जाये तो वे उन्हे टोकते भी है। घमण्डी और विनम्र मालिकके बीच वैसा ही अन्तर है, जैसा कि खड़िया और मलाईके बीच। उनमे कम-ज्यादाका कोई भेद नही है, उनकी तो किस्म ही अलग-अलग है। समानताकी यह स्थिति प्रकृतिजन्य है और बुद्धि एवं हृदय रखनेवाले मनुष्यकी हैसियतसे यही शोभनीय है। मगर फिर भी हम सब अभी इस स्थितिसे बहुत दूर है। लेकिन बजाय इसके कि मरनेके बाद इसके अनुसार व्यवहार करनेकी आशा करे, हमे अपने रोजमर्राके जीवनमे ही इसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न करना चाहिए। अगर सच्चे दिलसे हम ऐसा करनेका प्रयत्न न करे, तो फिर कानूनकी दृष्टिवाली समानताका अर्थ ही क्या हो सकता है?

उक्त मित्र शुद्ध निष्ठासे अवैतनिक काम करनेवाले प्रतिष्ठित हरिजन-सेवक है। सविधानकी १० वी धारामे कहा गया है कि प्रान्तीय सघोके सदस्योमे एक-तिहाई सख्या ऐसोकी होनी चाहिए जो सघके काममे अपना पूरा समय देते हो। इसमे 'पूरा समय देनेवाले सेवक' शब्द आये है, उनका अर्थ समझनेमे भी इन मित्रको कठिनाई हुई है। यह कठिनाई ठीक है, क्योकि नियमोमे ऐसा कही नही बताया गया है कि ऐसे सेवक सवैतनिक हो या होने चाहिए। इस सविधानके क्रमशः बनते जानेकी अवधिमे मै वहाँ उपस्थित था। इसलिए जो बात जान-बूझकर उसमे नही रखी गई थी, मै उसकी पूर्ति आसानीसे कर सकता हूँ। अपना पूरा समय देनेवाले वेतन पानेवाले सेवकोको रखनेके बारेमे विचार हो रहा है। इसकी योजना भी बन रही है। पूरा समय देनेवाले जिन अवैतनिक सेवकोके पास इतनी सम्पत्ति हो कि कमाईकी फिक्र किये बिना वे अपना पूरा समय इसमे लगा सके, उन्हे इस योजनासे अलग नही रखा जायेगा। सवेतन शब्द किसीको बुरा लगेगा, यह भी संविधान बनाते समय विचार उठा था। इसीलिए इसे उसमे नही रखा गया था। लेकिन यह विचार तो स्पष्ट ही है कि जहाँ-जहाँ मिल सके वहाँ एक-तिहाई सेवक पूरा समय देनेवाले सवेतन सेवकोमे से ही लेने चाहिए। अलबत्ता, यह जरूर है कि जिम्मेदारीके लिए जिन और बातोकी आवश्यकता हो वे भी उनमे मौजद हो।

इन मित्रकी एक तीसरी कठिनाई भी है, जिसके बारेमें ये लिखते हैं:

हमारे संघके सदस्यों, खासकर हरिजनोंकी इच्छा है कि २४ वें नियममें सुधार होना चाहिए। 'अधिकसे-अधिक जितने सदस्य मिल सकें' के बदले कमसे-कम एक-तिहाईका अनुपात निश्चित कर देना चाहिए। मद्रास-जैसी जगहोंमें १५ हरिजन-सदस्य तो आसानीसे मिल सकते हैं, और जैसा कि इस समय विधान है, उसके अनुसार और किसीको उसमें लिया ही नहीं जा सकता। इससे तो संघका जो यह उद्देश्य है कि सवर्ण लोग हरिजनोंकी सेवा करें, वही नष्ट हो जाता है।

यह कठिनाई सम्भवतः संविधानकी इस बातपर ध्यान न देनेसे हुई है कि "सदस्योंकी जो अधिकसे-अधिक संख्या रखी गई हो उसका ध्यान रखते हुए।" इस नियमका पूरा वाक्य इस प्रकार है — "हरेक संघ या समितिमें सदस्योंकी जो अधिकसे-अधिक संख्या रखी गई हो उसका ध्यान रखते हुए अधिकसे-अधिक जितने हरिजन मिल सकें, उतने रखे जायें।" इन मित्रने जैसा अर्थ लगाया है वैसा अर्थ न लगाया जाये, इसीलिए जान-बूझकर इस नियममें उसका स्पष्टीकरण किया गया है। इन मित्रने जो परिवर्तन सुझाया है, केन्द्रीय बोर्डने दिल्लीमें उसपर विचार किया था। लेकिन अनेक सदस्योंको महसूस हुआ कि उपयुक्त हरिजनोंका एक-तिहाई अनुपातमें मिलना मुश्किल है। इसलिए यह नियम रखा गया; इससे दोनों कठिनाइयोंका हल हो जाता है।

इतने पर भी यहाँ एकबार फिर मुझे अपना विचार प्रकट कर देना चाहिए। हरिजन-सेवक संघोंमें हरिजनोंको लेनेके मैं विरुद्ध था, और अभीतक विरुद्ध हूँ। क्योंकि हरिजन-सेवक संघ अगर प्रायश्चित्त करनेवाले ऋणी लोगोंकी संस्था हो, जैसा कि इसे माना जाता है, तो इसमें जिनका ऋण है उनको कोई स्थान ही नहीं हो सकता। लेनदार तो लेनेके लिए सामने खड़े ही हैं। एक-न-एक दिन वे अपनी बात मनवायेंगे ही। आज तो उनमें से अधिकांश असहाय हैं। कितने ही यह भी समझते हैं कि ईश्वरकी सृष्टिमें वे हीनसे-हीन और बहिष्कृत रहनेके लिए ही बनाये गये हैं, इससे अन्य स्थिति प्राप्त करनेका विचार करना भी वे घोर पाप समझते हैं। प्रायश्चित्त करनेवाले सवर्ण हिन्दुओंका काम है कि पूरी नम्रताके साथ उनकी सेवा करें। उनकी वह सेवा स्वीकार हो या न हो, भले ही प्रायश्चित्तका समय निकल भी गया हो और भले ही यह लगता हो कि अब तो बहुत देर हो गई है, फिर भी उन्हें प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए। यह प्रायश्चित्त वे अपनी जगह हरिजनोंसे नहीं करा सकते। यह भी सम्भव है कि इस नियमका यह अर्थ जाननेके बाद हरिजन मित्र यह बोझ उठानेसे डरने लगें। लेकिन यह प्रायश्चित्त क्या उनके करनेका है, या जो सवर्ण हिन्दू संघमें होंगे ही नहीं उनसे वे उसे जबरदस्ती करवायेंगे?

लेकिन विभिन्न प्रान्तोंके जिन सदस्योंने कुछ हरिजनोंको अपने संघोंमें रखना चाहा था, उनकी प्रत्यक्ष कठिनाईके आगे मेरा विरोध दब गया है। उनके ठोस अनुभवके सामने मेरे आदर्शको पीछे हटना पड़ा है। इसलिए इस नियमका सीधा-सादा अर्थ यही है कि हरिजन-सेवक संघोंमें जितने हरिजन मिल सकें उन्हें शामिल करना

चाहिए, मगर भारी बहुमत सवर्ण हिन्दुओका ही रहना चाहिए। और समस्त संघमे दो-तिहाईसे कम उनकी तादाद नही होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि अगर पर्याप्त योग्यतावाले हरिजन न मिले तो वे एक-तिहाई सख्या हरिजनोकी रखनेके लिए बाध्य नही है। हरिजनो-सम्बन्धी प्रतिज्ञा जान-बूझकर बहुत मामूली और सीधी-सादी रखी गई है। इसलिए एक-तिहाई हरिजन-सदस्य प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए। जब यह नियम ही निश्चित कर लिया गया है, तो ईमानदारीके साथ इसपर अमल होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-२-१९३५

३१९. पत्र: कृष्ण कृपलानीको

वर्धा

१५ फरवरी, १९३५

प्रिय कृपलानी,

तुम बड़े लालची हो। आगामी त्रैमासिकके लिए मेरा लेख माँगनेका क्या मतलब? मेरे पास इसके लिए बिलकुल वक्त नही है। शान्तिनिकेतनके मेरे सभी मित्र इस बातको जानते है और उन्होने मुझे इस कार्यसे मुक्त कर दिया है। फिर तुम्हे अव्वल दर्जेके लेखक मिलनेमे कोई मुश्किल भी नही होगी।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत कृष्ण कृपलानी
शान्तिनिकेतन

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

३२०. पत्र: सुशीलकुमार सेनको

१५ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मुझे आपके पूजनीय पिताजीका पत्र मिला था। उनकी बीमारीका हाल जानकर मुझे बहुत दुःख हुआ। आशा है, वे जल्दी ठीक हो जायेंगे। तब आप मेरी प्रश्नावलीके बारेमे अपना सुविचारित मत भेजें।[1] मै चाहूँगा कि आप अपने कथनके

१. देखिए "प्रश्नावली," पृ० १८८ और "पत्र: गणनाथ सेनको", पृ० २०२।

समर्थनमें आयुर्वेदके ग्रंथोंका भी हवाला दें। विभिन्न दूधोंके तुलनात्मक गुणोंके बारेमें आधुनिक वैज्ञानिकोंकी रायकी मुझे जानकारी है।

कविराज सुशीलकुमार सेन[1]
कल्पतरु पैलेस
चित्तरंजन एवेन्यू नॉर्थ, कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य. प्यारेलाल।

३२१. पत्र : जी० के० वी० देवरको

१५ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

मेरे बारेमें कही गई सभी बातोंपर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। पर मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि हमारे गाँवोंकी स्त्रियाँ गुलाम नहीं हैं। वे अपनी-अपनी गृहस्थीकी मालकिन हैं और मैं यह भी जोर देकर कह सकता हूँ कि वे बच्चे पैदा करनेमें अपने पतियोंसे विवश नहीं हैं।

श्रीयुत जी० के० वी० देवर, बी० ए०, बी० एल०
गुन्टूर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३२२. एक पत्र

वर्धा
१६ फरवरी, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरा सुझाव है कि आप लाला हरध्यान सिंहसे, जिन्हें दिल्लीका एजेंट[2] नियुक्त किया गया है, परामर्श करें। वे आपसे जितनी भी मदद ली जा सकती है, अवश्य लेंगे।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. गणनाथसेनका पुत्र।
२. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघका।

३२३. पत्र: डॉ० मु० अ० अन्सारीको

१६ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० अन्सारी,

मुझे डर है कि आपने यूरोपमे जो स्वास्थ्य-लाभ किया था, उसे आप तेजीसे खोते जा रहे है। अगर आपका यही हाल रहा तो जल्दी ही भारतकी बदनामी हो जायेगी और हर व्यक्ति जो स्वास्थ्य-लाभ करना या स्वस्थ रहना चाहता है, यूरोप भागेगा। इसलिए भारतकी नेकनामीकी खातिर आप ऐसी राह हमे दिखाये कि हम भारतमे ही स्वास्थ्य-लाभ कर सके और स्वस्थ रह सके। और आपको ऐसा करनेका अधिकार तभी होगा जब आप "पहले कर दिखाओ तब कहो" की नीतिका पालन करेगे। आशा है, आप बोर्ड या समितिसे हटेगे नही। आपको कोई भारी थका देनेवाला कार्य करनेकी जरूरत नही है। लेकिन आपकी सलाहके बिना काम नही चल सकता। यह मेरी राय है।

हृदयसे आपका,

डॉ० अन्सारी
दरियागंज
दिल्ली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

३२४. पत्र: डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

१६ फरवरी, १९३५

प्रिय डॉ० भार्गव,

सलग्न पत्र[1] के लेखक अर्जुन देव करीब एक महीनेसे मेरे साथ पत्र-व्यवहार कर रहे है। वे यहाँ आना चाहते थे। मैंने उन्हे लिखा कि यह न सम्भव है और न वाछनीय ही है। उन्हे अपने निवास-स्थानके नजदीककी जगहोसे ही मदद लेनी चाहिए। इसलिए लाहौर आये जान पडते है। मैंने उन्हे आपके पास जानेका सुझाव दिया है। आप उनसे पूछताछ तथा परिचय करके उनकी साख का पता

१. यह उपलब्ध नहीं है।

लगाये और फिर जो आवश्यक लगे वह करे। आशा है, ग्राम-कार्य सुचारु रूपसे चल रहा होगा।

हृदयसे आपका,

डॉ० गोपीचन्द
लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

३२५. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१६ फरवरी, १९३५

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला।

तुमारे जो प्रयत्न करना है सो यहासे नही हो सकता है क्या? लेकिन जैसा तुमको अच्छा लगे वही किया जाय।

हरध्यान सिंहजीका देखुगा। क्षेत्रकी मर्यादा तो उनको ही बनानी है। दिल्लीमे भी मैंने वही कहा था।

तुमारे पास कौनसी हिन्दी किताब है? उसके नाम इ० भेजो।

बापुके आशीर्वाद

श्री ब्रजकृष्ण
कटरा खुशालराय
दिल्ली

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४४०) से।

३२६. पत्र : रमेशचन्द्रको

१६ फरवरी, १९३५

भाई रमेशचद्रजी,

आपका पत्र उचित है। निर्णय करनेका मार्ग हिंदु, मुसलमानादि भेद नही है। ऐसे बहुत मुसलमानको जानता हूं जो स्वच्छताका पालन भली भाति करते है। चद निरामीषी भी होते है। इसलिए जिस जगहपर स्वच्छताके नियमोका पालन होता है वही खाना, पीनाकी मर्यादा रखे तो सब-कुछ हो जाता है। मुझे तो अेनोक्युलेशन मात्र अप्रिय है। लेकिन खुन इत्यादिके सर्वथा त्याज्य है। वनस्पति अथवा खनिज पदार्थके इस तरह त्याज्य नही है।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०९३) से।

३२७. पत्र : सुरेश सिंहको

१६ फरवरी, १९३५

भाई सुरेश सिंह,

तुमारा खत मिला है। जितना हो सके इतना किया जाये। कोर्ट ऑफ वार्ड्स तरफसे नियामक कौन है? जितनी सादगी ग्रहण कर सकते हैं इतनी सादगी रखकर जीवन व्यतीत किया जाय। मुझे लिखा करो। देहातीओकी जो-कुछ सेवा हो सकती है वह की जाये।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६८९) से।

३२८. पत्र : अमृत कौरको

दुबारा नहीं पढ़ा

वर्धा
१८ फरवरी, १९३५

प्रिय अमृत,

तुम्हारा इसी ५ तारीखका पत्र अभीतक सामने रखा हुआ है।

अभी एक दिन लिफाफोका एक पार्सल तुम्हारे पास भेजा गया था।

लिखते रहनेके कारण हाथमे उत्पन्न दर्द अभी ठीक नही हुआ है। आज मैंने 'हरिजन' के लिए लिखा है और कुछ दूसरे संक्षिप्त पत्र लिखे है। मै दिन-भरमे दाये हाथसे इतना ही कर सका।

मेरा खयाल है कि ग्राम-आन्दोलनमे तुम्हारा और तुम्हारी-जैसी महिलाओका प्रवेश आन्दोलनको सुरुचिपूर्ण और आकर्षक बना सकेगा।

मेरा विश्वास है कि शम्मीका[1] नाम परामर्शदाता-सघमे आ जायेगा। गाँवोके बारेमे उनके कुछ जानने-न-जाननेकी चिन्ता मत करना। बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने अज्ञानको स्वीकार करता है। और क्या डॉक्टरोको गाँवोमे सेवा करनेका मौका आने पर कई चीजे भूलनी नही पडेगी? सघके रजिस्टरमे अंकित करनेके लिए उनका पूरा नाम और उपाधियाँ लिख भेजना? उसे मेरा प्यार और धन्यवाद।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमने गाँवोमे जाना शुरू कर दिया है। मै चाहता हूँ कि संभव हो तो तुम लिखने-पढ़नेके कामोको कम करके गाँवोमे ठोस कामके लिए अधिक समय दो। लेकिन देखता हूँ कि तुम लिखने-पढनेके काममें निपुण हो और लिखने-पढ़नेका जितना काम तुम करती हो शायद बिना उतने कामके सस्था नही चल सकती। लेकिन गाँवोका काम हाथमे ले लेनेके कारण इस बातका ध्यान जरूर रखना कि हदसे ज्यादा बोझ अपने ऊपर न उठा लो।

मैंने कुमारप्पा तक तुम्हारा सदेश पहुँचा दिया है। तुमने सदस्यो द्वारा ली जानेवाली शपथके लिए अतिरिक्त उत्साह न दिखाकर ठीक ही किया है।

हरिजनोके लिए मेरा सन्देश इस प्रकार है.

"मेहरबानी करके हरिजन-बन्धुओसे कहे कि आत्म-शुद्धिके इस आन्दोलनके दौरान उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे सवर्ण हिन्दू कहे जानेवाले लोगोके दोषोका अनुकरण न करे। मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि बालविवाह-जैसी बुराई, जो कि सवर्ण हिन्दू-जातिमे प्रचलित है, उनमे भी वर्तमान है। यह एक बुरी प्रथा

१. अमृत कौरके भाई ले० कर्नल कुँवर शमशेरसिंह, जो कि एक सेवा-निवृत्त सर्जन थे।

है, इसमें कोई भी गुण नही है। उन्हे इस बातका भी ज्ञान होना चाहिये कि एक विशेष कानूनके मातहत इसे गैर-कानूनी करार दिया गया है। इसलिए मुझे आशा है कि हरिजन-बंधु इस कुप्रथासे छुटकारा प्राप्त करनेकी कोशिश करेंगे।"[१]

मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारा काम चल जायेगा।

मीरा एक मोटर-दुर्घटनाकी चपेटमे आ गई थी। उसके सभी साथियोको दुर्घटनामे चोट आई थी। उसके एक साथीको तो बहुत अधिक चोट आई। उसे सबसे कम चोट आई थी। गाडी तो चूर-चूर हो गई। वे सब लोग हवामे उछल गये थे। बच जाना एक चमत्कार ही रहा। जिस व्यक्तिको बहुत अधिक चोट लगी है, वह स्थानीय अस्पतालमें पडा हुआ है। यों उसकी हालत खतरेसे बाहर है। ईश्वरकी इच्छाके बिना मौत किसीका कुछ नही बिगाड़ सकती।

स्नेह।

बापू

श्री राजकुमारी अमृत कौर
जालंधर शहर

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२२) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३३१ से भी।

३२९. पत्र: हीरालाल शर्माको

१८ फरवरी, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। आज भी हाथ लिखनेके लिये तैयार नही हूआ है। लेकिन 'हरिजन' के लिये तो लिखा ही है तो यह क्यो नही?

द्रौपदी और बच्चोको मेरे पास छोडकर पश्चिम जानेके लिये तैयार हो? द्रौपदी वहा जा कर क्या करेगी? बच्चोको कही छोडकर मा चली जाये, मुझे तो अच्छा नही लगेगा। तुमको ही विलायत भेजनेके लिये मैं तैयार हो गया हूं। नही कि उसमे मैं कोई लाभ अब देखता हूं लेकिन तुमारा भला उसीमे देख रहा हूं। वहासे कुछ-न-कुछ तो पाओगे।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मुझे जवाब देनेमे शनी या शुक्रतक राह देखनेकी आवश्यकता नही है।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१५२) से। बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्षसे भी।

१. देखिए "पत्र: अमृत कौरको", पृ० १७७-७८।

३३०. पत्र : बुधाभाई और जूठाभाईको

वर्धा
१९ फरवरी, १९३५

भाई बुधाभाई तथा जूठाभाई,

आपने मुझे अच्छा समाचार दिया है। जो क्षार आपको हाथ लगा है उसका नमूना सतीशबाबूको १५ कॉलेज स्क्वेअर, कलकत्ताके पतेसे भेज दीजिए। मेरा हवाला दीजिए और जिस क्रियासे आप क्षार बनाते हैं उसका विवरण भी उन्हें लिख भेजिए। अपने बनाये साबुनका नमूना भी उन्हें और मुझे, दोनोंको भेज दीजिए। सतीशबाबूकी रिपोर्ट आनेके बाद आगे बढ़ेंगे।

आपकी-जैसी खोज की हुई बहुत-सी बातें हम लोगोंकी मूर्खताके कारण व्यर्थ हो जाती हैं। मैं जानता हूँ कि इस देशमें ईश्वरने जो धन बिखेर दिया है, उसका हम सदुपयोग कर सकें तो किसीको भूखा न रहना पड़े। आपसे जो बने, बराबर करते रहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४५८९) से।

३३१. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

१९ फरवरी, १९३५

चि० नरहरि,

तुम्हारे प्रति अपराधी हूँ। तुम्हें लिखनेकी इच्छा रोज होती थी और रोज तुम्हारा पत्र एक ओर रख दिया जाता था। आज दूसरे पत्र अलग करके तुम्हारा पत्र हाथमें लिया है। मेरा दाहिना हाथ ठीक नहीं है, यह भी एक बाधा है। जीवन थोड़े दिनका है, और नखरे बहुत हैं, तब किया क्या जाये? और अब फिरसे रसोइया भी बन बैठा हूँ।

१ यह मानो कि ग्रामसेवा-समिति नियुक्त करनेका अधिकार मुझे है, और जुगतरामको मैं काकासाहबकी जगह समितिका सदस्य और फंडका ट्रस्टी नियुक्त करता हूँ।

२. यदि सरदारकी भी यही इच्छा हो, तो ग्रामसेवा-समिति तथा जैन-साहित्य प्रचार-समिति, विद्यापीठके विभाग माने जा सकते हैं। इसमें काकासाहबको कोई आपत्ति नहीं होगी, यह मैं मान लेता हूँ। मैं बीती बातें भूल जाता हूँ, इससे यह लिखा है।

३ रास आदि स्थानोंके बालक जहाँ-तहाँ बिखरे हुए हैं। उन्हे एक जगह लाकर उनके लिए शाला चलाई जा सके, तो यह मुझे पसन्द होगा। यदि सरदार और तुम सब ऐसा करो, तो इसमे मेरी सहमति है।

४. कन्याओंकी शिक्षाकी बात विचारणीय है। हरिजन-आश्रममे सवर्ण हिन्दुओंका साम्राज्य कदापि नही जमना चाहिए। इसकी इमारतोंका हमारे हाथो कभी ऐसा उपयोग न हो जिससे हमे नीचा देखना पड़े। और यह काम करेगा कौन? तुम स्वयं और किसी काममे मत फँसना। गोधरा आश्रममे जानेवाले एक व्यक्तिको वहाँका काम नीरस लगा। याद रहे, यह काम अभी भी सबसे अधिक हेय माना जा रहा है। इसीलिए कन्याओंके लिए कोई अलग संस्था खोलनेके बारेमे मै शंकित हूँ। रावजीभाईने कोई संस्था खोली है, उसका क्या हाल है? तुम मुझे इसमे उदासीन मान सकते हो।

इतनेमे तुम्हारे चारो प्रश्न आ जाते हैं।

प्यारेलाल आज अचानक आ धमके है। मै जनसंख्या बढा रहा हूँ और जगहकी कमी है। ईश्वर निभायेगे।

परीक्षितलालसे कहना कि मेरी नजरमें अभी तो गोधराके लिए कोई नही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७१) से।

३३२. पत्र : परमानन्द के० कापड़ियाको

१९ फरवरी, १९३५

भाई परमानन्द,

तुमने मुझे लिखा सो ठीक किया। तुम्हें जो लिखा है और मुझे जो लिखा है, उन दोनोंमें कोई अन्तर नही है। काकासाहब मेरी पूरी सहमतिसे यह अनुभव प्राप्त करेंगे। जहाँ इतने ज्यादा गुजराती और अन्य भारतीय जाकर शान्ति प्राप्त करते जान पडते हैं, उसके बारेमे हमे प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए। काकासाहबके बारेमे मुझे और तुम्हे कोई भय नही होना चाहिए। यह अनुभव प्राप्त करना उनके लिए अच्छा है।

बापूके आशीर्वाद

श्री परमानन्द कुँवरजी
१६४ मुम्बादेवी
बम्बई

मूल गुजराती (जी० एन० ११५८८) से।

३३३. पत्र : हीरालाल शर्माको

१९ फरवरी, १९३५

चि० शर्मा,

दा० अनसारीने कितावोका लिस्ट भेज दिया है। आजकल यहा नये दाक्तर आये है। परोपकारी है। उनसे तुम्हारे बारेमे वातो हुई। वह तुमको नित्य पाठ देनेके लिये तैयार है। क्या द्रौपदीके साथ यहा आनेके लिये तैयार हो? यदि नही हो और कहो तो किताव इ० लेकर भेज दू। मेरे अगले खत[1] के उत्तर की प्रतीक्षा तो कर ही रहा हू। अव तुमारे सामने तीन प्रश्न हैं। दोमे द्रौपदीको वर्धामे रहनेकी शर्त है। एकमे तो दोनो वही रहकर जो हो सकता है सो करनेकी बात है।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

वहा उत्तम घीका भाव क्या है? यहा आनेमें रेल-खर्च कितना?

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १४९ और १५० के मध्यकी प्रतिकृतिसे।

३३४. पत्र : बंगाल सरकारके राजनीति-विभागके सचिवको

वर्धा
२० फरवरी, १९३५

सचिव, बगाल सरकार,
राजनीति-विभाग।

प्रिय महोदय,

श्रीयुत धीरेन्द्र चन्द्र मुकर्जी देवली-शिविरमे एक राजनीतिक बन्दी है। स्वर्गीय देशबन्धु चि० र० दासकी विधवा बहन श्रीमती उर्मिला देवी, ३३५ जीतेनदास रोड, कलकत्ता उन्हे पुत्र-जैसा मानती हैं। मैं उन्हे अच्छी तरहसे जानता हूँ। मेरे साथी श्रीयुत महादेव देसाईके लिए भी उनके मनमे माँकी-सी ममता है। श्री देसाई अभी हाल ही मे गोसाबा गये थे, इसलिए एक दिनके लिए वे श्रीमती उर्मिलादेवीके यहाँ भी रुके। श्रीमती उर्मिला देवी श्रीयुत धीरेन्द्र चन्द्र मुकर्जी से मिलनेको बहुत उत्सुक हैं। तीन वर्षोसे उन्होने न तो उन्हे देखा ही है और न पिछले जूनसे उनका कोई

१. देखिए पृ० २६३।

समाचार ही उन्हे प्राप्त हुआ है। वे स्वयं तो उनसे मिलनेमे असमर्थ हैं, लेकिन जिसे वे पुत्रवत् स्नेह करती हैं, उस व्यक्तिसे मिलनेकी अगर श्री महादेव देसाईको आज्ञा मिल जाये, तो उन्हे हार्दिक प्रसन्नता होगी। मैं यह आपको बता दूँ कि श्रीयुत महादेव देसाई तथा मैं, दोनो ही श्रीयुत धीरेन्द्र चन्द्र मुकर्जीको जानते हैं। वे कुछ समयके लिए साबरमती आश्रममे मेरे साथ थे और अगर उन्हे कैद न किया गया होता तो वे शायद उसके कार्योंमे भाग लेने लगते।

अगर आप बता सकें कि क्या श्रीयुत महादेव देसाईको श्रीयुत धीरेन्द्र चन्द्र मुकर्जी से मिलनेकी इजाजत मिल सकती है, और जिन शर्तोंपर मिलना सम्भव है, उनकी जानकारी भी दे दें, तो मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा।[1]

आपका विश्वासपात्र

[अंग्रेजीसे]

गृह-विभाग, राजनीतिक, फाईल नं० ४३/१५/३५, सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार।

३३५. पत्र : जाकिर हुसैनको

२० फरवरी, १९३५

प्रिय जाकिर,

यह एक बहुत श्रेष्ठ विचार है कि जामिया[2]की बुनियाद उसके सबसे छोटे बच्चेके द्वारा रखी जाये। इस कल्पनाकी मौलिकतापर मेरी बधाई। मैं जानता हूँ कि जामियाका भविष्य उज्ज्वल है। मैं आशा करता हूँ कि इसके द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकताका बीज एक शानदार वृक्षके रूपमे उगेगा। इसलिए मैं इस साहसिक प्रयासकी हर सफलताके लिए कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि डॉ० अन्सारी साहब द्वारा कोषके लिए की गई अपीलको समुचित सफलता मिलेगी।

तुम्हें मुझसे यह आशा रखनेका पूरा अधिकार है कि मैं इस कार्यमे तुम्हारी भरसक मदद करूँ। जमनालालजी आज आ रहे हैं। मैं उनको तुम्हारा पत्र पढाऊँगा।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

१. बंगाल-सरकार इस प्रार्थनाको स्वीकार करनेके पक्षमें नहीं थी, क्योंकि श्री महादेव देसाई और श्रीमती उर्मिला देवी, मुकर्जीके सम्बन्धी नहीं थे। प्रान्तीय सरकार उक्त राजनीतिक बन्दीको "एक भयंकर आतंकवादी" व्यक्ति मानती थी और उसे डर था कि इस मुलाकातको कहीं राजनीतिक उद्देश्योंके लिए हथियारके रूपमें इस्तेमाल न किया जाये। बादमें भारत-सरकारकी सलाहपर इस मुलाकातकी इजाजत दे दी गई थी।

२. जामिया मिल्लिया इस्लामिया।

३३६. पत्र : नारणदास गांधीको

वर्धा
२१ फरवरी, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। हरिलाल आ गया है। मावजीका पत्र इसके साथ रख रहा हूँ। पण्डितजी यहाँ हैं।

विवाह-विधिके लिए क्या व्यवस्था की गई होगी? दूसरा उपयुक्त व्यक्ति तो अपने पास जुगतराम ही है। क्या वहाँ कोई नहीं मिल सकता? कुरैशीका पत्र मेरे पास भी नहीं आया। रामदासने लिखा था कि वह बम्बईमें है। अमीना शायद धधूकामें होगी। लीलावतीका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३१ से भी, सौजन्य: नारणदास गांधी।

३३७. पत्र : अमतुस्सलामको

२१ फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुल सलाम,

तुमारा खत मिला।[1] इसमे उर्दू हरफ बायें हाथसे ठीक नही चलते हैं। मेरे तार परसे तू नही आई। खत मिलनेसे पता चलेगा क्या हुआ। हालत बदल जानेसे तुमारे खतका उत्तर देनेका नही रहता। वहा अब देवदास कहे सो करो। सेवा ही जो करना चाहे वह हमेशा कर लेते हैं। तु खामखा मानती है कि तेरे मेरे पास आनेसे दूसरे नाराज होगे। यहा तो मेरे पास ऐसे कोई है भी नही। मै तो बगीचे[2] मे रहता हूँ। लेकिन जैसा अच्छा लगे, वही करो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१६) से।

१. यह वाक्य और सम्बोधन उर्दूमें हैं।
२. गांधीजी इन दिनों मगनवाड़ीमें रहते थे और यह बगीचा जमनालाल बजाजकी जमींदारीमें था।

३३८. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

२१ फरवरी, १९३५

भाई राजेन्द्र प्रसाद,

जयप्रकाश मुझे मिलने आये थे। मैं अनुभव करता हू कि कांग्रेसको अधिवेशनमें बंगालकी समस्याओंपर विचारके लिए एक दिन होना चाहिए। मैंने एक प्रस्ताव का मसौदा[1] भी तैयार किया है और जयप्रकाशको दे दिया है। वे अगर इसे ठीक समझेंगे तो आगे भेज देंगे।

यह पत्र सरदारको भी दिखा दे, मेरे पास उन्हे अलगसे पत्र लिखनेका समय नही है। मैं अभी नागपुर रवाना हो रहा हूं और वहासे कल वापिस लौट आऊंगा।

बापूके आशीर्वाद

अ० भा० का० कमेटी फाइल १९३५, सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

३३९. पत्र : नारणदास गांधीको

[२१ फरवरी, १९३५ के पश्चात्][2]

चि० नारणदास,

काले खुद ही वह मशीन ले आया है। वह मेरे सामने चलाई जा रही है। कामकी तो लगती है।

इनामके योग्य तो नही है, लेकिन यह उपयोगी ठहर सकती है। आज इसका मालिक भी आनेवाला है। उससे बातें करना चाहूँगा। इससे जो सूत निकाला गया है, उसका एक थान भी बुना जा चुका है। दूसरा भी तैयार ही होनेवाला है। इसपर आठ घंटेमें १६००० गज सूत काता जा सकता है। सूत २० अंकका निकलता है।

यदि धानको साधारण चक्कीमें दले तो छिलका अलग हो जाता है। इस तरह आसानीसे बहुत-सा चावल निकाला जा सकता है। कहा जा सकता है कि

१. यह उपलब्ध नहीं है।

२. पत्रमें हरिलालके वर्धामें होनेके उल्लेखके आधारपर; देखिए "पत्र: नारणदास गांधीको", पृ० २६८।

यह मेरी खोज है। चक्कीकी खूंटीपर वाशर लगाकर चक्की मनके माफिक हलकी बनाई जा सकती है। इससे समय बहुत बच जाता है और काम आसानीसे हो रहा है। इस तरह निकला हुआ चावल मिलकी अपेक्षा सस्ता ही पड़ता है। स्वाद बहुत मधुर होता है और थोड़ा खाकर अधिक सन्तोष मिल जाता है। धानको संग्रह करके रखना बहुत आसान है। इस तरह आदमी रोज थोड़ा धान साफ करके ताजा चावल खा सकता है।

कनु कहता है कि पूज्य खुशालभाईके संग्रहमें गीताजीके दूसरे अनुवाद भी हैं। यदि यह ठीक हो तो उनकी एक सूची बनाकर भेजना। समश्लोकी अनुवादका उपयोग किशोरलालके समश्लोकी अनुवादको देखनेके विचारसे करना चाहता था। इसमें अर्थकी अथवा दूसरी कोई विशेषता नहीं है।

हरिलाल अच्छी तरह घुल-मिल गया है। धीरूका पत्र इसके साथ है। केशुके बारेमें विचार किया जा रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४४७ से भी, सौजन्य : नारणदास गांधी।

३४०. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी सदस्यता

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ (प्रधान कार्यालय — वर्धा, सी० पी०) की गत बैठककी कार्यवाहीका सार अन्यत्र दिया गया है।[1] उससे जाना जा सकता है कि संघका सदस्य या सहायक कैसे बना जा सकता है। आशा है कि सदस्य या सहायक बननेकी योग्यता रखनेवाले सज्जन तत्सम्बन्धी फार्मकी खानापूरी करके संघके पास वर्धा भेज देंगे। इसके लिए निमन्त्रण या किसीके आग्रहकी प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है। निमन्त्रणकी आवश्यकता तो तभी होती है, जब सत्ता या प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी बात हो। सेवा-कार्यके लिए उसकी कोई जरूरत नहीं। यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि ३१ मार्चतक सदस्य बन जानेवालोंके लिए ट्रस्टी नियुक्त होनेकी भी सम्भावना है, इसके बाद यह उतनी नहीं रहेगी। क्योंकि संघकी स्थापनाके पाँच वर्षसे पहले अगर किसी ट्रस्टीकी जगह खाली हुई तो बाकी ट्रस्टियोंको उसकी जगह नया ट्रस्टी चुनना पड़ेगा। इस चुनावके लिए उनका दायरा जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा होगा, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि ३१ मार्चसे पहले-पहले बहुत-से सदस्य बन जायें। चुनावके लिए सदस्योंकी संख्या अधिक न हुई, तो आन्दोलनके अपने आदर्शकी ओर बढ़नेमें बाधा पड़ेगी। क्योंकि ट्रस्टी लोग रुपये-पैसेके ही संरक्षक नहीं हैं, बल्कि जिस आदर्शके लिए संघ कायम हुआ है, उसकी संरक्षाका उत्तरदायित्व भी उन्हींपर है।

१. देखिए परिशिष्ट १।

लेकिन उस आदर्शका प्रतिनिधित्व करनेके लिए वे कितने ही योग्य क्यो न हो, फिर भी जबतक उन्हें यह ज्ञान न हो कि ऐसे बहुसख्यक स्त्री-पुरुषोकी सहानुभूति हमारे साथ है जिनसे हमें शक्ति और स्फूर्ति मिल सकती है और हम आवश्यकता पड़ने पर उनमें से उत्तराधिकारी चुन सकते है, तबतक नीव कमजोर ही रहेगी।

संघके ट्रस्टीका पद बहुत जिम्मेदारीका बन गया है, क्योकि भविष्यमे, जैसा कि बिलकुल असम्भव नही है, संघ लोकतन्त्रीय बन जायेगा, और तब भी इसके आदर्शकी रक्षा करनेका दायित्व ट्रस्टियोपर ही रहेगा। और आन्दोलनकी प्रगतिके लिए इसका लोकतन्त्रीकरण भी उतना ही जरूरी है जितना कि आदर्शका स्थायित्व। आदर्शके स्थायित्वकी कभी उपेक्षा नही होनी चाहिए। आदर्शको अमली रूप देनेके लिए ही बोर्डकी व्यवस्था की गई है, जो यह सारा कारबार करेगा और सात वर्ष बाद ऐसे मतदाताओ द्वारा नये सिरेसे चुना जायेगा जो सघके ध्येयको मानते होगे। यह ठीक है कि सदस्यताके लिए दिये हुए प्रार्थना-पत्रको बोर्ड अस्वीकार कर सकता है, लेकिन यह सावधानी सिर्फ इसीलिए रखी गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका इसमे विश्वास न हो, सिर्फ आदर्शको मटियामेट करनेके लिए ही सदस्य न बन जाये। यह मताधिकार तो वयस्क-मताधिकारसे भी अधिक विस्तृत है। क्योकि कोई भी ऐसा ग्रामवासी संघमे शामिल हो सकता है जो ग्राम्य जीवनके महत्वको समझता हो और यह मानता हो कि उसके द्वारा मनुष्य जाति बहुत सुखी हो सकती है। इसलिए जो लोग संघके आदर्श एवं उसकी नीतिमे विश्वास रखते हो उन्हे चाहिए कि वे संघके सदस्य बन जायें और अपने राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत या साम्प्रदायिक मतभेदोका खयाल न करते हुए भारतीय ग्रामवासियोके आर्थिक, नैतिक एव शारीरिक हित-साधनके लिए प्रयत्नशील हो। यह ध्यान रहे कि सघ जाति, धर्म, राजनीति या सम्प्रदायके भेदभावको नही मानता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-२-१९३५

३४१. गायका बनाम भैंसका दूध

ग्राम-सुधारके बारेमे विचार करते हुए इस बातकी जाँच करनेका सवाल भी सामने आया कि क्या गायका दूध भैंसके दूधसे अच्छा होता है? इस बारेमे मैंने मित्रोको लिखा। इसपर श्री हरिभाऊ फाटकने, उनके पास आया हुआ, प्रो० रावबहादुर सहस्रबुद्धेका निम्न पत्र भेजा है:[1]

> गाय और भैंसके दूधकी भिन्नताके बारेमें आपने जो पूछा है, उसपर मेरा कहना यह है कि भैंसके दूधकी बनिस्बत गायके दूधकी चिकनाई और 'कैसीन' (दूधकी सफेदी) अधिक सुपाच्य होती है।

१. केवल अंश दिये जा रहे हैं।

'विटामिन' भी भैंसके दूधकी बनिस्बत गायके दूधमें अधिक परिमाणमें होते हैं। बच्चे और बड़े दोनोंपर इन गुणोंका एक-सा असर होता है। लेकिन जहाँ बड़ा आदमी भैंसके दूधको पचा सकता है, वहाँ बच्चा उसे हजम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ, यही बात आप जानना चाहते हैं।

गोपालक संघ, शोलापुरके उपाध्यक्ष, डॉ० एस० के० आप्टेकी सम्मति भी उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनके प्रश्नोंके जवाब देनेवालोंके नामों और कुछ प्रश्नोंको छोड़कर नीचे दी जाती है:[1]

गायका दूध भैंसके दूधसे अच्छा है या नहीं, इस सम्बन्धमें पिछले तीन सालोंसे चर्चा चल रही है, जिसके फलस्वरूप गायके दूधकी उपयोगिताकी ओर लोगोंका काफी ध्यान गया है। . . . गायका दूध भैंसके दूधसे अच्छा है—जो लोग ऐसा दावेसे कहते हैं, उन्हींपर इस बातको सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक रूपमें कई प्रकारसे हम इस बातको सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे कुछ उपाय निम्न प्रकारके हैं:

(१) दोनों तरहके दूधोंके जो संघटक-पदार्थ हैं, उनके गुण-दोषोंकी तुलना की जाये। रासायनिक तौरपर हम दोनोंके संघटक-पदार्थोंका पौष्टिक महत्व जान सकते हैं। पूना कृषि कालेजके प्रो० रावबहादुर डी० एल० सहस्र-बुद्धेने ऐसा प्रयोग किया है, जिसका वर्णन ११-९-१९३४ के 'ध्यानप्रकाश' में प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने न केवल यही बताया है कि छोटे बच्चोंकी परवरिशके लिए गायका दूध बहुत फायदेमन्द है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भैंसका दूध वस्तुतः उनके लिए हानिकारक है।

(२) लड़कों या आदमियोंके दो बराबर-बराबर समूह बनाये जायें। उनमें से एक को सेर-भरके करीब गायका दूध दिया जाये और दूसरेको उतना ही भैंसका दूध। एक निश्चित अवधितक यह क्रम रखकर दोनों समूहोंके हरेक व्यक्तिकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक प्रगतिको दर्ज करते रहो। . . . शोलापुरके गोपालक-संघने 'होर्ड्स डेयरीमैन' से यह दर्याफ्त किया है कि हिन्दुस्तानके अलावा और कौन देश ऐसे हैं जहाँ भैंसका दूध-घी खाया जाता है। उससे मालूम पड़ता है कि भैंसके दूधका उपयोग हिन्दुस्तानके अलावा सिर्फ फिलिपाइन द्वीप-समूह और चीनके दक्षिणी हिस्सेमें होता है। . . . इसलिए हिन्दुस्तानके अलावा, और कहीं इस तरहका प्रयोग होना सम्भव नहीं है। यह प्रयोग किसी छात्रावासमें रहनेवाले विद्यार्थियोंपर करना होगा। . . .

(३) मनुष्योंपर तो ऐसा तुलनात्मक प्रयोग करना बड़े भारी खर्चेकी बात है। लेकिन पशुओंपर, खासकर प्रयोगशालाओंमें रखे जानेवाले चूहों व

१. केवल अंश दिये जा रहे हैं।

सुअरोंपर ऐसी आजमाइश की जा सकती है। चूँकि गोपालक संघके पास ऐसे प्रयोगका कोई सामान नहीं है, इसलिए उसने कुनूरके गवर्नमेंट पासच्यूर इंस्टीट्यूटको ऐसा प्रयोग करनेके लिए लिखा था, लेकिन वहाँके अधिकारियोका जवाब अभीतक प्राप्त नही हुआ है।

(४) गोपालक संघने इसके लिए एक चौथे और सबसे आसान मार्गका सहारा लिया। गाय और भैंसके दूधके बारेमें, कोई छः महीने पहले, उसने एक प्रश्नावली तैयार की और भारत तथा विदेशोंके सरकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-विभागके अधिकारियों, समाचार तथा मासिक पत्रों, शोध-विशेषज्ञों, शरीरशास्त्रियों तथा विविध डॉक्टरोंके पास उसे जवाबके लिए भेजा। मराठी व अंग्रेजीमें इस प्रश्नावलीकी कोई सात सौ प्रतियाँ इधर-उधर भेजी गई। . . . कुल ५० के करीब जवाब अभीतक प्राप्त हुए है।

उन जवाबोंके आधारपर जो परिणाम निकलते है वे निम्न प्रकार है:

१. भैंसका दूध बच्चोंकी वृद्धिके लिए हानिकर है; माँके दूधके अभावमें सिर्फ गायका दूध ही उनके लिए उपयोगी हो सकता है।

२. गायका दूध आसानीसे पच जानेवाला होनेके कारण, भैंसके दूधकी बनिस्बत, बीमारके लिए ज्यादा फायदेमन्द है।

३. बड़ोके लिए भैंसका दूध किस प्रकार हानिकर है, इस बातका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। पर बम्बई-सरकारके पशु-विशेषज्ञ श्री ब्रूनका कहना है कि किसी भी उम्रवालेके लिए भैंसका दूध पचनेमें भारी होता है, क्योंकि भैंसके दूधमें जो अधिक चिकनाई होती है वह झाग बनकर आँतोंमें प्रवेश करती है। उस समय, आँतोंमें साधारणतः जो लवण होता है उसके सहारे, आँतोको उसको हजम करना मुश्किल होता है। तब, उसे पचानेके लिए जितने लवणकी कमी होती है, उसकी पूर्ति हड्डियोके खनिज लवणसे की जाती है जिससे हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है। गायके दूधके पचनेमें ऐसा नहीं होता।

४. बच्चोंके बौद्धिक विकासके लिए गायका दूध खास तौरपर उपयोगी है। बड़ोंके बौद्धिक विकासपर उसका असर ज्यादा अच्छा होता है या नहीं, इस बारेमें निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

५. शहरमें भैंस रखनेके बजाय, अगर गायें रखी जायें तो खर्च कम पड़ेगा और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उस शहर पर उसका अच्छा असर होगा।

डॉ० आप्टेने जो प्रयोग सुझाया है वह करनेके काबिल है। गाय और भैंसके दूधमें तुलनात्मक दृष्टिसे कौन अच्छा है, यह प्रश्न अनेक दृष्टिकोणोसे राष्ट्रीय महत्व रखता है। क्योकि भारतके राष्ट्रीय जीवनमें इन पशुओकी जैसी महत्वपूर्ण भूमिका है, वैसी संसारके और किसी देशमें नही है।

लेकिन और प्रयोग न भी किये जायें तो भी, डॉ० आप्टेने प्रमुख डॉक्टरो और पशु-विशेषज्ञोंकी जो सम्मतियाँ एकत्र की हैं, वे इस बातको पर्याप्त रूपसे सिद्ध करती हैं कि गायका दूध भैंसके दूधसे अच्छा होता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-२-१९३५

३४२. कार्यवाही: अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी

१ से ४ फरवरी तक वर्धामें प्रबन्ध-मण्डलकी जो बैठक हुई, उसकी कार्यवाही का सारांश[1] निम्नलिखित है। इसमें संविधान-सम्बन्धी महत्वपूर्ण संशोधन भी शामिल हैं। अनुच्छेदके आगे दर्शाये अंक संविधानके भागोंको सूचित करते हैं।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-२-१९३५

३४३. पत्र: भगवानजी पु० पण्ड्याको

२२ फरवरी, १९३५

चि० भगवानजी,

अपने भोजनमें पत्तीदार सब्जियोंकी मात्रा बढ़ा दो और देखो कि उनका क्या असर होता है। मेथी, पालक, श्वेत बथुआ या कुल्फेका शाक इस्तेमाल करो। मूलीके साथ उसके पत्ते भी खाये जा सकते हैं, गाजरके भी। मूलीसे कब्ज हो सकता है। मगर उसकी पत्तियाँ रेचनके लिए अच्छी मानी जाती हैं।

बड़जमें लोगोंसे मेल-जोल बढ़ाकर जो-कुछ भी किया जा सकता है, करो। इसके लिए बड़ा धीरज चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्री भगवानजी
हरिजन-आश्रम
साबरमती, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ३७५) से; सौजन्य: भगवानजी पु० पण्ड्या।

१. सारांशके लिए देखिए परिशिष्ट-२।

३४४. भाषण: रसोई-सभा, वर्धामें[1]

[२२ फरवरी, १९३५][2]

मैंने जीवनमें रसोइयेका काम सदा किया है। मैंने भोजनके बारेमे प्रयोग तो लन्दनके अपने छात्र-जीवनसे ही शुरू कर दिये थे। दक्षिण आफ्रिकामे जितने दिन रहा, रसोई बनाता रहा और आप कुछ लोगोको मालूम ही है कि साबरमतीमे मुझे रसोईका कितना काम करना पड़ता था। अब हमने एक ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है जैसी पहले कभी नही ली थी। हमें आदर्श ग्रामवासी बनना है, ऐसा ग्रामवासी नही जिसके अजीब विचार हो, सफाईके बारेमे जिसे कोई जानकारी न हो और जो क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिये, इस बारेमे कुछ भी सोच-विचार नही करता हो। हमे अधिकांश ग्रामवासियोकी तरह चाहे जैसे पका-खाकर काम नही चलाना चाहिए। हमे चाहिए कि हम उन्हे आदर्श खुराकके बारेमें बताये। हमे क्या पसन्द है और क्या नापसन्द सिर्फ यही नही देखना चाहिए, बल्कि उस पसन्दगी या नापसन्दगीकी जड़ में क्या चीज है, यह भी समझ लेना चाहिए। मुझे यह खुराक माफिक नही आती, यह कहकर ही सन्तोष मत कर लो, बल्कि यह समझनेकी कोशिश करो कि खुराक माफिक क्यो नही आई। कोई चीज पसन्द आती है या नही, यह इस बातपर निर्भर करेगा कि आदर्श ग्रामीण जीवनका किस तरहका रूप हमने अपने सामने रखा है। हम जानते है कि ग्रामवासियोमे से अधिकतर भोजनमे गेहूँ, ज्वार, बाजरा अथवा चावल-दाल लेते हैं, लेकिन वे लोग हरे शाक या अन्य सब्जियोंका इस्तेमाल नही करते। हमे उन्हे बताना होगा कि वे हरी शाक-सब्जियाँ बिना खर्चके खुद ही पैदा कर सकते है और उनका इस्तेमाल करके अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। हमे उन्हे यह भी बताना होगा कि उबालनेसे हरे पत्तोके अधिकतर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इस बातको मेरी सनक न समझे। मैं तो सिर्फ उसी बातको जोर देकर दोहरा रहा हूँ जिसे सब डॉक्टर लोग कहते आ रहे है। मै आप सबसे वही करनेको कह रहा हूँ जिसपर अमल करके दूसरे सैकड़ो लोगोने फायदा उठाया है। इसलिए अगर आप मेरी इस रायसे सहमत है कि गाँवके लोगोको

१. महादेव देसाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत। यह सभा आश्रमके भोजनमें किये गये परिवर्तनोपर विचार करनेके लिए आयोजित की गई थी। इसमें मसालोंपर पूरी रोक लगानेके साथ पकाई गई सब्जियोंके स्थानपर दिनमें कमसे-कम एक बार पत्तियोंवाले सागका सलाद परोसा जाना निश्चित हुआ था, इसके अलावा और भी कई सुझावोंपर विचार किया गया था।

२. महादेव देसाईके अनुसार, यह सभा गांधीजी के नागपुर-प्रस्थानसे पूर्व आश्रमके समय हुई थी। वे २३ फरवरीको नागपुरमें थे।

हरी सब्जियोंका इस्तेमाल बिना उबाले उनके कच्चे रूपमें ही करना चाहिए और धानका छिलका-भर हटाकर चावलको बिना कूटे और बिना पालिश किये खाना चाहिए, तो आप खुद वैसा करके लोगोंके सामने मिसाल रखें। इसके साथ-साथ हम यह भी याद रखें कि हमें उन्हें यह भी दिखाना है कि खानेकी चीजोंपर कमसे-कम खर्च करके तन्दुरुस्तीके खयालसे अधिकसे-अधिक फायदा किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। हमें उनको यह सीख देनी होगी कि बचतके साथ-साथ वे स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हमें उनको यह भी सीख देनी होगी कि वे किस प्रकार समय, सेहत और सम्पदाको व्यवस्थित रखें। आप सब मेरे साथ सहमत हो जायें तो खानेकी यह सूची और भी सादी बनाई जा सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोच-समझकर मेरी बात मानें; मैं यह भी चाहता हूँ कि आप लोग यह महसूस करें कि हम जो-कुछ कर रहे हैं, वह हमारा कर्त्तव्य है। हमें ग्रामोद्योग संघका काम करनेवाले योग्य कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आसपासके इलाकेके लिए खुद एजेन्ट बनें। लियोनेल कर्टिसने हमारे गाँवोंको गोबरका ढेर कहा है। हमें चाहिए कि हम उन गाँवोंको आदर्श गाँव बना दें। हमारे गाँवोंके लोगोंको ताजी हवा नहीं मिलती, हालाँकि वे ताजी हवासे घिरे हुए हैं; उन्हें ताजा भोजन नहीं मिलता जबकि उनके चारों ओर ताजे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं। भोजनके सम्बन्धमें मैं किसी कट्टर धर्म-प्रचारककी तरह बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य गाँवोंको देखने लायक बना देना है। हम जो-कुछ भी करते हैं, एक मकसद बनाकर करें। मजाकमें भी एक खास मकसद छुपा रहता है। जमनालालजीने मीरा-बहनको मोटर-गाड़ीमें बैठ गाँवोंमें घूमते देखकर हँसकर कहा था कि आप शायद गाँवोंका मुआयना कर रही हैं। अवश्य ही, इसमें हमारे जीवनकी विचित्र असंगतियोंकी ओर इशारा छुपा हुआ था। लोग अपनी खुदकी जिन्दगीमें तो असंगतियोंको दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि वे हमारे जीवनकी असंगतियोंको कभी दरगुजर नहीं करेंगे; क्योंकि हम अपनेको उनका सेवक कहते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-३-१९३५

३४५. भाषण: इतवारी खादी-भण्डार, नागपुरमें

२३ फरवरी, १९३५

नागपुरमें तीसरे खादी-भण्डारका उद्घाटन करते हुए महात्माजीने यह आशा व्यक्त की कि जनताने जिस प्रकार पहले खोले गये दो भण्डारोंका स्वागत किया है, उसी प्रकार वह इस नये भंडारको भी अपनाकर उसकी उन्नतिमें अपना सहयोग देगी। उन्होंने कहा:

यह मत समझिये कि इस भण्डारके खुल जानेसे ही मैं गद्गद् हो जाऊँगा, या इसीसे मेरी उम्मीदें पूरी हो गई हैं। मेरी मनोकामना तो तभी पूरी होगी जब नागपुरमें रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके तनपर खादी होगी और जब नागपुरके हर घरमें खादीके सिवा और किसी भी प्रकारके कपडेका टुकडा नही मिलेगा।

गांधीजी ने आगे बोलते हुए कहा कि खादी ग्रामीण जनताकी सहायताका प्रमुख आधार है और प्रत्येक व्यक्तिका यह फर्ज है कि वह उसकी सहायता करे। ग्रामीण जनताकी सहायता करनेका एक ही रास्ता है और वह यह कि इतने लोग खादी पहनें कि नागपुरमें जगह-जगह खादी-भण्डार खुल जायें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वह दिन दूर नहीं जब नागपुरके हर हिस्सेमें खादी-भण्डार खुल जायेंगे। अपन भाषणको समाप्त करते हुए उन्होंने श्रोताओंसे आग्रह किया कि उनके चले जानेपर भी वे रुके रहें और नये खोले गये खादी-भण्डारसे खादी खरीदें।

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २४-२-१९३५

३४६. भाषण: सीताबल्डी खादी-भण्डार, नागपुरके उद्घाटनपर

२३ फरवरी, १९३५

महात्मा गांधीने भण्डारके नव-निर्मित भवनके उद्घाटनके समय कहा कि श्री अभयंकरके दिवंगत होनेके बाद मैं पहली बार नागपुर आया हूँ, इसलिए उनके सम्बन्ध में दो शब्द कहना मेरा फर्ज है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि उनकी मृत्युसे मैंने अपना एक सम्बन्धी खो दिया है। नागपुर कांग्रेस-कमेटी द्वारा उनकी यादगारमें एक स्मारक बनानेका फैसला करना उचित ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्मारकके लिए इकट्ठा किये जा रहे कोषमें प्रत्येक आदमी दान देगा।

उन्होंने स्मारक-निर्माण-समितिसे भी कहा कि जिस कामको करनेकी जिम्मेदारी उठाई गई है, वह उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करे। उन्होंने नागपुर-नगरपालिका को नाम मात्रके किरायेपर भूमि देनेके लिए धन्यवाद दिया और यह इच्छा प्रकट की कि केवल उसके सदस्य ही नहीं, बल्कि कर्मचारी भी खादी पहनने लगें। उन्होंने श्रोताओंको याद दिलाया कि सीताबल्डीके खादी-भण्डारमें महाराष्ट्र द्वारा तैयार की गई खादी बेची जाती है जो कि अपनी कीमत, टिकाऊपन तथा श्रेष्ठताके कारण उच्च-स्तरकी मानी जाती है।

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २४-२-१९३५

३४७. भाषण: ग्राम-सेवक सभा, नागपुरमे[1]

[२३ फरवरी, १९३५]

मैं ईसाकी इस शिक्षाकी आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि आप स्वराजकी माँग केवल अपने लिए ही नही, बल्कि अपने पड़ोसियोके लिए भी करते हैं। यह सिद्धान्त अध्यात्म अथवा दर्शनकी तरह कठिन नही है कि आसानीसे समझमे न आये। अगर आप अपने पड़ोसीको आत्मीय भावसे चाहेगे तो वह भी आपको उसी तरह प्यार करेगा।

गाँवमे कार्य करनेवाले कार्यकर्त्ताके सामने दिक्कतें आती हैं, यह तो ठीक है;[2] पर हमें उन दिक्कतोंको दूर करनेकी कोशिश करनी होगी। हमे गाँवोकी कमियो और खराबियोकी फिक्र न करते हुए सच्चा ग्रामवासी बनना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चा ग्रामवासी बन जानेपर ईमानदार मजदूरकी तरह हमें अपनी रोजी कमानेमे कोई दिक्कत नही होगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर यह न कहे कि "मेरी माँ है, तीन विधवा बहने हैं, एक भाई है जिसे कानूनकी पढाईके लिए इंग्लैंड भेजना है, दूसरा भाई म्योर कॉलेजमे पढ रहा है और तीसरेको 'इंडियन सैण्डहर्स्ट' भेजना है।" अवश्य ही, गाँवमे काम करनेवाला इस तरहका 'जीवन-निर्वाह' नही कर सकता। उसके घरमे अगर सभी लोग किसी किसान-परिवारकी तरह काम करें तो वे गुजारेके योग्य पर्याप्त पैसा कमा लेगे।

पूँजी और श्रमके बीच अपने-अपने लाभके लिए संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमें तो इस समस्याको अपना कर्त्तव्य-पालन करते हुए हल करना है। जिस तरह शुद्ध रक्त विषैले रोगाणुओसे हमारी रक्षा करनेमे समर्थ होता है, उसी तरह अगर

१. महादेव देसाईके 'वीकली नोट्स' (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत। यह सभा गणपतराव टिकेकरके निवास-स्थानपर हुई थी।

२. एक कार्यकर्त्ताने कहा था कि उसे गाँवमें एक ग्रामीणकी तरह जीवन व्यतीत करनेमें बहुत दिक्कत पेश आती है और वहाँ उसका गुजारा भी मुश्किलसे ही हो पाता है।

श्रम सच्चा है, तो वह हमे शोषित बननेसे बचाता है। श्रमिकको सिर्फ इतना ही महसूस करना है कि श्रम भी पूंजी ही है। श्रमिकोके समझदार और संगठित होते ही और उन्हें अपनी ताकतका अनुमान होते ही, पूंजी, चाहे कितनी ताकतवर क्यो न हो, उसे दबा नही सकेगी। संगठित और सजग श्रमिक तब अपनी शर्तें मनवानेमे कामयाब हो जायेगा। हम कमजोर हैं, इसलिए हमे हिंसासे ग्रस्त होकर किसी पक्षको धमकियाँ देनेसे कोई फायदा नही होगा। हमे खुदको मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत दिल, खुले दिमाग और पक्के इरादेवाले आदमीके हाथोमे अपनी सब कठिनाइयो और रुकावटोको परे धकेल देनेकी ताकत होती है। फिर "अपने पडोसीको अपने ही समान प्रेम करो"—परिपूर्ण सत्परामर्श नही होगा, क्योकि पूंजीपति भी श्रमिकका उसी प्रकार पड़ोसी है जिस प्रकार श्रमिक पूंजीपतिका। इन्हे एक-दूसरेका सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इस सिद्धान्तका यह भी मतलब नही है कि हम अपना शोषण होते रहने दे। हमारी आन्तरिक शक्ति हमारे हर तरहके शोषणको रोकेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-३-१९३५

३४८. भाषण : सार्वजनिक सभा, नागपुरमें[1]

२३ फरवरी, १९३५

गांधीजी ने स्व० श्री अभयंकरको भावभरी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कार्यकर्त्ताओंको जल्दीसे-जल्दी दिवंगत नेताके स्मारकके योग्य कोष इकट्ठा कर दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभीतक यह निश्चय नहीं हो पाया है कि स्मारकका क्या रूप होगा, तथापि उन्होंने बताया :

आजके युगमें नाममात्रके स्मारकसे काम नही चल सकता। स्मारक ऐसा होना चाहिए जो उसपर खर्च किये गये पैसेसे दस गुनी रकम पैदा करके दे सके। उससे केवल भावनाकी ही नही, नगर और देशकी आवश्यकताकी पूर्ति भी हो सकनी चाहिए।

हरिजन-यात्राके दौरान उडीसामे घूमते हुए मेरे सामने यह बात साफ हुई कि यदि खादीको सब जगह फैलाना है तो ग्रामोद्योगोका पुनरुत्थान किया ही जाना चाहिए।

रेलगाड़ी या मोटरगाड़ीसे यात्रा करनेपर मुझे इसकी प्रतीति नही हो सकती थी। जैसा कि स्व० मधुसूदन दासने कहा कि हमारे ग्रामवासी उन पशुओ-जैसे ही बनते चले जा रहे हैं जिनके साथ वे रहते है और काम करते हैं। उन्हे अपने-समयका

१. महादेव देसाईके 'वीकली नोट्स' (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत। यह सार्वजनिक सभा श्रीमती कालेकी अध्यक्षतामें चिटनिस पार्कमें हुई थी।

बहुत-सा भाग विवश होकर बेकार बैठकर काटना पडता है। इसीके परिणामस्वरूप वे जड बनते चले जा रहे है। यदि यही हालत बनी रही तो भारतकी स्थितिमे स्वतन्त्रतासे भी कोई सुधार सम्भव नही होगा। इसलिए मैंने सकल्प किया कि मुझे अब, अपने जीवनकी सन्ध्यामे ही क्यो न हो, इस जडताको-दूर करनेमे जुट जाना चाहिए। यह बात शेखी बघारने सरीखी लग सकती है, किन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि जो आदमी पूरी श्रद्धाके साथ भगवानका नाम लेकर कोई काम हाथमे लेता है तो, चाहे वह उसके अन्तिम दिनोमे ही क्यो न हो, उसका प्रयास व्यर्थ नही जाता। मुझे विश्वास है कि मैंने जो काम उठाया है, वह मेरा नही है भगवानका है।

अर्थशास्त्रके सिद्धान्त गणितकी तरह देश-काल-निरपेक्ष नही होते। ये प्रत्येक देशकी अपनी परिस्थितिका अनुसरण करते है। फ्रास, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिकाके अर्थशास्त्रके सिद्धान्त एक-जैसे नही है। इनमे से कोई भी एक देश दूसरे देशके अर्थ-शास्त्रको नही अपनायेगा। अपनाना उसकी भूल होगी। जो देश अन्न उपजानेके बजाय खनिज-भर निकालता है, उसका अर्थशास्त्र उस देशके अर्थशास्त्रसे भिन्न होगा जो अन्न उपजाता है और खनिज नही निकालता। इसलिए भारत, फ्रास, इग्लैंड, अमेरिका अथवा जर्मनीमे प्रचलित आर्थिक पद्धतिका अनुसरण नही कर सकता। भारत कभी स्वर्णभूमि थी, इसका यह अर्थ नही है कि हमारे यहाँ सोने-चाँदीकी बहुत-सी खाने थी। हमारे पास भरपूर कला थी। हम श्रेष्ठ कपड़ा बनाते थे और ऐसे बहुमूल्य मसाले पैदा करते थे जिन्हे दुनिया सोना दे-देकर खरीदती थी। हम आज अपना वह गौरवास्पद स्थान खो चुके है और दूसरोके मोहताज होकर उनकी मजदूरी करके जी रहे है। किन्तु यदि हम चाहे तो आज भी हमारे वे पुराने दिन लौट सकते है, क्योकि हमारे पास जबरदस्त प्राकृतिक साधन है, और चीनके सिवा दुनियाके किसी भी देशमे हमारी तरह जीवित यन्त्रोका बाहुल्य नही है। सोचना चाहिए कि जिस देशमे करोडो जीवित मशीने हो वह किसी ऐसी मशीनका उपयोग कैसे कर सकता है जो इन करोडो जीवित यन्त्रोको बेकार कर दे। वह तो इनकी बेकारी और नाशका साधन बन जायेगी। आज हमारे देशमे जो करोडो मानव-यन्त्र निठल्ले पडे है, हमे उन्हे सोच-समझकर काम करनेवाली मशीने बनाना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब हमारे नगर यह निश्चित कर ले कि हम जीवनकी तमाम आवश्यकताओके लिए गाँवो पर ही निर्भर करेंगे — यह अन्य किसी प्रकारसे नही हो सकता। हमने गाँवके प्रति बडा अन्याय किया है और इसके प्रायश्चित्तका केवल यही उपाय है कि उनके जो उद्योग-धन्धे और हस्त-कौशल नष्ट हो गये है, उनके लिए बाजार प्रस्तुत करके हम उनमें जीवनका सचार करे और प्रोत्साहन दे। भगवानसे अधिक धैर्यशाली और क्षमाशील कोई नही है, किन्तु उसके धैर्य और क्षमाशीलताकी भी सीमा होती है। यदि हम गाँवोके प्रति अपने कर्त्तव्यकी अवहेलना करते रहे तो हम अपने नाशको आमन्त्रित करेगे। यह कोई बडा कठिन कर्त्तव्य नही है। यह तो बडी ही सरल बात है। हमे अपने मनको ग्रामाभिमुख बनाना चाहिए और अपने तथा अपने परिवारकी आवश्यकताओके बारेमे गाँवोकी बात मनमे रखकर ही विचार करना चाहिए। इसके

लिए किसी बड़े खर्चकी जरूरत भी नही है। इतना ही करना है कि स्वयसेवक पासके गाँवोंमे जाये और उनसे कहे कि वे जो-कुछ बनायेंगे उसे हम शहर और नगरके निवासी खुशी-खुशी खरीदेंगे। यह एक ऐसा काम है जिसे सभी दलो और धर्मोंके स्त्री-पुरुष हाथमे ले सकते है। यह हमारे देशके सच्चे अर्थशास्त्रके अनुरूप भी है। अभी इस बातकी बारीकीमे जानेका समय नही है — यदि आप लोग इस विषयका भली-भाँति ज्ञान कर लेना चाहते है तो आप लोग हर हफ्ते 'हरिजन' अथवा 'हरिजन-सेवक' पढे ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-३-१९३५

३४९. कुटा बनाम अनकुटा चावल

जिस चावलके सिर्फ छिलके ही निकालें गये हो उसे अनकुटा, और जिसके दाने परका कुछ थोड़ा भाग भी निकाल डाला गया हो उसे कुटा कहते है। साधारणतया गुजरातमे कुटा चावल ज्यादा खाया जाता है। लेकिन डॉक्टरोकी राय है कि अनकुटा चावल ही खाना चाहिए, क्योकि कुटा सत्त्वहीन होता है। एक डॉक्टरका तो मत है कि आजकल कब्जकी जो आम शिकायत है उसका एक कारण हमारे यहाँ कुटा चावल खाया जाना है। वह अपने मरीजोका कब्ज सदा अनकुटा चावल खिलाकर ही दूर करते है। लेकिन चावल खानेवाले केवल डॉक्टरोकी सम्मतिपर कुटा चावल खानेकी अपनी खराब आदतको छोडनेवाले नही है। उन्हे तो इसके लिए अपने तथा दूसरोके अनुभवोकी जरूरत पडेगी। होना भी यही चाहिए। जिसका अपना अनुभव किसी सलाहके विपरीत हो, उसके लिए कोई सलाह निरर्थक ही है। इसीलिए जो लोग इससे सम्बन्धित प्रयोग कर रहे है, उनके अनुभवोको मै इकट्ठा कर रहा हूँ। इसमे जो सबसे अच्छा प्रयोग मेरे देखनेमे आया, वह श्री शकरलाल बैंकरका है। उसका गत अकमे उल्लेख[1] किया जा चुका है।

श्री बैंकरने लिखा है कि अगर जरूरत हो तो यह सिद्ध करनेवाले डॉक्टरी मत प्राप्त किये जाये कि अनकुटा चावल हाजमेको नुकसान पहुँचानेवाला है। लेकिन यह अनावश्यक है। डॉक्टर मात्र एक स्वरसे कहते है कि अनकुटा चावल ही खाना चाहिए, लेकिन यह उनकी अनुभूत बात नही है। अनुभव या तो अपना खुदका हो, या अपने मरीजोका। लेकिन ऐसे अनुभव उनके पाससे कम ही मिले है। इसलिए अनुभव तो चावल खानेवालोके ही मिले तो अच्छा होगा।

प्रयोग करनेवालेको इतना याद रखना चाहिए कि अनकुटे चावलमे सब पौष्टिक तत्व मौजूद रहनेके कारण उसे अच्छी तरह राँधना चाहिए। दाना-दाना खिला रखनकी आदत छोडनी चाहिए। ऐसा चावल देखनेमे भले ही अच्छा लगे, पर उसमे मिठास

१. देखिए "चावलके बारेमें", पृ० २५३-५४।

नही होती। वर्धामे ग्रामोद्योग संघके दफ्तरमे अनकुटा चावल रांधा जाता है। सब स्वादके साथ उसे खाते है, लेकिन वह बिलकुल सफेद दिखनेवाले कुटे चावल जितना नही खाया जा सकता। थोडा खानेमे ही स्वाद और सन्तोष मिल जाता है। अर्थ-लाभ तो प्रत्यक्ष ही दोगुना है। दलना सहज है, इसलिए उसकी मजदूरी बहुत कम होती है। कूटने-फटकनेमे मेहनत व होशियारी ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए उसकी मजदूरी भी ज्यादा पडती है। लेकिन ज्यादासे-ज्यादा लाभ तो थोडे परिमाणमें अनकुटा चावल खानेमे और इस तरह अधिक शक्ति और सन्तोष प्राप्त करनेमें ही है। मिलमे कुटा चावल इस लाभकी बराबरी कभी नही कर सकता। और खाली दलनेके लिए कोई मिल रख भी नही सकता। इससे पूरा ही नही पड़ेगा। प्रयोग करनेवाले नीचे लिखे नियमोका पालन करे, तभी उनके प्रयोग शुद्ध माने जायेंगे और वे सफल हुए बिना भी नही रहेंगे :

१. धानमे से सिर्फ छिलकेको ही निकाला जाये। उसे कूटा बिलकुल न जाये।

२. इस अनकुटे चावलको साफ करके और कूड़ा-कचरा अलग करके कई बार साफ ठण्डे पानीमे धोया जाये। धोनेमे उन्हे बहुत रगडा या मला न जाये, क्योकि ऐसा करनेसे उनके ऊपरका कुछ-न-कुछ सत्व जरूर निकल जायेगा।

३. धोये हुए चावलको तीन घंटे तक ठण्डे पानीमें भिगोया जाये। पानी थोड़ा ही लेना चाहिए।

धोये हुए चावलको धोवनके साथ खौलते हुए अदहनमे डालकर मन्दी आगपर रांधा जाये, और जब वह पककर एकरस हो जाये, तब उतार लिया जाये। अगर पानी ज्यादा भी पड़ जाये तो उसे निकाला न जाये, बल्कि जज्ब होने दिया जाये। अगली बार अन्दाजसे पानी रखे।

प्रयोग करनेवालोसे प्रार्थना है कि अपने अनुभवोको मेरे पास भेजें।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २४-२-१९३५

३५०. पत्र : गोसीबहन कैप्टेनको

वर्धा
२४ फरवरी, १९३५

प्रिय बहन,[1]

तुम्हारा पत्र मिला। जब भी तुम चाहो और आ सको, आ जाओ। यदि यहाँ आनेतक तुम प्रतीक्षा कर सको, तो मैं सविधानके सम्बन्धमें अपना विचार अभी स्थगित रखना चाहूँगा। इसमें कुछ संशोधनोकी आवश्यकता पड़ेगी। शूरजीभाईका पत्र लौटा रहा हूँ। मैं इसका अर्थ वह नही लगाता जो तुम लगा रही हो। पढने पर यह नुकसान पहुँचानेवाला बिलकुल नही लगता। किसी भी रूपमें यह तुम्हारी पहलकदमी या जिम्मेदारीमें हस्तक्षेप नही करता। उनकी सेवाएँ स्वीकार करनेपर भी गलती करनेके तुम्हारे सहज अधिकारमें कोई फर्क नही पडता। मेरे विचारमें उनका यह कहना बिलकुल ठीक है कि उनके अंशदान देनेका कोई प्रश्न ही नही था। तुम कच्छ कैसलमें एक या कुछ कमरे चाहती थी। उन्होने दूसरी जगह कमरे ढूँढ़नेकी बात कही और साथ ही तुम्हें ऐसी चीजें देनेको कहा जो तुम लेना चाहो। तुम्हारी गतिविधियोको किसी भी तरह नियन्त्रित करनेका कोई प्रश्न ही नही था। तुम उनकी चीजोकी थोक-खरीदार हो सकती हो, या उनकी ओरसे चीजोको कमीशनपर बेच सकती हो, या उनसे पूरी तरह स्वतन्त्र रहकर अपनी ही दूकान चला सकती हो। दूकान चलानेका और कोई तीसरा तरीका नही है। तुम उनका प्रस्ताव स्वीकार करना और उनकी सेवाएँ लेना न चाहो, यह बिलकुल दूसरी ही बात है। लेकिन यह बात उनके पत्रसे नही उठती। उन्होने अपने पत्रमें जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसका औचित्य तुम्हे एक ही क्षेत्रमें काम करनेवाले सहकर्मीके नाते तथा प्रबन्ध-समितिके सह-सदस्यके नाते मानना चाहिए। भोजनके रूपमें सोयाबीनकी उपयोगिता क्या है, इस जानकारीकी मैं बड़ी आशासे प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

गोसीबहन
बम्बई

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. सम्बोधन गुजराती लिपिमें है।

३५१. पत्र : जयरामदास जयवर्धनेको

२४ फरवरी, १९३५

प्रिय जयरामदास,

अभी-अभी आपके दो पत्र मिले। मैं तुरन्त ही जवाब देने बैठ गया हूँ। यद्यपि आपके पत्र लम्बे है, फिर भी मुझे जिस सूचनाकी आवश्यकता थी वह उनमे नही है। कितने व्यक्ति प्रभावित हुए है? वे कौन लोग है? जो प्राइवेट सस्था वहाँ काम कर रही है, वह कौन-सी है? उसने कितना चंदा इकट्ठा किया है? आप कैसी मदद चाहते है — व्यक्तियोकी, धनकी, या दोनो प्रकारकी? यदि प्राइवेट संस्थाएँ वहाँ है तो उनकी समितियोके नाम बताये तथा यह भी बताये कि उन्होने कितना चन्दा इकट्ठा किया है। क्या बीमारी अभी भी महामारीके रूपमे जारी है? मृत्यु-दर क्या है? आपको जब बाहरी मददकी जरूरत महसूस हुई तभी आपने मुझे क्यो नही लिखा?

श्रीयुत जयरामदास
परोपकार मण्डालय
९२ साडर्स प्लेस, पेल्टा (कोलम्बो)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३५२. पत्र : अम्बुजम्मालको

२४ फरवरी, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारे दो पत्र मिले। बादाम भी मिले। बादामके बारेमे बादमे लिखूंगा। मुझे खुशी है कि तुम बंगलौर वापस जा रही हो। मैंने वसुमतीको बता दिया है कि अभी कमसे-कम कुछ समयके लिए मद्रासमे उसकी जरूरत नही है।

स्नेह।

बापू

१. यह हिन्दीमें है।

[पुनश्च:]

मीरा तथा अन्य सब लोग बिलकुल ठीक हैं। वे लोग आश्चर्यजनक ढंगसे बच गये।

[अंग्रेजीसे]

अम्बुजम्माल-कागजात; सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

३५३. पुर्जा: रामेश्वरदास पोद्दारको

२४ फरवरी, १९३५

हमको किसीको पापी माननेका अधिकार नही है, क्योंकि हम सब दोषसे भरे हुए है। जिसको हम अपनेसे ज्यादा पापी मानते है वह सचमुच ऐसा ही है, ऐसा माननेका हमारे पास न कारण है न साधन है। एक पैसा चोरनेवाला एक व्यभिचारीसे अधिक पापी हो सकता है। संभव है कि पैसे चोरनेवालेने जान-बूझकर चोरी की है और व्यभिचारीने अपनेको रोकनेका बडा प्रयत्न किया तो भी वह अपनेको रोक न सका। इसके शुभ प्रयत्नका किसको ज्ञान हो सकता है? मनुष्यका हृदयको तो सिर्फ भगवान हि जानता है। इसलिये हम किसीके पापकी तुलना न करे, लेकिन क्षमावृत्ति बढ़ाते रहे। यह अहिंसा धर्मका एक लक्ष्य है।

मो० क० गांधी

[पुनश्च:]

यह तो कुछ लिख दिया है इसलिये है सबके लिये यह बात सच है।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १९१) से।

३५४. पत्र: अमतुस्सलामको

वर्धा
२५ फरवरी, १९३५

प्यारी बेटी अमतुलसलाम,

तुमारा खत आया था। तार देने जैसा कुछ नही था और मेरे तारका वजन कहाँ रहा है? मेरी बात सुनना चाहती है तो

(१) मेरे पास आ जाओ या
(२) बम्बई जाओ या
(३) इंदोर जाओ या
(४) पतीयाला

और किसी जगह जाना या रहना गुनाह समजा जाय। फिर तो जैसा दिल चाहे ऐसा करो। मैं तुमको क्या कहु या कर सकता हू?

खुदा ही तेरी देखभाल करेगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१८) से।

३५५. पत्र: ना० र० मलकानीको

२५ फरवरी, १९३५

प्रिय मलकानी,

मैंने दियालदासको पत्र[1] लिख दिया है। यह पत्र मैंने दिल्ली रवाना होते समय गाडीमें लिखा था।

"हैड क्वाटर"से आज्ञा मिल चुकनेके बाद इस तरह की कार्यवाहियाँ क्यो हो रही है?

अगर भवन-निर्माणके कार्यको समाप्त होनेमें एक माहसे अधिक लगे तो तुम ब्रजकिशनको वहाँ अधिक मत रोकना। आज जो परिस्थिति है उसमें उसका तुरन्त जाना सम्भव नही है।

मान लो कि एक आदमी बिस्तरपर पडा हुआ है, उसके दूसरे सारे सम्बन्धी रूढिवादी है, वह हरिजन-कोषमे पैसा देनेमे समर्थ है और पैसे देता भी है; मगर इसे हम उसका व्यक्तिगत सेवा-कार्य नही कह सकते। मै इस बातसे जरूर सहमत हूँ कि वहाँ यह भी जोड़ देना चाहिए कि—'*यथासम्भव, हरिजनोको रखा जाये।*' उसने सिर्फ आर्थिक सहायता करनेका उल्लेख करके जो चूक की है, वह उसकी ईमानदारीके अतिरेकको ही सूचित करती है।

मुझे अफसोस है कि तुम्हे अमतुलसलामको अपने साथ रखना पड रहा है। उसके पक्षमे मै एक ही बात कहूँगा कि वह हरिजनोकी एक अच्छी और सहृदय सेविका है।

देवदास और अमतुलके लिए दो पत्र रख रहा हूँ।

तुम्हारा लेख मैंने मद्रास भेज दिया है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१३) से।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

३५६. पत्र : एस्थर मेननको

२५ फरवरी, १९३५

प्यारी बिटिया,

तुम्हारा पत्र मिला। लम्बे पत्रके लिए क्षमा-याचना क्यो की? तुम मुझे कोई जल्दी तो लिखती नही हो।

श्रीमती एस०[1] एक दिनके लिए यहाँ रुकी थी। वे एक अच्छी सदाशय महिला है। उन्होने मुझे बताया कि वे तुम्हारे साथ रही है।

हाँ, बच्चोको स्वास्थ्यके विचारसे कोडाईमे ही रहना चाहिए। मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि मेननको अब भी डेनमार्कसे पैसा मँगाना पड़ता है, किन्तु इस सम्बन्धमे मिलनेपर बाते करेगे।

तो मारिया घर नही जा सकती! भारतसे हार्दिक प्रेम हो जाना बहुत ही सहज है।

जब तुम नेली बालको पत्र लिखो तो उसे मेरा प्यार कहना।

सी० एफ० एण्ड्रचूज प० आ०[2] मे है। उनका विचार है कि वे अप्रैलमे भारत आयेगे।

मीरा एक मोटर-कार दुर्घटनामें बाल-बाल बची। वह अब बिलकुल ठीक है।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार। माई डियर चाइल्ड, पृष्ठ १११ से भी।

३५७. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

२५ फरवरी, १९३५

प्रिय शंकरलाल,

आज यहाँ मेरे पास श्रीयुत किर्लोस्कर तथा उनके मुख्य अधिकारी है। वे इसके लिए बहुत इच्छुक है कि उनकी मशीनके बारेमे कोई-न-कोई निर्णय हो जाये। मैंने उन्हें बता दिया है कि निर्णय मुझे नही देना है। वह तो निर्णायको द्वारा ही दिया जा सकता है। मैने उन्हे यह भी बता दिया है कि जो भी निर्णय होगा वह कार्यान्वित किया जायेगा। यदि निर्णय उनके पक्षमे हुआ, तो एकस्व अधिकारको

१. पूरा नाम साफ लिखा हुआ नहीं है।

२. पश्चिमी आफ्रिका।

कानूनी तौरपर हस्तान्तरित करने तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओंके वदलेम उन्हे पुरस्कार-राशि तुरन्त दे दी जायेगी।

वे चाहते हैं कि निर्णय यथासम्भव शीघ्र ही हो जाये, इसलिए कृपया मामलेको जितना शीघ्र हो सके, निपटा डाले। यदि निर्णायक श्रीयुत किर्लोस्करके प्रतिनिधिका वयान लेना चाहते हो तो ऐसी सूचना मिलते ही वे अपने प्रतिनिधिको खुशी-खुशी भेज देगे।

मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नही कि इस सम्वन्धमे मैंने जो-कुछ भी कहा है, उससे निर्णायकोको प्रभावित नही होना है।

श्री शंकरलाल वैंकर
अहमदावाद

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

३५८. पत्र: अमृतलाल वि० ठक्करको

२५ फरवरी, १९३५

भाई ठक्कर वापा,

सूरजवहन सम्वन्धी आपका पत्र मुझे अच्छा नही लगा। आप और करसनदास दोनो हाथ खीच ले, तो मैं कहाँ जाऊँगा? यदि आपको लगता हो कि मेरी ओरसे इस वहनके प्रति थोड़ा भी अन्याय हुआ है, तो मुझे कुछ नही कहना। मेरी सत्ता केवल मेरी सत्यनिष्ठा तथा न्यायवुद्धिपर अवलम्वित है। इस मामलेको खत्म करनेके लिए आप वचनवद्ध हैं, यह याद रखिए। गणेशनने जो कर्ज लिया है, वह यदि कोडमाकमके सम्वन्धमें ही हो, तो सारा पैसा चुकाकर नये प्रवन्धकको स्वच्छतासे काम शुरू करनेका अवसर दीजिए।

'हरिजन'को पूना लें जानेके सम्वन्धमे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे मार्ग स्पष्टत दिखाई नही देता। मुझे लगता है, शास्त्रीकी सेवाओको 'हरिजन'मे ही वनाये रखना हमारा स्पष्ट कर्त्तव्य है, किन्तु मैं यह नही समझ पाता कि उसे 'हरिजन'का ही काम सौपा जाये या कोई दूसरा काम। दी० व०[1]का सुझाव मुझे अच्छा नही लगा। तमिल, तेलगु ['हरिजन']की झंझटमे हम न पड़े।

नट्टार-हरिजन समस्याका कुछ कीजिएगा।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५२) से।

1. दीवान बहादुर भाष्यम आयंगार।

३५९. पत्र : स० दा० सातवलेकरको

२५ फरवरी, १९३५

भाई सातवलेकर

आपका पत्र मिला। दिल्लीसे देवदासका पत्र है उससे पता चलता है कि केलकर दिल्लीमे है और अच्छे है।

करुदवाडके यज्ञकी कथा दुःखद है।

उद्योग संघका[1] सब हाल 'हरिजन' और 'हरिजन-सेवक' में आता है। यदि नहि मिलता है तो मैं भेजवा दुं। संघके सदस्य और एजंट बनोगे?

रेशमके बदेका संघके कार्यक्रममें त्याग नही है। इसे चर्खा संघके मार्फत किया जाता है।

आपका,
मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७७६) से; सौजन्य : स० दा० सातवलेकर।

३६०. पत्र : एस्थर मेननको

[२५ फरवरी, १९३५के पश्चात्][2]

रानी बिटिया,

तुम्हारा बहुमूल्य पत्र अभी पढ़कर पूरा किया है। मेरा मन उसे पढते हुए रो रहा था। क्या तुम यह तमिल कहावत नही जानती – "दिक्कट्रवनक्कु दैवमे तुणै"? इसका अर्थ यह है, 'निर्वलके वल राम'। वह तुम्हे शक्ति और सात्वना देगा।" उसकी करुणा और घाव भरनेकी शक्तिमे विश्वास मत खोना।

तुम्हे इसके बहुत पहले ही मुझे लिख देना था। बिलकुल न लिखनेसे तो यह अच्छा ही रहा।

बच्चोको जैसा जो-कुछ लगता है, वह तुम मेननको बता दो। जो होना था सो तो हो चुका। इस विवाहसे ईश्वरका कोई अभिप्राय था। न तुम चुकी हो, न झुकी हो।

१. ग्रामोद्योग संघ।

२. माई डियर चाइल्डमें इसे "पत्र : पस्थर मेननको", २५-२-१९३५ के बाद रखा गया है।

तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अगर खर्चका आसानीसे प्रबन्ध किया जा सकता हो तो तुम्हें बच्चोंको लेकर डेनमार्क या इंग्लैंड चले जाना चाहिए। और अगर वहाँकी आबोहवा तुम्हें बर्दाश्त न हो तो बच्चोंकी जो देखरेख कर सके उसके पास उन्हें छोड़कर भारत लौट आना चाहिए।

यदि यह सम्भव न हो तो किसी ऐसी पहाड़ी जगहमें जाकर रहो जहाँ साल-भर रहना मुमकिन हो सके और जहाँ रहकर बच्चोंका भारतीय वातावरणमें भारतीयोंकी तरह लालन-पालन किया जा सके। मेरी समझमें वे इसका विरोध करनेवाले बच्चे नहीं हैं। भारतमें रखकर किसी यूरोपीय पद्धतिकी शालामें उनकी शिक्षा-दीक्षा उनके नैतिक विकासके लिए घातक ठहरेगी।

तुम और बच्चे मेरे पास रह सकें तब तो निश्चय ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यह आबोहवा और शायद परिवेश भी उन्हें माफिक नहीं आयेगा। तुम जब भी चाहो, मुझे लिखनेमें संकोच मत करना। तुम्हारे पत्रोंका उत्तर देने लायक अच्छा तो मैं हूँ ही।

मैंने मेननकी कुछ ठीक मदद करनेकी कोशिश की थी, मगर सफलता नहीं मिली, अर्थात् उसकी जरूरतके लायक वेतनवाला काम मैं उसे नहीं दिला सका। लेकिन अगर बच्चोंकी और यहाँतक कि तुम्हारी चिन्तासे उसे मुक्ति दिलाई जा सके तो फिर वह कम वेतनका कोई ऐसा काम भी स्वीकार कर सकता है जिसमें उसे पर्याप्त अनुभव प्राप्त करनेकी गुंजाइश हो।

अन्तमें तय कुछ भी हो, तुम किसी बातकी कोई चिन्ता मत करना। याद रखो कि अगर हम अवसर दें तो भगवान स्वयं अपने विशाल कन्धोंपर हमारी सारी चिन्ताओंका बोझ ले लेते हैं। मैं तुम्हें इस समय लिख रहा हूँ — यह जितना सच है, उतनी ही सच यह बात भी है। अलबत्ता उसका तरीका हमारा तरीका नहीं है और उसके कन्धे हमारे कन्धे नहीं हैं। फिर भी उसकी मरजीके अनुसार चलनेमें ही सारा सौन्दर्य समाहित है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकलसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार।

३६१. पत्र : मणिलाल गांधीको

वर्धा
२८ फरवरी, १९३५

चि० मणिलाल,

तेरा पत्र मिला। संस्कृतमें एक सुभाषित है: "सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।" इसका अर्थ है: मनुष्यको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। भावार्थ यह है कि सत्यको सदा अहिंसामय होना चाहिए। आलोचना करनेकी अहिंसक भाषा सीखनी चाहिए। तूने अथवा जिसने यह लिखा हो, वह यही बात मधुर भाषामें कह सकता था। मधुर भाषा क्रोधमुक्त हुए बिना नहीं आती। तेरे लेखमें और पत्रमें मैं क्रोधका प्रभाव देखता हूँ। उपालम्भके रूपमें नहीं, तुझे सावधान करनेके लिए ही यह लिखा है। वैसे इतनी दूर से मेरा तेरी आलोचना करना कोई मतलब नहीं रखता। फिर भी, तेरी भाषाका जो प्रभाव मुझपर पड़ा, वह बता देना ही उचित मालूम पड़ता है।

रामदासको तू यहीं बस गया मान। वह छापेखानेमें भागीदार होगा। उसका स्वास्थ्य ठीक है।

हरिलाल और कान्ति मेरे साथ हैं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

मेरे काम अधूरे रह जाते हैं। सुशीलाका पत्र भी अनपढ़ा रह गया था। चतुर गोमतीने उसे खोज निकाला। कपड़ेका प्रबन्ध कर रहा हूँ।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३३)से।

३६२. पत्र : राजेन्द्रप्रसादको

२८ फरवरी, १९३५

भाई राजेन्द्र बाबू,

मैं तो सब कुछ करनेमें राजी हूं तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट होनेमें क्यों राजी न हूं। इतना भी मुसलमान करें और सीख व हिन्दु राजी हो जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें मुझे संदेह नहीं है। मालवियाजी महाराजको राजी करना मुश्केल जरूर है, लेकिन सीख राजी होंगे तो वे विरोध नहीं करेंगे। मेरा उनको लिखनेका मौका अब नहीं है, तुम कहोगे तो लिखूंगा। घनश्यामदास काफी है।[1] दूसरे राजी हो जाय तो जमनालाल भी पंडितजीके पास जा सकेंगे।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९७८७ से; सौजन्य: राजेन्द्रप्रसाद।

३६३. प्रश्नोत्तर[2]

[१ मार्च, १९३५ से पूर्व][3]

प्रश्न–लोगोंको फुरसतका समय मिलना चाहिए या नहीं, इसका तो आप खयाल ही नहीं करते। गरीब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहेंगे तो उन्हें मानसिक विचार द्वारा बुद्धिको बढ़ाने और मनोरंजन द्वारा आनन्द प्राप्त करनेके लिए समय ही नहीं मिलेगा। पर आप तो उन्हें और ज्यादा काम करनेकी ही शिक्षा दे रहे हैं।

उत्तर–सचमुच? मैं जिन लोगोंके बारेमें सोच रहा हूँ, उनके पास तो इतनी फुरसत है कि उन बेचारोंकी समझमें ही नहीं आता कि उनका क्या उपयोग करें। इस फुरसतके ही कारण उनमें ऐसी सुस्ती आ गई है जिसने उन्हें निर्जीव पत्थरके समान जड़ बना दिया है। उनमें इतनी जड़ता आ गई है कि कितने ही लोग तो जरा-सा हिलना-डुलना भी नहीं चाहते।

१. इस समय घनश्यामदास बिड़ला गांधीजी और मालवीयजीके बीच मध्यस्थका काम कर रहे थे।

२. महादेव देसाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत। देसाईने प्रश्नकर्ताका नाम नहीं दिया है।

३. महादेव देसाई १ मार्च १९३५को वर्धासे बम्बईके लिए रवाना हो गये थे। देखिए "पत्र: नरहरि द्वा० परीखको", पृ० २९८।

प्रश्न : जहाँ जरूरत हो वहाँ आप लोगोंको कामपर जरूर लगाइये। पर आप तो उनसे अपने हाथों अपने चावल और अनाजकी कुटाई-पिसाई करनेके लिए भी कहते हैं। क्या यह उनसे सूखा, नीरस काम करानेकी बात नहीं है?

उत्तर—उन्हें आलस्यमे अपना समय बिताना जितना नीरस मालूम होता है, यह काम उससे ज्यादा नीरस नही है। और जब वे यह समझ जायेंगे कि इससे हमें न सिर्फ कुछ पैसोकी कमाई ही हो जाती है, बल्कि इससे हमारी और हमारे देशवासियोकी तन्दुरुस्ती भी ठीक रहती है, तो उन्हे यह काम नीरस नही लगेगा। आधुनिक कल-कारखानोमे काम करनेसे ज्यादा नीरस तो निश्चय ही यह काम नही है। कोई काम कितना ही नीरस क्यो न हो, अगर मनुष्यको उसमे यह समझनेका आनन्द मिल सकता हो कि मैंने कुछ निर्माण किया है, तो उसे वह नीरस नही लगेगा। आप किसी जूतोके कारखानेमे जाइए। वहाँ कुछ आदमी जूतोके तले बना रहे होंगे, कुछ ऊपरी हिस्से और कुछ अन्य काम कर रहे होगे। वह काम नीरस मालूम देगा, क्योकि वे लोग बुद्धि लगाकर काम नही करते। लेकिन जो मोची या चमार स्वयं पूरा जूता बनाता है, उसे अपना काम जरा भी नीरस नही मालूम पड़ेगा। क्योकि उसके कामपर उसकी कुशलताकी छाप होगी और उसे इस बातका आनन्द होगा कि अपने हाथो मैंने कोई चीज बनाई है। कौन काम किस भावनासे किया जाता है, इसका बहुत असर पड़ता है। अपने ही उपयोगके लिए पानी भरने और लकडी चीरनेमे मुझे कोई आपत्ति नही होगी, बशर्ते कि किसीकी जोर-जबरदस्तीसे नही, बल्कि अपनी बुद्धिसे सोच-समझकर मै ऐसा करूँ। कोई भी श्रम क्यो न हो, अगर वह बुद्धिपूर्वक और किसी ऊँचे उद्देश्यको सामने रखकर किया जाये तो वह उत्पादक बन जाता है और उससे आनन्द भी प्राप्त होता है।

प्रश्न—लेकिन जब आप सारे दिन शारीरिक श्रम करते रहने पर ही जोर देते है, तब क्या आप उनकी बुद्धिको जड़ बनानेका जोखिम अपने ऊपर नहीं ले रहे है? आप दिन-भरमें कितने घंटेका शारीरिक श्रम आवश्यक समझते है?

उत्तर—मुझे खुद आठ घंटे काम करनेमे कोई आपत्ति नही होगी।

प्रश्न—मै आपकी बात नहीं करता। आप तो आठ घंटे चरखा कातकर भी आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, यह मै जानता हूँ। पर आपकी बात तो अपवाद-स्वरूप है, क्योकि आपमें तो इतनी बुद्धि और सर्जन-शक्ति है कि बाकीके समयमें भी उसका बहुत-कुछ उपयोग कर सकते हैं।

उत्तर—नही, मै तो चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति आठ घटे मेहनत करके आनन्द प्राप्त करे। सब-कुछ काम करनेकी भावनापर निर्भर है। आठ घटे लगनके साथ शुद्ध शारीरिक श्रम करनेके बाद भी बौद्धिक कामोके लिए काफी समय बच रहता है। मेरा उद्देश्य तो जडता और आलस्यको दूर करना है। जब मै संसारसे यह कह

सकूँगा कि भारतका हरएक ग्रामवासी अपने पसीनेसे २० रुपया महीना कमा रहा है, तब मुझे परम सन्तोष प्राप्त होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-३-१९३५

३६४. टिप्पणियाँ

सच्चा और झूठा अर्थशास्त्र

एक मित्रने मेरे पास कनसास स्टेट कॉलेजके अध्यक्ष डॉ० एफ० डी० फेरलका निम्न उद्धरण भेजा है:

> आर्थिक हितोंके लिए सामाजिक हितोंका बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए। सामाजिक रूपसे अवनति होते रहनेके बावजूद आर्थिक उन्नति करते जाना बड़ी निरर्थक बात है। हम सबको यह जान लेना चाहिए कि हम श्रम और संघर्षके ही लिए नहीं जीते, बल्कि इसलिए परिश्रम और संघर्ष करते हैं कि अपेक्षाकृत अच्छा जीवन व्यतीत करें। अगर हम अच्छी तरह नहीं रह सकते, तो हमारे पास कितना ही रुपया क्यों न हो फिर भी हम गरीब हैं।
>
> खेती-किसानीका काम करनेवाले बहुसंख्यक लोग विपत्तिमें पड़कर इस बातको समझ रहे हैं। इस प्रकार इसके द्वारा एक ऐसे ग्रामीण तत्त्वज्ञानको स्वीकार करनेकी नींव पड़ रही है जो सम्भवतः स्थायी होगा। इस सिद्धान्तके अनुसार खेतीका मुख्य उद्देश्य रुपये-पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि देहाती लोगोंमें सुख-समृद्धिका प्रसार करना है; और खेतोंको मुख्यतः घर ही समझना चाहिए, न कि व्यवसाय की चीज। उन्हें व्यवसायकी चीज तो कभी संयोगवश ही मानना चाहिए।
>
> अब हम अनेक लोग विपत्तिमें पड़कर यह सीख रहे हैं कि रुपये-पैसेके अलावा जो प्राकृतिक सम्पत्ति हमारे चारों तरफ मौजूद है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। इस सम्पत्तिमें सुनहरे सूर्यास्तसे लेकर बच्चोंसे हिलना-मिलना तक तरह-तरहकी बेशुमार चीजें है, जिनसे सुख और सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम सादा जीवन व्यतीत करें और रुपये-पैसेके अलावा, जो प्राकृतिक सम्पत्ति है उसीपर अपना अधिक आधार रखें, तो हमें न केवल स्वास्थ्य और सुख ही प्राप्त होगा, बल्कि बहुत-कुछ आर्थिक संरक्षण भी मिलेगा।

निस्सन्देह, जो अर्थशास्त्र स्वास्थ्यका नाश करता है वह झूठा अर्थशास्त्र है, क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो रुपया-पैसा किस कामका? सच्चा अर्थशास्त्र तो वही है जिससे स्वास्थ्य बना रह सके। इसीलिए ग्राम-सुधारका जो प्रारम्भिक कार्यक्रम बनाया गया है, उस सबका उद्देश्य सच्ची अर्थनीति ही रखा गया है, क्योंकि ग्राम-वासियोंके स्वास्थ्य एवं शक्तिकी वृद्धि ही उसका उद्देश्य है।

शर्मनाक

अभी कलकी बात है, लगभग २५ वर्षका एक हट्टा-कट्टा नौजवान मेरे पास आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दो-तीन दिन आपके पास ठहर सकता हूँ? बहराइचका रहनेवाला था। घरपर उसके यहाँ कुछ एकड़ जमीन भी है। बम्बई-कांग्रेसमे गया था, तभीसे बराबर भ्रमण कर रहा है और अपरिचित लोगोके सहारे उसका निर्वाह होता है। वह रामानुजियोमे उठता-बैठता है। जैसा उसने मुझे बताया, वे उसे खाना और थोडा-बहुत रेल-भाड़ा देते है। जब मैंने उससे कहा कि इस तरह दूसरोके दानपर रहना ठीक नही है, तो उसने जवाब दिया – 'मुझे तो अपने खाने-खर्चके लिए भीख माँगनेमे कोई बुराई नही मालूम पडती, क्योकि मै लोगोकी सेवा करनेकी आशा रखता हूँ।' मतलब यह कि गुजारा तो पहले ही माँग ले, फिर किसी समय उसके बदलेमे ब्याज-सहित सेवा कर दे। इसमे उसे अनौचित्य कुछ भी नही मालूम पडा। चूँकि वह खानेके वक्त आया था, इसलिए सबके साथ उसे भी भोजन दिया गया। लेकिन इसके बाद मैंने उससे कह दिया कि वह हमारे साथ तभी रह सकता है जबकि सारे दिन जो काम उसे दिया जाये उसे करनेको वह तैयार हो। तबसे अभीतक हममे से किसीको भी वह दिखाई नही दिया है।[1]

मै चाहता हूँ कि ऐसा मामला फिर मेरे सामने न आये तो अच्छा। नौजवान स्त्री-पुरुषोको अपने लिए भीख माँगनेमे शर्म आनी चाहिए। शारीरिक श्रमके लिए शर्मका जो झूठा भाव हममे आ गया है, अगर उससे हम मुक्त हो जाये तो जिनमे थोड़ी-बहुत भी बुद्धि है, ऐसे नौजवान स्त्री-पुरुषोके लिए कामकी कोई कमी नही है। काफी काम उनके लिए पडा हुआ है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-३-१९३५

१. इस युवकका नाम अवधेश था। इस सम्बन्धमें और अधिक जाननेके लिए देखिए "टिप्पणियाँ", १३-४-१९३५, उपशीर्षक, "पूर्ण प्रायश्चित्त"।

३६५. खादके गड्ढे

पजावके ग्राम-सुधार-सम्बन्धी सरकारी महकमेके कमिश्नर श्री ब्रेनने, मेरी प्रार्थना पर, अपना सब साहित्य मेरे पास भेजा है। इसमे कई ऐसी पत्रिकाएँ भी है जो ग्रामवासियोकी साधारण जानकारीके लिए उपयोगी है। समय-समय पर इनम से चुनी हुई कुछ बाते मै पाठकोके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले खादके गड्ढोवाली पत्रिका को लेता हूँ.[1]

इसमे जो-कुछ लिखा है सभी उसका समर्थन करेगे। यह मै जानता हूँ कि श्री ब्रेनने जैसे गड्ढोके लिए लिखा है, आम तौरपर वैसे ही गड्ढे तैयार करनेकी सिफारिश की जाती है। मगर मेरी रायमे पूरेने जो कम गहरे सतही गड्ढेकी सिफारिश की है, वह अधिक वैज्ञानिक एव लाभप्रद है। उसमे खुदाईकी मजदूरी कम होती है, और खाद निकालनेकी मजदूरी तो या तो बिल्कुल ही नही होती या बहुत थोडी होती है। फिर उस मैलेकी खाद भी लगभग एक सप्ताहमे ही बन जाती है, क्योकि जमीनकी सतहसे ६ से ९ इंच तककी गहराईमे रहनेवाले बैक्टीरिया, हवा और सूर्यकी किरणोका उसपर असर होता है, जिससे गहरे गड्ढेमे दबाये जानेवाले मैलेकी बनिस्वत कही अच्छी खाद तैयार हो जाती है।

लेकिन मैला ठिकाने लगानेके तरीके कितने ही तरहके क्यो न हो, याद रखनेकी मुख्य बात यह है कि सारे मैलेको गड्ढोमें दबाया जरूर जाये। इससे दुहरा लाभ होता है—एक तो ग्रामवासियोकी तन्दुरुस्ती ठीक रहती है, दूसरे गड्ढोमे दबकर बनी हुई खाद खेतोमे डालनेसे फसलकी वृद्धि होकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यह याद रखना चाहिए कि मैलेके अलावा, जानवरोके शरीरके अवयव आदि चीजें अलग गाडी जानी चाहिए। यह निस्सन्दिग्ध है कि ग्राम-सुधारके काममें सफाई सबसे पहला कदम है।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, १-३-१९३५

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें गाँवके पास गड्ढोंमें कचरा और गोबर डालकर उससे खाद बनानेपर जोर दिया गया था।

३६६. पत्र : एफ० मेरी बारको

वर्धा
१ मार्च, १९३५

चि० मेरी,

यह पत्र तुम्हारे पास सुमित्राबहन लेकर आ रही है। मेरा खयाल है कि छोटेलाल[1] ने ठीक चुनाव किया है। सुमित्रा भली और परिश्रमी महिला है। लेकिन तुम खुद ही इस बातका इत्मीनान कर लेना। अगर वह, जैसी बहन तुम्हें चाहिए, वैसी न हो तो तुम उसे वापस भेज देना।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३९) से। सी० डब्ल्यू० ३३६९ से भी, सौजन्य : एफ० मेरी बार।

३६७. पत्र : मेरी चेजलेको[2]

[१ मार्च, १९३५][3]

प्रिय मेरी सी०,

मुझे तुम्हारा बहुत ही बढ़िया खत मिला। तुम्हें अपने मनसे यह आशंका तो दूर कर ही देनी चाहिए कि खूब मेहनत करके जीवन-निर्वाहके लायक पैसे जुटानेमें तुम शायद समर्थ न हो सको। मैं इस समय किसी भी बातकी आलोचना नहीं करूँगा। तुम मुझे अपने प्रयत्नोंके सम्बन्धमें विस्तारसे बराबर सूचित करती रहना और जब कभी मैं समझूँगा कि तुमसे गलती हो रही है, मैं तुम्हें बतला दूँगा। तुम दोनों और तुम सब स्वस्थ रहो।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३९) से। सी० डब्ल्यू० ३३६९ से भी, सौजन्य : एफ० मेरी बार।

१. वर्धा-आश्रमके प्रबन्धक।

२. कनाडियन 'क्वेकर' संगठनकी एक सदस्या। वे उत्तर भारतके अपने मित्रोंसे मिलने तथा ग्राम-सेवाका कोई काम करनेके विचारसे आई थीं। वे एफ० मेरी बारके साथ खेडीमें जाकर रहीं।

३. यह पत्र और इससे पहलेका पत्र, दोनों एक ही कागजपर लिखे गये थे।

३६८. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

दुबारा नहीं पढ़ा

मगनवाड़ी
२ मार्च, १९३५

चि० नरहरि,

महादेव पिछली रात बम्बई चला गया। तुम्हारा पत्र वहाँ भेज रहा हूँ।

हीरासिंहके सगे-सम्बन्धियोंको जानते हो? उन्हें खबर कर दी होगी। उनका अग्निदाह तो किया ही होगा। शव-यात्रामें कौन गया था? हीरासिंह कहाँ सो रहे थे? क्या वह जगह निरापद थी? खटियापर सो रहे थे या धरतीपर?

मैं तो मानता हूँ कि सब अपने समयसे ही मरते हैं। किन्तु समयकी खबर नहीं होती और मरना अप्रिय लगता है, इसलिए इलाज करना ही पड़ता है। किस जन्तुने काटा होगा जब यह मालूम ही न पड़े, तब साँपने काटा होगा, ऐसा मान कर ही उपाय करना होता है। डॉक्टरके यहाँ ले जाना एक उपाय है, किन्तु यदि डॉक्टर न मिले तो नस बाँधकर जहाँ काटे जानेका शक हो वहाँ घाव बनाकर खून निकालने, उसमें परमेंगनेट भरने, मिट्टीका लेप रखने और मरीजको जगाये रखनेका इलाज तो है ही। उलटी भी कराई जा सकती है। मुँहमें उँगली डालनेसे अथवा गरम पानी और नमक पिलानेसे — नमक अच्छे परिमाणमें डाला गया हो — उलटी तुरन्त हो जाती है। सम्भव हो तो और भी उपाय डॉक्टरसे मालूम कर लेने चाहिए।

भगवानजीसे कहना कि उसका पत्र मिला है। उसके प्रश्न तो मुझे याद नहीं हैं। फिरसे लिखे।

बापूके आशीर्वाद

श्री नरहरि द्वा० परीख
हरिजन-आश्रम
साबरमती, अहमदाबाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०८३) से।

३६९. पत्र: अमृत कौरको

३ मार्च, १९३५

प्रिय अमृत,

मुझे तुम्हारे दो खत मिले। हाँ, खान-बन्धु वास्तवमे ईश्वरके सच्चे सेवक है। मुझे खुशी हुई कि तुमने एक ही बैठकमें पुस्तक पढ ली है। अगर तुम चाहो तो पुस्तककी कुछ प्रतियाँ देवदाससे निःशुल्क प्राप्त करके उन्हे अपने अंग्रेज-मित्रोको भेज देना।

जुगलकिशोरजीने तुम्हे जो कागज भेजा है, उसमे तुम्हारे द्वारा बताई गई खामी है। मैं छानबीन करके देख रहा हूँ कि उसमें और सुधार किया जा सकता है या नही। लिफाफोकी हदतक कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। वे भली-भाँति हाथसे बनाये जा सकते है। उन्हे बनाना, अपने-आपमे एक धंधा बन सकता है। मैंने जो लिफाफे तुम्हारे पास भेजे हैं, क्या उनमे सफाईकी कमी लगी?

तुम्हें मिलकी बनी साडियाँ फट जानेतक खद्दर न पहननेके लिए इन्तजार नही करना चाहिए। हाथसे बुनी चीजमे सुन्दरताका पार नही होता। बेशक हाथ-बुना रेशम खादी है।

कृपया महाराजसिंह तथा उनकी धर्मपत्नीको मेरा प्यार कह देना। तुम्हे शायद मालूम नही है कि मेरा दूसरा पुत्र दक्षिण आफ्रिकामे 'इंडियन ओपीनियन' नामके पत्रका सम्पादक है। वह बहुत अच्छा लडका है। उसे महाराजसिंहकी नीति अच्छी नही लगी, और उसने अपने पत्रमे कुछ उग्र होकर आलोचना कर दी। एन्ड्रचूज और मैंने उससे उसके आलोचना करनेके ढँगपर बहस करनेकी कोशिश की, लेकिन हम दोनो उसे उसके तरीकेकी खामी समझानेमे कामयाब नही हुए। वह जरा हठी स्वभावका लड़का है। मैंने उससे कहा कि किसी नीतिसे सहमत न हो सकनेमें मै बुराई नही मानता। लेकिन मैंने राय व्यक्त करनेके ढंगके बारेमे उसे समझाया। मै अभीतक उसे समझानेकी कोशिश कर रहा हूँ।

श्रीमती बी० नेहरूकी बातका मै अभीतक कायल नही हूँ। मेरा कहना यह है कि समाज-सुधारकके नाते हम किसी पर नालिश आदि न करें। सनातनी लोग जुर्माने भर देंगे और हरिजनोको हमारे विरुद्ध कर देंगे। मेरे दिमागमे यह बात बिलकुल साफ है कि हमें अपने कामकी शुरूआत ऊँचे कहे जानेवाले वर्णोसे ही करनी होगी, सचमुच गुनहगार वे ही है। हरिजनोंको मालूम है कि वे शारदा-कानूनका पालन नही कर रहे है, लेकिन इससे मेरी बहसके मुद्देपर जरा भी असर नही पड़ता। वे अब भी अपनी गलतीसे नावाकिफ़ है। कानूनके खिलाफ बगावत

करना अब अपने-आपमें कोई गलत चीज नहीं रही। मेरा यह तर्क स्त्रियोंके संगठन पर भी लागू होता है। तुम मेरा यह सब लिखा श्रीमती बी० एन० को भी दिखा देना। अगर मेरे तर्कसे तुम्हें सन्तोष न होता हो तो तुम इसका ज्यादा खयाल मत करना।

लिननके बारेमें तुम क्या सोचती हो लिखना। यथासम्भव तुम आ जाओ। जितनी जल्दी उतना अच्छा।

स्नेह।

[पुनश्च]

यह कागज बहुत खराब है। मुझे उम्मीद है कि तुम लिखावट पढ़ लोगी।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२३) से, सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३३२ से भी।

३७०. पत्र: अमतुस्सलामको

वर्धा
४ मार्च, १९३५

चि० अमतुलसलाम,

तेरा बहुत लम्बा खत मिला। तू मेरे लिखनेका उलटा ही अर्थ लगाये तो मैं क्या करूँ? अब तुझे जो ठीक लगे सो कर। किसी भी तरह तू शान्त हो जा, शरीर अच्छा कर ले। इसीमें मुझे परम सुख है, ऐसा समझ। तूने क्या मँगाया है? चरखा और वह सूर्ययन्त्र? किसीके साथ भेजूं तो चलेगा न?

देवदास और लक्ष्मी तेरी फिक्र रखते हैं और तुझसे मुहब्बत करते हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इससे उलटा होता तो मुझे आश्चर्य और दुःख दोनों होता।

बापूकी दुआ[1]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१९) से।

३७१. पत्र : परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

४ मार्च, १९३५

भाई परीक्षितलाल,

आदर्शका ही विचार करे तो कहा जायेगा कि जिन हरिजन-सेवकोने सन्तराम-उत्सवने भाग लिया, उन्होने नियम भग किया। किन्तु वहाँकी परिस्थितिपर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि शायद उनका भाग लेना ठीक था। सार्वजनिक रूपसे चर्चा करने जैसा विषय यह बिलकुल नही है। परिस्थितिको देखकर साथियोने जो किया, सो करनेका उन्हे अधिकार था। हम दुनियाके काजी नही बन सकते।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४००२) से।

३७२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

४ मार्च, १९३५

रजत-जयन्तीके अन्तर्गत जो-कुछ होगा, उसमे तुम्हारे भाग लेनेकी जरूरत नही है। किन्तु यदि ऐसा स्पष्ट लगे कि तुम्हारे न जानेसे नगरपालिकाको नुकसान पहुँचेगा, तो तुम्हे जाना चाहिए। यही नियम सामाजिक समारोहोंपर भी लागू होता है। यह याद रखना चाहिए कि हम इस समय असहयोगकी नीतिपर अमल नही कर रहे है। उस प्रकारकी लड़ाई अभी बन्द है। इसलिए नगरपालिकाके सदस्यको अपनी स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान और लोकप्रियताको ध्यानमें रखते हुए जो सेवा बन पडे करनी चाहिए। इतना बता देनेके बाद उदाहरण प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता नही रह जाती। फिर भी यदि तुम चाहोगे तो उदाहरण खोज निकालूँगा। जब तुम्हे लगे कि वहाँ तुम कोई सेवा नही कर सकते, उलटे अपमानित होनेकी आशंका है, तो कारण बताकर सदस्यता छोड देना कर्त्तव्य होगा।

हरिजन-सेवा, मद्य-निषेध, खादी, ग्राम-उद्योग आदिके सम्बन्धमे जो-कुछ हो सके करना। बहुत-कुछ करनेकी गुंजाइश सरकारने रहने नही दी है। उसमे हमारा दोष भी काफी है। देखो न, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए ही हम क्या कर रहे है। किन्तु यह निराश होनेका कारण नही है, और अधिक प्रयत्न करनेका है।

[गुजरातीसे]
बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १५७

३७३. पत्र : ग० वा० मावलंकरको

५ मार्च, १९३५

भाई मावलकर,

आपका पत्र मिला। ठक्कर बापाकी शर्तें भी ऐसी ही थी। आपके ऊपर कितना बोझ है, इसकी कल्पना मैं यही बैठे-बैठे कर सकता हूँ। काम करनेवाले कम है, इसलिए उनपर बोझ तो रहेगा ही।

बने सो कीजिएगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४३) से।

३७४. पत्र : रावजीभाई एन० पटेलको

वर्धा

६ [मार्च][1], १९३५

चि० रावजीभाई,

तुम्हारा और ललिताका पत्र मिला। ललिता जब चाहे तब आ जाये। जल्दी न हो तो १८ के बाद आये। तबतक सभाएँ चलेगी।

यहाँ सभी करड[2] खाते हैं। बड़े स्वादसे खाते हैं। पकती अच्छी है। बारह घंटे भिगोकर रखते है। भीगी हुई करड उबलते पानीमें डाल देते हैं। चावलोको कूटनेका जो परिणाम होता है, वही उन्हे दो-तीन बार पानीमें रगड़कर धोनेसे मिल जाता है। इस तरह धोना मानो पालिश करना ही है। पालिश किये चावल नुकसानदेह है। जो पालिश किये हुए चावल खाते है, उनके लिए मैंने सहज रास्ता बता दिया।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत रावजीभाई पटेल
लिम्बासी
मातर तालुका, बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९००३) से।

१. साधन-सूत्रमें जनवरी है, यह भूलसे लिखा गया जान पड़ता है। वर्धाकी पोस्ट ऑफिसकी मोहर ६-३-१९३५ दिखाती है।

२. धानको दलकर निकाला हुआ चावल।

३७५. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

६ मार्च, १९३५

निश्चय हुआ है कि:

१. सन्ध्याकी सामुदायिक प्रार्थना करना,
२. कार्यकर्त्ताओंकी स्त्रियोंमें प्रचार-कार्यका रस उत्पन्न करना;
३. कार्यकर्त्ताओंकी स्त्रियोंमें पारस्परिक प्रेम बढ़े, ऐसी कोशिश करना;
४. गृहकार्यमें मजदूरोंका कमसे-कम उपयोग करना;
५. अपने घरमें चाय शक्कर बंद करना;
६. कार्यकर्त्ताओंकी कताई इत्यादिकी प्रगतिमें मदद करना;
७. शौचादिकी आरोग्यानुकूल व्यवस्था करना;
८. साथियोंको फुरसतके दिनोंमें व्यवस्थित तालीम देना;
९. प्रचार-क्षेत्र कम करना;
१०. कपाससे कार्य शुरू करना।
११. कताईका औसत नम्बर कमसे-कम १५ लाना;
१२. तकलीका उचित व्यक्तियोंमें प्रचार करना;
१३. अन्य उद्योगोंके बारेमें भी सोचना।

६ मार्च, १९३५

चि० जेठालाल,

इतनी बातें तुरन्त शुरू करनेका तुम सबने निश्चय किया है, ऐसा विनोबा कहते थे। प्रयोग शुरू कर दिया हो, तो उसका जो-कुछ नतीजा निकला हो, उसकी रिपोर्ट या तो लेते आना या भेज देना।

विनोबाने वहाँका सारा अनुभव सुनाया है। लगता है, उन्होंने बड़ी बारीकीसे निरीक्षण किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८५०) से; सौजन्य. नारायण जे० सम्पत।

३७६. सन्देश : 'लीडर' के लिए

वर्धा
७ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

मेरे पास तो रजत-जयन्ती समारोहके लिए सिर्फ सफलताकी कामना करनेका ही समय है। और इसके बारेमें आप इस बातसे आश्वस्त हो सकते हैं कि पण्डितजी[1] वहाँ केवल उत्सवका गौरव बढानेके लिए ही नही, बल्कि समारोहका नेतृत्व करनेके लिए भी उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि यद्यपि मैं 'लीडर' में प्रतिपादित राजनीतिक विचारोसे सदा सहमत नही रहा हूँ, फिर भी इस पत्रके लिए मेरे मनमें सदा बडा आदर रहा है। मैं इसे कुछ बहुत ही सुसम्पादित भारतीय दैनिकोकी श्रेणीमे गिनता हूँ।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
लीडर, १२-३-१९३५

३७७. पत्र : अगाथा हैरीसनको

बृहस्पतिवार, ७ मार्च, १९३५

प्रिय अगाथा,

तुम्हारा पिछले महीनेकी २४ तारीखका पत्र मुझे मिल गया है। तुम्हारे पत्रमे लिखी बातोकी तहतक पहुँचनेमे मुझे कोई दिक्कत महसूस नही हुई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे जल्दबाजीमे कोई कदम न उठानेके लिए कह रही हो। हो सकता है कि कभी-कभी दूसरोको ऐसा लगता हो, लेकिन भली-भाँति सोचे बिना सहसा कोई कार्य करना मेरे स्वभावके खिलाफ है। और, इस समय तो मैं और भी सावधान हूँ, क्योंकि इस समय मेरी अपनी अहिंसाकी परीक्षा हो रही है। मेरे लिए अपनेको निर्दोष मानना या कहना ही काफी नही है। अगर मुझमे अहिंसाका तत्त्व है, तो वह सूर्यकी तरह स्वय प्रकाशित होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यद्यपि अन्धे व्यक्ति सूर्यको नही देख पाते, किन्तु उन्हे सूर्योदय होनेका पता चल जाता है। और दोपहरकी ऊष्माका अनुभव तो उन्हे होता ही है। प्रेमसे ओत-प्रोत मनको दोपहरके सूर्यके जैसा होना चाहिए। हो सकता है कि मैं अपने

१. मदनमोहन मालवीय।

जीवनमें ऐसी अहिंसा प्रकट करनेमें सफल न हो सकूँ। मैंने जो आदर्श अपने सामने रखा है, उसे तनिक भी कम करनेके बजाय मैं मुक्त कंठसे अपनी असफलताकी घोषणा करना कहीं अधिक पसन्द करूँगा। इसीलिए, इस समय तो मैं यही कह सकता हूँ कि सविनय-अवज्ञाके लिए जल्दीमें कदम उठानेकी कोई भी सम्भावना नहीं है। लेकिन अगर सविनय-अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया ही गया तो, निस्सन्देह, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे अनिवार्य मानोगी।

स्नेह।

बापू

कु० अगाथा हैरिसन,
२, क्रेनबोर्न कोर्ट
अल्बर्ट ब्रिज रोड, एस० डब्ल्यू० ११

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८५) से।

३७८. पत्र : सत्यदेवको

७ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। इससे ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने आसपासकी घटनाओंकी जानकारी है। आपके पत्रसे मैं नहीं समझता कि आप लेखापालके रूपमें संघ[1] की कोई सेवा कर सकेंगे। लेकिन आप अपने ही जिलेमें एक अच्छे ग्राम-सेवक बन सकते हैं। यदि आप ऐसा चाहें तो मैं आपसे दरभंगाके बाबू ब्रजकिशोर प्रसादसे पत्र-व्यवहार करनेको कहूँगा।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत सत्यदेव
मार्फत : बी० हरिभाऊ सहाय
सेगौली शुगर वर्क्स लि०
सेगौली (चम्पारण)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

१. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ।

३७९. पत्र : डॉ० गिरधारीलाल बत्राको

७ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पंजाबमें आपके गाँवमें भेजा जा सके। कार्यकर्ताओंको प्रशिक्षित करना कुछ महीने बाद ही सम्भव होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डॉ० गोपीचन्द[1] से, जो कि सारे पंजाबके लिए अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके एजेंट हैं, पत्र-व्यवहार करें। वे मुझसे अधिक अच्छी तरह आपका मार्ग-निर्देशन कर सकेंगे।

हृदयसे आपका,

डॉ० गिरधारीलाल बत्रा
कलकत्ता

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३८०. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

७ मार्च, १९३५

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

डॉ० बत्राका पत्र और उसके उत्तरमें लिखे अपने पत्रकी नकल[2] आपकी जानकारीके लिए भेज रहा हूँ।

हृदयसे आपका,

डॉ० गोपीचन्द
लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य. प्यारेलाल।

१. डॉ० गोपीचन्द भार्गव, देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

३८१. पत्र : एन० जी० आप्टेको

७ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। श्रीयुत मराठेके हाथ आपने जो रस भेजे थे उनकी एक दुःखद कहानी है। मैं किसी अन्य व्यक्तिको उन रसोका स्वाद लेनेके लिए नही ललचा सका, क्योंकि यहाँ पर्याप्त फल थे। और मैं केवल इस कारण उन्हे नही ले सका कि मैं एक दिनमे पाँचसे अधिक वस्तुओका उपयोग नही करता और वहाँ इन दो रसोमे से किसीके लिए कोई गुंजाइश नही है।

मेरा खयाल था कि मैंने उक्त कागज श्री मराठेको लौटा दिये है, किन्तु जब आप मुझे उनकी याद दिला रहे है तो मैं उनकी तलाश करूँगा।

आप किस नमूनेका उल्लेख कर रहे है?

हृदयसे आपका,

श्रीयुत एन० जी० आप्टे
७५४ शुक्रवार
पूना २

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३८२. पत्र : डॉ० मार्टिनको

७ मार्च, १९३५

प्रिय डॉक्टर मार्टिन,

पेन्ड्रा रोड सेनिटोरियमके विषयमें पूरी जानकारी देते हुए आपने जो पत्र लिखा है, उसके लिए मैं हृदयसे आपका आभारी हूँ। आप शायद यह जान चुके होंगे कि मैं अभी हालमे नागपुरमे था। मुझे खेद है कि आपके अस्पतालमें जानेका मुझे थोडा भी समय न मिल सका।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

३८३. पत्र: प्रेमाबहन कंटकको

७ मार्च, १९३५

चि० प्रेमा,

पत्रोंके जवाब निवटानेके लिए मौन ग्रहण किया है, इसलिए इतना तो मुझे लिखना ही चाहिए। वैसे तेरा पत्र मेरे पास रखा ही है। बायाँ हाथ काममें लेने लगूँ तब अथवा पूरा समय मिले तब उसका उत्तर दे सकूँगा।

तेरे पास जो सूत है उसका छोटा-सा भी कोई कपड़ा बुनवा सके तो बुनवा-कर सीधे मणिलालको फिनिक्स भिजवा देना। कपड़ा अरुणके पास वर्षगाँठपर तभी पहुँच सकेगा। सुशीला इसीके लिए तो माँग रही है।

मैं किसी कारणवश पत्र न लिख सकूँ तो भी तुझे नियमानुसार अपने कामका विवरण भेजना नहीं छोड़ देना है। वजन तू काफी बढा रही है। यही सुन्दर है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६७)से। सी० डब्ल्यू० ६८०६ से भी; सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक।

३८४. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको

७ मार्च, १९३५

भाई घनश्यामदास,

इसे देखीये। इस भाईमें कुछ है क्या?

महादेवने खत लिखा उसका मतलब सिर्फ इतना था। इतने तक प्रयत्न किया। अब समय आने पर विलायत जाकर जो-कुछ हो सके किया जाये। सफलता उसका नाम कि कुछ योग्य समझौता हो। आज सम्भव कम है। जब सच्चा हिंदु-मुस्लिम समझौता नहीं होगा, दूसरा असम्भवित-सा प्रतीत होता है। हम तो प्रयत्नके ही अधिकारी हैं।

रांचीके आश्रमका क्या हुआ?

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००५ से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

३८५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

७ मार्च, १९३५

भाई घनश्यामदास,

चंद समयके लिये मौन लिया है। इसलिये तुमारे पत्रका उत्तर में ही देता हूं।

मेरा ऐसा अभिप्राय है, उसे लिखा जाये। चंद महीनेमें तुमारा विलायत जाना होगा ही। उस वखत बारलो इ० के साथ बातें करना उचित होगा। इससे होदाका सम्भव ही नही हो सकता है।[1] साथ-साथ यह भी कह देना आवश्यक है कि अन्त मे तो जो-कुछ समझौता अमल करनेके लायक हो सकता है सो तो पोलटीकल आगवाओके साथ ही हो सकेगा। कोई समझौता जिसका सम्बन्ध राज्य-प्रकरणके साथ नही हो, वह आजकी आबोहवामे असम्भव है।

इतना लिखनेसे किसी प्रकारकी गलतफहमी पैदा हो नही सकती है।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००६ से; सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला।

३८६. अच्छी शुरूआत

एक बहन[2]ने, जिन्होने एक अन्य बहन[3]के साथ मध्यप्रान्तके एक छोटे-से गाँवमे हालमे ही काम शुरू किया है, एक बहुत रोचक और उत्साहपूर्ण पत्र भेजा है। उसमे वह लिखती है:[4]

इस पत्रमे और भी बहुत-सी उपयोगी बातें है, पर और अधिक उद्धरण देनेका लोभ मैं नही करूँगा। इस पत्रमे जिस बातपर जोर दिया गया है उसकी मैं उपेक्षा नही करना चाहता और गाँवोमे काम करनेवालोको बताना चाहता हूँ—जैसा उक्त उद्धरणमें स्पष्ट रूपसे बताया गया है—कि उन्हे गाँववालोकी ही तरह परिश्रम करनेकी आवश्यकता है। ईश्वरने यदि इन दोनो बहनोके स्वास्थ्यको बनाये रखा और आजीवन न सही पर कुछ लम्बे समयतक ये अपने काममे लगी रही, तो

१. मूलमें यहाँ स्पष्ट नहीं है।

२. मेरी चेजले; देखिए "पत्र: मेरी चेजलेको", पृ० २९७।

३. मेरी बार।

४. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मेरी चेजलेने घरका बरामदा बनानेमें अपने शारीरिक श्रमके सुखका वर्णन करते हुए लिखा था कि उसके बाद वे बगीचा भी स्वयं तैयार करने जा रही हैं।

निश्चय ही अपने गाँवको एक आदर्श बना देगी। और यह सिर्फ इसलिए नही कि इन्होने शारीरिक मेहनतसे कार्यारम्भ किया है, वल्कि इसलिए भी कि ये ग्रामीणोके प्रति नि.स्वार्थ प्रेमसे प्रेरित है और इन्होने काम की जो योजना बनाई है, वह सब उपयुक्त है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-३-१९३५

३८७. विकट प्रश्न

एक ऑनर्स ग्रेजुएट लिखते है·

> मै रायलसीमा[1] का रहनेवाला हूँ, जो इस समय दुर्भिक्षका शिकार हो रहा है। उसकी इस दयनीय दुर्दशाके कारण निम्न प्रकार है, जिन्हें जानकर सब भारतवासियोंके दिल हिल उठने चाहिए:
>
> १. इस वर्षा-विहीन और नदियोसे रहित सूखे प्रदेशमें आदमियों और खेतीके पानीके लिए आवश्यक लघु सिंचाईके साधनों आदिकी भयानक उपेक्षा।
>
> २. आपकी प्रेरणासे देशके अन्य भागोंमें हाथकी कताई-बुनाई आदिके जिन गृह-उद्योगोंको पुनरुज्जीवन मिला है, उनकी यहाँ भयानक उपेक्षा।
>
> ३. लोगोंका घोर अज्ञान और नई-पुरानी सब तरहकी शिक्षाका अभाव तथा सदा आपसी लड़ाई-झगड़ों और दीवानी-फौजदारी मुकदमोंमें उलझे रहना। इसलिए यहाँके लोगोकी जिन्दगी सुधारनी हो तो दुर्भिक्ष-निवारणके बजाय दुर्भिक्षको रोकनेका ही काम ज्यादा जरूरी है।

इनमें से तीसरी बात शायद कारण नही, बल्कि पहले दो कारणोका परिणाम है। और अगर पहला कारण ठीक हो और उसे दूर न किया जा सकता हो या न किया जाता हो, तो इस प्रदेशके अभागे निवासियोके लिए दोमे से एक ही रास्ता रह जाता है कि या तो वे भूखो मर जायें, या इस सूखे प्रदेशको छोड़ दे। लेकिन हो सकता है कि पत्र-लेखकने वहाँकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, वह बिलकुल वैसी ही खराब न हो। जो हो, मै तो यह समझता हूँ कि जलकष्ट-निवारणकी व्यवस्था करना सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओके बूतेकी बात नही है। लेकिन अगर वहाँ किसी भी तरह जीवन-निर्वाह हो सकता हो, तो निश्चय ही लोगोकी रोजीके लिए ईमानदारीके साथ बहुत-कुछ सच्चा प्रयत्न किया जा सकता है। हमारे देशमे इतनी साधन-सामग्री और इतनी अधिक श्रम-शक्ति बिना किसी उपयोगके पडी है कि अगर उन दोनोका उपयोग किया जा सके तो एक आदमीको भी भूखो न मरना पडे। इसमें कोई शक नही कि यदि संकट-निवारणके साथ-साथ सकटकी रुकावटके उपाय भी न किये जायें

१. आंध्र प्रदेश।

तो उस संकट-निवारणसे कोई लाभ न होगा। उससे तो लोग ईमानदारीके साथ परिश्रम करनेके बजाय उलटे भिखारी बनते हैं। संकट-निवारणका काम भी इस तरह किया जाना चाहिए जिससे अपने-आप भविष्यमें संकट न आये। इसलिए बजाय इसके कि लोगोंको मुफ्त खाना दिया जाये, संकट-निवारणका काम करनेवालोंको चाहिए कि वे स्थानीय उद्योग-धन्धोंकी शुरूआत करके संकटग्रस्त लोगोंसे उनमें काम करनेके लिए कहें। जो मनुष्य अपंग न हो, जबतक वह अपने हिस्सेका काम न कर ले, उसे खाना नहीं देना चाहिए। मेरी रायमें वहाँ पर, जहाँ कि लाखों आदमी भूखों मर रहे हैं, बच्चों-बड़ोंको फिलहाल बुद्धि-संगत शारीरिक श्रमकी ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अक्षर-ज्ञान तो हस्त-कौशलकी शिक्षाके बादकी बात है, क्योंकि मनुष्य और पशुके बीचका जाहिरा फर्क हाथसे काम करनेसे ही मालूम पड़ता है। यह एक मिथ्या धारणा है कि लिखना-पढ़ना जाने बिना मनुष्यका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अक्षर-ज्ञानसे मनुष्य-जीवनका सौन्दर्य बढ़ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके बिना उसका नैतिक, शारीरिक और आर्थिक विकास ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह पत्र लिखनेवाले ग्रेजुएट और वे सब कार्यकर्त्ता जिन्हें हम जुटा सकें, संकट-ग्रस्त लोगोंके बीच जाकर रहें और उन्हें आजीविका देने लायक रचनात्मक कार्यमें लग जायें। संकट-ग्रस्त लोगोंको ऐसा काम दिया जा सके, तभी उनके अन्दर ईमानदारीके साथ खरे पसीनेकी कमाईपर गुजर करनेवाले आदमियों-जैसा आत्मगौरव पैदा होगा।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ८-३-१९३५

३८८. पत्र : डॉ० मु० अ० अन्सारीको

८ मार्च, १९३५

प्रिय डॉ० अन्सारी,

आपके पत्रको मैं समझ गया हूँ। मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन राजेन्द्रबाबूसे आपको मुक्त करनेका निवेदन करूँगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यदि हमें बहुत साल आपकी सेवा लेनी है तो आप पर नियमित जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। मैं यह भी समझता हूँ कि आपको बीच-बीचमें यूरोप भी जाना चाहिए।

आप सबको मेरा प्यार।

आपका,

[अंग्रेजीसे]

अन्सारी-कागजात; सौजन्य : जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय।

३८९. पत्र : ओ० वी० आर० शेषनको

वर्धा

८ मार्च, १९३५

प्रिय शेषन,

बिलकुल न होनेसे देरसे होना बेहतर है। पिछले महीनेकी ११ तारीखका आपका पत्र मेरे पास इतने ज्यादा दिनोंतक पड़ा रहा है। यह सच है कि नाटक खेलकर कोष इकट्ठा करनेके विचारको मैं पसंद नहीं करता। जो भी नाटक खेलते हैं उन्हें ऐसा मानकर नाटक खेलना चाहिए कि वह अपने-आपम एक अच्छी चीज है।

श्रीयुत ओ० वी० आर० शेषन
२४ बंगला
टाटापुरम (कोचीन)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९०. पत्र : फीरोज गांधीको

८ मार्च, १९३५

प्रिय फीरोज,

इस बार मुझे पत्र लिखनेमें तुमने सुस्ती की। कितना अच्छा होता कि मैं तुम्हें तारीख दे सकता। मैंने तुमसे केवल यह कहा है कि वहाँ जा सकनेकी बात मैं सोच रहा हूँ। मुझे इस बातकी खुशी है कि कमला सेनिटोरियममें रहने चली गई है। मेरा विश्वास है कि यही ठीक है।

स्नेह।

श्रीयुत फीरोज गांधी
मार्फत : कमला नेहरू
चन्द्र भुवन, भुवाली

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९१. पत्र : जयरामदास जयवर्धनेको

८ मार्च, १९३५

प्रिय जयरामदास,

इस मासकी ३ तारीखका आपका पत्र मिला। अब आपने मुझे ऐसी जानकारी दी है जिसे मैं बहुत संक्षिप्त और सुनिश्चित कह सकता हूँ। मैंने एक चिकित्सकसे सम्पर्क स्थापित किया है। देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है। इस बीच मुझे पूर्ण विवरण भेजिए। आपके मण्डलमें कितने स्वयंसेवक काम कर रहे हैं?

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९२. पत्र : पुरुषोत्तम बाबीशीको

८ मार्च, १९३५

भाईश्री पुरुषोत्तम,

आपका पत्र मिला। कणबी लोगोंमें मौत आदिके अवसरपर जो बेहिसाब चीनी काममें लाई जाती है यह जरूर खराब बात है। पर मेरे लिखनेका असर किसपर होगा? स्थानीय लोगोंको यह काम करना चाहिए। शक्करके बदले गुड़ काममें लाना उचित है, किन्तु गुड़का भी ऐसा निरर्थक उपयोग किस लिए? अपने ग्राम-उद्योगके कामका विवरण भेजिए। खेतीके विभागमें आप वहाँ क्या काम करते हैं? आपने किस विषयका विशेष ज्ञान प्राप्त किया है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२५) से। सी० डब्ल्यू० ४७४४ से भी।

३९३. पत्र : चन्द त्यागीको

८ मार्च, १९३५

भाई चन्द त्यागी,

मुझे तो तुमारा कामका बयान चाहिये। राजकिशोरीको मैंने रख लिया क्योंकि दोनों अपने विवाहके बारेमें तटस्थ थे। किसीको दूसरोंके साथ रहनेकी लालसा ही न थी। भाईको कुछ परवाह न थी। मैंने कड़ी शर्त रखी। उसका सबने खुशीसे स्वीकार कर लिया। तुमारे सरपे उसका बोझ रखना और तुमसे काम भी लेना गेरमुनासब जंचा। यह सबब था राजकिशोरीको रख लेनेका। उसका काम अच्छी तरहसे चल रहा है। कुछ जानती नहीं है लेकिन सरल लड़की है। शरीर अच्छा रहता है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२६२)से।

३९४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

वर्धा
९ मार्च, १९३५

चि० अमला,

तुम्हारे दोनो पत्र मिल गये हैं। मगर २० रुपयेकी रसीद नहीं मिल रही है। फिर भी पोस्ट-मास्टरसे पता लगानेकी कोशिश कर रहा हूँ कि वे पैसे किस तरीकेसे मिल सकेंगे। अगर तुम दिक्कतमें हो तो तुम्हें २० रुपये नहीं भेजने चाहिए थे। क्या मैं रुपये वापस भेज दूं?

मुझे उम्मीद है कि बीमार गौरैया[1] बिलकुल स्वस्थ हो गई होगी। दर्दसे भी तुम्हें पूरी तौरसे छुटकारा मिल गया होगा। तुम यह क्यों कहती हो कि तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता। सूचित करना कि वह रूसी बहन कब आ रही है।

बापूके आशीर्वाद

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

१. गांधीजी विनोदमें मार्गरेट स्पीगलको "गौरैया" (स्पैरो) कहते थे।

३९५. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

९ मार्च, १९३५

प्रिय ठक्करबापा,

मैंने शायद आपको आपके १२ फरवरीके उस पत्रकी पहुँच अभीतक नही भेजी है जिसमे 'मीरी' जातिके लोगोका उल्लेख था। उनके बीच कार्य करनेके लिए १५,००० रु० की राशि देनेमे मुझे किसी प्रकारकी कोई आपत्ति नही है। मुझे आशा है कि इस कामके लिए आप ठीक आदमी ढूंढ लेगे।

श्रीयुत ठक्करबापा
मद्रास

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

३९६. एक पत्र

९ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

मैं इससे पहलेके आपके पत्रकी पहुँच नही भेज सका, इसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, मेरे पास कोई संचित निधि नही है। मैं जिन आन्दोलनोकी जिम्मेदारी उठाता हूँ उन सबके लिए आवश्यक धन मैं हर बार माँगकर ही जुटाता हूँ। आप इसके लिए सहायताकी रकम मध्यप्रान्त सरकारसे या कुष्ठ-निधिसे — जो, मेरा खयाल है, भारत सरकारके अधीन है — क्यो नही माँगते?

हृदयसे आपका,

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

३९७. पत्र : हातिम अल्वीको

९ मार्च १९३५

प्रिय हातिम,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जिस पर्चेका जिक्र कर रहे हो वह मुझे अभीतक नहीं मिला है। जब भी वह मुझे मिलेगा, यदि उसमें अधिक समय न लगता होगा तो, मैं उसे तुम्हारी खातिर जरूर पढ़ूँगा। किन्तु मुझे यह तो बताओ कि एक परिवारकी नितान्त घरेलू लड़ाईमें, जहाँ मैं बिलकुल बाहरका आदमी समझा जाऊँगा, मेरी रायका क्या उपयोग हो सकता है?

हृदयसे तुम्हारा,

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

३९८. पत्र : अब्दुल गनीको

९ मार्च, १९३५

प्रिय गनी,

आशा है कि तुम स्वस्थ हो और तुम्हें फिर टांसिलकी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। सरदार वल्लभभाई पटेल और सादुल्ला तुम्हारे पिताजीसे अभी हाल ही में मिले थे। उनकी तन्दुरुस्ती काफी गिर गई है, हालाँकि वे खुश दिखाई देते हैं। हो सकता है कि उन्हें उत्तरमें किसी जगह भेज दिया जाये। मुझे अभी कोई पक्की बात मालूम नहीं है।

तुम्हारी यह बात सही है कि दूर-दराजके इन इक्के-दुक्के कारखानोंमें लोगोंमें एक-दूसरेसे लाभ उठानेकी प्रवृत्ति आ जाती है और इसलिए छोटी-छोटी ईर्ष्या-द्वेषकी बातें और भ्रष्टताका वातावरण बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन सबसे ऊपर उठोगे और अपने आस-पासके लोगोंके सामने एक शानदार मिसाल रखोगे।

क्या तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हें उर्दू पढ़नेके लिए एक घंटा देना चाहिए और हिन्दी-लिपि भी सीख लेनी चाहिए।

सादुल्ला कुछ दिन यहाँ रहे।

स्नेह।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

३९९. पत्र : हेमचन्द्रको

९ मार्च, १९३५

प्रिय हेमचन्द्र,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें प्रामाणिक पथ-प्रदर्शन केवल कार्य-समितिसे ही मिल सकता है। किन्तु मेरी अपनी राय यह है कि जब सरकार कोई अपमानजनक नोटिस तामील करे तो सम्बन्धित व्यक्ति या तो अपना वह जिला छोड दे जहाँ वह नोटिस लागू होता हो या फिर उसके अनुसार चलना स्वीकार कर ले। निश्चय ही ऐसे अवसर होते है जब कि घुटने टेकना गलत होता है और जिला छोड़ देना असम्भव। उस दशामे व्यक्तिको अपनी ही जिम्मेदारीपर सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। इस व्यक्तिगत मामलेमें न तो कांग्रेससे और न किसी अन्य व्यक्तिसे ही कोई मार्ग-प्रदर्शन मिल सकता है।

हृदयसे तुम्हारा,

श्रीयुत हेमचन्द्र
गायघर
फरीदपुर (जिला)

[पुनश्च.]

कांग्रेसका एक सक्रिय पदाधिकारी अ० भा० ग्रा० संघका सक्रिय कार्यकर्ता केवल इस कारण नही बन सकता कि उसे इनमे से एकको उपेक्षा करनी पड़ेगी।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४००. पत्र : जे० सी० अकर्तेको

९ मार्च, १९३५

प्रिय अकर्ते,

इस मामलेमे आपका पथ-प्रदर्शन करना बहुत कठिन है। इसमें तो सिर्फ आप ही को निर्णय लेना चाहिए। आपने जिस घटनाका उल्लेख किया है यदि वह सिद्ध की जा सकती है, तो आप निश्चय ही रिपोर्ट लिखवा कर अधिकारियोसे मुकदमा चलानेको कह सकते हैं। मुझे इसमे कुछ गलत दिखाई नही देता कि जिस कथनको आप सिद्ध कर सकते हैं, उसे पत्रमे प्रकाशित कर दे।

यदि बुवा कोई शोर किये विना और यह कहे विना आते हैं कि उन्हे निमन्त्रित किया गया है, तो मैं निश्चय ही उनसे मिलूंगा। किन्तु मेरी उनसे मिलनेकी कोई इच्छा नही है और न मैं कोई निमन्त्रण ही भेजूंगा। यदि वे आते हैं तो उन्हे अकेले ही आना चाहिए।

आपका,

बापू

श्रीयुत अकर्ते
मोरशी
अमरावती (जिला)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

४०१. एक पत्र

९ मार्च १९३५

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला। मेरा खयाल है कि अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके मन्त्रीका पत्र बिलकुल ठीक है। हम जो करना चाहते हैं, वह नशाबन्दीका अभियान चलाना नही है। वह तो केवल राज्यके माध्यमसे ही हो सकता है और इस लायक है कि कोई संस्था उसे स्वतन्त्र रूपसे उठाये। किन्तु अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ जो करना चाहता है, वह शराबीको संयमीमे बदलना है। आप भी तो यह स्वीकार करते है कि आपका धरना स्थायी प्रभाव नही पैदा कर पाया। धरना एक सीमा तक और एक समयतक ही उपयोगी है। वह एक स्थायी कार्य नही हो सकता और फिर श्रम-विभाजन सिद्धान्तके अनुसार यह कार्य केवल एक और उसी संगठनके द्वारा नही किया जा सकता। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ एक विशुद्ध रचनात्मक संस्था है, इसलिए उसे अपनेको जनताको संयमकी शिक्षा देनेके कार्यतक ही सीमित रखना चाहिए। वह धरना देने और राज्यको नशाबन्दीकी घोषणा करनेके लिए प्रेरित करनेका कार्य हाथमे नही ले सकता। इसके लिए कोई अन्य संस्था बनानी होगी। इसलिए आपको इनमे से कोई एक चीज चुननी है — या तो बाहरसे कार्य करो या अन्दरसे। दोनों ही आवश्यक हैं, और किसी व्यक्तिको क्या करना चाहिए इसके लिए कोई भी नियम निश्चित नही किया जा सकता। हरएकको अपना कार्य खुद चुनना होगा।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४०२. पत्र : अच्युत पटवर्धनको

९ मार्च, १९३५

प्रिय पटवर्धन,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे खेद है कि शास्त्री या गणेशनने एक छोटी रकमको अदा करनेमें इतने महीने लगा दिये।[1] निस्सन्देह मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खातिर 'हरिजन' का मुद्रण फिरसे प्रसन्नतापूर्वक ले लोगे। मैं इस बारेमें शास्त्री और गणेशनसे पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्रीयुत अ० पटवर्धन
आर्यभूषण प्रेस
पूना ४

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४०३. पत्र : हीरालाल शर्माको

९ मार्च, १९३५

चि० शर्मा,

यह हाल तुमारे तारका हुआ।[2] तुमने कहा था शर्मा काफी है, इसलिये मैंने एक आना बचानेकी चेष्टा की। तारमें था 'आ जाओ कोई गलतफहमी नही है।'

मैंने जो निर्णय किया सो गलतफहमी से नही था। तुमारी स्थिति पहचानते हूए यही अच्छा लगा। लेकिन आ जाना है तो अवश्य आओ। दा० भासकरको कितावोके बारेमें लिखा है। एक-दो दिनमे आ जानी चाहिये।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १३० और १३१ के मध्यकी प्रतिकृतिसे।

१. देखिए "पत्र: एस० गणेशनको", पृ० ३२२-२३।

२. गांधीजीने यह तार 'शर्मा, खुर्जा' के पतेपर भेजा था, किन्तु इस बीच हीरालाल शर्माके पासके गाँवमें बस जानेके कारण उक्त तार वापस लौटा दिया गया था।

४०४. पत्र : मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्सको[1]

१० मार्च, १९३५

सज्जनो,

सेठ अम्बालालका, जो निर्णायकोंमें से एक हैं, यह कहना है कि वे आपके चरखेके बारेमें किसी नतीजेपर पहुँचनेसे पहले मेरे विचार जानना चाहते हैं। वे अगली २३ अप्रैलके आसपास समुद्री मार्गसे इंग्लैंडके लिए रवाना होना चाहते हैं। यदि उसकी यात्रासे पहले ही किसी निश्चयपर पहुँचना है तो मामलेमें शीघ्रता करनी होगी। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं निर्णायकोंको अपनी राय नहीं बताऊँगा। मैं उस वचनका तबतक दृढतासे पालन करूँगा जबतक कि आप ऐसा चाहेंगे। किन्तु यदि सेठ अम्बालाल अन्य निर्णायकोंकी रायका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस बातका डर है कि वे अपना निर्णय देनेसे या तो इनकार कर दें अथवा साक्ष्यकी अपर्याप्तताके आधारपर आपके विरुद्ध निर्णय दे दें। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो भी हो रहा है उससे आपको अवगत करा दूँ। कृपया बतायें कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। मैं अपनी ओरसे आपको इनमें से कुछ भी करनेको नहीं कह सकता। इसका सीधा-सा कारण यह है कि मैं यह नहीं जानता कि आपके हकमें सबसे अच्छा क्या है। केवल आप ही स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं कि आपकी भलाई किसमें है।

हृदयसे आपका,

मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स
किर्लोस्कर वाड़ी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए खण्ड ५९, पृ० ४२३ और ४६०-६१ भी।

४०५. पत्र : डॉ० बी० जयरामको

१० मार्च, १९३५

प्रिय डॉक्टर जयराम,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप भोले को रोगमुक्त समझते हैं। यह बड़ी बात है कि उसका वजन भी बढ़ गया है। मैं उसे लौट आने और आपकी यह सलाह माननेके लिए कह रहा हूँ[1] कि वह या तो कुछ काम करना शुरू कर दे या अपनी पढ़ाई चालू कर दे।

हृदयसे आपका,

डॉ० बी० जयराम
मेडिकल ऑफिसर
प्रिंसेज कृष्णजाम्मन्नी
क्षयरोग सेनेटोरियम, मैसूर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

४०६. पत्र : भोलेको

१० मार्च, १९३५

प्रिय भोले,

डॉक्टर जयरामसे जो पत्र अभी-अभी मिला है, उसकी नकल भेज रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पत्र बराबर मिले, किन्तु तुम्हें लिखनेसे पहले मैं डॉ० जयरामके पत्रकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब यह बात काफी साफ हो गई है कि तुम्हें वापस लौटना चाहिए और पूनाके लिए रवाना हो जाना चाहिए या कुछ समयके लिए बंगलौरमें श्री रामचन्द्रनके पास रहना चाहिए।

श्रीयुत भोले
प्रिंसेज कृष्णजाम्मन्नी
क्षयरोग सेनेटोरियम, मैसूर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

१. देखिए अगला शीर्षक।

४०७. पत्र : रामचन्द्रनको

१० मार्च, १९३५

प्रिय रामचन्द्रन,

अब मुझे डॉक्टर जयरामका पत्र मिल गया। वे इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि भोलेको कभी भी क्षयरोग नही हुआ। किन्तु क्षयरोग हुआ हो या नही, अब वह निश्चय ही उससे बिलकुल मुक्त है। अब उसे सेनेटोरियम छोड देना चाहिए और या तो उसे कोई सामाजिक काम करना चाहिए या पढाई जारी रखनी चाहिए जिससे कि वह चिन्तामुक्त हो जाये। इसलिए मैंने भोलेको सलाह दी है[1] कि वह वहाँसे लौट आये और यदि चाहे तो कुछ समयके लिए आपके पास रहे या तुरन्त पूना चला जाये।

श्रीयुत रामचन्द्रन
हरिजन-सेवक सघ
बंगलोर

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४०८. पत्र : एस० गणेशनको

१० मार्च १९३५

प्रिय गणेशन,

इस पत्रके साथ ठक्करबापा द्वारा की गई टीका भेज रहा हूँ। पत्र तुम्हारी साखके लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसने मुझे भी प्रभावित किया है। हर जाँचके बाद तुम्हारी ऋणकी राशियाँ बढ़ती ही क्यो जाती है? और तुम्हारे इस वचनका क्या अर्थ है कि तुम सस्थामें ही सोया करोगे जब कि जाहिर है कि तुम अपना जिम्मा पूरा नही कर सकोगे।

मैंने यह सलाह दी है कि यदि ऋण उचित रूपसे संस्थाकी ओरसे लिये गये है और यदि अनियमितताओके होते हुए भी तुमपर बेईमानी का आरोप नही लगाया जा सकता और यदि संस्था उद्देश्यके लिए आवश्यक है, तो समस्त ऋण चुका दिये जाने चाहिए। मैंने यह भी कहा है कि यदि तुम्हारी ईमानदारीमे सन्देह

१. देखिए पिछला शीर्षक।

हैं अथवा तुम्हारे वायदे सर्वथा अविश्वसनीय सिद्ध हुए हैं, किन्तु संस्था उपयोगी है, तो संस्थाकी ओरसे उचित रूपसे लिये गये ऋणोंकी अदायगी की जानी चाहिए और तुम्हे संस्थाके साथ हर तरहके सम्बन्धसे मुक्त कर देना चाहिए। यदि सस्था उपयोगी नही है तो हरिजन-सेवक सघको चाहिए कि वह इसके सम्बन्धमे अपना सभी समर्थन वापस ले ले।

श्रीयुत एस० गणेशन
मद्रास

अग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४०९. पत्र : एस० बनर्जीको

११ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला। मेरा मत इस सम्बन्धमे बिलकुल स्पष्ट है कि हरिजन सघको किसी भी चुनाव-अभियानके साथ सम्बद्ध नही होना चाहिए। अपने उद्देश्यके लिए की गई इसकी सेवाओका मूल्याकन ही इसकी प्रतिष्ठाका आधार होना चाहिए। इसका यह मतलब नही है कि जनता योग्य हरिजन प्रत्याशियोको सहयोग न दे, या वे दल जिनकी इसमे आस्था है, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायोमे योग्य हरिजन प्रत्याशियोके चुनावमे सहयोग न करें। मेरा मतलब तो सिर्फ यही है कि हरिजन संघके पास ध्यान देनेके लिए इससे भी अधिक अच्छा काम पड़ा हुआ है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० एस० बनर्जी
न्यू ड्रगिस्ट्स हॉल
जुम्मा मस्जिद, दिल्ली

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २२०३) से।

४१०. पत्र : निर्मलकुमार बोसको[1]

वर्धा
११ मार्च, १९३५

प्रिय निर्मलबाबू,

आपका पुर्जा मिला और 'कांग्रेस सोशलिस्ट' के दो अंक भी, जिनमे कि आपके लेख है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने उन्हे पढ लिया है। मसानीने मेरा ध्यान उनकी ओर दिलाया था और दो प्रतियाँ मुझे दी थी।

मै यह तो नही कह सकता कि उनमें से किसी भी लेखमें वर्णाश्रम या अहिंसाकी व्याख्या है, पर इतना कह सकता हूँ कि इन विषयोपर आपने जो-कुछ लिखा है उससे इन दो सिद्धान्तोकी, जैसा कि मैं उन्हे जानता हूँ, ठीक अभिव्यक्ति होती है। बाकी लेखोमे जहाँ आपने मेरे साथ न्याय करनेका प्रयास किया है, वहाँ उनमे ऐसी कई बाते है जिनको मै पूर्णतया सही नही मानता। मैं नही समझता कि वे परिस्थितिका सही चित्रण करती है। फिर भी यह बात कोई महत्त्वपूर्ण नही है। इतना ही काफी है कि आपने निष्पक्ष भावसे मेरी स्थितिको जाँचनेका भरसक प्रयत्न किया है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने आपके प्रश्नोत्तरोको भुलाया नही है। आशा है, मैं उनका संशोधन कर लूंगा। यह काम मै अतिरिक्त समयमे ही करता हूँ। ज्योही मै सशोधन पूरा कर लूंगा, उन्हे आपके पास भेज दूंगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत निर्मल कु० बोस
६/१ ए ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट,
कलकत्ता

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५१९) से।

१. माई डेज विद् गांधी (पृ० १४) में इस पत्रका एक अंश उद्धृत करते हुए वे कहते है: "१९३५ में मैंने कांग्रेस सोशलिस्टमें दो लेख लिखे थे, जिनका शीर्षक था, 'क्या गांधी राष्ट्रवादी है?' उनमें ऐसा विचार व्यक्त किया गया था कि वे इतने अधिक अन्तर्राष्ट्रवादी है और गरीबोंके साथ इतने अधिक सम्बद्ध है कि वे सामान्य अर्थमें 'राष्ट्रवादी' नही रह गये हैं। परन्तु भारतकी स्वतन्त्रताकी खातिर आमूल सुधारवादी गांधी और राष्ट्रवादी तत्वोंके बीच एक सम्बन्ध स्थापित हो गया है और ऐसी भविष्य-वाणी की गई है कि गांधी अपनी कार्यविधिमें जैसे-जैसे अति उग्रवादी होते जायेंगे, राष्ट्रवादी तत्व उनका साथ छोड़ते जायेंगे।

इन दो लेखोंकी प्रतियाँ गांधीजीके पास भेजी गई थी और उन्होंने वर्धासे ११ मार्च, १९३५ को यह पत्र लिखा था।"

४११. पत्र : कृष्णा हठीसिंहको

११ मार्च, १९३५

चि० कृष्णा,

प्रभावतीने तुम्हारा खत मुझे बताया, बहुत दु:ख हुआ। तुमारेमें गुस्सा है इतना तो मैं जानता था। लेकिन मुझे कभी ख्याल न था कि इतना गुस्सा बेमौका भी निकाल सकनी है। और तुमारे गुस्सेका कारण तो मैं ही हो सकता हू न? क्योंकि प्रभावतीने जैसा शिक्षण मेरे पाससे पाया ऐसा उसने दिया। तुमारे समझना चाहिए कि जो मनुष्य एक प्रतिज्ञा लेता है उसे उसका पालन भी करना चाहिये। और आश्रम प्रति इतनी घृणा क्यो? जो आश्रम प्रति घृणा करे वह मेरे प्रति किसी प्रकारका आदर रख सकते है क्या? आश्रमसे प्यार नही तो मुझसे प्यार क्यो? लेकिन गुस्सेके साथ दलील क्यो? गुस्सा एक प्रकारका दिवानापन है। दिवानापन निकल जानेसे अपने प्रति हसेगी। आखर तो गुस्सा हम रीस्तेदारीसे ही तो कर सकते है? और मैं रीस्तेवालेमें से नही तो हू भी क्या? अब गुस्सा उतर गया होगा। ममीके हाल मूझे वताना है। इतना हूकूम तो मानेगी न? आयाका काम आया करेगी। प्रभाका काम प्रभा जैसी लड़की कर शकती है। प्रभाको पहचाननेके बाद उसे अपना सकी, ऐसे ही दूसरी लडकी भी बन सकती है। माना कि प्रभाके बदलेमें खुरसेद ही आ गई, बा ही यहासे आ गई तो! लेकिन जब मिलेगे तव तुमारे कान पकडकर हिसाब करेगे। अब ममीके हाल दिली लिखो।

बापुके आशीर्वाद

महादेवा देसईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य: नारायण देसाई।

४१२. पत्र : खुशालचन्द गांधीको

१२ मार्च, १९३५

आदरणीय भाईकी सेवामें,

नारणदासने आपकी बीमारीकी बात लिखी हैं। यदि कोई उपचार करानेकी इच्छा हो, तो मैंने अत्यन्त सरल उपाय सुझाया है।

आपसे पत्र पानेकी प्रत्याशा नही करता।

मोहनदासके दंडवत् प्रणाम

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

४१३. पत्र : नारणदास गांधीको

१२ मार्च, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला। राधाके विषयमें तुमसे ही जाना। मैंने उसे पत्र लिख दिया है।

पिताश्रीका स्वास्थ्य तो अब ऐसा ही रहेगा।

अभी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि नाकके बायें छेदसे स्वच्छ पानी ऊपर चढाकर उसे गलेके द्वारा निकालना चाहिए और इस तरह नाकको साफ करना चाहिए, इसके बाद नाकके दोनों छेदोंसे पानी पीना चाहिये। ऐसा करनेसे नाकका रास्ता साफ रहता है। इसमें कोई ज्यादा परिश्रम नहीं लगता। यदि ठण्डा पानी सहन न हो तो नाकको इतने गर्म पानीसे भी धोया जा सकता है जितना उसमें हाथ डुबानेपर सहन होता हो। यदि पिताश्रीकी इच्छा यह इलाज आजमानेकी हो और वे इसके लिए आवश्यक परिश्रम करनेके लिए तैयार हों तो वे यह क्रिया करें। बाकी, सच्ची शुद्धिका उपाय तो रामनाम ही है

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३२ से भी, सौजन्य: नारणदास गांधी।

४१४. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

१२ मार्च, १९३५

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला। केसरको बचानेका काम मुझे मुश्किल लगता है। उसके बापकी इच्छाके विरुद्ध उसे रोक रखना तुम्हारे अथवा मेरे लिए सम्भव नहीं दिखता। जहाँ उत्तमचन्द रहते हों, वहीं केसरको रहना चाहिए। जो व्यक्ति उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ पत्र-व्यवहार करना चाहिए। तब शायद वह केसरसे शादी करनेका इरादा ही छोड़ दे।

मैं यहाँ कन्याश्रममें केसरको रखना ठीक नहीं समझता। मैं तो अब यहाँ एक अलग ही मकानमें रहता हूँ। एक दूसरा ही काम कर रहा हूँ, यह भी कहा जा

सकता है। तेरह बरसकी लड़कीको किसी दफ्तर-जैसी जगहमे, जहाँ पढ़ाई की कोई भी व्यवस्था न हो, कैसे बसाया जा सकता है? उत्तमचन्द उसकी रक्षा पूरी तरह कर सकते हैं, लेकिन केसर थोड़ी दृढ़ रहे तो। केसर यदि स्वय ही डिग जाये तो उसकी रक्षा कोई नही कर सकता।

लगता है, भगवानजी कुछ थक गया है। उसकी इच्छा कुछ समय मेरे पास बितानेकी है। यदि तुम उसे कुछ समयके लिए, जिसकी अवधि तुम ही निश्चित करोगे, छुट्टी दे सको, तो उसे आने देना। यह निर्णय केवल तुम्हारी जिम्मेदारी पर होना चाहिए। इस विषयमे मेरी कोई इच्छा नही हो सकती।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७२) से।

४१५. पत्र : हीरालाल शर्माको

१२ मार्च, १९३५

चि० शर्मा,

अहमदाबाद म्युनिसीपेलिटी की जो पुस्तक तुमारे पास है उनकी फेहरिस्त तुमने शायद मुझे दी थी। लेकिन मुझे उनका कुछ ख्याल नही है। उसमें दो पुस्तक होनी चाहिये। एकका नाम है "दि अर्थ" बाई पूअर[1] दूसरीका "कोलोनियल एण्ड फार्म सैनिटेशन" बाई पूअर[2]। यह पुस्तक यदि है तो मुझे भेज दो और आते हो तो साथ लाओ।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १५२ से।

४१६. सलाह : ग्रामवासियोंको[3]

[१४ मार्च, १९३५ से पूर्व][4]

गड्ढा सिर्फ छ इंच चौड़ा और एक फुट गहरा हो, खोदी हुई मिट्टीको गड्ढे के अगल-बगल डालकर दोनो किनारोको बैठनेके लिये ऊँचा कर दे। इतना काफी

१ और २. मूलमें ये अंग्रेजीमें है।

३. महादेव देसाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत। वर्धाके आसपास सफाई-अभियानके समय जब गांधीजी सदल रामनगर और सिन्दी गाँवमें गये तो देखा कि गलियाँ मल-मूत्रसे भरी पड़ी थी। गांधीजीने अपने दलको फावड़े और टोकरियाँ थमा दीं और गंदगी हटाने लगे। गाँववाले भी सम्मिलित हुए। इसके बाद गांधीजीने ग्रामवासियोंके सम्मुख भाषण दिया।

४. देखिए "पत्र : प्रेमाबहन कण्टकको", पृ० ३२९-३०।

है। यह एक बहुत ही सरल तरीका है। आजतक आप लोग बिना किसी प्रकारकी लज्जा माने शौचालयोंके बिना अपना काम चलाते आये हैं और आप चाहें तो वैसा ही करते चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बड़ी आसानीसे गाँवमें प्राप्त वस्तुओंसे ही हम उन्हें तैयार कर लेनेमें आपकी मदद कर सकते हैं। अगर महज आप मैलेको खोदी हुई पासकी मिट्टीसे ढँक दें तो आठ दिनोंके बाद ही वह बेश-कीमती खाद बन जायेगा और आप साल-भर समय-समय पर विभिन्न चारे अथवा सब्जियाँ पैदा करनेमें उसका उपयोग कर सकेंगे। मैं ये सारी बातें अपने अनुभवोंके आधारपर ही कह रहा हूँ। आपकी खेती बिना किसी अतिरिक्त खर्च या परिश्रमके फलें-फूलेगी और स्वास्थ्य अधिक अच्छा हो जायेगा, क्योंकि मक्खियाँ कीटाणु नहीं फैलायेंगी और गाँव साफ-सुथरा हो उठेगा। तो मेरे साथ आओ। आप अपनी-अपनी कुदाली और फावड़े लेकर यह काम करनेमें मेरा साथ दोगे या नहीं?

'हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे', ग्रामवासियोंने कहा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-३-१९३५

४१७. सलाह: एक मित्रको[1]

[१४ मार्च, १९३५से पूर्व][2]

एक मिनटमें मैं आपको यह समझाये देता हूँ। देखिए, एक घानी बनानेमें शायद ५०)से कम खर्चा नहीं बैठता। अब देश-भरकी कुल घानियोंका हिसाब लगाइये। अगर सात गाँवोंके पीछे एक घानी शुमार कर लें, जोकि निश्चय ही बहुत कम अन्दाजा है, तो देश-भरमें एक लाखसे ज्यादा घानियाँ होती हैं। अब अगर इनसे तेल पेरना बन्द कर दिया जाये तो ये सब बेकार हो जायेंगी न?

जरा सोचिए तो कि इसका क्या मतलब हुआ। फी घानी ३०) ही शुमार करें तो भी इसका अर्थ यह है कि हमारी तीस लाख रुपयेकी पूंजी बेकार पड़ी हुई है? क्या यह दुःखकी बात नहीं है? भला इसे हम बरबाद कैसे होने दे सकते हैं? और अगर ये सब चालू हो जायें तो एक घानी पीछे अगर एक आदमीका ही शुमार करें, तब भी सोचिए कि कितने आदमियोंको इनसे काम मिल जायेगा। फिर उससे अधपेट भूखी रहनेवाली गाय-बैलोंके लिए कितनी खली तैयार होगी। यही बात ईख पेरनेके कोल्हूकी भी है।

१. महादेव देसाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियों) से उद्धृत। गांधीजीने एक बेकार पड़ी ग्रामीण तेलघानी खरीदकर लगानेका सुझाव दिया था। परन्तु जिस मित्रको यह घानी खरीदनेके लिए कहा गया, उसे इस कार्यमें निहित बुद्धिमत्ता समझमें नहीं आई थी।

२. देखिए अगला शीर्षक।

लेकिन लोग क्या इस बातपर ध्यान देंगे?

लोगोंके ध्यानमें लानेके लिए ही तो हमने अपने यहाँ यह घानी लगाई है, अपना चावल खुद तैयार कर रहे हैं और खुद ही अपना आटा पीसते हैं। लेकिन इतने पर भी अगर वे ध्यान न दें तो हम क्या करें? कल्पना कीजिये कि लोग सत्य और अहिंसाके सन्देशपर ध्यान नहीं देते, तो क्या हम उनसे असत्य और अहिंसा ग्रहण करनेके लिए कहेंगे? हमें तो चाहिए कि राष्ट्रके लिए तथा जिन गरीब लोगोंसे राष्ट्र बना है उनके लिए जो बात अच्छी हो उसे करते रहें। और लोग ऐसा करेंगे या नहीं, इस बातकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १५-३-१९३५

४१८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

दुबारा नहीं पढ़ा

१४ मार्च, १९३५

चि० प्रेमा,

अब तो तेरा दूसरा पत्र आ जानेके कारण हाथसे लिखनेका लोभ छोड़कर यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ।

तेरे पास रखे हुए सूतका थान नहीं बन सकता तो इसमें माफी माँगनेकी क्या बात है? मैंने जो सूत भेजा वह पूरा न हो, तो इसमें तू क्या कर सकती है?

अरुणकी वर्षगाँठ अप्रैलमें किसी दिन है। मुझे याद नहीं। सुशीलाके पत्रमें तारीख थी।

तेरे हाथोंकी तुलना शायद मीराके हाथोंसे की जा सकती है। जिन हाथोंमें घट्ठे न पड़े हों, जिनमें कभी छाले न पड़े हों, वे हाथ किस कामके?

यहाँ जमनालालजीके पास नई मोटर नहीं, बल्कि घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी ही है।

कच्चे दूध, भाजीकी पत्तियों और इमली पर रहकर देखना। मुँहासे शायद सब मिट जायेंगे।

यहाँ तेलकी घानी लगाई है। अलसीका तेल निकालते हैं। सारा अनाज बा वगैरा सब बहनें साफ करती हैं। नौकर कोई नहीं है। सब काम हाथसे ही होता है। मैं हमेशा पंगतमें ही खानेको बैठता हूँ।

यहाँसे एक मीलपर सिन्दी नामक एक गाँव है। महादेव, मीरा, कनू, जमनालालजीकी मदालसा और रामकृष्ण रोज उसे साफ करने जाते हैं। मैं भी एक बार हो आया था। फिर जानेका विचार है। गाँवकी सफाईका सवाल, हम स्वयं भंगी बनें तभी हल होगा।

गाँवका जो चित्र तूने दिया है, वह जितना सजीव है उतना ही करुणाजनक भी है। हमें ऐसे गाँवोंसे निबटना है। यह काम न तो बुद्धि-बलसे होगा, न शरीरसे। केवल हृदय-बलसे ही यह हो सकता है।

आज तो इतनेसे ही जितना सन्तोष मान सके, मान लेना। तेरी प्रगतिका विवरण तो मुझे चाहिए ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६८) से। सी० डब्ल्यू० ६८०७ से भी, सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक।

४१९. पत्र: ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१४/१५ मार्च, १९३५

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारी दीर्घ आयु हो। तुमारे सब शुभ मनोरथ सफल हो।

तुमारा यहां रहना व्यर्थ समझता हूं। तुमारी बीमारी मुझसे सही नहीं जायगी। जिस जगह शरीर अच्छा रहे वहीं जाओ और रहो। आज ही जाना उचित मानता हूं। पूछना है तो डाक्टरसे पूछो।

मैं तुमारे लिये मा का स्थान अवश्य लेना चाहता हूं, लेकिन मेरेमें इतनी योग्यता पाता नहि हूं। मा सेवा करती है, कभी लेती नहीं। मैंने तो तुमसे सेवा ही ली है, सेवा करनेका स्मरण तक नहीं है। मा आज्ञा नहीं करती है, मैंने तो आज्ञा ही की है। अब मैं तुमको क्या आश्वासन दूं? मा के साथ अवश्य दक्षिणकी मुसाफरी करो। पांडिचेरी जानेमें कोई हानि नहीं मानता। बनारस अच्छा नहीं लगता। वहां राजयोग कहां? यदि पांडिचेरी नहीं तो देहरादून, अलमोड़ा इत्यादि जगह जाओ। हाल तो दिल्ली ही ठीक है।

दिल्लीमें जो सेवा अच्छी लगे वह करो। बिना मेंबर हुए मनुष्य अवश्य ग्राम-उद्योगका काम कर सकता है। पुस्तकके बारेमें मैं कह चुका हूं। . . . [1]

. . . [2] किसीके दो सहायक नहीं होते। एक ही है परमेश्वर, बाकी सब नामके समझो। . . . [3]

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० १०२३३ से; सौजन्य: ब्रजकृष्ण चाँदीवाला।

१. २ और ३. साधन-सूत्रमें छोड़ दिया गया है।

४२०. हम सब भंगी

अस्पृश्यतासे जितने विषैले फल पैदा हुए उन सबका तो हमे पता भी नही। अब चूँकि गाँवोकी सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए यह वात स्पष्ट होती जा रही है कि गाँवो और शहरोकी गन्दगीका खास कारण हमारा यह अस्पृश्यता-विषयक विश्वास है। हम अपना ही मैला छूने और उसे साफ करनेमें डरते है, और हमारा जो स्पष्ट धर्म था उसका पालन हमने अपने ही किन्ही भाई-वहनो को सौप दिया है। हमने उन्हे इसलिए अपने समाजसे वहिष्कृत कर रखा है, उन्हे अस्पृश्य मान लिया है और हम उनके सुख-दुखकी तरफ देखते तक नही, क्योंकि वे हमारी सबसे अधिक महत्त्वकी सेवा करते है।

इस सामाजिक वुराई और पापको दूर करनेका एकमात्र उपाय यही है कि हम सव अपने-अपने भगी बन जाये, तभी हम स्वच्छताकी कला शीघ्र सीखेगे। गन्दगीसे पैदा होनेवाले अनेक महारोगोके चंगुलसे छुटकारा पायेंगे और इसके साथ ही हमे अर्थलाभ भी होगा। जी० आई० फाउलर नामक एक लेखकने 'सम्पत्ति तथा दुर्व्यय' नामकी एक अग्रेजी पुस्तकमे लिखा है कि मनुष्यका मैला अच्छी तरह ठिकाने लगाया जाये तो प्रति मनुष्यके मैलेसे हर साल २) की आमदनी हो सकती है। अनेक जगहोमे तो आज सोने-जैसा खाद यो ही पड़ा-पडा नष्ट हो जाता है, और उलटे उससे वीमारियाँ फैलती है। उक्त लेखकने प्रो० व्रुलटिनीकी 'कूडे-कचरेका उपयोग' नामक पुस्तकसे जो उद्धरण दिया है, उसमे कहा है कि "दिल्लीमे रहनेवाले २,८२,००० मनुष्योंके मैलेमें से जो नाइट्रोजन पैदा होता है उससे कमसे-कम १० हजार और अधिकसे-अधिक ९५ हजार एकड़ जमीनको पर्याप्त खाद मिल सकती है।" मगर चूँकि हमने अपने भगियोके साथ अच्छी तरह वर्ताव करना नही सीखा है, इसलिए प्राचीन कीर्तिवाली दिल्ली नगरीमे भी आज ऐसे-ऐसे नरककुंड देखनेमे आते है कि हमे अपना सिर शर्मसे नीचा कर लेना पडता है। अगर हम सब भंगी बन जायें तो यह तो हमें मालूम हो ही जायेगा कि हमें खुद अपने प्रति कैसा वर्ताव करना चाहिए। हमें यह भी ज्ञान हो जायेगा कि आज जो चीज जहरका काम कर रही है उसे पेड-पौधोके लिए हम किस प्रकार उत्तम खादमे परिणत कर सकते है। अगर हम मनुष्यके मलका सदुपयोग करें तो, डॉ० फाउलरके हिसावके अनुसार, भारतकी ३० करोडकी आबादीसे सालमें ६० करोड रुपयेका लाभ हो सकता है।

यह सोचकर घवरा नही जाना है कि यह प्रश्न तो वहुत विशाल है। जिसके गले यह वात उतर गई हो वह खुद ही इसे शुरू कर दे, और हृदयमे यह पूरी श्रद्धा रखे कि अगर उसका उत्साह अन्त तक ऐसा ही वना रहा तो अवश्य ही सव लोग उसके दृष्टान्तका अनुकरण करेगे। 'श्रद्धा' शब्द शायद यहाँ उपयुक्त न

होगा। क्योंकि मनुष्यका मल पशुके गोबरकी ही तरह मूल्यवान है, यह श्रद्धाका नहीं किन्तु नित्यके अनुभवका विषय है। आवश्यकता तो केवल युग-युगान्तरोंसे जमी हुई जड़ता दूर करनेकी ही है। जिस चीजको आज थोड़े-से आदमी बुद्धि और एकाग्रताके साथ करेंगे, उसे कल सभी मनुष्य करने लगेंगे।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १५-३-१९३५

४२१. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

१५ मार्च, १९३५

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमसे विवरण मिलने पर मैं 'हरिजन' के लिए पैसा-मण्डल पर कुछ लिखनेकी कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने यह स्पष्ट कर दिया होगा कि दाता तुम हो, यद्यपि हो सकता है कि यश मुझे मिले। अनकुटे समूचे चावलको खानेसे तुम्हें पेचिश जरा भी नहीं होनी चाहिए थी। यदि चावल कम पका रह गया था, तो वह तुम्हें खाना ही नहीं चाहिये था। यह चावल सजाके रूपमें नहीं, बल्कि स्वास्थ्य-रक्षाके एक सहायक साधनके रूपमें खाना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्त्ताको, यदि वह ईमानदारीसे ऐसा कर सकता है तो, इसका पूरी तरह प्रयोग करनेके पश्चात् यह अवश्य प्रमाणित करना चाहिए कि समूचा चावल ज्यादा स्वादिष्ट है और समान तृप्तिके लिए इसे पालिश किये गये चावलकी अपेक्षा कम मात्रामें खानेकी जरूरत है और यह किसी भी प्रकार शरीरके लिए क्षतिकारक नहीं हो सकता। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि गुड़के साथ दूध पीनेसे तुम्हें लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस प्रचलित अन्धविश्वाससे मुक्त हो कि दूध गुड़के साथ नहीं पीना चाहिए। देशके तुम्हारे वाले हिस्सेमें हरिजनोंकी हालत बड़ी सावधानी और चतुराईसे सुधारी जानी चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जबतक हम यह सामान्य सिद्धान्त नहीं अपनाते कि गाँवोंसे ही अपने कार्यकर्त्ता चुनें, तबतक हम कोई प्रगति नहीं कर सकते, और मेरे मतमें वास्तविक स्वराज्य युगों-पुरानी इस समस्याको सफलतापूर्वक हल करनेमें ही निहित है। जिस कागजपर तुमने लिखा है, वह कहाँसे प्राप्त किया है और किस कीमतका है?

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य प्यारेलाल।

४२२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१५ मार्च, १९३५

भाई ठक्कर बापा,

आपका पत्र मिला। आपके समयकी मियाद बढा देनेमे मुझे कोई एतराज नही है। हाँ, आप सो जायें तो मुझे एतराज होगा। कितनी मियाद चाहते है? सीमा निर्धारित नही करेगे तो काम पूरा नही होगा। सूरजबहन यहाँ आई थी तब उसने ज्यादासे-ज्यादा छ: महीने माँगे थे। कहा था कि हो सका तो एक ही महीनेमे खाली कर दूँगी। यह बात, जहाँतक मुझे याद है, नवम्बरमे हुई थी। तो क्या मै इसे चौथा महीना गिनूँ और मई की ३१ को आखिरी तारीख मानूँ? इस बहनको उसके चीखने-चिल्लानेसे हारकर रहने देना मै अनुचित समझता हूँ।

'हरिजन' के शास्त्रीकी जिम्मेदारी आपकी है। 'हरिजन' को पूना ले जाऊँगा और इस सम्बन्धमे एक भी पैसेका बोझ सघपर नही पड़ने दूँगा। किन्तु शास्त्रीकी रोजी छुडवा देनेके बाद उसे निबाहना, क्या हमारा कर्त्तव्य नही हो जाता? यदि वह बिलकुल ही निकम्मा न हो तो उसे निबाहना ही चाहिए। मै यह मानकर चल रहा हूँ कि वह निकम्मा नही है। इस सम्बन्धमे मेरा मार्गदर्शन कीजिये। मेरी आँख भी, कान भी आप ही है।

मैने गणेशनके बारेमे जो लिखा था, उस पर दृढ हूँ।

नट्टार और हरिजनका झगड़ा खत्म कर सकें, तो बड़ा काम हो।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५३) से।

४२३. पत्र : वसुमती पण्डितको

वर्धा

१५/१६ मार्च, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। पिछला भी मिला था, किन्तु मै दूसरे पत्रकी राह देख रहा था।

देखना कब्ज मत होने देना। पत्तेदार सब्जियाँ चाहे जहाँ पैदा की जा सकती है, यह तो तू जानती ही होगी। बीज बोनेके बाद सात दिनमें ही कुछ पत्ते निकल आते है। बोचासणके पास जो खेत है, उनमे किसी भी किसानको लेकर जायें

तो वह खाने-योग्य कितनी ही भाजियाँ दिखा देगा। कई भाजियाँ घासके समान उगती है, घास ही होती है। दस-बीस पत्ते भी मिल जायें तो काम बन जाता है। मेथी, राई, धनियाँ किस घरमें नही होती?

मेहमान कौन आते है? रसोईमे क्या बनाती है? चावल बिना कुटे बनाती है न? उन्हे पकनेमें कितना समय लगता है? कुटे चावलकी अपेक्षा अधिक समय लगता है क्या? घड़ीसे समयका अन्दाज कर लेना चाहिए।

सवेरे उठनेका क्या नियम है? प्रार्थना होती है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९५) से। सी० डब्ल्यू० ६४० से भी, सौजन्य: वसुमती पण्डित।

४२४. पत्र: गंगाबहन वैद्यको

१५/१६ मार्च, १९३५

चि० गंगाबहन,

तुम मेरे पत्रके लिए क्यों चिन्ता करती हो? तुम्हें मेरे पत्रकी इतनी जरूरत नही है, मैं ऐसा सोचकर समय बचानेके विचारसे तुम्हे पत्र नही लिखता। कुछ विशेष लिखनेको हो तो लिखूं भी। फिर किशोरलाल यहाँ है, इसलिए उससे बहुत-कुछ मालूम कर लेता हूँ और उसकी मार्फत तुम्हें बता देता हूँ।

तुम्हारा शरीर स्वस्थ है न? अगर वैद्योंके साथ बहुत समय बिताती हो तो समझना बड़ी भूल करती हो। हिन्दुस्तानके अथवा संसारके लोगोकी आवश्यकता वैद्यक नही है। प्रकृति सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। तुम जानती होगी कि जहाँ वैद्य अधिक होते है, वहाँ आरोग्यमें वृद्धि होती है अथवा लोग व्याधिरहित हो जाते है, ऐसा अनुभव कहीं किसीका नही है। इसके विपरीत, जहाँ लोग प्रकृतिके, अर्थात् स्वच्छताके नियमोका पालन करते है, वहाँ अवश्य आरोग्यमें वृद्धि होती है। तुर्कीकी एक बहन यहाँ कुछ दिन रह गई। वह कहा करती थी कि तुर्कीके ग्रामवासियोसे छ: चीजोंसे बचनेके लिए कहा जाता है, जिनमें से एक है वैद्य। इसका अर्थ यह नही है कि इस अर्जित ज्ञानका उपयोग ही नही करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि इस ज्ञानका उपयोग कमसे-कम करना चाहिए, और जब करे तब भी लोगोंको रोगोकी रोकथाम सिखानी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९५) से। सी० डब्ल्यू० ६४० से भी; सौजन्य: वसुमती पण्डित।

४२५. पत्र : एडमण्ड और युवान प्रिवाको

१६ मार्च, १९३५

प्रिय आनन्द और भक्ति,

आप लोगोंका लम्बा प्यार-भरा खत मुझे मिला था, किन्तु मैं उसका अत्यन्त संक्षिप्त उत्तर बोलकर लिखवा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे ठीक मान लेंगे, क्योंकि एक तो मेरे पास वक्त भी कम है, और फिर इस समय तो मैं सिर्फ बायें हाथसे ही लिख पाता हूँ। इसे 'राइटर्स कैम्प' कहा जा सकता है। आप शायद यह जानकर आश्चर्य करें कि मुझे 'यूटोपिया' पढ़नेका कभी मौका ही नही मिला, हालाँकि इसकी मैंने तारीफ बहुत सुनी है।

हमारा ग्राम-कार्य ठीक चल रहा है। हमें जमनालालजी द्वारा वर्धामें १३ एकड़ जमीन मिली है, जहाँ हम एक आदर्श गाँव बसानेकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे निवाससे वह जगह कुछ दूरी पर है। लेकिन अब हम वहाँ रहने लगे हैं। आप फिर जल्दी ही भारत आ जाइये। आप शायद जानते हो कि तीसरे दर्जेमे यात्रा करनेमे कोई ज्यादा दिक्कत नही होती और वह सस्ती भी है।

मुझे उम्मीद है कि 'हरिजन' आपके पास नियमित रूपसे पहुँच रहा होगा। देवदासका काम बिलकुल ठीक चल रहा है। वह तथा उसकी पत्नी अपने बच्चेको बहुत ही प्यार करते हैं।

आप दोनोंके लिए प्यार।

बापू

डॉ० एडमण्ड प्रिवा
बेलाविस्ता
लोकार्नो, स्विट्जरलैंड

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २३३९) से। महात्मा, खण्ड-४, पृ० ३२ के सामनेकी प्रतिकृतिसे भी।

४२६. पत्र : एन० जी० आप्टेको

१६ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

जो फाइल आपने मुझे भेजी थी, मैंने उसे अब ढूंढ निकाला है। मैं इसे आपको रजिस्टर्ड बुक-पोस्टसे लौटा रहा हूँ। आपने कृपापूर्वक मुझे जो दो नमूने भेजे थे, उनके नष्ट हो जानेपर मैं अपना खेद प्रकट कर चुका हूँ। यदि आप उन्हे फिरसे भेजेंगे तो मैं उनका प्रयोग करके आपको रिपोर्ट भेजूंगा। फिर भी मैं यह कहूँगा कि इन रसोका निर्माण किसी भी ग्राम-उद्योग का भाग कदापि नही हो सकेगा। ये स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी किसी वडे महत्त्वके नही है। अन्तिम शोधोने यह दिखा दिया है कि ये रस उन फलोके विटामिनोको सुरक्षित नही रख पाते। आपने जो रस तैयार किये हैं वे यदि इन विटामिनोको वनाये रखते है, तो निस्सन्देह ही एक सफलता है।[1]

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य · प्यारेलाल।

४२७. पत्र : एफ० मेरी बारको

१७ मार्च, १९३५

चि० मेरी,

पता नही मैंने तुम्हारे पिछले पत्रका उत्तर दिया या नही। अब मुझे तुम्हारा दूसरा पत्र मिला है। तुम लोगोको हमेशा ही दवाइयोके दाम देनेको मजबूर नही कर सकती। हमेशा उनसे यही कहो कि जो-कुछ भी वे दे सकते है, उन्हे जरूर देना चाहिए — वतौर फीसके नही, वल्कि जो लोग कुछ भी नही दे सकते उनकी सहायताके लिए। जहाँ भी तुम देखो कि लोग वेजा फायदा उठा रहे है, तुम्हें उनको बिना पैसेके दवाई देनेसे इनकार कर देना चाहिए। लोगोको अपने पास दवाइयाँ लेने आनेके लिए वढावा मत दो, उनको प्राकृतिक जीवनकी ओर ले जाओ और प्राकृतिक चिकित्साके घरेलू उपचारके तरीके वताओ।

यह जरूरी है कि अपग व्यक्तियोसे किसी कामकी अपेक्षा रखे विना उनके भोजन और वस्त्रका प्रवन्ध किया जाये। इसका प्रवन्ध करना, हर सुव्यवस्थित समाजका प्रथम कर्त्तव्य है।

१. देखिए "पत्र : एन० जी० आप्टेको", पृ० ३०७ भी।

तुमने कुलियोंकी समस्याके बारेमें जो-कुछ कहा है, उसे मैं समझता हूँ। निश्चय ही पड़ोसीपर अपनी निर्भरता महसूस किये बिना तुमको उससे सहायता माँगनेका अधिकार था। इसमें किसी भी सिद्धान्तके हननका प्रश्न नहीं था। अपना काफी समय गवाँ देनेका खतरा उठाकर भी प्रत्येक कामको अपने ही हाथोंसे करनेका मेरी सी०[1] का तरीका हँसीमें उड़ा देनेकी चीज नहीं है। किसी एक कामको करनेके एकाधिक तरीके यदि सुलभ हों, तो हमें स्थानीय परिस्थितियोंके अनुकूल उनमें से एकको चुन लेना चाहिए।

अगर पेचिशका जरा भी माद्दा हो, तो निहायत जरूरी है कि तुम किसी भी तरह अपनेको बिलकुल मत थकने दो; सिर्फ हलका काम ही करो।

मैं शारीरिक श्रम नहीं कर रहा हूँ। मैं बस रसोईकी देख-भाल करता हूँ, जिससे उसे गाँवके वातावरणके अनुरूप बना सकूँ। सभी नौकरोंको छुट्टी दे दी है। केवल एकको ही अपने पास रखा है, क्योंकि उसने अपने-आपको इतना ढाल लिया है कि हमारे साथ बिलकुल घुलमिल चुका है। वह परिवारका एक सदस्य बन गया है। वह प्रत्येकके साथ कन्धेसे-कन्धा मिलाकर काम करता है। और जहाँ पहले उसे महीनेमें ७ या ८ रुपये मिलते थे, अब वहाँ ८ रुपये और खाना मिलता है जिसका मतलब होता है कमसे-कम १४ रुपये महीना।

मेरी सी०की यह धारणा बिलकुल गलत है कि भारतीय उद्योगपतियोंके मुकाबले विदेशी उद्योगपति अधिक अच्छे होते हैं। मैं मानता हूँ कि दोनोंके बीच चुननेकी ज्यादा कोई गुन्जाइश नहीं; लेकिन जितनी भी है, उतनी भारतीयोंके ही पक्षमें है। उसका सीधा-सा कारण यह है कि वे भारतीय सम्पदाको देशके बाहर नहीं ले जा सकते और विदेशी उद्योगपतियोंकी अपेक्षा उनके साथ पेश आना ज्यादा आसान है, क्योंकि विदेशी उद्योगपति अपनी स्थिति सुदृढ़ बनानेके लिए शस्त्र-बलका प्रयोग करनेमें भी संकोच नहीं करते और कारगर ढंगसे उसका प्रयोग करनेमें वे समर्थ हैं। भारतीय उद्योगपति निःशस्त्र हैं और यह भी समझते हैं कि वे अपने मातहत काम करनेवालोंके साथ छल-कपट नहीं कर सकते।

अगर फसलें काटनेके मौसममें तुम देखो कि पड़ोसियोंको तुम्हारी सहायता चाहिए, तो निश्चय ही तुम्हारा कर्त्तव्य हो जाता है कि बदलेमें उनसे अपना बरामदा तैयार करवानेमें मदद की अपेक्षा रखे बिना, तुम उनकी सहायता करो।

इस समय तुम्हारा ९ मार्चका पत्र मेरे सामने है। डंकनके दो अध्यायोंके सम्बन्धमें हुई हमारी चर्चा मुझे अच्छी तरह याद है। अध्यायोंमें ग्राम-कार्यकर्त्ताओंका उल्लेख था। चर्चाके दौरान तुमने कहा था कि यद्यपि उनके विचारोंसे तुम सामान्यतः सहमत हो, तथापि उनमें कुछ ऐसे भी अंश हैं, जिनके बारेमें तुम्हारा खयाल है कि उनसे लेखकका आवश्यकतासे अधिक उत्साह तथा भावुकपन टपकता है। हमारी चर्चा महज चर्चाके लिए ही नहीं थी। तुमने गाँव-गाँव घूमनेवाले अध्यापकोंके

१. मेरी चेज़ले।

उनके सुझावपर खास जोर दिया था। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे तुम्हारा ९ तारीखका पत्र न मिलता, तो यही एक मुद्दा था जो अनदेखा रह जाता।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०३५) से। सी० डब्ल्यू० ३३६५ से भी; सौजन्य: एफ० मेरी बार।

४२८. पत्र: आर० एस० पण्डितको

१७ मार्च, १९३५

प्रिय रणजीत,

आशा है कि अलमोड़ामें शैल आश्रमको खरीदनेके सम्बन्धमें मेरा तार तुम्हें मिल गया होगा। संघकी समितिने यही तय किया कि उन्हें कीमत १५,००० रु० से कम नहीं करनी चाहिए। तुम उसका कब्जा तुरन्त ले सकते हो। वहाँ अभी एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रहते हैं। जबतक कि तुम अपने उपयोगके लिए पूरी इमारत नहीं चाहते, तबतक उसके एक भागमें इनके रहनेपर शायद तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु जैसे ही तुम कब्जा लेनेको तैयार होगे, उन्हें तुरन्त ही हटाया जा सकता है।

अब तुम भुगतान और कानूनी हस्तान्तरणके लिए जमनालालजी अथवा श्री किशोरलाल मशरूवाला, अध्यक्ष, गांधी सेवा संघसे पत्र-व्यवहार करना।

स्वराज्य भवनके सम्बन्धमें तुमने जो कहा, उसे मैं समझता हूँ।

[पुनश्च:]

इस पत्रकी एक प्रतिलिपि जमनालालजीको भी भेजी गई है।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४२९. पत्र : जयप्रकाश नारायणको

१७ मार्च, १९३५

चि० जयप्रकाश,

तुमारा तार मिला था। कल तार भेजनेकी कोशीश की, लेकिन कल डाक ओफिस बंध थी। ज्यादा पैसा देनेसे ही खुल सकती थी। इसलिए पत्रसे ही उत्तर देनेका निश्चय कर लिया। उत्तरकी ऐसी जल्दी तो कुछ नही थी।

राजेन्द्रबाबु कलकत्ते जा रहे हैं। वहाँ मश्विरा करनेके बाद अपनी राय बनायेंगे।

रा० बाबुकी शिकायत थी तुमने जॉइन्ट-कार्य का लिखा था। लेकिन जॉइन्ट कैसे हो सके? या तो काग्रेस दिन नियत करे अथवा न करे। नॉन काग्रेसमेन और कांग्रेस मेनकी जॉइन्ट सभा सभव है। काग्रेस नाममे सोशीयलिस्ट इ० सब कांग्रेसमेन आ ही जाते हैं, सोशीयलिस्ट कांग्रेसके अंतर्गत है न?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४४९)से।

४३०. प्रमाण-पत्र : तुलसी मेहरको

१७ मार्च, १९३५

नेपालके चर्खा प्रचारक श्री तुलसी मेहरजी नेपाल सरकारके तरफसे चर्खाके सम्बन्धमे निरीक्षण करनेके लिये भारतवर्षमे भ्रमण कर रहे हैं। मेरी उमेद है कि सब चर्खाप्रेमी उनके निरीक्षणमे उनको यथासभव माहिती देंगे और आवश्यक सहायता देंगे।

मो० क० गांधी

प्रमाण-पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६५४८)से।

४३१. भाषण: अ० भा० ग्रा० संघके बोर्डकी बैठकमें[1]

[१८ मार्च, १९३५ या उससे पूर्व][2]

इस प्रतिज्ञापर स्पष्ट ही एक आध्यात्मिक छाप है। हम बार-बार इसकी चर्चा करते हैं — यह तथ्य ही प्रकट करता है कि बोर्ड हर मामलेमें संघके उद्देश्योंके अनुरूप ही पूरी तौरपर अपने कर्त्तव्योंका निर्वाह करना चाहता है। इस प्रतिज्ञाको पूरे सोच-विचारके बाद ही अपनाया गया था और हमें इस बातकी कतई चिन्ता नहीं करनी है कि हमारी सदस्य-संख्या पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। बोर्ड आधे दर्जन सदस्योंसे भी अपना काम बखूबी चला सकता है। हम बस इतना करना है कि हम इस प्रतिज्ञाका अर्थ लोगोंको पूरी तरह समझा दें और यह देखनेकी जिम्मेदारी प्रतिज्ञा ग्रहण करनेवाले व्यक्ति-विशेषपर ही छोड़ दें कि वह सभी शर्तों का निर्वाह कर सकता है या नहीं। कदम-कदम पर सदस्यगण जरूर ही उनसे यह सवाल करेंगे कि क्या वे अपनी शक्ति का श्रेष्ठ अंग तथा अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा संघके उद्देश्योंमें लगा रहे हैं, मतलब यह कि क्या भोजन करते समय तथा यात्रामें भी उनको इसका ध्यान रहता है। अगर आप सोचते हैं कि इस प्रतिज्ञामें कुछ अस्पष्टता है, तो आप इसे और भी स्पष्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अस्पष्टता है। यह तो भले आदमियोंकी प्रतिज्ञा है और इस प्रतिज्ञाकी क्या अपेक्षाएँ हैं, यह निश्चित करनेका काम प्रत्येक सदस्यकी भलमनसाहत पर छोड़ दिया गया है। हमें आदमीकी जिन्दगीकी बखिया उधेड़नेकी जरूरत नहीं; अपने कामोंकी अच्छाई-बुराईका फैसला हर व्यक्तिको स्वयं ही करने दो। मैं आपको बताता हूँ कि वकालत करनेवाला एक वकील भी अपनी सारी प्रतिभा और शक्ति संघके उद्देश्योंकी पूर्तिमें लगा सकता है। इसके लिए वह अपने दफ्तरकी शकल ही बदल देगा। हाथके बने कागजके रीमों और गाँवमें तैयार की गई स्याहीपर अपने पैसे खर्च करेगा और ध्यान रखेगा कि उसके दफ्तरसे जितने भी दस्तावेज निकलें, सबके-सब उसी कागजपर उसी स्याहीसे लिखे हों। उसके दफ्तरमें काफी लोग काम करते हैं। वह जब भी समय निकाल सकेगा, अपने कर्मचारियोंमें संघके प्रति रुचि पैदा करनेकी कोशिश करेगा और उन लोगोंसे आग्रह करेगा कि, जहाँतक

१. अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके बोर्डकी बैठकमें सदस्यताके सम्बन्धमें एक लम्बी बहस हुई थी और सदस्योंने गांधीजीकी सलाह माँगी थी।

२. अ० भा० ग्रा० संघकी बैठक वर्धामें १६ से १८ मार्च, १९३५ तक हुई थी।

मुमकिन हो, वे गाँवमें बनी चीजें ही इस्तेमाल करें। और इसी प्रकार अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन २२-३-१९३५

४३२. बातचीत: अ० भा० ग्रामोद्योग संघके सदस्योंके साथ[1]

[१८ मार्च १९३५ या उससे पूर्व][2]

बंगालसे आए वैज्ञानिक सदस्यों और गांधीजी के बीच अनकुटे चावलको लेकर वाक्-युद्ध आरम्भ हो गया। गांधीजी द्वारा परिभाषित अनकुटे चावल कुछ सदस्योंने यहाँ पहली बार खाये थे और कुछ सदस्य समझते थे कि ये चावल आंशिक रूपसे कुटे हुए हैं और हाथसे वैसे ही कुटे हुए हैं जैसे आज भी हमारे गाँवोंमें मिलते हैं। गांधीजी ने स्वास्थ्य-सम्बन्धी रायोंके आधारपर अपना पक्ष रखा था; वे अपने विचारसे तिल-भर भी हटनेको राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि छिलके और दानेके बीचकी भूसी तथा भूसी और दानेके बीचकी सफेदी और अंकुर बननेकी शक्ति रखनेवाले हिस्सेमें जो विटामिन होते हैं, वे मिल द्वारा कुटे हुए चावलमें नष्ट हो जाते हैं और उन विटामिनोंको भूसीयुक्त चावलके सिवा और किसी भी तरीकेसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। एक बार कुटे या दो बार कुटे चावलमें उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, इसे रासायनिकों और वैज्ञानिकोंको सिद्ध करना होगा।

[एक सदस्य:] लेकिन गाँवमें ढेंकीसे कूटा गया चावल करीब-करीब अनकुटा ही है।

[गांधीजी:] यह किसी वैज्ञानिक-जैसी बात नहीं हुई। क्या हम समकोणके बदले करीब-करीब समकोण कह कर काम चला सकते हैं? एक समकोण ९० डिग्रीका होता है, न कम, न अधिक।

लेकिन जनता थोड़ी मात्रामें कुटे हुए चावलोंको खानेकी इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उससे बिलकुल अनकुटे चावल खानेके लिए कहना कठिन है।

एक सुधारकको इस प्रकारका तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

यह आसानीसे नहीं पकता और पकनेपर लौंदा बन जाता है और लोगोंको इसे देखकर खानेकी रुचि नहीं होगी।

१. महादेव देसाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

इसे पकानेमे ज्यादा वक्त लगता है, यह बात सही है। पर यह चावल ज्यादा स्वादिष्ट होता है, कुटे हुए चावलसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। यह निस्सन्देह प्रमाणित किया जा चुका है। फिर जो चीज देखनेमे अच्छी है, वह अच्छी ही हो यह आवश्यक नही है। अच्छी चीज वह है जिसका स्वाद अच्छा हो।

[गोसी बहन.] बापू, क्या आप अपने तर्कके आवेशमें सदियों पुराने मुहावरोंको बिगाड़ नहीं रहे?

[गा० :] ठीक है, जब मैं सदियो पुरानी रूढियो और अन्धविश्वासोको समाप्त करने चला हूँ, तब और क्या कर सकता हूँ?

वैज्ञानिक-सदस्योंने भी उनके इस तर्कको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस बातको स्वीकार किया कि चावलको एक बार कूटनेसे भी या कुछ अंशोमें उसे कूटनेसे भूसी उतर जाती है; लेकिन क्या भूसी स्वास्थ्यके लिये आवश्यक पदार्थ है?

अगर आप लोग यह सिद्ध कर सकें कि यह स्वास्थ्यके लिए जरूरी नही है तो मैं खुशीसे अपनी हार मान लूंगा।

लेकिन खाद्य पदार्थकी अच्छाई उसमें विटामिनों और प्रोटीनोंके होने या न होनेमें ही निहित नहीं है। उसके सम्बन्धमें प्राणी-शास्त्रीय प्रयोग भी होने चाहिए; और उन्हीं प्रयोगोंको आधार बनाकर समस्या सुलझाई जानी चाहिए।

वैसे प्राणी-शास्त्रीय प्रयोग करना आपका ही काम है। पहलेसे ही यह न कहे कि बंगालियोंको रोज आधा पौंड चावल चाहिए और फिर वह भी इस रूपमे कि वह आसानीसे उन्हे आधा पौंड चावल हजम हो सके। आप उनके लिए वैज्ञानिक विश्लेषण करके एक आदर्श भोजन निश्चित करे। जबतक साधारण देहातीके भोजनमे थोड़ा दूध और उससे निकलनेवाले स्निग्ध पदार्थ और हरी शाक-सब्जीका समावेश नही हो जाता, मुझे चैन नही है। दुर्भाग्यसे हमारे चिकित्सकोने गरीब आदमीकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखकर इस प्रश्नको मानवतावादी दृष्टिकोणसे हल करनेकी कोशिश ही नही की है।

बातचीतके परिणामस्वरूप, चावलोंके जिन प्रकारोंको अनकुटे चावलके प्रमाण-पत्र दे दिये गये थे, वे रद्द कर दिये गये और निश्चित हुआ कि नये प्रमाण-पत्र देना स्थगित कर दिया जाये। सदस्योसे यह भी कहा गया कि इस विषयकी किसी भी शंकाको निर्मूल करनेके लिए वे इस सम्बन्धमें और छानबीन करें तथा अनुसंधान करें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-३-१९३५

४३३. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

दुबारा नहीं पढ़ा

१८ मार्च, १९३५

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

तुमने एजेन्टका वर्णन ठीक किया है। मुझे उनका खयाल आ रहा है। "सैयद" नहीं लिखा जाता, "सैयद साहेब" लिखना चाहिए। बहुत आलोचना करके मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। मैं मानता हूँ कि तू जान-बूझकर द्वेषभावसे कुछ नहीं करता। किन्तु यह भी सच है कि तुझे बहकाया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, और तब तू अंटशंट कुछ भी बक सकता है। फिर तू अपुष्ट तथ्योंपर भी राय कायम कर सकता है। लेकिन यह सब तू एकदम बदल सके, यह मुश्किल है। हाँ, जो तू रोज आश्रमकी प्रार्थना करता हो, विवाहके समय तुम दोनोंको जो बारहवाँ अध्याय रटाया गया था उसका पाठ करता हो और इस सबका मनन करता हो, तो उससे तेरा हृदय कोमल हो जाये और तेरे शब्दोंसे नम्रता, प्रेम, सत्य झरा करे। तब तू, दूसरे क्या करते हैं यह न जाँचने बैठे। तू क्या करता है यही रोज जाँचे। दूसरोंके काम जाँचनेके पूरे साधन ही ईश्वरने हमें नहीं दिये। मनुष्यके हृदयकी गुफामें कौन प्रवेश कर पाया है? और वहाँका ज्ञान न हो, तबतक सब अधूरा ही है न? इसीलिए बुद्धिमान लोग कह गये हैं कि दुनियाका काजी नहीं बनना चाहिए, अपने ही बन सकें तो सब हो गया। आप भला तो जग भला, यह उपरोक्त बातका ही पर्याय है।

बाकी लिखनेकी फुर्सत नहीं है। अरुणके लिए अपने सूतकी खादी बनाकर भेजूंगा तो, पर वह तुझे समयपर नहीं मिलेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३४) से।

४३४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१८ मार्च, १९३५

भाई वल्लभभाई,

सलाह देना कठिन है। वल्लूभाई, कुछ बँध गये दीखते हैं। अगर प्रार्थना करायें तो मिठाई क्यों न बँटवायें? क्या मुफ्त सहायता और अनुदान की शर्तें एक ही होती हैं? सरकारकी माँग इन दोनोंमें कोई भेद नहीं करती।

कुछ भी हो। वल्लूभाई मित्रोंसे मिले। सब मजबूत हों तो कहें. सरकार और लोगोंके बीच लडाई बन्द नहीं हुई है। महोत्सव खानगी व्यक्तिकी जन्मगाँठ न होकर राजाके राज्यका महोत्सव है। हम जिस राज्यकी नीतिकी निन्दा करते हैं, उसका उत्सव मनानेमें भाग लेना दम्भकी कीमत वसूलने जैसी बात होगी। हमारी सविनय अवज्ञाकी लडाई स्थगित है; इसलिए सरकार आज्ञाएँ देकर जो चाहे सो करा सकती है। पर स्वेच्छासे खुश होकर तो लोग कुछ नहीं करेंगे। सरकार ऐसे उत्सव जबरदस्ती तो शायद ही मनवाये। जहाँतक सम्भव हो, हमें किसीका जी नहीं दुखाना है, इसलिए सरकार हमें विवश न करे। हम जोर-जबर्दस्ती नहीं करेंगे। जिसकी इच्छा हो वह उत्सवमें जाये। सरकार नगरपालिकाको कुछ न लिखे; नगर-पालिका सरकारको कुछ न लिखेगी, और न कोई प्रस्ताव ही पास करेगी।

ऐसे अवसरपर नगरपालिकाको कुछ सुविधाएँ दी जायें, तो भी मैं मानता हूँ कि वह उत्सवमें भाग नहीं ले सकती। बडा प्रश्न तो वल्लूभाई छेड़ ही नहीं सकते।

यह तो मेरी साधारण राय हुई। अहमदाबादकी परिस्थितिके अनुसार कुछ और ही व्यवहार करना आवश्यक हो, तो वह मैं कैसे समझ सकता हूँ?

अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा वल्लूभाईको रास्ता बताइए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५३-५४

४३५. पत्र : जोहरीलाल मित्तलको

[१८ मार्च, १९३५ या उसके पश्चात्][१]

भाई जोहरीलालजी

आपका तार व पत्र मिला है। डेप्युटेशन भी आ गया है। मुझे चाहिये दो लाख, लेकिन परिस्थिति भी समझता हू। जमनालालजी भी आग्रह कर रहे हैं। मै इतने प्रेमका विरोध कैसे करू? ईश्वरकृपा होगी नो मै २० तारीखको पहुँच जाऊँगा। आप पैसे जमा करनेकी पूरी कोशिश करे।

आडम्बर सब छोडे। वह कार्य धार्मिक समझकर करे। मुझे सब कानून इत्यादि भेजे। सर्म्मेलनकी नियमावली, अगले व्याख्यान, सम्मेलनका इतिहास इत्यादि भेजे।

आपका,
मोहनदास गांधी

मध्यप्रदेश और गांधीजी, पृ० ४८

४३६. पत्र : शंकरलाल बैंकरको

वर्धा
१९ मार्च, १९३५

प्रिय शकरलाल,

मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्सका इस मासकी १४ तारीखका पत्र, जो उन्होने मुझे लिखा था, मै आपको दे ही चुका हूँ।

उनके इस पत्रको मै इस सिफारिशके साथ भेजता हूँ कि परीक्षक उसपर अच्छी तरहसे विचार करें।

चूँकि मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्सने मुझे अपनी राय प्रकट करनेकी अनुमति दे दी है, इसलिए परीक्षकोके मार्ग-प्रदर्शनके लिए अपनी राय भेजता हूँ। निम्नलिखित अनुच्छेदो के पहले दी गई संख्या उनके पत्रके अनुच्छेदोकी सख्या बताती है।

(२) वर्धामे हो रहा परीक्षण अब भी पूरा नही हुआ है। जहाँतक यह परीक्षण हो चुका है, मै यह कह सकता हूँ कि एक योग्य कारीगरको ४ घटेमें

१. डेप्युटेशनकी और गांधीजीके अप्रैल, १९३५ में इन्दौरमें होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार करनेकी बात जमनालाल बजाजकी डायरीमें इसी तिथिके अन्तर्गत दर्ज है।

८००० गजसे ऊपर कातनेमें एक या दो बार सफलता मिली है। वर्धामें आठ घंटेमें १६००० गजकी कताई अभीतक कभी नहीं हुई है। यहाँ किसी भी स्त्रीने इसपर लगातार आठ घंटे काम नहीं किया है। इसपर मेरा परीक्षण अब भी चल रहा है। इसकी औसत सामर्थ्यपर अपनी राय जाहिर करनेसे पहले मैं इसका छः मास तक परीक्षण करना चाहूँगा। किन्तु यदि परीक्षकोंको इस बातसे सन्तोष हो जाता है, तो मेरी अन्तिम राय के अभावमें परीक्षकोंके निर्णयमें किसी भी प्रकारका विलम्ब नहीं होना चाहिए और न उनपर अन्यथा कोई प्रभाव पड़ना चाहिए।

(५) मैं इस रायका समर्थन नहीं कर सकता कि मशीन "प्रतियोगिताकी सभी महत्वपूर्ण और मुख्य शर्तोंको पूरा कर चुकी है।" मैंने अबतक केवल प्रथम और चतुर्थ, दो शर्तोंपर कार्य किया है।

उपयोगमें लानेकी सुविधाके गुणसे सम्बद्ध प्रथम शर्तको मैं छोटी चीज नहीं मानता। निश्चय ही यह मेरे मनमें एक अपरिवर्तनीय शर्त है। इस शर्तके बिना निश्चय ही ऐसी मशीनको तैयार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी जो ८ घंटेमें १६००० गजसे अधिकका उत्पादन दे सके। इसके उपयोगमें लानेकी सुविधाके गुणको भारतके सात लाख गाँवोंमें बिखरी करोड़ों झोपड़ियोंके प्रसंगमें सिद्ध करना होगा। 'सुविधा' शब्दके वेबस्टरके कोशमें दिये गये अर्थको मानते हुए मशीनपर दृष्टिमात्र डालनेसे कोई भी व्यक्ति जिसे भारतीय झोपड़ियों और परिस्थितियोंका ज्ञान है, इस बातको समझ लेगा कि यह मशीन किसी भी रूपमें उपयोगमें लानेकी सुविधाके गुणसे युक्त नहीं समझी जा सकती। भारतीय झोपड़ीके लिए यह निश्चय ही एक भारी और बेडौल मशीन है।

जहाँतक शर्त ५ या ६ की बात है, मैं अपनी राय देनेमें पूर्णतः अक्षम हूँ।

जहाँतक शर्त २ की बात है, इस विषयमें कोई राय देना अभी सम्भव नहीं है; उसमें अभी काफी समय लगेगा।

श्री काले और फर्मके अन्य सदस्योंसे, जो मुझसे भेंट करने आये थे, मैंने यह बात समझ ली है कि मशीनका आकार जैसा आज है, उसमें कोई कमी नहीं लाई जा सकती। इस विषयमें मेरा बिलकुल समाधान हो गया है कि औसत आकारकी भारतीय झोपड़ीमें यह मशीन नहीं लगाई जा सकती। फर्मका यह सुझाव कि मशीनको लगानेके लिए झोपड़ियोंको विशेष रूपसे बनाया जाये, इतना अव्यावहारिक है कि खण्डनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी रायमें मशीन उस शर्तको पूरा नहीं करती जो पुरस्कारकी महत्वपूर्ण शर्तोंमें से एक है। किन्तु इसे निर्णायकोंके सामने एक गवाहके साक्ष्यसे अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत शंकरलाल बैंकर
अहमदाबाद

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४३७. पत्र : एल० के० किर्लोस्करको

१९ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

इस मासकी दस तारीखके मेरे पत्रके उत्तरमें आपके विस्तृत पत्रके लिए धन्यवाद। जब यह आया, श्री बैंकर यहीं थे। मैंने आपके पत्रकी एक नकल उन्हें दे दी। अब मैंने उन्हें अपनी राय[1] भेज दी है, जिसकी नकल मैं इसके साथ भेज रहा हूँ।

अपनी सम्मतिमें मैं मशीनके सीमित उपयोगके सम्बन्धमें एक अनुच्छेद लिखना चाहता था। मैंने आपके साथ बातचीतके दौरान उसके इस उपयोगकी बात कही थी। किन्तु इस विषयमें आपकी आपत्तिको याद करके मैंने उसका उल्लेख नहीं किया। किन्तु यदि आप चाहते हों कि उसके इस सीमित उपयोगके विषयमें मैं अपनी राय निर्णायकोंको दे दूँ तो मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक भेज दूँगा।

हृदयसे आपका,

सलग्न १ . बैंकरका पत्र

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य प्यारेलाल।

४३८. पत्र : अम्बुजम्मालको

वर्धा

१९ मार्च, १९३५

चि० अम्बुजम[2],

तुम्हारा विचार सही है। मैं इतना ज्यादा व्यस्त था कि पत्र नहीं लिख सका, हालाँकि तुम्हारे बारेमें बराबर सोचता रहा।

मुझे स्वादिष्ट चीजोंका एक बड़ा भारी पार्सल मिला है। केवल शहद और फल भेजे जायें। तुम्हारे पापड़, मुरब्बा वगैरह भेजनेका क्या लाभ? और जैसा कि तुम जानती हो इस जगहपर मुझे काफी फल मिल जाते हैं। इसलिए एक-एक पैसा बचाना सीखो। उसे अलग रख दो और बचतका पैसा मेरे पास गरीबोंके लिए भेज दो। यदि मुझे किसी चीजकी जरूरत होगी तो मैं निश्चय ही माँगूँगा।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. यह हिन्दीमें है।

फिलहाल मैं कच्चा दूध, कच्ची पत्तियाँ, शहद और ताजी इमली तथा संतरे ले रहा हूँ। पिछले सप्ताह मेरा वजन १०८ पौंड था।

अमतुल दिल्लीमें देवदासके साथ है। गोमतीबहन यहाँ है। मीरा और उसके साथी पूरी तरह चंगे हो गये हैं।

आशा है कि कृष्णस्वामी ठीक चल रहा होगा।

तुम्हारा सूत काफी अच्छा था।

यदि के० को घरबारकी जरूरत है तो तुम्हें यह व्यवस्था करनी होगी, माँको नहीं।

तुम वहाँ भी उतनी अच्छी सेवा कर सकती हो जितनी कहीं और। तुम्हारे पास हिन्दी, खादी और अन्य ग्रामोद्योग हैं।

मैं कँधेरी आश्रम जानता हूँ। क्या तुम ऐसी चीजोंमें के० की दिलचस्पी कराती हो?

अ० भा० ग्रा० संघकी बैठकके लिए हमारे यहाँ कई बहनें थी। अब राजकुमारी अमृतकौर यहाँ है।

मैंने २० अप्रैलको होनेवाले हिन्दी-सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है। उसी समय एक महिला-सम्मेलन होगा। यदि आ सको तो तुम्हें आना चाहिए। तुम के० को यदि वह आये तो अपने साथ ला सकती हो। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जानम्माल तुम्हारे साथ आयेगी।

स्नेह।

बापू[1]

अंग्रेजीसे। अम्बुजम्माल-कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

४३९. पत्र: नारायण मो० खरेको[2]

१९ मार्च १९३५

चि० पण्डितजी,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं उसकी राह देख रहा था। रामभाऊके साथ खूब खटो। क्रोध मत करो। मृदुलाबहनको सन्तुष्ट कर लो। उनका एक बहुत उम्दा पत्र आया था। अलग रसोई बनाना शुरू किया है। यह मुझे तो अच्छा ही लगा। रामभाऊको रसोई बनाना भी अच्छी तरह सिखाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७३) से।

१. यह हिन्दीमें है।
२. यह तथा अगला शीर्षक एक ही पोस्टकार्ड पर लिखे गये थे।

४४०. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

१९ मार्च, १९३५

चि० नरहरि,

तुम्हारा पत्र मिला। नीलमणिके बारेमें मैं थोड़ा सुन चुका था। भगवानजीसे और भी जान लूँगा। मुझे डर है कि यह सब तो होता ही रहेगा और हमें यथाशक्ति इससे पेश पाना पड़ेगा। सभी युवकोंको वहाँसे खिसका दें तो ठीक ही होगा। केवल लड़कियाँ और जिम्मेदार आदमी ही वहाँ रहें, इसीमें हमारी रक्षा है।

भगवानजीके ३५ दिन वहाँ पूरे होंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७३) से।

४४१. पत्र : सचिव, राजनीति विभाग, बंगाल सरकारको

सचिव, बंगाल सरकार

[१९ मार्च, १९३५ या उसके पश्चात्]

प्रिय महोदय,

इस मासकी १९ तारीखके आपके पत्र (सं० ८०४३ एक्स) के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उक्त पत्र मेरे उस पत्र[1] के सम्बन्धमें है जिसमें मैंने श्री महादेव देसाईके लिए बन्दी श्री धीरेन्द्रचन्द्र मुखर्जीसे, जो इस समय देवली जेलमें बन्द हैं, मुलाकातकी इजाजत माँगी थी।

आपका सच्चा

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात, सौजन्य : प्यारेलाल।

१. देखिए "पत्र : सचिव, राजनीति विभाग, बंगाल सरकारको", २०-२-१९३५।

४४२. पत्र : डॉ० एन० एन० गोडबोलेको

वर्धा
२० मार्च, १९३५

प्रिय डॉक्टर गोडबोले,

मैं आपके उस पत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ जिसके साथ आपने गायके मक्खनकी वसा और भैंसके मक्खनकी वसाके तुलनात्मक गुणोंपर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी भेजी है। आप इस प्रश्नका परीक्षण जिस सतर्कताके साथ कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ और प्रश्न करनेका लोभ हो आया है। मैं भोजनके एक भागके रूपमें इमलीका प्रयोग, नपी-तुली मात्रामे, उन व्यक्तियोंके लिए करता हूँ जो कब्जसे पीड़ित हैं और जिन्हें अनपकी हरी-पत्तियाँ जैसे मेथी, चकवत आदि दी जा रही हैं। इस प्रदेशमें यह एक प्रचलित विश्वास है कि इमलीसे फोड़े होते हैं और इससे गठिया हो जाता है। क्या इन विश्वासोंका कोई प्रामाणिक आधार है? क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन-सी पत्तियाँ अनपकी हालतमें खाई जा सकती है ? आजकल मैं उन भाजियोंका, जो बाजारमें मिलती हैं बिना पकाये उपयोग कर रहा हूँ। इनमें बन्दगोभी और फूलगोभी भी है।

एक बात और, यदि आप 'हरिजन' पढ़ते हों तो मने अनकुटे चावलके विषयमे अपनी जो राय जाहिर की है. उसे भी आपने देखा ही होगा[1]। ऐसा मालूम होता है कि बाजारमें बिलकुल अनकुटे चावल-जैसी तो कोई चीज मिलती नहीं। मुझे बिलकुल अनकुटा चावल प्राप्त करनेमे बड़ी कठिनाई हुई। इसलिए मैं अपना धान खुद कूटता हूँ और अब बिलकुल अनकुटा चावल प्राप्त कर लेता हूँ। किन्तु रासायनिकोंका कहना है कि यह सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण नहीं है कि जिन लोगोंने अनकुटे चावलके पक्षमें राय दी है, उनका अभिप्राय बिलकुल अनकुटे चावलसे है। किन्तु मैंने इसके खिलाफ यह कहा है कि इस महत्वके मामलेमें जिन चिकित्साशास्त्रियोंने मुझे अपनी सुविचारित सम्मति दी है, मैं नही मानता कि उन्होंने 'अनकुटा चावल' शब्दका प्रयोग शिथिलतापूर्वक किया होगा। कुटे चावलकी कोटियाँ हो सकती हैं, किन्तु अनकुटे चावलकी निश्चय ही नही। दूसरी ओर, उनका यह तर्क है कि यह बहुत सम्भव है कि चावलकी ऊपरी परत, जो जरा-सा भी कूटनेसे हटाई जा सकती है, पाचन-प्रणालीके लिए चाहे क्षतिकारक न भी हो, तो भी अनावश्यक है। निस्सन्देह वे स्वीकार करते हैं कि अपने कथनके लिए उनके

१. देखिए "आरम्भ कैसे करें?", पृ० १२३-२४।

पास कोई प्रमाण नहीं है। वे केवल यह कहते हैं कि अनकुटे चावलके पक्षमें जो सम्मतियाँ दी गई हैं, उनका आशय अंशतः कुटे हुए, हाथ-कुटे उस चावलसे ही है जो बाजारमें अनकुटेके रूपमें प्रचलित है। क्या आप इस विवादपर कोई प्रकाश डाल सकते हैं? क्या चावलकी यह ऊपरी परत अपचनीय है। क्या यह पाचन-प्रणालीके लिए हानिकारक है? क्या यह सम्भव है कि अबतक इस विषयमें कोई अनुसन्धान हुआ ही न हो?

हृदयसे आपका,

डॉ० एन० एन० गोडबोले
हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४४३. पत्र : कृष्णदासको

२० मार्च, १९३५

प्रिय कृष्णदास,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे खयालसे यदि हम साप्ताहिक पत्रके भेजनेमें खर्च करनेके लिए तैयार हैं तो फिर हवाई डाकपर होनेवाला व्यय करनेमें कोई हानि नहीं है। मेरे विचारसे साप्ताहिक पत्र भेजना अच्छी बात है। एडिथ हण्टर उत्तम कार्यकर्त्री हैं। वह संस्थाकी प्राण हैं। वे लोग एक साप्ताहिक पत्रक भी निकाल रहे हैं। क्या वह आपको नहीं मिलता?

तुमने सतीशबाबूके जीवनका एक पूर्ण और कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस विषयमें कुछ भी नहीं करना है। बनारसमें ऐसे काफी लोग हैं जो उनकी सप्रेम देखभाल कर सकते हैं। किन्तु उन्हें अपना जीवन उस रूपमें व्यतीत करने देना चाहिए जिसे वे सर्वोत्तम समझें। आखिर तो भगवान छोटेसे-छोटे जीवकी भी चिन्ता करता है। जो भगवानकी शक्ति और उसकी उदारतामें विश्वास करते हैं, उनकी तो वह और ज्यादा चिन्ता करता है। इसलिए मेरे विचारमें तुम्हें उनकी कतई चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

स्नेह।

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४४४. पत्र : डॉ० गोपीचन्द भार्गवको

२० मार्च, १९३५

प्रिय डॉ० गोपीचन्द,

डॉक्टर क्यो बीमार पड़े? यदि आपका शरीर कमजोर हो जायेगा तो जो भारी जिम्मा आपने उठाया है उसे आप किस तरह पूरा कर पायेंगे। मै आशा करता हूँ कि अब आप पूरी तरहसे स्वस्थ होगे।

जो हरिजन शारदा ऐक्टका उल्लंघन करके विवाह करते है, उनके विरुद्ध मुकदमा चलानेमे हम कोई योग नही दे सकते। यह एक सुधार है जिसे हरिजनोको खुद ही करना चाहिए। हमे तबतक उनपर मुकदमा चलानेका हक नही है जबतक कि सवर्ण हिन्दू इस विषयमें दोष-मुक्त नही हो जाते और सवर्णों और अवर्णोमे कोई भेद नही रह जाता।

आपके सरक्षण और निरीक्षणमे और अखिल भारतीय चरखा सघसे निकाले गये एक व्यक्ति द्वारा एक रेशमी वस्त्र-भंडार अलगसे चलाये जानेकी शिकायत मिली है। यह क्या मामला है? स्यालकोटके तीन लेखकोने एक लम्बी शिकायत की है।

हृदयसे आपका,

डॉ० गोपीचन्द
लाहौर

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४४५. पत्र : हरिवदनको

२० मार्च, १९३५

भाई हरिवदन,

न तुम मुझे किसी दिन कष्ट देते हो, न मै तुम्हे देता हूँ। पर तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो, यह मुझसे छिपा नही है। आज परन्तु मेरे लिए तुम्हे कष्ट देनेका समय आ गया है। मालूम होता है, मामाका लाड़ला और चारित्र्यमें जिसे मामा पहला नम्बर देते है, ऐसा तुम्हारा अर्द्धसहनाम—हरिभाई नामक कोई हरिजन तुम्हारी इच्छासे तुम्हारे पडोसमें रहता है और तुम्हारी प्रेरणासे मकान बना रहा है। अब यह सब मेरी समझमे नही आया। हरिजनको तो छोड़ो, हरिजनेतर लोगोमें भी काम करनेवाले चरित्रवान व्यक्ति हमारे पास कितने है? तब, सेवकोका

ऐसा अभाव होते हुए भी हरिभाई जैसे प्रथम पंक्तिके सेवकको घर बनवाकर उसमें दफन कर देना तुम्हें कैसे ठीक लगा? माना इसमें मेरी सहायता चाहते हैं। मेरी समस्या ऐसी सुलझाओ, जिससे मुझे सन्तोष हो। उसके बाद ही सहायताका विचार उचित हो सकेगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री हरिवदन
हरिजनवास
नवसारी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४००६) से।

४४६. पत्र : रामचन्द्र बी० आठवलेको[1]

[२१ मार्च, १९३५][2]

प्रभाशंकरने मुझसे कहा कि मैंने नानालाल कविको नाराज होनेका काफी मौका दिया है। मुझे तो इसकी याद नहीं है। किन्तु अहिंसाका उपासक होकर मैंने किसीको नाराज होनेका मौका दिया हो, तो मैं तो उससे हजार बार माफी माँग लूं। अतः यदि आप इसका कोई कारण खुलासा कर पाये हों, तो मुझे बताइयेगा।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

४४७. पत्र : हीरालाल शर्माको

२१ मार्च, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारा पत्र मिला। तारके बारेमें समझा। मेरी मान्यता यदि तुमारे अनुभवसे विपरीत है तो उसका अमल न किया जाय। मैंने कोई आज्ञा नहीं भेजी है। मैंने तुमको छुट्टी दे रक्खी हैं। तुमारे अभ्यासके कारण अथवा द्रौपदीके कारण अथवा लड़कोंके कारण यहा आनेमें बहतरी है ऐसी अगर तुमारी मान्यता है तब ही आ जाना अच्छा है, अर्थात् तुमारे रहनेके बारेमें मैं तटस्थ हूं।

१. पहले गुजरात विद्यापीठ और फिर एस० एल० डी० आर्ट्स कालेज, अहमदाबादमें संस्कृतके प्राध्यापक।

२. साधन-सूत्रमें पत्रकी जगह परसे अनुमानित।

पूफरकी[1] दोनों पुस्तक मिल गई हैं। जीवन-चरित्र किसके चाहियें? अंग्रेजीमें या हिन्दीमें?

इन्डियन ड्रग्सकी[2] किताब मेरे पास तो काफी थी लेकिन सब किताब म्युनिसिपैलिटीको चली गई। अब तो नहीं है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १५२-५३ से।

४४८. भेंट: एक मिशनरीको[3]

[२२ मार्च, १९३५ से पूर्व][4]

एक मिशनरी मित्रने जो हमारे पास मिलने आये थे, गांधीजीसे पूछा कि ईसामसीहके उपदेशके प्रचारका सबसे ज्यादा प्रभावकारी तरीका क्या है, क्योंकि यही उनका उद्देश्य था।

[गांधीजी:] उनके उपदेशके अनुसार जीवन जीना ही सबसे प्रभावकारी तरीका है — प्रारम्भमें प्रभावकारी है, बीचमें भी और अन्तमें भी है। उपदेश देना मुझे खटकता है और उसका मेरे दिलपर कोई असर नहीं होता और मैं उन मिशनरियोंको जो उपदेश देते हैं, सन्देहकी नजरसे देखने लगता हूँ। लेकिन मैं उन्हें प्यार करता हूँ जो कभी उपदेश नहीं देते लेकिन अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार जीवन जीते हैं। उनके जीवन मौन हैं, पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी साक्ष्य हैं। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि क्या उपदेश दिया जाये, लेकिन यह कह सकता हूँ कि सेवामय जीवन और ज्यादासे-ज्यादा सादगी सबसे बड़ा उपदेश है। इसलिए यदि आप लोगोंकी सेवा करते जायें और उन्हें भी सेवा करनेको कहें तो वे समझेंगे। लेकिन आप उसके बजाय जॉन ३, १६ का उद्धरण देते हैं और उनसे विश्वास करनेको कहते हैं। मेरे दिलपर उसका कुछ असर नहीं होता, और मेरा विश्वास है कि लोग इसे नहीं समझेंगे। जहाँ उपदेश द्वारा ईसाई-मत स्वीकार किया गया है, मेरी शिकायत है कि वहाँ कुछ दूसरा उद्देश्य रहा है।

[प्र०:] लेकिन हम भी उसे समझते हैं और उससे बचनेका भरसक प्रयत्न करते हैं।

[उ०:] लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। एक संकीर्ण उद्देश्य पूरे उपदेशको बेकार कर देता है। यह जहरकी एक बूंदकी तरह है जो पूरे भोजनको विषाक्त

१. मूलमें इसके आगे यह शब्द कोष्ठकमें अंग्रेजी लिपिमें भी लिखा हुआ है।

२. मूलमें यह अंग्रेजी लिपिमें लिखा हुआ है।

३. हरिजनमें 'द मोस्ट एफेक्टिव वे' शीर्षकसे प्रकाशित महादेव देसाईकी रिपोर्टसे उद्धृत।

४. गांधीजीने अपना चार सप्ताहका मौन-व्रत २२ मार्चको शुरू किया था। इसलिए यह भेंट उसके पहले ही की होगी।

कर देती है। इसलिए मैं बिना किसी उपदेशके काम करना चाहूँगा। गुलाबको उपदेश देनेकी जरूरत नही है। वह तो महज अपनी सुगन्ध बिखेरता है। वह सुगन्ध ही उसका उपदेश है। यदि उसमे मानवीय समझ-बूझ होती और यदि वह काफी सख्यामे उपदेशक काममे लगा सकता तो भी वे उपदेशक उतने गुलाब नही बेच सकते थे जितने कि स्वय सुगन्ध बेच सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवनकी सुगन्ध गुलाबकी सुगन्धसे उत्कृष्ट तथा सूक्ष्म है।[1]

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-३-१९३५

४४९. भेंट: मिशनरी महिलाओंको[2]

[२२ मार्च, १९३५ से पूर्व][3]

प्रश्न: जब आप गाँवोंके स्वास्थ्य और कल्याणके विषयमें सोचते है, क्या आप उन्हें किसी हदतक डॉक्टरी मदद देनेकी भी व्यवस्था कर रहे हैं?

गांधीजी: हम डॉक्टरी मददका नही, बल्कि रोगोसे बचावका प्रबन्ध कर रहे हैं। इसलिए हम सफाई और स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातोपर ध्यान देते हैं। मेरी तो यह राय है कि काफी मात्रामे डॉक्टरी मदद लोगोको केवल इसलिए दी जाती है ताकि लोग अधिक लाचार हो जाये। अधिकाश मामलोमे, एक तरहसे, डॉक्टरी मदद उनपर थोपी जाती है और इसलिए वह व्यर्थ जाती है। मेरे कुछ सहयोगी पासके एक गाँवमें जा रहे है जहाँ सडके गन्दगीसे भरी है। यदि वहाँके बच्चोकी आँखे खराब है और सभी तरहकी बीमारियाँ है तो कोई आश्चर्यकी बात नही है। फिलहाल हमारे कार्यकर्त्ताओके प्रयत्नोका गाँवके निवासियोपर कोई असर पड़ता नही प्रतीत होता है। लेकिन जब वे देखेगे कि चूंकि उनका गाँव पहलेसे ज्यादा साफ हो गया है और गन्दगी नही रही इसलिए वे भी अपेक्षाकृत बीमारियोसे बचे हुए है, तब वे इस अन्तरकी कद्र करेगे। यदि वहाँपर एक मुफ्त दवाखाना होता और जो कोई आता उसे दवाइयोंकी खुराके दी जाती तो कोई प्रगति नही होती। वास्तवमे ठोस कार्य तो गाँवोंकी सफाई करनेका है। हमारे दरवाजेपर ही अनिष्ट है जिससे पूरी तरह बचा जा सकता है, और फिर भी हमने सदियोसे अपने

१. महादेव देसाई कहते हैं: "लेकिन लगता है कि इस सबका कोई असर नहीं हुआ और आदरणीय सज्जन यह कोसते हुए वापस गये कि . . . 'श्री गांधी . . . शीघ्र ही वह समय आयेगा जब आपका मूल्याकन आपके धार्मिक विचारोंसे नहीं, बल्कि ईसामसीहके धार्मिक विचारोंसे किया जायेगा'।"

२. हरिजनमें 'द मोस्ट एफेक्टिव वे' शीर्षकसे प्रकाशित महादेव देसाईकी रिपोर्टसे उद्धृत। मिशनरी महिलाएँ नागपुरसे आई थीं।

३. देखिए पिछला शीर्षक।

गाँववालोको उसे झेलने दिया है। यह एक दुरूह कार्य है, जब कि मुफ्त दवाइयाँ बाँटना कही ज्यादा आसान है। लेकिन मै अपने सहयोगियोको आसान काम और सस्ती वाहवाहीसे बचनेको कह रहा हूँ। पहले हमें रोगोसे बचावपर ध्यान देना चाहिए और बादमें हम रोगसे निबट सकते हैं।

प्र० : तो आप डॉक्टर नहीं रखेंगे?

उ० : नही, यदि आप मुझे गलत न समझें तो। मैंने खुद डॉक्टरी मदद देनेका काम किया है। अभी पिछले महीने ही काठियावाड़में हरिजनोको डॉक्टरी द्वारा मुफ्त मदद दी गई जिन्होंने मोतियाबिन्द तथा आँखोकी अन्य बीमारियोंके ऑपरेशन किये। लेकिन मैं फिलहाल सर्व-साधारणके स्वास्थ्यकी रक्षाके उपायोकी बात कर रहा हूँ और जब मेरे कार्यकर्त्ता गाँवोंकी सफाईका प्राथमिक कार्य पूरा कर चुकेंगे तब भी मैं उन्हें केवल चार चीजें ही देना चाहूँगा — कुनैन, कैस्टर आयल, सोडा बाइ-कार्बोनेट और आयोडीन। किसी पाँचवी चीजकी जरूरत नही है।

प्र० : लगता है कि आप अपने कार्यक्रममें स्कूलोंको सबसे बादमें स्थान देते हैं?

उ० : नहीं। हम हरिजनोके लिए अनेक स्कूल चला रहे हैं और हरिजन बालकोंको अनेको वजीफे दे रहे हैं। उद्योग संघके कार्यमें मेरा स्कूलका कार्यक्रम जोड़ देनेका क्या लाभ? उसका उद्देश्य तो हरिजन संघ और चरखा संघके कामको पूरा करना है। चरखा संघके पास काम चलानेके लिए २० लाख रुपये है और हरिजन संघके पास भी काफी कोष हैं। मैंने अपने-आपसे कहा कि अब मुझे एक ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए जिसके लिए बहुत कम कोषकी जरूरत हो और जिससे गरीबोंकी आमदनी बढ़े। तो यदि मैं गाँवके लोगोसे केवल इतना ही कह सकूँ कि वे मनुष्यकी खाद बर्बाद न करे, बल्कि उससे अच्छा काम ले तो मैं बिना किसी पूँजीके लगाये उन्हें प्रतिवर्ष ५० करोड़की बचत करनेमें मदद दे सकता हूँ। मनुष्यके पाखानेको गड्ढोमें गाड़कर और मिट्टीकी पतली परतसे ढँककर अच्छी खाद तैयार करनेकी यह विधि मैंने डॉ० पूअरसे सीखी थी और यह सबसे सरल और सबसे ज्यादा कारगर तरीका है, जबकि उसका गाढ़ा-चिकना कीच बनानेवाली और सेप्टिक टैंकोवाली विधियाँ अपेक्षाकृत खर्चीली हैं।

प्र० क्या आपका हरिजन संघ लोगोंके आध्यात्मिक कल्याणके लिए कुछ करता है?

उ० : मेरे लिए नैतिकतामें ही अध्यात्म शामिल है और इसलिए आपके प्रश्नका जवाब होगा "सब-कुछ करता है" और "कुछ नही करता"। कुछ नही, क्योकि उनके आध्यात्मिक कल्याणकी देखभालके लिए हमारे पास कोई विभाग नही है। सब-कुछ इसलिए कि हम यह आशा करते है कि कार्यकर्त्ता जिन लोगोके बीच काम करते हैं, उनके साथ अपने व्यक्तिगत सम्पर्कसे वे उन्हे बदल देंगे। वैसे भी हम मिथ्या-चारकी कुण्डलीमे फँसे हैं; लेकिन जब आप इस कामके लिए अलग एक विभाग कर देते है तो कामको दोगुना कठिन बना देते हैं। एक सुधारककी हैसियतसे अपने

जीवनमें मैंने हर चीजको नैतिक दृष्टिसे देखा है। चाहे मैं एक राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक प्रश्नको सुलझानेमें लगा होऊँ, उसका नैतिक पक्ष हमेशा सामने आ जाता है और उसपर मेरा सारा ध्यान लगा रहता है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि हरिजनोंके आध्यात्मिक कल्याणके लिए मेरे यहाँ कोई विशेष विभाग नहीं है।

प्र० : लेकिन हम ईसाई लोगोंको लगता है कि हमें, जिनके पास कुछ बाँटनेको है, उसे दूसरोंके साथ मिल-बाँटकर चलना चाहिए। यदि हमें सान्त्वना चाहिए तो हम उसे 'बाइबिल' से पाते हैं। अब रही हरिजनोंकी बात, जिन्हें हिन्दू-धर्मसे कोई शान्ति नहीं मिलती, उनकी आध्यात्मिक जरूरतको हम कैसे पूरा करें?

उ० : गुलाबकी तरह हूबहू व्यवहार करके। क्या गुलाब अपनी घोषणा करता है, या वह स्वयं प्रचार करता है? क्या उसके पास मिशनरियोंकी सेना है जो उसके सौन्दर्यकी घोषणा करती है?

प्र० : लेकिन मान लीजिए कि कोई हमसे पूछे, 'तुम्हें यह सुगंध कहाँसे मिली'?

उ० : गुलाबके पास यदि समझने और बोलनेकी शक्ति होती तो वह कहता, 'मूर्ख, क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि यह सुगन्ध मुझे अपने निर्मातासे मिली है?'

प्र० : लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है, 'तो क्या कोई पुस्तक नहीं है'?

उ० . आप तब कहेंगे, 'हाँ, मेरे लिए 'बाइबिल' है।' यदि वे मुझसे पूछें तो मैं कुछको 'कुरान,' कुछको 'गीता' और कुछ को 'बाइबिल' और कुछको तुलसीदासकी 'रामायण' पेश करूँगा। मैं एक बुद्धिमान डॉक्टरकी तरह हर मरीजको उसके लिए जरूरी नुस्खा लिखूँगा।

प्र० : लेकिन मुझे 'गीता' से ज्यादा कुछ पा सकनेमें कठिनाई होती है।

उ० : आपको हो सकती है, लेकिन मुझे 'बाइबिल' या 'कुरान' से बहुत कुछ पानेमें कोई कठिनाई नहीं होती।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-३-१९३५

४५०. पत्र : मेडेलीन रोलाँको

[२२ मार्च, १९३५ से पूर्व][1]

प्रिय मेडेलीन,

मैंने अभी-अभी प्यारेलालको लिखा तुम्हारा पत्र पढा है। ईश्वरकी कृपासे मैं शीघ्र ही पूर्ण मौन-व्रत करने जा रहा हूँ; इस प्रकार मैं तुम्हारे पत्रका उत्तर तुरन्त देनेमे समर्थ हो सकूंगा। हाँ, मुझे सन्त[2] के लम्बे पत्रका पूरा-पूरा उत्तर देना चाहिए। किन्तु, इस "पूरा-पूरा" विशेषणसे मुझे भय लग रहा है। मेरे पास इतना वक्त नही है कि मै उस पत्रके साथ पूर्ण न्याय कर सकूं। लेकिन मौनके इन दिनोमें उत्तर लिखनेकी कोशिश तो मै करूँगा ही। तुम्हारा प्रश्न बडा सीधा है। समाजवादकी उसके अधिकृत कार्यक्रममें की गई व्याख्यासे मेरा विरोध है। समाजवादके सिद्धान्तो अथवा दर्शनसे मेरा कोई विरोध नही है। वहाँ इसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम निश्चित किया गया है, वह हिंसाके विना सफल नही हो सकता। यहां समाजवादी हिंसाको हर हालतमे त्याज्य नही मानते। अगर उन्हें लगे कि हथियारोकी मददसे शक्ति हथियाई जा सकती है, तो वे खुले आम हथियारोका इस्तेमाल करने लगेगे। उनके कार्यक्रममें कुछ और भी बाते हैं, जिनका जिक्र करनेकी मैं जरूरत नही समझता। पता नही इस जवावसे तुम्हारा काम चल सकता है या नही। फिर भी, तुम अपनी कठिनाइयोको साफ-साफ लिख भेजना।

तुम दोनोको प्यार!

बापू

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९७३७) से; सौजन्य: आर० के० प्रभु।

१. साधन-सूत्रमें "२८ मार्च" है। लेकिन पत्रकी विषय-वस्तुसे यह स्पष्ट है कि गांधीजी ने यह पत्र मौन-व्रत शुरू करनेसे पहले लिखा था। उन्होंने मौन-व्रत २२ मार्चसे शुरू किया था।

२. रोमाँ रोलाँ।

४५१. टिप्पणियाँ

'धर्म-परिवर्तन' का दुःख

देवकोटाके एक हरिजन-सेवकने अपनी तरफके हरिजनोके ईसाई हो जानेके विषयमे मुझे एक दु खजनक पत्र लिखा है। लोगोसे यह छिपा नही है कि उधरके हरिजनोको नट्टार लोग किस तरह बराबर सताते आ रहे है। दिन-रातकी साँसतसे तग आकर और सवर्ण हिन्दुओसे मामूली मदद पानेकी भी आशा छूट जानेपर अगर गरीब हरिजन ईसाई-धर्मकी शरणमे चले जाये, तो हमे इसमे आश्चर्य नही करना चाहिए। और अगर हम अपने दु खको प्रबल कार्यशक्तिमे परिणत नही कर सकते तो वह बिलकुल व्यर्थ है। शारीरिक कष्टके दबावमे किया हुआ धर्म-परिवर्तन कोई आध्यात्मिक धर्म-परिवर्तन तो है नही। लेकिन अगर हरिजन अपनी भौतिक स्थिति सुधारने और सवर्णोकी यन्त्रणाओसे बचनेके लिए अपना धर्म बदल रहे है तो इसपर हम क्यो कुढे?

दु.ख तो हमे उनके धर्म-परिवर्तनके कारणपर होना चाहिए। हमे यह देखना और कबूल करना चाहिए कि इस धर्म-परिवर्तनका कारण सवर्ण हिन्दू है। अगर देवकोटाके सवर्ण हिन्दुओको यह खबर होती कि वहाँके हरिजनोके प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है, तो नट्टार लोगोकी, जो खुद सवर्ण हिन्दू है, इस तरह हरिजनोको सतानेकी कभी हिम्मत ना पडती, वे जरूर समझते कि हरिजन भी उसी मानव-कुटम्बके है जिसके कि वे है। पत्र-लेखकने मेरे सामने यह तजवीज रखी है कि बाहरके कुछ सज्जन देवकोटा जाये और वहाँ नट्टारो और हरिजनोके बीच काम करे। यह होता तो अच्छा ही था। मगर इस तरह कभी-कभी बाहरके भूले-भटके लोगोके एकाध चक्कर लगा आनेसे कोई सच्चा फल हासिल होगा, इसमे मुझे सन्देह ही है। ऐसा कोई भी प्रयत्न उन डॉक्टरोके प्रयत्नकी तरह निश्चय ही निष्फल जायेगा जो रोगियोके पास जाते और उनका इलाज करनेका जतन तो करते है, पर रोगी खुद उनकी बताई हुई दवाइयोका सेवन नही करते। रोगसे तो सवर्ण हिन्दुओके दोनो ही पक्ष ग्रस्त है – वे सवर्ण हिन्दू जो अलग खडे-खडे यह सब देख रहे है, और नट्टार सवर्ण हिन्दू। नट्टार तो हरिजनोको पीडित करनेमे लगे है, और दूसरे सवर्ण हिन्दू अपराधपूर्ण उदासीनतासे ग्रस्त है। बाहरके आदमी तो अधिकसे-अधिक यही कर सकते है कि वे वहाँ जायें, लक्षण देखकर रोगको पहचानें और नुस्खा बता दें। दवाका लेना मरीजका काम है। सो देवकोटाके सवर्ण नवयुवक रोगका कारण और उसकी दवा भी जानते ही है। क्या वे उसे काममे लायेंगे? ठक्कर बापा या तो वहाँ पहुँच गये होगे या पहुँचनेवाले होगे। क्या वे लोग उनकी सलाहपर ध्यान देगे? यह धर्म-परिवर्तन तो उस रोगका एक छोटा-सा परिणाम है। धर्म-परिवर्तन तथा इससे भी बुरे अनेक परिणामोको रोकना है तो रोगके मूल कारण को दूर कर दो।

ग्राम-कार्यकर्त्ताओंके लिए तकली

गाँवोमे बहुत-से कार्यकर्त्ता वस्त्र-स्वावलम्बनका प्रचार करनेकी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कातनेके साधनके रूपमे तकलीकी शक्तिपर ध्यान देनेके लिए कहूँगा। मैं इस विषयमे पहले भी लिख चुका हूँ। बडी सावधानीसे इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि सत्याग्रह आश्रम और अन्य सहयोगी संस्थाओने यह दिखा दिया है कि औसत कातनेवाला अगर तकलीको ठीकसे चलाये तो तकली चरखेके बराबर ही सूत देती है। जो व्यक्ति बिलकुल ही अशक्त नही है और जो पारिश्रमिककी दृष्टिसे नही, अवकाशके समयका उपयोग करनेकी दृष्टिसे कातना चाहता है, उसके लिए तो तकली हर तरहसे चरखेका स्थान ले सकती है। इसलिए कार्यकर्त्ताओको गाँवोमें चरखेकी जगह तकलीका प्रचार करनेके विचारसे उसके प्रयोगकी नयी पद्धति सीख लेनी चाहिए। बूढे और दुर्बल व्यक्तियोके लिए तो चरखा ही जरूरी रहेगा। चरखा 'लीवर' पद्धतिसे कार्य करनेवाला तकलीका ही प्रकार है। मांसपेशियाँ कमजोर होनेके कारण लोग जितना वजन नही उठा सकते, 'लीवर'की सहायतासे उससे कई गुना वजन सहज ही उठा सकते हैं। इसी प्रकार जो चुटकीसे तकलीको पर्याप्त गति नही दे सकता, वह चरखेसे उसे गति दे देता है और चरखेमें तकलीकी तरह बार-बार हाथको ऊपर ले जाने और नीचे लानेकी भी जरूरत नही पडती।

ग्रामसेवककी यात्रा

श्री सीताराम शास्त्री ग्रामसेवकोकी ऐसी यात्राओका आयोजन कर रहे हैं जिन्हे हम तीर्थ-यात्रा कह सकते हैं। ये ग्रामसेवक अपने इर्द-गिर्दके गाँवोमे ग्राम-सेवाका सन्देश लेकर जाते हैं। शास्त्रीजीने दूसरी तीर्थ-यात्राका जो सक्षिप्त विवरण मेरे पास भेजा है, उसका कुछ अश मैं नीचे देता हूँ.

> दूसरी यात्रा १७ फरवरीके प्रातःकाल आरम्भ हुई और ४ मार्चकी शामको समाप्त हुई। इस यात्रा-दलमें ८ आदमी थे। दलके नेता श्री एन० वेंकटचेलपति और श्री रामिनेनी अपय्या थे। दो ने चार-चार दिन काम किया, एकने ग्यारह दिन, और पाँचने लगातार।
>
> ये लोग बापटला तालुका[1] के १३ गाँवोंमें, टेनाली तालुका[2] के एक गाँवमें और रेपल्ली तालुकाके एक गाँवमें, इस तरह कुल १५ गाँवोमें गये। उन्होंने रेलसे, मोटरसे, बैलगाड़ीसे और पैदल यात्रा की; कुल ७५ मीलकी यात्रा की।
>
> इन लोगोंने ४ गाँवोंमें मैजिक लालटेनकी सहायतासे व्याख्यान दिये और ५ गाँवोंमें ग्रामोफोनसे काम लिया।

१ और २. आन्ध्र प्रदेशमें।

गाँवोंमें उन्होंने नीचे लिखी चीजें बेचीं :		रु० आ० पा०
खादी	मूल्य	१,०३०–१०–६
स्वदेशी चीजें	"	१३५–१५–९
मिट्टीके बासन	"	३– ७–०
तकलियाँ २	"	०– ३–०
उस्तरे ५	"	२–१३–०
भृंगामलक तैलम (२ पौंड १० औंस)	"	४– ६–०
जूते और चप्पल (४२ जोड़े)	"	३४–१४–०
	कुल	१,२१२– ५–३

उस्तरे ओंगोल तालुका[1] के अन्तर्गत चेरकम्पालमके बने हुए थे, और तकलियाँ और जूते तथा चप्पल खुद विनयाश्रममें तैयार किये गये थे।

इस यात्रामें पहली यात्राकी अपेक्षा बिक्री अधिक हुई। यात्रामें कुल रु० ३६–३–३ खर्च हुए।

कार्यारम्भ यह अच्छा है। पर मैं सलाह दूँगा कि ग्राम-यात्रियोंको रेल, मोटर और गाँवकी बैलगाड़ियोंतक की सवारीसे परहेज रखना चाहिए। अगर वे मेरी सलाह मानेंगे तो देखेंगे कि उनके कामका और भी अधिक असर पड़ेगा और असलमें एक पाई भी उनकी खर्च न होगी। दो-तीन आदमियोंसे अधिक का यात्री-दल नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि ग्रामवासी छोटे-छोटे यात्री-दलोंको अपने घरोंमें टिका भी लेंगे और उन्हें प्रेमसे रोटी-भाजी भी खिला देंगे। भार तो बेचारे गाँववालोंपर बड़े-बड़े यात्री-दलोंकी मेहमानीका पड़ता है, दो-दो, तीन-तीन सेवकोंकी छोटी-छोटी टोलियोंका नहीं।

इन ग्रामसेवकोंको अधिक ध्यान ग्रामोंकी आरोग्यता और स्वच्छतापर देना चाहिए। उन्हें गाँवोंकी अवस्थाके तथ्य और आँकड़े इकट्ठे करने चाहिए। गाँववालोंको ऐसी सलाह देनी चाहिए कि बिना अधिक पूँजी लगाये वे कौन-सा उद्योग कर सकते हैं और किस तरह वे अपने स्वास्थ्य और आर्थिक अवस्थाको सुधार सकते हैं। अगर हमें गाँवोंको अधिकसे-अधिक स्वाश्रयी बनानेका प्रयत्न करना है तो जिन गाँवोंमें हम जायें वहाँ दूसरे गाँवोंकी बनी हुई चीजोंकी बिक्रीकी अधिक गुंजाईश नहीं है। हाँ, वहाँकी बात दूसरी है जहाँ यह स्पष्ट हो जाये कि गाँववाले अपने गाँवोंमें ऐसी चीजोंको या तो तैयार करते नहीं या कर नहीं सकते। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघने ग्रामसेवाका जो संकल्प किया है वह अनूठा है। शहरवालोंके दल गाँवोंमें सफाई करनेके लिए, सिखानेके लिए और वहाँकी बनी चीजें खरीदनेके लिए

१. आन्ध्र प्रदेशमें।

जायें। और गाँववालोके दल शहरोमें अपने यहाँकी चीजें वेचने और उनकी उपयोगिता प्रदर्शन द्वारा प्रमाणित करनेके लिए भेजे जा सकते है।

इस ग्रामोद्धार-आन्दोलनका उद्देश्य एक प्रकारसे विकेन्द्रीकरण है और यह है कि गाँववालोके स्वास्थ्यमें सुधार किया जाये और वहाँके कारीगरोकी कला को प्रोत्साहन दिया जाये।

गायका घी बनाम भैंसका घी

डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोषने गाय और भैंसके घी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। वे लिखते है :[1]

सामान्य पाठकके लिए यह अध्ययन बहुत ही शास्त्रीय है। इन दोनो पशुओके दूधके विषयमे तो निश्चित मत है, किन्तु घीके बारेमे रायें इतनी असदिग्ध नही है। फिर भी रासायनिक विश्लेषणसे यह तो साफ हो ही जाता है कि भैंसके घीमें गायके घीसे अधिक कोई गुण नही है। दोनों पशुओका साथ-साथ रक्षण सम्भव नही है। इसलिए हमें दोमें से एकको चुनना है ही। हर पहलूपर विचार कर लेनेके बाद गायको चुनना ही निश्चित होता है। यदि गायकी ठीक देखरेख की जाये और उसकी नस्ल सुधारते चले जाये तो हम जितना अच्छा और मधुर दूध पानेकी इच्छा कर सकते है, हमे गाय दे सकती है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-३-१९३५

४५२. मन्दिर-प्रवेश

'हरिजन-सेवक' के पाठकोंको यह तो मालूम ही है कि ठक्कर बापा हरिजन-कार्यके सिलसिलेमे आजकल दक्षिण भारतका दौरा कर रहे है। त्रावणकोरमे उनकी उपस्थितिका लाभ उठाकर वहाँके कार्यकर्त्ताओने अरणमूलामें एक हरिजन-सम्मेलन किया, जिसका सभापति उन्होने ठक्कर बापाको बनाया। यह सम्मेलन १० मार्चको हुआ। काफी बड़ी सख्यामें लोग इस सम्मेलनमे सम्मिलित हुए। सवर्ण हिन्दुओ की तरह हरिजनोकी भी खासी अच्छी उपस्थिति थी। इस सम्मेलनमें हरिजनोकी ओरसे ठक्कर बापाको एक मानपत्र दिया गया। मानपत्रमें मन्दिर-प्रवेशके प्रसगका यह अश काफी महत्त्वका है:

> यह हमारा अटल विश्वास है कि जबतक मन्दिरोंके द्वार हमारे लिए बंद है, तबतक अस्पृश्यताका कभी अन्त नहीं हो सकता और न होगा। मन्दिर-प्रवेश ही हमारे लिए इस हरिजन-आन्दोलनकी सफलताकी सबसे खरी कसौटी है।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। श्री घोषने लिखा था कि वैज्ञानिक अध्ययनसे यह बताना संभव नहीं है कि दोनोंमें से खानपानकी दृष्टिसे कौन-सा घी अच्छा है।

जबतक हमें मन्दिरोंमें प्रवेशका अधिकार नहीं दिया जाता, तबतक हमारे उद्धारके सारे प्रयत्न हमें झूठे मालूम होते है। हमें मन्दिर-प्रवेशका अधिकार दिलानेमें आप हरिजन-सेवक संघकी सारी शक्ति लगा दें, आपसे हमारी यही प्रार्थना है।

इसमे सन्देह नही कि जबतक प्रत्येक हिन्दूके लिए मन्दिरोके द्वार ठीक उसी तरह नही खुल जाते जिस तरह कि दूसरे हिन्दुओके लिए खुले हुए हैं, तबतक अस्पृश्यताका अन्त नही होगा। पूजाका सार्वजनिक स्थान ही सर्व-सामान्य धर्मका सबसे-अचूक प्रमाण है। इसमे आश्चर्य नही कि हरिजनको दूसरे तमाम प्रयत्न झूठे प्रतीत होते है। पर चूंकि वे झूठे प्रतीत होते हैं, इसलिए वे वास्तवमे झूठे ही है, यह बात नही है। सैकडो हरिजन-सेवक ऐसे है जिनका अस्पृश्यता दूर करनेका प्रयास सिर्फ इसलिए असत्य नही कहा जा सकता कि वे आज हरिजनोके लिए प्रत्येक मन्दिरका द्वार नही खुलवा सकते। जो बीज बो दिया गया है वह कभी मरनेका नही, उसका जब समय आयेगा तब फल अवश्य लगेगा। बडे-बडे वृक्षोके बीज अंकुरित होनेमे बहुत समय ले लेते है, तो भी हर मिनट वे उगते रहते है। इसी तरह मन्दिर-प्रवेशका बीज धीरे-धीरे अकुरित हो रहा है। जबतक हरेक सार्वजनिक मन्दिर हरिजनोके लिए नही खुल जाता, तबतक सुधारक आरामसे नही बैठेगे। ये तमाम सुधार-कार्य मन्दिर-प्रवेशकी दिशाकी ओर ही ले जा रहे है। हम सब लोगोको, जो हरिजन-सेवा करना चाहते है, हरिजनोके उक्त मानपत्रने यह बात अच्छे समय पर याद दिलाई है कि चूंकि आजकल अखबारोमे मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी कोई चर्चा नही रहती, इसलिए हम यह न सोचे कि यह प्रश्न छोड़ दिया गया है। वे इस प्रश्नपर सार्वजनिक आन्दोलन न करे, पर कार्यकर्त्ताओको चाहिए कि वे निजी तौरपर अपने पडोसियोको अपने पक्षमे मिलाते रहे और सम्बन्धित ट्रस्टियो तथा मन्दिरोमें जानेवालोको मन्दिर खोल देनेके सम्बन्धमे समझाते रहें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-३-१९३५

४५३. निर्देश : अ० भा० ग्रामोद्योग संघके सदस्योंको

जिस रूपमें प्रतिज्ञापत्र[1] हमारे सामने है, इरादतन उसी रूपमें बनाया गया है। यह सामान्य रूपका प्रतिज्ञापत्र है। यह एक भद्र पुरुषकी प्रतिज्ञा है। 'भारत-वर्षके ग्रामवासियोंका सब तरहसे हित-साधन करनेका संघका जो उद्देश्य है, उसे पूरा करनेके लिए मैं अपनी शक्ति और बुद्धिको अधिकसे-अधिक काममें लाऊँगा'—इन शब्दोंका अर्थ प्रत्येक स्त्री या पुरुष सदस्यकी अपनी सत्यनिष्ठा पर छोड़ दिया गया है।

सदस्योंने *केवल संघकी उद्देश्य-सिद्धिके लिए काम करनेकी ही नहीं बल्कि* 'संघके आदर्शोंको अपने आचरणमें उतारने तथा गाँवोंकी बनी हुई चीजोंको ही काममें लानेकी' भी प्रतिज्ञा की है।

इसलिए सिफारिश करते हुए व्यवस्थापक-मण्डलका सदस्य यह जरूर देखेगा कि सदस्यताका उम्मीदवार अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिमें ग्रामवासियोंका हित हृदयसे चाहता है या नहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि ऐसा व्यक्ति कमसे-कम अपना कुछ समय नित्य गाँवोंके काममें देगा। यह जरूरी नहीं कि वह काम गाँवोंमें जाकर ही करेगा, पर यह जरूरी है कि वह गाँवोंके लिए काम करेगा। इस तरह शहरमें रहनेवाला सदस्य किसी दिन अगर किसी आदमीको गाँवकी बनी कोई चीज बेचता है अथवा खरीदनेके लिए उसे समझाता है, तो यह माना जा सकता है कि उस दिन उसने कुछ ग्राम-सेवा की है।

सिफारिश करनेवाला सदस्य यह भी देखेगा कि उम्मीदवार, जहाँतक सम्भव है, खुद गाँवकी बनी हुई चीजोंको ही काममें लाता है—जैसे, मिलके कपड़ेकी जगह खादी, कारखानेके बने चीनी मिट्टीके बर्तनोंकी जगह गाँवोंके बने मिट्टीके बर्तन, होल्डरकी जगह बरूकी कलम, साधारण कागजके स्थानपर हाथका बना कागज, अत्यन्त गन्दे और हानिकारक आधुनिक टूथब्रशके स्थानपर बबूल या नीमकी रोगाणु-नाशक दातुन, बाजारमें मिलनेवाली चमड़ेकी चीजोंकी जगह गाँवोंके कमाये हुए चमड़ेकी गाँवोंमें बनी हुई चीजें, मिलकी शक्करके बदले गाँवोंका गुड़, मिलके चावलकी जगह हाथका कुटा चावल, आदि।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २२-३-१९३५

१. देखिए परिशिष्ट २१।

४५४. पत्र : हरिभाऊ फाटकको

२२ मार्च, १९३५

प्रिय हरिभाऊ,

तुम्हारा १० तारीखका पत्र मुझे कल ही मिला। महादेव कलकत्ता चला गया था, इसीलिए चिट्ठी-पत्रीके कामकी देखभाल नही हो सकी।

प्रदर्शनीकी तारीख क्या है? खैर, अगर वहाँ कोई आदमी तकली चलानेमें गति अधिक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक हफ्तेके लिए यहाँ भेज दो। पूनामें एक या दो दिन उसका प्रदर्शन करने-भरसे वह मतलब पूरा नही होगा जो तुम्हारे दिमागमें है।

चावलका क्या हुआ? हम चावलको अपने हाथोसे ही कूटकर तैयार कर रहे है।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३७०) से।

४५५. पत्र : आर० एस० हुकेरीकरको

२२ मार्च, १९३५

प्रिय हुकेरीकर,

मेरे खयालसे, जब कांग्रेसके ग्रामसेवक कार्यकर्त्ताओंको आमन्त्रित किया जाये, तो उन्हे वहाँ जाना चाहिए और बैठकमें अपने विचार रखने चाहिए। यदि किसी बात पर सहमति हो तो हमें सहयोगसे काम करना चाहिए। एक सच्चे ग्राम-कार्यकर्त्ताके लिए प्रतिष्ठाकी बात तो कदापि उठनी ही नही चाहिए; वह प्रभाव या प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिए काम नही करता, वह तो इसलिए काम करता है कि उसे वह अपना कर्त्तव्य मानता है। वह गाँववालोकी सेवा किये बिना नही रह सकता।

किन्ही निश्चित परिस्थितियोमें कोई क्या करे, यह तो उक्त परिस्थितियोपर आधारित उसके अपने निर्णयपर ही पूरी तरह निर्भर है।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत आर० एस० हुकेरीकर
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी
धारवाड़, कर्नाटक

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य : प्यारेलाल।

४५६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२२ मार्च, १९३५

भाई वल्लभभाई,

पहले दिनके मौन[1] का रस चख रहा हूँ। राजकुमारीके साथ बोलनेकी छूट रखी है। वह खास तौरपर मिलने आई है, इसलिए उसका दिल कैसे दुखाऊँ? चार दिनसे आई है, परन्तु वास्तवमें बात तो आज ही कर सका हूँ।

मेरे खयालसे आप सिर्फ यह बतानेके लिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली लिखें तो अच्छा हो।

. . .[2] का प्रकरण दुःखद है। उन्हें लिख रहा हूँ। उन्हें आपके पास तो हरगिज नहीं बुलवाया जा सकता। मैं जो पत्र लिखूंगा उसकी नकल आपको भेजूंगा। उससे पता चल जायेगा।

आज अधिक नहीं लिखूंगा। मुन्शीका पत्र आ गया है। इसके बारेमें अधिक महादेव लिखेंगे।

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
वड़ोदा।

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५४

१. गांधीजीने २२ मार्चसे १९ अप्रैलतक मौन-व्रत लिया था।
२. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

४५७. पत्र : कोतवालको[1]

२२ मार्च, १९३५

भाई कोतवाल,[2]

तुम्हारा कागज मिला। रोज उगाई[3] होती होगी। जो नियमसर नहीं हो, तो बहुत मुश्केली आवेगी। मुझे लगभग रोजका हिसाब मिलना चाहिये। . .[4] मुझे साहित्य भेज दो।

बापू

वीणा, श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल-मई, १९६९ से।

४५८. पत्र : रा०[5] को

२२ मार्च, १९३५

ग०[6] को किसी रोज खत लिखना चाहीये। ठीक चल रही लगती है। उसका भाई आया है, कहता है उसको उसकी माताके पास भेजो। माता बीमार है और सुवावड वहां करना चाहती है। मैंने कहा रा० की सम्मतीके सिवाय म नही भेज सकता हूं। तुमारा अभिप्राय लिखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २०८) से।

१. मूल पत्र, जो गुजरातीमें था, उपलब्ध नहीं है।

२. अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इन्दौरके लिए नियुक्त प्रबन्ध-समितिके सदस्य।

३. गांधीजीने हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके लिए एक लाख रुपया एकत्रित करनेको कहा था।

४. साधन-सूत्रमें छोड़ दिया गया है।

५ व ६. नाम छोड़ दिये गये है।

४५९. समवेदना-सन्देश : टी० ए० के० शेरवानीकी मृत्युपर[1]

नई दिल्ली
२३ मार्च, १९३५

शेरवानीकी मृत्युसे देशका एक महान सद्पुरुष तथा देशभक्त उठ गया। वे ऐसे समय हमारे बीचसे चले गये जब हमें उनकी बहुत जरूरत थी। कृपया हमारी हार्दिक समवेदना उनके परिवारतक पहुँचायें।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २४-३-१९३५

४६०. पत्र : जमनालाल बजाजको

२३ मार्च, १९३५

चि० जमनालाल,

इस पत्रके साथ सारे कागजात वापिस भेज रहा हूँ। पाटिलको लिखा पत्र भी साथमें है। तुम्हें अच्छा न लगे, तो मत भेजना।

सुचेता खुशीसे आये। जब इच्छा हो लेते आना। आज प्रार्थनाके लिए क० आ०[2] जाना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५८) से।

४६१. पत्र : वैकुंठलाल एल० मेहताको

२३ मार्च, १९३५

भाई श्री वैकुंठ,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने पढ़ लिया है; तभी तुम्हें लिख रहा हूँ। तुम्हारी अन्तरात्मा जो कहे, वही करो। तुमपर दबाव डालना मुझे शोभा नहीं देगा और वह तुम्हारे साथ न्याय भी नहीं होगा। तुम्हारा पत्र यदि बतौर चेतावनीके हो, तो मुझे नहीं चुभता। किन्तु यदि मेरे अथवा महादेवके किसी निर्णयपर पहुँचनेके

१. टी० ए० के० शेरवानी; संयुक्त प्रान्तके कांग्रेस-कार्यकर्ताकी मृत्यु २२ मार्चको हुई थी और गांधीजी ने मृतकके परिवारके लिए अपनी समवेदना डॉ० अन्सारीकी मार्फत भेजी थी।

२. कन्याश्रम।

लिए ही, तो निर्णय तो तुम्हारे द्वारा ही लिया जा सकता है। मनुष्य अपने मनको अधूरा ही जानता है, पूरा तो भगवान ही जानता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३६१) से।

४६२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[२३ मार्च, १९३५ के पश्चात्][1]

भाई वल्लभभाई,

मौनका एक लाभ यह है कि हर दिनकी डाकका निवटारा उसी दिन हो जाता है। उसमें कमसे-कम तीन घंटे लग जाते हैं, शेष समय पिछड गये कामोको पूरा करनेमें लगता है।

× × ×[2]

अब दिल्ली या बम्बई पत्र लिखनेकी जरूरत नही रह गई। भाईलालको तो खबर दे ही दी होगी।

महामारी-सम्बन्धी पत्रक पढ गया हूँ। सरकार या स्थानीय निकायोवाला वाक्य अच्छा नही लगा। अभी क्या यह सब असगत नही है? निश्चय ही इससे हमारा कोई लाभ नही होगा। सं० प्रा० का काम जरा नाजुक है। तुम निभा पाओगे क्या?

बापूके आशीर्वाद

सरदार वल्लभभाई पटेल
सत्याग्रह छावनी
बोरसद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ १५७

१. वल्लभभाई प्लेगसे पीड़ित लोगोंके बीच सहायता-कार्य करनेके लिए २३ मार्चको बोरसद पहुँचे थे।
२. साधन-सूत्रके अनुसार।

४६३. पत्र : अमतुस्सलामको

२४ मार्च, १९३५

चि० अमतुस्सलाम,

प्यारी बीबी,

तेरा खत मिला। मैं क्या कहूँ? अगर हरिजन-वासमें दूसरे कोई रहे और मलकानी और देवदास इजाजत देवे तो जा। जिस तरह तबीयत अच्छी रहे, वही कर।

बायें हाथसे ज्यादा नही लिख सकता।

चरखा वगैरा मिल गया होगा और कुछ चाहिए तो लिखना। मैंने तो तुझसे आग्रह करना छोड ही दिया है। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करके तू तन-दुरुस्त और मन-दुरुस्त हो जा। डॉ० अन्सारी जैसा कहे वैसा कर। डॉ० खान साहब और मेहरताजसे मिलती है क्या? न मिलती हो तो मिलना। शर्माके पास जाना हो तो जाना। लेकिन उसपर बहुत बोझ है। घरमें जगह नही होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे तेरा आना बोझ नही लगेगा। डॉ० अन्सारीकी इजाजत लेकर जाना।

तुझे मैंने ईद मुबारक तो भेजा है न? मैं २० अप्रैलको इन्दौर होऊँगा। वहाँ चार दिन बीतेंगे। तुझे आना है? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और प्रदर्शनी है।

अब तो तेरे खतका जवाब बाकी नही रहता।

बापूकी दुआएँ

[पुनश्च :]

तेरी झोपडी ३०० रु० में न हो तो ज्यादा खर्च भी किया जा सकता है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२०) से।

४६४. पत्र : जमनालाल बजाजको

२४ मार्च, १९३५

चि० जमनालाल,

मदालसा काठगोदाममें तुम्हारे साथ हो ले, यह ठीक लगता है। इतनेमें उसके फोड़ेका भी पता लग जायेगा।

राजेन्द्रबाबूके विषयमें व्यावहारिक बात ही करना। गिरवी या बयनामा लिखाना ब्याज रखना। कमसे-कम रखना।

भुवालीमें तबीयत ठीक न रहे तो तुरन्त छोड़ देना। लक्ष्मी नारायण गाडोदिया कमलाको शाकका पार्सल भेजते थे। कमला लिखती है कि वे अच्छे नहीं होते थे, इसलिए बन्द कर दिया है। शाक-फलकी तलाश करना।

सरूपको अपने जानेकी खबर देना। मेरे बारेमें जो बताना ठीक समझो, बताना।

अपनी खुराकके बारेमें मदालसा खुद देख लेगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९५९) से।

४६५. पत्र : नारणदास गांधीको

२४ मार्च, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला।

दूसरा शिक्षक भी चला गया हो तो कोई चिंताकी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़ानेके लिए क्या वहाँसे कोई नहीं मिल सकता? भुजगीलाल छायासे पूछो। वह पोरबन्दरके एक वकीलका लड़का है और मुझसे पत्र-व्यवहार रखता है। या नानाभाईसे पूछो। शिक्षकको तुम क्या दोगे? क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि कोई केवल एक-दो घंटे आकर पढ़ा जाये?

सन्तोकने पत्र मुझे अवश्य लिखा था।

क्या तुम अमतुस्सलामको लिखते हो? वह दिल्लीमें है, देवदासके साथ। आजकल बीमार है।

मेरे मौनका यह तीसरा दिन है। इस बीच जो बहुत-सारा काम इकट्ठा हो गया था उसे ठीक गतिसे निपटाता जा रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माईक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३३ से भी; सौजन्य नारणदास गांधी।

४६६. पत्र: वसुमती पण्डितको

२४ मार्च, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिला। लगता है ठीक काम कर रही है। भाजी खूब बो दो, तो बारह महीने खूब मिलती है।

मेरा वजन १०९ पौंड है।

दो दिनसे सब भापमें पक रहा है, जिससे समयकी खूब बचत होती है।

बापूके आशीर्वाद

श्री वसुमतीबहन
उद्योग मन्दिर
बोचासण (बोरसदके पास)

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९६) से। सी० डब्ल्यू० ६४२ से भी, सौजन्य: वसुमती पण्डित।

४६७. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको

२४ मार्च, १९३५

भाई घनश्यामदास,

यदि मलकानी और वियोगी हरिको हरिजन-कार्यसे असन्तोष है तो ठक्कर बापाके आफिस आनेके बाद ये तीन मिलकर रिपोर्ट देवें, और उसपर सोचकर यथा-सम्भव परिवर्तन कर स्कॉलरशिप अगर लड़के-लड़कियोंको पहूंचती है तो मुझे तो यह खर्च योग्य मालुम होता है। हां, इस प्रकारकी तालीम भले हम नापसन्द करे लेकिन हमारे लड़के वही पाते है, हमने अबतक और कोई चीज प्रजाके सामने अथवा हरिजनोंके सामने नहीं रखी है। जबतक ऐसी कोई जीवित वस्तु हमारे पास नहीं है तबतक हमारे स्कालरशिप देना पड़ता है। हमारी निजी पाठशालाओंमें सुधारके

लिये काफी स्थान है। हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं हैं। इसलिए दिल्लीका प्रयोग और साबरमतीका मुझे बहुत प्रिय है।

राजेन्द्रबाबूके बारेमें तार मिला था। हम सबकी चिन्ता दूर हुई। अब जमनालाल छपरा जाते हैं।

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००७ से, सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला।

४६८. पत्र : वियोगी हरिको

२४ मार्च, १९३५

भाई वियोगी हरि,

त्याग लेख योग्य है। लेख माला पढूंगा।

सतीशबाबुके कार्यमें क्या देखा? दूसरा भी जो मेरे जाननेके लायक हो मुझे बताना।

प्रभावतीका अभ्यास अब शरू किया जाय?

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९७) से।

४६९. पत्र : चन्द त्यागीको

२४ मार्च, १९३५

भाई चद त्यागी,

तुमारा खत मिला था, बलबीरका भी मिला।

राजकिशोरी मजेमें है। तुमको बुनाई नहीं आती है क्या? ऐसा ही है तो शीघ्रातिशीघ्र सीख लो। कातनेसे तो बहोत आसान है। लोढना, धुनना तो अच्छी तरह जानते होगे। तकलीकी नयी रीत भी जानते है ना? नहीं तो वह भी सीख लिया जाय।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२६८) से।

४७०. पत्र : डेकन एज्यूकेशन सोसायटीको

२५ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

शिक्षाके महान उद्देश्यके लिए डी० ई० सोसायटी तथा फर्ग्युसन कॉलेज की उच्चादर्शपूर्ण सेवाओंका रिकार्ड देखकर कौन उत्साहित न होगा?

मैं आगामी समारोहकी[1] सफलताकी कामना करता हूँ।

अभी इतना ही सन्देश भेजनेका समय मेरे पास है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९७३५) से; सौजन्य डेकन एज्यूकेशन सोसायटी, पूना।

४७१. पत्र : पुरातन जे० बुचको

२६ मार्च, १९३५

चि० पुरातन,

तुम्हारा पत्र मिला। [आश्रमको] भाड़ेपर देनेमें भावना क्यों नहीं होगी? हरिश्चन्द्र खुद बिक गये, उनकी स्त्री बिक गई, तो क्या उसके पीछे कोई भावना नहीं थी? हरिजनोंके हितके लिए आश्रम भाड़ेपर दिया जाये, इसमें भावनाका पोषण नहीं होता तो क्या होता है? मैंने आश्रम छोड़ा, तो भावनाके वश होकर ही तो।

इतने सारे मकानोंमें दीमक लग जाती है और वे बर्बाद हो जाते हैं। इसकी अपेक्षा वे भाड़ेपर दिये जायें और उनकी देखभाल होती रहे, यह कितना अच्छा है। जो हरिजन-सेवक नहीं है, वे सब हरिजनेतर व्यक्ति आज किराया दे रहे हैं, यह तो जानते हो न? सोनेकी कटार कमरमें ही शोभा देती है, लेकिन पेटमें भोंक दी जाये तो?

आश्रमके इतिहास आदिसे सम्बद्ध साहित्य यदि उस भूमिपर रखा गया, तो मैं अवश्य किराया माँगूंगा। वह भूमि हरिजनोंके लिए है। इसके सिवाय और कोई

1. सोसायटीका स्वर्ण-जयन्ती समारोह।

भी उपयोग हो, तो उसके लिए किराया लेनेमे ही उस भूमिकी पवित्रताकी रक्षा हो सकेगी, यह साफ बात है?

क्या इतना समझना भी मुश्किल है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१७१) से।

४७२. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

२६ मार्च, १९३५

चि० नरहरि,

कुमार मन्दिरकी सफलताके बारेमे मुझे सन्देह है। जहाँ हमारे बच्चे है, वही जो परिवर्तन कराये जा सकते हो कराकर हमे सन्तोष करना चाहिए। यह मेरे मनकी बात है, किन्तु वहाँका वातावरण कैसा है, यह मै क्या जानूं? निश्चयात्मक निर्णय देनेके लिए मेरे पास साधन भी तो नही है। इसीलिए सरदारकी जो इच्छा थी, मै उससे सहज ही सहमत हो गया हूँ। इसलिए यदि सारे कार्यकर्त्ता इस कामको सम्भव माने, तो यह काम अवश्य करना। हाँ, तुम्हारा समय हरिजन-कार्यके सिवाय और कही न दिया जाये, यह याद रखना। दुग्धालयका काम उसीमे है। टाइटसके अधीन, जहाँतक बने, हरिजन रखना। जबतक वहाँ एक अच्छा चर्मालय न हो जाये, चैन मत लेना। मुर्दा मवेशियोको प्राप्त करके उनकी चीर-फाड करना हमे सीखना चाहिए। वालुजकर यहाँ यह काम बहुत खूबीके साथ कर रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७४) से।

४७३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२६ मार्च, १९३५

भाई वल्लभभाई,

महादेव सवेरे यवतमालकी एक सस्था देखने गये है। शामको लौट आयेगे।

आप आसफअली लिखते है, परन्तु मनमे शरीफा हामिदअली होगे।

प्लेगके टीकेके बारेमे लिखा पत्र इसके साथ है।

मुन्शी लिखते हैं कि लीलावतीको अभी तो कमीशन भी नही मिलता। रु० ५०,००० की खबर उन्होने कल ही दी थी।

नरहरिको अब तो साधारण उपचारोसे ही अच्छा होना है।

यह देशी कागज मुझे काफी परेशान कर रहा है। आप पढ़ सके तो काफी है।

मेरे खयालसे आपको रणजीत[1] का निमन्त्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। काम मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्वीकार करनेसे ठीक हो जायेगा।

रसोईकी समस्याको काफी गहराईमें देख रहा हूँ। उसका ठीक हल निकालूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ १५५

४७४. पत्र : अन्नपूर्णाको

२६ मार्च, १९३५

चि० अन्नपूर्णा,

तुमारा खत मिला। 'बच्चो घूमते थे'। नहीं 'बच्चे घूमते थे'। कोई हिन्दी व्याकरण पढ़ लो। तुमने यात्राका वर्णन अच्छा किया है। हरिजन बालकोंको संत्रे दे दिये वह मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन हरेकको ऐसे करना ही चाहिये ऐसी कोई बात नहीं है। देव-कपास[2] सूतका आक लिखो। तकलीपर तुमारी गति कितनी हुई? बारी स्थानका नाम क्या रखा है?

बापुके आशीर्वाद

श्री अन्नपूर्णा कुमारी
मार्फत : गोपबन्धु चौधरी
बारी, जिला कटक

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७७९) से।

१. रणजीत सीताराम पण्डित।
२. कपासकी एक जाति।

४७५. पत्र : अगाथा हैरिसनको

वर्धा
२७ मार्च, १९३५

प्रिय अगाथा,

मै यह बहुत छोटा पत्र बाये हाथसे लिख रहा हूँ। दाये हाथमे तकलीफ है, उसे आराम देना जरूरी है।

म्यूरियलने एक लम्बे अर्सेतक खत न लिखनेकी तुम्हारी शिकायत की है। उसका पता है—वाई० एम० सी० ए०, शघाई।

पारस्परिक सम्पर्क बढानेकी हर कोशिशकी सराहना की जानी चाहिए। जहाँ लोग आशाका कोई आधार नही देख पाते, वहाँ भी तुम्हारी बलवती आशावादिता मुझे बहुत अच्छी लगती है।

सी० एफ० एन्ड्रयूजसे सम्बन्धित तुम्हारे उल्लेख अच्छे है और उचित है। उन्हे हर अगले कदमके लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है, इसीलिए किसी भी इनसानी मदद या सुझावकी उन्हे जरूरत नही पडती।

शेष बाते सामान्य पत्रोसे जान लेना।

स्नेह।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८६) मे।

४७६. पत्र : अमृत कौरको

२७ मार्च, १९३५

प्रिय अमृत,

तुम अपने वचनकी पक्की हो। तुमने मुझे एक तार दिया, एक पोस्ट-कार्ड और एक अच्छा पत्र भी लिखा है। इसलिए कुमारप्पाकी विज्ञप्तिकी ओर ध्यान न देनेके लिए मै तुम्हे क्षमा करता हूँ। तुम्हारे लिए वह जरूरी भी नही था। तुम सघकी मेहमान भी न थी। तुम परिवारकी एक सदस्याकी हैसियतसे ही आई थी।

शम्मीको दिये गये कार्योमे, अगर मैने पहले न कहा हो तो, औषधि और खाद्यके रूपमे इमलीकी उपयोगिता भी लिखवाना। क्योकि मै इसका बहुत उपयोग कर

रहा हूँ और यहाँ लोगोंके मनमे इसके बारेमें कुछ रूढ धारणाएँ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके सम्बन्धमें डॉक्टरी सम्मति जल्दीसे-जल्दी मिल जाये।

स्नेह।

बापू

श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर
जालन्धर शहर, पंजाब

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२४) से; सौजन्य: अमृत कौर। जी० एन० ६३३३ से भी।

४७७. पत्र: सुधीर कुमार रुद्रको

२७ मार्च, १९३५

प्रिय सुधीर,[1]

सी० एफ० एन्ड्रयूजने उधर तुम्हारे बीमार पड़ जाने तथा ठीक होनेकी खबर दी है। भगवानको धन्यवाद। तुम्हें आगे कई सालतक सेवा-कार्य करना है। मुझे उम्मीद है कि खोया हुआ स्वास्थ्य फिर जल्दी ही प्राप्त कर लोगे।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

श्री सुधीर कुमार
२०, अल्बर्ट रोड
इलाहाबाद (स० प्रा०)

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९७४०) से; सौजन्य: राजमोहिनी रुद्र।

१. प्रिन्सिपल सुशील कुमार रुद्रके सुपुत्र।

४७८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२७ मार्च, १९३५

भाई ठक्कर बापा

गणेशनके बारेमें मुझसे खूब झगड़िए। मैं आपको पूरी तरह सन्तुष्ट कर सकूँगा। आप जैसा समझते हैं, मैंने पक्षपात करनेके लिए सलाह नहीं दी थी। मैंने तो केवल हरिजनोंका हित देखा था। मैं गणेशनसे काम लेना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। उसमें रुपया इकट्ठा करनेकी शक्ति बिलकुल नहीं है। उसमें शक्ति है तो काम करनेकी है, लोगोंकी देखभाल करनेकी है। किन्तु यदि वह बेईमान हो तो फिर बेकार है। पैसा तो कमेटी उगाहेगी, किन्तु यह हुई भविष्यकी बात। पिछला कर्ज कौन चुकायेगा? यदि कर्ज 'हरिजन' के लिए लिया गया था, तो किसने लिया था? क्या शास्त्री देगा? लेकिन यह सब, जब मिलेंगे तब। १९ से २५ तक इन्दौरमें हिन्दी-सम्मेलन है, वहाँ जाना पड़ेगा। आप वहाँ आये, तो 'हरिजन' का भी कुछ करेंगे और साथ-साथ राबड़ी भी खायेंगे।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २२७५२) से।

४७९. पत्र : श्रीपतराव पटवर्धनको

२७ मार्च, १९३५

चि० श्रीपतराव,

जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा करता है, वह विवाह न करे। किन्तु जिसे विवाह करनेकी इच्छा हो, वह ब्रह्मचर्यकी बातको अपने मनके किसी कोनेमें सहेजकर विवाह कर ले। बादमें पत्नीकी इच्छा जानकर जितना संयम वह पाल सकता हो, उतना पाले।

अपनी जातिके बाहर विवाह करनेके आग्रहका ऐसा अर्थ नहीं है कि जातिकी कन्याका विचार भी न किया जाये। यदि जातिकी लड़की सबसे अधिक योग्य हो तो विवाह उसीसे कर ले। जो विवाह करेगा वह सन्तान-उत्पत्ति भी करेगा ही, यह स्वाभाविक है। अप्पाके विषयमें समाचार मिला था। वह जो भी ले गया हो,

ले गया। ३५ वर्षके वर के लिए २५ वर्षकी कन्याका होना, मै बेमेल नही मानूंगा। इतनेमे तुम्हारे सब प्रश्नोका उत्तर हो गया न?

बापूके आशीर्वाद

श्रीपतराव पटवर्धन
पो० पाँवस
जिला रत्नगिरि

गुजरातीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

४८०. पत्र: वियोगी हरिको

२७ मार्च १९३५

भाई वियोगी हरि,

महादेवपर जो तुमने लिखा है, पढ गया। चर्खा संघका हमारे चार कालम देना है। मैंने इस बारेमें शंकरलालको लिखा है कि या तो अमुक संख्याके ग्राहक मिले या अमुक रुपये दें। हम कालमकी गारंटी दे लेकिन एकदम अखबारके कालम न बढ़ा दे! बहुत चीज तो हम देते है बहुत लंबी रहती है। अनुभवसे बढते रहें।

सम्मेलनके बारेमे अवश्य मुझे लिखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०७७) से।

४८१. पत्र: राजेन्द्रप्रसादको

२७ मार्च, १९३५

भाई राजेन्द्रप्रसाद,

बंगालका प्रकरण आज सबसे कठिन व लज्जाजनक है। हमारे कमिटी बनानेसे कुछ भी नही हो सकेगा! बंगालके नेता आज कोई नही करेंगे! दूसरे कार्यकर्ताकी कौन सुनेगा? तो भी मेरा ख्याल है हमारे आल इंडिया डे मनाना चाहिये। दूसरी बातें कलकत्तेसे रिपोर्ट आने पर हो सकेगी।

सिलोनमें हमसे कुछ हो नही सकता। वहा जो भी होता है गवरमेंटकी मार्फत है। जयरामदास बिचारा कुछ करता है। बाकी होता है ऐसा मैंने नही पाया है। वहां पर कोई डाक्टर मिल जाय तो उसे भेजो। भास्करको भेजनेकी कोशिश की, वह नही जा सकता। फिर भी किसीको ढूंढनेका प्रयत्न तो कर रहा हू।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९७४८ से; सौजन्य: डॉ० राजेन्द्रप्रसाद।

४८२. पत्र : हीरालाल शर्माको

२७ मार्च, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। मेरी मनोदशा ऐसी हो गई है कि बच्चोको भी मैं हुकम नही करता हू। जब मैं निश्चय कर सकु तब तो अवश्य हुकम भी करूँ, लेकिन दिन-प्रतिदिन ऐसे ही होता है कि मैं दूसरोके लिये क्या योग्य है कैसे जानु। अब तो वही रहे। पुस्तककी खोज चल रही है। पैसे बचानेमें यह सब होता है। इतना तो कह दू कि तुम दोनोका दिल इस ओर आनेको लगे तो आ जाना। वहा सबकी प्रकृति अच्छी न रहे तो भी आ जाना। आनेके बाद यहासे जाना ही नही है। हा, पश्चिम जानेका बने तो जुदी बात है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १५३ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

४८३. पत्र : हुसैनको

२८ मार्च, १९३५

मेरी समझमें तुम्हारी योजना असफल ही रहेगी।[1] जब किसी मकानमें आग लगी हो, उस समय आग बुझानेका अच्छेसे-अच्छा तरीका सुझानेसे बढ़ती हुई आग कम नही की जा सकती। पानीसे भरी बाल्टीका गलत या ठीक, किसी भी तरीकेसे इस्तेमाल करके ही आग बुझानेकी कोशिशमें कुछ कामयाबी मिल सकती है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य . नारायण देसाई।

१. हुसैनने हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर लेख लिखनेके लिए लन्दनसे गांधीजी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और अन्य लोगोंको पत्र लिखा था।

४८४. पत्र : कृष्णदासको

वर्धा

२८ मार्च, १९३५

जिस आदमीको अजर-अमर परमात्माकी करुणा पहलेसे ही प्राप्त हो, क्या उसे किसी आदमीकी करुणाकी जरूरत होती है? जो इस तरहके सवाल उठाकर शक करते हैं, कृपा करके उन्हें समझाइये कि ग्राम-सेवा पर किसी एक आदमीका एकाधिकार नहीं है। अ० भा० ग्रा० संघ जिस क्षेत्रमें काम कर रहा है, उस क्षेत्रमें उस दृष्टिसे कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य : नारायण देसाई।

४८५. पत्र : जी० सी० ताम्बेको

२८ मार्च, १९३५

प्रिय बन्धु,

'इन्दौर-विधि' पर भेजी गई आपकी पुस्तिकाके लिए धन्यवाद। मैंने बड़ी रुचिके साथ इसे पढ़ा है। मैं २० तारीखको इन्दौर पहुँच ही रहा हूँ, इसलिए मैं इस पद्धतिका प्रयोग भी देखना चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि अगर सम्भव हो तो जो प्रदर्शनी हो रही है, आप उसमें इसका भी प्रदर्शन करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० सी० ताम्बे
फार्म सुपरिटेंडेंट
इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट-इन्डस्ट्री, इन्दौर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९६०) से।

४८६. एक पत्र[1]

२८ मार्च, १९३५

जिस बातका अनुवाद नही हो सकता, मेरे लिए उसे अपनी मातृभाषामे रखना भी मुमकिन नही है। लेकिन मै यह कह सकता हूँ कि इन दो वाक्योको मैने और मेरे कई अन्य साथियोने जिन्दगीमे जाँचकर देखा है और सही पाया है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य श्री नारायण देसाई।

४८७. एक पत्र[2]

२८ मार्च, १९३५

मेरी रायमे जबतक श्री त० रामचन्द्रराव यह वचन न दे कि उन्होने जो-कुछ किया है,[3] उसे दुबारा नही करेंगे, और जबतक दानी इस बातसे पूर्णतः सन्तुष्ट न हो जाये कि वे जिस उद्देश्यके लिए दान दे रहे है, उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्यके लिए किया जायेगा, उन्हे कुछ भी न दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे, सौजन्य. नारायण देसाई।

१. एक अमेरिकन पत्र-लेखकने, जिसका साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है, गांधीजी से प्रार्थना की थी कि वे अंग्रेजीके इन वाक्योंका अनुवाद करके भेजें:

"ही दैट इज स्लो टु एंगर इज बैटर दैन द माइटी; एन्ड ही दैट रूलेथ् हिज स्पिरिट दैन ही दैट टेकेथ ए सिटी।"

२. साधन-सूत्रमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसके नाम था।

३. उन्होंने गाँवोंके लिए उपवास किया था और उसके जरिए धनी लोगोंपर दबाव डाला था कि वे दान दें।

४८८. पत्र : पुरुषोत्तम बावीशीको

२८ मार्च, १९३५

भाई पुरुषोत्तम,

आपका पत्र मिला। आपकी भेजी पुस्तिका पढ़ गया हूँ। मुझे अच्छी लगी। अपनी योजना-सम्बन्धी पुस्तक भी भेजिये। मैं २० को इन्दौर पहुँचूंगा। चार दिन वहाँ रहूँगा। इस बीच मिल सकेंगे क्या?

मेरे जानने-योग्य जो हो, वह मुझे भेजते रहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्री पी० एल० बावीशी
शामपुर (मालवा)
ग्वालियर स्टेट

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२४) से। सी० डब्ल्यू० ४७४५ से भी; सौजन्य : पुरुषोत्तम बावीशी।

४८९. पत्र : भुजंगीलाल छायाको

२८ मार्च, १९३५

चि० भुजंगीलाल,

तुम्हारे दूसरे पत्रका उत्तर देना बाकी है। पहले पत्रमें उत्तर देने लायक कुछ था ही नहीं।

तुम्हारे पास समय बचता है, तो तुम नारणदास गांधीसे मिलो और उनसे कोई हलका-सा सेवा-कार्य मांगो।

बापूके आशीर्वाद

श्री भुजंगीलाल छाया
पोरबन्दर स्टेट वकीलके यहाँ
राजकोट (सी० एस० काठियावाड़)

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२१८) से।

४९०. पत्र : नारणदास गांधीको

२८ मार्च, १९३५

चि० नारणदास,

अप्रैलका महीना पास आ रहा है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इस ओर आनेके लिए तुम अभी भी तैयार हो। जमनालालजीके साथ तो इस विषयपर मैंने बात-चीत की ही थी। आज विनोबाके साथ भी की। हम तीनोका यही मत है कि यदि तुम वहाँ जो काम चल रहा है उसे हानि पहुँचाये बिना और माता-पिताका जी दुखाये बिना वहाँसे मुक्त हो सको तो यहाँ आओ और कन्याशालाका भार सँभालो। नैतिक जिम्मेदारी तो, जैसी आज है वैसी, विनोबाकी ही रहेगी। किन्तु इस कन्या आश्रमका काम है बहुत कठिन। नई लडकियोको प्रवेश देनेसे हम बहुत मुश्किलसे इनकार कर पाते हैं। हम सब लोगोकी यह धारणा है कि इस सस्थाके सचालनका बोझ तुम अच्छी तरह उठा सकोगे। और यदि तुम यहाँ हुए तो तुमसे थोड़ी-थोडी पर कुल मिलाकर बहुत-सारी मदद मुझे भी मिलेगी। इसी तरह जमनालालजीको भी मिलेगी।

फिलहाल, सचालनका कार्य बाबाजी मोघेके हाथमें है। काम और किसी प्रकार चलता न देखकर विनोबाने उन्हें इसमे रोक रखा है। उन्हे स्वय तो ग्रामसेवाका काम अधिक प्रिय है। वे उसमे लग भी गये थे, किन्तु कन्या आश्रमका यह काम साबरमती आश्रम तोड़ देनेपर एकाएक उपस्थित हो गया। इसलिए बाबाजीको विनोबाने इसमें लगा दिया। यदि उन्हे कन्या आश्रमके इस कार्यसे मुक्त किया जा सके तो विनोबा उनका उपयोग ग्रामसेवामे करना चाहते हैं। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यदि तुम आये तो जमना आ ही जायेगी।

पुरुषोत्तम गुरुजनोकी सेवा करेगा। और वहाँ वह सार्वजनिक सेवाकार्य तो कर ही रहा हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि वह वही रहेगा। किन्तु यदि वह भी यहाँ आ सके तो मुझे उसका आना अच्छा ही लगेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३४ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी।

४९१. पत्र : क० मा० मुन्शीको

२८ मार्च, १९३५

भाई श्री मुन्शी,

आपकी प्रस्तावनाकी बात मैं भूला नहीं हूँ। आपकी पुस्तक मेरे सामने ही है। यह मौन ऐसे ही कामोंके लिए है; किन्तु इसतक मैं अभी पहुँच नहीं पाया हूँ। बायें हाथसे लिखनेमें समय बहुत लग जाता है, इसीसे आज दाहिनेसे शुरू किया है। देखता हूँ, काम कैसा चलता है। मेरी तबीयत ठीक है।

अ० भा० का० स० हिन्दीका काफी काम करती है, किन्तु सदस्योंमें रुचि कौन उत्पन्न करे? हमारा सारा व्यवहार हिन्दीमें कहाँ होता है? दक्षिणके, बंगालके लोग हिन्दी कहाँ सीखते हैं? इन्दौरमें उसी समय लिपि सम्मेलन भी होनेवाला है। काकासाहब उसके अध्यक्ष होंगे। क्या आप इन्दौर आ सकेंगे? आयें चाहे न आयें, लेकिन सुझाव तो जरूर भेजियेगा। और छः दिनके लिए टकसाल बंद की जा सकती हो, तो दोनों जरूर आ जाइये।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५७०) से; सौजन्य: क० मा० मुन्शी।

४९२. पत्र : जेठालाल जी० सम्पतको

२८ मार्च, १९३५

चि० जेठालाल,

तुम्हारा विस्तृत पत्र मिला। विनोबाको दे दूंगा।

जो बहनें वहाँ रहती हैं, उन्हें तैयार करना चाहिए। हमारे कामका एक ही विभाग समझ लेने लायक है। प्रचार-कार्य घरसे शुरू न करें, तो हम ठीक तरहसे अपनी शक्तिको नाप नहीं सकेंगे।

विनोबा गहरेमें उतरे हैं। वे जो त्रुटियाँ देख सके और उनसे मैंने जो अनुमान लगाया है, वह गलत सिद्ध हो ऐसा नहीं है। जहाँ पेड़ नहीं होते, वहाँ अरंडका ही पेड़ माना जाता है। हम लोग ऐसे ही हैं। तुलनामें तो तुम्हारा काम मेरे हिसाबसे असामान्य है। इसीसे तुम्हें सन्तोष हो जाये, तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे कामका अन्त आ गया। पर यह डर मुझे नहीं है।

विनोबाके यहाँ रहनेका उद्देश्य तो यही है कि हम जो-कुछ करते है, उसकी त्रुटि उनसे समझ ले।

दोनों विभाग तुम्हारे कामके है: स्वावलम्वी खादीका भी और परावलम्बी खादीका भी। स्वावलम्बी खादीके बिना परावलम्बी खादी लूली हो जायेगी। स्वावलम्बी खादी गरीब लोगोको सन्तोष नही दे सकती। वे उसमे से जितनी पहन सकते है, उससे बहुत अधिक उत्पन्न कर सकते है। लेकिन खुद पहनेंगे नही, तो बहुत डर है कि परावलम्बी खादीका उत्पादन ही बन्द हो जायेगा।

प्रार्थनामे श्रद्धा हो, तथापि कठमे स्वर न हो, ऐसा हो सकता है। इससे भजन न हो, श्लोक न् हो, तो भी चल सकता है। रामधुन तो है न? यदि श्लोक बोले जाये, तो उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अन्यथा उनका अनुवाद ही पढा जाये। किन्तु यदि उससे मन ऊबता हो तो उसे छोड़ दिया जाये। भजन गानेके लिए उम्दा स्वर आवश्यक है। वह भी न मिले, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। रामधुन गाना तो सबको आता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा अभ्यास चाहिए।

पुरबाई अकेली रहे, तभी सजेगी। समाजमे वह खपेगी नही। गगावहन बोचासण छोडेगी, ऐसा नही लगता। हमारे पास इतनी अधिक स्त्रियाँ तैयार नही है, इसलिए अभी तो जैसे बने तुम्ही को काम चलाना पड़ेगा।

पेशाबघर जो तुमने जमीनके नीचे बनवाया है, उससे किसी दिन बडा नुकसान हो सकता है। उसके बजाय तो मिट्टीके ढेरों पर पेशाब करके उन्हें रोज खेतमे डाल दिया जाये, तो दोनो प्रयोजन सिद्ध हो। पेशाब कीमती खाद है। किन्तु उसका उपयोग न किया जाये, तो बिगाड भी उतना ही करता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९८५१) से; सौजन्य: नारायण जे० सम्पत।

४९३. स्वावलम्बी खादी

श्री शकरलाल बैंकर आजकल गाँवोंका दौरा कर रहे है। वे इस बातकी जाँच कर रहे है कि वहाँ खादीको स्वावलम्बी बनाने तथा अन्य उद्योग-धन्धोकी प्रगतिकी कहाँतक गुजाइश है।

स्वावलम्वी खादीका मतलब उस खादीसे है जो गाँववाले अपने-अपने व्यवहारके लिए स्वयं कात-बुनकर बना ले, साथ ही, जहाँ सम्भव हो, उसके लिए कपासकी उत्पत्ति और उसकी ओटाई-धुनाई आदि भी उसी गाँवमे की जाये। यही खादीका सच्चा ध्येय है। लेकिन इसमे सफलता तभी मिल सकती है जबकि लगातार गाँववालोके सम्पर्कमे रहा जाये। इस काममे होनेवाले आर्थिक लाभके साथ ही उन्हें इस कार्यका गौरव और महत्त्व भी समझना चाहिए। इस प्रकार, इस योजनाके अन्दर जो खादी बनाई जायेगी, वह गाँववालोकी रुचिको ध्यानमे रखकर ही बनेगी। खादीको

सुन्दर बनानेके फेरमे नही पड़ेंगे; यहाँतक कि वह धुलाई करके नही बेची जायेगी; पहननेवाले स्वयं अपने कपड़े धो लेगे। इस प्रकार जो खादी तैयार होगी वह चलनेमें बहुत मजबूत होगी, और इस लिहाजसे वह दूसरे सब कपडोंसे सस्ती पड़ेगी। शहरोंमें बिकनेवाली खादीमें तो उसकी बनावट, स्टॉक, लाने-ले जानेका भाड़ा, कमीशन आदिके दूसरे सब खर्च भी शामिल रहते हैं, लेकिन गाँवकी खादीपर इनमे से एक भी खर्च नही पड़ता। अत. गाँवोकी आवश्यकता-पूर्तिके बाद जो खादी बने वही शहरोमे जानी चाहिए। कोई भी खादी-भण्डार घाटेपर नही चलना चाहिए। अ० भा० चरखा-संघके भण्डारोको कलाके नामपर खाली ऊपरी तड़क-भड़कपर कभी ध्यान नही देना चाहिए, वे तो मुख्यतः कपड़ेकी किस्म पर ही ध्यान रखे। सच्ची कला क्या है, यह मालूम ही किसको है? ज्यादासे-ज्यादा यही कहा जा सकता है कि कला सापेक्ष है। अतः अ० भा० चरखा-संघके भण्डारोंको चाहिए कि वे मौलिक बने और इस विश्वासके साथ शहरोमे ग्रामीण कलाका प्रवेश करायें कि एक-न-एक दिन वे सफल होकर ही रहेंगे। यह बहुत जरूरी है कि जो भी खादी बने वह मजबूत और टिकाऊ हो। देखनेमे सुन्दर पर चलनेमे कमजोर, ऐसी खादी नही बनानी चाहिए। ऐसा करनेसे तो खादीका ही खात्मा हो जायेगा। इसलिए अगर हम खादीको कमजोर किये बगैर सुन्दर न बना सकते हो तो हम इस सम्बन्धकी अपनी असमर्थता मंजूर कर ले, पर खादीको नि.सत्त्व न बनायें। मैंने देखा है कि निखारी हुई खादी अक्सर पहली बार पहननेमें ही फट जाती है, अत. निखराईसे मैं काफी भयभीत हो गया हूँ। निखारी हुई हरेक खादीमें ऐसा होता ही है, यह मेरा अभिप्राय नही है। लेकिन ऐसे काफी मामले मेरे सामने आये हैं जिन परसे मैं यह कह सकता हूँ कि निखारी हुई खादीकी कमजोरीके कारण ग्राहक खादीसे असन्तुष्ट हुए हैं। अतः सभी खादी-भण्डारोको चाहिए कि मैंने जो-कुछ कहा है उसको ध्यानमें रखते हुए वे अपनी व्यवस्थाको ठीक करनेकी कोशिश करें।

और जो बात खादीके लिए कही जा सकती है वही चर्मशोधन तथा अन्य ग्रामीण उद्योगोके लिए भी सच है। अतः ग्राम-सेवकोको चाहिए कि काफी अनुभव प्राप्त किये बगैर वे पुराने औजारो, पुराने तरीको और पुराने नमूनोंमें दखल न दें। मूल को ज्यों-का-त्यो सुरक्षित रखते हुए उसमें सुधार करनेकी ओर उनकी प्रवृत्ति रहे, यही ठीक है। ऐसा करनेपर उन्हें मालूम पड़ेगा कि यही सच्ची अर्थनीति है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-३-१९३५

४९४. मन्दिर-प्रवेश

अभी कुछ दिन हुए त्रिचिनापल्ली जिलेके कुलीतलाई ताल्लुका-निवासी पल्ला लोगोंका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें नीचे लिखे दो प्रस्ताव पास हुए:

> १. महात्माजीने असेम्बलीमें मन्दिर-प्रवेश बिलके सम्बन्धमें जो रुख अपना रखा है उसे यह सम्मेलन दुःख और बड़ी निराशाके साथ देखता है; और इसलिए यह सम्मेलन महात्मा गांधीसे प्रार्थना करता है कि इस विषय पर उनके जो मौजूदा विचार हैं उन्हें वे बदल दें, साथ ही इस विषयको पुनः असेम्बलीमें पेश होने दें, उसका नतीजा फिर चाहे जो हो।
>
> २. अगर महात्माजी मन्दिर-प्रवेश बिलके सम्बन्धमें अपनी मौजूदा राय न बदलना चाहें, तो इस सम्मेलनने देशभरकी दलित जातियोंके लोगोंसे यह प्रार्थना करनेका इरादा कर लिया है कि वे सबके-सब या तो मुसलमान या ईसाई हो जायें, या फिर ब्रिटिश-मंत्रिमण्डलके प्रधानमन्त्रीने दलित जातियोंके लिए पृथक् निर्वाचनका जो निर्णय किया था, उसे ही कायम रखनेके लिए आन्दोलन करें।

मुझे पहला प्रस्ताव पसन्द है। इस सम्मेलनने मन्दिर-प्रवेशके प्रश्नमें जैसी दिलचस्पी ली है, मैं चाहता हूँ कि तमाम हरिजन वैसी ही दिलचस्पी लें। तब मेरा काम उतना मुश्किल नही रहेगा जितना कि आज है। पर वह मुश्किल हो या आसान, मैं तो हरिजनोके लिए हरेक सार्वजनिक हिन्दू-मन्दिरका द्वार खुलवा देनेकी दृष्टिसे जो मार्ग सबसे अच्छा समझूंगा, उसे जरूर पकड़ूंगा। क्योकि, मेरी रायमे, जबतक अन्य हिन्दुओंकी तरह हरिजनोके लिए तमाम मन्दिर नही खुल जाते, तबतक यह दावा नही किया जा सकता कि अस्पृश्यता दूर हो गई है।

मगर यह दूसरा प्रस्ताव तो, जहाँतक सम्मेलनका सम्बन्ध है, मन्दिर-प्रवेशके मूल पर ही कुठाराघात करता है। जो लोग अपने धर्मको छोड़ देनेकी धमकी सिर्फ इस वजहसे देते है कि उसी धर्मको माननेका ढोंग करनेवाले कुछ अन्य लोग उन्हे मन्दिरोंमे जानेसे रोकते हैं, वे कदापि धर्मनिष्ठ नही कहे जा सकते। ऐसे मनुष्य धर्मकी भावनासे प्रभावित हैं, यह कैसे कहा जा सकता है। मन्दिर तो उपासनागृह है। वे उन सबके लिए हैं जिनकी कि उनमे आस्था है। यह धार्मिक जुल्म कुछ आजकी चीज नही है। जुल्म उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन स्वयं धर्म है। यह जुल्म अपने धर्मसे न डिगनेवालोकी अग्नि-परीक्षा लेता है और उन्हे कचन-सा शुद्ध कर देता है। हरिजन यदि इस यत्रणाको धैर्यपूर्वक बर्दाश्त कर सके तो अन्तमे विजयमाला उनके ही गलेमे पड़ेगी।

मगर जिस धर्मको वे सनातन कालसे बिना किसी शिकायतके मानते चले आ रहे हैं उसे अगर वे आज इस वजहसे छोड़नेकी धमकी दें कि उन्हें मन्दिरोंमें नहीं जाने दिया जाता, तो उनकी यह धमकी ही उनके सारे मामलेको खारिज कर देती है। हरिजन अगर हिन्दू-समाजको छोड़ दें तो सनातनी शायद उनकी परवाह भी नहीं करेंगे। और लड़नेका अगर कोई आधार ही न रहा तो फिर सुधारक भी निरुत्तर हो जायेंगे। पर सौभाग्यसे ऐसे लाखों हरिजन मौजूद हैं जो इन सब यंत्रणाओंके बावजूद अपने धर्मसे जरा भी विचलित नहीं हुए हैं।

धर्म निश्चय ही एक व्यक्तिगत चीज है। वह मनुष्य और ईश्वरके बीचकी वस्तु है। उसे हरगिज मोल-तोलकी चीज नहीं बनाना चाहिए। कुलीतलाई निवासी पल्ला लोगोंके सम्मेलनके कर्णधारोंसे मेरी तो यही आदरपूर्वक सलाह है कि वे मन्दिर-प्रवेशके प्रश्न पर उसके गुण-दोषकी दृष्टिसे ही विचार करें और अपने दूसरे प्रस्तावमें उन्होंने धर्म-त्यागकी जो धमकी दी है, उससे इस प्रश्नको व्यर्थके विवादमें न डालें।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-३-१९३५

४९५. टिप्पणियाँ

एक उदार दान

ठक्कर बापा जब त्रावणकोरमें दौरा कर रहे थे, तब स्थानीय हरिजन-सेवक संघके अध्यक्ष श्री परमेश्वरम पिल्लेने केन्द्रीय संघको अपनी जमीनका एक हिस्सा हरिजन-आश्रमके लिए दान किया था। यह जमीन विठ्ठर नेडुमंगद गाँवमें है। श्री पिल्लेने सभामें इस दानके सम्बन्धमें जो छोटा-सा भाषण दिया था उससे उनके दानका उद्देश्य पूर्णतया समझमें आ जाता है। वह भाषण यह है:[1]

> चौदह बरससे ऊपर हुए, जब यहाँ एक पाठशाला खोली गई थी। दस महीनेका अरसा हुआ कि मैंने करीब आठ सौ रुपये लगाकर इस पाठशालाका मकान फिरसे बनवा दिया। आजकल इस पाठशालामें तीन कक्षाएँ और ७५ विद्यार्थी हैं। इनमें ४० हरिजन हैं—३४ बालक तथा ६ बालिकाएँ; और १६ बच्चे 'कनी' जातिके पढ़ते हैं। मेरा बहुत दिनोंसे यह विचार था कि ऐसी पाठशाला जबतक किसी आश्रमके साथ न होगी, तबतक उसका उद्देश्य पूर्णतः सफल होने का नहीं। ऐसे आश्रममें एक-दो सेवक दिन-रात रहें, और वे हरिजन-सेवाका काम अपने हाथमें ले लें, और उसे नित्य नियमपूर्वक करें। इसीलिए मैंने आश्रमके लिए यह एक छोटा-सा मकान बनवाया है। आश्रमके निमित्त मैंने दस एकड़ जमीन भी अलग कर दी है, जिसमें से ८½ एकड़ जमीनपर करीब

१. केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं।

> दो हजार सुपारीके पेड़ लगवा दिये हैं। दो सालमें इन पेड़ोंमें फल आने लगेंगे। सुपारीके दाम तो अच्छे आ ही जाते हैं, इससे आश्रमको आमदनीका एक अच्छा जरिया हो जायेगा। . . . मेरा विचार ऐसे ५ हरिजन विद्यार्थियोंको तुरन्त ही ले लेनेका है जो आश्रममें ही रहकर विद्याध्ययन करें। इनमें २ विद्यार्थी 'कनी' जातिके होंगे। एक ऐसे कार्य-संचालककी नियुक्ति कर दी गई है जो आश्रममें विद्यार्थियोंके साथ रहेगा। छः महीने बाद ५ और विद्यार्थी दाखिल करनेका मेरा विचार है। इस तरह कुल १० विद्यार्थी हो जायेंगे। . . .
>
> इस विचारसे कि ऐसी संस्था हरिजन-सेवक-संघकी अंग रहकर ही अच्छा काम कर सकती है, मैंने पाठशाला, आश्रमका भवन, और १० एकड़ जमीन — यह सब हरिजन-सेवक-संघको केरल प्रान्तीय शाखाके सुपुर्द कर दिया है। . . .

इस उदार दानके लिए श्री पिल्लेको मै बधाई देता हूँ, और यह आशा करता हूँ कि इस आश्रमकी ओर चूँकि दाताको स्वय प्रेमपूर्वक ध्यान देना है, इसलिए हरिजन इसका पूरा सदुपयोग करेंगे।

पैसा-निधि

पैसा-निधि, अगर पूरे ससारमे नही तो, भारतमे एक अनूठी संस्था है। इसके संस्थापक श्री अन्ता जी० डी० काले एक गरीव आदमी हैं। पच्चीस वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसी सस्था स्थापित करनेकी बात सोची जिसे निर्धन-निधिकी संज्ञा दी जा सकती थी। क्योंकि उद्योगोंको प्रोत्साहन देकर गरीवोंकी मदद करनेके लिए वे शब्दश एक-एक पैसा — चौथाई आना — एकत्र करना चाहते थे। इसका प्रत्यक्ष स्मारक पूनाके निकट स्थित तालेगाँव ग्लास वर्क्स है, जो सैकडो नवयुवकोको सन्तोषजनक आजीविका देनेका साधन बन गया है। इस निधिकी समितिने अभी-अभी अनेक मित्रोके आशीर्वादोंके साथ इसकी रजत जयन्ती मनाई है। मै इस उद्योगके लिए उज्ज्वलसे-उज्ज्वल भविष्यकी कामना करता हूँ। रजत-जयन्तीकी स्मृतिमे समितिने एक बहुमूल्य और पठनीय ग्रन्थ प्रकाशित किया है जिसमे इस उद्योगका पूरा इतिहास तथा हिन्दुस्तान-भरके तमाम काँच उद्योगोके बारेमे प्रचुर सूचना दी गई है। इसे मन्त्री, ६२६, शनवार, पूना-२ के पास आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है।

गायका घी बनाम भैसका घी

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके औद्योगिक रसायन विज्ञानके अध्यापक डॉ० गोडबोलेने मेरी प्रार्थनापर गाय और भैसके घी का विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण लिख भेजा है। साधारण पाठकके लिए यह बड़ी गूढ़ वस्तु है। इस महत्वपूर्ण विषयका कोई भी विद्यार्थी चाहे तो मै उसके पास प्रसन्नतासे इस विश्लेषण-विवरणको भेज सकता हूँ। इस बीच मै डॉ० गोडबोले जिस निर्णय पर पहुँचे है उसे ही यहाँ देकर सन्तोष मानता हूँ।

१. गायके घी में आयोडीनका तत्त्व है। भैंसके घीमें इस तत्त्वका मिलना प्रमाणित नहीं होता।

२. गाय और भैंस दोनोंके ही घी में विटामिन 'ए' और 'डी' है; पर गायके घीमें विटामिन 'ए' अधिक है, जबकि भैंसके घीमें विटामिन 'डी' की मात्रा अधिक है।

३. घी अन्य किसी भी प्रकारकी चर्बी या वनस्पतिजन्य घीकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसमें तिलमात्र भी शंका नहीं।

४. गायका घी कुल मिलाकर भैंसके घीके मुकाबलेमें आसानीसे हजम हो जाता है; इसलिए वह बच्चों तथा कमजोर मनुष्योंके लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल पड़ता है।

५. आर्थिक दृष्टिसे देखें तो गायसे भैंस अधिक घी देती हैं।

हमारी रायमें ऐसे प्रयोग हमारे यहाँ होने चाहिए कि तिलका तेल और नारियल आदिका तेल, जिनमें विटामिनोंकी मात्रा तो कम है पर जो अधिक सरलतासे पच जाते हैं, मनुष्यके शरीरके लिए कितने अनुकूल पड़ते हैं।

इन दोनोंमें भैंसके घी की अपेक्षा गायका घी मनुष्यके शरीरकी चर्बीसे अधिक मेल खाता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २९-३-१९३५

४९६. पत्र: अगाथा हैरिसनको

वर्धा
२९ मार्च, १९३५

प्रिय अगाथा,

मेरा मौन-व्रत है, इसलिए तुम्हारा पत्र मिलते ही जवाब दे पा रहा हूँ।

जैसा कि अक्सर होता है, अखबारका समाचार एक ऐसी घटनाका बुद्धिहीन पूर्वानुमान-भर है जो कभी घटनी ही नहीं। हाँ, मैंने यदि पहलेसे सोच-विचारकर कोई कदम उठाया तो तुमको अवश्य पहले सूचित कर दूंगा। मुझे अचानक ही कुछ करना पड़ जाये तो बात दूसरी है।

मुझे जोशुआ ओल्डफील्डकी बडी अच्छी तरह याद है। मैं जब एक युवकके रूपमें लन्दन गया था तो उन्होंने मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी। वे मेरे ही जैसे एक सनकी महाशय हैं।

राजकुमारीने मुझे वचन दिया है कि वह वाट-रचित ग्रन्थ मेरे लिए ढूंढ देगी। लेकिन अगर वे हेनरी[1] के पास हो, तो उनसे ले लिये जाने चाहिए।

१. हेनरी पोलक।

महादेवकी पुस्तक[1] का काफी अच्छा स्वागत हो रहा है। गाँवमें हाथसे बनने-वाले सभी कागज इसकी तरह घटिया नहीं होते। फिरसे काम शुरू होने पर, यह सबसे पहली खेपका कागज है। तबसे काफी सुधार कर लिया गया है।

महादेवने शायद तुमको बतलाया हो कि वे लोग किस प्रकार बदलेकी भावनासे कार्रवाई कर रहे हैं। यह सब सत्ताको सुदृढ़ बनानेके लिए ही किया जा रहा है!! वे यह अनुभव नहीं करते कि इससे सत्ता किस प्रकार कमजोर पड़ती है। एक विद्वान व्यक्तिने, जिसने सब-कुछ त्याग दिया है, जो इतना अहिंसक है जितना कि किसी भी आदमीके लिए होना सम्भव है, अपनी जेलकी पूरी सजा काट ली है। उसपर जुर्माना भी किया गया था। उस जुर्मानेको उन्होंने उसके भाईसे वसूल कर लिया जिससे कि वह अलग हो चुका था। जुर्माना वापस करना पड़ा। यह सब-कुछ सम्भवतः एक साल पहले हुआ था। अब इस विद्वान व्यक्तिको, जो ग्राम-सेवाका कार्य कर रहा था, कैद कर लिया गया है और वह जुर्मानेके बदले छः सप्ताहकी जेल काट रहा है। इस तरहकी यह पहली वारदात नहीं है।

स्नेह।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८७) से।

४९७. पत्र : अमृतकौरको

दुबारा नहीं पढ़ा

२९ मार्च, १९३५

प्रिय अमृत,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। तुमने चीनीकी समस्या हल करनेमें बड़ी तत्परता दिखाई। अगर बा का धन्यवाद लेना चाहो तो ले सकती हो। हालाँकि 'धन्यवाद' लेने-देनेका रिवाज अच्छा है, फिर भी परिवारके सदस्योंमें इसका व्यवहार कुछ बनावटी लगता है। पर तुम स्वतन्त्र हो; जैसा रुचे, करो।

मुझे पूरा विश्वास है कि थाली और कटोरा खरीदनेमें किया गया खर्च ठीक है।

उम्मीद है कि खानखानामें प्लेगका जो रोग फैला था, अब पूरी तरहसे ठीक हो गया होगा। हम लोग क्योंकि स्वास्थ्य तथा सफाईके नियमोंकी उपेक्षा करते हैं, इसलिए हमें ऐसी सजा मिली — ठीक ही है।

गलती करनेवाले सेवकके सम्बन्धमें जो तरीका तुमने अपनाया है वह सही तरीका है, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। उस व्यक्तिसे जो दूसरोंके साथ बुरा बर्ताव करता है और लोगोंको सदा शककी नजरसे देखता है और डींग मारता है

१. टू सर्वेन्ट्स ऑफ गॉड।

कि मैंने कभी धोखा नहीं खाया, ऐसा आदमी हजार-गुना अच्छा है जो दूसरोंपर विश्वास करता है और धोखा खा जाता है। अलबत्ता, विश्वास करनेके पीछे भावना लालच देनेकी नहीं होनी चाहिए।

लेकिन अध्यक्ष द्वारा सोच-समझकर की गई धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस धोखेकी कलई खुलनी ही चाहिए और उसके लिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ट्रस्टीके इस प्रपंचपूर्ण कामको छिपाये रखना कदापि वैध नहीं है। और वकील तो कहते हैं कि हर गलत कामका उपाय है। इसलिए तुम्हारे अध्यक्षने जनताके साथ जो अन्याय किया है, उसका कोई हल तुम्हें ढूँढना ही चाहिए।

कल मैंने शम्मीके पास कुछ प्रश्न और भेजे हैं। उसे मेरा प्यार देना और कहना कि मैं उसे चैन नहीं लेने दूँगा। यह भी कहना कि मैं उसके सामने ऐसे-ऐसे सवाल रखूँगा जैसे कि उसकी डाक्टरीके दौरान कभी नहीं आये थे।

ठीक कताई सीखनेकी सुस्त रफ्तारसे चिन्तित होनेकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे अधिक मन्दबुद्धि तो नहीं ही हो सकती।

स्नेह।

बापू

श्री राजकुमारी अमृतकौर
जालन्धर शहर

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२५) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६३३४ से भी।

४९८. पत्र: रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको

२९ मार्च, १९३५

प्रिय अंगद[1]

यह पत्र तुम्हें सिर्फ इतना बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मैंने डेविड पायकको पत्र लिखा था। उसे बहादुर लड़का बनना चाहिए।

तुम मुझे अपने बारेमें कुछ क्यों नहीं लिखते?

मैं मौनका आनन्द ले रहा हूँ।

हम सबकी तरफसे प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४५४५) से; सौजन्य: स्वार्थमोर कॉलेज, फिलेडेल्फिया।

१. गांधीजी श्री रेजिनाल्ड रेनॉल्ड्सको रामदूत अंगद कहते थे; तत्कालीन वाइसरायके पास वे ही २ मार्च, १९३० का अन्तिम चेतावनी पत्र लेकर गये थे; देखिए खण्ड ४३, पृ० २-९।

४९९. पत्र : ट्रैंक लेनबीह्को

२९ मार्च, १९३५

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके लिए धन्यवाद।

कृपया यह न सोचिए कि मैं साक्षरताको कम महत्व देता हूँ। हाँ, मैं इस पर उतना बल नहीं देता, जितना कि आप। और मेरे तथा आपके कार्यक्षेत्रमें जो भेद दिखता है वह भी ऊपरी ही है। मूलमें हम एक हैं। मनुष्यके सुख और कल्याणके आप उतने ही अभिलाषी हैं, जितना मैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

डॉ० ट्रैंक लेनबीह
मिण्डान (पी० आई०)

अंग्रेजीकी नकलसे। प्यारेलाल-कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल।

५००. पत्र : नरहरि भावे[1]को

[२९ मार्च, १९३५][2]

मगनलाल गांधीके पिताने मुझे अपने चारों बेटे[3] सौंप दिये थे; उसी प्रकार आपने अपने तीनों बेटे[4] मुझे सौंप दिये हैं। इससे आप कितने मेरे निकट आये हैं इस सम्बन्धमें तो मैं क्या कहूँ? अब तो आप अपने जीवनका शेष भाग मेरे साथ रहकर बितायें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपके विविध ज्ञानका मेरे ग्राम-उद्योगके काममें भी बड़ा उपयोग होगा। मेरे इन्दौरसे लौटनेके बाद आप आ जायें, तो अच्छा रहेगा।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

१. विनोबा भावेके पिता।
२. साधन-सूत्रमें यह इस तारीखके और पत्रोंमें रखा पाया गया।
३. मगनलाल, छगनलाल, नारणदास और जमनादास।
४. विनोबा, बालकृष्ण और शिवाजी।

५०१. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२९ मार्च, १९३५

एक दृढ अस्वीकार छत्तीस मुसीबतें दूर करता है। अंग्रेजी साप्ताहिक 'पंच' की उप-देशावलीमें एक सिद्धान्तवाक्य है। वह यह है' अगर जरा भी सन्देह हो, तो मत करो। "डोन्ट इज पंच्स एडवाइस। . . "[1]

आजकलका वातावरण अत्यन्त अनीतिमय हो गया है, यह तो हम देख ही सकते हैं। ऐसी स्थितिमें मूक-सेवा ही स्वर्णपथ है।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १५७

५०२. पत्र : तगडूर रामचन्द्र रावको

३० मार्च, १९३५

तुम्हारे पत्रसे मेरी उस रायकी पुष्टि हो गई है जो मैं व्यक्त कर चुका हूँ।[2] तुम्हारा अनशन हिंसाका ही एक रूप था। तुम अपने प्रति बेरुखीको धीरजके साथ मौन तथा निस्वार्थ-सेवा करके ही सहानुभूतिमें बदल सकते हो।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी, सौजन्य. नारायण देसाई।

१. गांधीजी ने यहाँ मूल अंग्रेजी उद्धरणका ही प्रयोग किया है।

२. देखिए "एक पत्र", पृष्ठ ३८३।

५०३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

वर्धा
३० मार्च, १९३५

भाई वल्लभभाई,

मैंने तो किसीसे हाँ कहा ही नही। अखबारमें पढा तब मुझे आश्चर्य हुआ। मेरी इच्छा इस समय कही भी जानेकी नही होती। मेरा बस चले तो मैं मौनकी अवधि बढ़ा दूं। यह मुझे बहुत अनुकूल आ गया है। जरूरत पड़ने पर सूचनाएँ दे देता हूँ। परन्तु आपके वचनको कौन टाल सकता है? दूसरा कोई मुझे इस वक्त बाहर नही निकाल सकता था। अगर अब भी मुझे ज्यो-त्यो करके एक वर्ष निकाल लेने दे तो निकाल डालूं। लेकिन अगर मुझे कही ले ही जाना हो, तो वह जगह बोरसद ही हो सकती है। जहाँ अधिकसे-अधिक महामारी हो वहाँ। मडपमें रहना अच्छा लगेगा। रासकी पैदल-यात्रा करेगे। मुझसे चार काम लीजिए. अस्पृश्यता-निवारण, खादी, ग्रामोद्योग और प्लेग-निवारण। किसानोके आँसू पोंछना कोई कार्यक्रम थोड़े ही माना जा सकता है? मुझे और कही न ले जाये। कमसे-कम दिन रखकर बिदा कर दे। मईके मध्यमे कोई भी तारीख रख ले। इन्दौरके बाद वापस आनेकी बात तो रहेगी ही।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५६

५०४. पत्र : मीठूबहन पेटिटको

३० मार्च, १९३५

चि० मीठूबहन,

देखता हूँ तुम्हारा काम तो खूब चल रहा है। शहद बनाने लगोगी, यह अच्छी बात है। चमड़ेका भी कुछ करना। कपास भी बोना।

गुजरात आनेके बारेमें कुछ भी निश्चित नही है। सरदारने माँग अवश्य की है। विचार कर रहे हैं। गये तो भी बहुत करके एक ही जगह जायेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २४३२०) से।

५०५. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

३० मार्च, १९३०

चि० हरिभाऊ,

मुझे तो लगता है कि तुम बिलकुल ही गलत दिशामें भटक गये हो। जो व्यक्ति कोरी भावनाके वशमें आ जाता है उसका यही हाल हो जाता है। मेरी समझमें नहीं आता कि . . .[1]के अभिभावकसे पूछे बिना . . को पूछनेका अधिकार तुम्हें कहाँसे मिल गया। एक ही संस्थाके होते हुए भी तुमने संचालकसे बातचीत करने जितना विवेक भी नहीं रखा। . . . के मनको प्रेरित करनेका अधिकार तुम्हें कहाँसे आया? . . . किसीके विरहमें छीज नहीं रही थी। अभी भी उसका हृदय एक कोरा कागज है। तुम्हें तो . . . का स्वार्थ साधना है। तुम . . के संयमकी तारीफ करते हो। इससे जाहिर होता है कि सामान्य नीतिका तुम्हें बड़ा धुंधला ज्ञान है। उसने दोनोंके एक ही आश्रममें रहते हुए आश्रमके नियमोंका उल्लंघन नहीं किया, इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई। तब तो वे दूसरे लोग जिनके मनमें आश्रमकी लड़कियोंके प्रति कोई विकार पैदा नहीं हुआ देवताओंसे भी बढ़ गये क्या?

. . . बहनको कितना दु:ख हुआ होगा, इसकी कल्पना तुम्हें कैसे हो सकती है? ऐसे मामलेमें . . . को घसीटकर तुमने और भी बड़ा दोष किया है। जो तुमने . . . के साथ किया यदि वैसा ही कोई . . . के प्रति करे तो क्या तुम उसे अच्छा मानोगे? कोई भी चाहे जिस बेटीका बाप बनकर बैठ सकता है, क्या तुम ऐसा कोई अधिकार कबूल करते हो?

मेरी दृष्टिसे तो तुमने . . . का और . . का अनिष्ट किया है। तुमने मेरी स्थिति कठिन बना दी। मुझे . . . बहनको सावधान करना पड़ेगा। . . . को आश्रमसे निकाल बाहर करना पड़ेगा। तुम्हारे पत्रका मैंने यही अर्थ निकाला है कि तुम सभी लोगोंकी अवज्ञा करके . . . के साथ . . . का विवाह करानेका प्रयत्न करोगे और उसमें बेचारी . . . को साधन बनाओगे। मुझे तुम यही करके आश्वासन दे सकते हो कि तुमने जो अधर्म किया है उसे समझ लो और . . बहनको निश्चिन्त कर दो तथा . . . को उसके अधर्मका भान करा दो। किन्तु यदि तुमको ऐसा लगता है कि तुमने जो-कुछ किया है वह उचित किया है तो तुम मुझे तार कर देना कि 'अनकन्विन्स्ड'। इतनेसे मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ जाऊँगा और तब . . बहनसे बात करूँगा। फिलहाल तो मैं किसीसे कुछ कहना नहीं चाहता। इसलिए तुम चिन्तामें मत पड़ जाना। यह चिट्ठी डाँट-फटकारके खयालसे नहीं है। इसका अभिप्राय केवल तुम्हें तुम्हारा धर्म समझाना है।

१. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिये गये हैं।

मुझे जहाँ उतारना ठीक समझो वही उतरनेका प्रबन्ध कर लेना।

मुझे महाराजा[1]को लिखते हुए संकोच नही होता।

मुझे जो पैसा दिया जाना है उस पर सम्मेलनका कोई अधिकार नही होना चाहिए। प्रदर्शनीके बारेमें यथासमय।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०८२) से, सौजन्य: हरिभाऊ उपाध्याय।

५०६. एक पत्रका अंश[2]

[३० मार्च, १९३५][3]

अपने बच्चे पालनेके लिए अथवा अपना भोजन बनवानेके लिए नई शादी करने-जैसा ढोंग शायद ही दूसरा कोई हो। मैं समझता हूँ, अपनी विषयवासना तृप्त करनेके लिए शादी करना है, यह नम्रतापूर्वक स्वीकार करके शादी करना ज्यादा अच्छा है। दूसरी शादी करनेवालेको मृत पत्नीके प्रेमका ढोंग छोड़ देना चाहिए; अथवा यह कहना चाहिए कि वह प्रेम विषयवासनाको तृप्त नही करता।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य: नारायण देसाई।

५०७. पत्र: कासिम अलीको

३० मार्च, १९३५

सैयद साहब,

आपका पत्र मिला। इदौरमे उस बारेमे जांच परताल करूँगा। यो तो मै पुस्तकके बारेमे तलाश करता हूँ।

१. आशय कदाचित् इन्दौरके महाराजासे है। वहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन होने जा रहा था।

२. पत्रलेखकने लिखा था कि मेरी पत्नी नही रही; और मेरे ससुर आग्रह कर रहे हैं कि मैं बच्चोंकी खातिर उनकी दूसरी बेटीसे शादी कर लूँ।

३. साधन-सूत्रमें यह पत्र इसी तारीखकी दूसरी सामग्रियोंके साथ रखा था।

ग्रा० उद्योग संघमें पुस्तक लिखानेका आरम्भ नही किया है। आपने अरजी कब भेजी थी? मैंने यहांके दफ्तरमें तलाश तो की है। अरजीकी नकल भेजीये। संघका काम किस क्षेत्रमें किस तरह करोगे?

आपका,
मो० क० गांधी

श्री सैयद कासिम अली विशारद
बैतूल
मध्य प्रान्त

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७४९) से।

५०८. पत्र : भगवानदीनको

३० मार्च, १९३५

भाई भगवानदीन,

भाई अवधेश पर आया हुआ तुमारा पत्र मैंने पढा है। अवधेशके जैसी गलती बहूत युवक करते है।[1] अवधेशने गलती महसुस की है, प्रायश्चित भी कर लिया है इससे अबी उस बारेमे कोई कलंक न माना जाय। 'हरिजन'[2]में भी मैं ऐसे लिख दूंगा।

मो० क० गांधी

पत्र की फोटो-नकल (जी० एन० ७३६) से।

५०९. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

३० मार्च, १९३५

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला। अच्छा है वही इलाज हो रहा है। यहांसे जानेका हुआ यह भी अच्छा ही हुआ।[3]

मेरे उत्तर परसे जो पूछना है अवश्य पूछो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४३९) से।

१. देखिए पृष्ठ २९५।

२. देखिए पृष्ठ ४५८।

३. ब्रजकृष्ण चाँदीवाला वर्धामें लम्बे अरसेतक रहनेके लिये आये थे। परन्तु अस्वस्थताके कारण मार्चके मध्यमें वापस चले गये थे और इस समय कश्मीरमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे।

५१०. पत्र : हातिम अलवीको

३१ मार्च, १९३५

मुझे तुम्हारा दूसरा पत्र मिला, और उसके बाद तुम्हारे द्वारा भेजी गई पुस्तिका[1] भी। मैंने तुम्हारे पत्रको बडे गौरसे पढा है। तुम्हारा पक्ष निस्सन्देह मजबूत है। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी इस प्रशासे कि ऐसा कोई परिवार नही है जिसके साथ मेरा रिश्ता न हो, मै खुदको गर्वित महसूस कर रहा हूँ। फिर भी, मेरा फर्ज है कि मै किसी औरके मामलेमे हस्तक्षेप न करूँ। जबतक एक ही परिवारमें मतभेद पाये जाते है, उन मतभेदोका आदर तो करना पडेगा ही। हम सभी एक विशाल मानव-परिवार है। तुमने इससे आगेकी जो बात लिखी है, उससे मै सहमत हूँ। ईश्वरके द्वारा पैदा किये गये सब प्राणी एक परिवार है। पर हमें कुछ मर्यादाओको भी मानना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे इस झगड़ेमें बोहरा-जातिसे बाहरका कोई हस्तक्षेप नही होना चाहिए। अगर तुम चहारदीवारी तोडकर उससे बाहर चले गये थे, तो फिर तुम किसी बातकी शिकायत नही कर सकते। अगर तुम बोहरा-लोगोको कोई खास-जमात मानते हो, तो तुम्हारे झगडेका फैसला भी उन्हीके बीच होना चाहिए। मामलेके उस हदसे बाहर चले जाने पर हम सभीको परेशानी होगी।

और फिर प्रश्न है कि अपनी धार्मिक-सस्थाका सम्मान न करके क्या तुमने ठीक काम किया? ध्यान रहे कि मै इस मामलेकी कानूनी नजरसे पडताल करनेकी कोशिश नही कर रहा हूँ। उसका नैतिक रूप ही इस समय मेरे सामने है। अहिंसाकी नजरसे देखें तो तुम्हें अपनी सस्था द्वारा दी गई आज्ञाको मान लेना चाहिए था। वातावरणमें तो पहलेसे ही जहर भरा हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य था, और अब भी है कि तुम्हारे धर्म-गुरु तुम्हारी रायसे सहमत हो जायें, और अगर वे नही तो कमसे-कम बोहरा-जातिके लोग तुमसे सहमत हो। यह तुम्हे मसजिदमें जबर्दस्ती जानेकी कोशिश किये बिना ही करना था। तुम्हारा मकसद सचकी जीत है, अपने हकका दावा करना नही। मै नही जानता कि मैंने जो-कुछ कहा है, उससे तुम किस हद तक सन्तुष्ट हो सकोगे।

१. बोहरा युवक संघने प्रकाशित की थी। इसमें बोहरा समुदायके सुधारवादी और रूढ़िवादी लोगोंके बीच कलहकी चर्चा थी। सुधारवादी चाहते थे कि सभी बोहरा ट्रस्टोंको वक्फ़ एक्टके अन्तर्गत लाया जाये। ऐसा दृष्टिकोण अपनानेके कारण मुल्लाओंने उन्हें धर्मच्युत कर दिया था, परन्तु उन्होंने अदालतके निर्णयके आधार पर मस्जिदोंमें जानेका अधिकार प्राप्त कर लिया था।

स्नेह।

बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

५११. पत्र : ना० रा० मलकानीको

वर्धा
३१ मार्च, १९३५

प्रिय मलकानी,

पत्र मिला। मेरा खयाल है कि मैंने तुम्हें जो पत्र लिखा है उसमें कहा था कि इमारत बनानेमें जली-पुरानी ईंटों और ऐसे ही दूसरे पुराने सामानका उपयोग कर लो। अमतुलसलामके बारेमें तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ। वह भी एक जली ईंट है; कुछ उसी जैसी। तुम उसे जितना प्यार दे सकते हो वह उसकी अधिकारिणी है। तुमने इन्दौर-छात्रावासके बारेमें जो-कुछ कहा है, उसे भी मैं समझ गया हूँ।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१४) से।

५१२. पत्र : मणिलाल तथा सुशीला गांधीको

३१ मार्च, १९३५

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

तुम्हारे पत्र मिले। कुछ घोटाला हो गया है। देवदासके पत्रका कुछ अंश मुझे मिला है और मेरे पत्रका उसके पास चला गया है।

नये एजेंट[1] वाली बात समझ गया। महाराज सिंहने तेरी आलोचना की है, उसके बारेमें सोचना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक काम करनेवालेको यह सब बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जिसे तू अपना धर्म मानता है, वह निर्भयतापूर्वक करता रह।

रामदासका कामकाज फिर पटरीसे उतर गया है। जिसके साथ हिस्सेदारीमें पड़नेवाला था, उसने वह खुद ही तोड़ दी। यह तो अच्छा ही हुआ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३५) से।

१. सैयद रज़ा अली, दक्षिण आफ्रिकामें भारत सरकारके एजेंट।

५१३. पत्र : हरिवदनको

३१ मार्च, १९३५

भाई हरिवदन,

तुम्हारा पत्र मिला। समझ गया। अब परीक्षितलालको लिखता हूँ। मामा तो आकर मिल गये।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४००७) से।

५१४. पत्र : अ० वि० ठक्करको

३१ मार्च, १९३५

भाई ठक्कर बापा,

मैं मौन हूँ तो खरी-खोटी सुननेसे बचनेके लिए नहीं; बल्कि लोग जो-कुछ कहना चाहें उसे चुपचाप सुननेके लिए।

शास्त्री अकेला कॉलम सँभाल सकता है या नहीं, यह देखियेगा। गणेशनकी और उसकी बनेगी या नहीं, यह भी देखियेगा। गणेशनकी ईमानदारीके बारेमें सन्देह हो तो, उसे अवश्य कार्यमुक्त कर दें। जब उसके बारेमें कोई सदेह न हो तभी रखे रहें।

कर्ज यदि कांग्रेसके नाम पर लिया गया हो, तब तो हमें भरना ही पड़ेगा। हुण्डियोंका अगर कोई मूल्य नहीं है, तो मानना चाहिए कि वह संस्था निकम्मी है और एक कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए।

मैं इन्दौरमें २० से २४ तक रहूँगा। फिर यहीं।

बापू

श्री ठ[क्कर बापा]
हरिजन से[वक] संघ
त्रिचनापल्ली, एस० आई०

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११५४) से।

५१५. पत्र : अवधेश दत्त अवस्थीको

३१ मार्च, १९३५

अच्छी बात है। मेरे निकट ही रहोगे जैसे आज है। तुमको कातना इत्यादि नहीं आता होगा तो सिखा दूंगा। दूसरा देख लूंगा। जहाँ तक रहोगे रु० १५ माहवार दिया जायेगा। खानेका खर्च उसमेंसे कट जायेगा। खानेके खर्चका हिसाब करा रहा हु। दिलमें कुछ भावना पैदा होवे मुझे बताते रहो।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च .]

अखबारमे भेज रहा हूँ।[1]

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२१९) से।

५१६. पत्र : अमृतकौरको

वर्धा

१ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी मात्रामें मुझे चीनी और गुड़ भेजो। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो मेरे लिए तो तुम अन्नपूर्णा बन जाओगी।

बहुत अधिक मेहनत करनेके खिलाफ तुम्हारी चेतावनी देखकर मन एक जुमला कसनेको करता है: "हकीमजी, अपना तो इलाज करो।"

तुम्हे राइस जोन्सकी याद है? उसने मुझे कहा है कि शम्मीसे जितना भी ले सकूँ, काम लूँ। क्या मैं पहलेसे ही राइस जोन्स के मुताबिक नहीं कर रहा था?

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२६) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६३३५ से भी।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", पृ० ४५८ उपशीर्षक-"पूर्ण प्रायश्चित्त"।

५१७. पत्र : वालजी गो० देसाईको

१ अप्रैल, १९३५

चि० वालजी,

एक बात तुम्हे लिखना भूल गया था। जीवनजी कुछ दिन पहले यहाँ आये थे। वे कहते थे कि अपनी विशेष वर्तनीके तुम्हारे आग्रहके कारण तुम्हारी पुस्तकोकी बिक्रीमें कुछ अड़चन होती है। वर्तनीके इतने अधिक आग्रहके पीछे कोई सिद्धान्त तो नही ही हो सकता। तो क्या जहाँ सिद्धान्तका प्रश्न न हो, वहाँ बहुमतका सम्मान करना हमारा कर्त्तव्य नही है? यदि सब अपनी ही राय सही होनेका आग्रह रखें, तो न तो जनतामें एकता हो, न कोई सस्था ही चले। यदि तुम्हे अपनी वर्तनीका बहुत आग्रह है, तो पहले उसका प्रचार करके सफलता प्राप्त करो। किन्तु जबतक सफलता नही मिलती, तबतक तुम्हारे विद्यापीठने जिस वर्तनीको मान्यता दी है, उसे स्वीकार करो। यह भी हो सकता है कि तुम अपनी सभी पुस्तकोमें अपनी वर्तनीके नियम तथा उसके समर्थनमें तर्क दो, और यह लिखो कि जबतक वह तुम्हारे साथियोंके गले नही उतरती, तबतक तुम उनकी चलाई हुई वर्तनीको स्वीकार किये रहोगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४७१) से; सौजन्य: वालजी गो० देसाई।

५१८. पत्र : वसुमती पण्डितको

१ अप्रैल, १९३५

चि० वसुमती,

लगता है, मुझे पत्रके साथ थोड़ी-थोड़ी अकल भी तेरे लिए भेजनी पड़ेगी। मैंने तो सामान्य रसोईघरकी बात सभी लोगोके लिए कही थी। उसके लिए इतना बड़ा कुकर है कि उसके भीतर मैं और तू दोनो उबल जायें। उसमें दलिया, साग, दाल, भात और दूधके वर्त्तन एक ही साथ रखे जा सकते हैं। ऐसा कर देनेसे कुछ देखना तो पड़ता ही नही, ईंधनकी भी बड़ी बचत होती है। प्रभावती, बा, किशोरी, सब देवली गाँव प्रदर्शनीमे गये हैं। प्रभासे कहूँगा कि तुम्हे लिखे। शारदा कोटक यहाँ लगभग पन्द्रह दिन रह कर गई।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

गंगाबहन मजेमें होगी। दुर्गाको तो मैंने बोरीवली लिखा है।

श्री वसुमतीबहन
उद्योग संघ आश्रम
बोचासन, बरारता बोरसद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९७) से। सी० डब्ल्यू० ६४३ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित।

५१९. पत्र : अ० वि० ठक्करको

१ अप्रैल, १९३५

भाई ठक्कर बापा,

आपके भेजे कागज मिले। मैंने दोनो अय्यंगारोको लिख दिया है और कागज मलकानीके पास भेज दिये हैं।

१२ तारीखके बाद आपकी राह देखूंगा। तैयार बैठा हूं।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २२७५३) से।

५२०. पत्र : वियोगी हरिको

१ अप्रैल, १९३५

भाई वियोगी हरि,

चर्खा संघ, उद्योग संघ, हरिजन संघके दफतर हिंदीमे रखनेकी समस्या बहुत कठिन है। तीनो दफत[र]में इंग्रेजी जाननेवाले ही कुशल आदमी मिले हैं। हिंदीके कार्यकुशल विशारद मिलते कहां? ऐसी हालतमें क्या किया जाय? मेरे व्याख्यानकी इसमें आवश्यकता नही है। यदि योग्य आदमी मिले तो तीनो दफतरमें आज परिवर्तन हो सकता है। इस बारेमें कुछ सूचना है तो भेजीये। इंदौरमे आओगे ना?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १०९५) से।

५२१. पत्र : हीरालाल शर्माको

१ अप्रैल, १९३५

चि० शर्मा,

खत मिला। अवतक कुछ तार नही है इसलिये देवी अच्छा है[1] ऐसा मानता हूँ। मैंने तो अवतक किसी को इजेक्शन नही लगवाये है। मिट्टीकी पुलटीस इ० ही से काम लिया है। हा, यदि सीमले जा सकते हो तो अवश्य जाओ। कितावें भी यदि हाथ आयगी तो मैं भेजुगा। मौन छुटने के वाद का जो डर है वह व्यर्थ है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१५३) से।

५२२. पत्र : पुरुषोत्तम बावीशीको

२ अप्रैल, १९३५

भाई पुरुषोत्तम,

मैंने आपको इन्दौर आनेके लिए २८ मार्चको पत्र लिखा था। आपके ३१ के पत्रसे मालूम होता है कि तवतक वह आपको मिला ही नही था। हो सकता है, पता[2] शाजीपुरके बदले शामपुर हो गया हो।

आप दोनो इन्दौर जरूर आइये। समय तो यहाँसे निश्चित नही कर सकता। लेकिन हम वात तो करेंगे ही।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२३) से। सी० डब्ल्यू० ४७४६ से भी; सौजन्य : पुरुषोत्तम वावीशी।

१. हीरालाल शर्माके पुत्रको कुत्तेने काट लिया था जिसके घावका इलाज मिट्टीकी पट्टीसे किया जा रहा था।

२. गांधीजीने शामपुर ही लिखा था; देखिए "पत्र : पुरुषोत्तम वावीशीको", पृ० ३८४।

५२३. पत्र : लक्ष्मणदास कपूरको

२ अप्रैल, १९३५

भाई कपूरजी,

रोज सोचता था और रोज ही लिखना रह जाता था। माफ कीजियेगा। दूसरा चश्मा जो आपने भेजा है ठीक बैठता है और मैं रोज उसीसे काम ले रहा हूँ। आभार मानता हूँ।

बापूके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २२१६) से।

५२४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

मणिलालको मिले जवाबकी[1] नकल भेजिये। उसकी भाषापर से दिल्ली लिखनेके पत्रके बारेमें सूझ जायेगा।

ऐसे जवाब तो अभी कुछ भी नहीं है। इससे भी अधिक अपमान होनेवाले हैं। इसीलिये हमें अलग रहकर जो हो सके सो करते रहना है। मैं इसीमें अपनी शक्तिका सग्रह मानता हूँ। वैसे गुस्सा करना तो आसान ही है।

प्लेगका टीका लगवानेके बारेमें मेरे विचारोंपर ध्यान न देकर चलनेमें शायद सुरक्षा हो। मैं तो ऐसे खतरे उठाता ही रहा हूँ और दूसरोंसे भी उठवाये हैं। लेकिन ऐसे वक्त मैं हमेशा मौके पर हाजिर रहा हूँ। इस समय दूर बैठा अपने विचार फेंका करूँ, तो उनका अनुकरण खतरनाक हो सकता है। इसलिए मेरी तो सलाह है कि डॉ० भास्कर कहें सो किया जाये। मैंने अपने विचार उनके सामने रख ही दिये हैं। शायद वह पत्र आपने पढ़ा भी हो।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५७-५८

१. मणिलाल कोठारी, गु० प्रा० कां० स० के सचिव। सजा पूरी होने पर उन्हें सौराष्ट्रमें ले जाकर छोड़ दिया गया था और ब्रिटिश सरहदमें प्रवेश न करनेकी आज्ञा दी गई थी। यहाँ आशय उसके बारेमें लिखे गये पत्रके सरकारी जवाबसे है।

५२५. पत्र : अमतुस्सलामको

२[1] अप्रैल, १९३५

प्यारी बीबी,

मेरे खत मिले होंगे। खुर्जेमें क्या किया? अब तो हरिजनवासमें जानेका मौकूफ रहा? तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। इन्दौर आती है क्या? यहाँ सब ठीक है।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२१) से।

५२६. पत्र : विमलप्रसाद चालिहाको[2]

वर्धा
३ अप्रैल, १९३५

प्रिय विमलप्रसाद,

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मधुबनी हो आये हो। अब तुम्हें निश्चय ही अपने प्रान्तमें इन विविध प्रक्रियाओंका प्रचार करना चाहिए। तुम अ० भा० च० सं० तथा अ० भा० ग्रा० स० दोनों संस्थाओंके सदस्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास 'हरिजन' बाकायदा पहुँच रहा है?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ९७३६) से; सौजन्य : असम सरकार।

१. साधन-सूत्रमें तारीख स्पष्ट नहीं है।

२. १९६९-७० में दिल्लीमें आयोजित 'गांधी-दर्शन प्रदर्शनी' में उक्त पत्रकी फोटो-नकल असम-कक्षमें प्रदर्शित की गई थी।

५२७. पत्र : अमतुस्सलामको

३ अप्रैल, १९३५

प्यारी बीबी,

तुम्हारा खत मिला है। इंदौरसे मैं वर्धा वापिस आ जाऊँगा। झोपडी तैयार होने तक वर्धामें रहो। और भी रह सकती है। झोपडीके बारेमें मलकानीको मैं लिख देता हूँ कि पक्की ईंटके दो कमरे बनावे, भले थोड़ा ज्यादा खर्चा हो। मेरे आनेतक बिलकुल अच्छी हो जाएगी ना?

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२२) से।

५२८. पत्र : ना० रा० मलकानीको

३ अप्रैल, १९३५

प्रिय मलकानी,

अच्छा यही होगा कि अमतुलके लिए तुम दो कमरे बनवाओ और जो सामग्री अन्य इमारतोंके बनानेमें इस्तेमाल कर रहे हो, इन कमरोंके लिए भी उसीका इस्तेमाल करो। जो अतिरिक्त खर्च होगा, उसकी चिन्ता न करो, क्योंकि आखिरकार इमारत हमारी जायदाद हो ही जायेगी।

तुम्हारा,
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१५) से।

५२९. पत्र : डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाको[1]

३ अप्रैल, १९३५

प्रिय डॉ० पट्टाभि,

विना वर्तन, बिस्तर और पूर्व सूचनाके तुमने दो नवयुवकोको भेज कर मुझे बडी ही मुश्किलमे डाल दिया। हम खुद अभी यहाँ ठीकसे जम नही पाये है। हमारी जरूरतके लायक काफी जगह हमारे पास नही है। किसी सस्थाके सिर पर इस तरह लोगोको लाद देना क्या उचित है? मान लो दूसरे भी तुम्हारा अनुकरण करने लगे, तो मेरी क्या दशा होगी?

'सिखानेके विचारसे हमने अभीतक लोगोको लेना शुरू नही किया है। सिखानेको कुछ ऐसा है भी नही। इसलिए मैंने उनको रखकर यह कहा है कि अपने दूसरे कामोके साथ-साथ वे हम सबकी तरह भगीका काम और मजदूरी करेगे। अब मेहरबानी करके फिरसे ऐसा मत करना।

अगर उनके घर या दोस्तोसे लेकर पैसा भिजवाया जा सके तो जानेके किराये और कुछ जरूरी खर्चके लिए पर्याप्त रकम भिजवा देना।

तुम अपने समयका क्या उपयोग कर रहे हो?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इन्सिडेन्ट्स ऑफ गांधीजीज़ लाइफ, पृष्ठ २२५

१. पट्टाभि कहते है: "१९३५ में कोई सत्याग्रही जेलसे छूटनेपर मेरे पास आया और उसने परिचय-पत्र पाकर वर्धा जाकर आश्रम देखनेकी इच्छा जाहिर की। मैंने परिचय-पत्र सहर्ष दे दिया। परिचय-पत्र पाकर जब वह रवाना होने लगा तो रेलवे स्टेशन पर एक और मित्रको साथ ले जानेकी उसने इच्छा बताई। मैंने उसका भी नाम उस पत्रमें जोड दिया।"

५३०. पत्र : अम्बुजम्मालको

वर्धा
३ अप्रैल, १९३५

चि० अम्बुजम,[1]

तुम्हारे पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेके लिए एक पंक्ति लिख रहा हूँ। मुझे त्रिवेन्द्रमसे शहदका एक पार्सल मिला है। क्या वह भी तुमने भेजा है? जबतक मैं न माँगूं मत भेजना। फिलहाल मेरे पास बहुत शहद है। लेकिन तुम बादाम फिर भेज सकती हो। यहाँ मुझे अच्छे बादाम नही मिल पाते।

यदि तुम आ सकती हो तो इन्दौर जरूर आओ। यदि माँ आयें तो उन्हे भी क्यों न लेती आओ।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजीसे: अम्बुजम्माल कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

५३१. पत्र : अब्बासको

३ अप्रैल, १९३५

चि० अब्बास,

बहुत दिनोंमें पत्र लिखा। मैं तो लिख ही चुका हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल, (जी० एन० ६३१०) से।

१. यह हिन्दीमें है।

५३२. पत्र : जमनालाल बजाजको

३ अप्रैल, १९३५

चि० जमनालाल,

कमलनयन और वह कन्या, दोनों पूरी तरह राजी हो और सादगीसे रहनेको तैयार हों, तभी सम्बन्ध निश्चित करना। उतावली करनेकी कोई जरूरत नहीं है। विवाह किये बिना कमलनयन पश्चिम नहीं जायेगा, उसका यह आश्वासन हमारे लिए काफी है। परिपक्व होनेके लिए कमलनयनको अभी बहुत-कुछ सीखना है। उसे अथवा उस लड़कीको आगे जरा भी दुख न हो, यह देखना हमारा काम है।

यदि कमला भवालीमें तुम्हारी उपस्थितिका खास तौर पर आग्रह न करे, तो सिंहगढ जाना शायद ज्यादा ठीक होगा। फिर भी तुम इसपर सोचो। अपने शरीरका ध्यान पहले रखना है। . . .[1] रास्तेमें रहा होगा।[2]

कमलनयन इन्दौर तो आयेगा ही, तब सब मालूम हो जायेगा। यदि सिंहगढ जाना तय हो और वह भी सम्मेलनकी तारीखोंके आसपास, तो इन्दौर होते हुए जाओ; यह मुझे अच्छा लगेगा।

मदालसाका काम ठीक चल रहा है। गंगा शान्त है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९६१)से।

५३३. पत्र : हिन्दी साहित्य सम्मेलनके मंत्रीको

३ अप्रैल, १९३५

प्रधान मन्त्री
अ० भा० हिन्दी सा० स०
इन्दौर

प्रधान मन्त्रीजी,

मेरा खयाल रहा है कि सम्मेलन और प्रदर्शन करनेवाले प्रायः एक ही है। मेरे साथ दोनोंके बारेमें बात भी वही सज्जनोंने की थी जो सम्मेलनके बारेमें आये थे। इसी कारण मैंने प्रदर्शनीका और एक व्याख्यानका कबूल कर लिया और वह भी उसी खतमें जिसमें सम्मेलनकी बात थी।

१ और २. साधन-सूत्रमें कुछ शब्द अस्पष्ट हैं।

१९ ता० को यहांसे मुझे कौनसी ट्रेनमें निकलना होगा और कैसे पहुंचना होगा।

मो० क० गांधी

वीणा, श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल-मई, १९६९।

५३४. 'हरिजन' का पूनासे प्रकाशन

४ अप्रैल, १९३५

केवल खर्चकी बचत और आर्थिक दृष्टिसे 'हरिजन,' जो प्रारम्भमें आर्यभूषण प्रेस द्वारा पूनामें प्रकाशित किया जाता था पर कुछ समय पूर्व मद्रास स्थानान्तरित कर दिया गया था, अगले सप्ताहसे फिर पूनासे प्रकाशित होने लगेगा। श्रीयुत महादेव देसाई उसके सम्पादक होंगे। इस प्रकार 'हरिजन' [अंग्रेजी] तथा 'हरिजनबन्धु' [गुजराती] दोनों समाचारपत्र एक ही प्रेस तथा स्थानमें प्रकाशित होंगे। इसलिए, अब 'हरिजन' के लिए किया जानेवाला सारा पत्राचार आवश्यकतानुसार मैनेजर अथवा सम्पादक, आर्यबन्धु प्रेस, पूना-४ के पते पर ही किया जाये।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-४-१९३५

५३५. पत्र : ऐफी एरिस्टार्चीको

४ अप्रैल, १९३५

तुम्हारे पत्रसे अलेक्जेंडर मायसीकी मृत्युका समाचार ज्ञात हुआ। मरण एक अचूक और सच्चा मित्र होता है, और वह जब भी आये, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। वह जन्मका ही जुड़वां भाई है। हम एकका स्वागत करें और दूसरेसे डरें, यह बात मेरी समझमें कभी नहीं आई। अगर मृत्युके बाद किसी प्रकारका जीवन निश्चित है, तो मृत्यु-प्रदत्त परिवर्तनका हम स्वागत क्यों न करें?

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

५३६. पत्र : अगाथा हैरिसनको

वर्धा
४ अप्रैल, १९३५

प्रिय अगाथा,

तुम्हारी डाक मिली। मैं राजाजीको भेजनेके तुम्हारे सुझाव[1] का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे सम्मुख इस बातको भी स्वीकार कर रहा हूँ कि इस प्रकार प्रतिनिधि भेजे जानेकी बातोंमें मेरी कोई आस्था नहीं है। ब्रिटिश नीति रूढ और जड है। वे लोग किसी भी कीमत पर अपना बिल पास करवा लेना चाहते हैं। वे भारतीयोंकी प्रगतिशील राजनीतिक माँगको छोड कर और सब-कुछ स्वीकार कर सकते हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अगर वे भारतीय लोगोंकी राजनीतिक माँगका एक इंच भाग भी मान लेंगे तो फिर एक गजकी माँग की जायेगी और एक गजकी इच्छा पूरी हो जाने पर भी उन्हें सन्तोष नहीं होगा। उनका यह विश्वास केवल सच्चा ही नहीं बुनियादी भी है। भारतीय जनता स्वतन्त्रताको अपना अधिकार मान कर ही उसकी माँग करती है। अधिकारी-वर्ग कहता है कि शासित बने रहनेके सिवा उनका और कोई अधिकार नहीं है। उनकी यह पक्की धारणा है कि भारतीय अपना शासन स्वयं चलानेके अयोग्य हैं। इसलिए वे हमें जो-कुछ भी देते हैं, नाक-भौं सिकोड कर ही देते हैं। कुछ भी दे दो उससे प्रगतिशील भारतीय राजनीतिज्ञोंको संतोष नहीं होगा। प्रगतिशील भारतीय राजनीतिज्ञ जो मिले उसे लेकर अधिकके लिए लडता ही रहेगा। उन्होंने निश्चित रूपसे यह नीति अपना ली है कि जनताकी माँगको स्वीकार न किया जाये। वे लोग वही देंगे जो उनकी नजरमें ठीक है। इस सबसे मैं खिन्न नहीं होता। हमें जो-कुछ चाहिए, उसे हासिल करनेके लिए हमें अपनी आन्तरिक शक्तिको बढाना होगा।

अब देखो कि यहाँ हो क्या रहा है। पत्रके साथ सलग्न नये अध्यादेश पढो। थोडे-से 'आतंकवादियों' को कुचलनेके नाम पर समूची जनताको दण्डित और अपमानित किया जा रहा है। सरकार यह जाननेकी कोशिश नहीं करती कि आखिर लोग अपनी जान इस तरह दाँव पर क्यों लगाये हुए हैं। जो उन्होंने पहले कभी करनेकी हिम्मत नहीं की, आज वे उसे कर रहे हैं। उन्होंने एक नया दर्शन अपना लिया है।

हालात अपने-आप सुधरेंगे, लेकिन हमारी श्रेष्ठ प्रतिभाओंको तुम्हारे वहाँ आयात करनेसे नहीं। फिलहाल तो तुम्हें मकसदको हासिल करनेके लिए रास्ता बनानेमें लगा ही रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि यहांसे किसीको नहीं जाना

१. अगाथा हैरिसनने अपनी भारत-यात्राके दौरान गांधीजीको सुझाव दिया था कि किसी व्यक्तिको इंग्लैंड जाकर "लोगोंको हालातकी ठीक जानकारी देनेमें मदद करनी चाहिए।"

चाहिए। डॉ० अन्सारी या भूलाभाई जैसे व्यक्ति अपने कामके सिलसिलेमें जायेंगे। और, तब वे कुछ राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं।

अपनी इस रायके बावजूद मैं राजाजीके बाहर जानेमें किसी प्रकारकी रुकावट नहीं डालूँगा। सच तो यह है कि उनको भेजनेके लिए अपना प्रयास मैंने शुरू कर दिया है। मैं चाहूँगा कि वे तुम्हारी खातिर ही जायें।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४८८) से।

५३७. पत्र : जी० सी० ताम्बेको

४ अप्रैल, १९३५

प्रिय मित्र,

सोमवार मेरा मौन-दिवस है। लेकिन अगर किसी और दिन आपका आना सम्भव नहीं है, तो आपसे उस दिन मिल लूँगा। मैं तब देखना और सुनना पसन्द करता हूँ; बातचीत नहीं करता।

आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७९६१) से।

५३८. पत्र : भुजंगीलाल छायाको

४ अप्रैल, १९३५

चि० भुजंगीलाल,

यदि तुम्हें अपने पिताजीकी चोरीसे मुझे पत्र लिखना पड़ता हो, तो हमारा कर्तव्य है कि न तुम मुझे पत्र लिखो न मैं तुम्हें लिखूँ।

जो मनुष्य भविष्यमें किसी बड़े धर्मका पालन करनेके प्रलोभनमें प्रस्तुत छोटे-से धर्मका पालन करनेमें हिचकिचाता है, वह मोहमें फँसा हुआ है। 'आज नो लावो लीजीये रे काल कोने दीठीती'—आजका लाभ ले लो, कलकी किसने देखी है? किन्तु यह छोटा-सा धर्म पालन करना ही चाहो, तो भी अपने पिताजीके साथ परामर्श करके उसमें हाथ लगाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२२५) से।

५३९. पत्र : नारणदास गांधीको

४ अप्रैल, १९३५

चि० नारणदास,

तुम्हारा पत्र मिला।

मेरे लिए तो तुम्हारे राजकोट न छोंडनेका यही एक कारण काफी है कि पिताजी इसके लिए तैयार नही है। उनकी भावना मैं समझ सकता हूँ। जमनादास वहाँ पहुँच गया है इसलिए सम्भव है कि अब वे मान जाये। किन्तु अभी तो यह सब सोचना व्यर्थ लगता है। पाठशाला ठीक चल रही है और जबतक वह किसी उपयुक्त व्यक्तिको नही सौप दी जाती तबतक तुम वहाँसे नही जा सकते, यह बात भी है। पाठशालाके विषयमे तुमने जो-कुछ लिखा है वह बिल्कुल ठीक है। जो जाना चाहे उसे जाने दे और परिस्थितिके अनुसार जो किया जा सके उतना करके सन्तोष माने, यही उचित है। अग्रेजीके शिक्षककी तुम्हारी आवश्यकताको मैं याद रखूंगा। जबतक न मिले तबतक तुमसे जो हो सके करना।

विनोबाको मैं अच्छी तरह समझा नही सका। अभिप्राय यह था कि तुम्हारी या इस कामको जो भी उठाये उसकी अतिम जिम्मेदारी कुछ हलकी की जा सके। मैथ्यूका प्रश्न कुछ अटपटा था। मुझे लगता है कि मैं उसे हल कर सका हूँ। यह मामला अन्य सब लोगोके लिए कठिन ही था। अभी कुछ और समझाना शेष रह गया हो तो मुझे लिखना। किन्तु फिलहाल तो इसकी कोई जरूरत मालूम नही होती।

मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मेरा प्रमुख मुद्दा यह था कि पिताजीकी स्वीकृतिकी बात छोड़कर बाकी सारी व्यवस्था तुम्हे इस प्रकार करना चाहिए कि तुम वहाँसे जब भी आवश्यक हो जाये तुरन्त मुक्त हो सको।

अमतुल इस समय तो इन्दौरमे अपने भाई मियाँ रशीदके साथ है। मैं वहाँ जानेवाला हूँ। इसलिए वह वहाँ पहलेसे ही चली गई है।

क्या कुरैशी आजकल अपने लिए [पैसा] निकालते है?

शालाके लिए यदि जमीन खरीदना हो तो खरीद लो। 'ट्रस्ट डीड' के विषयमें यदि मैंने अभीतक कुछ कहा न हो तो मुझे उसकी नकल भेजना। मेरा ऐसा खयाल है कि मैं जमनादासको लिख चुका हूँ।

इसके साथ लीलावतीका पत्र है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३५ से भी; सौजन्य: नारणदास गाधी।

५४०. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

४ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

खूब पकड़े गये[1] लगते हैं। मणिका पत्र आया है। बिना कुटे चावल शायद आपसे न खाये जायें। यहाँ तो सबको पच जाते हैं। इनसे किसीको भी कब्ज तो नहीं होना चाहिए। परन्तु प्रयोग आपके लिए नहीं हो सकते। आप तो शरीरको टिकाये रखें, इतना काफी है। जरूरी भोजन करते रहेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

अगाथाका पत्र आया है। वह राजाजीको विलायत भेजनेकी लगातार माँग कर रही है। कोई भी जाये, वह इस समय वहाँ कुछ कर नहीं सकता। ऐसे लोगोंके जानेका शायद भविष्यमें उपयोग हो सकता है।

अपनी राय बताइए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५९

५४१. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

४ अप्रैल, १९३५

चि० हरिभाऊ,

प्रदर्शनीकी बात समझा।

जो हो सकता हो, सो करना। मेरे कुर्सी पर न बैठनेसे यदि महाराजा और महारानी कुर्सी पर बैठनेमें सकोच करें, तो उतनी देरके लिए मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ेगा।

इन्दौरमें हिन्दी प्रचारके लिए चाहे जितना पैसा जमा हो, मुझे तो दक्षिण भारतको एक लाख देना है। द० भा० यानी वह भाग जहाँ चार द्राविड भाषाएँ बोली जाती हैं: तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड। इसका अर्थ यह हुआ कि एक लाखकी थैली द० भा० में हिन्दी प्रचारके लिए अथवा जहाँ मुझे ठीक लगे वहाँ हिन्दी प्रचारके लिए अलगसे सुरक्षित कर दी जाये। और जगह भी प्रचारके लिए यह

१. वल्लभभाईको बोरसदमें बुखार आने लगा था।

रकम खर्च की जा सके, इस विकल्पकी रिआयत इसलिए माँग रहा हूँ, जिससे इच्छा हो तो असम जैसे प्रान्तोंमें भी उसका उपयोग कर सकूँ। मुझे इस रिआयतकी जरूरत नहीं है; लेकिन इस रिआयतकी वजहसे अगर ज्यादा चंदा मिलता हो, तो ठीक है।

इन्दौरकी मल-निस्तारण व्यवस्था उत्तम मानी जाती है। मुझे वह दिखाना मत भूल जाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ६०८३) से, सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय।

५४२. पत्र : हरिभाऊ उपाध्यायको

४ अप्रैल, १९३५

चि० हरिभाऊ,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें . . .[1]को शान्ति प्रदान करनेके लिए पत्र अवश्य लिखना चाहिए था। मेरे साथ भले ही अभीतक विचार-विमर्श चल रहा हो, फिर भी तुम उसे लिख भेजो। मैं अभी तुम्हारे पत्रका उपयोग नहीं कर रहा हूँ।

तुम भूलमें हो। तुम्हारा यह कहना कि . . .[2]के विषयमें तुम यही नीति अपनाओगे, तुम्हारी बिना विचारे कही हुई बात है। यदि यही नीति अपनाओ, तो मैं कहूँगा, कि तुमने . . .[3]के प्रति पिताके कर्त्तव्यको नहीं समझा है। पिताके नाते तुम्हारा इतना आग्रह तो होना ही चाहिए कि तुम्हारे प्रियतम मित्र भी यदि उससे कोई नाजुक बात करें, तो पहले तुमसे परामर्श करके हीं। एक चतुर पिताके नाते तुम जितना . . .[4]को जानते हो, उतना दूसरा कैसे जान सकता है? . . .[5]के साथ बातें करना, सो भी ऐसी बातें, और वे भी उसके पिताके अनजानेमें — यह अवश्य ही नीतिके विरुद्ध बात है।

किन्तु अब तो तुम . . .[6] और . . .[7]को सब-कुछ लिखकर अभय दो, यही काफी होगा। . . .[8]के मन पर क्या असर हुआ है, यह तो भगवान जाने। उसका उपाय अब नहीं रहा। उसका मन अछूता रहना चाहिए था, इस विषयमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

. . .[9] जो नहीं करना चाहिए, कर रहा है। किन्तु इससे माता-पिताका जो धर्म मैं जानता हूँ, मैंने नहीं छोड़ा है। हो सकता है, यह उसे अभी अच्छा न लगता हो। किन्तु सच्चे माता-पिता तो, उसके और अपने, सबके हैं न? वे थोड़े ही किसीको भूलते हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ६०८६) से; सौजन्य : हरिभाऊ उपाध्याय।

१ से ९. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिये गये हैं।

५४३. पत्र : रजब अलीको[1]

गुरुवार, ४ अप्रैल, १९३५[2]

भाई रजब अली,[3]

कैसे डाक्टर हो तुम लोग! बीमारोंसे कहते हो "पॉलिश्ड (कुटा) चावल खाना बन्द करो। अनपॉलिश्ड (अनकुटा) चावल खाओ। उससे तुम्हारा कब्ज दूर हो जायेगा।" और जब मरीज कहता है कि "साहब, बाजारमें तो यह चावल मिलता है," तब तुम उसे यह कहते हो कि "इसकी जाँच करनेका काम मेरा नहीं है। इसके लिए तुम इंडस्ट्रियल कैमिस्टके पास जाओ। कोई कठिनाई नहीं होगी।" इसका तो यह मतलब हुआ कि उसे वहाँ फीस देनी पड़ेगी। अजब तुमने दुनिया खुदाया बनाई!

जेनाबहन[4], तुम कैसा चावल पकाती हो — पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड या जो नौकर लाता है सो?

बापूके आशीर्वाद[5]

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात; सौजन्य: प्यारेलाल। हरिजन, १३-४-१९३५ से भी।

१. महादेव देसाई लिखित "वीकली नोट्स" से उद्धृत। साधन-सूत्रमें पानेवालेका नाम नहीं दिया गया है। नाम गुजराती प्रतिसे दिया जा रहा है। इसमें पहले गांधीजीने रजब अलीसे कुटे और अनकुटे चावलोंके तुलनात्मक गुणोंके बारेमें पूछा था। रजब अलीने कहा था "यह मेरा विषय नहीं है। कुटे और अनकुटे चावलोंके बारेमें आप जो प्रश्न पूछते हैं वह तो औद्योगिक रसायन-शास्त्र (इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री) का विषय है।"

२. गुजराती प्रतिमें यही तिथि दी गई है।

३ और ५. सम्बोधन और हस्ताक्षर गुजराती प्रतिसे लिये गये हैं।

४. गुजराती प्रतिसे लिया गया है।

५४४. पुर्जा : बलवन्तसिंहको

४ अप्रैल, १९३५

चि० बलवंतसिंह,

१. शामके लिए रोटी न रहे तो दोपहरको हमेशा थोडी बननी चाहीये। कल जो हुआ वह हमारे लिए शोभाप्रद नहीं था।

२. अब जो लकडी जलती है उसमे और कुकरके पहले जलती थी उसमें कुछ फरक है?

३. राजकिशोरीको आधा घंटा या एक हिन्दी सिखानेमे दे सकते हैं?

४ कालेवाले कमरेके बारेमें क्या है?

५ बडे प्लाटमें भाजी होगी?

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १८७२)से।

५४५. पुर्जा : बलवन्तसिंहको

४ अप्रैल, १९३५

चि० बलवंतसिंह,

तुमारी अस्वस्थता अच्छी नहीं लगती है। यदि तुमको वहा का जलवायु अनुकूल नहीं है और मन आनंदित नहीं रहता है तो मैं बलात्कार से रसोडेमे तुमको रखना नहीं चाहता हूं। कहो तो कोई दूसरा काम दे दू। सब से अच्छा शायद यह होगा कि अपनी देहातमे जाकर बैठो। सुरेन्द्र के साथ मशविरा करो।

एकांतवास के लिये कमरा कैसे? एकांतवास तुमारे लिये वृक्षोंके नीचे, हृदयकी गुफामें।

विश्वम्भरजी का लिखना उचित है। उनका यहा आना निरर्थक समजता हू।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १८७४)से।

५४६. पुर्जा : बलवन्तसिंहको

४ अप्रैल, १९३५

चि० बलवंतसिंह,

मेरे साथ रहना और मेरे साथ रहनेवालोंसे प्रेम और परिचय नहीं रखना यह कहाँतक निभ सकता है? यदि यहाँ रहनेमें आनन्द आता है तो तुमको सब अच्छे लगने चाहिए, और है भी अच्छे। मेरे साथ रहनेमें और सीखना हीं क्या है? सबकी सेवा करना है, इसलिए सबसे प्रेम करना है, ऐसा निश्चय करो। आप भले तो जग भला।

तुम उसको कमरा दे दो, क्योंकि तुम तो पेडके नीचे भी रह सकते हो। तुम मुझे छोडकर भागनेवाले नहीं हो, लेकिन हरिलाल तो मुझसे दूर-दूर भागता है। अब उसके दिलमें राम बैठा है और मेरे पास आया है, तो छोटी-छोटी बातोंके लिए मैं उसको तंग करना नहीं चाहता हूँ। अगर वह टिक जाये तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे बड़ा सन्तोष तो बा को होगा। बा की यह बडी शिकायत है कि मैं हरिलाल पर ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं अपने ढंगसे ही ध्यान दे सकता हूँ। मेरे मनमें मेरे और परायेका भेद नहीं है। जो मेरे रास्ते चलता है वह मेरा है। दूसरे रास्तोंसे चलनेवालोंका मैं द्वेष नहीं करूँगा, लेकिन उनकी मदद भी नहीं करूँगा। इसलिए तुमसे मैं त्यागकी आशा रख सकता हूँ, हरिलालसे नहीं।

बापूके आशीर्वाद

बापूकी छायामें, पृ० ७२

५४७. डॉक्टरी सहायताकी सीमा

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी प्रवृत्तियाँ शुरू होते ही डॉक्टरी सहायताने कई कार्यकर्त्ताओंके कार्यक्रममें यदि एकमात्र नहीं तो अत्यन्त महत्वका स्थान जरूर ले लिया है। इस सहायतामें डॉक्टरी, आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथीकी दवाइयाँ या ये सभी दवाइयाँ गाँववालोंको मुफ्त बाँटनेका काम रहता है। इन दवाइयोंके व्यापारी अपने पास आनेवाले कार्यकर्त्ताओंको कुछ दवाइयाँ देकर आभारी बनानेके लिए हमेशा तैयार रहते है। इन दवाइयोंकी कीमत उन्हे बहुत थोडी चुकानी होती है और ये दवाइयाँ, उनकी अपनी रायमें, अगर वे इस दानको केवल स्वार्थकी दृष्टिसे ही देखें तो, बदलेमें उन्हे ज्यादा ग्राहक दे सकती है। गरीब बीमार इस तरह नेकनीयत लेकिन अधूरी जानकारी रखनेवाले या जरूरतसे ज्यादा उत्साही

कार्यकर्ताओके शिकार हो जाते है। इनमे से तीन-चौथाई दवाइयाँ न सिर्फ बेकार होती है, बल्कि दृश्य नही तो अदृश्य रूपमें बीमारोको नुकसान भी पहुँचाती है। जहाँ वे बीमारोको थोडे समयके लिए ही राहत पहुँचाती है, वहाँ गाँवके बाजारमे उनकी जगह लेनेवाली दवाइयाँ भी आम मिलती है।

पश्चिमके चिकित्सक धीरे-धीरे ही सही मगर निश्चित रूपसे यह समझते जा रहे है कि रोगियोको जितनी कम दवाएँ दी जाये, उतना अच्छा। अच्छे डॉक्टर तो अपने रोगियोसे यह कभी नही छिपाते कि उन्हे कौन-सी दवाई दी जा रही है। वे नुस्खोमें जरूरतसे ज्यादा दवाएँ नही देते बल्कि सादी और निरुपद्रव औषधियाँ देते है। रोगीका ठीक निदान करके, उसका भय दूर करके सतत परिचर्या और भोजनादि परिवर्तनके द्वारा रोगका निराकरण करना ही वे अपना सबसे बड़ा काम मानते है। वे दिन-ब-दिन इस विचारके कायल होते जा रहे है कि प्रकृति ही सबसे समर्थ वैद्य है।

इसलिए जिस डॉक्टरी सहाताका मैंने वर्णन किया है, उसे अ० भा० ग्रामोद्योग सघ बिलकुल छोड रहा है। इसलिए उसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी और आर्थिक बातोमे गाँववालोको शिक्षा देना है। लेकिन क्या इन दोनोका कोई परस्पर सम्बन्ध नही है? क्या लाखो लोगोके लिए स्वास्थ्य ही धन नही है? उनके शरीर, न कि उनकी बुद्धि, धन कमानेके मुख्य साधन है। इसलिए ग्रामोद्योग सघ लोगोको बीमारीसे बचनेकी शिक्षा देना चाहता है। सब कोई जानते है कि देशके लाखो लोगोको पोषणकी दृष्टिसे बहुत घटिया खुराक मिलती है और जो-कुछ वे खाते है उसका दुरुपयोग करते है। सफाई और स्वच्छताका उन्हे बिलकुल ज्ञान नही है। गाँवोमे सफाईका नाम नही है। इसलिए अगर ये दोष दूर कर दिये जाये और गाँवके लोग सफाईके सादे नियमोको समझकर उनका पालन करने लगे, तो उनकी ज्यादातर बीमारियाँ बिना ज्यादा प्रयत्न या खर्चके गायब हो सकती है। इसलिए सघ दवाखाने खोलनेका विचार नही करता। इस बातकी जाँच की जा रही है कि गाँव दवाइयोके रूपमे क्या दे सकते है। सतीश बाबूके सस्ते इलाज उसी दिशामें किये गये प्रयत्न है। यद्यपि वे अत्यन्त सादे है, फिर भी सतीश बाबू इस बातका प्रयोग कर रहे है कि गुणकारिताको कम किये बिना उन इलाजोकी सख्या बहुत कम कैसे की जा सकती है। वे बाजारमे मिलनेवाली जड़ी-बूटियोका अध्ययन कर रहे है, उनकी परीक्षा कर रहे है और उसी तरहकी अग्रेजी दवाओसे उनकी तुलना कर रहे है। हेतु यही है कि भोले-भाले ग्रामवासियोको रहस्यमयी गोलियों और दवाओके डरसे दूर रखा जाये।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, ५-४-१९३५

५४८. पण्डे-पुजारी और अस्पृश्यता

सिवसागरसे एक सज्जन लिखते है :[1]

गत वर्ष जब मै हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें असम प्रान्तका दौरा कर रहा था, तब मैने जाना था कि चायबागानके कुली वहाँ अस्पृश्य समझे जाते है और मीरी लोगोको भी वहाँ अस्पृश्य ही मानते है। खैर, वह चाहे जो हो, पर यह एक गम्भीर प्रश्न है कि जहाँ लोगोके विश्वासका पण्डे-पुजारी अनुचित लाभ उठाते हो, और जहाँ निरपराध पशु-पक्षियोका बलिदान होता हो, क्या ऐसे मन्दिरमें हरिजनोंके प्रवेशका आन्दोलन चलाना उचित है?

इसमें सन्देह नही कि मन्दिरोका सुधार एक अलग प्रश्न है। पर सुधार होने तक हरिजनोका मन्दिर-प्रवेश रुका थोड़ा ही रहेगा। तथापि मै उन मन्दिरोंको छोड देता हूँ जहाँ पशु-पक्षियोकी बलि चढ़ाई जाती है। जबतक यह पशु-बलि बन्द नहीं हो जाती, तबतक मै इन मन्दिरोकी बात नही करूँगा। मन्दिरोंके भीतरी भ्रष्टाचारका भक्त पर असर नही पड़ सकता, क्योकि उसे उसका कोई पता ही नही चलता। पर इस पशु-बलिके साथ तो प्रत्येक पूजा करनेवालेका घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि उसे ऐसी बलि चढानी ही पडती है। और पहले-पहल जो हरिजन ऐसे मन्दिरमे जायेगा उससे स्वभावत. यह आशा की जायेगी कि वह जरूर एकाध निरीह पशु-पक्षी चढानेको लाया होगा। वह मांस खाता हो या न खाता हो, पर उसे एक निर्विकार हरिजनको यह सिखानेका पाप तो अपने सिर पर लेना ही होगा कि ईश्वर अपने भक्तोसे यह आशा रखता है कि वे उसे उन मूक प्राणियोके रक्तसे सन्तुष्ट करे जिन बेचारोने न कोई पाप किया है और न जिन्हे पापका कुछ भान ही है। मै चाहता हूँ कि असमके नेता देरगाँवके इस मन्दिरको पशु-बलिके कलुष-कलकसे मुक्त कर दें। इसका यह जवाब नही है कि इस सुधारका आरम्भ देरगाँव-जैसे अप्रसिद्ध मन्दिरसे नही, बल्कि काली-मन्दिरसे होना चाहिए। अधिकाश सुधारोका आरम्भ मूलत. अल्प रूपमें ही हुआ है। अगर ये छोटे-छोटे मन्दिर निरपराध प्राणियोकी हत्याके पाप-कलकसे अपनेको मुक्त कर ले तो फिर काली-मन्दिरका विशाल पापगढ तो अपने-आप ही ढहकर गिर पडेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-४-१९३५

१. पत्र यहाँ नही दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने देरगाँव (असम) के मन्दिरमें निरीह पशु-पक्षियोंकी बलि दी जानेकी बात लिखी थी। उसने यह भी लिखा था कि इस मन्दिरमें चाय-मजदूरों तथा मीरी जातिके लोगोंको प्रवेश करने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें अस्पृश्य समझा जाता है।

५४९. पत्र : अमृतकौरको

५ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

गुड और शक्कर[1] दोनो बढिया है। मै नही जानता कि बा शक्करके बारेमें क्या राय देगी। जब भी वह राय देगी, मैं तुमको लिख दूँगा।

गुड तथा इमलीके बारेमें शम्मीकी टिप्पणी बडी उपयोगी है और मै 'हरिजन'[2] मे उसका उपयोग कर रहा हूँ। मैं जब भी कभी उसपर कामका अनुचित भार डालने लगूँ तो वह खुद या उसकी तरफसे तुम मुझे चेता देना। मेरे पास तो चिकित्सा तथा रसायन-सम्बन्धी इतनी सारी पहेलियाँ सुलझानेको है।

जो कागज तुमने भेजे थे, उन्हे मैं वापस भेज रहा हूँ। पढनेमे रुचिकर हैं। लेकिन हमे खुद ही अपना हल खोजना पड़ेगा।

तुम जब अभ्यस्त हो जाओगी, तब चिकने लिनेनकी जगह झीनी खादीकी चादरो को पसद करने लगोगी। खादीकी चादरोकी जैसी मुलामियत मेरे मनमे है, वह उनकी अपनी ही विशेषता होती है। वह हल्की होती है और उसमे से हवा आ-जा सकती है। यह अतिशयोक्ति नही है। यह तो अनुभव करके ही देखा जा सकता है। हाँ, ठीक किस्मकी खादी लो। अगर प्राप्त करनेमे सफलता न मिले, तो मुझे अवश्य लिखना।

क्या मैं यहाँसे अच्छी पूनियाँ भेज दूं? तुम जब अगली बार आओगी, मैं तुम्हे रूई धुनना सिखा दूंगा। यह बहुत आसान है। तुम पूनियाँ मुझसे मत मँगाना। उन्हे स्वय ही तैयार करना चाहिए।

सुबह होनेको है, अब मुझे लिखना बन्द करना चाहिए।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२७) से, सौजन्य. अमृतकौर। जी० एन० ६३३६ से भी।

१. बूरा।

२. हरिजनके २० अप्रैलके अंकमें प्रकाशित।

५५०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

५ अप्रैल, १९३५

चि० प्रेमा,

आज तेरे ८-२-१९३५ के और ३०-३-१९३५ के, दोनो पत्रोका उत्तर देने बैठा हूँ। अब किसन कैसी है? क्या करती है? समय किस प्रकार बिताती है?

तेरा हल चलाने और चरस खीचनेका धन्धा अब भी जारी है?

जिन लोगोपर तेरा असर हो सके तुझे चाहिए कि तू उन्हे जन्म-मरणके खर्चमे कमी करनेको कह। सब न माने तो भी कुछ तो मानेगे ही।

नरीमैनका और तेरा सवाद अच्छा है। यह सच है कि अधिकतर लोग अहिसाका नीतिके रूपमे ही पालन करते है।[1] परन्तु तेरे-जैसे कुछ तो है ही, जो धर्म समझकर उसका पालन करनेका महाप्रयत्न कर रहे है। अन्तमे तो यह अहिसा ही काम देगी।

भारतके स्वतन्त्र होनेपर भी सेना तो रहेगी ही। अपनी अहिसामे मै अभी इतनी शक्ति नही पाता जिससे लोग सेनाकी अनावश्यकताकी बात मान ले। और सेना होगी तो सैनिक शिक्षण भी होगा ही। यह तो अनुमान हुआ। ऐसा होना असम्भव नही कि यदि हम सचमुच अहिसासे स्वतन्त्रता ले ले तो सेनाकी जरूरत न रह जाये। जैसे अहिसाकी शक्ति अपार है, वैसे ही अहिसककी शक्ति भी अपार है। अहिसक खुद कुछ नही करता। उसका प्रेरक ईश्वर होता है, इसलिए वह स्वय कैसे कह सकता है कि भविष्यमे ईश्वर उससे क्या काम करायेगा? इसलिए यहाँ सिद्धान्तके साथ समझौतेका प्रश्न नही, शक्तिके मापका प्रश्न है। साँपसे डरकर मै साँपको मारूँ, तो मै कोई समझौता नही करता। अपनी अशक्तिका प्रदर्शन करता हूँ। ईश्वरने इससे ज्यादा शक्ति मुझे नही दी अथवा ऐसी शक्ति पाने लायक आत्मशुद्धि मैने नही की — तप नही किया, यह कहा जायेगा। समझौता तो मनुष्य जान-बूझकर करता है।

पूर्ण सत्याग्रही अर्थात् ईश्वरका पूर्णावतार। तेरे मनमे क्या इस बारेमे शका है कि ऐसा पूर्णावतार जगतको हिला सकता है? यह कहनेमे अतिशयोक्ति नही कि यह जगत ऐसा अवतार पैदा करनेकी प्रयोगशाला है। हम सब अशरूपमे तैयारी करेगे तो किसी दिन पूर्णावतार जरूर प्रकट होगा, ऐसा हमे विश्वास रखना चाहिए। तब तुझे सेनाका प्रश्न पूछना नही पड़ेगा।

१. नरीमैनका कहना था कि कांग्रेसने अहिंसाको केवल नीतिकी तरह अपनाया है और देशके स्वतंत्र हो जानेके बाद उसे सेना रखनी ही पड़ेगी।

सरकार यन्त्र है, मगर उसे चलानेवाला यान्त्रिक तो है न? गायन सुनने अथवा नृत्य देखनेमे दोष नही, यदि वह अश्लील न हो। परन्तु हमारे बदले कोई पैसे दे और हम चले जाये, यह जरूर खटकेगा। एकको देगा, अनेकको कौन देगा? हम तो अनेक हैं। परन्तु इसमें सब अपनी शक्तिके अनुसार बरते।

पावरोटी सम्बन्धी महादेवका लेख संग्रहणीय है। कुओकी सफाईका प्रश्न बहुत बडा है। सीढियोवाले कुओकी सीढ़ियाँ तू बन्द करा सके, तो बडा काम हुआ माना जायेगा।

तेल छाननेकी क्रिया मुझे अच्छी तरह लिखकर भेज, ताकि मैं उसे आजमा सकूँ।

तेरा वजन भले ही बढ़े। खटाईकी जरूरत है। मैंने तो यहाँ इमली और प्याज दोनो शुरू किये है।

सुशीला परीक्षिका नियुक्त हुई है तो अपने पारिश्रमिक का हिस्सा दे और परीक्षा-पत्र मौलिक तथा सरल बनाये।

मासिकधर्मके बारेमे मैंने जो लिखा है वह ठीक है। ऐसी निर्विकारिता आनेमे बहुत देर लगती है। विकार ऐसी सूक्ष्म वस्तु है कि हम उसे सदा नही पहचान पाते।

जवाहरलालको छुडवानेकी दौड़-धूप यूरोप करे, यह ठीक है।

असेम्बलीके मतका आदर नही किया जाता, इससे मुझे निराशा नही होती। यह परिणाम तो ध्यानमे था ही। वहाँ जाना आवश्यक था और है।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके बारेमें मौन रखता हूँ, क्योकि मै कुछ भी करनेमे असमर्थ हूँ। गजराज थक गये तो उन्होने मौन धारण कर लिया और प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना फली। मेरी स्थिति गजराज जैसी समझ। मेरी प्रार्थना चल रही है। मोक्ष तो जब आये तब सही। उसका काल-निर्णय जाननेकी अनासक्तको क्या उतावली है?

यहाँ नये आदमी बहुत हो गये हैं। रसोईघर बिलकुल सादा हो गया है। सब कुछ भापसे पकाया जाता है। इसलिए एक ही बरतनमे तीनो चीजोके बरतन रखकर साथ-साथ चढाते हैं। समय खूब बच जाता है। रोटी बनाना-भर रह जाता है। रोटी बनानेकी क्रियाको भी आसान बनानेका तरीका खोज रहा हूँ।

तेलकी घानी चल रही है। पासका गाँव रोज साफ होता है। मै तो एक ही बार गया था। महादेव रोज जाते हैं।

तुझे फुरसत मिले और तेरी इच्छा हो तब तू आ सकती है। इन्दौर आनेकी इच्छा हो तो तू वहाँ भी आ सकती है।

अब बस।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३६९) से। सी० डब्ल्यू० ६८०८ से भी, सौजन्य: प्रेमाबहन कटक।

५५१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

५ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

वैरी बुखार अब बिलकुल चला गया होगा। उसे तो आप अपने पास खड़ा ही न रहने दें।

स० प्रा० जायें तो अच्छा ही है। आप जो कहेंगे वह किसीको खटकेगा नहीं। "आपके सच्चे नायक जवाहर हैं। हम तो उनके ट्रस्टी बनकर ही आपके पास खड़े हैं।" यह ताना बनाकर उसमें जो बाना डालना हो डालिए। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि आपको इतने आग्रहसे बुलाया गया है।. . .[1]

आपकी पुस्तिकाएँ सब ध्यानसे पढ जाता हूँ। कलसे उन्हें सँभालकर रखने लगा हूँ। मणि रखती ही होगी। एक सेट यहाँ भी रह सकता है। पहले सात अंक भेजनेको मणिसे कह दें।

आपको "लकी बैग" मिले तो मुझे हिस्सा देंगे न?

राजाजीको पत्र लिखिए। वे अकेले पड गये लगते हैं। सतत काम कर रहे हैं। दो बात किसीसे कर सके, ऐसा भी नहीं लगता।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १५९-६०।

१. साधन-सूत्रमें कुछ अंश छूटा हुआ है।

५५२. पत्र : अमृतकौरको

वर्धा

६ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

तुमने गुड़ और शक्करके बारेमें जो कहा है उसे मैं समझता हूँ।

मैं इन्दौरसे सीधा लौट रहा हूँ। यात्रासे सम्बन्धित समाचार बिल्कुल गलत था। मुझे बादमें शायद गुजरात भी जाना पड़े।

उम्मीद है कि जुलाईमें मैं यहीं तुम्हारा स्वागत करूँगा।

स्नेह।

बापू

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७१२) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६८६८ से भी।

५५३. पत्र : गोविन्द रावको

६ अप्रैल, १९३५

प्रिय गोविंद राव,

यद्यपि लापरवाही सर्वथा अकारण थी — तुमने यही कहा है — तथापि तुमने अब श्री थॉमसनके प्रति अपने व्यवहारकी चूकका पूरी तरह प्रतिकार कर दिया है।

जहाँतक महिलाओंकी बात है, अगली सर्दीके मौसम तक रुको। खैर, क्या वे अपने भोजनका खर्च देंगी? क्या उन्हें हिन्दी आती है? उनको भेजनेका समय आने पर, तुम इस सम्बन्धमें प्रबन्धकको अवश्य लिख देना।

तुम्हारा
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १३८३) से।

५५४. पत्र : नारणदास गांधीको

६ अप्रैल, १९३५

चि० नारणदास,

संलग्न पत्र पढना। उसका मैंने जो उत्तर दिया है उसकी नकल साथमें रख रहा हूँ। यदि वह इस शर्तपर आये तो उसे रख लेनेकी मेरी सलाह है। किन्तु यदि तुम्हारा मन स्वीकार न करे तो तुम मुझे निसंकोच 'न' का तार कर देना। तुम्हें 'न' कहना हो तो मैं तुमसे तार देनेके लिए इस कारण कह रहा हूँ कि यदि मैथ्यू आनेके लिए तैयार हो तो उसे बेकार प्रतीक्षा न करनी पड़े।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो – ९ : श्री नारणदास गांधीने, खण्ड २, पृ० १८५। सी० डब्ल्यू० ८४३६ से भी; सौजन्य : नारणदास गांधी।

५५५. पत्र : भगवानजी पी० पण्ड्याको

६ अप्रैल, १९३५

चि० भगवानजी,

बलवन्तसिंहको क्या कष्ट है? क्या उसके साथ किसीने अन्याय किया है? अथवा कोई उसे तंग कर रहा है?

बापू

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ३०१४) से; सौजन्य : भगवानजी पी० पण्ड्या।

५५६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

६ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

. . .[1]ने मेरे नाम भी ऐसा ही पत्र लिखा था। यो पैसे माँगता ही रहता है। मैंने इसका कारण पूछा है। आपको न सतानेको लिख रहा हूँ। मेरे पास आना हो तो आ जायेगा।

चंदूभाईको ठीक उत्तर दिया है। सन्यासमें क्या रखा है?

भूलाभाईके बारेमे पढा। ठीक है। हो सके सो कर डाले।

आज अधिक नही लिखूंगा। आज उपवासका दिन है, यह तो मै लगभग भूल ही गया था।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो,–२ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६०-६१।

५५७. पत्र : चन्दूलालको

६ अप्रैल, १९३५

भाई चन्दूलाल,

तुमने अपने प्रश्न भेजे, यह ठीक किया। भावोकी मेरी अनुभूति जितनी गहरी होती है उतनी किसी औरकी नही होती, ऐसा माननेमें कोई दोष नही है। यह तो अपनी अनुभूतिकी तीव्रताकी अभिव्यक्ति मात्र है। अपनी माँके प्रति मेरे मनमे जो प्रेम है उससे ज्यादा किसी औरका हो सकता है, ऐसा मै नही मानता। क्या ऐसा कहनेमे तुम्हे कोई दोष दिखता है?

दूसरे वाक्यके विषयमें भी यही बात है। ज्यादा तपस्या करनेवाले करोडो लोग हो तो भी यदि मै ऐसा कहूँ कि मै उन्हे नही जानता, तो क्या मेरा ऐसा कहना अनुचित होगा? यदि मै कहूँ कि ऋषियोकी भाषा बोलते हुए मैंने किसीको नही सुना, तो क्या तुम मेरे इस कथनका यह अर्थ करोगे कि मै सर्वज्ञताका दावा कर

१. साधन-सूत्रमें नाम छोड़ दिया गया है।

रहा हूँ? ऋषियोकी भाषा बोलनेवाले करोड़ो लोग हो, किन्तु यदि मैंने उन्हे नही सुना है तो क्या मुझे ऐसा ही कहना नही पड़ेगा?

समझमें न आया हो तो फिर पूछना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकलसे: प्यारेलाल कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

५५८. पत्र: मूलचन्द अग्रवालको

६ अप्रैल, १९३५

भाई मूलचन्दजी,

हड्डीके[1] बारेमें कुछ खतका स्मरण नही है। उत्तर 'हरिजन'में दूंगा।[2]

बापूके आशीर्वाद

जी० एन० ८३४ की फोटो-नकलसे।

५५९. पत्र: कासिम अलीको

६ अप्रैल, १९३५

सैयद साहब,

मुझे पता चला है कि आपको उत्तर दफ्तरसे भेजे जा रहे है। लेखनका काम तो नही चाहीये। लेकिन १००० गांवको छोड़कर एक गाव भी अच्छी तरह चलावे तो बहूत काम होगा। एक हजार गावकी एजसी वह लेते हैं जिनके पास बीसो सहायक हैं।

'शिवा बावनी'[3] का मैंने तो नाम भी आपसे सुना। अब पता चलता है कि यह पुस्तक पुराना है। और हकीकत इकट्ठी कर रहा हूँ।

मो० क० गांधी

सैयद कासम अली, विशारद
बैतूल
मध्य प्रान्त

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७५०) से।

१. यहाँ शायद भूलसे 'खुदी' के बदले 'हड्डी' लिखा गया है। देखिए "पत्र: मूलचन्द अग्रवालको", पृ० ४३६ भी।

२. देखिए "टिप्पणियाँ", पृ० ४५८, उपशीर्षक, "अस्पृश्यताका परिणाम"।

३. भूषण कवि कृत, जो शिवाजीकी शौर्य गाथा है।

५६०. पत्र : हीरालाल शर्माको

६ अप्रैल, १९३५

चि० शर्मा,

तुमारा खत मिला। देवी अच्छा ही होगा। यदि रस्सी[1] लगाना है तो अब तो करीब हर अस्पतालमें लग सकती है। खुर्जेमे नही तो दिल्लीमे तो है ही।

याद रखो कि यहा रहनेके लिये आनेका तुमको अधिकार है। आज्ञा तो देनेकी स्फुर्णा अबतक हृदयमें नही है।

बापुके आशीर्वाद

बापूकी छायामें मेरे जीवनके सोलह वर्ष, पृ० १५४ के सामनेकी प्रतिकृतिसे।

५६१. पत्र : कनु गांधीको

वर्धा

७ अप्रैल, १९३५

चि० कनैयो,

तू कैसा मूर्ख है? जब शुरूमें ही तुझे सन्देह हुआ था कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तो उसी समय सन्देहका निवारण कर सकता था। जो उदाहरण तूने गिनाये हैं, उनसे तो नाराजगी जैसा कुछ नही है। मैं तुझसे खासा काम लेता हूँ, सो भी अपनी रुचिके अनुरूप। यह इसीलिए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कोई नाराजगी नही है। होती, तो छिपाता नही, तुरन्त कह देता। अत. कोई कारण नही है कि तू दुखी अथवा निराश हो।

अंग्रेजी नही आएगी, यह कोई बात ही नही है, और अंग्रेजी न भी आए, तो इसमें निराशाकी क्या बात है? निराशाका और कोई कारण है क्या? मुझसे तुझे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए।

मुझे तुझसे पूरा सन्तोष है। असन्तोषका तूने कभी मौका ही नही दिया।

इसलिए तेरे कहीं जानेकी जरूरत नही है।

क्या अब भी, जिन उदाहरणोंने तुझे खिन्न किया था, उनके बारेमें कैफियत चाहिए?

१. सुई (इंजेक्शन)।

तेरा पत्र वापिस भेज रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तेरे एक प्रश्नका उत्तर रह ही गया। गुजराती अच्छी तरह पक्की कर लेनेका तेरा निश्चय बिलकुल ठीक है। व्याकरण सीख ले। अंग्रेजी इसीसे अपने-आप आ जायेगी। गुजराती तू अगर ठीक ढंगसे सीख ले, तो दूसरी भाषा पर अपने-आप अधिकार हो जाये।

[गीताका] अठारहवाँ अध्याय याद कर ले। संस्कृतका अभ्यास बढ़ा।

पुरुषोत्तमकी खबर मुझे पहले ही देनी थी।

बापू

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

५६२. पत्र: नारणदास गांधीको

७ अप्रैल, १९३५

चि० नारणदास,

मुझे तो आज ही यह खबर मिली कि पुरुषोत्तमका स्वास्थ्य फिर गड़बड़ा गया है। इसे सान्ताक्रुजमें रहकर गौरीशंकरका इलाज करना चाहिए। अथवा कुवलयानन्दका। शर्माके पास जाना है तो खुर्जा जा सकता है। किन्तु इस समय उसकी रुचि रोगियोंका उपचार करनेमें नहीं है। मेहताके पास जाना हो तो वहाँ चला जाये। किन्तु मेरा खयाल है कि मेहताके इलाजसे उसे सन्तोष नहीं था। यहाँ आना हो तो यहाँ भी आ सकता है। मैंने हार स्वीकार नहीं की। यहाँ गरमी सख्त पड़ती है। किन्तु वहाँ भी कम तो नहीं होगी। जैसे बने अच्छा हो जाये। आखिर, "नीरोग होना ही सुखका आधार है।" हरजीवनने सावधानी नहीं बरती, इसलिए अब उसे हड्डीका क्षय हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३७ से भी; सौजन्य: नारणदास गांधी।

५६३. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

७ अप्रैल, १९३५

चि० भगवानजी,

साथका पत्र बलवन्तसिंहको पढ़नेको देना। मेरे निर्देशोका पालन करो। झगड़े-झझट मिटाओ। दूध आदिके सम्बन्धकी हरिलालकी शिकायतकी जाँच करो। हरिलालको तो, मालूम होता है, बहुत-कुछ कहना है।

घरके पत्र भी इसके साथ हैं।

बापू

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ३८५) से; सौजन्य . भगवानजी पु० पण्ड्या।

५६४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

७ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

मणिलाल कोठारीको मिले जवाबमे[1] उद्धतताकी हद हो गई। सरकार अपने स्वभावके अनुसार करे, हम अपने स्वभावके अनुसार। मै मानता हूँ कि जवाबमें हिंसाकी पराकाष्ठा है। किन्तु हमारी अहिंसाकी हद कहाँ है? हिंसाकी हद हो सकती है, अहिंसाकी तो है ही नही। इसीलिए वह अजेय है। यह सारा पाण्डित्य आपके सामने क्यों रखूं? परन्तु यह पाण्डित्य नही है। मनमे ये उद्‌गार आते हैं। मेरे मनमे जो विचार पैदा होते है, उन्हे आपके सामने रख देता हूँ। मुझे आपसे एक भी विचार छिपाकर-थोड़े ही रखना है?

आजके पत्रमे कलकी ही पुस्तिकाकी नकल है। उस पर जो न० १० पडा है वह भूलसे पड़ गया होगा।

बुखारकी कमजोरी जा रही होगी।

टीकेके बारेमे आपने ठीक कहा है।

बापूके आशीर्वाद

१. देखिए "पत्र : वल्लभभाई पटेलको", पृ० ४०८।

[पुनश्च :]

पुस्तिका ठीक है। कल मिली उसका नं० ९ था। ऊपरसे ही पढ़कर लिख दिया था। अव नं० १० पढी तो देखा कि चीज नई है।

[गुजरातीसे]
वापुना पत्रो – २: सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६१

५६५. पत्र : रतनलालको

७ अप्रैल, १९३५

भाई रतनलालजी,

आपका पत्र मुझे तो प्रिय लगता है। आपका विरोवका निश्चय अज्ञानजन्य है। मेरे पाससे आपको सव हकीकत जाननेका तो आपका धर्म था। राज्य प्रकरणी स्वराज्यके साथ हिन्दीका सम्वन्ध क्या? मैं पैसे चाहता हूँ सिर्फ दक्षिण भारतमें हिन्दी-प्रचारके लिए, इसमें विरोव कैसे? दक्षिणमें कितना भारी प्रचार हुआ है, आप जानते है? उसके कार्यमें खर्च हुआ है, आपने देखा है? उसकी आवश्यकता आप जानते है? यह पैसे हिन्दी-प्रचारमें खर्चे जायेंगे, इस वारेमें शक लानेका आपके पास कुछ कारण है? और ऐसे कह देना कि यह राजनीतिक कार्यकर्त्ताके लिये खर्चा जायेगा आपके लिये शोभाप्रद नहीं है। मैं तो आपके विरोधकी नही, आपकी मददकी आशा रखूंगा।

वापूके आशीर्वाद

एक प्रतिसे: प्यारेलाल कागजात, सौजन्य: प्यारेलाल।

५६६. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

७ अप्रैल, १९३५

भाई मूलचन्द,

पत्र मिला। खूडी-काण्डके वारेमें जिस जगह इन्साफ मागा जा सकता है मागना चाहिये। सच्चा वयान मिल सकता है? वहा कोई तटस्थ आदमी जा सकते हैं? वहुतसे प्रश्न पैदा होते है।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ८२९) से।

५६७. पत्र : हिन्दी विश्वविद्यालय कमेटीके मन्त्रीको

७ अप्रैल, १९३५

मन्त्रीजी,

आपका पत्र मिला। मैंने जो द्रव्य मांगा है वह दक्षिणमे हिन्दी-प्रचार कार्यके लिए है। इसलिए एक लाखमे से तो आपको कुछ नही दे सकता हूं। कोई अधिक देवे तो वह अकित हो सकता है। अवश्य आपकी सभाका कार्य अच्छा है ही।

आपका
मो० क० गांधी

श्री मन्त्रीजी
हिन्दी विश्वविद्यालय कमेटी
इन्दौर
मध्य भारत

वीणा, श्रद्धाजलि अंक, अप्रैल-मई १९६९ से।

५६८. पत्र : डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाको

वर्धा
८ अप्रैल, १९३५

प्रिय डॉ० पट्टाभि,

वे दोनो[1] तरुण यहाँकी जिन्दगीसे ऊबने तक तो नही लौट रहे हैं। भोजन-मौसम सभी उनके लिए विचित्र हैं। अगर उनके दोस्त पैसा भेज सके तो मैं सोचता हूँ जरूरत पडने पर वापसीका किराया भेजें और कुछ पैसा बिस्तरेके लिए भी। वे मीराबहनकी देखरेखमे हैं।

तुम्हारा
बापू

[अंग्रेजीसे]
इन्सिडेन्ट्स आफ गांधीजीज लाइफ, पृ० २२५

१. देखिए "पत्र: डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाको", पृ० ४११।

५६९. पत्र : मनु गांधीको

८ अप्रैल, १९३५

चि० मनुडी,

यह तू कैसे कहती है कि मैंने तुझे पत्र लिखना बन्द कर दिया। तेरा एक भी पत्र अनुत्तरित रह गया है क्या? तू नहीं लिखती, तो फिर मेरे गले क्यों पड़ती है? आज ही तेरा पत्र आया और आज ही तुझे उत्तर लिख रहा हूँ। पास हो गई, यह अच्छा हुआ। अधिक कक्षाएँ जल्दी-जल्दी पास करनेके बजाय, जो सीखे वह पक्का सीखे, यह ज्यादा अच्छा होगा। अब मुझे लिखती रहना। और बातें तो बा अथवा और कोई लिखेगा। तू खुद तो अपने आपको १९ बरसकी नहीं समझती न? सच्ची बात लिखना।

मौसियोंको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६६५) से; सौजन्य: मनुबहन एस० मशरूवाला।

५७०. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

८ अप्रैल, १९३५

चि० नरहरि,

मैं वहाँ आनेवाला हूँ, यह किसने कहा? यहाँ तो हमें किसीको खबर नहीं है। यह बात अपने मनमें से निकाल दो।

गोशाला-विषयक अपने विचार अवश्य लिखना।

पुरातनसे कहना कि वह जो कहता है, उसमें बहुत सार है। चर्मालयके सम्बन्धमें अभी मुझे और अनुभव प्राप्त करना है, और मैं कर रहा हूँ। अगर जिन्दा रहा तो जरूर उसका मार्गदर्शन करूँगा।

साबरमतीकी असफलताका कारण मैं जानता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०७५) से।

५७१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

८ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

अन्सारी और क्या करे? वे किसीको ना नही कह सकते, फिर वह गरीव हो या अमीर। एक डाकू स्त्री चढ आई थी, उसके आचलमे उन्होने अपना बटुआ खाली कर दिया था। इसलिए उन्हे मुक्त करनेमे दया ही है।

हम सत्ताके प्रति मौन धारण करके, जो हो सके करते रहे। यह तो मुझे पसन्द ही है कि याचना हरगिज न करें।

रासको वे लूटते है तो लूटे। हम इच-इच जमीन वापस लेगें। मुझे बुलाना तो आपके ही हाथमे है। मेरा जुलूस हरगिज न निकालें। बोरसद ले जाना हो तो ले जाइए।

आपका स्वास्थ्य फिर न बिगड़े तो अच्छा।

मणि नाकके कष्टकी बात लिखती है, सो क्या बात है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६२

५७२. पत्र : अमतुस्सलामको

८ अप्रैल, १९३५

प्यारी बीबी,

भाई साहबको राजी रखनेके लिए तो डॉ०को देखने दो। कुछ कहना मुश्किल है वर्धा कहा तक ठहर सकूगा। सब कहना मानेगी तो जरूर प्लूरी और दिलकी कमजोरी मिटा दूंगा। कच्ची ईटसे कमेटी झोपड़ी करने न देवे तो क्या किया जाये?

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२३) से।

५७३. बातचीत : जयकृष्ण भणसालीके साथ[1]

[८ अप्रैल, १९३५][2]

गांधीजी : तुम्हें यह आहार अनुकूल पड़ता है?

भणसाली : जी हां, बिलकुल अनुकूल।

गा० . शायद नीमकी पत्तियोंसे बहुत मदद मिलती होगी?

भ० : निःसन्देह। जाड़ेके दिनोंमें मुझे पत्तियां छोड़ देनी पड़ती हैं, क्योंकि इस शरीरमें कुछ-कुछ संधिवातकी शिकायत रहती है।

गा० : पत्तियां क्या बहुत कड़वी नहीं लगती?

भ० : नीमकी भी अनेक जातियां होती हैं। कुछकी पत्तियां कड़वी होती हैं, कुछकी उतनी नहीं होतीं। फिर जीभको खाते-खाते टेव पड़ जाती है; यहांतक कि वे ही स्वादिष्ट लगने लगती हैं और यहां भी स्वादेन्द्रियके निग्रहका प्रश्न आ खड़ा होता है।

गा० : तुम सोते कहां हो? तुम्हारे पास ओढ़ने-बिछानेको तो कुछ भी नहीं है।

भ० : चाहे जहां पड़ रहता हूं। जो मिला वही ओढ़-बिछा लिया।

गां० : गद्दा, चदरा और ओढ़नेका कपड़ा कोई दे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी?

भ० : जी नहीं। पर मैं अकसर पेड़के नीचे, या यों ही खाली जमीनपर आकाशके नीचे, और मरघटमें सो रहता हूं।

गां० : कभी सांप या व्याघ्रादिने तो नहीं सताया?

भ० : शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। एक बार बिच्छूने काट लिया था, पर ऐसा लगा जैसे किसी कीड़े-मकोड़ेने काटा हो। सांप तो कई बार मिला है। एक बार चीता भी मिला था। पर उनकी मेरे साथ कोई शत्रुता तो थी नहीं; और मुझे भय भी नहीं लगा।

१. महादेव देसाईके "साप्ताहिक पत्र" (वीकली लैटर) से उद्धृत। गांधीजीने आश्रमके एक बड़े पुराने सदस्य तथा सहकर्मी, भणसालीके साथ कई बार बात की थी। भणसाली तीन वर्षोंसे मौन-व्रत लिये हुए थे और केवल गांधीजीसे बात करनेके लिए अपना मौन तोड़ना चाहते थे। वर्धामें गांधीजीसे मिलनेके लिए वे कई महीने नंगे पैर और नंगे बदन पैदल-यात्रा कर चुके थे। वे भोजनमें पानीके साथ आटा और नीमकी पत्तियाँ लेते थे।

२. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे। लेकिन इस डायरीमें एक ही तिथिका उल्लेख है, जबकि गांधीजीने भणसालीसे कमसे-कम तीन बार तो बातचीत की ही थी।

गां० : मरघटका कोई अनोखा अनुभव?

भ० : मुझे मानना पड़ा है कि देहमुक्त वर्गके प्राणी होते हैं, फिर भी उनमें विश्वास करना जरूरी नहीं है। मेरी उनसे भेंट हुई थी और यही भय कभी-कभार मुझमें छा जाता है। लेकिन शीघ्र ही मैं साहस बटोर लेता हूँ।

गां० : भिक्षा माँगनेके लिए क्या तुम्हे कभी बोलना पडता है?

भ० : जी नहीं।

गां० : आटा हमेशा मिल जाता है?

भ० : जी नहीं। कितनी हीं बार मुझे भूखा रहना पड़ता है। एक बार तो लगातार तीन दिन भूखा रहना पड़ा। कुछ लोग मुझे खुशीसे खिला देते है, पर कितने ही लोग मुझे सच्चा नहीं मानते—कुछ तो धूर्त समझते है और कुछ ख़ुफ़िया पुलिसका आदमी भी।

गां० : अपने जिन पुराने मित्रो और सम्बन्धियोंके लिए तुम इतने चिन्तित रहते थे, क्या उनमेंसे किसीकी याद आती है?

भ० : कभी नहीं; उनकी याद अब नहीं आती। अब तो सब भूल-भाल गया हूँ।

गां० : गाँवोकी यह दारुण दरिद्रता देखकर क्या तुम्हे दुःख होता है?

भ० : होता है। उसे देखकर मुझे आपके वे सब लेख याद आते है। आपके 'यंग इंडिया' में लिखे हुए वे 'पतंग-नृत्य' जैसे हृदयविदारक लेख मुझे याद आते हैं, और ऐसा लगा करता है कि वह 'पतंग-नृत्य' तो जारी ही है, उसकी प्रलयंकर भीषणता तो बढ़ती ही जा रही है। वह सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो यह मुट्ठी-भर आटा खाता हूँ इसे खानेका भी मुझे हक नहीं। मुझे सन्तोष बस इतना ही है कि इससे अधिक मैं किसीका न कुछ चुराता हूँ न लूटता हूँ। और श्मशानमें मृत्युका जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वह भी मेरे लिए आश्वासनरूप है।

गां० : तो तुम किसी दिन फिर मेरे पास आ जाओगे न, और तुम्हारे सम्बन्धमें मै जो स्वप्न देखा करता था उसे पूरा करोगे न?

भ० : मै चाहता तो हूँ कि 'हाँ' कह सकूँ। पर मै क्या जानूँ, जाननेवाला तो ईश्वर है। शायद ऐसा संयोग आ जाये। अस्पष्ट-सा संयोग सम्भव तो है।

गां० : सारे दिन तुम क्या विचार किया करते हो?

भ० : सदा मन्त्र जपा करता हूँ। मुझे कोई वस्तु क्षुब्ध नहीं करती, न किसी वस्तुसे व्यथा ही होती है।

गां० : तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा सारा भय चला गया है?

भ० : जी हाँ। मैं तो शान्तिके महासागरमें तैर रहा हूँ। यह सब आपका ही प्रताप है। आपने ही मुझे यह सब सिखाया है, मैं अपना वह अतीत काल तो बहुत करके भूल गया हूँ, पर आप 'गीता' और 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' पर जो प्रवचन करते

थे उनको नहीं भूला हूँ। मुझे अखण्ड शान्ति प्राप्त हो गई है। सोनेमें शायद ही स्वप्न बाधा देते हैं। लोग अकसर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे मुझे आनन्द आता है; और मैं अकसर चाहता तक हूँ कि मेरा मजाक उड़ाया जाये, मेरा तिरस्कार किया जाये। इस चाहका भी शमन हो जाये, इतनी ही चाह अब रह गई है। प्रशंसासे मुझे आनन्द न हो, तो फिर उपहाससे क्यों होना चाहिए? मुझे तो अविचल समता चाहिए — मान और अपमानके विषयमें समत्व चाहिए; 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः' यह स्थिति मुझे चाहिए। विपत्तिमें भी सुख न हो बस यही मैं चाहता हूँ। पर बापू, तब मैं कैसा विलासी था। कैसे विलासके दिन थे वे। यह सब मनकी ही माया है, जो नरकको स्वर्ग बना देती है और स्वर्गको नरक। आज मेरी शान्तिका पार नहीं। और तब उन दिनों मैं कितने विलासमें डूबा हुआ था। यह कहकर भणसालीजी खिलखिलाकर हँस पड़े।

गा० : तुम सारे दिन कहाँ बैठे रहते हो?

भ० : नीचे कोठरीमें। लोग आते हैं और जाते हैं। मुझे जरा भी बाधा नहीं होती। कौन आता है और कौन जाता है, यह भी मुझे मालूम नहीं पड़ता।

गा० : यही सच्ची विजय है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-४-१९३५

५७४. पत्र : खुर्शेदबहनको

९ अप्रैल, १९३५

मैं निद्रित अवस्थामें भी पूर्णत. जाग्रत रहता हूँ। मेरी निद्रा विस्मृतिकी एक अवस्था नही है, वह नयी स्फूर्ति प्रदान करती है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

५७५. पत्र : बाल कालेलकरको

९ अप्रैल, १९३५

जैसे तू परीक्षाकी तैयारी कर रहा है, वही हालत मेरी भी है। तू तो वही रह कर परीक्षा देगा और तेरे परीक्षक भी दो चार ही होंगे। मुझे तो परीक्षा देने ठेठ इन्दौर जाना पड़ेगा, और परीक्षकोंकी सख्या तो . . . बाप रे। देखें, क्या होता है।

काकाको भी तो परीक्षा देनी है न? यानी हम तीनो ही व्यस्त है।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

५७६. हरजीवन कोटकको लिखे पत्रका अंश

९ अप्रैल, १९३५

जिनकी शादी नही हुई है, अथवा जो विधुर है, उनकी क्या दुर्गति होती होगी? आखिर ईश्वर भी किसीकी देखभाल करता होगा या नहीं? मैं खुद तो शारदाको तैयार कर रहा हूँ, किन्तु उसके बिना तुम्हें ससार अन्धकारमय मालूम हो रहा है, तुम्हारी यह लाचार हालत समझमें नही आती।

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी; सौजन्य : नारायण देसाई।

५७७. पत्र : मदनमोहन मालवीयको

९ अप्रैल, १९३५

भाई साहब,

आपका तार मुझे मिल गया था। और मैं निश्चित हो गया। आपका प्रण है शतायु होनेका। उस पर कायम होनेके लिये शरीर-रक्षाका कुछ प्रयत्न तो करना ही होगा।

मैं अभी हिंदी साहित्य समेलनके लिए भाषण लिखनेका आरंभ करता हूँ। उसके पहले आपके आशीर्वादकी भिक्षा माँग लूं। यहाँसे तो १९को रवाना हूगा उसके पहले आपका आशीर्वाद आप मुझे भेज देंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापतित्व तो आप ही का था। आपके इन्कारसे यह बोज मेरे सर पर आ गया है। आपका आशीर्वाद उसे हलका करेगा।

आपका कनिष्ट बंधु
मोहनदास

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई।

५७८. पत्र: जमनालाल बजाजको

वर्धा
१० अप्रैल, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। लगता है, सब ठीक ही हो गया। अवश्य कुछ समयके लिए उस इलाकेमें जाकर रह आओ। सगाईके बारेमें मैं जानकी देवीसे बात कर लूंगा।

चन्द्रकान्ताके पिता लिखेंगे, तब जो उचित होगा करूंगा। तुम्हारा कान तो तकलीफ नहीं देता न?

फिलहाल और नहीं।

कमलाको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९६२) से।

५७९. पत्र: जीवनजी डी० देसाईको

१० अप्रैल, १९३५

भाई जीवनजी,

'यरवदा मन्दिर' तो दस दिन पहले पूरा कर लिया। कल 'गां० वि० दो'[1] पूरा करनेका विचार है। लगता है, बाकी काम तो दूसरी बार मौन लूंगा, तब होगा। लेकिन देखूंगा। इस मौनमें एक मिनटकी भी फुर्सत नहीं ली।

साथका पत्र पढ़ना। भेजना हो तो जहाँ मोहनलाल हो, वहाँ भेज देना। जो आवश्यक जान पड़े, वह करके मुझे लिखना। क्या 'यरवदा मन्दिर' एकदम चाहिए?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९३९) से। सी० डब्ल्यू० ६९१४से भी; सौजन्य: जीवनजी डी० देसाई।

१. गांधी विचार दोहन।

५८०. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१० अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

आपकी पुस्तिकाएँ तेज होती जा रही हैं। अँधेरी कोठरीका ठीक वर्णन हुआ है। ऐसी तो कितनी ही हैं। इसकी सजा हम भोग रहे हैं। आप कर रहे हैं वही सच्चा काम है।

देव शर्माका पत्र साथमें है। उससे जो कुछ मिलनेकी आशा थी सो मिल गया। आपमें शक्ति आ रही होगी।

महुए[1] का प्रयोग ठीक कर रहे हैं। परिणाम बताइए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६३

५८१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

१० अप्रैल, १९३५

भाई घनश्यामदास,

हा, ठ० बापाने मुझे लिखा था। काम ऐसा ही है। साथमें पोलका खत भेजता हूं। उसके रोकनेसे मैं रुक गया। राजाजी भी जाहर आन्दोलन नहीं चाहते थे। पोलके दूसरे खतकी प्रतीक्षा करूंगा।

जूनके पहले हफ्तेमें समुद्र बहूत तेज रहता है। क्या उसके कुछ पहले नही जा सकते है? शूस्टरका खत अच्छा है। आदमी चाहता था बहूत कुछ करना लेकिन कुछ कर नही सका। उनकी आजकलकी नीतिमें मैं नम्रताका अंश तक नही पाता हूं। जनताके अभिप्रायके बारेमें उन्हे कुछ भी फिकर नहीं है। शस्त्रबल पर निर्भर हैं।

बापुके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ८००८ से; सौजन्य : घनश्यामदास बिडला।

१. वल्लभभाई उन दिनों सूर्योदयसे पहले महुएके पेड़के नीचे खाले गिरे हुए आठ-दस फूल खाया करते थे।

५८२. पत्र : अमृतकौरको

वर्धा
११ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

अगर तुम्हें आदमपुरसे पूनियाँ प्राप्त करनेमें कोई दिक्कत पड़े या जो तुम्हें मिले, वे अच्छी न हों, तो मेरी सहायता लेनेमें संकोच मत करना। तुम्हें अच्छी पूनियाँ नियमित रूपसे मिलती रहें, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ।

वाट रचित १६ खण्डोंके लिए तुमको चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। मुझे संक्षिप्त संस्करण मिल गया है, उससे काम चल जायेगा। उनका पूरा सेट मुझे खरीद देनेका एक प्रस्ताव कलकत्तासे आया था। मैंने खरीद रोक दी है। इसलिए, फिलहाल, यही काफी होगा कि तुम मेरे लिए दूसरी पुस्तकें प्राप्त करनेकी कोशिश करो।

मैं वचन देता हूँ कि तुम जब जुलाईमें यहाँ आओगी, मैं तुम्हें पिंजाईमें पूरी तरह कुशल बनाकर ही भेजूँगा। धुनकी पर काम करनेमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती।

अगर मैं फिर यूरोप गया, तब तुम्हें साथ रखना मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इस समय तो हिन्दुस्तानसे बाहर जानेकी बहुत कम सम्भावना है। अभी तो मेरा मन ग्राम-सुधार कार्यमें ही रमा है।

तुम दोनोंको स्नेह।

बापू

[पुनश्च :]

अवश्य ही, अगाथा-जैसे मित्रोंसे मिलनेवाली सहायताको हम साभार स्वीकार करते हैं।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२८) से: सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६३३७ से भी।

५८३. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

११ अप्रैल, १९३५

प्रिय आनन्द,

आश्चर्य है! तुम्हारे बारेमें पूछताछ करते हुए कल मैंने जे०को पत्र[1] लिखा और आज तुम्हारा पत्र आ गया। स्थिति मैं समझता हूँ। तुम्हे पिताके घरसे बिना किसी कड़वाहट या उलाहनेके बाहर आ जाना चाहिए। माँकी तुम सहायता नही कर सकते। तुम्हारे हस्तक्षेपसे बात और बिगड़ेगी ही। अगर वे उस घरको छोड़ती है तो तुम उन्हे अपने साथ रख सकते हो। तुम्हारा भरण-पोषण ठीक ही होगा। जो कुछ मैं दूँगा उसे लौटाया जा सकता है। तुम्हे [उनकी] निजी जिन्दगीमे हस्तक्षेप नही करना है। विद्या जल्दी ही ठीक हो जानी चाहिए। जब तुम अलग घर ले लो तो मुझे लिखना। जयरामदास भी इसे पढ़ ले और मुझे पत्र लिखे।

तुम दोनोको स्नेह।

बापू

श्री आनन्द तो० हिंगोरानी
डी/३, कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी
कराची

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

५८४. पत्र : भुजंगीलाल छायाको

११ अप्रैल, १९३५

चि० भुजगीलाल,

तुम्हारा पत्र निर्मल है। जब तुममे शुद्ध अहिंसा प्रकट होगी, तब तुम्हारा मार्ग बिलकुल सरल हो जायेगा। मुझे तो अभी यही ठीक लगता है कि तुम अपना समय अपना अध्ययन पूरा करनेमे लगाओ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २४२१७) से।

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है।

५८५. पत्र : जीवनजी डी० देसाईको

११ अप्रैल, १९३५

इसका ½ से अधिक अंश तो मैं सब देख गया। फिर समय कम बचा। इसलिए जहाँ तुमने निशान लगाये हैं, वही देखा है।

देखता हूँ, इसमें अपार परिश्रम किया गया है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९४०) से; सी० डब्ल्यू० ६९१५ में भी; सौजन्य : जीवनजी डी० देसाई।

५८६. पत्र : वसुमती पण्डितको

११ अप्रैल, १९३५

चि० वसुमती,

तेरा पत्र मिलनेसे पहले ही मुझे खबर मिल चुकी थी कि तू सफाईके कामके लिए निकल पड़ी है। अच्छा किया। बा तो कब की आ गई; और अब तारा बीमार है, सो दिल्ली जानेका विचार कर रही है।

सबको
बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३९८) से। सी० डब्ल्यू० ६८४ से भी, सौजन्य : वसुमती पण्डित।

५८७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको

११ अप्रैल, १९३५

भाई बनारसीदास,

तुमारा खत मिला। कुछ आघात नहीं पहोंचा है। अंतमें तो मनुष्य जो कर सकता है वही करे। मेरी सलाह है कि प्रथम तो तुमारे शादी कर लेना। हिंदी प्रचारका काम करना। इसमें तीन अर्थ सिद्ध होते हैं 'विशाल भारत,' हिंदी प्रचार और लेखन प्रवृत्ति।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५५५) से।

५८८. पत्र : चन्द त्यागीको

११ अप्रैल, १९३५

भाई चन्द त्यागी,

तुमारा खत भया [वह][1] है। मैंने उसे ज्योतिप्रसादजी को भेजा है। उसके साथ दृढ़तासे जैसा जानते हो ऐसा करो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६३२) से। सी० डब्ल्यू० ४२८० से भी; सौजन्य: चन्द त्यागी।

५८९. पत्र : मंजर अली सोख्ताको

१२ अप्रैल, १९३५

प्रिय मंजर अली,

क्या तुमने ही मुझे नही सिखाया था कि 'सोख्ता' का अर्थ है–भस्मीभूत? तुम जबतक अपने अहंको बिलकुल भस्म करके शून्य नही कर देते, तुम्हे सफलता नही मिलेगी। तुम कहते हो कि तुम्हे धन चाहिए। किसलिए? अपने पड़ोसियोकी गलियोंकी सफाई या इस-जैसे और कामोके लिए नही, न अपने या दूसरोके चावल और गेहूँ कूटनेके लिए ही? तुम्हे धनकी जरूरत नही है, अपनी मेहनत और पसीनेके बलपर कूड़े-करकटसे सम्पदा पैदा करनेकी है।

तुम्हारा
बापू

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे; सौजन्य: नारायण देसाई।

१. मूलमें यह शब्द अस्पष्ट है।

५९०. पत्र : हरिलाल गांधीको

रामनवमी, १२ अप्रैल, १९३५

चि० हरिलाल,

आज लिखूंगा, कल लिखूंगा, करते-करते भी वक्त नही मिला। आज तो निकाल ही लिया।

महादेवने मुझसे थोडी बात की थी। किशोरलालने लिख कर बताया था। मैं तेरी उलझन समझता हूँ। तू अपने-आपको अथवा मुझे धोखा देना नहीं चाहता। अभी तुझमें काम-वासना है, तो तुझे उसे तृप्त करना चाहिए। जब तेरे मनमें तीव्र त्याग उत्पन्न होगा, तभी तू अपनी काम-वासनाको दवा सकेगा।

मेरी मुसीबत यह है कि मैं तो भोगके त्यागका उपदेश देता हूँ; तुझे प्रोत्साहन कैसे दे सकता हूँ? तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? तू पुनर्विवाह करे, यह मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। किन्तु यदि तुझे दूसरी पत्नीकी खोज करनी है, तो वह तू मेरे पास रह कर कैसे कर सकता है? तेरी विवाह करनेकी इच्छा है, यह जानते हुए भी जो मैंने तुझे बुलाया, सो इसलिए नहीं कि तेरा विवाह कर दूं, बल्कि इस आशासे कि मेरे साथ रहते शायद तेरा मन शान्त हो जाये। साथ ही, तेरा हृदय-परिवर्तन भी तो मुझे परखना ही था।

मुझसे जो बन सके, वह मदद मैं तेरी करना चाहता हूँ। किन्तु यह तो तेरी भी इच्छा होगी कि वह मैं अपनी मर्यादामें रह कर ही करूँ। अब यह सोचकर तुझे जो लिखना हो सो लिखना। जो कहना हो सो कहना।

तेरी बीडी अब छूटने पर आई या नहीं? या कभी नहीं छूटेगी?

इन मकानोंको साफ करनेमें, यह स्नानागार धोनेमें मीराबहनके मजदूरोंसे काम मत ले। जो हाथसे साफ हो सके, उन्हें साफ कर ले। मुझे तो मजदूरोंका बगीचेमें काम करना भी अखरता है। वह भी मैं लाचारीकी वजहसे ही बर्दाश्त करता हूँ।

अवधेशने १५ रुपया न लेनेका अपना निश्चय मुझे बताया है। मुझे लगा कि उस रोज तू अवधेशको कुछ ज्यादा ही चोट पहुँचा रहा था। वह तो झुक गया था। फिर इतना कहने-सुननेकी क्या जरूरत थी?

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३८) से, सौजन्य मनुबहन एस० मशरूवाला।

५९१. पत्र : नारणदास गांधीको

वर्धा
१२ अप्रैल, १९३५

चि० नारणदास,

इसके साथ रमणलालकी रिपोर्टकी नकल भेज रहा हूँ। दो-तीन दिनके लिए तुम साबरमती चले जाओ और हिसाबकी जाँच कर आओ तो मेरा समाधान हो जायेगा और यह भी सूझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। टाईटसको काम आता नहीं है या वह ईमानदारीसे नहीं करता? या रमणलालने अपने पत्रमें जो-कुछ कहा है वह निराधार है?

यदि सम्भव हो तो यह काम जल्दी ही निपटा देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से। सी० डब्ल्यू० ८४३८ से भी, सौजन्य नारणदास गांधी।

५९२. पत्र : विट्ठल ला० फड़केको

१२ अप्रैल, १९३५

चि० मामा,

मैंने परीक्षितलालको लिखा तो है, किन्तु कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारी पत्तले तो उम्दा होंगी ही। नमूना कभी दिखाना। भाजीके बारेमें तो जो तुम कहते हो, वही ठीक है।

गाँव पसन्द करनेमें जल्दबाजी तो नहीं ही करनी चाहिए। आलस्य भी नहीं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८३०) से।

५९३. पत्र : अवधेश दत्त अवस्थीको

१२ अप्रैल, १९३५

चि० अवधेश,

तुमारा खत अच्छा है। ठीक बात है तुमारा तनरवा नही मानेंगे। लेकिन जब तुमारे जानेका होगा तब किराया दे दूगा। तुमारा क्रोध निकाल दो। नम्र बन जाओ। यहा कोई न उच है न नीच है। सब एक-सा है। कोई सरदार नही है कोई नौकर नही है। हम सब सेवक है। किसी मजदूरीकी हमे शर्म नही है।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२१०)से।

५९४. भेंट : लॉर्ड फैरिंग्डनको[1]

[१३ अप्रैल, १९३५ से पूर्व]

लॉर्ड फैरिंग्डन – ग्रामोद्योग-संघका वास्तविक उद्देश्य क्या है?

गांधीजी – लोगोको यह बतलाना कि कचरेसे कचन कैसे पैदा होता है।

लॉ० फै० – इस उद्देश्यको आप किस तरह पूरा करना चाहते है?

गा० – सर्वार्पण करनेवाले सेवकोकी सेना खड़ी करके। हमारे ये सेवक दिखायेंगे कि भूखसे तडप-तडपकर मरनेवाले लोग मृत्यु-मुखसे किस प्रकार बच सकते है। इससे बडा दूसरा कोई रचनात्मक कार्यक्रम लोगोके सामने नही है।

लॉ० फै० – तब तो आपको असंख्य सेवक चाहिए। ये सेवक आपको किस प्रकार मिल सकेंगे?

गा० – यदि समय आ गया होगा तो हमें काम करनेवाले सेवक मिल ही जायेंगे।

लॉ० फै० – ग्रामोंके कर्जके प्रश्नको आप किस तरह हल करना चाहते है?

गा० – इस प्रश्नको हमने हाथमें नही लिया है। यह तो राजसत्ताके प्रयत्नोसे ही हल हो सकता है। मै तो फिलहाल ऐसी ही चीजोका पता लगा रहा हूँ जिन्हे लोग राजसत्ताकी सहायताके बिना कर सकें। यह बात नही है कि मै राजसत्ताकी

१. महादेव देसाई लिखित "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ)से उद्धृत। चूंकि गांधीजी का मौन-व्रत था, उन्होंने अपना उत्तर लिखकर दिया था।

मदद नही लेना चाहता। पर मैं यह जानता हूँ कि वह सहायता मुझे मेरी शर्तों पर नही मिल सकती।

लॉर्ड फॅरिंग्डन साम्प्रदायिक प्रश्नके विषयपर गांधीजीके विचार जाननेके लिए अधीर थे।

यह सवाल आखिर कैसे हल होगा? उन्होंने पूछा।

गां० — अभी तो इस प्रश्नको हल करना अशक्य हो गया है। मुझे लगता है कि इसे अव समय ही हल करेगा। अगर मैं मुसलमानको कोरा चैक दे देनेकी वात हिन्दुओको समझा सकूँ तो यह प्रश्न आज हल हो जाये। पर दोनो सम्प्रदायोके बीच आज इतना अधिक अविश्वास भर गया है कि निकट भविष्यमें इस प्रश्नका हल होना मुझे तो असम्भव ही मालूम देता है।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-४-१९३५

५९५. निराशा कैसी ?

भारतके शायद सवसे पुराने राष्ट्र-सेवक श्रीयुत हरदयाल नाग लिखते हैं:[1]

यह देखकर मुझे निराशा होती है कि आपके इस अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघका काम करनेके लिए आपके पास पर्याप्त ग्राम-सेवक नहीं हैं। . . . अपने सार्वजनिक जीवनके आरम्भसे ही मैं ग्रामोद्योगोके प्रश्नके आर्थिक पहलूका अध्ययन करता रहा हूँ। आपका कार्यक्रम मुझे जो वहुत प्रोत्साहित नहीं करता, उसका यही कारण है कि उसमें मुझे उसका कोई आर्थिक रूप दिखाई नहीं देता। . . .

. . . आप कल्पना कीजिये कि हिन्दुस्तानमें सव जगह गाँवोंका वना माल भरा पड़ा है मगर उस मालके खपानेवाले या खरीदार नहीं हैं, तो उससे लाभ ही क्या? हाथ-करघा खद्दर तैयार कर सकता है, पर वह उसके खरीदार थोड़े ही पैदा कर सकता है। मेरा तो यह दुःखपूर्ण अनुभव है कि वहुत-से कातनेवाले अपने हाथके काते हुए सूतका एक भी वस्त्र नहीं पहनते। . . . गुड़ तैयार करनेवाला जरा-सा गुड़ अपने देशके प्रति मौखिक भक्ति दिखानेके लिए भले ही चख ले, पर क्या वह अपनी चाय या दूधमें गुड़की डली डालेगा? गाँवका जूते वनानेवाला वाहरके वने हुए बढ़िया और काफी सस्ते जूतोके मुकावलेमें क्या कभी अपना वनाया भद्दा जूता पहनेगा? . . . हमारे यहाँके ग्रामवासियोंको जवतक यह पाठ न पढ़ाया जायेगा कि

१. केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं।

> जिन चीजोंको वे अपने कच्चे मालसे, और खुद अपने हाथ-पैरकी मेहनतसे तथा अपने ही इस्तेमालके लिए तैयार करते हैं, उनके मुकाबलेमें विलायती चीजें सस्ती पड़ ही नहीं सकतीं, तबतक वे विदेशी चीजोंके खरीदनेका मोह कभी छोड़ेंगे ही नहीं। . . .

हरदयाल बाबूके अब विश्राम करनेके दिन हैं, और अगर वे अब तमाम सार्वजनिक कार्योंसे हट जायें तो किसीको इनकी शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। मगर अपने तीनों प्रतिस्पर्धियों — पंडित मालवीयजी, अब्बास तैयबजी और विजयराघवाचार्यकी तरह हमारे हरदयाल बाबूका भी काम-करनेका हौसला पस्त नहीं हुआ। इसलिए वे यह आशा नहीं कर सकते कि आलोचकगण उनकी अवस्थाके कारण उनके साथ कुछ रियायत करेंगे। मैं जानता हूँ, वे ऐसी कोई आशा नहीं रखते। उनका शरीर और उनका मस्तिष्क देशके लिए अब भी वैसा ही बना हुआ है, उनमें कोई कमी नहीं आई है और देश चाहे जब उनसे अपनी सेवा ले सकता है।

हरदयाल बाबूको यह बतला देना मेरा कर्त्तव्य है कि जो लोग ग्रामोद्योगके इस क्षेत्रमें, काम कर रहे हैं उनके सामने निराशा-जैसी कोई चीज है नहीं। यह क्षेत्र इतना नया है कि तैयार होनेमें उसे अभी बहुत समय लगेगा। कार्यकर्ताओंने जो काम अपने हाथमें लिया है, उसकी तह तक वे अभी पहुँचे नहीं हैं।

फिर हरदयाल बाबूको जो निराशा मालूम दे रही है, मेरी रायमें, उसका वही कारण है जिसका उन्होंने पहले उल्लेख किया है। कर्त्तव्यके प्रति उपेक्षाका अपराध उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अगर उन्होंने, जैसी कि उनकी प्रकृति है, यह काम हाथमें ले लिया होता, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह उन्हें बहुत कठिन तो जरूर मालूम पड़ता, पर निराश तो वे निश्चय ही न होते। इस प्रवृत्तिका जो आर्थिक रूप उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका यही कारण है कि उन्होंने उसे देखनेके लिए व्यावहारिक रीतिसे प्रयत्न नहीं किया।

हरिजन-कार्यमें मैं पड़ा तो मुझे यह पता लगा कि अगर भारतवर्षको जीवित रहना है तो हमें सीढ़ीके सबसे निचले डंडेको सबसे पहले ठीक करना होगा, अपने कार्यका श्रीगणेश वहींसे करना होगा। अगर सीढ़ीका पहला ही डंडा सड़ा-गला होगा, तो सबसे ऊपरके या किसी बीचके डंडे पर हम जो काम करेंगे, अन्तमें वह सब निश्चय ही असफल होगा।

देशके सामने आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें आर्थिक दृष्टि तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी है। इस कार्यक्रममें राष्ट्रको पौष्टिक आहार देनेका जिस ढंगका खाका खींचा गया है, उससे अर्थ-लाभ भी होगा और आरोग्य-लाभ भी। गाँवोंके लोग अपना चावल ओखलीमें खुद कूटकर उसे ज्यों-का-त्यों छिलक-रहित रूपमें ही खाने लग जायें, तो इससे हर साल केवल तीस करोड़ रुपयेकी बचत ही नहीं होगी, बल्कि उनके स्वास्थ्यमें भी उन्नति होगी। पर दुःखकी बात तो यह है कि साधारणतया बाजारोंमें हमें ऐसा छिलक-रहित अनकुटा चावल मिलता ही नहीं। कुछ दिन ठहरनेके बाद ही ग्रामोद्योग-संघ राष्ट्रको इस सम्बन्धमें कोई स्पष्ट रास्ता

दिखला सकता है। राष्ट्रको यह सब बतानेकी जरूरत है कि उसका क्या भोजन हो और उसे किस तरह तैयार किया जाये।

गाँवोमें तडक-भडकदार चीजें बनाने और उन्हें बेमनसे खरीदनेवालोके मत्थे मढ़नेकी तो कोई बात इस कार्यक्रममें है ही नही। एक ही प्रकारकी विदेशी या स्वदेशी चीजोके साथ प्रतिस्पर्धाकी जब कोई बात है ही नही, तब असफलताका तो सवाल ही नहीं आता। गाँवोके लोग खुद तैयार करेगे और खुद ही खरीदेगे। अपने बनाये मालको अव्वल तो वे खुद ही खपा लेगे, क्योकि नव्वे फीसदी जनसख्या ग्रामवासियोकी ही है। शहरोके लिए तो वे उन्ही चीजोको बनायेगे जिनकी शहरोमें माँग होगी और जिन्हे वे लाभकी दृष्टिसे तैयार कर सकेंगे। दूध या चायमे गुड मिलानेकी सलाह लोगोको जरूर दी जायेगी, इसमे जरा भी सन्देह नही। उन्हें यह बतलाया जायेगा — और आज भी बतलाया जा रहा है — कि यह खयाल करना निरी भूल है कि दूध या चायके साथ गुड खाना स्वास्थ्यके लिए हानिकारक है। एक सज्जनने मुझे लिखा है कि मेरी स्त्रीने जबसे गुडकी चाय पीना शुरू किया है तबसे कब्जियतकी उसकी सारी शिकायत दूर हो गई है। मुझे इसमे कोई आश्चर्य नही हुआ, क्योकि गुडमे जो थोडी रेचक तासीर है वह चीनीमे तो है ही नही। ग्रामोका शोषण मध्यम वर्गके लोगोने किया है। उनमेसे कुछ लोग गाँवोको यह अनुभव कराके अब अपनी भूलको सुधार रहे है कि राष्ट्रीय विकासमे गाँवोका एक गौरवमय और महत्त्वपूर्ण स्थान है।

अब सफाईका प्रश्न लीजिये। इस प्रश्न पर ठीक-ठीक ध्यान दिया जाये तो इससे हर साल मुल्कको प्रति मनुष्य दो रुपयेकी आमदनी हो सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य और शक्तिमे तो उन्नति होगी ही, इसके अलावा साठ करोडकी सालाना आमदनी भी मुल्कको होगी। भारतके सात लाख गाँवोकी डगमगाती नैयाको अगर सभी तरहसे सँभालना है, तो इस कामको हम मौजूदा कार्यक्रमसे आरम्भ करके ही कर सकते हैं। यह काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भारतकी राजनीतिक अवस्था चाहे जैसी हो, इस कामको तो हमे पूरा करना ही है। भगीसे लेकर साहूकार तक सभी कोटिके ग्रामवासी इस कार्यक्रमको हाथमें ले सकते है। यह ऐसा काम है जिसमे सभी विचारोके लोग दिलोजानसे शरीक हो सकते है। अगर अच्छे कार्यकर्त्ता मिलते जाये तो असफलता तो इसमे हो ही नहीं सकती।

[अग्रेजीसे]
हरिजन, १३-४-१९३५

५९६. हरिजन और सूअर

लगभग दो महीने हुए आगरेके सेठ अचलसिंहजीने मुझे एक पत्र लिखा था। उन्होंने उस पत्रमें जीवनमें पहली ही बार देखे गये एक दृश्यका वर्णन किया था। कुछ हरिजन रस्सीसे सूअरोंके मुंह कसकर उन्हें जिन्दा ही भून रहे थे। यह हृदय-विदारक दृश्य उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा था। उस वर्णनने तो मुझे दहला ही दिया। मैं यह जानता हूँ कि सिंध तथा आन्ध्र देशके हजारों हिन्दू भी सूअरका मांस खाते हैं। सम्भवतः भारतके दूसरे प्रान्तोंमें भी कुछ हिन्दू सूअरका मांस खाते हों। निश्चय-पूर्वक तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि निरामिष भोजियोंके अतिरिक्त केवल मुसलमान ही कभी सूअरका गोश्त नहीं खाते।

क्योंकि मेरे साथियोंने प्रत्यक्ष अनुभवके आधार पर मुझे बतलाया है कि जिनके हृदयमें कुछ दया होती है वे आनन-फानन उसका दम घोटकर उसे तुरन्त समूचा ही भून डालते हैं। पर जिन लोगोंके दिलमें दयाभावका लेश भी नहीं होता, वे उसे जिन्दा ही भूनते हैं। अच्छी मजबूत लाठियाँ लेकर चारों तरफसे लोग आगको घेर लेते हैं, और जब वह गरीब जानवर मारे दर्दके ऐंठता हुआ इधर-उधर भागनेकी कोशिश करता है तब वे उसे लाठियाँ मार-मारकर उस दहकती आगकी तरफ ठेलते हैं। मैंने श्री वापीनीडूसे पूछा था कि आन्ध्रमें सूअरको किस तरह मारते हैं। उनका यह जवाब आया है:

> आन्ध्रके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें सूअरको मुख्तलिफ तरीकोंसे मारते हैं, और वे तरीके सभी अत्यन्त निर्दयतापूर्ण हैं। वे तरीके ये हैं:
>
> १. सूअरको पकड़कर उसकी टाँगें एक काफी लम्बी रस्सीसे खूब कसके बाँध देते हैं, और फिर नथुनोंके ऊपर उसका मुंह एक दूसरी रस्सीसे खूब मजबूतीसे कस दिया जाता है। इससे उसकी साँस रुक जाती है, और कुछ समय बाद दम घुटनेके कारण वह मर जाता है। आन्ध्र देशमें सबसे अधिक यही तरीका प्रचलित है।
>
> २. जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सूअरकी टाँगोंको खूब कसके बाँध देते हैं, और उसके मुंहको रस्सीसे कसनेके बजाय, उसे पानीमें डुबो देते हैं, और वह वहीं तड़पता हुआ मर जाता है।
>
> ३. तीसरा तरीका यह है कि टाँगोंको बाँध देते हैं और भाला चुभो-चुभोकर उसे मार डालते हैं। सूअर चूंकि बड़ा बलिष्ठ जानवर होता है, इस-लिए वह आसानीसे नहीं मरता और बड़ी देर तक तड़पता रहता है।
>
> ४. एक तरीका मारनेका यह भी है कि उसकी पिछली और अगली टाँगोंको अलग-अलग बाँध देते हैं और दो आदमी उसे चित लिटाकर उसकी

टाँगोंको खूब जोरसे पकड़े रहते हैं, फिर एक तीसरा आदमी उसकी छाती पर तबतक खूब प्रहार करता है जबतक कि वह मर नहीं जाता। यह तरीका सबसे अधिक कष्टदायक है।

मुझे यह भी बतलाया गया है कि आजकल कुछ लोग बन्दूकसे भी सूअरको मारते हैं, पर यह तरीका बहुत ही कम प्रचलित हैं।

महँगा होनेके कारण सूअरका गोश्त यों हरिजन बहुत कम खाते हैं। पर किसी उत्सवके अवसर पर तो सूअरके मांसके बिना चल ही नहीं सकता। कहीं-कहीं हरिजन सूअरोंके छोटे-छोटे बच्चे खरीद लेते हैं, और जबतक वे कत्ल करने लायक नहीं हो जाते, तबतक उन्हें पालते-पोसते रहते हैं। फिर सारा गाँव मिलकर एक अच्छा मोटा-ताजा सूअर किसी हरिजनसे खरीद लेता है और उसे मारकर आपसमें बाँट लेता है। इस तरह उसका खर्च सबके हिस्सेमें बराबर-बराबर बँट जाता है।

श्री वापीनीडूने अपने पत्रके साथ अमेरिकाकी छपी हुई एक छोटी-सी पुस्तिका भी भेजी है, जिसका नाम 'वी केन किल ए हॉग' (सूअर मारनेके तरीके) है। इस पुस्तिकामें इस बातका बड़ा दिल दहलानेवाला वर्णन है कि गोश्तकी खातिर सूअर कैसी-कैसी बेरहमीसे मारे जाते हैं। पर मुझे तो वह चीज दिल थामकर किसी तरह पढ़नी ही पड़ी। सूअरोंके मारनेके जो तरीके उसमें दिये गये है, उनमें निर्दयताकी दृष्टिसे कोई विशेष अन्तर नही है। अगर निर्दयताकी मात्राका खयाल किया जाये तो ऐसा लगता है कि सूअरोंके मारनेके लिए अपार निर्दयताकी जरूरत होती है। मेरा लिखनेका मतलब यह है कि इस सम्बन्धमे हरिजन तो सबसे कम दोषी हैं। मैं मानता हूँ कि वे ऐसा स्वेच्छासे नही करते, बल्कि निरी आवश्यकता उनसे मजबूरन यह काम कराती है। इसलिए सेठ अचलसिंहने जो प्रश्न उठाया है, उससे स्वत: इस निश्चयकी ध्वनि निकलती है कि यह सुधार हरिजनोसे सम्बन्ध नही रखता, बल्कि यह दया-धर्मका एक व्यापक सुधार है। यह ठीक नही है कि जो भी बुरी बात हमारे देखनेमें आये उसे हम गरीब हरिजनोंके मत्थे मढ दें।

मगर इस सुधारकी आवश्यकता इस बातसे कुछ कम नही हो जाती कि इसका हरिजनोंके साथ कोई खास सम्बन्ध नही है। अगर हमारी सदासद्विवेक-बुद्धि कुंठित न हो गई होती, तो हम यह स्वीकार कर लेते कि मनुष्योसे पशुओंके हक कुछ कम नही है। दयाधर्मका प्रचार करनेवाली संस्थाओंका यह खास काम होना चाहिए कि वे लोगोंको 'हृदय' की शिक्षा दें। मैं जानता हूँ कि मनुष्यके धृष्टतापूर्ण प्रभुत्वके पैरों तले यह मानवेतर सृष्टि बुरी तरह कराह रही है। मनुष्य जब अपनी भूख शान्त करनेपर उतारू हो जाता है, तब, जा हो या बेजा, वह किसी भी प्रकारकी बेरहमीको अनुचित या निन्दनीय नही समझता।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, १३-४-१९३५

५९७. टिप्पणियाँ

पूर्ण प्रायश्चित्त

कुछ समय हुआ मैंने इस पत्रमें सार्वजनिक दान पर निर्वाह करनेवाले बहराइचके एक नवयुवकके विषयमें लिखा था।[1] बादमें वह युवक पूर्ण पश्चात्ताप करके मेरे पास लौट आया, यह बात भी इस पत्रमें लिखी जा चुकी है। अब भी वह मगनवाड़ीमें रहता है और हमारे साथ काम करता है। शारीरिक श्रममें वह अपना पूरा हिस्सा देता है। कुछ ही दिनोंमें वह बहराइच जाने लायक किरायेका पैसा कमा लेगा। पर मगनवाड़ीमें रह लेनेके बाद किरायेका पैसा कमाकर यहाँसे तुरन्त ही चले जानेकी उसकी इच्छा नहीं है। उसका विचार यहाँ रहकर कुछ सीखनेका और कुछ अधिक लाभ उठानेका है। उसके सम्बन्धमें जो आलोचना हुई उससे उसके बहराइचके मित्रोंका दिल दुखा है। उस युवकका नाम अवधेश है। अवधेश मेरी आलोचनाका औचित्य तो स्वीकार करता है, पर अपने बचावमें यह कहता है कि वह दान ले-लेकर यात्रा करने या खाने-पीनेमें कोई पाप-जैसी चीज नहीं मानता था, क्योंकि उसके कथनानुसार रामानुज सम्प्रदायमें ऐसी प्रथा है। किन्तु अब चूंकि उसने अपनी गलती मान ली है, इसलिए फिरसे उस भूलको न करनेका उसने मुझे वचन दिया है। इस प्रकार उसने अपनी भूलसे लाभ उठाया है, और जो-कुछ भी कलंक उसे लगा हुआ था उसे उसने मेरी आलोचनासे धो डाला है। हम चाहते हैं कि दूसरे बहुत-से लोग जो अवधेशकी तरह दान पर गुजर करते हैं, इस दृष्टान्तसे लाभ उठायें, और इसी तरह अपने जीवनमें नया अध्याय आरम्भ करें। मनुष्यसे भूल होना स्वाभाविक है। पर मनुष्यका गौरव इसीमें है कि जब उसे अपनी भूल पता चल जाये तो वह उसे सुधारने और उसे फिरसे न करनेका दृढ़ संकल्प कर ले।

अस्पृश्यताका परिणाम

कराईकुडीमें नट्टार लोग हरिजनों पर जो अत्याचार ढा रहे हैं, उससे 'हरिजन' के पाठक भली-भाँति परिचित हैं। अब राजपूतानेसे भी वैसी ही एक खबर आई है। जयपुर राज्यके अन्तर्गत सीकरके ठिकानेमें खुर्दी नामका एक छोटा-सा गाँव है। मेरे पास जो पत्र आये हैं उनमें यह बताया गया है कि गत २८ मार्चको राजपूतोंकी एक टोलीने जाटोंकी एक बारातको घेर लिया और बेचारे निहत्थे जाटों पर बुरी तरह लाठियाँ बरसाईं — गुस्ताखी इन बरातियोंकी यह थी कि उनका दूल्हा घोड़ेपर सवार था। दुनियाके इस हिस्सेमें यह रिवाज मालूम देता है कि शादी-ब्याहके अवसर पर जाटोंको हाथी या घोड़ेको सवारीके काममें नहीं लाना चाहिए। यह

१. देखिए पृ० २९५ उपशीर्षक "शर्मनाक"।

वश्वास किया जाता था कि दोनो पक्षोमे समझौता हो गया है और किसी भी अवसर पर जाट लोग हाथी या घोडेको सवारीके काममे ला सकते हैं। पर इन घटनाओसे तो यह जाहिर होता है कि जिसने यह करार कराया था वह उसका पालन करानेमें राजपूत लोगो पर जोर नही डाल सका। कहा जाता है कि राजपूतोने इस हमलेसे पहले ही एक जाटको कत्ल कर दिया। ४० से ऊपर आदमी लाठियोसे सख्त घायल हुए, और एक आहत तो बेचारा मर ही गया।

हमे आशा करनी चाहिए कि राज्यके अधिकारी इस मामलेकी पूरी-पूरी जाँच करेगे और गरीब जाटोको उचित सरक्षण देगे जिससे कि वे उन सामान्य अधिकारोको अमलमे ला सके जो न्यायत मनुष्य-मात्रको प्राप्त है।

हमारे साथ इस घटनाका यहाँ यह सम्बन्ध है कि यह मूर्खतापूर्ण अत्याचार इस अस्पृश्यताका ही, इस विश्वासका ही प्रत्यक्ष परिणाम है कि ईश्वरने जो मानव-सृष्टि रची है उसमे कुछ मनुष्य दूसरोसे बड़े या ऊँचे है, और यह दर्प-भावना इस हदतक पहुँच जाती है कि वे छोटे आदमी अस्पृश्य ही नही, अदर्शनीय तक हो जाते है। खुडी गाँवके जाटो पर जो अत्याचार हुआ है वह अस्पृश्यताका ही एक प्रकार है — 'हरिजन' के पाठक अस्पृश्यताके जिस रूपसे परिचित है उमसे यह अस्पृश्यता सिर्फ मात्रामे ही भिन्न है। अस्पृश्यताके उग्र रूपको नष्ट करनेमे जहा हम सफल हुए कि उसका शेष रूप निश्चय ही नष्ट हो जायेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस महा पिशाचिनीका अन्त हर तरहसे और जल्द-से-जल्द किया जाये।

सेवाका पुरस्कार

दरभगासे एक सेवकने लिखा है:

> होलीकी छुट्टियोमे मैं अपने गाँव गया था। वहाँकी सड़कें बड़ी गन्दी देखी तो सोचा कि इन्हे साफ कर डालूँ। इस इरादेसे मैंने वहाँके नवयुवकोसे कहा कि हमारी इस छुट्टीका सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि आप लोग इस सारे कूड़े-कचरेको साफ करनेमें मेरा हाथ बँटायें। करीब तीस युवकोंने मेरा साथ दिया। फावड़े लेकर चार घंटे हमने डटके काम किया। सारे कचरेको इकट्ठा किया और उसे एक गड्ढेमें गाड़ दिया। हमने सोचा कि चलो आज यह एक अच्छा काम हो गया। पर गाँवके बड़े-बूढ़ोंको हमारा यह काम अच्छा नहीं लगा। भंगियोंका, नीचसे-नीच अस्पृश्योका काम करके हम सब खुद ही पतित हो गये ऐसा उन्हें लगा। उन्होने पंचायत बुलाई और जिन्होने सड़कोकी सफाईका यह काम किया था उन सबका जाति-बहिष्कार कर दिया। यह खुशीकी बात है कि उनके इस जाति-बहिष्कारके हुक्मसे गाँवके नवयुवक जरा भी भयभीत नहीं हुए।

इस अत्यन्त सराहनीय सेवा-कार्यके लिए यह सेवक और उसके नौजवान साथी हार्दिक बधाईके पात्र है। जाति-बहिष्कारके इस पचायती हुक्मसे तो यही प्रकट होता

है कि सुधारकोंको अभी कैसे-कैसे अज्ञानका सामना करना है। इस तमाम विरोधको दबानेका एक ही रास्ता है, और वह यह है कि जो ऐसा अत्याचार करें उनपर क्रोध न किया जाये और चाहे जितनी आपदाएँ झेलनी पड़ें पर सेवाके मार्गसे न डिगा जाये। लोक-सेवक यह विश्वास रखें कि अगर वे अपने मनको शान्त और स्थिर रखेंगे और यह सेवा करते रहेंगे तो जो लोग उन्हें आज पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, कल वही लोग यह समझ जायेंगे कि वे कैसी कीमती और उच्च सेवा कर रहे हैं और तब उन्हें आशीषेंगे।

मैलेके लिए गड्ढे

एक सज्जन पूछते हैं:

> १. मैलेके लिए फिर उसी स्थान पर एक फुटका गड्ढा बनानेमें कितने दिनोंका अन्तर होना चाहिए?
>
> २. धान बोनेके बाद खेतोंको प्रायः तत्काल जोत दिया जाता है। यदि बोनेके लगभग १ हफ्ते पहले खेतोंमें मैला गाड़ा गया हो, तो क्या वह जोतते समय ऊपर नहीं आ जायेगा और किसान और बैलोंके पांवोंमें नहीं लगेगा?

१. 'पुरे'की पद्धतिसे यदि मैला गहरा न गाड़ा गया हो तो अधिकसे अधिक पन्द्रह दिनोंके बाद बीज बेखटके बोये जा सकते हैं। अगले वर्ष फिर वही जगह मैला गाड़नेके काममें लाई जा सकती है।

२. जबतक मैला सोंधी सुगन्धवाली खादके रूपमें नहीं बदल जाता, तबतक उस जगहमें कुछ नहीं बोना चाहिए। खाद बन जानेके बाद उसे निश्चिन्त होकर जोता जा सकता है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १३-४-१९३५

५९८. मूक सेवा

आश्रमके एक पुराने साथी श्रीलंका-निवासी श्रीयुत जयरामदास, जिनके जरिये वहाँकि. हालके भयकर मलेरिया-प्रकोपके सम्बन्धमें थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त करनेकी मै कोशिश करता रहा हूँ, अपने एक पत्रमें लिखते है :[1]

> आपको यह लिखते हुए मुझे खुशी होती है कि अब संक्रामक मलेरियाकी बाढ़ उतार पर है, और हमने अपने ११ सेवागृहोंमें से ६ को बन्द कर दिया है।
>
> नीचे लिखे रोगियोंकी हमने सेवा-शुश्रूषा की है, जिनमें भाग्यसे एककी भी मृत्यु नहीं हुई।[2]
>
> अब केवल ८५ स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिनमें २१ तो भिक्खु हैं और ६४ गृहस्थ। इसके अलावा, १२ भिक्खु और ७८ गृहस्थ हमारे काममें सहायता दे रहे हैं।

श्रीलकासे. मेरे पास इस आशयकी अपीलें आई थी कि मै इस संकट-कालमें वहाँके लोगोकी कुछ सहायता करूँ। जितना मुझसे हो सका मैंने इस विषयमें पूछताछ की। श्रीलकामे तमिल लोगोकी एक बहुत बड़ी आबादी है। जहाँ तक सम्भव था, उन्होने लोगोको इस सकट-कालमे मदद दी। सहायताका अधिकाश काम श्रीलका-सरकारके हाथमें था। मगर दरिद्रता और आरोग्य-सम्बन्धी प्रारम्भिक नियमोके विषयमे अज्ञानता, इन दो चीजोके कारण उस सहायतासे लोग अधिक लाभ नही उठा सके। श्री जयरामदास-जैसे कार्यकर्त्ताओने अवश्य स्वेच्छासे कुछ सेवा-सहायता पहुँचाई। मलेरियाके इस भयकर प्रकोपसे सबसे बडा लाभ यह हुआ कि श्रीलंकाके कुछ भिक्खु अपने-अपने विहार छोड़-छोड़ कर सेवा करनेके लिए निकल पडे। ये लोग कोई परिश्रमका काम नही करते, बस थोडा अध्यापनका काम करते हैं। अगर चाहे तो, ये लोग समाजकी वास्तविक रूपमे सेवा करके इस सुन्दर सुहावने द्वीपको दरिद्रता तथा रोगसे मुक्त कर सकते है, और इसके जिस प्राकृतिक सौन्दर्यको मनुष्यने आज निर्दयतापूर्वक छीन लिया है, उसे वे लौटा ला सकते है। भिक्खुओका यह धर्म और कर्तव्य होना चाहिए कि वे श्रीलकाकी हर झोपड़ीमे स्वच्छता-देवीका सन्देश पहुँचा दें। यह अपराध नही तो क्या है कि जब बीमारीकी भयकरता कम हो जाये तब तो हम निश्चिन्त होकर बैठ जाये या सो जायें और जब बीमारी फिर सिरपर

१. केवल कुछ अंश दिये जा रहे हैं।

२. विभिन्न ११ गाँवोंमें खोले गये सेवागृहोंके विवरणका खाका यहाँ नहीं दिया जा रहा है। कुल १८९६ मरीजोंकी सुश्रूषा की गई, १७२९ चंगे हुए और १६७ का इलाज उस समय चल रहा था।

नाचने लगे, तब जागें और घबराकर इधर-उधर दौड़ने लगें? सच्ची सेवा तो इसीमें है कि ऐसे उपाय ढूंढ निकाले जायें जिनसे कि बीमारी फिर सिर उठा ही न सके।

सरदार वल्लभभाई पटेल हमें आज एक प्रत्यक्ष पाठ सिखा रहे हैं। वे बोरसदमें, जहाँ प्लेग फैला हुआ है, सेवा-सहायताके कार्यमें जी-जान से जुटे हुए हैं। डॉ० भास्कर पटेल और कुछ स्वयसेवकोंकी सहायतासे वे वहाँ रोगियोंको दवा-दारू की मदद दे रहे हैं। पर उनका स्थायी काम तो यह हो रहा है कि वे वहाँ तमाम गन्दगीको साफ करनेमे लगे हुए हैं। प्लेगसे आक्रान्त तमाम गाँवोंकी वे एक-एक करके सफाई कर रहे हैं। लोगोंसे वे कहते हैं कि अपने उन अन्धकारपूर्ण मकानोंको छोड़ दो और मैदानमे जाकर तबतक अपने खेतोंमे रहो। इस बीचमे वे मकानोंके छप्परोंको खुलवा देते हैं, और उनमें रोशनी, धूप और हवा आने देते हैं। और तमाम रोड़े और मलबेको हटाते हैं, कूड़े-कचरेको साफ करते हैं और गन्दी छूतही जगहोंके कीटाणुओंको नष्ट कर देते हैं। गाँवोंमें वे ऐसे लाखों पर्चे बँटवा रहे हैं जिनमें इस महामारीसे बचनेकी हिदायतें लिखी हुई हैं। सरदार वल्लभभाईने न तो धनके ही लिए कोई अपील निकाली है और न स्वयसेवकोंके ही लिए। स्वयसेवक सब स्थानीय ही भरती किये गये हैं। प्लेग सभी गाँवोंमें नही है। और जिस जगह संकट आया हुआ है वहाँ अगर सहायताकी भावना जाग्रत नहीं की जा सकती, तो यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि जबतक सहायताकी भावना वहाँके लोगोंमें न आये तबतक क्या उसके आनेकी प्रतीक्षा की जाये? यह हो सकता है कि विशेषज्ञोंको बाहरसे बुलाया जाये और लोगोंको वे रास्ता सुझायें। मगर कार्यकर्त्ता तो निश्चय ही इर्दगिर्दके होने चाहिए, और इसी तरह आस-पड़ोससे पैसेकी भी सहायता मिलनी चाहिए। बम्बई तथा दूसरे बड़े-बडे शहरोंको उन स्थानोंमें, जहाँ पैसा नही मिल सकता, ऐसे कामोंके लिए खूब दिल खोलकर पैसा देना चाहिए। पर साथ ही यह भी जरूरी है कि विपद्ग्रस्त लोग अपनी सहायता आप करना सीखें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १३-४-१९३५

५९९. पत्र : क० मा० मुन्शीको

१३ अप्रैल, १९३५

भाई मुन्शी,

आपका पत्र मिला। मैं १९ की शामको यहाँसे चलूँगा। आप सीधे इन्दौर पहुँचे, इसमें ज्यादा सुभीता रहेगा। यहाँकी ट्रेन असुविधाजनक है। खंडवासे इन्दौरकी गाडी पकडनी है। हो सकता है, हम दोनो वहाँ टकरा जायें। मैं ३० को सवेरे पहुँचूँगा। आपको जिसमें सुभीता लगे, सो करना।

आपका इतिहास मैं आजकल रोज थोडी देर पढता हूँ। जितने मनोयोगसे यह पढता हूँ, उतने मनोयोगसे गीता या रामायण पढूँ, तो यह जन्म न सुधर जाये?

राजाजी बहुत थक गये हैं। दो महीनेसे मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा है, आराम करे। जरूरत होगी तब उनसे मदद नही मिलेगी, ऐसा तो नही ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५७१) से, सौजन्य : क० मा० मुन्शी।

६००. पत्र : एल० एन० गुबिल सुंदरेशनको[1]

वर्धा
१४ अप्रैल, १९३५

मैं ऐसे किसी व्यक्तिको नही जानता जिसे भारतसे भेजा जा सके। मैं नही समझता कि कोई भी उत्साही कांग्रेसी इस कठिनाईका कोई हल सुझा सकता है। लेकिन मैं यह दिलसे मानता हूँ कि जबतक हम एक ऐसा सही भारतीय नही तलाश कर लेते जो प्रतिनिधिके कर्त्तव्योको ठीक-ठीक निभा सके, तबतक हम और अमरीकी लोग एक-दूसरेको उतनी अच्छी तरहसे नही समझ सकते, जितनी कि चाहिए।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, १७-४-१९३५

१. सुंदरेशनने गांधीजीको जॉन हेन्स होम्सके इस सुझावके बारेमें लिखा था कि "भारतकी ओर अमरीकी जनताका ध्यान बनाये रखने" के लिए विशेष प्रतिनिधि भेजा जाना चाहिए।

६०१. पत्र : अवधेश दत्त अवस्थीको

१४ अप्रैल, १९३५

चि० अ[व]धेश,

इसमें कुछ नहीं था। अवश्य दिलमें जो ख्याल आवे उसे लिखा करो। 'रामायण' का तुमारा ज्ञान कैसा है?

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२११) से।

६०२. पत्र : अमतुस्सलामको

१४ अप्रैल, १९३५

प्यारी बेटी,

क्या बेटीको बीबी नहीं कह सकते हैं?[1] देवदासको पैसा वापिस करनेकी क्यों फिकर करती है? अब कांफ्रेन्सका टिकट लेनेकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे आनेके बाद देखा जायेगा।[2] बाकी मिलने पर।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२४) से।

६०३. पत्र : पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासको

१५ अप्रैल, १९३५

भाईश्री पुरुषोत्तमदास,

तब आपको अथवा विशेषज्ञोंकी किसी संस्थाको पहला कदम उठाना चाहिए। समाचारपत्रोंमें गुमनाम लेखों द्वारा नहीं; बल्कि नामयुक्त, सप्रमाण, उत्तरदायी लेखोंके रूपमें यह लेखमाला ऐसी निकलनी चाहिए कि सरलतापूर्वक सामान्य मनुष्यकी समझमें आ सके। साथ ही एक सचिव भी होना चाहिए, जो विभिन्न संस्थाओंसे मत एकत्रित करे और उनपर हस्ताक्षर कराये।

१. प्रायः बहनको 'बीबी' कहकर पुकारा जाता है।

२. इस समयतक अमतुस्सलाम इन्दौर पहुँच चुकी थीं।

मेरा दाहिना हाथ थक गया है, और यह पत्र सवेरेके चार बजे लिख रहा हूँ, इसलिए बाये हाथसे लिख रहा हूँ। आशा है, समझनेमें अड़चन नही होगी।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कागजात; सौजन्य: नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

६०४. पत्र : मणिलाल तथा सुशीला गांधीको

१५ अप्रैल, १९३५

चि० मणिलाल तथा सुशीला,

दाहिना हाथ दुखता है, किन्तु किसी और तरीकेसे लिखा जा सके, इतना समय नही है। तुम दोनोके पत्र मिले थे। रामदासके आनेकी आशा छोड़ दो। जो बन सके सो करो और आगे बढो। किशोरलाल पूना आदि स्थानोमें घूमने गये हैं। ताराको कुकर-खाँसी हो गई है। बहुत दिन लेगी।

हरिलाल अभी मेरे पास ही है। दूसरी शादी करना चाहता है। देखें क्या होता है। रामदास बम्बईमें मारा-मारा फिर रहा है; लेकिन अभी तक कोई ठिकाना नही लगा। कान्ति तो मेरे पास ही है।

मै मजेमें हूँ। बा भी मजेमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८३६) से।

६०५. पत्र : सूरजमल जैनको[1]

१५ अप्रैल, १९३५

भाई सूरजमलजी,

मेरे साथ कितने होगे उसका निश्चय मै नही कर सका हूँ। क्योकि बहुत हमेशा मेरे साथ आना चाहते हैं। जो आवेगे उनके लिये कोई खास प्रबंधकी आवश्यकता नही होगी। खाना बिलकुल मामुली होना चाहीये। बाहरसे कुछ मंगवानेकी आवश्यकता नही है। जो कुछ इन्दोरमे ही मिल जाय उससे सबका निर्वाह हो जायगा। संभव है मेरे साथ २५ आदमी हो। यह संख्या यदि अधिक लगे तो मुझे तार दीजिये। हां, साथमें एडवोकेट मुनशी और उनकी धर्मपत्नि होनेका संभव है। और

१. हिन्दी साहित्य-सम्मेलनकी प्रबंध-समितिके मंत्री।

सोमवारको आचार्य ध्रुव आवेंगे। उनके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता रहनेका सभव है।

थेलीके बारेमें एक लाख तक तो अंकित धन नही ले सकता हू। उसमें दो चार हजार ऐसे आ जावे तो हरज नहीं है।

मोटर तो एकसे भी चल सकेगा।

आपका,

मो० क० गांधी

वीणा, श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल-मई, १९६९।

६०६. पत्र: अमृतकौरको

वर्धा
१६ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

मुझे दो पत्रोंकी प्राप्ति-सूचना देनी है।

तुम्हारी गश्ती चिट्ठी अच्छी है। सफाईको उचित महत्त्व नहीं दिया गया। मैलेको जलानेकी जरूरत नहीं। वह तो नोटको जलाने-जैसा होगा। शम्मी तुम्हें बतायेगा कि मेरी बातका क्या मतलब है। तुम जब जुलाईमें यहाँ आओगी, तब तुम्हें इसके बारेमें और अधिक जानकारी प्राप्त हो जायेगी। के० आन्ध्र चला गया है। अगले सप्ताह लौटेगा।

शम्मीको दर्द है, जरा कल्पना तो करो। 'डाक्टर, खुद अपना इलाज करो।'

तुम्हारा काता हुआ सूत आ गया है। नौसिखिएके लिए बहुत अच्छा है। जितने समयमें तुमने इतना कर लिया है, मैं नहीं कर पाया था। लेकिन मैं सीखनेके मामलेमें औसत आदमीसे कहीं ज्यादा सुस्त हूँ।

कृपया कुमारी रेनॉल्ड्सको बता देना कि दो गिन्नियाँ हरिजन-लड़कियोंकी भलाईके लिए — वे भारतीय समाजमें सबसे अधिक तिरस्कृत हैं — इस्तेमाल की जायेंगी और वह भी वहाँ जहाँ इस समय बहुत अधिक भुखमरी है।

तुम अगाथाको जो भी लिखना चाहती हो, अवश्य लिखो। मैं जानता हूँ तुम क्या लिखने जा रही हो। लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं है कि हमारे अध्यक्ष और सचिव भारतके सर्वाधिक समर्थ लेखापालोंमें से हैं। लेखे सार्वजनिक सम्पत्ति होते हैं।

हाँ, अगाथाने हम दोनोंको एक-दूसरेके बहुत नजदीक ला दिया है। मुझे इस बातका अफसोस है कि राजाजी जैसे व्यक्तिको इंग्लैंड भेजनेकी उसकी बात मैं मान नहीं सका। वह यह नहीं समझ पाती कि सारा खेल एक ही व्यक्तिका है। सर एस०[1] कांग्रेससे समझौता करना नहीं चाहते। वे अविवेकसे काम ले रहे हैं। वे

१. सर सैमुअल होर।

नही जानते कि उनकी इच्छाको जबर्दस्ती लादनेके लिए किस तरहका आतक मचाया जा रहा है। यदि अहिंसा इस बुराईका इलाज है, जैसा कि है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और सब-कुछ ठीक हो जायेगा। मेरी इच्छा है कि तुम अगाथाको समझा दो कि फिलहाल किसीको भी भेजनेसे कोई लाभ क्यों नही होगा।

मैं कुछ पूनियाँ भेज रहा हूँ। तुम लिखना, कैसा काम दे रही हैं।

तुम्हें किसी लड़के या लड़कीको अपने पास रखना चाहिए, जो इन कामोको सीखकर दूसरोंको सिखा सके। अगर तुम किसीको मेरे पास भेजो तो मैं उसे थोड़े ही समयमें प्रशिक्षित करा दूंगा।

पत्राचारका बहुत-सा बकाया काम मैंने निबटा दिया है। मैं अपने मौनका आनन्द ले रहा हूँ और यह सोचते डरता हूँ कि इसे शुक्रवारको तोड़ देना पड़ेगा। तुरन्त ही बकाया फिर इकट्ठा हो जायेगा।

तुमने आश्रमकी लड़कियोको मोह लिया है। वे अक्सर तुम्हारे बारेमें पूछती रहती हैं।

स्नेह।

बापू

[पुनश्च:] आर० का पत्र इसके साथ है।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३५२९) से; सौजन्य: अमृतकौर। जी० एन० ६३३८ से भी।

६०७. पत्र : जी० एम० थावरेको[1]

१६ अप्रैल, १९३५

प्रिय मित्र,

अफसोस कि मैं मेलेमें नही आ सकता। हरिजनोको आप यह समझानेकी कोशिश करें कि वे पण्डोंको एक पैसा भी न दें। मन्दिरोंके बारेमें आपकी शिकायत उचित है, लेकिन जोर-जबर्दस्तीसे उनको नही खुलवाया जा सकता। समझाने-बुझानेके तरीके पर अमल किया जा रहा है। आप इस बातसे निश्चिन्त रहे कि मन्दिरोको खुलवाये बिना हम दम नही लेगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
हितवाद, २१-४-१९३५

१. श्री थावरे अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा, नागपुरके सहायक महामंत्री थे। उन्होंने भंडारा जिलेके एक मेलेमें हरिजनोंके साथ अनुचित व्यवहार किये जानेकी शिकायत की थी।

६१०. पत्र : महावीर प्रसाद गुप्तको

१६ अप्रैल, १९३५

भाई महावीरप्रसाद,

तुमारी मंत्रणा अच्छी है। मैं इन्दौरमें चर्चा करूँगा।

जब तेलका व्यापार करते हो तो तेलके बारेमें अपना अनुभव लिखो। तेल साफ कैसे किया जाये?

मो० क० गांधी

श्री महावीर प्रसाद गुप्त
रेंडी गोदाम
डाकखाना बिन्दकी
जिला फतेहपुर

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६७१)से; सौजन्य: महावीर प्रसाद गुप्त।

६११. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

१७ अप्रैल, १९३५

प्रिय आनन्द,

तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। यह दूसरा जवाब है। तुम निश्चय ही कमजोर हो। किसी भी कीमत पर तुम्हे अपने काममें लगे रहना है। तुम्हारा भरण-पोषण हो जायेगा। मुझे खुशी है कि विद्या मुल्तान गई है।

तुम्हारा,
बापू

श्री आनन्द तो० हिंगोरानी
डी/३, कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी
कराची

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

६०८. पत्र : बुलाखीदासको

१९ अप्रैल, १९३५

भाई बुलाखीदास,

मेरा अभी उस ओर आनेका कोई इरादा नही है। आया तो आपसे जरूर मिलूँगा। अध्यवसायसे भावसार कई पुराने रंगोंका पुनरुद्धार कर सकते हैं।

मो० क० गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३१४०) से।

६०९. पत्र : वालजी गो० देसाईको

१६ अप्रैल, १९३५

चि० वालजी,

सोनेकी कटारी कमरबंदमें शोभा देती है या पेटमें? मगनकुटीमें साँप खेले, दीमक दीवाले खा जाये, कबूतर घोंसले बनायें — यह अच्छा है या उसमें कुछ जिन्दा आदमी रहें, यह। हरिजनोके हितके लिए यह सब दे देनेके बाद भी तुम जो उसके प्रति मोह बनाये हुए हो सो कैसे सधेगा? जो हमारे अनुशासनके चौखटेमें समा सके, ऐसे ही लोगोंका आना सम्भव है।

मधुमक्खीवाला लेख मिला। जयकरनकी लेखमाला[1] छप रही है।

गोरक्षाके सम्बन्धमें तुम्ही कुछ लिख भेजो। उसका उपयोग करके मैं कुछ लिख लूँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४७२) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई।

१. जे० एन० जयकरनके "मधुमक्खी-पालन" शीर्षक दो लेख हरिजनके २० तथा २७ अप्रैल, १९३५ के अंकोंमें प्रकाशित हुए थे।

६१०. पत्र : महावीर प्रसाद गुप्तको

१६ अप्रैल, १९३५

भाई महावीरप्रसाद,

तुमारी मंत्रणा अच्छी है। मैं इन्दौरमें चर्चा करूँगा।

जब तेलका व्यापार करते हो तो तेलके बारेमें अपना अनुभव लिखो। तेल साफ कैसे किया जाये?

मो० क० गांधी

श्री महावीर प्रसाद गुप्त
रेडी गोदाम
डाकखाना बिन्दकी
जिला फतेहपुर

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६७१) से; सौजन्य: महावीर प्रसाद गुप्त।

६११. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

१७ अप्रैल, १९३५

प्रिय आनन्द,

तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। यह दूसरा जवाब है। तुम निश्चय ही कमजोर हो। किसी भी कीमत पर तुम्हे अपने काममें लगे रहना है। तुम्हारा भरण-पोषण हो जायेगा। मुझे खुशी है कि विद्या मुल्तान गई है।

तुम्हारा,
बापू

श्री आनन्द तो० हिंगोरानी
डी/३, कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी
कराची

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

६१२. पत्र : नरसिंहराव दिवेटियाको

वर्धा
१७ अप्रैल, १९३५

सुज्ञ भाईश्री,

अभी-अभी सुना कि आप खाट पकड़े हुए हैं। भला यह कैसे निभेगा? अभी तो बहुत बरस जीना है और सेवा करनी है। सौ बरस तो जीनेका अधिकार है ही न?

इस पत्रका उत्तर देनेकी जरूरत नहीं है।

आपका,
मोहनदास गांधी

[गुजरातीसे]
नरसिंहरावनी रोजनीशी, पृष्ठ ६१७

६१३. पत्र : अमतुस्सलामको

१७ अप्रैल, १९३५

प्यारी बेटी,

मेरी तो उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी।[1] मुझे पता नहीं वहांका इन्तजाम क्या है। अब तो कुछ दिन बाकी नहीं है। सब पता लग जायेगा।

बापूकी दुआ

उर्दूकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२५) से।

१. अमतुस्सलाम इस समय इन्दौरमें थीं और गांधीजी १९ तारीखको इन्दौरके लिए रवाना होनेवाले थे। सम्भवतः वे अपने भाईके पास ठहरी थीं।

६१४. पत्र : अमृतकौरको

वर्धा
१८ अप्रैल, १९३५

प्रिय अमृत,

कृपया सरदार देवराजके लोगोको मेरी सवेदना पहुँचा देना। हाँ, मुझे उनसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वयं एक सस्थाके समान थे।

मैं २७को नही, ज्यादासे-ज्यादा २५ तक जरूर लौट आऊँगा।

उम्मीद है कि शम्मी शीघ्र ही फ्लूसे छुटकारा पा लेगा। पूनियाँ तुम्हे कल ही रवाना की है।

तुम दोनोको स्नेह।

बापू

श्री राजकुमारी अमृतकौर
जलधर सिटी
पजाब।

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ३७१३) से; सौजन्य : अमृतकौर। जी० एन० ६८६९ से भी।

६१५. पत्र : जमनालाल बजाजको

१८ अप्रैल, १९३५

चि० जमनालाल,

तुम्हारे दोनो पत्र मिले। कुमारप्पासे पूछा। जब ये फार्म छपवाये गये थे तब कोई अध्यक्ष नही बनाया गया था। खजानची तो थे ही। उनका नाम देना आवश्यक मालूम हुआ, इसलिए छापा गया। मुझे इसकी कोई खबर नही थी। कागज भी मैंने तुम्हारा पत्र आनेके बाद मँगवाकर देखा। अब आगे जो फार्म छपवाया जायेगा, उसमें परिवर्तन करके छपवानेको कहा है। इसमे कोई खास बात नहीं है।

कमलनयन सरहद पहुँच गया, ठीक है। पत्रोमें था कि उसे चोट आई है। पर उसमे कोई खास बात नही मालूम होती।

कमलाके बारेमें मालूम हुआ। कमलाकी इच्छा है कि जब वह जाने लगे तो बम्बई जाकर मैं उससे मिल आऊँ। तुम वहाँ हो ही, सो मुझे सलाह देना।

कान कैसा रहता है, इस प्रश्नका उत्तर नही है। आज ठक्कर बापा आये है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९६३) से।

६१६. पत्र : कनु गांधीको

१८ अप्रैल, १९३५

चि० कनैयो,

फिर तूने जल्दीमें निर्णय कर लिया। मुझे जो देखना है, सो सब यही का। हिसाब भी यही का रखना है। साथमे एक भी आदमी नही होगा, जिसका सामान देखनेकी जरूरत हो। रोजकी डाक कौन देखेगा? रोजका हिसाब कौन रखेगा? सिर्फ जोड़ने-घटानेके लिए तुममेंसे किसीकी भी जरूरत नही है। मेरा सामान तो नही के बराबर होगा। केवल टाइप करनेके लिए किसीको नही ले जाना है। टाइप करने-जैसा कुछ होगा ही नहीं। अतः यदि तुझे आनेका विशेष चाव ही न हो, तो तुम दोनो रह जाना और रोजका काम सँभालना। तू कुछ अध्ययनका कार्यक्रम बना लेना और कुछ औजार तैयार करना। कुछ तो खरीदने पड़ेंगे। समझा?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

६१७. पत्र : पुरुषोत्तम गांधीको

१८ अप्रैल, १९३५

चि० पुरुषोत्तम,

तेरा पत्र आज मिला। तू दीर्घायु हो और तेरी शुभकामनाएँ सफल हों। तेरा पिछला पत्र भी मिला था। जैसे भी बने तबीयत सुधार ले, तो बड़ा काम हो जाये। चोरवाड़ जानेका निश्चय किया है, यह अच्छा किया। सेवा तो हम जहाँ रहें वही की जा सकती है, है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२) से।

६१८. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१८ अप्रैल, १९३५

चि० प्रेमा,

आज मेरा मौनका अन्तिम दिन है। मौनमें पीछेका काम काफी निवटा लिया है। तेरा पत्र आज ही मिला।

तेरे आनेके बारेमें तेरा लिखना बिलकुल ठीक है।

चावल, गुड़, प्याज वगैरा खानेके लिए मैं किसीको मजबूर थोड़े ही करता हूँ? लोग जो चीजें खाते हैं उनके गुण-दोष मैं बताता हूँ। इमली मैं तो कच्चे शाकके साथ ही खाता हूँ। उसे भिगोकर उसका सत्त्व निकाल लेता हूँ। कच्चा शाक भी मुझे तो पिसवाकर ही खाना पड़ता है।

गाँवोंके लोगोंकी खुराकमें प्याजका बड़ा स्थान है। वह एक शाक है जो उनके लिए अमूल्य है। जहाँ प्याज हो वहाँ घी वगैराकी इतनी जरूरत नहीं रहती। इसलिए मैंने प्रयोगके रूपमें शुरू किया है। जिनकी मरजी होती है, वे खाते हैं। प्याजके बारेमें मैंने अपना विचार इस हदतक बदला है कि जो इसे औषधिके तौर पर खाते हैं उनके ब्रह्मचर्यमें इससे बाधा नहीं होती। इसके लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।

लाठी वगैराके शिक्षणसे अहिंसाकी वृत्ति मन्द पड़ जानेकी सम्भावना तो अवश्य है। लाठी रक्षाके लिए सिखाई जाती है न? परन्तु जो सिखाना चाहता है, उसे लाठीका उपयोग न सिखानेका नियम बनानेकी इच्छा नहीं होती।

सफेद खादीके बजाय रंगीन खादी इस्तेमाल ही न की जाये, ऐसा तो मैंने नहीं लिखा। लिखा हो तो उसे भूल समझा जाये।

स्वराज्य मिलने पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी बदल जायेंगी कि आज देशी राज्योंके बारेमें निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। परन्तु आम तौर पर देशी राज्योंकी शक्तिको स्वराज्य तन्त्र रोकेगा नहीं, ऐसा कहा जा सकता है।

लुहार, सुनार वगैरा वैश्य माने जायेंगे।

कल इन्दौर जा रहा हूँ। २५ तारीखको वापस आ जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३७०) से। सी० डब्ल्यू० ६८०९ से भी। सौजन्य: प्रेमाबहन कंटक।

६१९. पत्र : अनसूयाबाई कालेको

१८ अप्रैल, १९३५

प्रिय भगिनि,

तुमारे पूर्ण उत्तरके लिये आभारी हूं।

मो० क० गांधी

पत्रकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ६९०१)से।

६२०. एक तार[1]

[१९ अप्रैल, १९३५के पूर्व][2]

थैलीकी राशिका उपयोग सिर्फ हिन्दी-प्रचारके लिए किया जायेगा, किसी राजनीतिक या हरिजन कार्यके लिए कदापि नहीं। हिसाब कोई भी जब चाहे देख सकता है।

[अंग्रेजीसे]

'मध्य प्रदेश और गांधीजी', पृ० ४९।

६२१. पत्र : कोतवालको

[१९ अप्रैल, १९३५के पूर्व]

भाई कोतवाल,[3]

मुझे उतारोगे कहां? मेरे साथ अधिक मनुष्य हो तो चलेगा क्या? इन्दौरके पास कोई ग्राम हो तो वहाँ झोपड़ेमें रहना मुझे पसन्द है।

बापू

वीणा, श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल-मई १९६९।

१. साधन-सूत्रमें पानेवालेका नाम नहीं मिला।

२. तार गांधीजीके इन्दौर-प्रस्थानसे पूर्व ही भेजा गया होगा, जिसकी तारीख १९ अप्रैल थी।

३. हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी प्रबन्ध-समितिके सदस्य।

६२२. संदेश: 'बंगाल प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनको'[1]

[१९ अप्रैल, १९३५ या उससे पूर्व][2]

कांग्रेससे अवकाश प्राप्त कर लेनेके बाद सम्मेलनमें मेरे शामिल होनेकी उम्मीद आप मत कीजिये। फिर भी, मैं आशा करता हूँ कि आपका अधिवेशन सफल होगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका, २४-४-१९३५

६२३. पत्र: एन० वेंकट कृष्णय्याको

१९ अप्रैल, १९३५

प्रिय मित्र,

मैंने अपने एक पत्रमें वस्तु-विनिमय प्रणालीकी कठिनाई बतलाई थी। मूल्यका एक सामान्य मापक होना चाहिए। जहाँ तक आपके दूसरे मुद्देका सवाल है, निस्संदेह, श्रमका विभाजन होना ही चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एन० वेंकट कृष्णय्या,
खद्दर सस्थानम
वेजवाडा।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९२४२) से।

१. सम्मेलन दीनाजपुरमें हुआ था।

२. साधन-सूत्रमें इस पर तारीख १९ अप्रैल दी हुई है।

६२६. भाषण: प्रार्थना-सभामें[1]

१९ अप्रैल, १९३५

मैंने यह मौन[2] किया तो था सिर्फ इस विचारसे कि कागज-पत्र लिखनेका जो बहुत-सा काम पिछड़ गया था, उसे इस बीच निपटा डालूँ, पर अब मैं देखता हूँ कि उसकें अलावा इस मौनसे मुझे और भी अनेक लाभ हुए हैं। चूंकि मेरी दृष्टिके सामने सदा केवल आध्यात्मिक लक्ष्य ही रहता है, इसलिए मेरे इस मौनव्रतसे मुझे स्पष्ट ही आध्यात्मिक लाभ हुआ। जो अपने जीवनमे निरन्तर सत्यकी शोध कर रहा हो उसके लिए मौन बहुत आवश्यक है। किन्तु वह मौन मेरे इस मौनसे कही अधिक गम्भीर है। उसमें तो बातचीतका साधन यह लिखना भी बन्द कर देना चाहिए। अन्तरमें सत्य यदि होगा तो वह वाणीके बिना ही, लेखनीके बिना ही उसके प्रत्येक कार्यके द्वारा बोलेगा। उस दिन विनोबाका मुझे एक पत्र मिला था। भाऊने मुझे जो पूनियाँ बनाकर भेजी थी और उनके लिए मैंने उनकी जो प्रशंसा की थी उसी सम्बन्धमें विनोबाका वह पत्र था। उसमे उन्होंने लिखा था कि 'आपने भाऊकी जो प्रशंसा की है, वास्तवमें वे उसके पात्र हैं; पर मैं चाहता हूँ कि आपकी पूनियाँ और भी अच्छी हों। जिस रुईकी उन्होंने पूनियाँ बनाई है वह गाँठकी रुई है। आपको ऐसी रुई काममे लानी ही नही चाहिए। जो रुई दबाई हुई नही होगी उसका असर तो कुछ और ही होगा।' नानीबहन बहुत बारीक सूत कातनेकी क्रियाओंका अभ्यास करने नांदेड़ गई थी। जब वहाँसे लौटकर उन्होंने मुझे खास तौरपर बिना दबाई हुई रुईकी कुछ पूनियाँ बनाकर दी, तब मुझे इस बातकी सचाईका पक्का प्रमाण मिल गया। जब मैंने इन पूनियोको काता, तो मुझे काफी फर्क मालूम पड़ा। सूत टूटा तो जरा भी नही। यह बात नही कि मैंने कुछ खास ध्यानसे काता था। पर वह रुई ही अत्यन्त सावधानीके साथ साफ करके धुनी गई थी। मैं यह बतलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि सत्यमे कितनी सावधानीकी आवश्यकता है और जो मधुर स्वाद 'करनी' में है वह 'कथनी' में कहाँ। कुछ वर्ष हुए कलकत्तेकी एक सभामे इतना ही कहकर मैंने मनमे सन्तोष मान लिया था कि 'आप लोग मेरी इन उंगलियोंका मूक भाषण ध्यानसे सुने जो यह तकली चला रही है।'

इस मौनमें एक गुण और मुझे दर्पणवत् दिखाई दिया। क्रोध जैसे सबको आता है मुझे भी वैसे ही आ जाता है। पर मैं उसे सफलतापूर्वक दबा सकता हूँ। खैर, मुझे यह मालूम हुआ कि क्रोधको दबानेमें मौनसे जितनी मदद मिलती है उतनी शायद किसी अन्य साधनसे नही मिलती। मनुष्य जब मौन रहेगा तब क्रोध वह

१. महादेव भाईके "वीकली नोट्स" (साप्ताहिक टिप्पणियाँ) से उद्धृत।

२. गांधीजीने २२ मार्चसे चार सप्ताहके लिए मौन रखा था और तभी तोड़ा था।

कहाँसे प्रकट करेगा? नेत्रोंके द्वारा तो प्रकट नही करेगा। और जब उसने अहिंसाका व्रत ले लिया है, तब शारीरिक हिंसाके द्वारा तो वह क्रोधको उत्तेजन दे ही नही सकता। लिखकर भी वह क्रोधको प्रकट नही कर सकता, क्योंकि लिखनेकी क्रिया आरम्भ करनेमें ही क्रोधका शमन हो जाता है।

मौनके और भी अनेक लाभोंका मैं वर्णन कर सकता हूँ, पर यहाँ तो इतना ही काफी होगा। एक बात मैं आप लोगोंसे कह दूँ। वह यह कि इस मौनव्रतकी समाप्तिके लिए मैं कुछ आतुर नही हो रहा था। मुझे तो यह डर लग रहा था कि मौन-भंग करनेका दिन अब आ पहुँचा। और मैं तो चाहता हूँ कि महीने-दो महीने का न सही, पर थोड़े-थोड़े दिनोंका मौनव्रत तो मैं बीच-बीचमें लिया ही करूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २७-४-१९३५

६२७. सन्देश : किसान-सम्मेलनको

[२० अप्रैल, १९३५से पूर्व][1]

मुझे खेद है मैं सम्मेलनमें शामिल नही हो सकता। सरदारके सभापतित्वमें सम्मेलनकी सफलता निश्चित ही है।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-४-१९३५

६२८. बातचीत : जयकृष्ण भणसालीके साथ[2]

[२० अप्रैल, १९३५से पूर्व][3]

गांधीजी : तुम जब ध्यानस्थवस्थित होकर बैठते हो तब क्या केवल 'ओंकार' का ही जप करते हो?

भणसालीजी : जी, हाँ।

गां० : क्या दूसरे कुछ विचार मनमें आते है?

भ० : जी, नहीं।

गां० : क्या सारे दिन कोई अन्य विचार मनमें नही आते?

भ० : यह बात तो नहीं है। आपके साथ जो बातें हो रही हैं उनका तो बारम्बार विचार आता है। और मैं आपके प्रश्न अपने अन्तःकरणसे बार-बार पूछता रहता हूँ।

१. साधन-सूत्रमें इस रिपोर्ट पर २० अप्रैलकी तारीख है।
२. महादेव देसाईके साप्ताहिक पत्र "वीकली लेटर" से उद्धृत।
३. महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीमें इसकी रिपोर्ट १० अप्रैलमें दी गई है।

गां० . ठीक। तुमने उस दिन कहा था कि अपने आसपास चारो ओर मैं जो दु:ख-दावानल देखता हूँ उससे मुझे पीड़ा होती है। तो क्या उसके निवारणके लिए कुछ करनेको तुम्हारा मन नही होता?

भ० : नहीं। वैसे यह विचित्र लग सकता है।

गां० : तब यह कहनेका अर्थ ही क्या हुआ कि तुम्हे उससे पीड़ा होती है?

भ० : दूसरोंका दुःख देखकर पीड़ा तो होती है, पर यह भी लगता है कि मैं लाचार हूँ, कुछ कर नहीं सकता।

गां० : पर तुम्हारे पैरमे काँटा लग जाये तो क्या तुम उसे निकालोगे नही?

भ० : जी, निकालूँगा।

गां० : तुम्हे जब भूख लगती है तो तुम कुछ खाते हो या नही?

भ० : खाता हूँ।

गां० : तब अगर दूसरेके पैरमें काँटा लगा हो तो तुम्हे क्या ऐसा लगता है कि यह काँटा मेरे ही पैरमें लगा है, और क्या उसे निकाल देनेकी इच्छा नही होती?

भ० : जी हाँ, होती है।

गां० : इसी प्रकार दूसरोंकी भूख तुम शान्त कर सको तो करोगे या नही?

भ० : करूँगा, अगर मेरे सामर्थ्यमें होगा तो।

गां० : यदि कोई मनुष्य कष्टसे पीड़ित हो और सिवा तुम्हारे दूसरा कोई भी उसके पास न हो, तो?

भ० : शायद कुछ उसके लिए करूँ। पर मुझसे अधिक हो ही क्या सकेगा? मैं तो अपनी लाचारी कबूल कर रहा हूँ।

गां० : यह कहकर तुम्हारे-जैसा व्यक्ति जिम्मेदारीसे छूट थोड़े ही सकता है?

इसके उत्तरमें भणसालीजी धीरेसे मुस्कुरा दिये।

गां० : पर हमने इस वार्ताका आरम्भ ही तुम्हारी इस स्वीकृतिसे किया है कि आसपासका दु:ख देखकर तुम्हे पीड़ा होती है। तुम उस दिन कहते थे न कि 'नवजीवन' का वह 'पतंग-नृत्य' लेख आज भी कानोमें गूँज रहा है।

भ० : जी हाँ, वह लेख आज भी मेरे कानोंमें गूँज रहा है, पर मैं कहता हूँ कि मैं लाचार हूँ।

गां० : जो मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हो वही यह कह सकता है कि अब वह इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी लूले-लँगड़े आदमीकी उसे सेवा करनी है, तो उसकी वह सामर्थ्य-भर सेवा करेगा, उस एक मनुष्यकी सेवामें उसके लिए मनुष्यमात्रकी सेवा आ जाती है।

भ० : पर मैं अपना ध्यान पीड़ितके कष्ट-निवारणमें ही पूरी तरह लगा नहीं सकता। मैं थोड़ा-बहुत करूँगा, पर मुझे जल्दी ही अपनी लाचारी महसूस होने लगेगी।

गां० : यज्ञ और सेवासे ही सारा संसार चल रहा है। 'गीता' ने कहा है न कि —

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥[1]

भ० : यह ठीक है, पर ईश्वर-भजन भी तो एक प्रकारका धर्म ही है न?

गां० : ईश्वर-परायणता कोई ऐसी अनोखी चीज तो है नही जो तिजोरीमें जवाहरातकी तरह बन्द रखी जाये। वह तो हमारी कृतिमें दिखाई पड़नी चाहिए। पर इसका जवाब मै अभी नही चाहता। चूंकि तुम अपनी बातका विचार करते हो, इसीलिए मै तुम्हे इसपर विचार करनेके लिए छोड़ देता हूँ। और फिर तुम्हारे ऊपर इसका कोई दवाव भी नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मेरे ये प्रश्न अच्छे लगते हो तभी मै तुमसे पूछूंगा। यह तो तुम देखते ही हो कि मै तुम्हारे बारेमें कितना अधिक सोचता रहता हूँ।

भणसालीजीने जब यह कहा कि मै आपकी चिन्ताका कारण बनूं यह तो नहीं होना चाहिए, तब गांधीजीने कहा :

गां० : नही, सो बिलकुल नहीं है। मुझे लगा कि अपने विचार मुझे तुम्हारे सामने रखने चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे यह चर्चा की।

भ० : लेकिन आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे?

गां० : नहीं, मैं यह नही चाहता कि तुम कोई भी ऐसा काम करो जो तुम्हें बुद्धिपूर्वक जँचता न हो।

दूसरे दिन भणसालीजी खुद गांधीजीके पास गये और फिर अपनी वही लाचारी प्रकट की।

गां० : तुम्हें जो कहना था, वह तुम मुझसे कह चुके; पर मुझे तो अपना राग अभी अलापते ही जाना है।

भ० : अवश्य, आपको अधिकार है, बापू। पर अपनी मनोवृत्ति मैं आपको बतला चुका।

गां० : तुम्हारी मनोवृत्ति तो मै जान गया। पर तुम्हारी तरह करनेका उल्लास मुझे क्यों नही होता? तुम्हारी तरह भ्रमण करना तो मुझे अच्छा लगता है, और शरीर गवाही दे तो आटे और नीमकी पत्तियों पर भी निर्वाह करूँ, तो भी यह तो प्रतीत होता ही है कि तुम्हारे जीवनमे कोई भारी विचार-दोष पडा हुआ है। तुम्हारा यह मार्ग यदि सत्य हो तो सत्यके शोधकके नाते उसपर चलना मेरा धर्म हो जाता है। इसके विपरीत, तुम्हारी वृत्तिमें यदि कोई दोष मालूम पड़ता हो तो मुझे वह बात तुम्हारे कानमें डाल देनी चाहिए। मुझे जो दोष मालूम पड़ रहा है, वह तुम्हारे भ्रमणमें अथवा आटा और नीमकी पत्तियाँ खानेमें नही; किन्तु तुमने 'यज्ञ-सह' जन्म लिया है, फिर भी तुम इस देहके साथ सम्बद्ध वस्तुकी अवहेलना कर रहे हो।

भ० : जरा इस यज्ञको और स्पष्ट कीजिये।

गां० : भगवानने यह कहा है कि जो बिना यज्ञ किये खाता है वह चोरीका अन्न खाता है। जो भिक्षा माँगकर खाते है, वह ठीक है। पर उसे यज्ञधर्म करनेके बाद खायें।

१. अध्याय ३, श्लोक १०।

भ० : मैंने इसे सुना है। आज सारे दिन मैं यही सोचता रहा कि मैं कोई काम तो करता नहीं, तब मुझे आटा और नीमकी पत्तियाँ खानेका अधिकार है या नहीं?

गां० : तुमने जो यह सुना है सो तो ठीक ही है। पर सारा ससार जिस धर्मको जानता है उसे बर्तता उसी प्रकार है जिस प्रकार जैन साधु और संन्यासी। ये दोनो भिक्षाका अन्न तो खाते ही है, पर अपने मनमें ऐसा मानते है कि वे लोगोको जो धर्मोपदेश देते है, उतना ही यज्ञ उनके लिए पर्याप्त है। मैं मानता हूँ कि इसमें वे थोडी भूल करते है। धर्मका बोध अवश्य देना चाहिए, पर उसके साथ ही उन्हे शारीरिक श्रम-रूपी यज्ञमें भी अवश्यमेव भाग लेना चाहिए। और उस यज्ञका बदला चाहनेके बजाय उन्हे लोगोकी दया पर जीना पसन्द करके शुद्ध ब्राह्मण-धर्मका पालन करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हे इतना बार-बार समझाना चाहता हूँ कि जगतमें अभीतक किसीने जो नही किया उस अनोखी वस्तु — माया — से तुम दूर रहो। तुम जो कर रहे हो, यह कोई त्याग नही बल्कि सूक्ष्म भोग है, क्योकि उसमें मानसिक आलस्य है। मैंने जो लिखा है उसके पीछे समस्त जगतका अनुभव है और मेरा जीवित-जाग्रत अनुभव भी उसका साक्षी है। भगवानकी प्रेरणासे प्रेमके वश होकर तुम यहाँ आये हो। इस प्रेमका बदला मैं दूँ तो क्या दूँ? क्या अच्छा भोजन कराकर? नहीं, इसकी तुम्हें इच्छा भी नही। पर निर्मल प्रेम जो मुझसे कहला रहा है वह जरूर कहूँगा।

भ० . अवश्य कहिये। आपने जो कहा है, मैं उसका मनन करूँगा।

इस विषय पर एक चर्चा और हुई। फिलहाल उसे अन्तिम माना जा सकता है।[1]

गां० : तो, मैंने जो कहा था उस पर तुमने विचार किया?

भ० : किया तो, पर स्वीकार करता हूँ कि कोई परिणाम नहीं निकला। बात ऐसी है कि दस बरसोसे मेरी विचारधारा दूसरी तरह चलती रही है। मैं जब इंग्लैंडमें था तब भी मैं लौटने पर संन्यास लेनेकी बात सोचता रहता था। और समय बीतनेके साथ मेरे वही विचार दृढ़ हुए है।

गां० : हाँ, सो तो जानता हूँ; तुम्हारी यह धारणा बहुत पुरानी है।

भ० : जी हाँ; और अभी तक मुझे उसे बदलनेका कारण नहीं दिखा है। अगर मेरी बातमें उद्दण्डता लगे तो क्षमा करेंगे।

गां० : उद्दण्डताकी इसमें कोई बात नही है। अगर मनकी बात साफ-साफ कहना उद्दण्डता हो तो फिर वह मुझमें भरी पड़ी है। तुम अपना विचार खुलकर प्रकट कर रहे हो, मुझे तो इससे प्रसन्नता ही हुई है। किन्तु मैं तुम्हे यही छोड दूंगा। तुम पर अधिक दबाव डालनेकी मेरी इच्छा नही है।

[गुजरातीसे]
हरिजनबन्धु, २०-४-१९३५

१. यह अंश हरिजनमें प्रकाशित अंग्रेजी विवरणसे लिया गया है।

६२९. पापका पोषण

'पापकी मजदूरी मृत्यु है', यह बाइबिलका वाक्य है। अपना अस्पृश्यता-रूपी पाप करते हुए, हम कमाईके रूपमें नित्य-प्रति आर्थिक मृत्यु प्राप्त कर रहे है, इस बातका दृष्टान्त राजपूतानेके एक सज्जनके पत्रमे मिलता है। उस पत्रका सार यह है·

> इधर हमारी तरफ जहाँ भी मै देखता हूँ ढोरोंकी हड्डियाँ रास्तों पर पड़ी दिखाई देती है। किसे पड़ी है कि उन्हें इकट्ठा करता फिरे? इससे गाँवोंके इर्दगिर्दकी तमाम जगह उपेक्षित श्मशान-सी दिखाई देती है। तिस पर कुत्ते परिस्थिति और खराब कर देते है। आपने 'हरिजन' में इस विषयपर कभी-कभी लिखा तो है, पर क्या आप हरिजनों एवं ग्राम-सेवकोंके पथ-प्रदर्शनार्थ इस सम्बन्धमें कुछ ठोस सलाह नहीं देंगे? अगर आप इन हड्डियोंको किसी हड्डी पीसनेवाली मिलमें भेजनेकी सलाह देंगे तो वह तो व्यर्थ-सी बात होगी, क्योंकि वहाँ तक भेजनेका खर्चा बहु तज्यादा पड़ जायेगा। फिर आपको इस धार्मिक कट्टरताका भी खयाल रखना होगा कि हड्डियों आदिकी बनी हुई चीजोंको लोग इस्तेमाल नहीं करते।

इस देशमें चीजोका जो अपव्यय हो रहा है, वह सचमुच भयानक है। अस्पृश्यता पिशाचिनीके कारण जो बर्बादी हुई और हो रही है, अगर कोई अर्थशास्त्री उसके आँकड़े निकालकर रखे तो वे सचमुच दिल दहलानेवाले होगे। अस्पृश्यताके पापका पोषण करनेमें हम जो लाखों-करोड़ो रुपये स्वाहा कर रहे है, उससे भूखो मरनेवाले करोड़ों आदमियोको बड़े आरामसे रोटी दे सकते है। यह कोई छोटी-मोटी बर्बादी नही है। यह भारतके पाँच करोड़ मनुष्योकी जान-बूझकर मानसिक और नैतिक वृद्धि नही होने देती, साथ ही यह उनकी पर्याप्त आर्थिक हानि भी कर रही है। मगर इस प्रश्नका कोई इतने बडे रूपमें विचार करने बैठेगा तो वह चक्करमे पड जायेगा। कार्यकर्त्ताओके लिए तो यह प्रश्न काफी सरल है, क्योंकि उन्हे तो लाखो-करोड़ोकी सख्यामे न धनका हिसाब लगाने बैठना है और न जनका ही।

धार्मिक भावनाओमे भी परिवर्तन करना ही होगा। भारत-जैसे देशमें, जहाँ पशुओका भी जीवन पवित्र माना जाता है, हमें अपनी मौतसे मरे पशुओकी लाशके तमाम भागोका भोजनके अलावा अन्य उपयोग उतना ही पुण्यकार्य समझना होगा। मेरा खयाल है कि हरिजन-सेवकोने अब इस स्थितिको अनुभव कर लिया है। मेरा यह अनुमान अगर ठीक है, तो गाँवके रास्तो पर उन्हे जो हड्डियाँ पडी दिखाई दें उन सबको वे जमा करके तबतक किसी जगह रखे रहे जबतक कि उन्हे कोई दूसरा आदेश न मिले। मै किसी ऐसे आसान तरीकेकी तलाशमें हूँ जिससे कि हड्डियोको

पीसकर उनका बुरादा बनाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि हड्डियोंकी खाद बनाना ही उन्हे ठिकाने लगानेका सस्तेसे सस्ता तरीका है। खादी-प्रतिष्ठानके सतीश बाबू आजकल इस प्रयोगमे लगे हुए है कि गाँवके लोगोके लिए ऐसा कौन-सा बढ़िया तरीका हो सकता है जिससे कि वे अपने पशुओकी लाशके तमाम हिस्सोका सबसे अच्छा आर्थिक उपयोग कर सकें। सतीश बाबू अपने अनुसन्धानोसे जिन नतीजो पर पहुँचे है, उन्हे 'हरिजन' के पाठकोके आगे रखनेका मेरा विचार है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-४-१९३५

६३०. एक कार्यकारिणी उप-समिति

अधिकांश समितियो अथवा उप-समितियोका गठन कुछ मामलोंकी छानबीन करनेके लिए किया जाता है। लेकिन मुझे एक ऐसी उप-समितिके बारेमे जानकारी हुई, जिसका गठन शीघ्र कार्यवाही करनेके लिए हुआ है। फैडरेशन ऑफ इन्टरनेशनल फैलोशिपके अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी श्रीयुत ए० ए० पॉलने फैडरेशन द्वारा नियुक्त एक उप-समितिकी रिपोर्ट भेजी है, जिसका कार्य कर्नाटक क्षेत्रमें ग्रामीण-ऋणकी समस्या को हल करना है। उस उप-समितिकी रिपोर्टसे मुझे निम्न मनोरंजक तथ्य प्राप्त हुए है:[1]

> मनमाना ब्याज लेनेकी कुप्रथा मानो मौसम है; हर व्यक्ति उसकी चर्चा तो करता है, पर हस्तक्षेप नहीं करता। आठ माह पूर्व हमारी इन्टरनेशनल फैलोशिप संस्थाने दलित वर्गके ग्रामवासी भाइयोंको इस कुप्रथाकी पीड़ासे निस्तार दिलानेके लिए कार्य करनेका दृढ़ निश्चय किया। कहनेका यह अर्थ नही कि यह विभीषिका गाँवोंमें ही विशेष रूपसे है। परन्तु क्योंकि ग्रामवासी अपना बचाव करनेमें असमर्थ होते है तथा उनसे लाभ उठानेवाला वर्ग अधिक संगठित होता है, इसलिए वे आसानीसे उसके शिकार हो जाते है। एक खास गाँवकी ओर हमारा ध्यान दिलाया गया था। वहाँ गैर-कानूनी तरीकेसे पैसा वसूल करनेवालोंकी एक अच्छी-खासी जमात ही थी। उनका मुखिया कुछ साल पहले वहाँ लगभग खाली हाथ आया था, और अब उसकी दोमंजिला पक्की इमारत है। गाँवमें वही एक पक्की दोमंजिला इमारत है। गाँवका करीब-करीब हर आदमी उसका कर्जदार है। उसकी मौजूदा ब्याज-दर सालाना ७५ प्रतिशत तक है। चारों तरफ घूमकर कर्ज देनेवाले पठान तो ३०० प्रतिशत तक ब्याज लेकर लोगोंको लूटते है। . . .

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये जा रहे हैं।

इस समस्याको सुलझानेके लिए स्वेच्छासे कार्य करनेकी पेशकश करनेवाले एक हिन्दू तथा एक मुसलमान वकीलकी एक समितिका निर्माण किया गया। अगला कदम यह उठाया गया कि उस गाँवके मैट्रिकके एक छात्रसे सभी कर्जदारोंकी, उनके कर्जोंके विवरण सहित, एक फेहरिस्त बनवाई गई। विवरणका अध्ययन करनेके बाद हमारी समितिके सदस्य गाँवमें गये और हरएक कर्जदारसे उसके कर्जके बारेमें सवालात किये। जिन लोगोंने निडर होकर यह प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने कर्जकी मूल राशि चुकानेके अलावा काफी मात्रामें ब्याज भी दे दिया है, उनके मामलोंको लेकर हमारे वकील सदस्योंने अपनी ओरसे निःशुल्क कानूनी नोटिस जारी किये और साहूकारोंको यह सूचना दी कि अब कर्ज बाकी नहीं रहा है। . . . उसी समयसे कर्जदार व्यक्तियोंने ब्याज आदि देना बन्द कर दिया। करीब पचास नोटिस जारी किये गये। बिना किसी प्रकारके नोटिस जारी किये दूसरे गाँवोंमें भी लोगोंने पैसा देना बन्द कर दिया। अत्यन्त सावधानीसे तैयार की गई एक टिप्पणी पुलिस सब-इन्स्पेक्टरको तथा सूद वसूल करनेवाले व्यक्तियोंको चेतानेके विचारसे भेजना भी हमने जरूरी समझा। साथ ही फैलोशिपकी वार्षिक रिपोर्ट तथा इस प्रकारकी ठगीका काम करनेवाले लोगोंके नामोंकी सूची भी उसके साथ लगा दी गई। . . .

पिछले आठ महीनोंमें तकरीबन सौ कर्जदारोंको अपने कर्जसे छुटकारा मिल चुका है और इस तरह उन्हें अपने परिवारकी भलाईकी खातिर खर्च करनेके लिए हजारों रुपयोंकी बचत हुई है। . . .

गैरकानूनी तौरसे धन वसूल करनेवाले इन सूदखोरोंने कानूनी नोटिस जारी करनेकी छः माहकी अवधितक तो कोई जवाब नहीं दिया और इस तरह उनका पक्ष कमजोर पड़ा। बादमें तीन या चार मुकदमे दायर किये गये हैं। लेकिन उनका पक्ष बिलकुल कमजोर है, क्योंकि क्रूर और अनीतिपूर्ण तरीकोंसे किये गये उनके इस व्यापारकी गवाहियाँ मौजूद हैं। . . .

इस सिलसिलेकी सबसे ताजी घटना, जिसे इस प्रवृत्तिके प्रति लोगोंकी प्रारम्भिक उदासीनताको देखते हुए बहुत उत्साहवर्धक कहा जा सकता है, यह है कि एक वकील मित्रने, जिन्हें इसके कारगर होनेमें शक था, अब कुछ आदर्शवादी युवा वकीलोंके सहयोगसे एक 'लीगल एड सोसायटी' बनाई है। उनकी योजना यह है कि वे ऐसे वकीलोंको (जो साधारणतः दलाल द्वारा मुवक्किल पानेकी प्रतीक्षामें बार-रूममें पड़े सड़ते रहते हैं) आसपासके गाँवोंमें ले जायेंगे जहाँ वे कई प्रकारके प्रचार-साधनोंकी सहायतासे ग्रामवासियोंमें जागृति उत्पन्न करेंगे, खास तौरसे कर्जदारोंको अपने कानूनी-अधिकारोंके प्रति सचेत करेंगे और इस प्रकार उन्हें उचित और सही कानूनी मदद पहुँचायेंगे। अतिरिक्त

सौभाग्य यह है कि यह कार्यक्रम गांधीजीके हाल ही के गाँवोंके पुनर्निर्माणके आह्वानके अनुकूल है। हम मानते है कि विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गोंको — हमारी 'इन्टरनेशनल फैलोशिप' में जो लोग हैं, ऐसे लोगोंको पीड़ित वर्गकी इन समस्याओंके प्रति जागरूक रहना होगा। उनकी यह जागरूकता ही वह कीमत है जिसे देकर इन पीड़ितोंकी, जिनसे नाजायज ढंगसे पैसा वसूल किया जाता है, स्वतन्त्रताकी रक्षा की जा सकती है। . . .

'यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकारकी पूँजी नही लगी। स्पष्ट ही आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि ग्रामवासियोंकी हिम्मत बधाई जाये और उनके लेनदारोंसे (जैसा कि यहाँ हुआ) कहा जाये कि उनपर जितना कर्ज था, अधिकाश लोग उससे भी अधिक अदा कर चुके है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २०-४-१९३५

६३१. स्वावलम्बी खादी

मैसूर-राज्य सदासे ही इस बातको मान्य करता आ रहा है कि किसानके लिए हाथकी कताई एक सहायक धन्धा है। मैसूर इस उद्योगके ऐसे कई केन्द्र चला रहा है। इन केन्द्रोंके व्यवस्थापक अपनेको अखिल भारतीय चर्खा-संघके सम्पर्कमें रखते हैं जिससे सघने खादीके क्षेत्रमे जो भी नवीनतम शोध तथा सुधार किये हो, वे बराबर उनके अनुसार अपने-अपने केन्द्रमें कार्य कर सके। चर्खा-सघके मन्त्रीके नाम लिखे गये बड़नवाल केन्द्रके इस पत्रको पाठक रसपूर्वक पढ़ेंगे, ऐसी आशा है।

आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि मैसूर सरकारने हमें इस नीतिपर चलनेकी स्वीकृति दे दी है कि जिस स्थानपर खादी तैयार हो, वहीं उसे बेचा जाये और गाँवोंमें उसे लोकप्रिय बनाया जाये। अखिल भारतीय चर्खा-संघ द्वारा जारी किये गये परिवर्तनोंके साथ-साथ चलनेकी नई नीति अपनानेका ही यह परिणाम है। इस इलाकेके असली बुनकरों और कतैयोंको खादी लागत-दाम पर दी जाती है। १९३४ के नवम्बर माससे यह काम शुरू किया गया है। अब हमने करीब एक हजार कतैयों व कत्तिनोंको २,०००) से ऊपर की खादी बेची है। हम उन्हें कपड़ा दे देते है और उनका सूत खरीदते समय उनसे हर हफ्ते किस्तोंमें दाम वसूल कर लेते हैं। अप्रैलसे हम फिर बिक्रीका काम जोरोसे चलाना चाहते हैं। हमारी मंशा यह है कि इस समय फिर २,०००) की खादी, जिसमें खासकर गाँवकी साड़ियाँ होंगी, बेची जाये। हम देख रहे हैं कि हमारा यह कार्यक्रम यहाँ बिलकुल ठीक तरहसे चल रहा है।

इसी तरहकी उत्साहवर्धक खबरें अनेक स्थानोंसे आ रही है। मैं कार्यकर्त्ताओंको यह सलाह दूंगा कि अब चूंकि खादीका सच्चा सन्देश उनकी समझमें आ गया है इसलिए उन्हें खादीके सम्बन्धके तमाम काम एक साथ ही हाथमें ले लेने चाहिए। कपासकी पैदावारसे श्रीगणेश किया जाये। कपासकी खेतीकी स्थितिका खूब अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गाँवके उपयोगके लिए तो करीब-करीब सभी जगह कपास पैदा हो सकती है। बढ़ियासे-बढ़िया जमीनपर तो हमें तभी अपना ध्यान एकाग्र करना चाहिए-जब सारी दुनियाको कपास पहुँचानेकी हमारी आकांक्षा हो। पर जहाँ केवल गाँवकी ही जरूरत पूरी करनेकी आकांक्षा है वहाँ तो इससे उलटी ही बात है। खेतके एक जरा-से कोनेमें ही गाँवके किसानके लिए आसानीसे काफी कपास पैदा हो सकती है; अथवा गाँवके सब लोग अपने-अपने उपयोगके लिए मिल-जुलकर कपास पैदा कर सकते है। अगर यह किया जाये तो आप देखेंगे कि बाहरका कोई भी कपड़ा न तो दाममें इस स्थानीय खादीका मुकाबला कर सकता है और न टिकाऊपन में ही। इस तरीकेसे शक्तिका सबसे अधिक संरक्षण होता है। ऐसी आदर्श अवस्थाओं मे ओटाई, धुनाई और बुनाईकी क्रिया आनन्ददायी और सरल हो जाती है। चर्खोंमें भी मरम्मतकी आवश्यकता रहती है। तकुआ जब यथेष्ट चक्कर नहीं लगाता, तब कतैयेकी शक्तिका बहुत अपव्यय होता है। मेरा विचार है कि मैं खासकर इसी विषयके एक लेखमें इसकी चर्चा करूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, २०-४-१९३५

६३२. भाषण: हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इन्दौरमें[1]

२० अप्रैल, १९३५

भाइयो और बहनो,

ईश्वरकी गति गहन है। अक्टूबर माससे मैं इस बोझको टाल रहा था। यह पद पूजनीय मालवीयजी महाराजका था। पर उनका स्वास्थ्य बिगड़नेके कारण और उनको विदेश जाना था इसलिए उन्होंने त्याग-पत्र भेजा। दूसरा सभापति चुननेमें आपको कुछ मुसीबत थी। मेरा नाम तो स्वागत समितिके सामने था ही। मुझको जब स्वागत समितिका संकट बताया गया तो मैं विवश हो गया और पद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

स्वीकृति देनेका मेरे लिए अन्य कारण तो था ही। गत वर्ष जब मेरे पास इस अधिवेशनके सभापतित्वका प्रस्ताव आया तब मैंने दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचारके लिए दो लाख रुपये माँगे। भला आजकल दो लाख इस कामके लिए कौन दे? 'हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। आपके पद स्वीकार करनेसे सफल होंगे'—समितिकी ऐसी

१. सभापतिकी हैसियतसे यह गांधीजीका लिखित भाषण था, जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं था।

बातोंमे फँस जाऊँ, ऐसा भोला मैं कब था? मैंने तो दो लाखकी गारटी माँगी। मैंने समझा कि इसपर मित्रोने मुझे छोड़ दिया।

लेकिन ईश्वरको दूसरी ही बात करनी थी। उसे 'मेरी' मार्फत हिन्दी-प्रचारकी कुछ और सेवा लेनी थी। मालवीयजी महाराज न आ सके। उनको ईश्वर शतायु करे। मैंने आपके अधिवेशनोकी रिपोर्ट कुछ अशोमे देखी है। सबसे पहला अधिवेशन सन् १९१० में हुआ था। उसके सभापति मालवीयजी महाराज ही थे। उनसे बढ़कर हिन्दी-प्रेमी भारतवर्पमे हमे कही नही मिलेगे। कैसा अच्छा होता यदि वे आज भी इस पदपर होते। उनका हिन्दी-प्रचार क्षेत्र भारतव्यापी है; उनका हिन्दी ज्ञान उत्कृष्ट है।

मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी भाषाका ज्ञान नही के बराबर है। आपकी प्रथमा परीक्षामे मै उत्तीर्ण नही हो सकता हूँ। लेकिन हिन्दी भाषाका मेरा प्रेम किसीसे कम नही ठहर सकता है। मेरा कार्यक्षेत्र दक्षिणमें हिन्दी-प्रचारका है। सन् १९१८ में जब आपका अधिवेशन यहाँ हुआ था, तबसे दक्षिणमे हिन्दी-प्रचारके कार्यका आरम्भ हुआ है। वह कार्य तबसे उत्तरोत्तर बढ ही रहा है। धनाभावके कारण वह रुकना नही चाहिए। प० हरिहर शर्मा धनके लिए मुझे नित्य सताते है। उनसे मै कहता हूँ कि 'अब मुझे मत सताओ। दक्षिणसे ही आपको पैसे मिलने चाहिए। इतना भी करनेकी शक्ति यदि आपमे नही है तो आप अपना प्रयत्न निष्फल समझिए।' कहनेको तो मैं यह कह देता हूँ, पर इतनी बडी सस्थाको २१ वर्षतक नाबालिग रहनेका भी तो हक होना चाहिए। इसलिए जब मौका आया तब मैंने दो लाखकी माँग की। इतना द्रव्य अधिक भी नही है। लेकिन जो सज्जन मेरे पास आये उन्होंने रुईका दाम एकदम गिर जानेसे दो लाखके लिए अपनी असमर्थता प्रकट की। बात भी ठीक थी। जमनालालजीने भी उन भाइयोका पक्ष लिया। मैंने भी हार मान ली और एक लाखकी शर्त कबूल कर ली। अब किसी-न-किसी तरहसे, पर सचाईके साथ, आपको मुझे एक लाख देना है।

आप पूछ सकते है कि केवल दक्षिण ही मे हिन्दी-प्रचारके लिये क्यो? मेरा उत्तर यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा प्रदेश नही है। वह तो एक महाद्वीप-सा है। वहाँ चार प्रान्त और चार भाषाएँ है—तमिल, तेलगु, मलयालम और कन्नड़। आबादी करीब सवा सात करोड है। इतने लोगोमे यदि हम हिन्दी-प्रचारकी नीव मजबूत कर सके तो अन्य प्रान्तोमें बहुत ही सुभीता हो जायेगा।

यद्यपि मैं इन भाषाओको सस्कृतकी पुत्रियाँ मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, उड़िया, बगला, आसामी, पजाबी, सिन्धी, मराठी, गुजरातीसे भिन्न है। इनका व्याकरण हिन्दीसे बिलकुल भिन्न है। इनको सस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेसे मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इन सबमे सस्कृत शब्द काफी है, और जब सकट आ पडता है तब ये सस्कृत माताको पुकारती है और उसका नवीन शब्द-रूपी दूध पीती है। प्राचीन कालमे भले ही ये स्वतन्त्र भाषाएँ रही हो, पर अब तो ये सस्कृतमेसे शब्द लेकर अपना गौरव बढा रही है। इसके अतिरिक्त और भी तो कई कारण इनको सस्कृतकी पुत्रियाँ कहनेके है, पर उन्हे इस समय जाने दीजिए।

जो भी हो, इतनी बात तो निर्विवाद है कि दक्षिणमें हिन्दी-प्रचार बडा ही कठिन कार्य है। तथापि अठारह वर्षोसे हम व्यवस्थित रूपमें वहाँ जो कार्य करते आये है उसके फलस्वरूप इन वर्षोमें छः लाख दक्षिणवासियोने हिन्दीमे प्रवेश किया, ४२,००० परीक्षामें बैठे, ३,२०० स्थानोंमें शिक्षा दी गई, ६०० शिक्षक तैयार हुए और आज ४५० स्थानोंमें कार्य हो रहा है। सन् १९३१ से स्नातक परीक्षाका भी आरम्भ हुआ, और आज स्नातकोकी सख्या ३०० है। वहाँ हिन्दीकी ७० किताबे तैयार हुई और मद्रासमे उनकी आठ लाख प्रतियाँ छपी। सत्रह वर्ष पूर्व दक्षिणके एक भी हाईस्कूलमे हिन्दीकी पढ़ाई नही होती थी पर आज ७० हाईस्कूलोंमें हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर वहाँ ७० कार्यकर्त्ता काम कर रहे है और आजतक इस प्रयासमें चार लाख रुपया खर्च हुआ है, जिसमे से आधेसे कुछ कम रुपये दक्षिणमें ही मिले है। यहाँ एक और बात कह देना जरूरी है। काकासाहब अपने निरीक्षणके बाद कहते है कि दक्षिणमें बहनोने हिन्दी-प्रचारके लिए बहुत काम किया है। वे इसकी महिमा समझ गई है। वे यहाँ तक हिस्सा ले रही है कि कुछ पुरुषोको यह फिक्र लग रही है कि यदि स्त्रियाँ इस तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कौन सँभालेगा? क्या इतनी प्रगति सन्तोषजनक नही मानी जा सकती? क्या ऐसे वृक्षको हमे और भी न बढाना चाहिए? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है तब भी मैं इस-सस्थाको चिरस्थायी बनानेका यत्न न करूँ, तो मेरे-जैसा मूर्ख कौन माना जा सकता है? मुझको यदि दुबारा यह पद लेनेका कुछ भी अधिकार है तो सिर्फ मेरे दक्षिण हिन्दी-प्रचारके कार्यके कारण ही। भले ही उस कार्यमें मैंने कोई पद लेकर काम न किया हो, पर हर हालतमें उस वृक्षको सीचनेमें तो मैंने काफी हिस्सा लिया ही है। उसके सरक्षक श्री जमनालाल बजाज, श्री राजगोपालाचारी, श्री रामनाथ गोयनका, श्री पट्टाभि सीतारमैया और श्री हरिहर शर्मा है। इसका कौड़ी-कौड़ीका हिसाब रखा गया है, जो समय-समय पर प्रकाशित होता रहता है।

मैंने आपको इस संस्थाका उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। इसका यह मतलब नही है कि उसका काला पक्ष है ही नही।

जड़ चेतन गुनदोषमय, बिस्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुण गर्हाहं पय, परहरि बारि बिकार।

निष्फलता भी काफी हुई है। सब कार्यकर्त्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नही कहा जा सकता। यदि सब कार्य आरम्भसे अन्ततक अच्छा ही रहता तो अवश्य और भी सुन्दर परिणाम आ सकता था। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तोके हिन्दी-प्रचारसे इसकी तुलना की जाये तो दक्षिण भारतमें किया गया काम अद्वितीय ठहरेगा।

रही एक लाखके व्ययकी बात। क्या यह व्यय सम्मेलनके प्रयागस्थ केन्द्रसे होना आवश्यक नही है? यदि ऐसा न किया गया तो क्या इससे सम्मेलनका अपमान नही होगा? — इन प्रश्नोके उत्तरमें मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसमें अपमानकी कोई बात नही है। सम्मेलन न होता तो दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा भी न होती।

सन् १९१८ मे इसी शहरमें इसी सम्मेलनकी छायामें इस संस्थाका उद्भव हुआ। बादके इतिहासमे जाना अनावश्यक है। अन्तमे इस सस्थाको सम्मेलनने स्वतन्त्र कर दिया, या यो कहिये कि 'डोमीनियन स्टेटस' दे दिया। इससे सम्मेलनका गौरव बढा ही है, कम नही हुआ। यदि सम्मेलनसे सम्बन्धित सब सस्थाएँ स्वावलम्बी बन जाये तो इससे ज्यादा हर्षकी बात सम्मेलनके लिए कौन-सी हो सकती है? आपसे जो एक लाख रुपयेकी भिक्षा माँगी जा रही है वह इस स्वतन्त्र सस्थाके लिए है। उसको भी झंडा तो सम्मेलनका ही फहराना है।

पर तब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य प्रान्तोकी बात छोड़ दी जाये? क्या अन्य प्रान्तोमे हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकता नही है? अवश्य है। मुझे दक्षिणका पक्षपात नही है, और न अन्य प्रान्तोसे द्वेष। मैने अन्य प्रान्तोंके लिए भी काफी प्रयत्न किया है, लेकिन कार्यकर्त्ताओके अभावके कारण वहाँ इतनी क्या थोड़ी भी सफलता नही मिल सकी। बेचारे बाबा राघवदास उत्कल, बगाल और आसाममें हिन्दी-प्रचारके लिए अथक प्रयत्न कर रहे है। कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन उसे नही के बराबर ही मानना चाहिए। जो-कुछ भी सहायता मै उनको दिला सकता था वह दिलानेकी चेष्टा भी मैने की है। बाबाजीकी मार्फत आसाममे गोहाटी, जोरहट, शिवसागर और नौगाँवमे प्रयत्न हो रहा है। वहाँ १६० विद्यार्थी पढ रहे है। दो छात्रो और दो छात्राओको छात्रवृत्ति देकर काशी विद्यापीठ और प्रयाग महिला विद्यापीठमें पढाया जा रहा है। एक आसामी भाई बरहज (गोरखपुर)में हिन्दी पढ रहे है और वहाँवालोको आसामी पढा रहे है। प्रतिष्ठित आसामी इस प्रचार-कार्यमें कम रस लेते है। जो मदद बाबाजीको मिली भी है वह एक ही वर्षके लिए है।

उत्कलमे कटक, पुरी और बरहमपुरमें कुछ प्रयत्न हो रहा है। उत्कलके बारेमें एक बडी आशाजनक बात यह है कि श्री गोपबन्धु चौधरी और उनकी धर्मपत्नी रमादेवी हिन्दी-प्रचारमे बहुत दिलचस्पी लेते है। अपने परिवारको भी उन्होने हिन्दीका काफी ज्ञान प्राप्त करा दिया है। वे सब आजकल एक देहातमें रहते हुए ऐसी ही क्रियात्मक सेवा कर रहे है। ऐसे ही कुछ दूसरे भी त्यागी कार्यकर्ता उत्कलमे है। इसलिए उत्कलमें हिन्दी-प्रचारकी आशा अवश्य रखी जा सकती है।

बगालमें तो एक समिति भी बन गई थी, सब-कुछ हुआ था। हिन्दीसे प्रेम रखनेवाले बगाली भी काफी है। रामानन्द बाबू, श्री बनारसीदास चतुर्वेदीकी मददसे 'विशाल भारत' निकाल रहे है। यह कोई छोटी बात नही है। कलकत्तेमे हिन्दी-प्रेमी मारवाड़ी सज्जन भी कम नही है। तो भी बगालमें जितना-कुछ हो रहा है वह बहुत ही कम समझा जाना चाहिए।

पजाबकी बात मै छोड देता हूँ, क्योकि पंजाबमे उर्दू तो सब समझते है। वहाँ तो केवल लिपिकी बात रह जाती है। इस प्रश्नपर विचार करनेके लिए काका साहबकी अध्यक्षतामें लिपि सम्मेलन हो रहा है, इसलिए मै इस बारेमे कुछ नही कहना चाहता। अब रहे सिन्ध, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनो प्रान्तोमे जो-कुछ हो रहा है वह शायद ही उल्लेखयोग्य हो। पर मुझे उम्मीद है कि इसी सम्मेलनमे हम वहाँके लिए भी कुछ-न-कुछ रचनात्मक कार्य करनेका निश्चय करेगे।

सारी मुश्किल यह है कि सम्मेलनके उद्देश्योमें तो अन्य प्रान्तोमे हिन्दी-प्रचार खासा स्थान रखता है, लेकिन मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि सम्मेलनने इस प्रचार-कार्य पर उतना जोर नही दिया है जितना कि परीक्षाओ पर। मेरा निवेदन है कि इस सम्मेलनमें हम इस बारेमें ध्यानपूर्वक विचार करके इस सम्बन्धमें कोई स्पष्ट नीति ग्रहण करे।

मेरी रायमें अन्य प्रान्तोमें हिन्दी-प्रचार सम्मेलनका मुख्य कार्य बनाना चाहिए। यदि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना है तो प्रचार-कार्य सर्वव्यापी और सुसगठित होना ही चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षकोंका अभाव है। सम्मेलनके केन्द्रमें हिन्दी शिक्षकोके लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय होना चाहिए जिसमें एक ओर तो हिन्दी-प्रान्तवासी शिक्षक तैयार किये जाये और उनको जिस प्रान्तके लिए वे तैयार होना चाहे उस प्रान्तकी भाषा सिखाई जाये, और दूसरी ओर अन्य प्रान्तोके भी छात्रोको भरती करके उन्हें हिन्दी शिक्षा दी जाये। ऐसा प्रयास दक्षिणके लिए तो किया भी गया था, जिसके फलस्वरूप हमको पं० हरिहर शर्मा और हृषीकेश मिले।

आप जानते है कि मेरी सलाहसे काकासाहब कालेलकर दक्षिणमें प्रचार-कार्यका निरीक्षण करने और प० हरिहर शर्माको मदद देनेके लिए गये थे। उन्होने तमिलनाड, मलाबार, त्रावणकोर, मैसूर, आन्ध्र और उत्कल तक भ्रमण किया, हिन्दी-प्रेमियोसे मिले और कुछ चन्दा भी इकट्ठा किया। इस भ्रमणमें उनका अनुभव यह हुआ कि कुछ लोग ऐसा समझते है कि हम प्रान्तीय भाषाओको नष्ट करके हिन्दीको सारे भारतवर्षकी एक-मात्र भाषा बनाना चाहते है। इस गलतफहमीसे भ्रमित होकर वे हमारे प्रचारका विरोध भी करते है। मेरा खयाल है कि हमें इस बारेमें अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफहमियाँ दूर करनी चाहिए। मैं हमेशासे यह मानता रहा हूँ कि हम किसी हालतमें भी प्रान्तीय भाषाओको मिटाना नही चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तोंके पारस्परिक सम्बन्धके लिए हम हिन्दी भाषा सीखें। ऐसा कहनेसे हिन्दीके प्रति हमारा कोई पक्षपात नही प्रकट होता। हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा मानते है। वह राष्ट्रीय होनेके लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिकसख्यक लोग जानते-बोलते हो और जो सीखनेमे सुगम हो। ऐसी भाषा हिन्दी ही है कोई दूसरी नही। यह बात यह सम्मेलन सन् १९१० से बता रहा है और इसका कोई वजन देने लायक विरोध आजतक सुननेमें नही आया है। अन्य प्रान्तोने भी इस बातको स्वीकार कर ही लिया है।

काकासाहबने कुछ लोगोमे दूसरी गलतफहमी यह देखी कि वे समझते है कि हम हिन्दीको अग्रेजी भाषाका स्थान देना चाहते है। कुछ तो यहाँतक समझते है कि अग्रेजी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है, और बन भी गई है।

यदि हिन्दी अग्रेजीका स्थान ले तो कमसे-कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन अग्रेजी भाषाके महत्वको हम अच्छी तरह जानते है। आधुनिक ज्ञानकी प्राप्ति, आधुनिक साहित्यके अध्ययन, सारे जगतके परिचय, अर्थ-प्राप्ति, राज्याधिकारियोंके साथ सम्पर्क और ऐसे ही अन्य कार्योके लिए अग्रेजी ज्ञानकी हमे आवश्यकता है।

इच्छा न रहते हुए भी हमको अंग्रेजी पढनी होगी। यही हो भी रहा है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है।

लेकिन अंग्रेजी राष्ट्रभाषा कभी नही बन सकती। आज इसका साम्राज्य-सा जरूर दिखाई देता है। इससे बचनेका काफी प्रयत्न करते हुए भी, हमारे राष्ट्रीय कार्योंमे अंग्रेजीने बहुत बड़ा स्थान ले रखा है। लेकिन इससे हमें इस भ्रममें कभी न पडना चाहिए कि अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्तमें हम आसानीसे कर सकते है। बगाल अथवा दक्षिण भारतको ही लीजिये, जहाँ कि अंग्रेजीका प्रभाव सबसे अधिक है। वहाँ यदि जनताकी मार्फत हम कुछ भी काम करना चाहते है तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर सकें, पर अंग्रेजी द्वारा तो नही ही कर सकते। हिन्दीके दो-चार शब्दोसे हम अपना भाव कुछ तो प्रकट कर ही देंगे। पर अंग्रेजीसे तो इतना भी नही कर सकते। हाँ, यह अवश्य माना जा सकता है कि अबतक हमारे यहाँ एक भी राष्ट्रभाषा नही बन पाई है। अंग्रेजी राजभाषा है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजीका इससे आगे बढना मै असम्भव समझता हूँ, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यो न किया जाये। हिन्दुस्तानको अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो—चाहे कोई माने या न माने—राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योकि जो स्थान हिन्दीको प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषाको कभी नही मिल सकता। हिन्दू-मुसलमान दोनोंको मिलाकर, करीब बाईस करोड़ मनुष्योकी भाषा—थोडे-बहुत फेरफारसे—हिन्दी यानी हिन्दुस्तानी ही है। इसलिए उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्तमें उस प्रान्तकी भाषा, सारे देशके पारस्परिक व्यवहारके लिए हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोगके लिए अंग्रेजीका व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालोकी सख्या करोडोकी रहेगी, किन्तु अंग्रेजी बोलनेवालोकी सख्या कुछ लाखसे आगे कभी नही बढ सकेगी। इसका प्रयत्न भी करना जनताके साथ अन्याय करना होगा।

मैंने अभी 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' शब्दका प्रयोग किया है। सन् १९१८में जब आपने मुझको यही पद दिया था तब भी मैंने यही कहा था हिन्दी उस भाषाका नाम है जिसे हिन्दू और मुसलमान कुदरती तौरपर बगैर प्रयत्नके बोलते है। हिन्दुस्तानी और उर्दूमे कोई फर्क नही है। देवनागरी लिपिमें लिखी जानेपर वह हिन्दी और अरबीमे लिखी जानेपर उर्दू कही जाती है। जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुन कर सस्कृत या अरबी-फारसीके शब्दोका ही प्रयोग करता है वह देशका अहित करता है। हमारी राष्ट्रभाषामें वे सब प्रकारके शब्द आने चाहिए जो जनतामें प्रचलित हो गये हैं। श्री घनश्यामदास बिडलाने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रभाषा-वादियोको चाहिए कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओमे जो शब्द रूढ बन गये है और जो राष्ट्रभाषामें आनेके लायक है उन्हें वे ले ले। हर व्यापक भाषामे यह ग्राहक शक्ति रहती ही है। इसीलिए तो वह व्यापक बनती है। अंग्रेजीने क्या नही लिया है? लैटिन और ग्रीकमे से कितने ही मुहावरे अंग्रेजीमे लिये गये है। आधुनिक भाषाओको भी वे लोग नही छोड़ते। इस बारेमें उनकी निष्पक्षता सराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द

अंग्रेजीमें काफी आ गये हैं। कुछ अफ्रीकासे भी लिये गये हैं। इसमें उनका 'फ्री ट्रेड' कायम ही है। पर मेरे यह सब कहनेका मतलब यह नहीं है कि बगैर अवसरके भी हम दूसरी भाषाओंके शब्द लें, जैसा कि आजकल अंग्रेजी पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। इस व्यापारमें विवेक-दृष्टि तो रखनी ही होगी। हम कंगाल नहीं हैं, पर कंजूस भी नहीं बनेंगे। कुर्सीको खुशीसे कुर्सी कहेंगे, उसके लिए 'चतुष्पाद पीठ' शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे।

इस मौकेपर अपने दुःखकी भी कुछ कहानी कह दूं। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या न बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदासका पुजारी होनेके कारण हिन्दी पर मेरा मोह रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालोंमें रवीन्द्रनाथ कहाँ हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहाँ हैं? जगदीश बोस कहाँ हैं? ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अथवा मेरे-जैसे हजारोंकी इच्छा-मात्रसे ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेवाले हैं। लेकिन जिस भाषाको राष्ट्रभाषा बनना है उसमें ऐसे महान व्यक्तियोंके होनेकी आशा रखी ही जायेगी।

वर्धामें हमारे यहाँ एक कन्या-आश्रम है। वहाँ सम्मेलनकी परीक्षाके लिए कई लड़कियाँ तैयार हो रही हैं। शिक्षक-वर्ग और लड़कियाँ भी शिकायत करती हैं कि जो पाठ्य-पुस्तकें नियत की गई हैं उनमें से सब पढ़ने लायक नहीं हैं। शिकायतके लायक पुस्तकें शृंगार-रससे भरी हैं। हिन्दीमें शृंगार-साहित्य काफी है। इस ओर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने मेरा ध्यान खींचा था। जिस भाषाको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छ, तेजस्वी और उच्चगामी होना चाहिए। हिन्दी भाषामें आजकल गन्दे साहित्यका काफी प्रचार हो रहा है। पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादक इस बारेमें असावधान रहते हैं अथवा गन्दगीको बढ़ावा देते हैं। मेरी रायमें सम्मेलनको इस बारेमें उदासीन न रहना चाहिए। सम्मेलनकी तरफसे अच्छे लेखकोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लोगोंको सम्मेलनकी तरफसे पुस्तकोंके चुनावमें भी कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इस कार्यमें कठिनाई अवश्य है, लेकिन कठिनाईसे हम थोड़े ही भाग सकते हैं।

परीक्षाओंकी पाठ्य-पुस्तकोंमें से एक पुस्तकके बारेमें एक मुसलमानकी भी, जो देवनागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है। उसमें मुगल बादशाहके लिए भली-बुरी बातें हैं। वे सब ऐतिहासिक भी नहीं हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि पाठ्य-पुस्तकोंका चुनाव सूक्ष्म विवेकके साथ होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिए, और पाठ्यक्रम भी आधुनिक आवश्यकताओंको ख्यालमें रखकर निश्चित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा यह सब कहना मेरे क्षेत्रके बाहर है। लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आई हैं उन्हें आपके सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा।

वीणा, श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल-मई, १९६९ से

६३३. भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इन्दौरमें[1]

२० अप्रैल, १९३५

श्रीमान् महाराजा साहब, महारानी साहिबा, स्वागत-समितिके अध्यक्ष, भाइयो और बहनो,

मैं आपकी तरफसे और अपनी तरफसे भी इस उद्‌घाटनके लिए महाराजा साहबको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार मानता हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जब मैं पिछली बार इन्दौरमें यही सभापतिका स्थान ग्रहण करनेके लिए आया था, तब आप युवराज थे। तब उन पदवीसे आपने उस सम्मेलनका उद्‌घाटन किया था और अब आप महाराज हैं और इस हैसियतसे आपने सम्मेलनका उद्‌घाटन किया है। उनका व्याख्यान आप लोगोने भी सुना है और मैंने भी बहुत ध्यानसे सुना है। मैं उनके लिए कुछ दे सकता हूँ तो धन्यवाद दे सकता हूँ। लेकिन महाराजा साहबने हिन्दी भाषाके लिए जो भाव प्रदर्शित किये हैं यदि उनको सारे भारतवर्षमें अमलमें लाना है तो उन जैसे महाराजाओंको भी कुछ असली काम करना होगा। स्वागताध्यक्षने अपने भाषणमें यह याद दिला दिया है कि आठवाँ अधिवेशन जब इन्दौरमें हुआ था तो आपने दस हजारकी रकम हिन्दी-प्रचारके लिए दी थी। और इसी तरहसे अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वागत-समितिकी ओरसे जो प्रार्थना की गई थी उसको पूर्ण करने लिए पूरी सहायता मिलेगी और मैं तो इस बातके लिए अपना सद्‌भाग्य समझता हूँ कि उस समय आपने युवराजकी हैसियतसे मदद की थी तो इस समय महाराजाकी हैसियतसे मदद करेंगे। हमारे करोडपति सेठ हुकम-चन्दजी भी यहीं मौजूद है। आपने प्रातःकाल मुझे हार पहनाया था। यद्यपि वह हार तो कच्चे सूतका था, परन्तु उसकी कीमत पहनानेवालेकी हैसियतसे हो जाती है। रायबहादुर डॉ० सरजूप्रसादजी भी यही मौजूद है, वे बीमार हैं। इसके लिए जैसा आप लोगोको दुःख है, वैसा ही मुझे भी दुःख है। परन्तु उनका हिन्दी भाषा अथवा सम्मेलनके प्रति प्रेम कम है, ऐसी तो कोई बात नही है। मुझे पूर्णतया आशा है कि जो काम करना है वह सफल हो जायेगा। यह होते हुए भी हिन्दी-संसारमें कुछ हलचल मच गई है। मुझे इस बातका पता वर्धामें चल गया था और यहाँ आनेके बाद मैंने और कुछ अधिक समझ लिया है। यह हलचल कैसे मच गई, इस बातका पता तो अभीतक नही है। दक्षिण भारतमें जो हिन्दीका प्रचार हुआ है, उसका सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनसे है ही नही, ऐसी तो कोई बात है नही, क्योंकि

१. गांधीजीने अपने लिखित भाषणके अतिरिक्त सम्मेलनके सभापतिकी हैसियतसे यह भाषण दिया था; देखिए पिछला शीर्षक।

प्रचार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अविभाज्य अंग है। उस प्रचारकी माता या पिता कहो तो वह साहित्य-सम्मेलन है। यदि ऐसा माना जाए तो अब दक्षिण भारतमें जो ६,००,००० आदमी हिन्दी बोल या लिख सकते हैं, यह नामुमकिन बात है कि इसके लिए जो धन्यवाद है, वह साहित्य-सम्मेलनको न मिले। इसके लिए मुझको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने जो-कुछ काम किया था, वह इसके सभापतिकी हैसियतसे ही किया था। इसमें मेरा व्यक्तित्व कुछ नहीं हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि वह हिन्दी-प्रचार इस सम्मेलनका अविभाज्य अंग है। यह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हिन्दी भाषाका प्रचार न करके केवल साहित्यकी वृद्धि करे तो यह भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है? हाँ, साहित्यकी वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है, किन्तु साहित्यकी वृद्धिसे यह भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, क्योंकि साहित्य तो बंगालमें भी इतना है कि उसके बराबर किसी दूसरी भाषामें नहीं है। साहित्यमें दूसरा नम्बर मराठी रखती है। हिन्दीको तो शायद तीसरा या चौथा नम्बर मिल सकता है, इसमें भी मुझे तो शक है। किन्तु हिन्दी भाषाको बहुत आदमी बोलते हैं, और यह भाषा सीखने और पढ़नेमें सरल है, इसीलिए यह राष्ट्रभाषा होनेका अधिकार रखती है। यदि हिन्दी-प्रचार इस हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका अंग न हो तो मेरे सरीखे व्यक्तिको इसका सभापति बनाना भी योग्य नहीं है, क्योंकि इसके साहित्य-विषयमें तो मैंने चंचुपात भी नहीं किया है। मैं अपने लिखे हुए भाषणको पढ़ना चाहता था, किन्तु पूर्व वक्ताओंने प्रस्ताव आदि रखकर वह समय ले लिया है। प्रस्ताव रखना तो व्यर्थ था, क्योंकि मेरे अधिकारको तो कोई छीन नहीं सकता था। सम्मेलनका कार्यक्रम मिनिट-मिनिटका बँधा हुआ है। इसलिए ७–३० बजेके समयतक मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूँ। हिन्दी-साहित्यकी दृष्टिसे तो मैं बहुत कम योग्यता रखता हूँ। जो चन्द लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, उनमेंसे बहुत-सी प्रथमा उत्तीर्ण हो चुकी हैं और मध्यमाकी तैयारियाँ कर रही हैं। यदि मैं प्रथमामें ही बैठ जाऊँ तो ये पुरुषोत्तमदासजी मुझे उत्तीर्ण होने लायक नम्बर ही न दें। क्योंकि मैं व्याकरण तो जानता ही नहीं। जायसवालजीने जैसा कहा है वैसा माननेमें मुझे भी कोई एतराज नहीं। मुझे गुजरातीसे कोई पक्षपात नहीं। मुझे जो सभापति बनाया गया है, वह इसलिए कि मेरे द्वारा हिन्दीका कुछ प्रचार हो। अन्यथा, योग्यताकी ही कोई बात होती तो एक लड़कीको भी यहाँ बिठा दिया जा सकता था। महारानी विक्टोरियाके लिए ऐसा ही हुआ था। सचिवने कह दिया था कि सारा काम तो मैं कर लिया करूँगा, आप तो केवल सही कर दें। परन्तु ऐसा यहाँ नहीं है। मुझे तो सभापति चुना गया है और एक लाख रुपये देनेकी शर्त मंजूर की गई है। वह इसलिए कि मेरे द्वारा हिन्दीका प्रचार हो। काव्यके कई विभाग हो गये हैं। उनकी बातें तो कवियोंसे आप भरपेट सुन सकते हैं, किन्तु मेरे द्वारा तो आप केवल हिन्दी-प्रचारकी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि दूसरेपर मेरा अधिकार नहीं है।

जब मैं इन्दौरमें इसी सभापतिके पदको लेनेके लिए आया था तो पुण्यश्लोक मालवीयजी महाराजसे आशीर्वादकी भिक्षा माँगी थी। तब उन्होंने एक लम्बा खत

लिखकर मुझे आशीर्वाद भेज दिया था। परन्तु अब तो वे बीमार पड़े हैं और उनके पास काम भी बहुत है। मै केवल आप लोगोसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मालवीयजीकी शारीरिक स्थिति भी बिगड़ गई है। उनको बाहर भी जाना था, इसलिए उन्होने यह पद ग्रहण नहीं किया। तब मजबूर होकर स्वागत-समितिने मुझे चुन लिया और मजबूर होकर मुझे ही यह पद ग्रहण करना पड़ा।

मालवीयजीका तार भी आ गया है, जिसमे उन्होने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बाकी तारका तरजुमा करनेकी आवश्यकता नही है। हमारी प्रार्थना है कि उनको भगवान शतायु बनाये और सौ वर्षतक क्षेम-कुशल रखे। उनकी उम्र ७० वर्षकी है। परन्तु जब वे काम करते हैं तो १७ वर्षके जवानकी तरह करते हैं। अत भगवान उनको दीर्घायु करेगे। वे हिन्दुस्तानकी अविच्छिन्न सेवा कर रहे है, वैसी करते रहे। मैं तो उनका आशीर्वाद लेकर उनका प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। उन्होंने दक्षिण भारत तथा अन्य प्रान्तोमे हिन्दीका जो प्रचार किया है, वह किसीसे छिपा नही है। उसके लिए उनके हृदयमे उतना ही प्रेम है जितना आपको और मुझको है।

आज हमारे सामने तीन बाते उपस्थित हैं। उनका खुलासा कर देना आवश्यक है। पैसा देनेवालोके लिए तीन बातें उपस्थित हैं। पहली बात विश्वविद्यालयकी है जिसका उल्लेख महाराजा साहबने अपने भाषणमे किया है, और प्रसन्नता भी प्रकट की है। उसके लिए भी आपसे भिक्षा माँगनी है। लोग उसमे पैसा देवे या सम्मेलनमें देवे या प्रचार-कार्यमे देवे। जिनके पास तीन कौडी देनेको है उनके लिए तो कोई बात नही, परन्तु जिसके पास एक ही कौडी है वह किसको दें? क्योकि एक कौडीके टुकड़े तो हो नही सकते। यहाँ पर महाराजा साहब, सेठ हुकमचन्दजी और डॉक्टर सरजूप्रसादजी आये हुए हैं। वे भी नाही कर दें तो भी मैं कहता हूँ इन्दौरवासियोको पहले विश्वविद्यालयको सहायता देनी चाहिए, यदि उनको भली प्रकार विश्वास हो जाए कि यह कार्य अच्छा है और कार्यकर्त्ताओमे शक्ति है। उनमे असली काम करनेकी इच्छा भी है। कवि लोग तो इस प्रकारकी बातें सुना देते हैं, परन्तु जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं तब वे कह देते हैं कि हममे तो कवि-शक्ति है। हम लोग तो आपको करनेके लिए कह देते है। परन्तु ऐसा नही होना चाहिए। आपको यह विश्वास हो जाये कि विश्वविद्यालयके सब साधन तैयार हैं, केवल आपके धनकी ही कमी है, तो आपको सबसे पहले उसमे योग देना चाहिए, फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको और फिर दक्षिणमे हिन्दी-प्रचारको। यह बात मै सभापतिकी हैसियतसे कहता हूँ, क्योकि मेरे इस सम्मेलनका सभापति रहते हुए उसको कोई हानि न पहुँचे। आर्थिक सग्रहमे घाटा आये ऐसा कार्य मेरे हाथसे हो नही सकता और ऐसा कार्य मै नही करूँगा जो आपकी नियमावलीके विरुद्ध हो। क्योकि इस पदसे मैंने अपने सिरपर बड़ी भारी जिम्मेदारी ले ली है। इसका मैंने चन्द घण्टोमें ज्ञान कर लिया है। जिस कार्यका आरम्भ कर दिया है उसको सफल बनाना मेरा कर्त्तव्य है, इसलिए मुझमे जितनी शक्ति है और भगवान जितनी शक्ति देगा उसका इस्तेमाल इस कार्यको सफल बनानेमें करूँगा, ऐसा आप विश्वास रखें। हिन्दी-

प्रचारके लिए लिपिका एक होना भी आवश्यक है। इसके लिए भी एक लिपि-सम्मेलन होनेवाला है, जिसके बारेमें विशेष आपको काकासाहब सुनायेंगे। हिन्दी भाषा संस्कृतसे पैदा हुई है, आसामी और बंगला भी इसीसे बहुत सम्बन्धित हैं। दक्षिण भारतकी भाषाएँ द्रविड़ मानी जाती हैं। मैं तो यह मानता हूँ कि वे संस्कृतसे पैदा हुई हैं। यदि वे सच्चे हैं तो लोगोंका कथन है कि द्रविड़ पहले अनार्य थे, पीछेसे आर्य बनाये गये। परन्तु तमिल लोगोंका कथन है कि हम जंगली नहीं थे, हममें आर्यता और संस्कृति मौजूद थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएँ संस्कृत शब्दोंसे भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत शब्दोंसे परिपूर्ण है। जब उनको अपनी भाषामें कोई शब्द नहीं मिलता है तो वे संस्कृत शब्द लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। अतः सब भाषाओंकी लिपि एक होना आवश्यक है। इसके लिए हिन्दीमें शायद संशोधनोंकी आवश्यकता भी है, परन्तु मैं इस झंझटमें नहीं पड़ना चाहता। मैंने तो एक खयाल आपके सामने रख दिया है। क्योंकि लिपिके एक होनेसे भाषाओंको सीखनेमें बड़ी सरलता और सुगमता होगी। इसकी बागडोर काकासाहबने अपने हाथमें ले ली है, और वे चलायेंगे। जब काका साहब दक्षिण भारतसे आसाम और उत्कल गये तो उनके सामने एक बड़ी भारी कठिनाई विंध्याचलके समान खड़ी हो गई। वहाँके लोग कहने लग गये कि ये हमारे प्रान्तकी भाषाको मिटाकर हिन्दीका प्रचार करने आये हैं। परन्तु वास्तवमें बात यह नहीं है। अपने प्रान्तमें वह भाषा तो चले किन्तु हिन्दीका प्रचार विशेष हो, जिससे यह राष्ट्रभाषा बन सके। यों तो बंगलाका साहित्य भी बहुत है, परन्तु वह राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। राष्ट्रभाषा तो केवल हिन्दी ही बन सकती है। परन्तु मैं तो उसकी भी मर्यादा रख देना चाहता हूँ कि वह अन्य प्रान्तोंकी भाषाओंका स्थान न ले ले। इसके लिए साहित्य-सम्मेलनमें प्रस्ताव रखकर इस बातको साफ कर देना होगा।

हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। उसमें संस्कृतके ही शब्द भर दिये जायें ऐसा नहीं हो सकता। चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो वह उसे सीखे, ऐसा हमारा मतलब नहीं है। यदि हम इसमें संस्कृत शब्द खूब भर दें तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे मुसलमान भाइयोंको भी संस्कृत सीखनी ही चाहिए, परन्तु ऐसा हो नहीं सकता। कई एक गद्य भी ऐसे आते हैं जो संस्कृत शब्दोंसे भरे रहते हैं, जिसको ग्रामीण लोग बिलकुल नहीं समझ सकते। सात करोड़ मुसलमान भाइयोंको छोड़कर हम हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाना चाहें यह बात भी आकाश-पुष्पके समान होगी, याने आकाशमें पुष्प लगाकर उससे सुगन्ध लेनेके समान। ग्रामीण लोग बहुत भोले-भाले हैं। उनके समझनेके लिए सीधी और सरल भाषा होनी चाहिए। यहाँ जो प्रदर्शनी की गई है, उसमें यह बताया गया है कि इन्दौर स्टेटमें क्या होता है। आपके देहाती भाई क्या चीज बनाना जानते हैं? ये चीजें हमारे लायक हैं या नहीं? हमारा याने शहरी लोगोंका सम्पर्क देहाती लोगोंसे है या नहीं, ये बातें जानना आवश्यक है। शहरी लोग मानते हैं कि हमारा ग्रामीणोंसे बहुत कम सम्बन्ध है, परन्तु मुझे जितना ज्ञान ज्यादा होता जाता है मैं तो जानता हूँ कि शहरी लोगोंका देहातियोंसे

घनिष्ठ सम्बन्ध है। मैं तो कहूँगा कि जो-कुछ हिन्दुस्तानको मिलता है वह किसानोकी मारफत ही मिलता है। यदि वे लोग इनकार कर दें, आपका कार्य नही करे, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा और उसमें महाराजा साहबका भी नम्बर आ जाये और सेठ हुकमचन्दका भी नम्बर आ जाये। क्योंकि कोई भी चाँदी या सोनेसे पेट नही भर सकता। वे मेरी तरह सत्याग्रह करके नही किन्तु यह कहकर इनकार करें कि हमें भरपेट भोजन नही मिलता तो हम भूखे रहकर काम कैसे करे, तो शहरी लोगोंको बडी मुसीबत उठानी पड़े। भारतवर्षमें सात लाख देहात हैं। सारा कार्य देहातो पर निर्भर है। इसलिए जिसे वे समझ सके ऐसी भाषाका प्रयोग करनेकी आवश्यकता है। अरबी या फारसीका कोई शब्द आ जाए तो उसका हम एकदम तिरस्कार कर दें, यह ठीक नही। क्योंकि ऐसा करनेसे हम हिन्दीको राष्ट्रभाषा नही बना सकते। मैं तो इस कार्यके लिए आप लोगोसे भिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह कार्य महाराजा साहबके आशीर्वादसे चल सकता है। किसीको महात्मा कहो या कुछ कहो, जो अमली काम करे तभी यह सब कार्य सफल हो सकता है। मैं आपका एक लाख रुपया लेकर भाग नही जाऊँगा, बल्कि इसी कार्यको विशेष विभूषित करनेके लिए प्रयत्न करूँगा।

हरिहर शर्मा प्रयागसे कुछ हिन्दी सीखकर मद्रासमे गये थे और उन्होंने वहा जाकर हिन्दी-साहित्यका प्रचार किया, जिसका छोटा-सा प्रदर्शन यहा लाये हैं। उसको आप लोग देखना चाहते हैं तो आज भी देख सकते हैं। उस ओर आपका ध्यान खीचना मेरा काम था।

अब दस मिनटमें कितना कार्य करना है और कब समाप्त करना है, यह तो अब महाराजा साहबकी बात है मेरे हाथकी बात नही।

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन: कार्य-विवरण, पृ० ८-१२ से।

६३४. भाषण: ग्रामोद्योग प्रदर्शनीके उद्‌घाटनपर[1]

इन्दौर
२० अप्रैल, १९३५

प्रदर्शनीका मतलब यह नही कि गाँवोपर निर्भर करनेवाले शहरोके आस-पड़ोसके गाँवोके दस्तकारो और वहाँ बनी हुई वस्तुओंको एक स्थानपर कर दिया जाये। भारतकी सभ्यता शहरो पर नही ७० लाख गाँवो पर टिकी है। हमारे अंग्रेज अमलदार कहते हैं कि भारतके १० प्रतिशत लोगोको बिलकुल भोजन नही मिलता और बाकीको चावल, नमक तथा आटेकी थोड़ी-थोड़ी मात्रा ही मिल पाती है। रसायनविद् हमें बताते हैं कि भारतीयोको जितनी स्वल्प मात्रामे आहार मिलता है, उससे उनकी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तिके विकासको बल नही मिलता। जो-

१. यह प्रदर्शनी विस्कोई पार्कमें लगी थी।

कुछ हम खाते हैं, उससे हमें पर्याप्त पोषण नही मिल पाता; हम और ग्रामीण जन दोनों मृत्युगामी हो रहे हैं।

लोग कहते हैं कि भारतमें ग्रामोद्धार असम्भव है, लेकिन अमेरिका-जैसे देश इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करते है। भारतमें जब मशीनोंका बिलकुल भी प्रचलन नही हुआ था, तब एक ही काम सैकड़ो व्यक्तियो द्वारा पूरा होता था और वे सभी रोजीसे लगे रहते थे। लेकिन आज दिन-दिन बढ़ती मशीनोने १००मे से ९८ लोगोको बेरोजगार बना दिया है। अमेरिकाको देखिए, वहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनें बिना किसी उपयोगके सड़को पर पड़ी है। पश्चिमी ससारमें बेरोजगारीका मतलब है कि भोजनके लिए नमक और चावल तक न मिलना।

विषशेज्ञ लोगोका कहना है कि बढती हुई आबादीके लिए भारतमें पर्याप्त भूमि नही है, लेकिन ऐसी बात नही है। प्रदर्शनीमे ऐसी वस्तुएँ होनी चाहिए जो कि रोजमर्राकी जिन्दगीमे इस्तेमाल की जाती है, ऐसी नही जिनको हम पसन्द करते या उपयोगमें लाना चाहते हो, जैसे कि शराब, इत्यादि हैं। शुद्ध घीको दुगने दाम देकर भी खरीदना बेहतर है। ऐसी खरीद सस्ते लेकिन मिलावटी घीकी खरीदकी बनिस्बत कही सस्ती पड़ती है।

महात्मा गांधीने स्पष्ट कहा कि गाँवोंमें बनी वस्तुओंका प्रदर्शन-भर कर देनेसे ग्रामोद्योग संघके उद्देश्यको पर्याप्त सहायता नहीं मिल जायेगी। अब समय आ गया है कि जनताको खाना और कपड़ा जुटानेके तरीके निकाले जायें। आज भारतके ग्रामोद्योग अपनी आखिरी साँस ले रहे है। और इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हमारी जनता है। वह अपने पापका प्रायश्चित्त सिर्फ इसी तरह कर सकती है कि वह नष्टप्राय ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारमें सक्रिय सहायता दे। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय गाँवोंकी काया-पलट करनेका एक मार्ग यही है कि आबादीकी प्रत्येक छोटी इकाईको उसकी सभी आवश्यकताओके मामलेमें आत्म-निर्भर बनानेकी प्राचीन प्रणालीको हम पुनः अपना लें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २१-४-१९३५

६३५. पत्र : राजेन्द्रसिंह ब्यौहारको

इंदौर
२१ अप्रैल, १९३५

भाई राजेन्द्रसिंह,

मेरी उमेद है कि हरिजन परिषद् सर्व प्रकारसे सफल होगी। अर्थात् सवर्ण हिंदु अपना धर्म समजेंगे और उसका पालन करेंगे और हरिजन अपना धर्म समजेंगे। दोनो समजे कि ऐसे द्वीविध आत्मशुद्धिके सिवाय हिंदुधर्मका कायम रहना असभवित् है।

मो० क० गांधी

राजेन्द्रसिंह ब्यौहार कागजात से, सौजन्य. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय।

६३६. पत्र : पुरुषोत्तम के० बावीशीको

२२ अप्रैल, १९३५

भाई पुरुषोत्तम बावीशी,

आपका पत्र कल मेरे हाथमे आया। आज दो बजे अपने मित्रके साथ आइए। मेरा मौन तो रहेगा, किन्तु उसकी चिन्ता नही है। अधिक तो आप ही को समझाना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १२२) से। सी० डब्ल्यू० ४७४७ से भी, सौजन्य : पुरुषोत्तम के० बावीशी।

६३७. पत्र : हरिलाल गांधीको

२२ अप्रैल, १९३५

चि० हरिलाल,

अमलाके पत्रको लेकर जल्दबाजी करनेकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, तुझे यह विचार छोड़ना पड़ेगा। उसे साफ लिख देना चाहिए कि जो बच्चे होगे उनका पालन-पोषण सादगीसे होगा और जो आजीविका भगवान देगे, वह वर्धामें ही होगी। साथ ही, तू यदि विषयभोगमें पड़े या शराब पिये, तो वह तुझे तुरन्त छोड सकेगी। लेकिन यह तभी जब तुझे उससे शादी करनी हो। अमलाके पत्रको मैं अच्छा पत्र मानता हूँ। किन्तु जिस रूपमें वह अपने पत्रमे प्रकट होती है, वैसी मैं उसे नही जानता था। इससे मेरी सलाह है कि तेरे बिना वह रह ही नही सकेगी, ऐसी वृत्ति यदि उसमे पैदा न हो, तो उसके साथ सुखी नही होगा।

तू अधीर नही हुआ, यह अच्छा ही है। धीरज धरकर, जो उचित हो सो करना।

- बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १५४०) से; सौजन्य : मनुबहन मशरूवाला।

६३८. पत्र : मनु गांधीको

२२ अप्रैल, १९३५

चि० मनुड़ी,

तेरा पत्र मुझे इन्दौरमें मिला। तुझे बम्बई जाना चाहिए या नही, यह मुझसे नही पूछना चाहिए। जैसी मौसीकी इच्छा हो, वैसा करना चाहिए।

तूने उन्नीसवे वर्षमें प्रवेश किया है, यह मैंने पढ़ा जरूर था। किन्तु यह सब तू अपने मनकी कल्पनासे लिख रही है। यह सब क्यों लिखना पड़ा? मेरे मनमें तो ऐसा विचार एक बार भी नही आया। पर अब शायद आयेगा।

यह सब जो तूने लिखा है, इसका अर्थ यह है कि अब तुझे शादी करनी है? ऐसा हो तो तुझे कह देना चाहिए। इसमे शर्मिन्दा होनेकी कोई बात मै नही देखता। यह सब स्वाभाविक बात है। हाँ, मुझे तो तू बारह-एक वर्षकी ही लगती है। लेकिन हो सकता है, इस बीच तेरे शरीरमे परिवर्तन हुआ हो। तो यदि तुझे लगता है कि तू बड़ी हो गई है तो बस ठीक है। तेरी जो इच्छा हो, वह साफ-साफ लिखना।

हम बुधवार या गुरुवारको इन्दौर[1] वापिस पहुँचेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५३९) से, सौजन्य : मनुबहन मशरूवाला।

६३९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

इन्दौर
२२ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

आपका भाषण पढ लिया। यह काम नही देगा। इस समय सरकारकी नीतिकी चर्चा आपने जिस स्वरमे की है, उस स्वरमें नहीं हो सकती। यह युग सरकारकी नीति या जमीदारोकी नीतिका निरीक्षण करनेका नही, आत्म-निरीक्षण करनेका है। अपना घर साफ करने और रखनेका है। इसलिए इस समय हमे क्या करना चाहिए, इसके सिवा आप मेरे मुँहसे और कुछ सुननेकी कम ही आशा रखे। इस प्रस्तावनाके बाद मुझे तो यही समझमे आता है कि किसानोका कर्तव्य बताया जाये और सरकारका नाम तक न लिया जाये। नई दिल्लीको इस वक्त भूल जाना ही उचित है। परन्तु अगर यह बात आपको न जँचे, तो फिर हृदयका स्वामी जो सुझाए वही बोलिए।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६३-६४

६४०. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२२ अप्रैल, १९३५

भाई वल्लभभाई,

सुबह तो आपको एक पत्र लिखा ही था। उसके बाद इतना लिखना पड़ा कि अब दायें हाथसे लिखा नही जाता।

मुन्शीको बोर्डका[2] मत्री बनानेकी आवश्यकता मालूम हो तो देख लीजिए। क्या असारीके चले जाने पर भूलाभाई अध्यक्ष बनेंगे? राजाजीको किसी भी तरह समझाया जा सके तो समझाइए। क्या डॉ० विधानने भी अपनेको अलग कर लिया?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो – २ : सरदार वल्लभभाईने, पृ० १६४

१. शायद गांधीजीका तात्पर्य वर्धासे था, जहाँ वे गुरुवार, २५ अप्रैलको लौटे।
२. कांग्रेस संसदीय बोर्ड।

६४१. पत्र : जमनालाल बजाजको

२३ अप्रैल, १९३५

चि० जमनालाल,

कमलनयनके साथ मैंने काफी बात कर ली है। ऐसा लगता है कि सम्बन्ध जोडनेके पहले जो . . .[1] वर्धा आ जाये तो मैं भी जरा उसे देख लूं। कमलनयनको भी यह बात जँची है। इसलिए . . .[2] को मैंने इस तरहका पत्र लिख दिया है।

तुम्हारा तार मिलनेके पहले ही राधाकिसनको सीकर भेज चुका था, इसलिए तार नहीं किया।

कानका क्या हाल है?

मदालसा कैसी है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९६४) से।

६४२. भाषण : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इन्दौरमें

२३ अप्रैल, १९३५

महात्माजीने उपस्थित जनता और प्रतिनिधियोंसे निश्चित समयपर न पहुँचनेके लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्थायी समितिके सदस्योंका चुनाव और प्रस्ताव आदिका कार्य इतना अधिक था कि मैं इच्छा होते हुए भी समय पर नहीं पहुँच सका। फिर उन्होंने हिन्दी-प्रचारकी सहायताके लिए अपील करते हुए कहा:

मैं जिस भिक्षाके लिए आपसे अपील करता हूँ उसे आप तीन हिस्सोंमें बाँट सकते हैं। आप चाहें तो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके दफ्तरमें अपनी रकम जमा करा सकते हैं, अथवा हिन्दी-विश्व-विद्यालय जिसको इसी इन्दौरमें खोलनेका आयोजन हो रहा है उसमें भी सहायता दे सकते हैं, या दक्षिण प्रान्तमें तथा अन्य प्रान्तोंमें हिन्दी भाषाके प्रचारके लिए दे सकते हैं। यदि आप रकम देते समय हिन्दी-विश्वविद्यालयके लिए या हिन्दी-प्रचारके लिए ऐसा नहीं लिखायेंगे, तो वह रकम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके लिए समझी जाकर सीधी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके दफ्तरमें भेज दी जायेगी। आपको हिन्दी-विश्वविद्यालय और हिन्दी-प्रचारके लिए विशेष सहायता करनी चाहिए। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं है कि आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका ध्यान न रखें।

१ और २. नाम छोड दिये गये हैं।

परन्तु इन दोनोका काम बहुत जरूरी और शीघ्र करनेका है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तो अपने पैरोके बल पर खडा है। परीक्षा लेनेका जो उसका काम है और उसमें जो खर्च होता है वह विद्यार्थियोकी फीससे, चाहे वह थोडी ही हो, चल जाता है। हिन्दी-प्रचारके कार्यके लिए उसने दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा जैसी स्वतन्त्र सस्थाएँ खोल दी हैं, जो उसके ऊपर भार-स्वरूप नही है। वे अपना खर्च आप निकाल लेती है। हिन्दी साहित्यको प्रकाशित करनेके कार्यमे पुस्तकोकी बिक्रीसे खर्चकी पूर्ति हो जाती है। जैसे अभी मुझे यह ओझा-अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया गया है। इसकी छपाई आदिमे जो खर्च हुआ है वह राजा-महाराजाओसे इकट्ठा किया ही जाता है। क्योकि ऐसे ग्रन्थोकी छपाईमे लेख लिखवानेमे तथा चित्र बनवानेमे बहुत ज्यादा खर्च होता है। इस ग्रन्थके लेख तो मुफ्तमे मिल गये है। इसलिए इसमें खर्च कम हुआ है और कीमत भी १२) कम रखी गयी है, नही तो इतने बडे ग्रन्थकी कीमत ५०)-६०)से कम नही होती। मेरे कहनेका मतलब यह है कि इसमे जो खर्च होता है वह तो राजा-महाराजाओसे ले लिया जाता है और फिर धीरे-धीरे वह साहित्य बिकता रहता है। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग मेरे कथनका मतलब समझ गये होगे। सम्मेलनकी ओरसे जिस सग्रहालयकी नीव डाली गयी है और आधेसे ज्यादा इमारत बन भी गई है, उसके लिए कुछ रकमकी जरूरत है, क्योकि उसके बिना वह अधूरा ही पडा है और जो लकडी वगैरह मँगाई गई थी वह भी यो ही पडी हुई है। जो काम आरम्भ किया जाता है, उसे यदि पूर्ण नही किया जाये तो थोड़े दिनोमे वह जीर्ण हो जाता है। उसके लिए अभी १०-१५ हजार रुपयोकी जरूरत है। जबतक आप उसके लिए पैसा नही देगे तबतक उसका द्वार बन्द रहेगा। इसके सिवाय दक्षिण-प्रचारके लिए भी, जिसका बोझ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन पर नही है, मैं आपसे भिक्षा माँगता हूँ। 'अधिकस्य अधिक फल'।' आप जितना अधिक पैसा देगे उतना अधिक फल आपको मिल सकता है। अब मैं आपसे दुबारा कह देना चाहता हूँ कि आप दान देनेसे पहले कह सकते हैं कि यह रकम सम्मेलनके दफ्तरको या हिन्दी विश्वविद्यालयको अथवा अन्य प्रान्तोमे हिन्दी-प्रचारके लिए देता हूँ। आप कुछ भी नही देना चाहते हैं तो यह आपके अधिकारकी बात है। यह कोई कानूनके विरुद्ध बात नही है और न देनेसे कोई दुखकी भी बात नही है। हिन्दी-प्रचारके लिए आप एक कौडी न देकर दफ्तर या विश्वविद्यालयको देंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे दिया। इससे मुझे कोई दुख नही हो सकता। इस वर्ष तो कर्त्तव्य-पालनकी दृष्टिसे भी मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं आपसे सम्मेलनके लिए भिक्षा माँगूं। अब मैं आपसे ज्यादा नही कहना चाहता और अपने कार्यको रेलगाडीकी रफ्तारसे शुरू करनेसे पहले मैं आपसे यह भिक्षा माँग लेता हूँ कि आप शान्तिपूर्वक भिक्षा दे। आपके पास यदि इस समय पैसा हो तो अभी दे सकते हैं। अभी न हो और घर पर रखा हो तो आप अपना नाम और पता अकित करा सकते है। बादमे स्वागत-समितिके सदस्यगण आपसे वसूल करके दफ्तरमे भेज देगे। यहाँ स्वयसेवक भाई हैं। वे आपके पास आ जायेंगे।

आप जो-कुछ देना चाहते है वह दे सकते है अथवा अंकित करा सकते हैं। यह तो आप जानते है कि मै बहनोके पाससे भी उनका जेवर छीन लेना चाहता हूँ। इसलिए वे भी समझ गई है कि उसके (गांधीजीके) सामने जेवर पहन कर क्यो जाये। इस प्रकार वे चोरी करती है तो कर ले, मै बहनोसे कहता हूँ कि इन्दौरमें विश्वविद्यालय स्थापित होनेसे और अन्य प्रान्तोमें हिन्दी-प्रचार होनेसे जो गरीब भाई-बहनोंकी सेवा होगी उसका लाभ आपको भी मिलेगा। अतः जो बहनें अपना जेवर देना चाहती है, वे दे सकती हैं। आप लोग जो दान इसमे दें वह कंजूसीसे न दे उदारतासे दें। अब आपके पास स्वयसेवक लोग आयेंगे, क्योकि बहुत-से प्रतिनिधि तो ऐसे है जो स्वय पैसा नही दे सकते। अत प्रेक्षक लोग जिनके पास पैसा हैं वे शीघ्र दे दें। फिर मुझे जो कार्य करना है वह रेलगाड़ीकी रफ्तारसे करना होगा, क्योंकि साढ़े पाँच बजे यह काम खतम करके मुझे यहाँसे भाग जाना है। इन्दौरके पण्डित लक्ष्मीनारायणजी त्रिवेदीने अपना 'जगन्नाथ त्रिवेदी-भवन', पचास हजारकी लागतका; हिन्दी-विश्वविद्यालयको देनेकी कृपा की है। अतः वे अवश्य धन्य-वादके पात्र हैं। यहाँके लोग यदि इसी तरहसे काम करेंगे और महाराजा साहबकी कृपा हो जायेगी तो आपका विश्वविद्यालय उस्मानिया विश्वविद्यालयकी तरह इन्दौर हिन्दी विश्वविद्यालय बन सकता है। अब मैं अपने भाषणको यहीपर खत्म करता हूँ और आपके पास स्वयसेवक लोग आयेंगे। उनको आप अपनी इच्छानुसार धन दे दें।

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन: कार्य-विवरण, पृ० ४१-४३ से।

६४३. भाषण: सार्वजनिक सभा, इन्दौरमें[1]

२३ अप्रैल, १९३५

यहाँ एकत्र लोगोंमें से अधिकांश इन्दौरके नागरिक है। गाँवोसे भी लोग आये है, लेकिन बहुसंख्या इन्दौरके लोगोकी है। आप लोगोने प्रदर्शनी देखी ही होगी। बदकिस्मतीसे बेमौसमकी बरसातने इसका रंग फीका कर दिया है। इसका आयोजन इसलिए किया गया है कि नगरवासियोको ग्रामीणोके प्रति उनके कर्त्तव्यकी याद दिलाई जाये। इतने वर्षो तक हम इस कर्त्तव्यको भूले रहे है, लेकिन अब ऐसा करेंगे तो हमें भारी हानि उठानी पडेगी। हमें शायद इसकी जानकारी न हो, लेकिन हम व्यक्तिशः और एक राष्ट्रके रूपमें धीरे-धीरे नष्ट हो रहे है। दूसरे लोगों—सरकार, राज्य या जमीदारो—को इसके लिए दोषी ठहरानेसे कोई फायदा नहीं। वे भी

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित 'अवर ड्यूटी टू दि विलेजर्स' शीर्षक विवरणसे उद्धृत। यह सभा हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके पंडालमें हुई थी और इसमें लोग बड़ी संख्यामें शामिल हुए थे।

हमारी इस शोचनीय स्थितिके लिये जिम्मेदार अवश्य हैं। लेकिन हम खुद भी कम जिम्मेदार नही है, और अच्छा होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी पर फिरसे विचार करें।

हमारे गाँवोमें व्यक्तिकी औसत आयु इतनी कम क्यो है, हम लोग दिन-दिन दरिद्र क्यो होते जा रहे है? इसका कारण यही है कि हमने अपने ७,००,००० गाँवोकी उपेक्षा की है, हमने उनपर ध्यान दिया जरूर है, लेकिन सिर्फ अपने मतलबके लिए उनका शोषण करनेकी हदतक ही। हमने भारतके प्राचीन वैभवके — कभी दूध और शहदकी नदियोसे भरी अपनी इस भूमिके हृदय गुदगुदा देनेवाले वृतान्त पढ़े है। लेकिन आज इस देशमे करोडो लोग भूखसे पीडित है। हम विजलीकी रोशनीकी चकाचौधके बीच इस पडालमे बैठे हैं, लेकिन हम यह नही जानते कि हमने यह रोशनी गरीबोका शोषण करके पाई है। अगर हम उन लोगोके इस ऋणको याद नही रखते तो हमे इस रोशनीके इस्तेमालका कोई हक नही।

पूर्वकी, भारतकी सभ्यता और पश्चिमकी सभ्यतामे फर्क है। वह फर्क किस बातमे है, इसे अकसर महसूस नहीं किया जाता। हमारा भूगोल अलग तरहका है, हमारा इतिहास दूसरी तरहका है, हमारे रहनेके तरीके दूसरी तरहके हैं। हमारा महाद्वीप काफी बड़ा होनेपर भी सम्पूर्ण पृथ्वीकी सतह पर एक बिन्दु-जैसा ही है। लेकिन चीनको छोड़कर यह भाग सबसे अधिक घना बसा हुआ है। तो फिर, जिस जमीन पर आबादीका दबाव अधिक है, उस देशकी आर्थिक अवस्था और सभ्यता उस देशसे अलग प्रकारकी होगी जिसकी जमीन पर आबादीका दबाव कम है। कम घने बसे हुए अमरीका-जैसे देशको मशीनोकी जरूरत पड़ सकती है। भारतको इसकी जरूरत नही है। जहाँपर लाखो श्रमिक निठल्ले बैठे हो वहाँ श्रमकी बचत करनेके साधनो पर विचार करना एकदम गलत है। अगर कोई ऐसी मशीन लगाता है जिससे खानेके लिए हाथोका उपयोग ही जरूरी न रहे, तो भोजन आनन्ददायी न रहकर एक त्रस्त करनेवाली चीज बन जायेगा। हमारे उद्योगोका विनाश और उसके कारण उत्पन्न होनेवाली बेरोजगारी हमारी गरीबीके कारण हैं। कुछ साल पहले हिन्दुस्तानमे खेती करनेवालोकी सख्या ७० प्रतिशत बतलाई जाती थी। कहा जाता है कि आज वह ९० प्रतिशत है। इसका यह मतलब नही है कि ९० प्रतिशत लोग किसान है, बल्कि यह है कि अब ७० प्रतिशतकी बजाय ९० प्रतिशत लोगोको विवश होकर जमीनोपर गुजर-बसर करनी पड रही है। दूसरे शब्दोमें, कुछ समय पहले जो २० प्रतिशत लोग अपने धंधो तथा हस्त-कौशलसे पेट भरते थे, उनके पास अब वह काम नही रहा और वे खेतीका काम करके गुजारा चलाने पर मजबूर हो गये है। उनकी रोजी इस तरह उनसे छिन गई, इसलिए नही कि वे ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जमीन जितनी है, उतनी ही तो रहेगी।

इसका यह मतलब भी नही है कि देशके ३५ करोड़ लोगोको खिलाने लायक जमीन हमारे पास नही है। यह कहना कि हिन्दुस्तानमें आबादी अधिक है और जो जनसंख्या अतिरिक्त है उसको मौतके मुँहमें चले जाने दो, बिल्कुल बेतुकी

बात है। मुझे विश्वास है कि हमारे पास जितनी जमीन है, उसका अगर ठीकसे उपयोग किया जाये और जितना उत्पादन सम्भव है उतना उत्पादन किया जाये तो वह हमारी सारी आबादीके लिए पर्याप्त होगा। हमें सिर्फ मेहनती बननेकी जरूरत है, और इस समय जहाँ अन्नकी एक मंजरी आती है, वहाँ हमें चाहिए कि हम दो पैदा करें।

इस समस्याका हल यह है कि हम अपनेको गाँवके गरीब आदमीके साथ जोड़ें और उसकी इस बातमें मदद करें कि उसकी जमीन भरपूर उपज दे। जो चीजें हमें चाहिए उनकी पैदावारमें हम उसकी सहायता करें और जो चीज वह उत्पन्न करता है, हम उसीका इस्तेमाल करें। जैसा वह रहता है वैसे रहें और उसे अधिक अच्छे रहन-सहनके लिए प्रेरित करें।

हम शक्तिचालित चक्कीका पिसा आटा काममें लाते हैं। बेचारा ग्रामीण भी आधा मन गेहूँ सिर पर लादे हुए पासकी किसी ऐसी चक्की तक चलकर आटा पिसवानेके लिए जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने लिए जितना अन्न उत्पन्न करते हैं, उसके अलावा भी आस्ट्रेलियासे उच्च कोटिका गेहूँ मँगवाते हैं? हम हाथसे पिसा आटा इस्तेमाल नहीं करते और बेचारा ग्रामीण भी अज्ञानवश हमारी नकल करता है। इस तरह हम सोनेको मिट्टी और अमृतको विष बना लेते हैं। चोकर-सहित अन्न ही श्रेष्ठ है। मिलका पिसा आटा विटामिन-रहित होता है; मिलका पिसा आटा कई दिनोंका हो जानेके कारण विटामिन-रहित ही नहीं, दूषित तक होता है। लेकिन हम रोज ताजा आटा खानेके विचारसे रोज पीसनेके बजाय, हीनसत्व खाद्य खाते हैं और बीमारी खरीदते हैं। यह कोई जटिल आर्थिक सिद्धान्त नहीं है; यह तो रोज हमारी आँखोंके सामने घटनेवाला तथ्य है। यही बात चावल, गुड़ और तेलके सम्बन्धमें भी लागू है। हम मशीन द्वारा साफ किया अल्प-गुणयुक्त चावल खाते हैं, कम पौष्टिक चीनी खाते हैं और सो भी अधिक पौष्टिक गुड़की बनिस्बत अधिक दाम चुका कर। हम बाहरका बना मिलावटी तेल खाते हैं। इससे गाँवमें तेल निकालनेवालेको हमने परेशानीमें डालकर उसका पेशा खत्म कर दिया है। हम गाय को पूजते हैं, लेकिन उसकी सार-सँभाल न करके, उसे धीरे-धीरे मृत्युकी ओर ढकेलते चल रहे हैं। हम शहद निकाल लेते हैं और शहदकी मक्खियोंको मार डालते हैं इसका नतीजा यह निकला है कि शहद अब एक ऐसी अप्राप्य वस्तु बन गई है कि वह या तो मेरे-जैसे 'महात्मा'को मिल पाती है या उन्हें जिन्हें उसे दवाके साथ अनुपानके रूपमें लेनेकी सलाह दी जाती है। अगर हम मधुमक्खियोंको हानि पहुँचाये बिना वैज्ञानिक तरीकेसे उनके पालनेका ढँग सीख लें, तो हमें यह सस्ता मिलने लगेगा और हमारी सन्तानोंको इससे वह शर्करा-तत्व पूरी तरह मिल जायेगा जिसकी उन्हें जरूरत है। अपने खानेकी हर चीजमें हम मूल-तत्वकी रक्षाकी चिन्ता नहीं करते, अधिक ताकत देनेवाले मटमैले गुड़की अपेक्षा हम हड्डी-सी सफेद चीनीको ज्यादा पसन्द करते हैं, और चोकरवाली भूरी रोटीकी तुलनामें पीली-सफेद रोटी हमें ज्यादा अच्छी लगती है।

हमारी ख्याति है कि हम लोग रोज स्नान करते है। बेशक हम नहाते तो रोज है, लेकिन इस स्नानका कोई अर्थ नही होता। क्योकि, हम गन्दे पानीसे स्नान करते है। हम अपने तालाबों और नदियोको गन्दा बना डालते है और उसी पानीको पीने और नहानेके लिए इस्तेमाल करते है। हम, डिग्रीधारी वकील और डॉक्टर लोग स्वास्थ्य विद्या और सफाईके प्रारम्भिक सिद्धान्त भी नही सीखना चाहते। हमने पाखाना-सफाईके सस्ते तरीको पर कोई विचार नही किया और अपने खुले स्वास्थ्य-प्रद स्थानोको रोग उत्पन्न करनेवाली जगहोमे बदल डाला है।

मैं आप लोगोसे प्रार्थना करता हूँ कि जडताको हटाइए, जीवन-सम्बन्धी सामान्य जानकारी प्राप्त करनेकी कोशिश कीजिए, अधिक समझदारीसे जीवन व्यतीत कीजिए और मिट्टीको सोना बनाना सीखिए। मैंने जीवनके सीधे-सादे तथ्योको आपके सामने रखा है। अगर हम सदियोसे अपनाई गई जडताको त्याग दे तो हम शीघ्र ही इन बातोका महत्व पहचान कर इनपर अमल करने लगेंगे। हम शरीर-श्रमसे बचते है, इस प्रकार हमारी बुद्धि कुंठित हो गई है। हम भोजन और व्यवहारमे विवेकरहित तरीके अपनाते रहकर भी सन्तुष्ट है। हमे सावधान हो जाना चाहिए और तय कर लेना चाहिए कि अपने शरीर और दिमाग — दोनोको अधिक चुस्त बनाकर रहेंगे।

आपने मेरी सारी बातें इतने धैर्य और ध्यानसे सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]
हरिजन, ११-५-१९३५

६४४. भाषण : गुजरातियोंकी सभामें[1]

इन्दौर
[२४ अप्रैल, १९३५][2]

कहा जाता है कि आप लोगोके बीच दो गुट बने हुए थे। मुझे खुशी है कि मेरी यात्रा उनको खत्म करानेमें निमित्त बन गई है। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप इससे एक कदम और आगे बढ़ें। आप उस क्षेत्रकी भलाईके बारेमे सोचे जहाँ आप जीविकोपार्जन कर रहे है। आपको अपनी सारी बचत अपने परिवारोको भेजनेकी बात नही सोचनी चाहिए, बल्कि उसका एक अंश उन मराठी और हिन्दी-भाषी लोगोके लिए खर्च करना चाहिए जिनके मध्य आप रह रहे है। यह सोचना गलत है कि व्यवसाय और नैतिक आचरणका परस्पर कोई मेल नही बैठ सकता। मैं

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित "इन्दौरके अन्य समारोह" (अदर फंक्शन्स एट इन्दौर) शीर्षक विवरणसे लिया गया है। इन्दौरके गुजरातियोने गांधीजीके सम्मानमें एक समारोह आयोजित किया था और उन्हें एक थैली भेंट की थी।

२. तारीख गांधीजीनी दिनवारीसे दी गई है।

जानता हूँ कि ईमानदारी और सच्चाई पर दृढ़ रहते हुए भी लाभकारी व्यवसाय किया जा सकता है। जो लोग यह तर्क देते हैं कि व्यवसाय और नैतिकताका कोई सम्बन्ध नही, वे वे लोग होते है जिनके सामने स्वार्थके अलावा कोई बड़ा उद्देश्य नही रहता। वह व्यक्ति जिसे केवल अपना स्वार्थ दिखता है, वह सभी उचित-अनुचित साधनोसे उसकी प्राप्तिकी चेष्टा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने समाजकी सेवा करनेके लिए जीविकोपार्जन करता है, वह सत्य या ईमानदारीकी बलि नही देगा। आपको यह बात मनमे बैठा लेनी चाहिए कि आपको यह अधिकार अवश्य है कि आप जितना चाहे कमायें, लेकिन उसे मनमाने ढगसे खर्च करनेका अधिकार आपको नही है। एक अच्छे कायदेके रहन-सहनकी आवश्यकताओकी पूर्तिके बाद जो-कुछ भी शेष बचता है, वह समाजका है।

यहाँ एक भी गुजराती ऐसा नही बचना चाहिए जिसे हिन्दीका ज्ञान न हो। मेरी यह बात स्त्रियोपर भी लागू होती है, इसलिए कि उनको यहाँकी हिन्दीभाषी स्त्रियोसे सहयोग करना चाहिए और जनसाधारणके सामान्य सामाजिक उत्थानके कार्यमें हिस्सा बँटाना चाहिए।

गुजराती युवक लीगने गांधीजीसे अनुमति चाही कि उनको अलगसे भाषण करके समारोहमें भाग लेने दिया जाये। उनसे गांधीजीने कहा:

क्या यह बेहतर नही रहेगा कि आपकी भाषणबाजीके लिए आपको कुछ मिनट देनेके बजाय मैं ही आपके चन्द मिनट ले लूँ। ठीक है, मै आपको मौनका सदेश दे रहा हूँ। कार्यका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किये बिना जो भी भाषण दिया जायेगा, उसमें भावकी विशुद्धता तथा परिष्कारका अभाव रहेगा। मै आप लोगोंसे कहता हूँ कि आप जुबानसे कम काम ले और समाजकी सेवाके लिए अपने हाथो और पैरोसे अधिक काम ले। जब आप कुछ वर्षोतक ऐसा कर लेगे, तब आपकी कही बातका वजन बढ जायेगा और वह कभी भी प्रभावित किये बिना नही रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-५-१९३५

६४५. भाषण : हरिजन स्कूलमें[1]

इन्दौर

[२४ अप्रैल, १९३५][2]

सवर्ण हिन्दू जो भी करे या कहे, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपको जो करना है, केवल उसीका ध्यान कीजिए। यह कोई छोटी-मोटी चीज नही कि जो धर्म आपको दबाकर रखता है, आप अब भी उसकी परवाह करते हैं। मैं नही जानता कि मै इसका श्रेय धर्मकी महानताको दूँ या आपकी सहन-शक्तिको। लेकिन, कारण जो भी हो, मैं आपसे कहूँगा कि आप थोडे समय और धैर्य रखे और जिस धर्मका पालन आप उसके हर उतार-चढावमे करते आये है, उसको ही गौरवान्वित करते रहे। अपने जीवनको पवित्र बना कर, अपनी आन्तरिक और बाह्य स्वच्छता बनाये रखकर और यदि आपकी ऐसी आदत पड गई हो तो मरे हुए पशुओके मॉस और मदिराका परित्याग करके तथा परमात्मासे प्रार्थना करके आप ऐसा कर सकते है। अगर हम राम-नामका स्मरण आस्थावान और विशुद्ध हृदयसे करे तो इसमे चमत्कारी शक्ति है। तब अस्पृश्यता देखते-देखते लुप्त हो जायेगी और आपको समाजमे अपना स्थान प्राप्त हो जायेगा। ईश्वर आपका कल्याण करे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ४-५-१९३५

१. महादेव देसाई द्वारा लिखित विवरण "इन्दौरके अन्य समारोह" (अदर फंक्शस एट इन्दौर) से उद्धृत।

२. साधन-सूत्रमें तिथि विशेषका उल्लेख नही है। लेकिन विवरणमें महादेव देसाईने इस बातका जिक्र किया है कि उस दिन उत्सवोंकी भीड़ रही और गाधीजी गाडी चलनेके समयतक निराहार रहे। उन्होंने इन्दौरसे प्रस्थान २४ अप्रैलको किया था।

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघके प्रबन्ध-मण्डलकी कार्यवाहीका सारांश[1]

निम्नलिखित छः व्यक्तियोका स्थायी न्यासी मण्डल होगा जो संघकी ओरसे कोष और सम्पत्तिपर काबू रखेगे और प्रबन्ध-मण्डलके निर्देशोके अनुसार उन्हे खर्च करेंगे। किन्तु यदि उक्त निर्देश न्यासियोके मतानुसार सघके उद्देश्य या उसके सर्वोत्तम हितके विरुद्ध हो तो प्रबन्ध-मण्डल तथा न्यासियोंकी मिली-जुली बैठक होगी और यदि बावजूद मिली-जुली बैठकके दो-तिहाई न्यासी प्रबन्ध-मण्डलके निर्देशोको सही नही माने तो ऐसे निर्देश व्यर्थ हो गये माने जायेगे।

(१) श्रीयुत श्रीकृष्णदास जाजू, कोषाध्यक्ष (वर्धा)
(२) श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा (वर्धा)
(३) श्रीयुत जमनालाल बजाज (वर्धा)
(४) डॉ० खानसाहब (उ० प० सीमाप्रात)
(५) श्री गोपीचन्द (लाहौर)
(६) श्रीयुत वैकुठ एल० मेहता (बम्बई)

किसीके इस्तीफा देनेसे या मर जानेसे अथवा किसी अन्य कारणसे कोई स्थान खाली होनेपर उसकी पूर्ति बाकी न्यासी पाँच वर्षसे चले आ रहे साधारण सदस्योमे से करेगे, या यदि स्थान खाली होनेके समय सघके अस्तित्वकी अवधि उतनी न हुई हो तो वह जगह उन सदस्योकी सूचीमें से भरी जाये जो उस समय हो और ३१ मार्च १९३५को या उससे पूर्व सदस्य बन चुके हो।

७. निम्नलिखित व्यक्ति संघके संस्थापक सदस्य होगे और यही प्रथम प्रबन्ध-मण्डल बनायेगे। यह प्रबन्ध-मण्डल आज ३ फरवरी १९३५ से लेकर सात सालतक पद पर रहेगा। साथमें वे सदस्य भी होगे जो यहाँपर दिये गये ढंगसे बादमे लिये जायेंगे।

(१) श्रीयुत श्रीकृष्णदास जाजू
(२) श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा
(३) श्रीमती गोसीबहन कैप्टेन
(४) डॉ० खान साहब

१. देखिए पृ० २७०-७१ और २७४।

(५) श्रीयुत शूरजी वल्लभदास
(६) डॉ० प्रफुल्लचन्द्र घोष
(७) श्रीयुत शकरलाल वैंकर
(८) श्रीयुत लक्ष्मीदास पी० आसर

श्रीयुत श्रीकृष्णदास जाजू प्रथम अध्यक्ष होगे और श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा संगठनकर्त्ता और सचिव।

प्रथम प्रवन्ध-मण्डलके कार्य-कालकी समाप्ति पर वादके मण्डलोका चुनाव हर तीन साल वाद वे साधारण सदस्य अपने वीचमें से करेगे जो कममें-कम तीन सालसे सदस्य है।

मण्डलका प्रत्येक सदस्य अलग-अलग और सम्मिलित रूपसे सघकी नीति अमलमे लानेके लिए जिम्मेदार होगा और इसलिए उससे आशा की जायेगी कि जव मण्डलकी वैठक न हो रही हो तव अपनी योग्यतानुसार उसका प्रतिनिधित्व करे और अपने प्रभाव-क्षेत्रमे उसकी नीति और कार्यक्रम पर अमल करे।

८. कोई भी व्यक्ति जो इसके साथ दी गई शपथ लेता है, जिसकी सिफारिश प्रवन्ध-मण्डलका कोई सदस्य करता है और जिसका दाखिला उक्त मण्डल स्वीकार कर लेता है, वह संघका साधारण सदस्य होगा।

९. साधारण सदस्योमें से मण्डल एजेंट चुन सकता है, जो विना किसी तनख्वाहके किसी गाँव, गाँवो या जिलेमें मण्डलका प्रतिनिधित्व करेगे और वे अपने कार्यक्षेत्रके ज्ञान, अपनी सगठन-क्षमता और अपने क्षेत्रमे प्रभावशाली होनेके कारण चुने जायेंगे और वे उन उपनियमोका पालन करनेके लिए वाध्य होगे जिनमे उनके कर्त्तव्य वताये गये हैं।

१०. एजेंट और साधारण सदस्योसे भिन्न अवैतनिक कार्यकर्त्ता होगे और उन्हे मण्डलका कोई सदस्य या एजेंट मान्यता देगा। ऐसे कार्यकर्त्ता संघकी कुछ ठोस सेवा करेगे।

११. वैतनिक कार्यकर्त्ताओको या तो मण्डल या ऐसे व्यक्ति जिन्हे इसका अधिकार दिया गया हो, चुनेंगे। दूसरी हालतमें, मण्डल द्वारा उनके चुनावकी पुष्टि जरूरी होगी। ये कार्यकर्त्ता अपना पूरा समय और ध्यान सघके कार्यमे लगायेंगे।

१२. कोई भी व्यक्ति जो संघके उद्देश्यसे सहानुभूति रखता है और कमसे-कम १०० रु० सालाना देता है, वह संघका सहयोगी सदस्य होगा और जो व्यक्ति एक ही वारमें १००० रु०की राशि देगा, वह आजीवन सहयोगी सदस्य गिना जायेगा।

३१ जनवरी तक कुल प्राप्ति ११,२६५-७-६ की थी।

फोरमैंस क्रिश्चियन कालेजके प्रिंसिपल डॉ० एस० के० दत्त सलाहकार मण्डलमें रहनेको राजी हो गये है।

श्रीयुत मोहनलाल कुँवरजी (वम्वई) और सोनीराम पोद्दार (रंगून) आजीवन सहयोगी सदस्य वन गये है और श्रीयुत शालिग्राम रामचन्द्रजी (धूलिया), रामेश्वरदास जोहारमल (धूलिया) और वेनीलाल मोदी (वड़ौदा) साधारण सहयोगी सदस्य वने है।

सम्बन्धन

सम्बन्धनके लिए निम्नलिखित नियम बनाये गये और पास किये गये:

१. जिन संस्थाओके उद्देश्योमे ग्रामोद्योगोंकी प्रगति करना और ग्रामीणोका हित करना है और जिनके संविधान और नियमोंमें कोई ऐसी चीज नही है जो इस सघके आदर्शोंके प्रतिकूल हो वे सघसे सम्बद्ध किये जा सकते है, बशर्ते कि वे यह वचन दें कि वे सघके विद्यमान नियमो और विनियमोका तथा उपनियम सं० ८के अधीन प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समय-समयपर बनाये जानेवाले नियमो और विनियमोका पालन करेंगे।

२. सघ ऐसी सम्बद्ध सस्थाओकी जाँच और निगरानी करेगा।

३ हर तीसरे महीने वे उस अवधिमे किये गये अपने कामकी रिपोर्ट देंगी।

४. सम्बन्धनकी फीस १२ रु० सालसे कम नही होगी।

५. ऐसी सम्बद्ध सस्थाओको सघ द्वारा प्रकाशित समग्र साहित्यकी निःशुल्क प्रतियाँ और सलाह तथा मार्गदर्शन पानेका अधिकार होगा।

प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरणके लिए निम्नलिखित नियम बनाये गये व पास किये गये:

१. जो सस्थाएँ और व्यक्ति इस संघके कार्यक्षेत्रमे आनेवाली ग्रामोत्पादित वस्तुओंका व्यापार करनेको तैयार है और जो संघके नियमों और विनियमों तथा सघकी तरफसे प्रबन्ध-मण्डल द्वारा समय-समयपर बनाये जानेवाले नियमोके अनुसार चलनेका वायदा करते है, वे प्रमाणित किये जा सकते है।

२. सघ इन प्रमाणीकृत सस्थाओंकी जाँच व निगरानी करेगा तथा वे समय-समयपर, जब भी उनसे कहा जायेगा तब, उनके कार्यके सम्बन्धमें केन्द्रीय कार्यालयको जिस जानकारीकी जरूरत होगी, वह जानकारी देंगी।

प्रमाणीकृत संस्थाओके अधिकारी और कर्मचारी तथा प्रमाणित व्यापारियोंसे यह आशा की जायेगी कि वे अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके सिद्धान्तोके अनुसार चले।

३. वे मण्डल या मण्डल द्वारा इस कामके लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित फीस देंगे।

४. ऐसी संस्थाओको इस संघ द्वारा प्रकाशित समस्त साहित्यकी नि.शुल्क प्रतियाँ तथा वे जब भी जो सलाह और मार्गदर्शन माँगें, वह पानेका हक होगा।

विविध

यह तय किया गया कि जो एजेंट और कार्यकर्त्ता आवेदन करे उन्हे 'हरिजन' की एक-एक प्रति (अग्रेजी, हिन्दी या गुजराती) नि.शुल्क दी जाये।

यह तय किया गया कि किसी एजेंट द्वारा जो भी सहयोगी सदस्य बनाये जायें उनसे प्राप्त सालाना चन्देका ७५ प्रतिशत उसी जिलेमें कामके लिए दिया जाये, बशर्ते कि दाताने उसे किसी खास क्षेत्र या कार्यके लिए ही कहकर न दिया हो।

बम्बईके श्रीयुत वैकुठराय एल० मेहता, बिहारके बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद और लाहौरके श्री गोपीचन्द भार्गव प्रबन्ध-मण्डलके अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किये गये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-२-१९३५

परिशिष्ट–२

अ० भा० ग्रा० सं० के सहयोगी सदस्यों, वैतनिक कार्यकर्त्ताओं तथा अवैतनिक कार्यकर्त्ताओंके लिए प्रतिज्ञा-पत्र[1]

सहयोगी सदस्यके लिए

सघके प्रति सहानुभूति रखनेवाले व्यक्तिके नाते मैं जहाँतक हो सकेगा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघ द्वारा चलाये जानेवाले आन्दोलनकी भावनाको अपनाऊँगा और यथासम्भव गाँवोमे बनाई गई चीजोका ही प्रयोग करूँगा।

तारीख हस्ताक्षर

वैतनिक कार्यकर्त्ताके लिए

मैं अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघके उद्देश्यमे विश्वास रखता हूँ और अपनी योग्यतानुसार केवल ग्रामवासियो द्वारा तैयार की गई चीजोका ही उपयोग करनेका प्रयत्न करूँगा। मैं जब जिन लोगोके नियन्त्रणमे रखा जाऊँगा तब उनके निर्देशोका ईमानदारीसे पालन करूँगा, और उनको अमलमें लाऊँगा।

तारीख हस्ताक्षर

पुष्टि-तिथि

अवैतनिक कार्यकर्त्ताके लिए

मैंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघका उद्देश्य और सविधान पढा है और उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए प्रयत्नशील कार्यकर्त्ताके नाते मैं अपनी योग्यता-भर प्रयत्न करूँगा कि स्वय ग्रामोकी तैयार की गई चीजे प्राप्त करूँ और अपने उपयोगमे लाऊँ और अपने पडोसियो तथा उन लोगोमे जिनके सम्पर्कमे मैं आऊँ, उन चीजोके प्रयोगका प्रचार करूँ। मैं ग्रामवासियोकी ऐसी सभी सेवाएँ करनेके हर मौकेकी तलाशमे रहूँगा जो मेरी ताकतमे होगी। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सघकी ओरसे की गई अपनी कार्यवाहियोकी रिपोर्ट मैं सघके सचिवको हर तीसरे महीने भेजूंगा।

तारीख हस्ताक्षर

अनुमोदनकर्त्ता

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-३-१९३५

१. इनका मसविदा संघकी १६/१८ मार्च, १९३५ को हुई बैठकमें तैयार किया गया था; देखिए पृ० ३६४ भी।

सामग्रीके साधनसूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी-साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३४९ (प्रथम संस्करण) तथा पृष्ठ ३५५ (द्वितीय संस्करण)।

जामिया मिलिया इस्लामिया पुस्तकालय, नई दिल्ली।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।

साबरमती संग्रहालय: पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय जिसमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३४९ (प्रथम संस्करण) तथा पृष्ठ ३५५ (द्वितीय संस्करण)।

'अमृत बाजार पत्रिका': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'गुजराती'. बम्बईसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल': बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'लीडर': इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'वीणा': श्रद्धांजलि अंक, अप्रैल–मई, १९६९, मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति प्रेस, इन्दौर।

'हरिजन': हरिजन सेवक संघकी ओरसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'हरिजनबन्धु': 'हरिजन' का गुजराती संस्करण।

'हरिजनसेवक': 'हरिजन' का हिन्दी संस्करण।

'हितवाद': नागपुरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स'. नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू': मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'इन्सिडेंट्स ऑफ़ *गांधीजीज* लाइफ' (अंग्रेजी): चन्द्रशंकर शुक्ल द्वारा सम्पादित; वोरा एण्ड कं० पब्लिशर्स, बम्बई, १९४९।

'कन्टेम्पररि इंडियन फिलासफी' (अंग्रेजी): डॉ० एस० राधाकृष्णन और जे० एस० म्यूरहेड, दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, १९३६।

'टू सर्वेन्ट्स ऑफ गॉड' (अंग्रेजी): महादेव देसाई, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, नई दिल्ली; १९३५।

'दिल्लीका राजनैतिक इतिहास' भाग–२. राजेन्द्रप्रसाद, अर्जुन इलैट्रिक प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली, १९३५।

'नरसिंहरावनी रोजनीशी' (गुजराती) नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटिया; गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद।

'पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद' · काका कालेलकर द्वारा सम्पादित, जमनालाल सेवा ट्रस्ट, वर्धा, १९५३।

'बापुना पत्रो–६ ग० स्व० गगाबहेनने' (गुजराती) : काका कालेलकर द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो–२ सरदार वल्लभभाईने' (गुजराती) : मणिबहन पटेल द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९५२।

'बापुना पत्रो–४ मणिबहन पटेलने' (गुजराती) : मणिबहन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुना पत्रो–९ श्री नारणदास गाधीने' भाग–२ (गुजराती) नारणदास गाधी द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; १९६४।

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'बापूकी छायामे मेरे जीवनके सोलह वर्ष' · हीरालाल शर्मा, ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद, १९५७।

'मध्य प्रदेश और गाधीजी' · सूचना एव प्रकाशन निदेशालय, मध्यप्रदेश, १९६९।

'महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गाधी' खण्ड–४ (अग्रेजी) : डी० जी० तेन्दुलकर, विट्ठलभाई के० झवेरी और डी० जी० तेन्दुलकर, बम्बई, १९५२।

'माई डियर चाइल्ड' (अग्रेजी) एलाइस एम० बार्न्ज द्वारा सम्पादित; नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६।

अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन . कार्य विवरण, इन्दौर।

पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कागजात · नेहरू स्मारक सग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्लीमे सुरक्षित।

प्यारेलाल कागजात, श्री प्यारेलालके पास सुरक्षित कागजात।

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरी . स्वराज्य आश्रम, बारडोलीमे सुरक्षित।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ दिसम्बर, १९३४से २४ अप्रैल, १९३५ तक)

१६ दिसम्बर: गांधीजी वर्धामें थे।

२० दिसम्बर: अ० भा० ग्रा० स०के उप-नियमोंको समाचारपत्रोंके लिए जारी किया।

२९ दिसम्बर: प्रात.काल दिल्ली पहुँचे। 'एसोसिएटेड प्रेस'के प्रतिनिधिको भेंट।

३० दिसम्बर: हरिजन औद्योगिक प्रदर्शनी, दिल्लीमें भाषण।

१ जनवरी: 'हिन्दुस्तान टाइम्स'के प्रतिनिधिको भेंट।

२ जनवरी या उससे पूर्व: हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमें भाषण।

२ जनवरी: हरिजन सेवक संघके नये संविधानके स्वीकृत होनेसे पहले उसके सम्बन्धमें बातचीत। हरिजन बस्ती, दिल्लीका शिलान्यास किया। नरेलामें हरिजन सम्मेलनका उद्घाटन किया।

३ जनवरी: कार्ल हीथको लिखे पत्रमें संयुक्त संसदीय समितिकी रिपोर्टपर अपनी आपत्तियाँ बतायी।

४ जनवरी: श्री रघुवीर नारायणसिंहके नेतृत्वमें आये शिष्टमण्डलने गांधीजीसे भेंट की तथा ग्रामोद्योगोंके पुनरोत्थानमें आनेवाली कठिनाइयोंको उनके आगे रखा। उन चमारोंके शिष्टमण्डलसे भी बातचीत की जिनके साथ गाँवके जमींदारने दुर्व्यवहार किया था।

५ जनवरी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमें भाग लिया।

८ जनवरी: अहमदाबाद मिल-मालिक संघके शिष्टमण्डलके साथ बातचीत।

श्रीमती सी० कुट्टन नायरको भेंट।

९ जनवरी: हालिद अदीब हानुमको भेंट।

१० जनवरी समाजवादियोंके साथ बातचीत।

सरकारके ग्राम-विकास योजना सम्बन्धी परिपत्रके बारेमें समाचारपत्रोंको भेंट।

११ जनवरी अहमदाबादके मिल-मालिकों तथा मजदूरोंके साथ बातचीत।

१२ जनवरी : पशु-प्रजनन केन्द्र, दिल्लीमे गये।
घ० दा० बिड़ला तथा अन्य लोगोके साथ हरिजनोत्थान कार्यके सम्बन्धमे बातचीत।

१३ जनवरी : अहमदाबादके मिल-मालिको और मजदूरोके झगड़ेको निपटाया।

१४ जनवरी : "टू सर्वेन्ट्स ऑफ गॉड" का प्राक्कथन लिखा।

१५ जनवरी मॉडर्न हाई स्कूल, दिल्लीमे गये। राजेन्द्रप्रसाद और च० राजगोपालाचारीके साथ बातचीत।

१६ जनवरी काग्रेस कार्य-समितिके सदस्योके साथ विचार-विमर्श।

१७ जनवरी : आमन्त्रित व्यक्तिकी हैसियतसे काग्रेस ससदीय-दलकी बैठकमें भाग लिया।

१८ जनवरी काग्रेस असेम्बली पार्टीकी प्रथम बैठकमे भाग लिया।

१९ जनवरी जामिया मिलियामे श्रीमती हालिदा अदीब हानुमकी व्याख्यान-सभाकी अध्यक्षता की। साँसियोकी बस्तीमे भाषण।

२१ जनवरीसे पूर्व · सतति-निग्रहकी समर्थक श्रीमती एडिथ हावे मार्टिनके साथ परिचर्चा।

२१ जनवरी 'यूनाइटेड प्रेस' के प्रतिनिधिको भेट।

२३ जनवरी कस्तूरबा गाधी, डॉ० जाकिर हुसैन, कृष्णन नायर तथा अन्य लोगोके साथ दिल्लीके इर्दगिर्द अपनी त्रिदिवसीय गाँव-यात्रा शुरू की तथा नरेला और बखनीर गये।

२४ जनवरी : थड, सुलतानपुर तथा बवाना गाँवोमे गये।

२५ जनवरी : हुमायूँपुर, मुनीरका तथा रामताल गाँवोमे गये।

२७ जनवरी . दिल्लीमे हुई विधान-सभाके सदस्योकी बैठकमे भाषण।

२८ जनवरी दिल्लीसे वर्धाके लिए प्रस्थान।

२९ जनवरी · वर्धा जाते हुए नागपुर स्टेशनपर काग्रेसियोसे कहा कि लडकियोको औद्योगिक शिक्षा देनेकी आवश्यकता है।

४ फरवरी : वर्धामे अ० भा० ग्रा० सघकी बैठकमे भाग लिया।

९ फरवरी एडिथ हावे मार्टिनके साथ बातचीत।

११ फरवरी वर्धाके लक्ष्मीनारायण देवस्थानमे भाषण।

२२ फरवरी : रसोई-सभा, वर्धामे भाषण।

२३ फरवरी: नागपुरमें इतवारी खादी भण्डारका उद्घाटन किया।
सीताबर्ल्डी खादी भण्डार नागपुरके उद्घाटन-अवसरपर भाषण। गाँवके कार्यकर्त्ताओंकी बैठकमें भाषण। नागपुरकी सार्वजनिक सभामें भाषण।

२४ फरवरी: वर्धा लौटे।

१० मार्च: वर्धामें अखिल भारतीय चरखा संघके सदस्योंके साथ विचार-विमर्श।

११-१२ मार्च: वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीके साथ बातचीत।

१६-१८ मार्च: अ० भा० ग्रा० संघके बोर्डकी बैठकमें भाषण। अ० भा० ग्रा० संघके सदस्योंके साथ बातचीत।

२२ मार्च: चार सप्ताहका मौन-व्रत शुरू किया।

२३ मार्च: टी० ए० के० शेरवानीकी मृत्युपर संवेदना-सन्देश भेजा।

१० अप्रैल: जयकृष्ण भणसालीके साथ बातचीत।

१९ अप्रैल: चार सप्ताहका मौन-व्रत तोड़ा। वर्धामें प्रार्थना-सभामें भाषण, शामको इन्दौरके लिए प्रस्थान।

२० अप्रैल: हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, इन्दौरमें भाषण। इन्दौरमें ग्रामोद्योग प्रदर्शनीके उद्घाटन-अवसरपर भाषण।

२३ अप्रैल: हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, इन्दौरमें भाषण। इन्दौरमें सार्वजनिक सभा, गुजरातियोंकी सभा तथा हरिजन-स्कूलमें भाषण।

शीर्षक-सांकेतिका

विविध

सांकेतिका

भ